

वाचक उमास्वातिप्रणीत

तत्त्वार्थ सूत्र

विवेचन सहित

विवेचन कर्ता

पं० सुखलालजी संघवी



प्रमुख वितरक

भारत जैन महामण्डल, वर्धा

प्रकाशक :

दलसुख मालवणिया, मंत्री

जैन संस्कृति संशोधन मंडल

हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस. ५.



सन् १९५२ : द्वितीय संस्करण ३०००

मूल्य पांच रुपया आठ आना



मुद्रक :

जमनालाल जैन

व्यवस्थापक

भक्तिष्ण प्रि० वर्ध, वर्धा

समर्पण

उस भगिनी-मण्डल को कृतज्ञ समर्पण जिसमें
श्रीमती मोतीबाई जीवराज तथा श्रीमती
माणिक्यन शिवचन्द कापड़िया आदि बहिनें
मुख्य हैं, जिसके द्वारा विद्या-जीवन
तथा शारीरिक-जीवन में मुझको
सदा हार्दिक सहायता मिलती
रही है ।

—सुखलाल संघवी

सुधिया सुखलालेन तत्त्वार्थस्य विवेचनम् ।
'परिचयेन' संस्कृत्य जिज्ञासुभ्यः पुस्तकम् ॥

ग्रन्थानुक्रम

	विषय	पृष्ठ
१	लेखक का वक्तव्य	७-१८
२	परिचय का विषयानुक्रम	१९-२०
३	परिचय	१-९१
४	अभ्यासविषयक सूचनाएं	९२-९६
५	तत्त्वार्थाधिगमसूत्राणि	९७-१३१
६	तत्त्वार्थसूत्र-विवेचन का विषयानुक्रम	१३३-१४८
७	तत्त्वार्थसूत्र विवेचन सहित	१-३५०
८	पारिभाषिक शब्दकोष	३५१-४०४
९	शुद्धिपत्र	४०५-४१०

न भवति धर्मः श्रोतुः, सर्वस्यैकान्ततो हितश्रवणात् ।
ब्रुवतोऽनुग्रहबुद्ध्या, चकतुस्त्वेकान्ततो भवति ॥

उमास्वातिः ।

लेखक का वक्तव्य

तत्त्वार्थसूत्र के विवेचन का प्रथम मुद्रण गुजराती भाषा में सन् १९३० में गुजरात विद्यापीठ (अहमदाबाद) के द्वारा हुआ था। उसी का हिन्दी संस्करण सन् १९३९ में श्री आत्मानंद जन्म शताब्दी-स्मारक ग्रन्थमाला (वंवई) के प्रथम पुष्प के रूप में हुआ। इस संस्करण में 'परिचय' में कुछ संशोधन किया गया था। और इसके संपादक श्रीकृष्णचन्द्रजी और पं० दलमुख भाई मालवणिया के द्वारा क्रमशः शब्द सूची और सूत्र पाठ उपलब्ध पाठान्तरों के साथ जोड़ा गया था। 'परिचय' में खास कर वाचक उमास्वाति की परंपरा के विषय में पुनर्विचार करके यह कहा गया था कि वे श्वेताम्बर परंपरा में हुए। इसी हिन्दी संस्करण के आधार पर गुजराती तत्त्वार्थ सूत्र की दूसरी आवृत्ति १९४० ई० में श्री पूजाभाई जैन ग्रन्थ माला (अहमदाबाद) से प्रकाशित हुई और विवेचन में दो चार स्थानों में विशेष स्पष्टीकरण बढ़ाकर उसकी तीसरी आवृत्ति उसी ग्रन्थमाला से सन् १९४९ में प्रकाशित हुई है।

प्रस्तुत हिन्दी की दूसरी आवृत्ति उक्त स्पष्टीकरण का समावेश कर के श्री जैन संस्कृति संशोधन मंडल, बनारस की ओर से प्रकाशित हो रही है।

प्रस्तुत संस्करण में 'परिचय' में उपलब्ध मामग्री के आधार पर नया संशोधन किया गया है जो पहले के 'परिचय' के साथ तुलना करने पर मालूम हो सकेगा।

प्रथम गुजराती संस्करण (ई० '३०) के वक्तव्य का आवश्यक भाग हिन्दी में अनुवाद करके नीचे दिया जाता है जिससे मुख्यतया तीन बातें जानी जा सकेंगी। पहली तो यह कि शुरू में विवेचन किस ढंग से लिखने

की इच्छा थी और अन्त में वह किस रूप में लिखा गया। दूसरी बात यह कि विवेचन लिखने का प्रारंभ हिन्दी में किये जाने पर भी यह प्रथम क्यों और किस परिस्थिति में गुजराती में समाप्त किया गया और फिर सारा का सारा विवेचन गुजराती में ही प्रथम क्यों प्रसिद्ध हुआ। तीसरी बात यह कि कैसे और किन अधिकारियों को लक्ष्य में रख कर विवेचन लिखा गया है, वह किस आधार पर तैयार किया गया है और उसका स्वरूप तथा शैली कैसी रखी है।

“प्रथम कल्पना—लगभग १२ वर्ष पहले जब मैं अपने सहृदय मित्र श्रीरमणिकलाल मगनलाल मोदी वी० ए० के साथ पूना में था, उस समय हम दोनों ने मिल कर साहित्य-निर्माण के बारे में अनेक विचार दोड़ाने के बाद तीन ग्रन्थ लिखने की स्पष्ट कल्पना की। श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों में प्रति दिन बढ़ती हुई पाठशालाओं, छात्रालयों और विद्यालयों में जैन-दर्शन के शिक्षण की आवश्यकता जैसे-जैसे अधिक प्रतीत होने लगी, वैसे-वैसे चारों ओर से दोनों सम्प्रदायों में मान्य ऐसे नई शैली के लोक भाषा में लिखे हुए जैन-दर्शन विषयक ग्रंथों की माँग भी होने लगी। यह देख कर हम ने निश्चय किया कि ‘तत्त्वार्थ’ और ‘सम्मतिवर्क’ इन दोनों ग्रन्थों का तो विवेचन करना और उसके परिणाम स्वरूप तृतीय पुस्तक ‘जैन पारिभाषिक शब्दकोष’ यह स्वतन्त्र लिखना। हमारी इन प्रथम कल्पना के अनुसार हम दोनों ने तत्त्वार्थ के विवेचन का काम आज से ११ वर्ष पूर्व आगरा से प्रारम्भ किया।

हमारी विशाल योजना के अनुसार हमने काम प्रारम्भ किया और द्रष्ट सहायकों का समागम होता गया, पर वे आकर स्थिर रहें उनके पूर्व ही पक्षियों की तरह भिन्न-भिन्न दिशाओं में तितर-बितर हो गये। और पीछे दस आगरा के घोंसले में मैं अकेला ही रह गया। तत्त्वार्थ का आरम्भ किया हुआ कार्य और अन्य कार्य मेरे अकेले के लिये शक्य न थे और यह कार्य चाहे जिस रूप से पूर्ण करना यह निश्चय भी चुप बैठा रहने दे ऐसा न था। सहयोग और मित्रों का आकर्षण देग कर मैं आगरा छोड़ कर अहमदाबाद लाया। वहाँ मैंने सम्मति का कार्य हाथ में लिया

और तत्त्वार्थ के दो चार मूर्तों पर आगरा में जो कुछ लिखा वह जैसा वा
 नैसा पड़ा रहा ।

भावनगर में ई० स० १९२१-२२ में सन्मति का काम
 करते समय बीच-बीच में तत्त्वार्थ के अग्रूरे रहे हुए काम का स्मरण
 हो आता और मैं चिन्तित हो जाता । मानसिक सामग्री होने पर भी
 आवश्यक दृष्ट मित्रों के अभाव से मैंने तत्त्वार्थ के विवेचन को
 प्रथम निश्चित की हुई विशाल योजना दूर हटा दी और उतना भार कम
 किया, पर इस कार्य का सकल्प वैसे का वैसे था । इसलिए तबीयत के
 कारण जब मैं विश्रान्ति लेने के लिए भावनगर के पास के बालुकड गाँव
 में गया तब पोछे तत्त्वार्थ का कार्य हाथ में लिया और उसकी विशाल
 योजना को संक्षिप्त कर मध्यममार्ग का अवलम्बन लिया । इस विश्रान्ति के
 समय भिन्न भिन्न जगहों में रह कर लिखा । इस समय लिखा तो कम
 गया पर उसकी एक रूपरेखा (पद्धति) मन में निश्चित हो गई और
 कभी अकेले भी लिख सकने का विश्वास उत्पन्न हुआ ।

मैं उस समय गुजरात में ही रहता और लिखता था । प्रथम
 निश्चित की हुई पद्धति भी संकुचित करनी पड़ी थी; फिर भी पूर्व
 संस्कारों का एक साथ कभी विनाश नहीं होता, इस मानस-शास्त्र के
 नियम से मैं भी बद्ध था । इसलिए आगरा में लिखने के लिए सोची गई
 और काम में लाई गई हिन्दी भाषा का संस्कार मेरे मन में कायम था ।
 इसलिये मैंने उसी भाषा में लिखने की शुरुआत की थी । दो अध्याय
 हिन्दी भाषा में लिखे गए । इतने में ही बीच में बन्द पड़े हुए सन्मति
 के काम का चक्र पुनः प्रारम्भ हुआ और इसके वेग से तत्त्वार्थ के कार्य
 को वहीं छोड़ना पड़ा । स्थूल रूप से काम चलाने की कोई आशा नहीं थी,
 पर मन तो अधिकाधिक ही कार्य कर रहा था । उसका थोड़ा बहुत मूर्त
 रूप आगे दो वर्ष बाद अवकाश के दिनों में कलकत्ते में सिद्ध हुआ और चार
 अध्याय तक पहुँचा । उसके बाद अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक
 प्रभाव बढ़ते ही गए, इसलिये तत्त्वार्थ को हाथ में लेना कठिन हो गया
 और ऐसे के ऐसे तीन वर्ष दूसरे कामों में बिते । ई० स० १९२७ के

श्रीध्मायकाश में लीमड़ी रवाना हुआ। तब फिर तत्त्वार्थ का काम हाथ में आया और थोड़ा आगे बढ़ा, लगभग ६ अध्याय तक पहुँच गया। पर अन्त में मुझे प्रतीत हुआ कि अब सन्मति का कार्य पूर्ण करने के बाद ही तत्त्वार्थ को हाथ में लेने में श्रेय है। इसलिए सन्मतितर्क के कार्य को दूने वेग में करने लगा। पर इतने समय तक गुजरात में रहने में और षट् मिश्रों के कहने से मह धारणा हुई कि पहले तत्त्वार्थ का गुजराती संस्करण निकाला जाय। यह नवीन संस्कार प्रबल था। और पुराने संस्कार ने हिन्दीभाषा में ६ अध्याय जितना लिखाया था। स्वयं हिन्दी से गुजराती करना शक्य और इष्ट होने पर भी उसके लिए समय नहीं था। शेष गुजराती में लिखू तो भी प्रथम हिन्दी में लिखे हुए का क्या उपयोग? योग्य अनुवादक प्राप्त करना भी कोई मरल बात नहीं, यह मभी अमृविधाएँ थी; पर भाग्यवश इसका भी अन्त आ गया। विद्वान् और सहृदय मिश्र रसिकलाल छोटालाल परीय ने हिन्दी से गुजराती में अनुवाद किया और शेष चार अध्याय मने गुजराती में ही लिख डाले।^१ इस तरह लगभग ग्यारह वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया हुआ संकल्प अन्त में पूर्ण हुआ।

पद्धति—पहले तत्त्वार्थ के ऊपर विवेचन लिखने की कल्पना हुई तब उस समय निश्चित की हुआ योजना के पीछे यह दृष्टि थी कि संपूर्ण जैनतत्त्वज्ञान और जैन-आचार का स्वरूप एक ही स्थान पर प्रामाणिक रूप में उसके विकामत्रमानुसार लिखा हुआ प्रत्येक अभ्यासी के लिए सुलभ हो। जैन और जैनतर तत्त्वज्ञान के अभ्यासियों की संकुचित परिभाषामेद की दिवाल तुलनात्मक वर्णन द्वारा दूट जायगी और आज तरु के भारतीय दर्शनों में या पश्चिमी तत्त्वज्ञानों के चिन्तनों में सिद्ध और स्पष्ट हुए महत्त्व के विषयों द्वारा जैन ज्ञानकीय समृद्ध हो, इस प्रकार तत्त्वार्थ का विवेचन निराना। इस धारणा में तत्त्वार्थ की दोनों सम्प्रदायों की जितनी एव ही टीका के अनुवाद या सार को स्थान नहीं था। इसमें टीकाओं ने दोहन के निवाम दूमरे भी महत्त्वपूर्ण जैनग्रन्थों के सार को स्थान था।

१. इन चार अध्यायों का हिन्दी अनुवाद श्री कृष्णचन्द्रजी ने किया है।

पर जब इस विशाल योजना ने मध्यम मार्ग का रूप पकड़ा तब उसके पीछे की दृष्टि भी कुछ संकुचित हुई। फिर भी मैंने इस मध्यममार्गी विवेचन पद्धति में मुख्य रूप से निम्न बातें ध्यान में रखी हैं :

(१) किसी एक ही ग्रन्थ का अनुवाद या मार नहीं लिख कर या किसी एक ही सम्प्रदाय के मन्तव्य का बिना अनुसरण किये ही जो कुछ आज तक जैन तत्त्वज्ञान के अङ्ग स्वरूप पढ़ने में या विचार में आया हो, उसका तटस्थ भाव से उपयोग कर विवेचन लिखना।

(२) महाविद्यालय या कॉलेज के विद्यार्थियों की जिज्ञासा के अनुकूल हो तथा पुरातन प्रणाली से अभ्यास करनेवाले विद्यार्थियों को भी पसंद आवे इस प्रकार साम्प्रदायिक परिभाषा कायम रखते हुए उसे सरल कर पृथक्करण करना।

(३) जहाँ ठोक प्रतीत हो और जिनना ठोक हो उनसे ही परिमाण में संवाद रूप से और शेष भाग में बिना संवाद के सरलतापूर्वक चर्चा करनी।।

(४) विवेचन में सूत्रपाठ एक ही रखना और वह भी भाष्य स्वीकृत और जहाँ जहाँ महत्त्वपूर्ण अर्थभेद हो वहाँ वहाँ भेदवाले सूत्र को लिख कर^१ नीचे टिप्पणी में उसका अर्थ देना।

(५) जहाँ तक अर्थदृष्टि सगत हो वैसे एक या अनेक सूत्रों को साथ लेकर उनका अर्थ लिखना और एक साथ ही विवेचन करना। ऐसा करते हुए विषय लम्बा हो वहाँ उसका विभाग कर शीर्षक द्वारा वस्तुत्व का पृथक्करण करना।

(६) बहुत प्रसिद्ध हो वहाँ और अधिक जटिलता न आ जाय इस प्रकार जैन परिभाषा को जैनैतरपरिभाषा के साथ तुलना करना।

(७) किसी एक ही विषय पर जहाँ केवल द्वाताम्बर या दिग्म्बर या दोनों के मिल कर अनेक मन्तव्य हो वहाँ पर कितना और क्या लेना और कितना छोड़ना इसका निर्णय सूत्रकार के आशय की निकटता और विवेचन के परिमाण को मर्यादा की लक्ष्य में रख कर स्वतन्त्र रूप से

१. अब ऐसी टिप्पणियाँ सूत्रपाठ में दी गई हैं।

लिखना और किसी एक ही फिरके के बशीभूत न होकर जैन तत्त्वज्ञान या सूत्रकार का ही अनुसरण करना ।

इतनी बातें ध्यान में रखने पर भी प्रस्तुत विवेचन में भाष्य, उमको वृत्ति सवार्थसिद्धि और राजवातिक के ही अंशों का विशेष रूप से जाना स्वामाविक है । कारण कि ये ही ग्रन्थ मूलसूत्र की आत्मा को स्पर्श कर स्पष्ट करते हैं । उनमें भी अधिकतर मैंने भाष्य को ही प्राधान्य दिया है क्योंकि यह पुराना और स्वोपज्ञ होने के कारण सूत्रकार के आशय को अधिक स्पर्श करने वाला है ।

प्रस्तुत विवेचन में पहले की विशाल योजना के अनुसार तुलना नहीं की गई है । इस लिए इस न्यूनताको थोड़े बहुत अंश में दूर करने और तुलनात्मक प्रधानतावाली आज-कल की रमप्रद शिक्षण प्रणाली का अनुसरण करने के लिए 'परिचय' में तुलना सम्बन्धी कार्य किया गया है । ऊपर-ऊपर से परिचय में की गई तुलना पाठक को प्रमाण में बहुत ही कम प्रतीत होगी, यह ठीक है, पर मूढमत्ता से अभ्यास करने वाले देख सकेंगे कि यह प्रमाण में अल्प प्रतीत होने पर भी विचारणीय अधिक है । परिचय में की जानेवाली तुलना में लम्बे-लम्बे विषय और वर्णनों का स्थान नहीं होता इसलिए तुलनोपयोगी मुख्य मुद्दों को पहले छोट कर पोछे से संभवित मुद्दों की वैदिक और बौद्ध दर्शनों के साथ तुलना की गई है । उन उन मुद्दों पर ब्योरेवार विचार के लिए उन-उन दर्शनों के ग्रन्थों के स्थलों का निर्देश किया गया है । इसमें अभ्यासी के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने का भी अवकाश रहेगा, इसी वहाने उनके लिए दर्शनान्तर के अवलोकन का मार्ग भी खुल जायगा ऐसी मैं आशा रखता हूँ ।

गुजराती विवेचन के करीब २१ वर्ष बाद हिन्दी विवेचन की यह दूसरी आवृत्ति प्रकाशित हो रही है । इतने समय में तत्त्वार्थ से संबंध रखने वाला साहित्य ठीक-ठीक परिमाण में प्रकट हुआ है । भाषा-शक्ति से संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी और हिन्दी इन चार भाषाओं में तत्त्वार्थ विषयक साहित्य प्रकट हुआ है । इस में भी न केवल प्राचीन ग्रन्थों का ही

प्रकाशन समाविष्ट है, किन्तु समालोचनात्मक, अनुवादात्मक, संशोधनात्मक और विवेचनात्मक ऐसे अनेकविध साहित्य का समावेश है।

प्राचीन टीका ग्रंथों में से सिद्धसेनीय और हरिभद्रोय दोनों भाष्य-वृत्तियों को पूर्णतया प्रकाशित करने-कराने का श्रेय वस्तुतः श्रीमान् सागरानन्द सूरीश्वर को है। एक उन्होंने समालोचनात्मक निबन्ध भी हिन्दी में लिखकर प्रकाशित कराया है, जिसमें वाचक उमास्वाति के श्वेताम्बरीयत्व या दिगम्बरीयत्व के विषय में मुख्य रूपसे चर्चा है। तत्त्वार्थ के मात्र मूलसूत्रों का गुजराती अनुवाद श्री होरालाल कापड़िया एम. ए. का, तथा तत्त्वार्थभाष्य के प्रथम अध्याय का गुजराती अनुवाद विवेचन सहित पं० प्रभुदास घेचरदास परीख का प्रकाशित हुआ है। तत्त्वार्थ का हिन्दी अनुवाद जो वस्तुतः मेरे गुजराती विवेचन का अक्षरशः अनुवाद है वह फणोषी मारवाड़वाले श्री मेयराजजी मुण्णत के द्वारा तैयार होकर प्रकाशित हुआ है। स्थानकवासो मुनि आत्मारामजी उपाध्याय (अब आचार्य) के द्वारा 'तत्त्वार्थसूत्र-जैनागम समन्वय' नामक दो पुस्तिकाएँ प्रकाशित हुई हैं। इनमें से एक हिन्दी अर्थयुक्त है और दूसरी हिन्दी अर्थरहित आगमपाठ वाली है।

श्री रामजी भाई दोगीने तत्त्वार्थ का विवेचन गुजराती में लिखकर सोनगड से प्रकाशित किया है। प्रो. जी. आर. जैन का तत्त्वार्थ के पंचम अध्याय का विवेचन आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से अंग्रेजी में लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। पं० महेन्द्रकुमारजी द्वारा संपादित श्रुतसागराचार्यकृत तत्त्वार्थवृत्ति, पं० लालबहादुर शास्त्री कृत तत्त्वार्थसूत्र का हिन्दी अनुवाद और पं० फूलचंदजी का हिन्दी विवेचन बनारस से प्रकाशित हुआ है। तत्त्वार्थसूत्र को भास्करनंदिकृत सुखबोधवृत्ति औरिएण्टल लायब्रेरी पब्लिकेशन की संस्कृत सिरिज में ८४ वीं पुस्तक रूपसे पंडित शान्तिराज शास्त्री द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुई है। यह वृत्ति १४ वीं शताब्दी की है। तत्त्वार्थत्रिमूर्ती प्रकाशिका नामक व्याख्या जो श्री विजय लावण्यसूरिकृत है और जो श्री विजय नेमिसूरि ग्रन्थमाला के २२ वें खंड के रूपमें प्रकाशित हुई है वह पंचमाध्याय के उत्पादव्ययादि तीन सूत्रों (५. २९-३१) को सनाप्य सिद्धसेनीय वृत्ति का विस्तृत विवरण है।

पिछले २१ वर्षों में प्रकाशित य निमित्त तत्त्वायं सम्बन्धी साहित्य का उल्लेख यहाँ इसलिए किया है कि २१ वर्षों के पहले जो तत्त्वायं के अध्ययन-अध्यापन का प्रचार था वह पिछले वर्षों में किस तरह और कितने परिमाण में बढ़ गया है और दिन प्रतिदिन उसके बढ़नेकी कितनी प्रबल सम्भावना है। पिछले वर्षों के तत्त्वायं विषयक तीनों फिरकों के परिशीलन में मेरे 'गुजराती विवेचन' का कितना हिस्सा है यह दिखाना मेरा काम नहीं। फिर भी मैं इतना तो कह सकता हूँ कि तीनों फिरकों के योग्य अधिकारियों ने मेरे 'गुजराती विवेचन' को इतना अपनाया कि जो मेरी कल्पना में भी न था।

तत्त्वायं की प्रथम हिन्दी आवृत्ति के प्रकाशित होने के बाद तत्त्वायं मूत्र, उसका भाष्य, और वाचक उमास्वति और तत्त्वायं की अनेक टिकाएँ-इत्यादि विषयों के बारे में अनेक लेखकों के अनेक लेख निकले हैं। परन्तु यहाँ पर मुझे श्रीमान् नाथूरामजी प्रेमी के लेख के बारे में ही कुछ कहना है। प्रेमोत्री का 'भारतीय विद्या'-सिंधी स्मारक अंक में 'वाचक उमास्वति का सम्भाव्य तत्त्वायं मूत्र और उनका 'संप्रदाय' नामक लिख प्रसिद्ध हुआ है। उन्होंने दीर्घ ऊहापोह के बाद यह बतलाया है कि वाचक उमास्वति यादनीय संघ के आचार्य थे। उनकी अनेक दलीले ऐसी हैं जो उनके संतत्य को मानने के लिए आकृष्ट करती हैं इसलिए उनके मन्तव्य की विशेष परीक्षा करने के लिए मंत्रीक भगवती आराधना का नाम परिशीलन पं० श्री दलमुक्त मालवणिवाने किया। उन परिशीलन के फल स्वरूप जो मोषे उन्होंने तैयार की उन पर उनके साथ मिलकर मैंने भी विचार किया। विचार करते समय भगवती आराधना, उसकी टिकाएँ और बृहत्कल्पभाष्य आदि ग्रन्थों का आवश्यक अवलोकन भी किया। जहाँ तक संभव था उस प्रश्न पर मुक्तमन में विचार किया। आखिर मैं हम दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि वाचक उमास्वति यादनीय न थे,

१. देखो अनेकान्त वर्ष २. अंक १, ४, ११, १२: वर्ष ४ अंक १, ४, ६, ७, ८, ११, १२, वर्ष ५ अंक १-११, जैन सिद्धान्त भास्कर वर्ष ८ और ९। जैनमत्त्वप्रकाश वर्ष ६ अंक ८. भारतीय-विद्या-सिंधी स्मारक अंक।

वे सचेल परंपरा के थे जैसा कि हमने परिचय में दरमाया है। हमारे अवलोकन और विचार का निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार है—

(१) भगवती आराधना और उसके टीकाकार अपराजित दोनों यदि यापनीय है तो उनके ग्रन्थ से यापनीय संघ के आचारविषयक निम्न लक्षण फलित होते हैं—

(क) यापनीय आचार का औत्सर्गिक अंग अचलत्व अर्थात् नग्नत्व है।

(ख) यापनीय संघ में मुनि की तरह आर्याओं का भी मोक्षलक्षी स्थान है। और अवस्थाविशेष में उनके लिए भी निवसनभाव का उपदेश है।

(ग) यापनीय आचार में पाणितल भोजन का विधान है और कमण्डलु-पिच्छ के सिवाय और किसी उपकरण का औत्सर्गिक विधान नहीं है।

उक्त लक्षण उमास्वाति के भाष्य और प्रशमरति जैसे ग्रन्थों के वर्णन के साथ बिलकुल मेल नहीं खाते क्योंकि उनमें स्पष्ट रूप से मुनि के वस्त्रपात्र का वर्णन है। और कहीं भी नग्नत्व का औत्सर्गिक विधान नहीं है। एवं कमण्डलु-पिच्छ जैसे उपकरण का तो नाम भी नहीं।

(२) श्रीप्रेमजी की दलीलोंमें से एक यह भी है कि पुण्य प्रकृति आदि विषयक उमास्वाति का मन्तव्य अपराजित की टीका में पाया जाता है। परन्तु गच्छ तथा परंपरा की तत्त्वज्ञान-विषयक मान्यताओं का इतिहास कहता है कि कभी कभी एक ही परंपरा में परस्पर विरुद्ध दिशाई देनेवाली सामान्य और छोटी मान्यताएं पाई जाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि दो परस्पर विरोधी मानी जानेवाली परंपराओं में भी कभी कभी ऐसी सामान्य व छोटी छोटी मान्यताओं का एकत्व पाया जाता है। ऐसी दशा में वस्त्रपात्र के समर्थक उमास्वाति का वस्त्रपात्र के विरोधी यापनीय संघ की अमुक मान्यताओं के साथ साम्य पाया जाय तो इस में कोई अनरज की बात नहीं।

पं० फूलचन्द्रजी ने तत्त्वार्थ सूत्र के विवेचन की प्रस्तावना में मन्त्र-पिच्छ की सूत्रकार और उमास्वाति को भाष्यकार बतलाने का प्रयत्न

किया है। पर वह प्रयत्न जैसा इतिहास विच्छेद है वैसे ही तर्कवाचित भी। उन्होंने जब यह लिखा कि शुरु की कारिकाओं में ऐसी कोई कारिका नहीं है जो उमास्वाति को सूत्रकार सूचित करती हो तब जान पड़ता है वे एकमात्र अपना मन्तव्य स्थापित करने की ओर इतने झुके थे कि जो अर्प स्पष्ट है वह भी या तो उनके ध्यान में आया नहीं या उन्होंने उसकी उपेक्षा की। अन्य कारिकाओं की कथा छोड़ दें तो भी कारिका नं. २१ और २१ इतनी स्पष्ट है कि जिनके उमास्वाति कर्तृक सूत्र संग्रह या उमास्वाति कर्तृक मोक्षमार्ग शास्त्र रूप अर्थ में संदेह को लेश मात्र अवकाश नहीं रहता।

पं० कौलाशचन्द्रजी का लिखा हिन्दी अर्थ सहित 'तत्त्वार्थसूत्र' असी प्रकट हुआ है। उसकी प्रस्तावना में उन्होंने तत्त्वार्थ भाष्य की उमास्वातिकर्तृकता तथा भाष्य के समय के बारे में जो विचार प्रदर्शित किए हैं उन्हें ध्यान पूर्वक देखने से कोई तटस्थ ऐतिहासिक उनको प्रमाणभूत नहीं मान सकता। पंडितजीने, जहाँ कहीं भाष्य की स्वोपज्ञता या राजवार्तिक आदि में भाष्य के उल्लेखका संभव दीख पड़ा वहाँ प्रायः सर्वत्र निराधार कल्पना के बल पर अन्य व्यक्ति को मान कर उपस्थित ग्रन्थ का अवांगीतर्य बतलाने का प्रयत्न किया है। इस धारे में पं० फूलचन्द्रजी आदि अन्य पंडित भी एक ही मार्ग के अनुयायी हैं।

हिन्दी की पहली आवृत्ति के ममाप्त हो जाने और उसकी मांग बढ़ती रहने पर जैन संस्कृति संगोपन गंडल, बनारस के मंथो और मेरे मित्र पं० दण्डमुक्ता मालयणिमा दूनरी आवृत्ति निकालने का विचार कर रहे थे। इन बीच में महदय धी रिपभदासजी रांका का उनमें परिचय हुआ। श्री रांकाजी ने हिन्दी आवृत्ति प्रकाशित करने का और ययामंभय सम्मेलन में मुलभ करने का अपना विचार दर्साया। और उसका प्रथम भी विद्या एतदर्थ ही कृतज्ञ हूँ।

श्री० जमनालाल जैन संपादक 'जैन जगत' ने अथेति प्रकाशित है। प्रेस वर्धा में और श्री मालवणिया बनारस में—इसलिए सब दृष्टि के अर्थ में ही प्रूफ संशोधन का काम विशेष अनुकूल हो सकता था जो श्री जमनालालजी ने यथासभव ध्यान पूर्वक संपन्न किया है। एतदर्थ ही उनके आभारी है।

तत्त्वार्थ हिन्दी के ही नहीं बल्कि मेरी लिखी किसी भी हिन्दी पुस्तक-पुस्तिका या लेख के पुनः प्रकाशन में सोचा न जाय कि रस बहुत असें से रहा नहीं है। मैंने असें से यही सोचा है कि जहाँ तक जो कुछ सोचा और लिखा गया है वह अगर किसी भी व्यक्ति या संस्था या किन्हीं व्यक्तियों को उपयोगी जंचेगा तो मैं उसे प्रकाशित कराना होगा करूँगे। मैं अब अपने लेख आदि में किसी भी विचार के बाद जो कुछ मेरा जीवन या आवश्यक नये चिन्तन आदि की ओर लगाता है वह हिन्दी तत्त्वार्थ की दूसरी आवृत्ति के प्रकाशन में प्रकाशित करने के लिए तो संभव न था। अगर यह भार दूसरी आवृत्ति निकल ही न पाती।

परंतु इस विषय में मेरे ऊपर आने वाले इच्छा और उत्साह से पुं० श्री मालवणियाने मन्त तक मली भाँति निभाया भी। इस जितना और जो कुछ साहित्य पढ़ना पड़ा कुछ ऊहापोह करना पड़ा और दूसरी यह सब श्री मालवणियाने स्वयं स्फूर्ति से गंवन्ध है वह आभार मानने की प्रेरित जल्लेख इसलिए करता हूँ कि जितानु

इस वर्ष की गरमी की छुट्टी में श्री मालवणिया अहमदाबाद मुम्ब-
 नया दूरी लिए भाये कि मैं अहमदाबाद में ही था। उन्होंने पहिले ही मे
 जो कुछ नया पुराना आवश्यक साहित्य देख कर नोट ले रखे थे उन पर
 मैंने उनके साथ मिलकर ही यथासंभव तटस्थता से विचार किया और
 जो कुछ घटाने बढ़ाने जैसा लगा और जो परिवर्तन योग्य ज़चा वह इस
 नई आवृत्ति के लिए किया। अब यह आवृत्ति जिज्ञासुओं के समुदाय आ रही
 है। वे इसका यथासंनि यथामति उपयोग करें।

ता. २४-५-५१

—सुम्वलाल

परिचय का विषयानुक्रम

१. तत्त्वार्थसूत्रकार उमास्वाति	<u>१-३३</u>
(क) वाचक उमास्वाति का समय	८
(ख) उमास्वाति का योग्यता	१५
(ग) उमास्वाति की परम्परा	१८
(घ) उमास्वाति की जाति और जन्मस्थान	३२
२. तत्त्वार्थसूत्र के व्याख्याकार	<u>३३-४९</u>
(क) उमास्वाति	३३
(ख) गन्धहस्ती	३४
(ग) सिद्धसेन	४०
(घ) हरिभद्र	४२
(ङ) देवगुप्त, यशोभद्र तथा यशोभद्र के शिष्य	४३
(च) मलयगिरि	४४
(छ) चिरंतनमुनि	४४
(ज) वाचक यशोविजय	४५
(झ) गणी यशोविजय	४५
(ञ) पूज्यपाद	४७
(ट) भट्ट अकलङ्क	४८
(ठ) विद्यानन्द	४८
(ड) श्रुतसागर	४८
(ढ) विवुधसेन, योगीन्द्रदेव, योगदेव, लक्ष्मीदेव और अभयनन्दिभूति	४९
३. तत्त्वार्थसूत्र	<u>४९-६८</u>
(क) प्रेरकसामग्री	४९
१. आगमज्ञान का उत्तराधिकार	४९
२. संस्कृतभाषा	४९
३. दर्शनान्तरों का प्रभाव	५०
४. प्रतिभा	५०

(ख) रचना की उद्देश्य	५०
(ग) रचनाशैली	५१
(घ) विषयवर्णन	५४
१. विषय की पुसंदगी	५४
२. विषय का विभाग	५१
३. ज्ञानमीमांसा की सारभूत बातें	५५
४. तुलना	५६
५. ज्ञयमीमांसा की सारभूत बातें	५७
६. तुलना	५८
७. चारित्र्यमीमांसा की सारभूत बातें	६२
८. तुलना	६३
५. तत्त्वार्थसूत्र की व्याख्याएँ	<u>६८-८१</u>
(क) भाष्य और स्वार्थसिद्धि	७०
१. सूत्रसंख्या	७०
२. अर्थभेद	७१
३. पाठान्तर विषयक भेद	७१
४. यथार्थता	७१
(घ) शैलीभेद	७२
(ङ) अर्थविकास	७४
(च) सांप्रदायिकता	७४
(ख) दो वाकिक	७६
(ग) दो वृत्तियाँ	७९
(घ) सङ्क्षिप्त वृत्ति	८२
(ङ) रत्नसिंह का टिप्पण	८२
६. परिशिष्ट	<u>८४-९१</u>
(क) प्रश्न	८४
(ख) प्रेमिजी का पत्र	८५
(ग) मुस्ताफ़ जुगर्ज़कसोरजी का पत्र	८७
(घ) मेरी विचारणा	८९

श्री राममार्गी जैन श्रावक मंत्र संस्कृत - जीमातर परिचय

१. तत्त्वार्थसूत्रकार उमास्वाति

जन्म-वंश और विद्या-वंश इस तरह वंश दो प्रकार का होता है^१। जब किसी के जन्म के इतिहास पर विचार करना होता है तब उसके साथ रक्त (रुधिर) का सम्बन्ध रखने वाले उसके पिता, पितामह, प्रपितामह, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि परम्परा का विचार करना पड़ता है; और जब किसी के विद्या—शास्त्र का इतिहास जानना होता है तब उस शास्त्र-रचयिता के साथ विद्या का सम्बन्ध रखने वाले गुरु, प्रगुरु तथा शिष्य, प्रशिष्य आदि गुरु-शिष्य-भाव-वाली परम्परा का विचार करना आवश्यक होता है।

‘तत्त्वार्थ’ भारतीय दार्शनिक विद्या की जैन-शाखा का एक शास्त्र है; अतः इसका इतिहास विद्या-वंश की परम्परा में आता है। तत्त्वार्थ में उसके कर्ता ने जिस विद्या का समावेश किया है उसे उन्होंने गुरु परम्परा से प्राप्त किया है और उसे विशेष उपयोगी बनाने के उद्देश्य से अपनी

१ ये दोनों वंश आर्य-परम्परा और आर्य-साहित्य में हजारों वर्षों से प्रासिद्ध हैं। ‘जन्म-वंश’ योनि-सम्बन्ध की प्रधानता के कारण गृहस्थाश्रम सापेक्ष है और ‘विद्या-वंश’ विद्या-सम्बन्ध की प्रधानता के कारण गुरुपरम्परा-सापेक्ष है। इन दोनों वंशों का उल्लेख पाणिनीय व्याकरणनूत्र में तो स्पष्ट ही है। यथा—“विद्या-योनि-सम्बन्धेभ्यो युञ्” ४. ३. ७७। इसलिए इन दो वंशों की स्पष्ट कल्पना पाणिनि से भी बहुत पुरानी है।

दृष्टि के अनुसार ध्रुव-रूप में व्यवस्थित की हैं । उन्होंने उस विद्या का तत्त्वार्थ शास्त्र में जो स्वरूप व्यवस्थित किया वह बादमें ज्यों का त्यों नहीं रहा । इसके अभ्यासियों एवं टीकाकारों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपने अपने समय में प्रचलित विचारधाराओं में से कितनी ही निकालकर उस विद्या में सुधार, वृद्धि, पूर्ति और विकास किया है । अतएव प्रस्तुत परिचय में तत्त्वार्थ और इसके कर्ता के अतिरिक्त इसकी वंश-रता रूप में विस्तीर्ण टीकाओं तथा उन टीकाओं के कर्ताओं का भी परिचय कराना आवश्यक है ।

तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र के प्रणेता जैनसमाज के सभी सम्प्रदायों में प्रारंभ से आज तक समान रूप में माने जाते हैं । दिगम्बर उन्हें अपनी शाखा में और श्वेताम्बर अपनी शाखा में मानते आये हैं । दिगम्बर परम्परा में ये ' उमास्वामी ' और ' उमास्वाति ' इन नामों से प्रसिद्ध हैं ; जब कि श्वेताम्बर परम्परा में केवल ' उमास्वाति ' नाम ही प्रसिद्ध है । इस समय दिगम्बर-परम्परा में कोई कोई तत्त्वार्थशास्त्र-प्रणेता उमास्वाति को कुन्दकुन्द के शिष्य रूप में समझते हैं ^१ और श्वेताम्बरों में थोड़ी बहुत ऐसी मान्यता दितलाई पड़ती है कि प्रज्ञापना गूण के कर्ता श्यामाचार्य के गुरु हारितगोत्रीय ' स्वाति ' ही तत्त्वार्थमूत्र के प्रणेता उमास्वाति हैं ^२ । ये दोनों प्रकार की मान्यताएँ कोई प्रमाणभूत आधार न रखकर पीछे से प्रचलित हुई जान पड़ती हैं ; क्योंकि दशवीं शताब्दी से पहले के किसी भी विश्वस्त दिगम्बर-ग्रंथ, पट्टावली या शिला-लेख आदि में ऐसा उल्लेख दिसाई नहीं देता कि जिसमें उमास्वाति को तत्त्वार्थमूत्र का रचयिता

१ देती, ' स्वामी समन्तभद्र ' पृ० १४४ से आगे ।

२ " आर्यमहागिरेस्तु शिष्यो बहुल-बलिस्सहो समल-भातरी तत्र बलिस्सहस्य शिष्यः स्वातिः, तत्त्वार्थाधिगो ग्रन्थास्तु तत्कृता एव सभाष्यन्ते । तन्निष्पन्नः श्यामाचार्यः प्रज्ञापनादृत् श्रीवीरान् पट्टकपत्तयधिकृतत्रये (३७६) स्वर्गमात् । " — धर्मसागरीय पट्टावली ।

कहा हो और उन्हीं उमास्वाति को कुन्दकुन्द का शिष्य भी कहा हो^१ । इस आशय वाले जो उल्लेख दिगम्बर साहित्य में अब तक देखने में आये हैं वे सभी दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी के पीछे के हैं और उनका कोई भी प्राचीन विश्वस्त आधार नजर नहीं आता । खास विचारने जैसी बात तो यह है कि पाँचवीं से नववीं शताब्दी तक होने वाले तत्त्वार्थसूत्र के प्रसिद्ध और महान् दिगम्बर व्याख्याकारों ने अपनी अपनी व्याख्या में कहीं भी स्पष्टरूप से तत्त्वार्थसूत्र को उमास्वाति का रचा हुआ नहीं कहा है और न इन उमास्वाति को दिगम्बर, श्वेताम्बर या तटस्थ रूप से उल्लिखित किया है^२ । जब कि श्वेताम्बर साहित्य में वि० आठवीं शताब्दी के ग्रन्थों में तत्त्वार्थसूत्र के वाचक उमास्वाति-रचित होने के विश्वस्त उल्लेख मिलते हैं और इन ग्रन्थकारों की दृष्टि में उमास्वाति

१ श्रवणवेश्लोल के जिन जिन शिलालेखों में उमास्वाति को तत्त्वार्थ-रचयिता और कुन्दकुन्द का शिष्य कहा है वे सभी शिलालेख विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के बाद के हैं । देखो, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित 'जैन शिलालेख संग्रह' लेख नं० ४०, ४२, ४३, ४७, ५० और १०८ ।

नन्दिसंघ का पट्टावली भी बहुत ही अपूर्ण तथा ऐतिहासिक तथ्य-विहीन होने से उसके ऊपर आधार नहीं रक्खा जा सकता, ऐसा पं० जुगल-किशोर जी ने अपनी परीक्षा में सिद्ध किया है । देखो, 'स्वामी समन्तभद्र' पृष्ठ १४४ से । इससे इस पट्टावली तथा ऐसी ही दूसरी पट्टावलियों में भी मिलने वाले उल्लेखों को दूसरे विश्वस्त प्रमाणों के आधार के बिना ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता ।

“तत्त्वार्थशास्त्रकर्तारं गृध्रपिच्छोपलक्षितम् ।

वन्दे गणोन्द्रसंजातमुमास्यामिमुनीश्वरम् ॥”

यह तथा इसी आशय के अन्य गद्य-पद्यमय दिगम्बर अवतरण किसी भी विश्वस्त तथा प्राचीन आधार से रहित हैं, इससे इन्हें भी अन्तिम आधार के तौर पर नहीं रक्खा जा सकता ।

२ विशेष स्पष्टीकरण के लिये देखो इसी परिचय के अन्त में 'परिशिष्ट' ।

इयेनाम्बर से ऐसा मालूम होता है^१; परन्तु १६-१७^२ वीं शताब्दी के घमेंतागर की तपागच्छ की 'पट्टावली' को यदि अलग कर दिया जाय तो किसी भी श्वेताम्बर ग्रंथ या पट्टावली आदि में ऐसा निर्देश तक नहीं पाया जाता कि तत्त्वार्थसूत्र-प्रणेता वाचक उमास्वाति स्वामाचार्य के गुरु थे ।

वाचक उमास्वातिकी स्वयं की रची हुई, अपने कुल तथा गुरु-परम्परा की वंशानि वाली, लेशमात्र संदेह से रहित तत्त्वार्थसूत्र की प्रशस्ति के आरंभ तक विद्यमान होते हुए भी इतनी भ्रान्ति कैसे प्रचलित हुई होगी, यह एक आश्चर्यजनक समस्या है । परन्तु जब पूर्वकालीन साम्प्रदायिक व्यामोह और ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव की ओर ध्यान जाता है तब यह समस्या हल हो जाती है । वा० उमास्वाति के इतिहास-विषय में उनकी खुद की रची हुई छोटी-सी प्रशस्ति ही एक सच्चा साधन है । उनके नाम के साथ जोड़ी हुई दूसरी बहुत सी हकीकतें^३ दोनों सम्प्रदायों की परम्परा में पकी जाती हैं, परन्तु अभी परीक्षणयोग्य होने से उन सबको अक्षरशः ठीक नहीं माना जा सकता । उनकी वह संक्षिप्त प्रशस्ति और उमका मार हम प्रकार है—

वाचकमुल्यस्य शिवभियः प्रकाशगशसः प्रशिष्येण ।

शिष्येण घोषनान्दिक्रमणस्यैकान्दशाङ्गविदः ॥१॥

वाचनया च महावाचकक्षमणमुण्डपादशिष्यस्य ।

शिष्येण वाचकाचार्यमूलनाम्नः प्रथितकौतः ॥२॥

न्यग्रोधिकाप्रमूतेन विहरता पुरवरे कुमुदनाम्नि ।

कौभीपणिना स्त्रातितनयेन यात्मांसुनेनार्च्यम् ॥३॥

अर्द्धद्वचनं सम्यग्गुरुक्रमेणागतं समुपधीय ।

दुःस्वार्तं च दुरागमविद्वत्तमिति लोकमथलापय ॥४॥

१ देखो, प्रस्तुत पन्चम पृ० १९ टिप्पण २ ।

२ जैसे कि दिगम्बरी में पट्टावली आदि तथा श्वेताम्बरी में पान्थी

के ग्रन्थिता आदि ।

इदमुच्चैर्नागरवाचकेन सत्त्वानुकम्पया दृग्धम् ।

तत्त्वार्थाधिगमाख्यं स्पष्टमुमास्वातिना शास्त्रम् ॥५॥

यस्तत्त्वाधिगमख्यं ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तम् ।

सौऽव्यावाधिसुखाख्यं प्राप्स्यत्यचिरेण परमार्थम् ॥६॥

“ जिनके दीक्षागुरु ग्यारह अंग के धारक ‘घोषनन्दि’ क्षमण धे और प्रगुरु-गुरु के गुरु-वाचकमुह्य ‘शिवधी’ धे, वाचता से अर्थात् विद्याग्रहण की दृष्टि से जिसके गुरु ‘मूल’ नामक वाचकाचार्य और प्रगुरु महावाचक ‘मुण्डपाद’ धे; जो गोत्र से ‘कौभीषणि’ धे; और जो ‘स्वाति’ पिता और ‘वात्सी’ माता के पुत्र धे; जिनका जन्म ‘न्यग्रोषिका’ में हुआ था और जो ‘उच्चनामर’ शाखा के धे; उन उमास्वाति वाचक ने गुरु परम्परा से

१ ‘उच्चैर्नागर’ शाखाका प्राकृत ‘उच्चानागर’ नाम मिलता है। यह शाखा किसी ग्राम या शहर के नाम पर से प्रसिद्ध हुई होगी ऐसा तो स्पष्ट दाल पड़ता है। परन्तु यह ग्राम कौनसा नगर होगा यह निश्चित करना कठिन है। हिन्दुस्तान के अनेक भागों में नगर नाम के या जिनके अन्त में नगर नाम हो ऐसे नामों के अनेक शहर तथा ग्राम हैं। ‘बड़नगर’ यह गुजरात का पुराना तथा प्रसिद्ध नगर है। बड़ का अर्थ मोटा (विशाल) और मोटा का अर्थ कदाचित् ऊँचा भी होता है। लेकिन बड़नगर नाम भी पूर्व देश के उस अथवा उस जैसे नाम के शहर पर से गुजरात में लिया गया है, ऐसी भी विद्वानों की कल्पना है। इससे उच्चनागर शाखा का बड़नगर के साथ ही सम्बन्ध है ऐसा जोर देकर नहीं कहा जा सकता। इसके सिवाय, जिस काल में उच्चनागर शाखा उत्पन्न हुई उस काल में बड़नगर या कि नहीं और या तो उसके साथ जैनों का सम्बन्ध कितना था यह भी विचारने की बात है। उच्चनागर शाखा के उद्भव समय का जैनाचार्यों का मुख्य विहार गंगा-यमुना की तरफ होने के प्रमाण मिलते हैं। इससे बड़नगर के साथ उच्चनागर शाखा का सम्बन्ध होने की कल्पना सबल नहीं रहती। कनिंघम इस विषय में लिखता है कि “ यह भौगोलिक नाम उत्तर-पश्चिम प्रान्त के

प्राप्त हुए थोड़े आहत-उपदेश को भली प्रकार धारण कर के तथा गुच्छ शास्त्रों द्वारा हतबुद्धि दुःखित लोक को देख कर के प्राणियों की अनुकम्पा से प्रेरित होकर यह 'तत्त्वार्थधिगम' नाम का स्पष्ट शास्त्र विहार करके हुए 'कुमुदपुर' नाम के महानगर में रचा है । जो इस तत्त्वार्थशास्त्र को जानना और उसके कथनानुसार आचरण करेगा वह अब्याबाधगुण नाम के परमानन्द मोक्ष को सीधे प्राप्त करेगा ।"

इस प्रशस्ति में ऐतिहासिक हकीकत को सूचित करने वाली मुख्य बातें हैं : १ दीक्षागुरु तथा दीक्षाप्रगुरु का नाम, और दीक्षागुरु को योग्यता २ विद्यागुरु तथा विद्याप्रगुरु का नाम, ३ गोत्र, पिता तथा माता का नाम, ४ जन्मस्थान का तथा प्रथमवचनास्थान का नाम, ५ शाखा तथा पद्यों की सूचना और ६ प्रथमकर्त्ता तथा ग्रन्थ का नाम ।

जिस प्रशस्ति का सार ऊपर दिया गया है और जो इस समय मान्य के अन्त में उपलब्ध होती है वह प्रशस्ति उमास्वाति की खुद की रची हुई नहीं, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं । डा० हर्मन जैकोबी जैसे विचारक भी इस प्रशस्ति को उमास्वाति की ही मानते हैं और यह बात उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किये हुए तत्त्वार्थ के जर्मन अनुवाद की भूमिका में जानी जा सकती है । इससे इसमें जित हकीकत का उल्लेख है उंग ही स्वार्थ मान कर उस पर से या० उमास्वाति विषयक दिगम्बर-श्वेताम्बर-नरम्बरा में भली आई मान्यताओं का खुलासा करना यही इस समय सजनाय है ।

आधुनिक बुल्न्दशहर के अन्तर्गत 'उषानगर' नाम के किले के साथ मिलता हुआ है ।"—देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया रिपोर्ट, बंगलूर १४. पृ० १४७ ।

नागरीयस्ति के निबन्ध में रा० रा० मानसोकर 'नागर' शब्द का सम्बन्ध दिग्गजाते हुए नगर नाम के अनेक प्रामी का उल्लेख करते हैं । इसमें से यह भी विचार को सामग्री में आता है । देखो, छठी मुहरावी साहित्यपरिषद् की रिपोर्ट ।

ऊपर निर्दिष्ट छः बातों में से पहली और दूसरी बात कुन्दकुन्द के साथ दिगम्बरसम्मत उमास्वाति के सम्बन्ध को असत्य ठहराती है। कुन्दकुन्द के उपलब्ध अनेक नामों में से ऐसा एक भी नाम नहीं जो उमास्वाति-द्वारा दशयिं हुए अपने विद्यागुरु तथा दीक्षागुरु के नामों में आता हो; इससे कुन्दकुन्द का उमास्वाति के साथ विद्या अथवा दीक्षा-विषय में गुरुशिष्य-भावात्मक सम्बन्ध या इस कल्पना को स्थान ही नहीं। इसी प्रकार उक्त प्रशस्ति में उमास्वाति के वाचक-परम्परा में होने का तथा उच्चनागर शाखा में होने का स्पष्ट कथन है, जब कि कुन्दकुन्द के नन्दिसंघ^१ में होने की दिगम्बर मान्यता है; और उच्चनागर नाम की कोई शाखा दिगम्बर-सम्प्रदायमें हुई हो ऐसा आज भी जानने में नहीं आता। इससे दिगम्बर-परम्परा में कुन्दकुन्द के शिष्यरूप से माने जाने वाले उमास्वाति यदि वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति हों तो भी उन्होंने यह तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र रचा था यह मान्यता विश्वस्त आधार से रहित होने के कारण पीछे से^२ कल्पित की गई मालूम होती है।

उक्त बातों में से तीसरी बात श्यामाचार्य के साथ उमास्वाति के सम्बन्ध को श्वेताम्बर मान्यता को असत्य ठहराती है; क्योंकि वाचक उमास्वाति अपने को कौभीषणि कह कर अपना गोत्र 'कौभीषण' सूचित करते हैं; जब कि श्यामाचार्य के गुरुरूप से पट्टावली में दाखिल हुए 'स्वाति' को 'हारित' गोत्र^३ का कहा है, इसके सिवा तत्त्वार्थ के प्रणेता उमास्वाति को उक्त प्रशस्ति स्पष्टरूप से 'वाचक' वतलाती है; जब कि श्यामाचार्य या उनके गुरुरूप से निर्दिष्ट 'स्वाति' नाम के साथ वाचक

१ देखो, 'स्वामी समन्तभद्र' पृ० १५८ से तथा प्रस्तुत परिचय का परिशिष्ट।

२ देखो प्रस्तुत परिचय पृ० ३ टिप्पणी नं० १ तथा प्रस्तुत परिचय का परिशिष्ट।

३ "हारियगुप्तं साहं च वंदिमो हारियं च समाज्जं" ॥२६॥

विशेषण पट्टायली में नज़र नहीं आता । इस प्रकार उक्त प्रशस्ति एक तरफ दिगम्बर और द्वैताम्बर परम्पराओं में चली आई भाँत रमनाश्री का निरमन करती है और दूसरी तरफ वह प्रयक्तों का संश्लेष होने हुए भी मन्वा इतिहास प्रस्तुत करती है ।

(क) वाचक उमास्वातिका समय

वाचक उमास्वातिका के समय-सम्बन्ध में उक्त प्रशस्ति में कुछ भी निर्देश नहीं है, इसी तरह समय का ठीक निर्धारण कर देने वाला ऐसा दूसरा भी कोई साधन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ; ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में कुछ विचार करने के लिये यहाँ तीन बातों का उपयोग किया जाता है: १ शास्त्रनिर्देश, २ प्राचीन से प्राचीन टोकाकारों का समय और ३ अन्य दार्शनिक ग्रंथों की तुलना ।

१. प्रशस्ति में जिस 'उच्चैर्नागरशापा' का निर्देश है वह शास्त्रात् निकली यह निश्चयपूर्वक कज़ना पठिन है, तो भी कल्पमूल की स्मृति-कली में 'उच्चैर्नागरी' शापा का उल्लेख है; यह शास्त्रात् आर्य 'शांति-श्रेणिक' से निकली है । आर्य शांतिश्रेणिक आर्य 'गृह्यसूत्र' से चौथी पीढ़ी में आते हैं । आर्य गृह्यसूत्र के शिष्य मुद्रित-मुद्रितवृद्ध और उनके शिष्य इंद्रदिश, इंद्रदिश के शिष्य दिश और दिश के शिष्य शांतिश्रेणिक हैं । यह शांतिश्रेणिक आर्य वज्र के गुरु आर्य तिहगिरि के गुरुभाई थे; हमसे वे आर्य वज्र की पहली पीढ़ी में आते हैं । आर्य गृह्यसूत्र का स्वर्गवाग-ममय बीरान्त २९१ और वज्र का स्वर्गवाग-ममय बीरान्त ५८४ उल्लिखित मिलता है । अर्थात् गृह्यसूत्र के स्वर्गवाग-ममय से वज्र के स्वर्गवाग-ममय तक २९३ वर्ष के भीतर शेष पीढ़ियाँ जायज

१ 'भेदेहितो जं अज्ञमतिमोनिर्णहितो माइरमगतेहितो एष च उच्चैर्नागरी साहा निगण्य ।'—मूल कल्पमूलस्मृतिरायति पृ० ५५ । आर्य शांतिश्रेणिक की पूर्व परम्परा आर्य के लिये हमसे आर्य के कल्पमूल के रूप देनी ।

होता है। इस तरह सरसरी तौर पर एक एक पीढ़ी का काल साठ वर्ष का मान लेने पर सुहस्ति से चौथी पीढ़ी में होने वाले शांतिश्रेणिक का प्रारम्भ काल वीरात् ४७१ का आता है। इस समय के मध्य में या थोड़ा आगे पीछे शांतिश्रेणिक में उच्चनागरी शाखा निकली होगी। वाचक उमास्वाति, शांतिश्रेणिक की ही उच्चनागर शाखा में हुए हैं ऐसा मानकर और इस शाखा के निकलने का जो समय अनुमान किया गया है उसे स्वीकार करके यदि आगे चला जाय तो भी यह कहना कठिन है कि वा० उमास्वाति इस शाखा के निकलने बाद कब हुए हैं। क्योंकि अपने दौशागुरु और विद्यागुरु के जो नाम प्रशस्ति में उन्होंने दिये हैं उनमें से एक भी कल्पसूत्र की स्यविरावलि में या उस प्रकार की किसी दूसरी पट्टावली में नहीं पाया जाता। इससे उमास्वाति के समय-संबंध में स्यविरावलि के आधार पर यदि कुछ कहना हो तो अधिक में अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे वीरात् ४७१ अर्थात् विक्रम संवत् के प्रारम्भ के लगभग किसी समय हुए हैं, उससे पहले नहीं; इससे अधिक परिचय अभी अन्धकार में है।

२. इस अंधकार में एक अस्पष्ट प्रकाश डालने वाली एक किरण तत्त्वार्थसूत्र के प्राचीन-टीकाकार के समय-सम्बन्धी है; जो उमास्वाति के समय की अनिश्चित उत्तर सीमा को मर्यादित करती है। स्वोपज्ञ भाष्य को यदि अलग किया जाय तो तत्त्वार्थ सूत्र पर जो सीधी टीकाएँ इस समय उपलब्ध हैं उन सब में पूज्यपाद की 'सर्वार्थसिद्धि' प्राचीन है। पूज्यपाद का समय विद्वानों ने विक्रम की पाँचवी-छठी शताब्दी निर्धारित किया है; इससे सूत्रकार वा० उमास्वाति विक्रम की पाँचवी शताब्दी से पूर्व किसी समय हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं।

ऊपर की विचारसरणी के अनुसार वा० उमास्वाति का प्राचीन से प्राचीन समय विक्रम की पहली शताब्दी और अर्वाचीन से अर्वाचीन समय तीसरी-चौथी शताब्दी आता है। इन तीन-सौ चार-सौ वर्ष के अन्तराल में से उमास्वाति का निश्चित समय गीधने का काम बाकी रह जाता है।

३ समय-सम्बन्धी इन सम्भावना में और भावी शोध में उत्पत्ती होने वाली ऐसी कुछ विशेष बातें भी हैं जो उनके सत्त्वायं मूल और भाष्य के साथ दूसरे दर्शनों तथा जैन आगम की तुलना में से फलित होती हैं, उन्हें भी यहाँ पर दिया जाता है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि ये बातें सीधे तौर पर समय का ठीक निर्णय करने के लिये इस समय सहायक हो सके, फिर भी यदि दूसरे सबल प्रमाण मिल जायें तो इन बातों का कीमती उपयोग होने में तो कुछ भी शंका नहीं है। इस समय तो ये बातें भी हमें उमास्वामि के उपर्युक्त अनुमानित समय की तरफ़ ही ले जाती हैं।

(क) जैन-आगम 'उत्तराध्ययन' कणाद के मूर्खों से पहले का होना चाहिए ऐसी सम्भावना परंपरा दृष्टि से और दूसरी दृष्टि से भी होती है। कणाद के मूल बहुत करके ईश्वरी मन् में पूर्व की पहली शताब्दी के माने जाते हैं। जैन आगमों के आधार पर रहे हुए शरदायंमूर्खों में तीन गुण ऐसे हैं कि जिनमें उत्तराध्ययन की छाया के अतिरिक्त कणाद के मूर्खों का साक्ष्य दिग्लोहित है। इन तीन मूर्खों में पहला द्रव्य का, दूसरा गुण का, और तीसरा काल का लक्षणविषयक है।

उत्तराध्ययन के २८ में अध्ययन की ६ ठी राया में द्रव्य का लक्षण "गुणाणमासओ द्रव्यं"—गुणानामाश्रयो द्रव्यम्। अर्थात्, जो गुणों का आश्रय वह द्रव्य, इतना ही है। कणाद द्रव्य के लक्षण में गुण के अतिरिक्त त्रिधा और समवायिकारणता को शामिल करके कहना है कि "क्रियागुणवन् समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्"—१. १. १५। अर्थात्, जो त्रिधा शक्ति, गुण वाला तथा समवायिकारण हो वह द्रव्य है। वा० उमास्वामि उत्तराध्ययन-सहित गुणवाद को ग्रहण कर कणाद-मूर्खों में दिग्लोहित देने वाले 'त्रिधा' शब्द की जगह जैन-परम्परा-प्रसिद्ध 'पयांश' शब्द स्तथा द्रव्य का लक्षण बांधते हैं कि 'गुणनपयांशवद् द्रव्यम्' ५.३७। अर्थात्, जो गुण तथा पयांश वाला हो वह द्रव्य है।

१. द्रव्य लक्षण के विषय में विशेष जानने के लिये देखो— प्रस्ताव-मीमांसा भारतीयन ७, ५४। म्नायावतार तामिह श्रुति प्रस्तावना ५ २६-२७, ११९

उत्तराध्ययन के २८ वे अध्ययन की ६ ठी गायी में गुण का लक्षण 'एगद्व्यस्सिओ गुणाः'—'एकद्रव्याश्रिता गुणाः । अर्थात् जो एक द्रव्य के आश्रित हो वे गुण, इतना ही है । कणाद के गुणलक्षण में विशेष वृद्धि देखी जाती है । वह कहता है कि "द्रव्याश्रय्यगुणवान् संयोग-विभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्"—१.१.१६ । अर्थात्, द्रव्य के आश्रित, निर्गुण और संयोग-विभाग में अनपेक्ष जो कारण नहीं होता वह गुण है । उमास्वाति के गुणलक्षण में उत्तराध्ययन के गुणलक्षण के अतिरिक्त कणाद के गुणलक्षण में मे एक 'निर्गुण' अंश है । वे कहते हैं कि "द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः"—५. ४० । अर्थात्, जो द्रव्य के आश्रितः और निर्गुण हों वे गुण है ।

उत्तराध्ययन के २८ वे अध्ययन की १० वी गायी में काल का लक्षण "वचनालक्षणा काले"—वर्तनालक्षणः कालः । अर्थात्, वर्तना यह काल का स्वरूप, इतना ही है । कणाद के काललक्षण में 'वर्तना' पद तो नहीं है परन्तु दूसरे शब्दों के साथ 'अपर' शब्द दिसलाई पड़ता है "अपरिस्मन्नपरं युगपश्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि"— २. २. ६ । उमास्वति-कृत काललक्षण में 'वर्तना' पद के अतिरिक्त जो दूसरे पद दिसलाई पड़ते हैं उनमें 'परत्व' और 'अपरत्व' ये दो शब्द भी हैं; जैसा कि "वर्तना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य"— ५. २२ ।

ऊपर दिये हुए द्रव्य, गुण तथा काल के लक्षणवाले तत्त्वार्थ के तीन सूत्रों के लिये उत्तराध्ययन के सिवाय किसी प्राचीन श्वेताम्बर जैन आगम अर्थात् अंग का उत्तराध्ययन जितना ही शाब्दिक आधार हो ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया; परन्तु विक्रम की पहली-दूसरी शताब्दी के माने जानेवाले 'कुन्दकुन्द' के प्राकृत वचनों के साथ तत्त्वार्थ के मस्कृत सूत्रों का कही तो पूर्ण सादृश्य है और कही बहुत ही कम । श्वेताम्बर सूत्रपाठ में द्रव्य के लक्षणवाले दो ही सूत्र हैं "उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्"—५. २९. । "गुणपर्यायवद् द्रव्यम्"—५. ३७. । इन दोनों के अतिरिक्त द्रव्य के लक्षणविषय में एक तीसरा सूत्र दिगंबर सूत्रपाठ में है—"सद् द्रव्यलक्षणम्"—५. २९. । ये तीनों दिगंबर सूत्रपाठगतः

मूत्र कुन्दकुन्द के पचास्तित्राय को निम्न प्राकृत गाथा में पुनः पुनः विद्यमान है

“ द्रव्यं सङ्कल्पयित्वा उपाद्व्ययधुवत्संजुतं ।

गुणपञ्जयासयं वा जं तं भण्णंति सब्रण्डू ॥१०॥ ”

इसके विवाय, कुन्दकुन्द के प्रसिद्ध घन्धों के साथ तत्त्वायंमूत्र का जो शाब्दिक तथा वस्तुगत महत्त्व का सादृश्य है वह आकरिमक तो है ही नहीं ।

(ग) उपलब्ध योगमूत्र के रचयिता पतंजलि माने जाते हैं, व्यासराज-महाभाष्य के कर्ता पतंजलि ही योगमूत्रकार है या दूसरे कोई पतंजलि, इस विषय में अभी कोई निश्चय नहीं । यदि महाभाष्यकार और योगमूत्रकार पतंजलि एक ही तो योगमूत्र विग्रह के पूर्व पहली-दूगरों पचासी का है ऐसा कहा जा सकता है । योगमूत्र का ' व्यासभाष्य ' कथ का है यह भी निर्दिष्ट नहीं, फिर भी उसे विग्रह की तीसरी पचासी में प्राचीन मानने का कोई कारण नहीं है ।

योगमूत्र और उसके भाष्य के साथ तत्त्वायं के मूत्रों और उनके भाष्य का शाब्दिक तथा आधिक सादृश्य बहुत है और वह आकरिम भी है; जो भी इन दोनों में से किसी एक के ऊपर दूसरे का अंतर है वह बड़ी प्रकार बढ़ना शक्य नहीं; क्योंकि तत्त्वायं के मूत्रों और भाष्य को पुरातन में प्राचीन जैन आगमग्रन्थों की विरामत मिलने हुई है, उसी प्रकार योगमूत्र और उसके भाष्य को पुरातन सांख्य, योग तथा बौद्ध आदि परम्पराओं की विरामत मिलने है । ऐसा होने हुए भी तत्त्वायं के भाष्य में एक स्थल ऐसा है जो जैन अग्रग्रन्थों में इस समय तक उपलब्ध नहीं और योगमूत्र के भाष्य में उपलब्ध है ।

यहके निर्मित हुई आद्य कम भी हो सकती है भयान् ऊप में दृष्ट हो सकती है और नहीं भी, ऐसी कर्ता जैन-अग्र-ग्रन्थों में है । परन्तु

१ इसके सादृश्य के निम्न देखो मेरा लिखा हुआ हिन्दी योगमूत्र, प्रकाशना पृष्ठ ५२ मे ।

इस चर्चा में आयु के टूट सकने के पक्ष की उपपत्ति करने के लिये भोगे कपडे तथा सूखी घास का उदाहरण अंगग्रन्थों में नहीं, तत्त्वार्थ के भाष्य में इसी चर्चा के प्रसंग पर ये दोनों उदाहरण दिये गये हैं जो कि योगसूत्र के भाष्य में भी हैं। इन उदाहरणों में खूबी यह है कि दोनों भाष्यों का शाब्दिक सादृश्य भी बहुत ज्यादा है। साथ ही, यहाँ एक विशेषता यह है कि योगसूत्र के भाष्य में जिसका अस्तित्व नहीं ऐसा गणित-विषयक एक तीसरा उदाहरण तत्त्वार्थ सूत्र के भाष्य में पाया जाता है। दोनों भाष्यों का पाठ क्रमशः इस प्रकार है :—

“Xशेषा मनुष्यास्तिर्यग्योनिजाः सोपक्रमा निरूपक्रमाश्चापवर्त्या-
युपोऽनपवर्त्यास्युपश्च भवन्ति । X अपवर्तनं शीघ्रमन्तर्मुहूर्तात्कर्म-
फलोपभोगः उपक्रमोऽपवर्तननिमित्तम् । X सहतशुष्कतृणराशिदह-
नवन् । यथाहि संहतस्य शुष्कस्यापि तृणराशेरवयवशः क्रमेण
दह्यमानस्य चिरेण दाहो भवति तस्यैव शिथिलप्रकीर्णापचितस्य
सर्वतो युगपदादीपितस्य पवनोपक्रमाभिहतस्याशुदाहो भवति ।
तद्वन् । यथा वा संख्यानाचार्यः करणलाघवार्थं गुणकारभागहाराभ्यां
राशि छेदादेवापवर्तयति न च सख्येयस्यार्थं स्याभावो भवति तद्वदुपक्र-
माभिहतो मरणसमुद्घातदुःखार्तः कर्मप्रत्ययमनाभोगपूर्वकं करणविशेष-
मुत्पाद्य फलोपभोगलाघवार्थं कर्मापवर्तयति न चास्य फलाभाव इति ।
किं चान्यत् । यथा वा धौतपटो जलाद्द्र एव च वितानितः
सूर्यरश्मिवाग्भ्रिहतः क्षिप्रं शोपमुपयाति न च संहते तस्मिन् प्रभू-
तस्नेहागमो नापि वितानितेऽकृत्स्नशोपः तद्वद् यथोक्तनिमित्तापवर्तनैः कर्मण-
क्षिप्रं फलोपभोगो भवति । न च कृतप्रणाशाकृताभ्यागमाकृत्यानि ।”--
तत्त्वार्थ-भाष्य २. ५२ ।

“आपूविपाकं कर्म द्विविधं सोपक्रमं निरूपक्रम च । तत्र यथाद्द्रं वस्त्रं
वितानितं हृसीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमम् । यथा च तदेव
संपिण्डितं चिरेण संशुष्येदेवं निरूपक्रमम् । यथा वाग्निः शुष्के कक्षे
मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः क्षेपीयसा कालेन दहेन् तथा सोप-
क्रमम् । यथा वां स एवाग्निस्तृणराशौ क्रमशोऽवयवेषु न्यस्ताश्चिरेण

दहेन तथा निरुपक्रमम् । तदेकमविक्रमायुत्तरं कर्म त्रिविधं संततं च ।—योग-भाष्य ३. २२ ।

(ग) अक्षवाद का 'न्यायदर्शन' ईश्वरी सत्त्व के आरम्भ के लक्षण का तथा हुआ माना जाता है । उसका 'वास्तव्यायनभाष्य' दूरी-योगरी शब्दाब्दों के भाष्यकाल की प्राथमिक कृतियों में से एक कृति है । इस कृति के कुछ शब्द और विषय तत्त्वार्थभाष्य में पाये जाते हैं । न्यायदर्शन (१. १. ३)—मान्य प्रमाणननुभववाद का निर्देश तत्त्वार्थ अ० १ सू० ६ और २५ के भाष्य में पाया जाता है । तत्त्वार्थ १. १२ के भाष्य में अर्थापत्ति, सम्भव और अनाद्य आदि प्रमाणों के भेद का निरस्तन न्यायदर्शन (२. १. १.) आदि के उक्त ही है । न्यायदर्शन में प्रत्यक्ष के लक्षण में "इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम्" (१. १. ४) ये शब्द हैं । तत्त्वार्थ १. १२ के भाष्य में अर्थापत्ति आदि जुड़े माने जाने वाले प्रमाणों को मति और श्रुत शब्दों में समझाने करने हुए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है । यथा :—
"सर्वाण्येतानि मतिश्रुतयोरन्तर्भूतानि इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नानि ।

इसी तरह पतञ्जलि-महाभाष्य * और न्यायदर्शन (१. १. १५) आदि में पचास शब्द की जगह 'अन्योन्यतर' शब्द के प्रयोग की जो पद्धति है वह तत्त्वार्थ सूत्र (१. १३) में भी पाई जाती है ।

(घ) बौद्धदर्शन की सन्ध्यावाद, विज्ञानवाद आदि शाखाओं के लक्षण संतत्यों का अथवा विभिन्न शब्दों का जिस प्रकार सर्वाधिकारिता में उल्लेख है उस प्रकार तत्त्वार्थभाष्य में नहीं है तो भी बौद्धदर्शन के भाष्य के सामान्य सन्ध्यावाद के सन्ध्यावादों के रूप में दो-गुण स्थल पर जाने

१ "प्रत्यक्षानुमानोपमानाद्याः प्रमानानि" । न्यायदर्शन १. १. १ ।
"सन्ध्यावदित्येके सपचादान्तरेण"—ज्ञानार्थभाष्य १. ६. और "सन्ध्या वा प्रत्यक्षानुमानोपमानादाद्यन्तरेण; प्रमाणैरेकीऽप्यं; प्रधीयते"—
तत्त्वार्थभाष्य । १. १६ ।

२. देखी. १. १. २६; २. १. १. और ५. १. ५७ का महाभाष्य ।

हैं। वे मंतव्य पालो पिटक के ऊपर से लिये गये हैं या महायान के संस्कृत पिटकों से लिये गये हैं अथवा किसी दूसरे ही तद्विषयक ग्रन्थ के ऊपर से लिये गये हैं—यह विचारणीय है। उनमें पहला उल्लेख जैनमत के अनुसार नरकभूमियों की संख्या बतलाते हुए बौद्ध मम्मत संख्या का खंडन करने के लिये आ गया है। वह इस प्रकार है:—
 “अपि च तन्त्रान्तरीया असंख्येषु लोकधातुष्वसंख्येयाः पृथिवीप्रक्षारा इत्यध्यवासीताः” —तत्त्वार्थभाष्य-३. १।

दूसरा उल्लेख, जैनमत के अनुसार पुद्गल का लक्षण बतलाते हुए, बौद्ध-सम्मत पुद्गल शब्द के अर्थ का निराकरण करते हुए आया है। यथा—पुद्गला इति च तन्त्रान्तरीया^१ जीवान् परिभाषन्ते—अ० ५ सू० २३ का उत्थानभाष्य।

(ख) उमास्वाति की योग्यता

उमास्वाति के पूर्ववर्ती जैनाचार्यों ने संस्कृत भाषा में लिखने की शक्ति को यदि विकसित किया न होता और उस भाषा में लिखने का प्रयास शुरू न किया होता तो उमास्वाति इतनी प्रसन्न संस्कृत शैली में प्राकृत परिभाषा में रुढ़ साम्प्रदायिक विचारों को इतनी सफ़लता-पूर्वक गूथ सकते कि नहीं यह एक सवाल ही है; तो भी उपलब्ध समग्र जैन वाङ्मय का इतिहास तो ऐसा ही कहता है कि जैनाचार्यों में उमास्वाति ही प्रथम संस्कृत लेखक हैं। उनके ग्रन्थों की प्रमत्त, सक्षिप्त और शुद्ध शैली संस्कृत भाषा के ऊपर उनके प्रभुत्व की माझी देती है।

१. यद्यपि जैन आगम (भगवती श. ८. उ. ३ और श. २० उ. २) में पुद्गल शब्द जीव अर्थ में भी प्रयुक्त देखा जाता है किन्तु जैन-दर्शन की परिभाषा तो मात्र जड़ परमाणु और तात्त्विक स्क्रंध में ही प्रसिद्ध है। जब कि बौद्ध-दर्शन की परिभाषा एक मात्र जीव अर्थ में ही प्रसिद्ध है। इसी भेद को लक्ष्य में रखकर वाचक ने यहाँ तन्त्रान्तरीय शब्द का प्रयोग किया है।

दहेन् तथा निरूपक्रमम् । तदेकभविक्रमायुष्करं कर्म द्विविधं सोरभं
निरूपक्रमं च । ”—योग-भाष्य ३. २२ ।

(ग) अक्षपाद का 'न्यायदर्शन' ईस्वी सन् के आरम्भ के लग-
भग का रचा हुआ माना जाता है । उसका 'वात्स्यायनभाष्य' दूसरी-
तीसरी शताब्दी के भाष्यकाल की प्राथमिक कृतियों में से एक
कृति है । इस कृति के कुछ शब्द और विषय तत्त्वार्थभाष्य में
पाये जाते हैं । न्यायदर्शन (१.१.३)—मान्य प्रमाणचतुष्कवाद का
निर्देश तत्त्वार्थ अ० १ सू० ६ और ३५ के भाष्य में पाया जाता है ।
तत्त्वार्थ १. १२ के भाष्य में अर्थापत्ति, संभव और अभाव आदि
प्रमाणों के भेद का निरसन न्यायदर्शन (२. १. १.) आदि के जैसा
हो है । न्यायदर्शन में प्रत्यक्ष के लक्षण में “इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम्” (१. १. ४) ये शब्द हैं । तत्त्वार्थ १. १२ के भाष्य में
अर्थापत्ति आदि जुदे माने जाने वाले प्रमाणों की मति और श्रुत ज्ञान
में समन्वय करते हुए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है । यथा :—
“सर्वाण्येतानि मतिश्रुतयोरन्तर्भूतानि इन्द्रियार्थसन्निकर्षनिमित्तत्वात् ।

इसी तरह पतंजलि-महाभाष्य २ और न्यायदर्शन (१.१.१५) आदि
में पर्याप शब्द की जगह 'अनर्थान्तर' शब्द के प्रयोग की जो पद्धति है वह
तत्त्वार्थ सूत्र (१.१३) में भी पाई जाती है ।

(घ) बौद्ध-दर्शन को शून्यवाद, विज्ञानवाद आदि शास्त्रों के
सात मन्तव्यों का अथवा विभिन्न शब्दों का जिस प्रकार सर्वार्थनिदि में
उल्लेख है उस प्रकार तत्त्वार्थभाष्य में नहीं है तो भी बौद्धदर्शन के षोडश
मामान्य मन्तव्य तंत्रान्तर के मन्तव्यों के रूप में दो-एक स्थल पर आते

१ “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि” । न्यायदर्शन १. १. १ ।

“ धर्तुविषयमित्येके नयवावात्तरेण ”—तत्त्वार्थभाष्य १. ६. और “यथा वा
प्रत्यक्षानुमानोपमानान्त्वयधर्मः प्रमाणरेकोऽयः प्रतीयते” —
तत्त्वार्थभाष्य । १. ३५ ।

२. देखो, १.१.५६; २.३.१. और ५. १. ५९ का महाभाष्य ।

हैं। वे मंतव्य पाली पिटक के ऊपर से लिये गये हैं या महायान के संस्कृत पिटकों से लिये गये हैं अथवा किसी दूसरे ही तद्विषयक ग्रन्थ के ऊपर से लिये गये हैं—यह विचारणीय है। उनमें पहला उल्लेख जैनमत के अनुसार नरकभूमियों की संख्या बतलाते हुए बौद्ध मम्मत संख्या का खंडन करने के लिये आ गया है। वह इस प्रकार है—
 “अपि च तन्त्रान्तरीया असंख्येषु लोकधातुष्वसंख्येयाः पृथिवीप्रसारा इत्यध्यवासिताः” —तत्त्वार्थभाष्य-२. १।

दूसरा उल्लेख, जैनमत के अनुसार पुद्गल का लक्षण बतलाते हुए, बौद्ध-सम्मत पुद्गल शब्द के अर्थ का निराकरण करते हुए आया है। यथा—पुद्गला इति च तन्त्रान्तरीया^१ जीवान् परिभाषन्ते—अ० ५ सू० २३ का उत्थानभाष्य।

(स) उमास्वाति की योग्यता

उमास्वाति के पूर्ववर्ती जैनाचार्यों ने संस्कृत भाषा में लिखने की शक्ति को यदि विकसित किया न होता और उस भाषा में लिखने का प्रघात शुरू न किया होता तो उमास्वाति इतनी प्रसन्न संस्कृत शैली में प्राकृत परिभाषा में रूढ़ साम्प्रदायिक विचारों को इतनी सफलता-पूर्वक ग्रथ सकते कि नहीं यह एक सवाल ही है; तो भी उपलब्ध समग्र जैन वाङ्मय का इतिहास तो ऐसा ही कहता है कि जैनाचार्यों में उमास्वाति ही प्रथम संस्कृत लेखक हैं। उनके ग्रन्थों की प्रसन्न, संक्षिप्त और शुद्ध शैली संस्कृत भाषा के ऊपर उनके प्रभुत्व की साक्ष्य देती है।

१. यद्यपि जैन आगम (भगवती श. ८. उ. ३ और श. २० उ. २) में पुद्गल शब्द जीव अर्थ में भी प्रयुक्त देखा जाता है किन्तु जैन-दर्शन की परिभाषा तो मात्र जड़ परमाणु और तान्निर्मित रसंध में ही प्रसिद्ध है। जब कि बौद्ध-दर्शन की परिभाषा एक मात्र जीव अर्थ में ही प्रसिद्ध है। इहाँ भेद को लक्ष्य में रखकर वाचक ने यहाँ तन्त्रान्तरीय शब्द का प्रयोग किया है।

जैन आगम में प्रसिद्ध ज्ञान, ज्ञेय, आचार, भूगोल, खगोल आदि में सम्पन्न रखने वाली बातों का जो संक्षेप में सग्रह उन्होंने तत्त्वार्थाधिगम-सूत्र में किया है वह उनके 'वाचक' वंश में होने की ओर वाचक-पदको यथार्थतासे साक्ष्य देता है। उनके तत्त्वार्थ की प्रारंभिक कारिकाएँ और दूसरी पद्यकृतियाँ सूचित करती हैं कि वे गद्य की तरह पद्य के भी प्राञ्जल लेखक थे। उनके सभाष्य सूत्रों का वारीक अवलोकन जैन-आगम-संबंधी उनके सर्वप्राची अभ्यास के अतिरिक्त वैशेषिक, न्याय, योग और बौद्ध आदि दार्शनिक साहित्य संबंधी उनके अभ्यास की प्रतीति कराता है। तत्त्वार्थ-भाष्य (१. ५; २. १५) में उद्धृत व्याकरण के सूत्र उनके पाणिनीय-व्याकरण-विषयक अभ्यास की साक्ष्य देते हैं।

यद्यपि श्वेताम्बर सम्प्रदाय में आपकी पाँच सौ ग्रन्थों के कर्ता होने की प्रसिद्धि है और इस समय आपकी कृतिरूप से कुछ ग्रन्थ प्रसिद्ध भी हैं; तो भी इस विषय में आज सतोष-जनक कुछ भी कहने का साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में भी 'प्रशमरति' को भाषा और विचारसरणी तथा

१ जम्बूद्वीपसमासप्रकरण, पूजाप्रकरण, श्रावकप्रशस्ति, क्षेत्रविचार, प्रशमरति। सिद्धसेन अपनी वृत्ति में (पृ० ७८, पं० २) उनके 'शौचप्रकरण' नामक ग्रंथ का उल्लेख करते हैं, जो इस समय उपलब्ध नहीं।

२ वृत्तिकार सिद्धसेन—'प्रशमरति' को भाष्यकार की ही कृतिरूप से सूचित करते हैं। यथा—'यत्र: प्रशमरती (का० २०८) अनेनेषोरतम्—परमाणुरप्रदेशो यणादिगुणेषु भजनीयः।' "वाचकेन श्वेतदेव बलसंज्ञया प्रशमरती (का० ८०) उपात्तम्"—५. ६ तथा ९. ६ की भाष्यवृत्ति।

तथा सिद्धसेन भाष्यकार तथा सूत्रकार को एक तो समझते ही हैं। यथा—'स्वकृतसूत्रसंनिवेशमाश्रित्योक्तम्।"—९. २२. पृ० २५३।

"इति श्रीमदहंशप्रवचने तत्त्वार्थाधिगमे उमास्वातिवाचकोपसामूत्रभाष्ये भाषानुसारिण्यां च टीकायां सिद्धसेनगणिविरचितायां अनगारागारिपनीप्रकरणः सप्तमोऽध्यायः।"—तत्त्वार्थभाष्य के सातवें अध्याय की टीका की पुष्टि। ऐसे अन्य उल्लेखों के अन्वये आगे देखो, परंपरा वाले प्रकरण में।

सिद्धसेन आदि के उल्लेख यह सब उसकी उमास्वाति कर्तृकता निश्चित रूपसे बतलाते हैं ।

उमास्वाति अपने को 'वाचक' कहते हैं, इसका अर्थ 'पूर्ववित्' कर के पहले से ही श्वेताम्बराचार्य उमास्वाति को 'पूर्ववित्' रूप से पहचानते आए हैं । दिगम्बर परम्परा में भी उनकी 'श्रुतकेवल्लिदेशीय' कहा है ।^२

इनका तत्त्वार्थग्रन्थ इनके ग्यारह अंग विषयक श्रुतज्ञान की तो प्रतीति

प्रशमरतिप्रकरण की १२० वीं कारिका 'आचायं आह' कह कर निशीथचूर्णि में उद्धृत की गई है । इस चूर्णि के प्रणेता जिनदास महत्तर का समय विक्रम की आठवीं शताब्दी है जो उन्होंने अपनी नन्दिसूत्र की चूर्णि में बतलाया है; इस परसे ऐसा कह सकते हैं कि प्रशमरति विशेष प्राचीन है । इससे और ऊपर बतलाए हुए कारणों से यह कृति वाचक की हो तो इसमें कोई इनकार नहीं ।

१ पूर्वों के चौदह होने का समवायांग आदि आगमों में वर्णन है । वे दृष्टिवाद नामक बारहवें अङ्ग के पाचवों भाग थे ऐसा भी उल्लेख है । पूर्वश्रुत अर्थात् मगवान महावीर द्वारा सबसे पहले दिया हुआ उपदेश ऐसी प्रचलित परम्परागत मान्यता है । पश्चिमी विद्वानों की इस विषय में ऐसी कल्पना है कि भ० पार्श्वनाथ की परम्परा का जो पूर्वकालीन श्रुत भ० महावीर को अथवा उनके शिष्यों को मिला वह पूर्वश्रुत है । यह श्रुत क्रमशः भ० महावीर के उपदिष्ट श्रुत में ही मिल गया और उसी का एक भाग-रूप से गिना गया । जो भ० महावीर की द्वादशांगी के धारक थे वे इस पूर्वश्रुत को जानते ही थे । कंठ रखने के प्रघात और दूसरे कारणों से क्रमशः पूर्वश्रुत नष्ट हो गया और आज सिर्फ 'पूर्वगतगाथा' रूप में नाम मात्र से शेष रहा उल्लिखित मिलता है । और 'पूर्व' के आधार से बने कुछ ग्रन्थ मिलते हैं ।

२ नगर ताल्लुके के एक दिगम्बर शिलालेख नं० ४६ में इन्हें 'श्रुतकेवल्लिदेशीय' लिखा है । यथा—

"तत्त्वार्थसूत्रकर्तारमुमास्वातिमुनीश्वरम् ।

श्रुतकेवल्लिदेशीयं यन्देऽहं गुणमन्दिरम् ॥"

करा ही रहा है इससे इनको इतनी योग्यता के विषय में तो कोई संदेह नहीं है। इन्होंने अपने को विरासत में मिले हुए आहत श्रुत के सभी पदापेक्ष संग्रह तत्त्वार्थ में किया है; एक भी महत्व की दोसने वाली बात को इन्होंने बिना कथन किये छोड़ा नहीं, सीसे आचार्य हेमचन्द्र संग्रहणार के रूप में उमास्वाति का स्थान सर्वोत्कृष्ट आंकते हैं^१। इसी योग्यता के कारण उनके तत्त्वार्थ की व्याख्या करने के लिये सभी श्वेताम्बर-दिगम्बर आचार्य प्रेरित हुए हैं।

(ग) उमास्वाति की परम्परा

दिगम्बर वाचक उमास्वाति को अपनी परम्परा का मान कर उगरी कृतिरूप से मात्र तत्त्वार्थ-भूत को ही स्वीकार करते हैं, जब कि श्वेताम्बर उन्हें अपनी परम्परा का मानते हैं और उनकी कृतिरूप से तत्त्वार्थ-भूत के अतिरिक्त भाष्य को भी स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उमास्वाति दिगम्बर परम्परा में हुए हैं या श्वेताम्बर परम्परा में अथवा दोनों से भिन्न किसी अलग ही परम्परा में हुए हैं? इस प्रश्न का उत्तर भाष्य के कर्तृत्व के निर्णय से मिल जाता है। भाष्य स्वयं उमास्वाति की कृति है यह बात नीचे लिखे प्रमाणों से निर्विवाद सिद्ध है।^१

१. भाष्य की उपलब्ध टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका सिद्धसेन की है। उसमें स्वोपज्ञतासूचक उल्लेख ये हैं—

“प्रतिज्ञातं चानेन “ज्ञानं वक्ष्यामः” इति। अतस्तनुरोपे-
नैकवचनं चकार आचार्यः।” प्रथम भाग पृ० ६९

“शास्तीति च ग्रन्थकार एव द्विधा आत्मानं विमज्य सूत्रकार-
भाष्यकाराकारेणैव माह.....” पृ० ७२

१ तत्त्वार्थ में वर्णित विषयों का मूल जानने के लिये देखो उ० आत्मारामजी संपादित तत्त्वार्थभूत-अनागमसामन्वय।

२ “उपोमास्वाति संग्रहीतारः”—सिद्धदेम २. २. ३९।

३. देखो ‘भारतीय विद्या’ के सिंधी स्मारक अंक में श्री प्रेमीजी का लेख पृ० १२८। उसमें उन्होंने भाष्य को स्वोपज्ञ सिद्ध किया है।

“सूत्रकारादविभक्तोपि हि भाष्यकारो” पृ० २०५

“इति श्रीमदहर्षवचने तत्त्वार्थाधिगमे उमास्वातिवाचकोपेक्षसूत्र-
भाष्ये भाष्यानुसारिण्यां च टीकायां.....” द्वितीय भाग पृ० १२०

२. भाष्यगत अंतिम कारिकाओं में से आठवीं कारिका को याकिनी
सूनु हरिभद्राचार्यने शास्त्रवार्तासमुच्चय में उमास्वाति कर्तृक रूप से उद्धृत
किया है ।

३. भाष्य की प्रारंभिक अंगभूत कारिका के व्याख्यान में आ०
देवगुप्त भी सूत्र और भाष्य को—एक कर्तृक सूचित करते हैं—देखो
का० १, २ ।

४. प्रारम्भिक कारिकाओं में और कुछ स्थानों पर भाष्य^२ में भी
'यक्ष्यामि, यक्ष्यामः' आदि प्रथम पुरुष का निर्देश है और इस निर्देश में कौ
हुई प्रतिज्ञा के अनुसार ही वाद में सूत्र में कथन किया गया है ।

५. शुरू से अन्त तक भाष्य को देख जाने पर एक बात मन में
जंचती है कि किसी स्थल पर सूत्र का अर्थ करने में शब्दों की खीचातानी
नहीं हुई, कहीं भी सूत्र का अर्थ करने में संदेह या विकल्प करने में नहीं
आया, इसी प्रकार सूत्र की किसी दूसरी व्याख्या को मन में रख कर सूत्र
का अर्थ नहीं किया गया और न कहीं सूत्र के पाठभेद का ही अवलम्बन
लिया गया है ।

यह वस्तु-स्थिति सूत्र और भाष्य के एककर्तृक होने की चिरकालीन
मान्यता को सत्य ठहराती है । जहाँ मूल और टीका के कर्ता अलग होते हैं

१ 'तत्त्वार्थाधिगमाख्यं यथ्यं संग्रहं लघुप्रणयम् ।

यक्ष्यामि शिष्यहितमिममहंद्वचनकवेशस्य ॥२२॥

नत्तं च मोक्षमार्गाद् यतोपदेशोऽस्ति जगति कृत्स्नेऽस्मिन् ।

तस्मात्परमिममेवेति मोक्षमार्गं प्रवक्ष्यामि ॥३१॥

२ “गुणान् लक्षणतो यक्ष्यामः”—५. ३७ का भाष्य, अगला सूत्र ५. ४० ।

“अनादिरादिमांश्च तं परस्ताद्वक्ष्यामः”—५. २२ का भाष्य, अगला सूत्र ५. ४२ ।

करा हो रहा है इससे इनकी इतनी योग्यता के विषय में तो कोई संदेह नहीं है। इन्होंने अपने को विरासत में मिले हुए आर्हत श्रुत के सभी 'पदायौता संग्रह' तत्त्वार्थ में किया है; एक भी महत्त्व की दोखने वाली बात को इन्होंने बिना कथन किये छोड़ा नहीं, सीसे आचार्य हेमचन्द्र संग्रहकार के रूप में उमास्वाति का स्थान सर्वोत्कृष्ट आँकते हैं^२। इसी योग्यता के कारण उनके तत्त्वार्थ की व्याख्या करने के लिये सभी श्वेताम्बर-दिगम्बर आचार्य प्रेरित हुए हैं।

(ग) उमास्वाति की परम्परा

दिगम्बर वाचक उमास्वाति को अपनी परम्परा का मान कर उनको कृतिरूप ने मात्र तत्त्वार्थ-सूत्र को ही स्वीकार करते हैं, जब कि श्वेताम्बर उन्हें अपनी परम्परा का मानते हैं और उनको कृतिरूप से तत्त्वार्थ-सूत्र के अतिरिक्त भाष्य को भी स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उमास्वाति दिगम्बर परम्परा में हुए हैं या श्वेताम्बर परम्परा में अथवा दोनों से भिन्न किसी अलग ही परम्परा में हुए हैं? इस प्रश्न का उत्तर भाष्य के कर्तृत्व के निर्णय से मिल जाता है। भाष्य स्वयं उमास्वाति की कृति है यह बात नीचे लिखे प्रमाणों से निर्विवाद सिद्ध है।^३

१. भाष्य की उपलब्ध टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका मिदयेन की है। उसमें स्वोपज्ञतासूचक उल्लेख ये हैं—

“प्रतिज्ञातं चानेन “ज्ञानं वदयामः” इति। अतस्तनुरोपे-
नैकवचनं चकार आचार्यः।” प्रथम भाग पृ० ६९

“शास्तीति च ग्रन्थकार एव द्विधा आत्मानं विमज्य सूत्रकार-
भाष्यकाराकारेणैव माह.....” पृ० ७२

१ तत्त्वार्थ में यार्जित विषयों का मूल जानने के लिये देखो उ० आत्मारामजी सेवादित तत्त्वार्थसूत्र-जैनात्मसम्बन्ध ।

२ “उपोमास्वाति संग्रहीतारः”—सिद्धहेम २. २. ३९।

३. देखो 'मार्तीय दिया' के तीसरी स्मारक अंक में भी प्रेमीजी का लेख पृ० १२८। उसमें उन्होंने भाष्य को स्वोपज्ञ सिद्ध किया है।

उक्त दलीलें यद्यपि ऐसा मावित करती हैं कि वाचक उमास्वाति दिगम्बर परम्परा के नहीं थे, फिर भी यह देखना तो बाकी ही रह जाता है कि तब वे कौन सी परम्परा के थे ? नीचे की दलीलें उन्हें श्वेताम्बर परम्परा के होने की तरफ ले जाती हैं ।

१ प्रशस्ति में उल्लिखित उरुचनागरी शाखा ^१ श्वेताम्बर पट्टावली में पाई जाती है ।

२ अमुक विषय-संबन्धी मतभेद या विरोध बतलाते हुए भी कोई ऐसे प्राचीन या अर्वाचीन श्वेताम्बर आचार्य नहीं पाये जाते जिन्होंने दिगम्बर आचार्यों की तरह भाष्य को अमान्य रखा हो ।

३ जिसे उमास्वाति की कृति रूप से मानने में शंका का अवकाश नहीं जो पूर्वोक्त प्रकार से भाष्य विरोधी है, ऐसे प्रशमरति ^२ ग्रन्थ में मुनि के दस्त्र-पात्र का व्यवस्थित निरूपण देखा जाता है, जिसे श्वेताम्बर परम्परा निर्विवादरूप में स्वीकार करती है ।

४ उमास्वाति के वाचकवंश का उल्लेख और उसी वंश में होने वाले अन्य आचार्यों का वर्णन श्वेताम्बर पट्टावलिमें, पत्रवणा और नन्दी की स्वविरावली में पाया जाता है ।

ये दलीलें वा० उमास्वाति को श्वेताम्बर परंपरा का सिद्ध करती हैं, और अब तक के समस्त श्वेताम्बर आचार्य उन्हें अपनी ही परंपरा का पहले से मानते आये हैं । वाचक उमास्वाति श्वेताम्बर परम्परा में हुए और दिगम्बर में नहीं, ऐसा खुद मेरा भी मन्तव्य अधिक वाचन चिन्तन के बाद आज पर्यन्त स्थिर हुआ है । इस मन्तव्य की विशेष स्पष्ट समझाने के लिए दिगम्बर-श्वेताम्बर के भेद सम्बन्धी इतिहास के कुछ प्रश्नों पर प्रकाश डालना जरूरी है । पहला प्रश्न यह है कि इस समय जो दिगम्बर श्वेताम्बर के भेद या विरोध का विषय श्रुत तथा आचार देखा जाता है उसकी प्राचीन जड़ कहाँ तक पाई जाती है और वह प्राचीन जड़ मुख्यतया किस बात में रही ? दूसरा प्रश्न यह है कि उक्त दोनों फिरकों को समानरूप

१ देखो, प्रस्तुत परिचय पृ०५ तथा ८ ।

२ देखो, का० १३५ से ।

वहाँ तत्त्वज्ञान-विषयक प्रतिष्ठित तथा अनेक सम्प्रदायों में मान्य ग्रन्थों में ऊपर जैसी वस्तु-स्थिति नहीं होती। उदाहरण के तौर पर वैदिक दर्शन में प्रतिष्ठित 'ब्रह्मसूत्र' ग्रन्थ को लीजिये, यदि इसका कर्ता गुरु व्याख्याकार होता तो इसके भाष्य में आज जो शब्दों की खींचातानी, अर्थ के विकल्प और अर्थ का संदेह तथा सूत्र का पाठभेद दिखालाई पड़ता है यह कदापि न होता। इसी तरह तत्त्वार्थ-सूत्र के प्रणेता में ही यदि 'सर्वार्थसिद्धि', 'राजवार्तिक' और 'श्लोकवार्तिक' आदि कोई व्याख्या लिखी होती तो उनमें जो अर्थ की खींचातानी, शब्द की तोड़-मरोड़, अभावगत अर्थ का संदेह और पाठभेद दिखाई देते हैं वे कभी न होने। यह वस्तु-स्थिति निश्चित रूप से एककर्तृक मूल तथा टीका वाले ग्रन्थों की देगने में समझी जा सकती है। इतनी चर्चा मूल तथा भाष्य का कर्ता एक होने की मान्यता की निश्चित भूमिका पर हमें लाकर छोड़ देनी है।

मूल और भाष्य के कर्ता एक ही हैं, यह निश्चय इस प्रश्न के इच्छा करने में बहू उपयोगी है कि वे किस परम्परा के थे? उमास्वामि दिग्गज परम्परा के नहीं थे ऐसा निश्चय करने के लिये नीचे की दलीलें काफी हैं:

१ प्रशस्ति में सूचित की हुई उच्चनागर शाखा या नागर शाखा के दिग्गज परम्परा में होने का एक भी प्रमाण नहीं पाया जाता।

२ 'काल' किसी के मत से वास्तविक द्रव्य है ऐसा सूत्र (५. ३८) और उसके भाष्य का वर्णन दिग्गजर पक्ष (५. ३९) के विरुद्ध है केवली में (९. ११) ग्यारह परीपह होने की सूत्र और भाष्यगत तीर्थ मान्यता एवं भाष्यगत वस्त्र पात्रादि का स्पष्ट उल्लेख भी दिग्गजर परम्परा के विरुद्ध है—९. ५, ९. ७, ९. २६। सिद्धों में लिगजार और संप्रसार का भाष्यगत वस्तुविषय दिग्गजर परंपरा में उल्टा है।

३ भाष्य में केवलज्ञान के पदनात् केवली के द्वारा उपयोग मानने न मानने का जो मन्तव्य भेद (१. ३१) है वह दिग्गजर ग्रन्थों में नहीं दिखाई देना।

१ उदाहरण के तौर पर देखो, सर्वार्थसिद्धि—“धरमदेहा इति च पाठः”—२. ५३। “अथवा एकादश जिते न सन्तीति वाक्यमेवः कल्पनीय गोपस्कारस्यात् सूत्रानाम्”—९. ११।

था, और जो विलकुल नग्न नहीं ऐसा मध्यममार्गी भी था। उक्त दोनों दलों का विलकुल नग्न रहने या न रहने के विषय में तथा थोड़े बहुत अन्य आचारों के विषय में भेद रहा^१, फिर भी वह भगवान के व्यक्तित्व के कारण विरोध का रूप धारण करने न पाया। उत्कट और मध्यम त्याग मार्ग के उस प्राचीन समन्वय में ही वर्तमान दिगम्बर-श्वेताम्बर भेद की जड़ है।

उस प्राचीन समय में जैन परम्परा में दिगम्बर-श्वेताम्बर जैसे शब्द न थे फिर भी आचारभेद सूचक नग्न, अचेल (उत्त० २३. १३, २९) जिनकल्पिक, पाणिप्रतिग्रह (कल्पसूत्र ९. २८), पाणिपात्र आदि शब्द उत्कट त्यागवाले दल के लिए; तथा सचेल प्रतिग्रहधारी, (कल्पसूत्र ९. ३१) स्वविरकल्प (कल्पसूत्र० ९. ६३) आदि शब्द मध्यम-त्यागवाले दल के लिए पाए जाते हैं।

२ इन दो दलों का आचार सम्बन्धी भेद होते हुए भी भगवान् के शासन के मुख्य प्राण रूप श्रुत में कोई भेद न था, दोनों दल बारह अंग रूप से माने जाने वाले तत्कालीन श्रुत को समान भाव से मानते थे। आचारविषयक कुछ भेद और श्रुतविषयक पूर्ण अभेद की यह स्थिति तरतमभाव से भगवान् के बाद करीब डेढ़ सौ वर्ष तक रही। यह स्वरण रहे कि इस बीच में भी दोनों दल के अनेक योग्य आचार्यों ने उसी अंग श्रुत के आधार पर छोटे बड़े ग्रन्थ रचे थे जिनको सामान्य रूप से दोनों दल के अनुगामी तथा विशेष रूप से उस उस ग्रन्थ के रचयिता के शिष्यगण मानते थे और अपने अपने गुरु-प्रगुरु की कृति समझ कर उस पर विशेष भार देते थे। वे ही ग्रन्थ अंगवाह्य, अनंग या उपाग; रूप से^२ व्यवहृत हुए। दोनों दलों की श्रुत के विषय में इतनी अधिक निष्ठा व वफादारी रही कि जिससे अंग और अंगवाह्यका प्रामाण्य समान रूप से मानने पर भी किसी ने अंग और अनंग श्रुत की

१. देखो उत्तराध्ययन अ० २३।

२. दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, प्रज्ञापना, अनुयोगद्वार, आवश्यक सावेभाषित आदि।

से मान्य श्रुत या या नहीं, और या तो कबतक वह समान मान्य का विषय रहा, और उसमें मतभेद कब से प्रविष्ट हुआ, तथा उन दोनों के अन्तिम फलस्वरूप एक-दूसरे को परस्पर पूर्णरूपेण अमान्य श्रुत का निर्माण कब हुआ ? तीसरा पर अन्तिम प्रश्न यह है कि उपासकों खुद किस परम्परा के आचार का पालन करते थे, और उन्हें जिस श्रुत को आधार बनाकर तत्त्वार्थ की रचना की वह श्रुत उससे कितने किरकों को पूर्णतया समानरूप से मान्य था या किसी एक किरके को। पूर्णरूपेण मान्य, और दूसरे को पूर्णरूपेण अमान्य ?

१ जो कुछ ऐतिहासिक सामग्री अभी प्राप्त है उससे निर्विवाद रूप इतना साफ जान पड़ता है कि भगवान् महावीर पार्श्वपत्य की परम्परा में हुए थे और उन्होंने शिष्यिल या मध्यम त्याग-मार्ग में अपने उन त्यागमार्गमय व्यक्तित्व के द्वारा नवीन जीवन डाला। शुरू में बौद्ध और उदासीनता रखनेवाले भी अनेक पार्श्वसन्तानिक गायु, और भगवान् महावीर के शासन में आ मिले^२। भगवान् महावीर ने अनात्मत्वोचित उदार, पर तात्त्विक दृष्टि से अपने शासन में उन दो दलों का स्थान निश्चित किया^३ जो बिलकुल नग्नजीवी तथा उत्पट विज्ञान

१. आचारांगसूत्र सूत्र १७८।

२. कालासवेखियपुत्र (भगवती १. ९), केशी (उत्तराध्ययन अध्याय २२), उदकपेदालपुत्र (सूत्रकृतान्न २.७), गागेय (भगवती ९.३२) इत्यादि विशेष के लिये देखो " उत्पान महावीरांक " पृ० ५८। कुछ पार्श्वसन्तानों ने पंचमहाव्रत और प्रतिक्रमण के साथ नग्नत्व का भी स्वीकार किया ऐसा उन्हें आज तक अंगों में सुरक्षित है। उदाहरणार्थ देखो भगवती १.९।

३. आचारांग में सचेत और अचेत दोनों प्रकार के मुनियों का वर्णन है। अचेत मुनि के वर्णन के लिये प्रथम भुतरङ्ग के छठे अध्याय के १८ सूत्र से आगे के सूत्र देखने चाहिए; और सचेत मुनि के वर्णन के लिये द्वितीय भुतरङ्ग का ५ वीं अध्याय देखना चाहिए। और मुनि तथा अचेत मुनि ये दोनों मोक्ष की कैसे जीते इसके तीन अध्यायों के लिये देखो आचारांग १.८।

था, और जो विलकुल नग्न नहीं ऐसा मध्यममार्गी भी था। उक्त दोनों दलों का विलकुल नग्न रहने या न रहने के विषय में तथा थोड़े बहुत अन्य आचारों के विषय में भेद रहा^१, फिर भी वह भगवान् के व्यक्तित्व के कारण विरोध का रूप धारण करने न पाया। उत्कट और मध्यम त्याग मार्ग के उस प्राचीन समन्वय में ही वर्तमान दिगम्बर-श्वेताम्बर भेद की जड़ है।

उस प्राचीन समय में जैन परम्परा में दिगम्बर-श्वेताम्बर जैसे शब्द न थे फिर भी आचारभेद सूचक नग्न, अचेल (उत्त० २३. १३, २९) जिनकल्पिक, पाणिप्रतिग्रह (कल्पसूत्र ९. २८), पाणिपात्र आदि शब्द उत्कट त्यागवाले दल के लिए; तथा सचेल प्रतिग्रहधारी, (कल्पसूत्र ९. ३१) स्थविरकल्प (कल्पसूत्र० ९. ६३) आदि शब्द मध्यम-त्यागवाले दल के लिए पाए जाते हैं।

२ इन दो दलों का आचार सम्बन्धी भेद होते हुए भी भगवान् के शासन के मुख्य प्राण रूप श्रुत में कोई भेद न था, दोनों दल बारह भग रूप से माने जाने वाले तत्कालीन श्रुत को समान भाव से मानते थे। आचारविषयक कुछ भेद और श्रुतविषयक पूर्ण अभेद की यह स्थिति तरतमभाव से भगवान् के वाद करीब डेढ़ सौ वर्ष तक रही। यह स्वरण रहे कि इस बीच में भी दोनों दल के अनेक योग्य आचार्यों ने उसी अंग श्रुत के आधार पर छोटे बड़े ग्रन्थ रचे थे जिनको सामान्य रूप से दोनों दल के अनुगामी तथा विशेष रूप से उस उस ग्रन्थ के रचयिता के शिष्यगण मानते थे और अपने अपने गुरु-प्रगुरु की कृति समझ कर उस पर विशेष भार देते थे। वे ही ग्रन्थ अंगवाह्य, अनंग या उपांग; रूप से^२ व्यवहृत हुए। दोनों दलों की श्रुत के विषय में इतनी अधिक निष्ठा व बफादारी रही कि जिससे अंग और अंगवाह्यका प्रामाण्य समान रूप से मानने पर भी किसी ने अंग और अनंग श्रुत की

१. देखो उत्तराध्ययन अ० २३।

२. दशवैकालिक; उत्तराध्ययन, प्रज्ञापना, अनुयोगद्वार, आवश्यक सविभाषित आदि।

भेदक रेखा को गोण न किया जो कि दोनों दल के वर्तमान माहिय में आज भी स्थिर है ।

एक तरफ से अचेलत्व, सचेलत्वादि आचार का पूर्वकालीन मतभेद जो एक दूसरे को महिष्णुता के तथा समन्वय के कारण दबा हुआ था, वह धीरे धीरे तीव्र होता गया । जिनमें दूसरी तरफ से उसी आचार-विषयक मतभेद का समर्थन दोनों दलवाले मुख्यतया अग-श्रुत के आधार पर करने लगे; और माय ही माय अपने अपने दल के द्वारा रचित विशेष अंगवाह्य ध्रुत का भी उपयोग उनके समर्थन में करने लगे । इस तरह मुख्यतया आचार के भेद में से जो दलभेद स्थिर हुआ उसके कारण मारे शान्त में अनेकविध गडबडी पैदा हुई । जिसके फलस्वरूप पाटलिपुत्र की याचना (बौ० नि० १६० लगभग) हुई । इस याचना तक और इसके आगे भी ऐसा अभिन्न अंग ध्रुत रहा जिसे दोनों दलवाले समान भाव से मानते थे पर बहुत जाते थे कि उस मूलध्रुत का प्रमथः नष्ट होता जाता है । माय ही वे अपने अपने अभिन्न आचार के पोषक प्रयोगों का भी निर्माण करते रहे । इसी आचारभेद पोषक ध्रुत के द्वारा अन्ततः उस प्राचीन अभिन्न अंग ध्रुत में मतभेद का जन्म हुआ, जो शुरू में धर्म करने में था पर आगे जाकर पाठभेद की तथा प्रक्षेप आदि की कल्पना में परिणत हुआ । इस तरह अचारभेदजनक विचारभेद ने उस अभिन्न अंगध्रुतविषयक दोनों दल की समान मान्यता में भी अन्तर पैदा किया । हमने एक दल तो यह मानने मतवाने लगा कि वह अभिन्न मूल अंगध्रुत बहुत अंगों में लुप्त हो हो गया है । जो बाकी है वह भी श्रुतिमत्ता तथा नये प्रक्षेपों से गानी नहीं है, ऐसा कहकर भी वह दल उस मूल अग-श्रुत को गर्वमा छोड़ नहीं बैठा । पर माय ही माय अपने आचार पोषक ध्रुत का विशेष निर्माण करने लगा और उसके द्वारा अपने पक्ष का प्रचार भी करता रहा । दूसरे दल ने देखा कि पहला दल उन मूल अंगध्रुत में श्रुतिमत्ता दाखिल हो जाने का आरोप भी करता है पर

वह उसे सर्वथा छोड़ता भी नहीं और न उसकी रक्षा में साय ही देता है । यह देखकर दूसरे दलने मथुरा में एक सम्मेलन किया । उसमें मूल अंगश्रुत के साथ अपने मान्य अंग बाह्यश्रुत का पाठनिश्चय, वर्गीकरण और संक्षेप-विस्तार आदि किया गया; जो उस दल में भाग लेनेवाले सभी स्वविरों को प्रायः मान्य रहा । यद्यपि इस अंग और अनंग श्रुत का यह संस्करण नया था तथा उसमें अंग और अनंग की भेदक रेखा होने पर भी अंग में अनंग का प्रवेश^२ तथा हवाला जो कि दोनों के समप्रामाण्य का सूचक है आ गया था तथा उसके वर्गीकरण तथा पाठस्थापन में भी फर्क हुआ था, फिर भी यह नया संस्करण उस मूल अंग श्रुत के अति निकट था, क्योंकि इसमें विरोधी दल के आचार की पीपक वे सभी बातें थी जो मूल अंगश्रुत में थी । इस माथुर-संस्करण के समय से तो मूल अंगश्रुत की समान मान्यता में दोनों दलों का बड़ा ही अन्तर पड़ गया । जिसने दोनों दलों के तीव्र श्रुतभेद की नींव डाली । अचेलत्व का समर्थक दल कहने लगा कि मूल अंगश्रुत सर्वथा लुप्त हो गया है । जो श्रुत सचेल दल के पास है, और जो हमारे पास है वह सब मूल अर्थात् गणधरकृत न होकर पिछले अपने अपने आचार्यों के द्वारा रचित व संकलित है । सचेल दलवाले कहते थे वेशक पिछले आचार्यों के द्वारा अनेकविध नया श्रुत रचा भी गया है, और उन्होंने नयी संकलना भी की है फिर भी मूल अंगश्रुत के भावों में कोई परिवर्तन या काट-छांट नहीं की गई है । बारीकी से देखने तथा ऐतिहासिक क्लसीटी से कसने पर सचेल दल का वह कथन बहुत कुछ सत्य ही जान पड़ता है; क्योंकि सचेलत्व का पक्षपात और उसका समर्थन करते रहने पर भी उस दल ने अंगश्रुत में से अचेलत्व

१ वी० नि० ८२७ और ८४० के बीच । देखो धीरनिर्वाणसंबत् और अनेकालगणना पृ० १०४ ।

२ जैसे भगवती सूत्र में अनुयोगद्वार, प्रज्ञापना, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, जीवा-भिगमसूत्र और राजप्रश्रीय का उल्लेख है । देखो भगवती चतुर्थ खण्ड का परिशिष्ट ।

समयक, अचेलत्व प्रतिपादक किसी भाग को उड़ा नहीं दिया। जैसा अचेल दल कहता था कि मूल अंगश्रुत लुप्त हुआ वैसे ही उसके सामने सचेल दल यह कहता था कि जिनकल्प अर्थात् पाणिपात्र या अचेलत्व का जिनसम्मत अक्षर भी काल-भेद के कारण लुप्त ही हुआ है। फिर भी हम देखते हैं कि सचेल दल के द्वारा संसृत, गंगुहीन, और नव संकल्पित श्रुत में अचेलत्व के आधारभूत सब पाठ तथा तदनुसृत व्याख्याएँ मौजूद हैं। सचेल दल के द्वारा अवलम्बित अंगश्रुत के मूल अंगश्रुत से अतिनिकटतम होने का सधूत यह है कि यह उत्सर्ग-गामान्य-मूमिका वाला है; जिनमें अचेल-दल के सब अपवादों का या विशेष नागों का विधान पूर्णतया आज भी मौजूद है। जब कि अचेल दल द्वारा दल के सम्मत नान्वयाक्षरश्रुत औत्सर्गिक नहीं क्योंकि यह अचेलत्व मात्र का विधान करता है। सचेल दल का श्रुत अचेल तथा सचेल दोनों आपातों को मोक्ष अंग मानता है, वास्तविक अचेल-आक्षर की प्रधानता भी बतलाता है। उनका मनभेद उनकी नामयिकता मात्र में है जब कि अचेल दल का श्रुत सचेलत्व को मोक्ष का अंग ही नहीं मानता, उसे उसका प्रतिबन्धक तक मानता है। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि सचेल दल का श्रुत अचेल दल के श्रुत की अपेक्षा उस मूल अंगश्रुत से अतिनिकट है।

मयूरा के बाद बलभी ४ में पुनः श्रुत-संस्कार हुआ जिनमें स्थिर या सचेल दल का रहा-महा मतभेद भी नामनेय हो गया। पर इनके

१. देखो प्रस्तुत परिचय पृ० २२ की टिप्पणी न० ३

२. गज-परमोहि-पुलाए आहारण-सवण-उबतामे कल्पे ।

मज्झिम-निकाय-सिगल्लनाय जम्बुम्भि सुवित्तया ॥ दिग्गा०
२५९३ ।

३. सचेलत्वनिष्ठि में मन्नाय को मोक्ष का मुख्य और अबाधित कल्प माना है—पृ० २४८ ।

४. पा० नि० ८२० और ८४० के बीच । देखो धीरे विद्यागोपन् और चैन काव्ययना पृ० ११० ।

साथ ही उस दल के सामने अचेल दल का श्रुत विषयक विरोध उभरत बन गया। उस दल में से अमुक ने अब रहा सहा औदासीन्य छोड़ कर सचेल दल के श्रुत का सर्वथा वहिष्कार करने को ठानी।

३ वाचक उमास्वाति स्थविर या सचेल परम्परा के आचार वाले अवश्य रहे। अन्यथा उनके भाष्य और प्रशमरति ग्रन्थ में सचेल धर्मानुसारी प्रतिपादन कभी न होता; क्योंकि अचेल दलके किसी भी प्रवर मुनि की सचेल प्ररूपणा कभी सम्भव नहीं। अचेल दल के प्रधान मुनि कुन्दकुन्द ने भी एकमात्र अचेलत्व का ही निर्देश किया है तब कुन्दकुन्द के अन्वय में होनेवाले किसी अचेल मुनि का सचेलत्व प्रतिपादन संगत नहीं। प्रशमरति की उमास्वाति-कर्तृकता भी विश्वास योग्य है। स्थविर दल की प्राचीन और विश्वस्त वशाबली में उमास्वाति की उच्चानागर शाखा तथा वाचक पद का पाया जाना भी उनके स्थविरपक्षीय होने का सूचक है। उमास्वाति विक्रम की तीसरी शताब्दी से पाँचवीं शताब्दी तक में किसी भी समय में क्यों न हुए हों पर उन्होंने तत्त्वार्थ की रचना के आधार-रूप जिस अंग-अनंग श्रुत का अवलम्बन किया था वह स्थविरपक्ष को मान्य था^१। और अचेल दलवाले उसके विषय में या तो उदासीन थे या उसका त्याग ही कर बैठे थे। अगर उमास्वाति माथुरी वाचना के कुछ पूर्व हुए होंगे तब तो उनके द्वारा अवलम्बित अंग और अर्नगश्रुत के विषय में अचेल पक्ष का प्रायः औदासीन्य था। अगर वे वालभी वाचना के आसपास हुए हों तब तो उनके अवलम्बित श्रुत के विषय में अचेल दल में से अमुक उदासीन ही नहीं बल्कि विरोधी भी बन गये थे।

यहाँ यह प्रश्न अवश्य होगा कि जब उमास्वाति अवलम्बित श्रुत

१ प्रवचनसार आधि० ३।

२ वृत्तिकार सिद्धसेन द्वारा अवलम्बित स्थविर पक्षीय श्रुत वालभी वाचना वाला रहा। जब कि उमास्वाति द्वारा अवलम्बित स्थविर पक्षीय श्रुत वालभी वाचना के पहलेका है जो संभवतः माथुरी वाचनावाला होना चाहिए। अतएव कहीं कहीं सिद्धसेन को भाष्य में आगम विरोध दिखाई दिया जान पड़ता है।

अचेल दल में मे अमुक को मान्य न था तब उस दल के अनुगामियों ने तन्वायं को इतना अधिक क्यों अपनाया ? इनका जवाब भाष्य और सर्वार्थसिद्धि की तुलना में मे तथा मूलग्रन्थ में मे मिल जाता है। उमास्वाति जिन सचेलपक्षावलम्बित श्रुत को धारण करते थे उनमें नग्नत्व का भी प्रतिपादन और आदर रहा ही जो सूत्रगत (९.९) नाम्य शब्द ने सूचित होता है। उनके भाष्य में अंगवाह्य रूप से जिन श्रुत का निर्देश है वह सब सर्वार्थसिद्धि में नहीं आया; क्योंकि दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार आदि अचेल पक्ष के अनुकूल ही नहीं है। वह स्पष्टतया सचेल पक्ष का पक्ष है; पर सर्वार्थसिद्धि में दणर्वणालिक, उत्तराध्ययन का नाम आता है, जो नाम अचेल पक्ष के किसी आचार्य को कृतिरूप से निर्दिष्ट न होने पर भी अचेल पक्ष का स्पष्ट विरोधी नहीं।

उमास्वाति के मूलग्रन्थों की आनपंचता तथा भाष्य को छोड़ देने मात्र से उनके अपने पक्षानुकूल बनाने की योग्यता देकर ही पूज्यपाद ने उन ग्रन्थों पर ऐसी व्याख्या लिखी जो केवल अचेल धर्म का ही प्रतिपादन करे और सचेल धर्म का स्पष्टतया निरास करे। इतना ही नहीं, बल्कि पूज्यपादस्वामी ने सचेलपक्षावलम्बित एकादश अंग तथा अंगवाह्य श्रुत, जो बालभी वाचना का वर्तमान रूप है उसका भी स्पष्टतया अप्रामाण्य सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा है केवली को नवगाहारी मानना तथा माग आदि के ग्रहण का बतलाना क्रमशः केवली अघर्षवाद तथा श्रुताघर्षवाद है। वस्तुस्थिति यह जान पड़ती है कि पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि जो मूल्यात्मक से स्पष्ट अचेलधर्म की प्रतिपादिता है, उसके बन जाने के बाद सचेलपक्षावलम्बित नामध श्रुत का जैसा बहिष्कार, अमुक अचेल पक्ष ने किया था

१ भगवती (शतक १५), आनासह (शौलाइयैकाग्रित पृ० ३३६, ३३५, ३४८, ३५२, ३६४.) प्रभञ्जाकरण (पृ० १४८, १५०) आदि में जो मोम शब्दों पाठ आते हैं उनसे लक्ष्य रक्षकर सर्वार्थसिद्धिकार्य में कहा है कि आगम में ऐसी बातों का होना स्वीकार करना भूताघर्षवाद है। और भगवती (शतक १५) आदि में केवली के आशय का वर्णन है उगहा लक्ष्य में रूप का कहा कि यह तो केवली की अघर्षवाद है।

दृढ़ व ऐकान्तिक बहिष्कार सर्वार्थसिद्धि की रचना के पूर्व न हुआ था । यही कारण है कि सर्वार्थसिद्धि की रचना के बाद अचेल दल में सचेलपक्षीय श्रुत का प्रवेश नाममात्र का ही रहा जैसा कि उत्तरकालीन दिगम्बर विद्वानों की श्रुतप्रवृत्ति से देखा जाता है । इस स्थिति में अपवाद है ; जो नगण्य जैसा है । वस्तुतः पूज्यपाद के आसपास अचेल और सचेल पक्ष में इतनी खीचातानी और पक्षापक्षी बढ़ गई थी कि उसीके फलस्वरूप सर्वार्थ-सिद्धि के बन जाने तथा उसकी अति प्रतिष्ठा हो जाने पर अचेल पक्ष में से तत्त्वार्थ भाष्य का रहा-सहा भी स्थान हट ही गया । विचार करने से भी इस प्रश्न का अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला कि जैसे तैसे भी सचेलपक्ष ने अंगश्रुत को अभी तक किसी न किसी रूप में सम्हाल रखा, तब बुद्धि में, श्रुत-भक्ति में, और अप्रमाद में जो सचेल पक्ष से किसी तरह कम नहीं उस अचेल पक्ष ने अंग श्रुत को समूल नष्ट होने क्यों दिया ? जब कि अचेल पक्ष के अग्रगामी कुन्दकुन्द, पूज्यपाद, समन्तभद्र आदि का इतना श्रुत विस्तार अचेल पक्ष ने सम्हाल रखा तब कोई सबव न था कि वह आज तक भी अंगश्रुत के अमुक मूल भाग को सम्हाल न सकता । अंगश्रुत को छोड़ कर अंग वाह्य की ओर नजर डाले तब भी प्रश्न ही है कि पूज्यपाद के द्वारा निर्दिष्ट दशवैकालिक, उत्तराध्ययन जैसे छोटे से ग्रन्थ अचेल पक्षीय श्रुत में ने लुप्त कैसे हुए ? जब कि उनसे भी बड़े ग्रन्थ उस पक्ष में बराबर रहे । सब बातों पर विचार करने से मैं इसी निश्चित नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मूल अंगश्रुत का प्रवाह अनेक अवश्यम्भावी परिवर्तनों की चोटों सहन करता हुआ भी आज तक चला आया है जो अभी श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा संबंधा माना जाता है और जिसे दिगम्बर फिरका विलकुल नहीं मानता ।

श्रुत के इस सिलसिले में एक प्रश्न की ओर ऐतिहासिक विद्वानों का ध्यान खीचना आवश्यक है । पूज्यपाद तथा अकलङ्क द्वारा दशवैकालिक तथा उत्तराध्ययन का निर्देश किया गया है । इतना

१ अकलङ्क और विद्यानन्द आदि सिद्धसेन के ग्रन्थों से परिचित रहे । देखो राजवातिक ८. १ १७ । श्लोकवातिक पृ० ३ ।

अचेल दल में से अमुक को मान्य न था तब उस दल के अनुगामियों ने तत्त्वार्थ को इतना अधिक क्यों अपनाया ? इसका जवाब भाष्य और सर्वार्थसिद्धि की तुलना में से तथा मूलसूत्र में से मिल जाता है। उमास्वाति जिस सचेलपक्षावलम्बित श्रुत को धारण करते थे उसमें नग्नत्व का भी प्रतिपादन और आदर रहा ही जो सूत्रगत (९.९) नाम्न्य शब्द से सूचित होता है। उनके भाष्य में अगवाह्य रूप से जिस श्रुत का निर्देश है वह सब सर्वार्थसिद्धि में नहीं आया; क्योंकि दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार आदि अचेल पक्ष के अनुकूल ही नहीं है। वह स्पष्टतया सचेल पक्ष का पोषण है; पर सर्वार्थसिद्धि में दशवैकालिक, उत्तराध्ययन का नाम आता है, जो माम अचेल पक्ष के किसी आचार्य की कृतिरूप से निश्चित न होने पर भी अचेल पक्ष का स्पष्ट विरोधी नहीं।

उमास्वाति के मूलसूत्रों की आकर्षकता तथा भाष्य को छोड़ देने मात्र से उनके अपने पक्षानुकूल बनाने की योग्यता देखकर ही पूज्यपाद ने उन सूत्रों पर ऐसी व्याख्या लिखी जो केवल अचेल धर्म का ही प्रतिपादन करे और सचेल धर्म का स्पष्टतया निरास करे। इतना ही नहीं, बल्कि पूज्यपादस्वामी ने सचेलपक्षावलम्बित एकादश अंग तथा अंगवाह्य श्रुत, जो बालभी वाचना का वर्तमान रूप है उसका भी स्पष्टतया अप्रामाण्य सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा है 'केवली को कबलाहारी मानना तथा माम आदि के ग्रहण का बतलाना क्रमशः केवली अवर्णवाद तथा श्रुतावर्णवाद है'। वस्तुस्विति यह जान पड़ती है कि पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि जो मुख्यरूप से स्पष्ट अचेलधर्म की प्रतिपादिका है, उसके बन जाने के बाद सचेलपक्षावलम्बित ममप्र श्रुत का जैसा बहिष्कार, अमुक अचेल पक्ष ने किया वना

१ भगवती (शतक १५), आचाराङ्ग (शोलाङ्करीकासहित पृ० ३३४, ३३५, ३४८, ३५२, ३६४,) प्रश्नव्याकरण (पृ० १४८, १५०) आदि में जो मांस संबन्धी पाठ आते हैं उनको लक्ष्मण रखकर सर्वार्थसिद्धिकारने कदा दे कि आगम में ऐसी बातों का होना स्वीकार करना श्रुतावर्णवाद है। और भगवती (शतक १५) आदि में केवली के आहार का वर्णन है उसको लक्ष्मण रख कर कदा कि यह तो केवली का अवर्णवाद है।

दृष्ट व ऐकान्तिक बहिष्कार सर्वायंसिद्धि की रचना के पूर्व न हुआ था । यही कारण है कि सर्वायंसिद्धि की रचना के बाद अचेल दल में सचेलपक्षीय श्रुत का प्रवेश नाममात्र का ही रहा जैसा कि उत्तरकालीन दिगम्बर विद्वानों को श्रुतप्रवृत्ति से देखा जाता है । इस स्थिति में अपवाद है^१; जो नगण्य जैसा है । अस्तुतः पूज्यपाद के आसपास अचेल और सचेल पक्ष में इतनी खीचातानी और पक्षापक्षी बढ़ गई थी कि उसीके फलस्वरूप सर्वायंसिद्धि के बन जाने तथा उसकी अति प्रतिष्ठा हो जाने पर अचेल पक्ष में से तत्त्वार्थ भाष्य का रहा-सहा भी स्थान हट ही गया । विचार करने से भी इस प्रश्न का अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला कि जैसे तैसे भी सचेलपक्ष ने अंगश्रुत को अभी तक किसी न किसी रूप में सम्हाल रखा, तब बुद्धि में, श्रुत-भक्ति में, और अप्रमाद में जो सचेल पक्ष से किसी तरह कम नहीं उस अचेल पक्ष ने अंग श्रुत को समूल नष्ट होने क्यों दिया ? जब कि अचेल पक्ष के अग्रगामी कुन्दकुन्द, पूज्यपाद, समन्तभद्र आदि का इतना श्रुत विस्तार अचेल पक्ष ने सम्हाल रखा तब कोई सबब न था कि वह आज तक भी अंगश्रुत के अमुक मूल भाग को सम्हाल न सकता । अंगश्रुत को छोड़ कर अंग बाह्य की ओर नजर डाले तब भी प्रश्न ही है कि पूज्यपाद के द्वारा निर्दिष्ट दशवकालिक, उत्तराध्ययन जैसे छोटे से ग्रन्थ अचेल पक्षीय श्रुत में से लुप्त कैसे हुए ? जब कि उनसे भी बड़े ग्रन्थ उस पक्ष में बराबर रहे । सब बातों पर विचार करने से मैं इसी निश्चित नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मूल अंगश्रुत का प्रवाह अनेक अवश्यम्भावी परिवर्तनों की चोटों सहन करता हुआ भी आज तक चला आया है जो अभी श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा सर्वथा माना जाता है और जिसे दिगम्बर फिरका बिलकुल नहीं मानता ।

श्रुत के इस सिलसिले में एक प्रश्न की ओर ऐतिहासिक विद्वानों का ध्यान खीचना आवश्यक है । पूज्यपाद तथा अकलङ्क द्वारा दशवकालिक तथा उत्तराध्ययन का निर्देश किया गया है । इतना

^१ अकलङ्क और विद्यानन्द आदि सिद्धसेन के ग्रन्थों से परिचित रहे । देखो राजवातिकं ८. १ १७ । श्लोकवातिकं पृ० ३ ।

ही नहीं बल्कि दशवैकालिक के ऊपर तो नग्नत्व के समर्थक अपराधित्वाचार्य ने टीका भी रची थी^१। इन्होंने भगवती-आराधना पर भी टीका लिखी है। ऐसी दशा में सारी दिगम्बर परम्परा में से दशवैकालिक और उत्तराध्ययन का प्रचार क्यों उठ गया ? और जब हम देखते हैं कि मूलाचार, भगवती आराधना जैसे अनेक ग्रन्थ जो कि वस्त्र आदि उपधि का भी ऊपवाद रूप से मुनि के लिए निरूपण करते हैं और जिनमें आशिकाओं के मार्ग का भी निरूपण है और जो दशवैकालिक तथा उत्तराध्ययन की अपेक्षा मुनि-आचार का किसी तरह उत्कट प्रतिपादन नहीं करते; वे ग्रन्थ सारी दिगम्बर परम्परा में एक से मान्य हैं और जिन पर कई प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वानों ने मस्कृत तथा भूषा (हिन्दी) में टीकाएँ भी लिखी हैं। तब तो हमारा उपर्युक्त प्रश्न और भी बलवान् बन जाता है। मूलाचार तथा भगवती आराधना जैसे ग्रन्थों को श्रुत में स्थान देने वाली दिगम्बर परम्परा दशवैकालिक और उत्तराध्ययन को क्यों नहीं मानती ? अथवा यो कहिये कि दशवैकालिक आदि को छोड़ देने वाली दिगम्बर-परम्परा मूलाचार आदि को कैसे मान सकती है ? इस असंगति सूचक प्रश्न का जवाब सरल भी है और कठिन भी। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करे तो सरल है और केवल पन्थ दृष्टि से सोचें तो कठिन है।

जो इतिहास नहीं जानते वे बहुधा यही सोचते हैं कि अचेल या दिगम्बर परम्परा एक मात्र नग्नत्व की ही मुनित्व का अंग मानती है या मान सकती है। नग्नत्व के अतिरिक्त थोड़े भी उपकरण धारण की दिगम्बरत्व के विचार में कोई स्थान ही नहीं। और जब से दिगम्बर परम्परा में तेरापन्थ की भावना ने जोर पकड़ा और दूसरे दिगम्बर-अवान्तर पक्ष या तो नामशेष हो गये या तेरापन्थ के प्रभाव में दब गए; तब से तो पन्थदृष्टिवालों का उपर्युक्त विचार और भी पुष्ट हो गया कि मुनित्व का अंग तो एकमात्र नग्नत्व है थोड़ी भी उपधि उगका अंग ही नहीं सकती और नग्नत्व की असंभावना के कारण न श्रौ ही मुनि धर्म की अधिकारिणी

^१ देखो, भगवती आराधना पृ० ११९६, और अनेकान्त यर्ग २ अंक १ पृ० ५७।

बन सकती है। ऐसी पन्थ दृष्टि वाले उपर्युक्त असंगति का सच्चा समाधान पा ही नहीं सकते। उनके लिए यही मार्ग रह जाता है कि या तो वे कह दें कि वैसे उपधि प्रतिपादक सभी ग्रन्थ श्वेताम्बर हैं या श्वेताम्बर प्रभाववाले किन्हीं विद्वानों के बनाए हुए हैं या उनका तात्पर्य पूर्ण दिगम्बर मुनित्व का प्रतिपादन करना नहीं है। ऐसा कह कर भी वे अनेक उलझनों से मुक्त तो हो ही नहीं सकते। अतएव उनके लिए प्रश्न का सच्चा जवाब कठिन है।

परन्तु जैन परम्परा के इतिहास के अनेक पहलुओं का अध्ययन तथा विचार करनेवाले के लिए वैसे कोई कठिनाई नहीं। जैनपरम्परा का इतिहास कहता है कि अचेल या दिगम्बर कहलानेवाले पक्ष में भी अनेक संघ या गच्छ ऐसे हुए हैं जो मुनिधर्म के अंगरूप से उपविका आत्यन्तिक त्याग मानते न मानते के विषय में पूर्ण एकमत नहीं थे। कुछ संघ ऐसे भी थे जो नग्नत्व और पाणिपात्रत्व का पक्ष करते हुए भी व्यवहार में थोड़ी-बहुत उपधिका स्वीकार अवश्य करते थे। वे एक तरह से मृदु या मध्यममार्गी अचेलदल वाले थे। कोई संघ या कुछ संघ ऐसे भी थे जो मान नग्नत्व का पक्ष करते थे और व्यवहार में भी उसीका अनुसरण करते थे। वे ही तीव्र या उत्कृष्ट अचेलदल वाले थे। जान पड़ता है कि संघ या दल कोई भी हो पर पाणिपात्रत्व सब का साधारण रूप था। इसीसे वे सब दिगम्बर ही समझे जाते थे। इसी मध्यम और उत्कृष्ट भावनावाले जुदे जुदे संघ या गच्छों के विद्वानों या मुनियों द्वारा रचे जानेवाले आचार ग्रन्थों में नग्नत्व और बस्त्र आदि का विरोधी निरूपण आ जाना स्वाभाविक है। इसके सिवाय यापनीय जैसे कुछ ऐसे भी संघ हुए जो न तो बिलकुल सचेल पक्ष के समझे गए और न बिलकुल अचेल पक्ष में ही स्थान पा सके। ऐसे संघ जब लुप्त हो गए तब उनके आचार्यों की कुछ कृतियाँ तो श्वेतांबर पक्ष के द्वारा ही मुख्यतया रक्षित हुईं जो उस पक्ष के विशेष अनुकूल थीं और कुछ कृतियाँ दिगम्बर पक्ष में ही विशेषतया रह गईं और कालक्रम से दिगम्बर ही माने जाने लगीं। इस तरह प्राचीन और मध्यकालीन तथा मध्यम और उत्कृष्ट भावनावाले अनेक दिगम्बर संघों के विद्वानों की कृतियों में

समुचितरूप से कहीं नग्नत्व का आत्यन्तिक प्रतिपादन और कहीं मर्यादित उपधिका प्रतिपादन दिखाई दे तो यह असंगत बात नहीं। इस समय जो दिगम्बर फिरके में नग्नत्व का आत्यन्तिक आग्रह रखने वाली तेगान्वीय भावना प्रधानतया देखी जाती है वह पिछले २००-३०० वर्षों का परिणाम है। केवल इस वर्तमान भावना के आधार से पुराने सब दिगम्बरों समझे जानेवाले साहित्य का खुलासा कभी संभव नहीं। दशवैकालिक आदि ग्रन्थ श्वेताम्बर परम्परा में इतनी अधिक प्रतिष्ठा की पाये हुए हैं कि जिनका त्याग आप ही आप दिगम्बर परम्परा में सिद्ध हो गया। संभव है अगर मूलाचार आदि ग्रन्थों को भी श्वेताम्बर परंपरा पूरे तीर से अपनाती तो वे दिगम्बर परम्परा में शायद ही अपना ऐसा स्थान गनाए रखते।

✓(घ) उमास्वाति की जाति और जन्म-स्थान

प्रज्ञप्ति में स्पष्टरूप से जातिविषयक कोई कथन नहीं, फिर भी माता का गोत्रसूचक 'वाल्मी' नाम इसमें मौजूद है और 'कौभीषिणि' भी गोत्रसूचक विशेषण है। गोत्र का यह निर्देश उमास्वाति का ब्राम्हण जाति होने की सूचना करता है, ऐसा कहना गोत्र परम्परा को ठेठ में पकड़ रखनेवाली ब्राम्हण जाति के बंगानुक्रम के अभ्यासी को शायद ही सदीग मान्दम पड़े। वास्तविक उमास्वाति के जन्म-स्थान रूप से प्रज्ञप्ति 'न्यग्रोधिका' ग्राम का निर्देश करती है। यह न्यग्रोधिका स्थान कहाँ है, इसका इतिहास क्या है और इस समय उसकी क्या स्थिति है— यह सब अंधकार में है। इनकी शोध करना यह एक रस का विषय है। तत्त्वार्थ-सूत्र के रचना-स्थान रूप में प्रज्ञप्ति में 'कुसुमपुर' का निर्देश है। यही कुसुमपुर इस समय बिहार का पटना है। प्रज्ञप्ति में कहा गया है कि बिहार करते-करते पटना में तत्त्वार्थ की रचना हुई। इस पर मे नोचे की कल्पनाएँ स्फुरित होती हैं:

१—उमास्वाति के समय में और उनके कुछ आगे-पीछे मगध में जैन भिक्षुओं का सूब बिहार होना चाहिए और उस तरफ जैन संघ का बल तथा आकर्षण भी होना चाहिए।

२—विशिष्ट शास्त्र के लेखक जैन भिक्षुक अपनी अनियत स्थानवास की परम्परा को बराबर कायम रख रहे थे और ऐसा करके उन्होंने अपने कुल को 'जंगम विद्यालय' बना लिया था ।

३—विहार-स्थान पाटलीपुत्र (पटना) और मगधदेश से जन्म-स्थान न्यग्रोधिका सामान्य तौर पर बहुत दूर तो नहीं होगा ।

तत्त्वार्थसूत्र के व्याख्याकार

तत्त्वार्थ के व्याख्याकार श्वेताम्बर, दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदायों में हुए हैं; परन्तु इसमें भेद यह है कि श्वेताम्बर परम्परा में सभाष्य तत्त्वार्थ की व्याख्याओं का प्राधान्य है और दिगम्बर परम्परा में मूल सूत्रों की ही व्याख्याएँ हुई हैं । दोनों सम्प्रदायों के इन व्याख्याकारों में कितने ही ऐसे विशिष्ट विद्वान् हैं जिनका स्थान भारतीय दार्शनिकों में भी आ सकता है, इससे ऐसे कुछ विशिष्ट व्याख्याकारों का ही यहाँ संक्षेप में परिचय दिया जाता है ।

१ (क) उमास्वाति

तत्त्वार्थ सूत्र पर भाष्य रूप से व्याख्या लिखने वाले स्वयं सूत्रकार उमास्वाति ही हैं, अतः इनके विषय में यहाँ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके विषय में पहले लिखा जा चुका है । सिद्धसेनगणिको बरहू आचार्य हरिभद्र^२ भी भाष्यकार और सूत्रकार को एक ही समझते हैं ऐसा उनकी भाष्य टीका का अवलोकन करने से स्पष्ट जान पड़ता है । हरिभद्र प्रशमरति^३ को भाष्यकार की ही रचना समझते हैं । ऐसी दशा में

१ देखो प्रस्तुत परिचय पृ० १६ टि० १ और पृ० २० ।

२ "एतान्नेवन्धनत्वात् संसारस्येति स्वाभिप्रायमभिधाय मतान्तरमुपन्मसन्नाह — एके त्वित्यादिना" — पृ० १४१ ।

३ "यद्योक्तमनेनैव सूरिणा प्रकरणान्तरे" कहकर हरिभद्र भाष्यटीका में प्रशमरति की २१० वीं और २११ वीं कारिका उद्धृत करते हैं ।

भाष्य को स्वापन्न न मानने को आधुनिक कल्पनाय भांत है। पूर्वजन्तु, अकलङ्क आदि किसी प्राचीन दिगम्बर टीकाकार ने ऐसी बात नहीं उदाई है जो भाष्य की स्वापन्नता के विरुद्ध हो।

(ख) गन्धहस्ती^१

वाचक उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र पर व्याख्या या भाष्य के रचयिता के रूप से दो गंधहस्ती जैन परम्परा में प्रसिद्ध हैं। उनमें एक दिगम्बराचार्य और दूसरे श्वेताम्बराचार्य माने जाते हैं। गंधहस्ती विशेषण है। दिगम्बर परम्परा के प्रसिद्ध विद्वान् समन्तभद्र का यह विशेषण समझा जाता है और इससे ऐसा फलित होता है कि आप्तमीमांसा के रचयिता गंधहस्तिपदधारी स्वामी समन्तभद्र ने वा० उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र पर व्याख्या लिखी थी। श्वेताम्बर परम्परा में गंधहस्ती विशेषण बृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर का होने की मान्यता इस समय प्रचलित है। इस मान्यता के अनुसार यह फलित होता है कि सम्मति के रचयिता और बृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर ने वा० उमास्वाति के तत्त्वार्थ-सूत्र पर व्याख्या रची थी। ये दोनों मान्यतायें और उन पर से फलित उक्त मन्तव्य अप्रामाणिक होने से ग्राह्य नहीं हैं। दिगम्बराचार्य समन्तभद्र की कृति के लिए गंधहस्ती विशेषण व्यवहृत मिलता है जो लघुसमन्तभद्र वृत्त अष्टसहस्री के टिप्पण में स्पष्टतया देखा जाता है। लघुसमन्तभद्र^२ १४वीं,

१ "शक्रस्तव" नाम से प्रसिद्ध "नमोत्थुणं" के प्राचीन स्तोत्र में "पुरिः सवरगन्धहृत्पीणं" कह कर श्रोतीर्थकरको गंधहस्ती विशेषण दिया हुआ है। तथा दसवीं और ग्यारहवीं शक्र-शतान्दी के दिगम्बर शिलालेखों में एक और यौनिक को गन्धहस्ती का उरनाम दिया उपलब्ध होता है। और एक जैन मन्दिर का नाम भी 'सवति गंधवारण जिनालय' है। देखो डा० हीरान्याल जैन द्वारा सम्पादित जैन शिलालेख संग्रह पृ० १२३ तथा १२९. चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख।

२ देखो पं० क्षुगन्दिशोर जी प्रिलित स्वामी समन्तभद्र—पृ० २१४-२२०।

१५वीं शताब्दी के आसपास कभी हुए समझे जाते हैं। उनके प्रस्तुत उल्लेख का समर्थन करने वाला एक भी सुनिश्चित प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है। अब तक के वाचन-चिन्तन से मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कहीं भाष्य, कहीं महाभाष्य, कहीं तत्त्वार्थभाष्य कहीं गन्धहस्तिभाष्य जैसे अलग अलग विखरे हुए अनेक उल्लेख दिगम्बर साहित्य में देखे जाते हैं और कहीं स्वामी समन्तभद्र के नाम का तत्त्वार्थ-महाभाष्य के साथ निर्देश भी है। यह सब देख कर पिछले अर्वाचीन लेखकों को यह भ्रान्ति-मूलक विश्वास हुआ कि स्वामी समन्तभद्र ने उमास्वाति के तत्त्वार्थ पर गन्धहस्ती नाम का महाभाष्य रचा था। इसी विश्वास ने उन्हें ऐसा लिखने को प्रेरित किया। वस्तुतः उनके सामने न तो ऐसा कोई प्राचीन आधार था और न कोई ऐसी कृति थी जो तत्त्वार्थ-सूत्र के ऊपर गन्धहस्ती-भाष्य नामक व्याख्या को समन्तभद्र-कर्तृक सिद्ध करते। भाष्य, महाभाष्य, गन्धहस्ती आदि जैसे बड़े बड़े शब्द तो थे ही; अतएव यह विचार आना स्वाभाविक है कि समन्तभद्र जैसे महान् आचार्य के सिवाय ऐसी कृति कौन रचता? विशेष कर इस हालत में कि जब अकलङ्क आदि पिछले आचार्यों के द्वारा रची गई कोई कृति गन्धहस्ति-भाष्य नाम से निश्चित की न जा सकती हो। उमास्वाति के अतिप्रचलित तत्त्वार्थ पर स्वामी समन्तभद्र जैसे की छोटी-बड़ी कोई कृति हो तो उसके उल्लेख या किसी अवतरण का सर्वार्थसिद्धि, राजवातिक आदि जैसी अति-शास्त्रीय टीकाओं में सर्वथा न पाया जाना कभी संभव नहीं। यह भी संभव नहीं है कि वैसे कोई कृति सर्वार्थसिद्धि आदि के समय तक लुप्त ही हो गई हो जब कि समन्तभद्र के अग्न्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मौजूद है। जो हो, इस बारे में मुझे अब कोई सन्देह नहीं है कि तत्त्वार्थ के ऊपर समन्तभद्र कृत गन्धहस्ती नामक कोई भाष्य नहीं था।

श्रीयुत पं० जुगलकिशोरजी ने अनेकान्त (वर्ष १५० २१६) में लिखा है कि 'धवला' में गन्धहस्ती भाष्य का उल्लेख आता है, पर हमें धवला की असल नकल की जाँच कहने वाले पं० हीरालालजी न्यायतीर्थ के द्वारा विशदस्त रूप से मालूम हुआ है कि धवला में गन्धहस्ती भाष्य शब्द का कोई उल्लेख नहीं है।

बृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर गन्धहस्ती है। ऐसी ही प्रमाण मान्यता मत्रहर्वी-अठारहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान् उपाध्याय यशोविजय जी के एक उल्लेख पर से प्रचलित हुई है। उपाध्याय यशोविजयजी ने अपने 'महावीरस्तव' में गन्धहस्ती के कथन रूप से सिद्धसेन दिवाकर के 'सम्मति' की एक गाथा उद्धृत की है। उस पर से आज कल ऐसा मत जाता है कि सिद्धसेन दिवाकर ही गन्धहस्ती है। परन्तु उ० यशोविजयजी का यह उल्लेख भ्रान्ति जन्य है। इसे सिद्ध करने वाले दो प्रमाण इस प्रकार स्पष्ट हैं। एक तो यह कि उ० यशोविजयजी से पूर्व के किसी भी प्राचीन या अर्वाचीन ग्रन्थकार ने सिद्धसेन दिवाकर के गन्धहस्ती की निमित्त मानी जाने वाली कृतियों के साथ या उ० 'गन्धहस्ती' के साथ एक भी स्थल पर गन्धहस्ती विशेषण का उपयोग नहीं किया है। सिद्धसेन दिवाकर की कृति के अवतरण के साथ गन्धहस्ती विशेषण का व्यवहार करनेवाले केवल उक्त यशोविजयजी ही हैं। अतः उनका यह कथन किसी भी प्राचीन आधार से रहित है। इसके अतिरिक्त सिद्धसेन दिवाकर के जीवन वृत्तान्तवाले जितने २ प्राचीन या अर्वाचीन ग्रन्थ मिलते हैं उनमें कहीं भी गन्धहस्ती पद व्यवहृत दृष्टिगोचर नहीं होता; जब कि दिवाकर पद प्राचीन ग्रन्थों तक में और दूसरे आचार्यों के ग्रन्थों में भी प्रयुक्त

१ 'अनेनैवाऽभिप्रायेणाह गन्धहस्ती सम्मती—' न्यायसूत्रभाष्य
श्लोक० १६ पृ० १६ दि० ।

२ भद्रेश्वरकृत कपायलोगत सिद्धसेन ग्रन्थ, अन्य लिखित सिद्धसेनग्रन्थ, प्रभावकचरित्रगत बृद्धवादिग्रन्थांतर्गत सिद्धसेन ग्रन्थ, प्रबन्धसिद्धतासिद्धता विक्रम ग्रन्थ और चतुर्विंशतिग्रन्थ ।

सिद्धसेन के जीवन ग्रन्थों में जैसे दिवाकर उपनाम आता है और उसका समर्थन मिलता है वैसे गन्धहस्ती के विषय में कुछ भी नहीं है। यदि गन्धहस्ती पद का इतना प्राचीन प्रयोग मिलता है तो यह प्रश्न होता है कि प्राचीन ग्रन्थकारों ने दिवाकर पद की तरह गन्धहस्तीपद सिद्धसेन के नाम के साथ या उनकी किसी निश्चित कृति के साथ प्रयुक्त क्यों नहीं किया?

३ देवी हरिमद्रकृत पंचवस्तु गाथा १०४८, १०५६ ।

मिलता है । दूसरा प्रबल और अकाट्य प्रमाण है कि उ० यशोविजयजी से पहले के अनेक ग्रन्थों में जो गन्धहस्ती के अवतरण मिलते हैं वे सभी

१ तुलना के लिए देखो—

“निद्रादयो यतः समाधिगताया एव दर्शनलब्धेः उपयोगघाते प्रवर्तन्ते चक्षुर्दर्शनावरणादिचतुष्टयं तूद्गमोच्छेदित्वात् मूलघातं निहन्ति दर्शनलब्धिम् इति ।” तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति पृ० १३५, प ४ । भाग २

“या तु भवस्यकेवलिनो द्विविधस्य सयोगाऽयोगभेदस्य सिद्धस्य वा दर्शनमोहनीयसप्तकक्षयादपायसद्द्रव्यक्षयाच्चोदपादि सा सादिरपर्यवसाना इति ।” तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति पृ० ५९, पं० २७ ।

“तत्र याऽपायसद्द्रव्यवर्तिनी श्रेणिकादीनां सद्द्रव्यापगमे च भवति अपायसहचारिणी सा सादिसपर्यवसाना” —तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति पृ० ५९, पं० २७

“प्राणापानानुच्छ्वासनिःश्वासक्रियालक्षणौ ।” तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति पृ० १६१ पं० १३ ।

“आह च गन्धहस्ती—निद्रादयः समाधिगताया एव दर्शनलब्धेरुपघाते वर्तन्ते दर्शनावरणचतुष्टयन्तूद्गमोच्छेदित्वात् समूलघातं हन्ति दर्शनलब्धिमिति” प्रवचनसारोद्धार की सिद्धसेनीय वृत्तिपृ० ३५८, प्र० पं० ५ । सित्तरी-टीका मलयगिरि कृत गाथा ५ । देवेन्द्र कृत प्रथम कर्मग्रन्थ टीका गाथा १२ ।

“यदाह गन्धहस्ती—भवस्यकेवलिनो द्विविधस्य सयोगायोगभेदस्य सिद्धस्य वा दर्शनमोहनीयसप्तकक्षयाविर्भूता सम्यग्दृष्टिः सादिरपर्यवसाना इति ।” नवपदवृत्ति पृ० ८८ द्वि०

“यदुक्तं गन्धहस्तिना—तत्र याऽपायसद्द्रव्यवर्तिनी; अपायो-मतिज्ञानांशः सद्द्रव्याणि—शुद्धसम्यक्त्वदलिकानि तद्वर्तिनी श्रेणिकादीनां च सद्द्रव्यापगमे भवत्यपायसहचारिणी सा सादिसपर्यवसाना इति ।” नवपदवृत्ति पृ० ८८ द्वि०

“यदाह गन्धहस्ती—प्राणापानौ उच्छ्वासनिःश्वासौ इति” धर्मसंग्रहणो-वृत्ति(मलयगिरि)पृ० ४२, प्र० पं० २ ।

अवतरण कहीं तो ज़रा भी परिवर्तन बिना ही ओर कहीं तो बहुत हो पों
परिवर्तन के साथ और कहीं तो भावसाम्य के साथ सिंहसूर के प्रशिष्य श्री
नाम्बामी के शिष्य सिद्धसेन की तत्त्वार्थभाष्य पर वृत्ति में मिलते हैं। इस
पर से इतना तो निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि गन्धहस्तो प्रवर्णि
परम्परा के अनुसार सिद्धसेन दिवाकर नहीं, किन्तु उपलब्ध तत्त्वार्थभाष्य
की वृत्तिके रचयिता भास्वामी के शिष्य सिद्धसेन ही हैं। नाम के कारण
से और प्रकाण्डवादी तथा कुशल ग्रन्थकार के रूप से प्रसिद्धि प्राप्त सिद्धसेन
दिवाकर ही गन्धहस्तो हो सकते हैं ऐसी मान्यता में से उ० यशोविजयदेव
की दिवाकर के लिये गन्धहस्तो विशेषण के प्रयोग करने की भ्रान्ति उत्पन्न
हुई हो—ऐसा सम्भव है।

ऊपर की दलीलो पर मे हम स्पष्ट देख सकते हैं कि श्वेताम्बर पर-
म्परा में प्रसिद्ध गन्धहस्तो तत्त्वार्थ-सूत्र के भाष्य की उपलब्ध विस्तीर्ण वृत्ति
के रचयिता सिद्धसेन ही हैं। इस पर मे हमें निश्चित रूप से ऐसा मानने
के कारण मिलते हैं कि सन्मति के टीकाकार दसवीं शताब्दी के
अभयदेव ने अपनी टीका^१ में दो स्थानोपर गन्धहस्ति पद का प्रयोग
कर उनको रचित तत्त्वार्थ व्याख्या देख लेने की ओर सूचना की है^२।

“अतएव च भेदः प्रदेशानामवय-
वाना च, ये न जातुचिद् घस्तुव्यतिरे-
केणोपलभ्यन्ते ते प्रदेशाः ये तु विशक-
लिताः परिकलितनूर्तयःप्रज्ञापयमवतरन्ति
तेऽययवाः।” तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति पृ०
३२८ पं० २१।

“यद्यप्यवयवप्रदेशयोगान्धहस्त-
दियु भेदोऽस्ति” —स्याद्वाचमंजरी पृ०
६३, श्लो० १।

१ सन्मति के दूसरे काण्ड की प्रथम गाथा की व्याख्या की समानि में
टीकाकार अभयदेव ने तत्त्वार्थ के प्रथम अध्याय के १ से १२ सूत्र उद्धृत
किये हैं और यहाँ उन सूत्रों की व्याख्या के विषय में गन्धहस्तो की सिद्धसेन
करते हुए कहा है कि—‘अतएव च सूत्रमनुदस्य न्यायान्ना गन्धहस्ति

अन्य कोई नहीं, प्रत्युत उपलब्ध भाष्यवृत्ति के रचयिता सिद्धसेन ही हैं। इसलिए सन्मति टीका में अभयदेव ने तत्त्वार्थ पर की जिस गन्धहस्ती कृत व्याख्या देख लेने की सूचना की है उस व्याख्या के लिए अब नष्ट या अनुपलब्ध साहित्य की ओर दृष्टिपात करने की आवश्यकता नहीं है। इसी अनुसन्धान में यह भी मानना आवश्यक प्रतीत होता है कि नवमी-दसवीं शताब्दी के ग्रन्थकार शीलाङ्क^१ ने अपनी आचारांग सूत्र की टीका में जिस गन्धहस्ति कृत^२ विवरण का उल्लेख किया है वह भी तत्त्वार्थ भाष्य की वृत्ति के रचयिता सिद्धसेन का ही होना चाहिए; क्योंकि, बहुत ही नजदीक के अन्तर में हुए शीलाङ्क और अभयदेव, दोनों भिन्न-भिन्न आचार्यों के लिए गन्धहस्ती पद का प्रयोग करें यह असम्भव है। और, अभयदेव जैसे बहुश्रुत विद्वान ने, जैन आगमों में प्रथम स्थान धारण करने वाले आचाराङ्क सूत्र को थोड़े ही समय पूर्व हुए शीलाङ्क सूरि रचित वृत्ति न देखी हो ऐसी कल्पना करना ही कठिन है। और फिर, शीलाङ्क ने स्वयं ही अपनी टीकाओं में जहाँ जहाँ सिद्धसेन दिवाकर कृत सन्मति की गाथाएँ उद्धृत की हैं वहाँ किसी भी स्थल पर गन्धहस्ति-पद का प्रयोग नहीं किया, अतएव शीलाङ्क के अभिमत से गन्धहस्ती दिवाकर नहीं हैं यह स्पष्ट है।

‘प्रभृतिभिर्विहितेति न प्रदर्श्यते’—पृ० ५९५ पं० २४। इसी प्रकार तृतीय काण्ड की ४४ वीं गाथा में आए हुए ‘हेतुवाद’ पद की व्याख्या करते हुए उन्होंने “सम्यग्दर्शनज्ञानचारिणाणि मोक्षमार्गः” रख कर इसके लिए भी लिखा है “तथा गन्धहस्ति-प्रभृतिभिर्विक्रान्तामिति नेह प्रदर्श्यते”—पृ० ६५१. पं० २०

१ देखो आचार्य जिनाधिजयजी द्वारा सम्पादित ‘जीतकल्प’ की प्रस्तावना पृ० १९। परिशिष्ट, शीलाङ्काचार्य के विषय में अधिक ब्योरा।

२ “शस्त्रपरिज्ञा विवरणमतिबहुगहनं च गन्धहस्तिकृतम्”। तथा—

“शस्त्रपरिज्ञाविवरणमतिबहुगहनमितीव किल वृतं पूज्यः।

योगन्धहस्तिमिश्रैर्विबुणोमि ततोऽहमवशिष्टम् ॥”

आचारांगटीका पृ० १ तथा ८२ का प्रारम्भ।

ऊपर की विचारसरणी के बल पर हमने वहिले जो निम्नलिखित स्थि-
था उसका संपूर्णतया समर्थक उल्लिखित प्राचीन प्रमाण भी हमें प्रप-
हिन्दी आवृत्ति के समय मिल गया है जो हरिभद्रोप अथवा वृत्ति के पूर-
यशोभद्र सूरि के शिष्य ने लिखा है । वह इस प्रकार है—

“ गुरियशोभद्रस्य (हि) शिष्येण समुद्धृता स्वबोधार्थम् ।
तत्त्वार्थस्य हि टीका जडवायार्जना धृता यात्यां नृद्धृता ॥
(० यर्जुनोद्धृतान्त्यार्था) ॥ १ ॥

हरिभद्राचार्येणारब्धा विवृताधेपठध्यायोश्च ।

पूज्यैः पुनरुद्धृतेयं तत्त्वार्थादस्य टीकास्तथा ॥ २ ॥ इति ॥ पृ० ५२१

एतदुक्तं भवति—हरिभद्राचार्येणार्थवर्णनामध्यायानामाद्यानां टीकास्त-
भगवता तु गन्धहस्तिना सिद्धसेनेन या कृता तत्त्वार्थटीका न यैर्वादिस्थानैर्न्याकुल
तस्या एव शेषम् (पा उ) उद्धृतान्त्यार्थेण रच्योषार्थं सात्त्वन्तगुणो (व्ये
दुपुदुभिका टीका निष्पन्ना इत्यतः प्रसंगेन पृ० ५२१ यह पाठ अन्य किं
प्रति से मुद्रित किया गया है—देखो आत्मानन्द प्रकाश ४५.१० पृ० १९६

(ग) सिद्धसेन

तत्त्वार्थभाष्य के ऊपर श्वेताम्बराचार्यों की रची हुई दो पूर्ण वृत्ति-
इस समय मिलती हैं । इनमें एक बड़ी और दूसरी उससे छोटी है । ये
वृत्ति के रचने वाले सिद्धसेन ही यहाँ पर प्रस्तुत हैं । ये सिद्धसेन दिग्गज
के शिष्य' सिद्धसूर के शिष्य भास्वामी के शिष्य थे, यह बात इन
भाष्यवृत्ति के अन्त में ही हुई प्रशस्ति पर से सिद्ध है । गणहस्तो
विचार प्रसंग में दो हुई मुक्तियों से यह भी जाना जाता है ।
गणहस्तो प्रस्तुत सिद्धसेन ही है । जब तक दूसरा कोई वास्तव प्रमाण न मिले

१ देखो गुजराती तत्त्वार्थविषयन परिचय पृ० ३६ ।

२ यही सिद्धसूर नवचक्र के सुप्रसिद्ध टीकाकार हैं देखो, भी आत्मान-
प्रकाश ४५. १०. पृ० १९१

तब तक उनकी दो कृतियाँ मानने में शंका नहीं रहती—एक तो आचारांग विवरण जो अनुपलब्ध है और दूसरी तत्त्वार्थभाष्य की उपलब्ध बड़ी वृत्ति । इनका 'गंधहस्ती' नाम किसने और क्यों रक्खा, इस विषय में सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं । इन्होंने स्वयं तो अपनी प्रशस्ति में गंधहस्तिपद जोड़ा नहीं, जिससे मालूम होता है कि जैसा सामान्य तौर पर बहुतों के लिये घटित होता है वैसे इनके लिये भी घटित हुआ है—अर्थात् इनके शिष्य या भक्त अनुगामी ने इनको गंधहस्ती के तौर पर प्रसिद्ध किया है । यह बात यशोभद्रसूरि के शिष्य के उपर्युक्त उल्लेख से और भी स्पष्ट हो जाती है । ऐसा करने का कारण यह जान पड़ता है कि प्रस्तुत सिद्धसेन सैदान्तिक थे और आगमशास्त्रों का विशाल ज्ञान धारण करने के अतिरिक्त वे आगमविरुद्ध मालूम पड़ने वाली चाहे जैसी तर्कसिद्ध बातों का भी बहुत ही आवेशपूर्वक खंडन करते थे और सिद्धान्तपक्ष का स्थापन करते थे । यह बात उनकी तार्किकों के विरुद्ध की गई कटु चर्चा देखने से अधिक संभव जान पड़ती है । इसके सिवाय, उन्होंने तत्त्वार्थभाष्य पर जो वृत्ति लिखी है वह अठारह हजार श्लोक प्रमाण होकर उस वक्त की रची हुई तत्त्वार्थभाष्य पर की सभी व्याख्याओं में कदाचित् बड़ी होगी । इस बड़ी वृत्ति और उममें किये गये आगम के समर्थन को देखकर उनके किसी शिष्य या भक्त अनुगामी ने उनके जीवन में अथवा उनके पीछे उनके लिये 'गंधहस्ती' विशेषण प्रयुक्त किया हो, ऐसा जान पड़ता है । उनके समय के सम्बन्ध में निश्चयरूप से कहना अभी शक्य नहीं, फिर भी वे विक्रमी सातवीं और नववीं शताब्दी के मध्य में होने चाहिएँ, यह निःसन्देह है । क्योंकि उन्होंने अपनी भाष्यवृत्ति में 'धनुबंधु' आदि अनेक बौद्ध विद्वानों का उल्लेख

१ प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् 'धनुबंधु' का वे 'आमिपगृह' कह कर निर्देश करते हैं—“तस्मादेनःपवमेतत् धनुबन्धोरामिपगृहस्य गृध्रस्मेवाऽप्रेदयकारिणः” । “जातिरुपन्यस्ता धनुबन्धुवैधेयेन ।”—तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति पृ० ६८, पं० १ तथा २९ । नागार्जुन-रचित धर्मसंग्रह पृ० १३ पर जो आनन्तर्य पाँच पाप आते हैं और जिनका वर्णन शौलांक ने सूत्रकृतांग की (पृ० २१५) टीका में दिया है, उनका उल्लेख भी सिद्धसेन करते हैं—भाष्यवृत्ति पृ० ६७ ।

किया है। उनमें एक सातवीं शताब्दी के घमंकीति^१ भी हैं अर्थात् सातवीं शताब्दी के पहिले वे नहीं हुए, इतना तो निश्चित होता है। दूसरी तरफ नववीं शताब्दी के विद्वान् शीलान्द ने गंधहस्ती नाम से उनका उल्लेख किया है, इससे वे नववीं शताब्दी के पहिले किसी समय होने चाहिये। सिद्धसेन नयचक्र के वृत्तिकार सिंहमूर गणेशमा धमण के प्रशिष्य थे। सिंहमूर विक्रम की सातवीं शताब्दी के मध्य में अवश्य विद्यमान थे अतएव सिद्धसेन का समय विक्रम की सातवीं शताब्दी के अंतिम पाद से लेकर आठवीं शताब्दी के मध्यभाग तक रहा हो ऐसा मालूम होता है। सिद्धसेन ने अपनी वृत्ति में सिद्धिविनिश्चय नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है, वे गमयनः अकलंक का हीमा। यदि यह यात ठीक है तो कहना चाहिए कि अकलंक और सिद्धसेन—दोनों ममकालीन होंगे। यह भी अधिक संभव है कि अकलंक का राजवार्तिक सिद्धसेन ने देना हो।

(घ) हरिभद्र

ऊपर सूचित की हुई तत्त्वायंमाध्य की छोटी वृत्ति के प्रणेता हरिभद्र ही यहाँ प्रस्तुत हैं। यह छोटी वृत्ति रतलामस्य श्री श्रुपमदेवजी केतरी-मलजी नामक मंस्या की ओर से प्रकाशित हुई। यह वृत्ति केवल हरिभद्रानायक की कृति नहीं है; किन्तु इसकी रचना में कम से कम^२ तीन आचार्यों का हाथ है। उनमें से एक हरिभद्र भी है। इन्हीं हरिभद्र का विचार यहाँ

१ "भिश्वरपमंकीतिनाऽपि विरोध उच्यते प्रमाणविनिश्चयाय।"

तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति पृ० ३९७ प० ४।

२ देवो प्रस्तुत परिचय पृ० ३९ टि० २।

३ तीन से ज्यादा भी इन वृत्ति के रचयिता हो सकते हैं क्योंकि हरिभद्र, यशोभद्र और यशोभद्र के शिष्य ये तीन तो निश्चित ही हैं किन्तु अरुण नमम आचार्य के शिष्य की पुष्पिका के आधार पर अन्य की भी कल्पना हो सकती है—“इति श्री तत्त्वार्थटीकयां हरिभद्राचार्यप्रारब्धायां शुभ्र-काभिधानायां तत्त्वार्थभाष्यवृत्तिकायां नवमोऽध्यायः समाप्तः”।

प्रस्तुत है। श्वेताम्बर परम्परा में हरिभद्र नाम के कई आचार्य हो गये हैं^१ जिनमें से याकिनोसूनु रूप से प्रसिद्ध सैकड़ों ग्रन्थों के रचयिता आ-हरिभद्र ही इस छोटी वृत्ति के रचयिता माने जाते हैं। परन्तु इस बारे में कोई असंदिग्ध प्रमाण अभी हमारे सामने नहीं है।

^२ मुनि श्री जंबूविजयजीने हरिभद्रोप वृत्ति और सिद्धसेनीय वृत्ति दोनों की तुलना की है और बतलाया है कि हरिभद्रने सिद्धसेनीय वृत्ति का अवलम्बन लिया है। अगर यह बात ठीक है तो कहना होगा कि सिद्धसेन की वृत्ति के बाद ही हरिभद्रोप वृत्ति की रचना हुई है।

(ङ) देवगुप्त, यशोभद्र तथा यशोभद्र के शिष्य

उक्त हरिभद्र ने साढ़े पाँच अध्याय की वृत्ति रची। इसके बाद तत्त्वार्थभाष्य के सारे भाग के ऊपर जो वृत्ति है उसकी रचना दो व्यक्तियों के द्वारा हुई तो निश्चित ही जान पड़ती है। जिनमें से एक यशोभद्र नाम के आचार्य हैं। दूसरे उनके शिष्य हैं, जिनके नाम का कोई पता नहीं। यशोभद्र के अज्ञात नामक उस शिष्य ने दशम अध्याय के अन्तिम सूत्रमात्र के भाष्य के ऊपर वृत्ति लिखी है। इसके पहले के हरिभद्र त्यक्त सब भाष्य भाग के ऊपर यशोभद्र की वृत्ति है। यह बात उस यशोभद्रसूरि के शिष्य के बचनों से ही स्पष्ट है^३।

श्वेताम्बर परम्परा में यशोभद्र नाम के बनेक आचार्य और ग्रन्थकार हुए हैं^४।

इनमें से प्रस्तुत यशोभद्र कौन हैं यह अज्ञात है। प्रस्तुत यशोभद्र भाष्य की अधूरी वृत्ति के रचयिता हरिभद्र के शिष्य थे इसका कोई निर्णय-

१ देखो मुनि कव्याणविजयजी लिखित धर्मसंग्रहणी की प्रास्तावना पृ० २ से।

२ देखो आत्मानन्द प्रकाश वर्ष ४५, अंक १० पृ० १९३।

३ देखो प्रस्तुत परिचय, पृ० ४०।

४ देखो जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास, परिशिष्ट में यशोभद्र।-

यक प्रमाण नहीं है। इसके विरुद्ध यह तो कहा जा सकता है कि अगर प्रस्तुत यशोभद्र उन हरिभद्र के शिष्य होते तो यशोभद्र का शिष्य जो वृत्ति को समाप्ति करनेवाला है और जिसने हरिभद्र की अधूरी वृत्ति का अपरं गुरु यशोभद्र के द्वारा निर्वाहित होना लिखा है वह अपने गुरु के नाम के साथ हरिभद्र शिष्य इत्यादि कोई विशेषण बिना लगाये शायद ही रहता। अस्तु, जो हो, इतना तो अभी विचारणीय है ही कि वे यशोभद्र कब हुए और उनकी दूगरी कृतियाँ हैं या नहीं? यह भी विचारणीय है कि यशोभद्र आसिरी एकमात्र सूत्र की वृत्ति रचने क्यों नहीं पाए? और वह उनके शिष्य को क्यों रचनी पड़ी?

तुलना करने से जान पड़ता है कि यशोभद्र और उनके शिष्य की भाष्यवृत्ति गन्धहृन्ती की वृत्ति के आधार पर ही लिखी गई है।

हरिभद्र के षोडशक प्रकरण के ऊपर वृत्ति लिखने वाले एक यशोभद्र सूत्र हुए हैं वे ही प्रस्तुत यशोभद्र हैं या अन्य, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है।

(च) मलयगिरि

'मलयगिरि' की लिखी तत्त्वार्थभाष्य पर की व्याख्या नहीं मिलती। ये विक्रम की १२ वी, १३ वीं शताब्दी में होने वाले विभूत स्वप्नाम्बर विद्वानों में से एक है। ये आचार्य हेमचन्द्र के गणकालीन और गर्वश्रेष्ठ टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी बीमां 'महत्त्वपूर्ण कृतियाँ' उपलब्ध हैं।

(छ) चिरंतनमुनि

चिरंतनमुनि एक अज्ञात नाम के स्वप्नाम्बर गाम्भी है। तत्त्वार्थ के ऊपर साधारण टिप्पण लिखा है, ये विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के बाद

१ मलयगिरि ने तत्त्वार्थटीका लिखी थी ऐसी मान्यता उनकी प्रस्तावनापत्र में उपलब्ध होने वाले निम्न उद्धरण तथा इसी प्रकार के दूसरे उद्धरणों पर से रुद्ध हुई है :—“तत्त्वार्थप्रस्तावकारित्वं तत्त्वार्थटीकाया मन्विरा-
रेण प्रस्तावितमिति ततोऽप्यारण्योपम् ।”—१५-१६ पृ० २१८।

२ देवो, 'धर्ममंजरी' की प्रस्तावना पृ० २६।

किसी समय हुए हैं; क्योंकि इन्होंने अध्याय ५, सूत्र ३१ के टिप्पण में चौदहवीं शताब्दी में होने वाले मल्लिषेण की 'स्याद्वादमंजरी' का उल्लेख किया है।

(ज) वाचक यशोविजय

वाचक यशोविजय की लिखी भाष्य पर की वृत्ति का अपूर्ण प्रथम अध्याय-जितना भाग मिलता है। ये श्वेताम्बर सम्प्रदाय में ही नहीं किन्तु सम्पूर्ण जैन समाज में सबसे अन्त में होने वाले सर्वोत्तम प्रामाणिक विद्वान् के तौर पर प्रसिद्ध हैं। इनकी संख्याबद्ध कृतियाँ उपलब्ध हैं। सतरहवीं, अठारहवीं शताब्दी तक होने वाले न्यायशास्त्र के विकास को अपना कर इन्होंने जैन धृत को तर्कबद्ध किया है और भिन्न भिन्न विषयों पर अनेक प्रकरण लिखकर जैनतत्त्वज्ञान के सूक्ष्म अभ्यास का मार्ग तैयार किया है।

(झ) गणी यशोविजय

गणी यशोविजय ऊपर के वाचक यशोविजय से भिन्न हैं। ये कब हुए, यह मालूम नहीं। इनके विषय में दूसरा भी ऐतिहासिक परिचय इस समय कुछ नहीं है। इनकी कृति के तौर पर भी अभी तक सिर्फ तत्त्वार्थ सूत्र २२ का गुजराती ट्वा-टिप्पण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य कुछ रचना को होगी या नहीं, यह ज्ञात नहीं। टिप्पण की भाषा और शैली को देखते हुए ये सतरहवीं-अठारहवीं शताब्दी में हुए जान पड़ते हैं। इनकी उल्लेख करने योग्य दो विशेषताएँ हैं।

(१) जैसे वाचक यशोविजयजी वगैरह श्वेताम्बर विद्वानों ने 'अष्ट-महस्त्री' जैसे दिग्म्बर ग्रन्थों पर टीकाएँ रची हैं, वैसे ही गणी यशो-विजयजी ने भी तत्त्वार्थसूत्र के दिग्म्बर सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ को लेकर उस पर मात्र सूत्रों का अर्थपूरक टिप्पण लिखा है और टिप्पण लिखते हुए उन्होंने जहाँ जहाँ श्वेताम्बरों और दिग्म्बरों का मतभेद या

मनविरोध आता है यहाँ नयंत्र श्वेताम्बर परम्परा का अनुसरण करके ही अर्थ किया है। इस प्रकार सूत्रपाठ दिगम्बर होते हुए भी अर्थ श्वेताम्बरीय है।

(२.) अबतक तत्त्वायंमूत्र पर गुजराती में टिप्पण लिखान वालों में प्रस्तुत यशोविजय गणी ही प्रथम गिने जाते हैं, क्योंकि उनके सिवाय तत्त्वायंमूत्र पर गुजराती में किसी का कुछ लिखा हुआ अभी तक जानने में नहीं आया।

गणी यशोविजयजी श्वेताम्बर हैं, यह बात तो निश्चित है; क्योंकि टिप्पण के अन्त में ऐसा उल्लेख है, और दूसरा सबल प्रमाण तो उनका बालावबोध-टिप्पण ही है। मूत्र का पाठभेद और मूत्रों की संख्या दिगम्बरीय स्वीकार करने पर भी उसका अर्थ किसी जगह उन्होंने दिगम्बर परम्परा के अनुकूल नहीं किया। हाँ, यही एक प्रश्न होता है, और वह यह कि श्वेताम्बर होते हुए भी यशोविजयजी ने दिगम्बर सूत्रपाठ कैसे लिखा होगा? क्या वे श्वेताम्बर सूत्रपाठ से परिचित नहीं थे, या परिचित होने पर भी उन्हें दिगम्बर सूत्रपाठ में ही श्वेताम्बर सूत्रपाठ की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिखाई दिया होगा? इसका उत्तर यही उचित जान पड़ता है कि वे श्वेताम्बर सूत्रपाठ से परिचित तो अवश्य होंगे ही और उनकी दृष्टि में उनी पाठ का महत्त्व भी होगा ही; क्योंकि वेमा न होता वे श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार टिप्पणी रचते ही नहीं; ऐसा होने

१ " इति श्वेताम्बराद्यायंश्रीउमास्वामिगण(नि)रुततएवायंमूत्रं तस्य बालावबोधः श्रीयशोविजयगणिरुतः समाप्तः । "—प्रवर्तक श्रीशान्तिवर्मा के शास्त्र संग्रह में की दिगिता टिप्पणों की पुस्तक।

२ इसे स्वीकार करनेमें अस्वाद भी है जो कि बहुत ही घोर है। उदाहरण के तौर पर अष्टाध्याय ४ का १९ वीं मूत्र इन्होंने दिगम्बर सूत्रपाठ में से नहीं लिया। दिगम्बर गौतम स्वर्ग मानते हैं इस लिये उनका पाठ उनी में श्वेताम्बरीयता नहीं रह सकती, इससे इन्होंने इस स्थान पर श्वेताम्बर सूत्रपाठों में से ही शब्द श्रवणों का नामावाय मूत्र लिया है।

पर भी उन्होंने दिगम्बर सूत्रपाठ ग्रहण किया इसका कारण यह होना चाहिए कि जिस सूत्रपाठ के आधार पर सभी दिगम्बर विद्वान् हजार वर्षों से दिगम्बर परम्परा के अनुसार ही श्वेताम्बर आगमोंसे विरुद्ध अर्थ करते आए हैं, उसी सूत्रपाठ में से श्वेताम्बर परम्परा के ठीक अनुकूल अर्थ निकालना और करना बिलकुल शक्य तथा संगत है, ऐसी छाप दिगम्बर पक्ष पर डालना और साथ ही श्वेताम्बर अभ्यासियों को बतलाना कि दिगम्बर सूत्रपाठ या श्वेताम्बर सूत्रपाठ चाहे जो लो इन दोनों में पाठभेद होते हुए भी अर्थ तो एक ही प्रकार का निकलता है और वह श्वेताम्बर परम्परा के अनुकूल ही है । इससे दिगम्बर सूत्रपाठ से भड़कने की या उसे विरोधी पक्ष का सूत्रपाठ समझ कर फेंक देने की कोई जरूरत नहीं । तुम चाहो तो भाष्यमान्य सूत्रपाठ सीखो या सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ याद करो । तत्त्व दोनों में एक ही है । इस रीति से एक तरफ दिगम्बर विद्वानों को उनके सूत्रपाठ में से सरल रीति से सत्य अर्थ क्या निकल सकता है यह बतलाने के लिये और दूसरी तरफ श्वेताम्बर अभ्यासियों को पक्षभेद के कारण दिगम्बरीय सूत्रपाठ से न भड़के ऐसा समझाने के उद्देश्य से ही, इन यशोविजय जी ने श्वेताम्बरीय सूत्रपाठ छोड़ कर दिगम्बरीय सूत्रपाठ पर टिप्पणी लिखी जान पड़ता है ।

(व) पूज्यपाद

पूज्यपाद का असली नाम देवन्दी है । ये विष्णु की पाँचवीं-छठी शताब्दी में हुए हैं । इन्होंने व्याकरण आदि अनेक विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से कुछ तो उपलब्ध हैं और कुछ अभी तक मिले नहीं । दिगम्बर व्याख्याकारों में पूज्यपाद से पहले सिर्फ शिवकोटि^३ के ही होने की

१ देखो, सर्वार्थसिद्धि २. ५३; ९.११ और १०.९ ।

२ देखो, जैनसाहित्य संशोधक प्रथम भाग पृ० ८३ ।

३ शिवकोटि फुत तत्त्वार्थ व्याख्या उसके अवतरण चर्चरह आज उपलब्ध नहीं हैं । उन्होंने तत्त्वार्थ पर कुछ लिखा था ऐसी सूचना कुछ अर्वाचीन

सूचना मिलती है। इन्हीं की दिगम्बरत्व समर्थक 'सर्वार्थसिद्धि' नाम की तत्त्वार्थव्याख्या पीछे सम्पूर्ण दिगम्बर विद्वानों को आधारभूत हुई है।

(ट) भट्ट अकलङ्क

भट्ट अकलङ्क, विक्रम की सातवीं-आठवीं शताब्दी के विद्वान् हैं। 'सर्वार्थसिद्धि' के बाद तत्त्वार्थ पर इनकी ही व्याख्या मिलती है, जो 'राजवातिक' के नाम से प्रसिद्ध है। ये जैन न्याय प्रस्थापक विद्वान् गण्यमान्य विद्वानों में से एक हैं। इनकी कितनी ही कृतियाँ उपलब्ध हैं जो हर एक जैन न्याय के अभ्यासी के लिये महत्त्व की हैं।

(ठ) विद्यानन्द

ये विद्यानन्द भी विक्रम की नववीं-दसवीं शताब्दी में हुए हैं। इनकी कितनी ही कृतियाँ उपलब्ध हैं^१। ये भारतीय दर्शनों के विशिष्ट अभ्यासी हैं और इन्होंने तत्त्वार्थ पर 'श्लोकवातिक' नाम की पद्यरूप व्याख्या लिख कर कुमारिल जैसे प्रसिद्ध मीमांसक ग्रन्थकारों की शर्तों की हैं और जैन दर्शन पर किये गये मीमांसकों के प्रचण्ड आक्रमण का मरुत उत्तर दिया है।

(ड) श्रुतसागर

'श्रुतसागर' नाम के दिगम्बर गूरि ने तत्त्वार्थ पर टीका लिखी है। ये १६ वीं शताब्दी के विद्वान् हैं। इन्होंने कई ग्रन्थ लिखे हैं। ये भी भारतीय ज्ञान पीठ द्वारा प्रकाशित श्रुतसागरी वृत्ति की प्रस्तावना पृ० १८।

द्वितीयोक्तियों की प्रशंसा पर से होती है। दिगम्बरों के सम्बन्ध में, ये भी मान्यता है। देखो, 'रामायणी समन्तभद्र' पृष्ठ १६।

१ देखो, न्यायसूत्रभाष्य की प्रस्तावना।

२ देखो, भट्टसहस्री और तत्त्वार्थश्लोकवातिक की प्रस्तावना।

(ढ) विबुधसेन, योगीन्द्रदेव, योगदेव, लक्ष्मीदेव
और अभयनन्दिसूरि आदि

अनेक दिग्म्बर विद्वानों ने तत्त्वार्थ पर साधारण संस्कृत व्याख्याएँ लिखी हैं। उनके विषय में मुझे खास परिचय नहीं मिला। इतने संस्कृत व्याख्याकारों के अतिरिक्त तत्त्वार्थ को भाषा में टीका लिखनेवाले अनेक दिग्म्बर विद्वान् ही गए हैं, जिनमें से अनेक ने तो कर्णाटक भाषा में टीकाएँ लिखी हैं और दूसरों ने हिन्दी भाषा में टीकाएँ लिखी हैं।

३. तत्त्वार्थसूत्र ।

तत्त्वार्थशास्त्र का वाह्य तथा आभ्यन्तर सविशेष परिचय प्राप्त करने के लिए—मूल ग्रन्थ के आधार पर नीचे लिखी चार बातों पर विचार किया जाता है—(क) प्रेरक सामग्री, (ख) रचना का उद्देश्य, (ग) रचनाशैली और (घ) विषयवर्णन ।

(क) प्रेरक सामग्री

जिस सामग्री ने ग्रन्थकार को 'तत्त्वार्थसूत्र' लिखने की प्रेरणा की वह मुख्यरूप से चार भागों में विभाजित की जाती है ।

१. आगमज्ञान का उत्तराधिकार—वैदिक दर्शनों में वेद की तरह जैनदर्शन में आगम ग्रन्थ ही मुख्य प्रमाण माने जाते हैं, दूसरे ग्रन्थों का प्रामाण्य आगम का अनुसरण करने में ही है। इस आगमज्ञान का पूर्व परम्परा से चलता आया उत्तराधिकार वाचक उमास्वाति को भली प्रकार मिला था, इससे सभी आगमिक विषयों का ज्ञान उन्हें स्पष्ट तथा व्यवस्थित था ।

२. संस्कृत भाषा—काशी, मगध, बिहार आदि प्रदेशों में रहने तथा विचरने के कारण और कदाचित् ब्राह्मणजाति के कारण वा० उमा-

१ देखो तत्त्वार्थभाष्य के हिन्दी अनुवाद की श्री नाथूरामजी की प्रस्तावना ।

शैली ने याचक उमास्वाति को आकर्षित किया और उसी में-लिवने की प्रेरणा की। जहाँ तक हम जानते हैं जैनसंप्रदाय में संस्कृत भाषा में छोटे छोटे सूत्रों के रचयिता सब से पहले उमास्वाति ही हैं; उनके ऐसे ही ऐसी सूत्रशैली जैन परम्परा में अतीव प्रतिष्ठित हुई और आचार, अलंकार, आचार, नीति, न्याय आदि अनेक विषयों पर श्वेताम्बर, तिस्म्वर दोनों सम्प्रदाय के विद्वानों ने उस शैली में संस्कृत भाषावद्ध ग्रन्थ लिखे।

उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र कणाद के वैशेषिक सूत्रों की तुलना अध्यायों में विनवत हैं; इनकी संख्या मात्र ३४४ जितनी है, परन्तु कणाद के सूत्रों की संख्या ३३३ जितनी ही है। इन अध्यायों में वैशेषिक आदि सूत्रों के सदृश आह्निक-विभाग अथवा ब्रह्मसूत्र आदि के मन्त्र पाद-विभाग नहीं हैं। जैन साहित्य में 'अध्ययन' के स्थान पर 'आध्ययन' का आरंभ करने वाले भी उमास्वाति ही हैं। उनके द्वारा शुरू की गयी आह्निक और पाद-विभाग भी आगे चलकर उनके अनुयायी 'अहंकार' आदि द्वारा शुरू कर दिया गया है। गार्हपत्य रचना में कणादसूत्र के मन्त्र तत्त्वार्थ सूत्र का विनोद साम्य होते हुए भी उनमें एक साम्य जानने योग्य अन्तर है, जो जैनदर्शन के परम्परागत मानन पर प्रकाश डालता है। कणाद अपने मन्त्रों को सूत्र में प्रतिपादित करके, उनको सार्वजनिक रूप से लिये अशावाद गौतम के मन्त्र पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष न करते हुए भी, उनके

इसी वस्तु को वा० उमास्वाति ने विस्तार कर उस में समस्त आगम के मन्त्रों को सूत्र दिया है। उन्होंने अपने सूत्र ग्रंथ का प्रारम्भ भी मोक्षमार्ग प्रथि पादक सूत्र में ही किया है। दिग्देव सम्प्रदाय में ही तत्त्वार्थसूत्र 'मोक्षमार्ग' के नाम से भी प्रसिद्ध है। यौद्ध परम्परा में विष्णुद्विमार्ग अतिमन्त्र का अध्यय प्रसिद्ध है जो बुद्धगौतम के द्वारा पंचवीं गदी के आगे-प्रायः चतुर्थी के रचना गया है और तिसमें समस्त पादों पिटकों का गार है, इसका पूर्वपक्ष विष्णुद्विमार्ग नामक ग्रन्थ भी यौद्ध परम्परा में ही त्रिका अनुवाद की गयी भाग में लिखा है। विष्णुद्विमार्ग और विष्णुद्विमार्ग दोनों मन्त्रों का सर्व मोक्षमार्ग ही है।

पुष्टि में हेतुओं का उपन्यास तो बहुधा करते ही हैं; जब कि वा० उमा-स्वाति अपने एक भी सिद्धान्त की सिद्धि के लिये कहीं भी युक्ति, प्रयुक्ति या हेतु नहीं देते। वे अपने वक्तव्य को स्थापित सिद्धान्त के रूप में ही, कोई भी दलील या हेतु दिये बिना अथवा पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष किये बिना ही योगसूत्रकार 'पतंजलि' की तरह वर्णन करते चले जाते हैं। उमास्वाति के सूत्रों और वैदिक दर्शनों के सूत्रों की तुलना करते हुए एक छाप मन के ऊपर पड़ती है कि जैन परम्परा श्रद्धा-प्रधान है, वह अपने सर्वज्ञ के वक्तव्य को अक्षरशः स्वीकार कर लेती है और उसमें शंका-समाधान का अवकाश नहीं देखती; जिसके परिणामस्वरूप संशोधन, परिवर्धन और विकास करने योग्य अनेक बुद्धि के विषय तर्कवाद के जमाने में भी अचञ्चित रह कर मात्र श्रद्धा के आधार पर आज तक टिके हुए हैं। जब कि वैदिक दर्शन-परम्परा बुद्धिप्रधान होकर अपने माने हुए सिद्धान्तों की परीक्षा करती है; उसमें शंका-समाधान वाली चर्चा करती है और बहुत बार तो पहले से माने जाने वाले सिद्धान्तों को तर्कवाद के बल पर उलट कर नये सिद्धान्तों की स्थापना करती है अथवा उनमें संशोधन-परिवर्धन करती है। सारांश यह है कि जैन परम्परा ने विरासत में मिले हुए तत्त्वज्ञान और आचार को बनाये रखने में जितना भाग लिया है उतना नूतन सर्जन में नहीं लिया।

१ सिद्धसेन, समन्तभद्र आदि जैसे अनेक धुरंधर तार्किकों द्वारा किया हुआ तर्कविकास और तार्किक चर्चा भारतीय विचार विकास में खास स्थान रखते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता; तो भी प्रस्तुत कथन गौण-प्रधानभाव और दृष्टिभेद की अपेक्षा से ही समझने का है। इसे एकाध उदाहरण से समझना ही तो तत्त्वार्थसूत्रों और उपनिषदों आदि को लीजिये। तत्त्वार्थ के व्याख्याकार धुरंधर तार्किक होते हुए भी और सम्प्रदाय भेद में विभक्त होते हुए भी जो चर्चा करते हैं और तर्क बल का प्रयोग करते हैं वह सब प्रथम से स्थापित जैनसिद्धान्त को स्पष्ट करने अथवा उसका समर्थन करने के लिये ही है। इनमें से किसी व्याख्याकार ने नया विचारसर्जन नहीं किया या श्वेताम्बर-दिगम्बर की तार्किक मान्यता में कुछ भी अन्तर

(घ) विषय-वर्णन

विषय की पसंदगी—कितने ही दर्शनों में विषय का वर्णन ही मीमांसा-प्रधान है; जैसा कि वैशेषिक, सांख्य और वेदान्तदर्शन में। वैशेषिक दर्शन अपनी दृष्टि ने जगत् का निरूपण करने हुए उनमें दृश्य वस्तु है? कैसे है? और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे पदार्थों का तथा कैसे है? इत्यादि वर्णन करके मुख्य रूप में जगत् के प्रमेयों की मीमांसा करना ही। सांख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष का वर्णन करके प्रकृति ने जगत् के मूलभूत प्रमेय तत्त्वों की ही मीमांसा करता है। वेदान्तदर्शन भी जगत् के मूलभूत ब्रह्मतत्त्व की ही मीमांसा प्रकृत रूप में करता है। परन्तु कुछ दर्शनों में चारित्र्य की मीमांसा मुख्य है, कि योग और योद्ध दर्शन में। जीवन की शुद्धि क्या? उसे कैसे प्राप्त करने में कौन कौन बाधक है? इत्यादि जीवन सम्बन्धी घटनों का। योगदर्शन ने हेय—दुःख, हेयहेतु—दुःख का कारण, हाय—मोक्ष हेतु—मोक्ष का कारण इत चतुर्भूत का निरूपण करके वेदान्तदर्शन ने चार आर्यमन्त्रों का निरूपण करने, किया है। अर्थात् वेदान्तदर्शनविभाग का विषय जेधतत्त्व और दूसरे दर्शनविभाग का चारित्र्य है।

भगवान् महावीर ने अपनी मीमांसा में जेधतत्त्व और चारित्र्य प्रधान ध्यान दिया है। हमने उनकी तत्त्वमीमांसा एक और और, उनके निरूपण द्वारा जगत् का स्वरूप वर्णन करती है और दूसरी के अन्वय, संघट आदि तत्त्वों का वर्णन करके चारित्र्य का स्वरूप दर्शाते हैं। इनकी तत्त्वमीमांसा का अर्थ है जेध और चारित्र्य पर गमनार्थक

नहीं जाना। जब कि उसीप्रकार, गीता और अष्टांगयोग के अन्वयकार उन्हें ने दर्शा एक स्वरूप चर्चा करते हैं कि उनके बीच अत्यन्त मान्यता में। अन्तर्गत जैसा अन्तर स्पष्ट हो गया है। हमने क्या गुण और क्या दोष यह वर्णन नहीं, वर्णन केवला मस्तुतिवर्णन की वृत्त करना है। गुण दोष स्पष्ट होने में दोनों परस्परार्थों में हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं।

विचार । इस मीमांसा में भगवान् ने नवतत्त्वों को रखकर इन पर की जाने वाली अचल श्रद्धा को जैनत्व की प्राथमिक शर्त के रूप में वर्णन किया है । त्यागी या गृहस्थ कोई भी महावीर के मार्ग का अनुयायी तभी माना जा सकता है जब कि उसने चाहे इन नवतत्त्वों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त न किया हो, तो भी इनके ऊपर वह श्रद्धा रखता ही हो; अर्थात् 'जिनक-यित ये तत्त्व ही सत्य है' ऐसी रुचि-प्रतीति वाला हो । इस कारण से जैनदर्शन में नवतत्त्व जितना दूसरे किसी का भी महत्त्व नहीं है । ऐसी वस्तुस्थिति के कारण ही वा० उमान्वाति ने अपने प्रस्तुत शास्त्र के विषय-रूप से इन नवतत्त्वों को पसन्द किया और उन्हीं का वर्णन सूत्रों में सात श्लोका द्वारा करके उन सूत्रों के विषयानुरूप 'तत्त्वार्थाधिगम' ऐसा नाम दिया । वा० उमान्वाति ने नवतत्त्वों की मीमांसा में ज्ञेय प्रधान और चारित्र्य प्रधान दोनों दर्शनों का समन्वय देखा; तो भी उन्होंने उसमें अपने समय में विशेष चर्चाप्राप्त प्रमाण मीमांसा के निरूपण को उपयोगिता महसूस की; इससे उन्होंने अपने ग्रन्थ को अपने ध्यान में आनेवाली सभी मीमांसाओं से परिपूर्ण करने के लिये नवतत्त्व के अनिरीकृत ज्ञान-मीमांसा को विषय रूप से स्वीकार करके तथा न्यायदर्शन की प्रमाणमीमांसा की जगह जैन ज्ञानमीमांसा कैसी है उसे बतलाने के लिये अपने ही सूत्रों में योजना की । इनसे समुच्चय रूप से ऐसा कहना चाहिये कि वा० उमान्वाति ने अपने सूत्र के विषय रूप से ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र्य इन तीनों मीमांसाओं को जैन दृष्टि के अनुसार लिया है ।

विषय का विभाग—पसंद किये हुए विषय को वा० उमान्वाति ने अपनी दशाध्यायी में इस प्रकार से विभाजित किया है—पहले अध्याय में ज्ञान की, दूसरे से पाँचवें तक चार अध्यायों में ज्ञेय की और छठे से दसवें तक पाँच अध्यायों में चारित्र्य की मीमांसा की है । उक्त तीनों मीमांसाओं को क्रमशः मुख्य नार बातें देकर प्रत्येक की दूसरे दर्शनों के साथ यहाँ संक्षेप में तुलना की जाती है ।

ज्ञानमीमांसा की सारभूत बातें—पहले अध्याय में ज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली मुख्य बातें आठ हैं और वे इस प्रकार हैं:—१ नय और प्रमाण

रूप से ज्ञान का विभाग । २ मति आदि आगम प्रसिद्ध पाँच ज्ञानों में उनका प्रत्यक्ष परोक्ष दो प्रमाणों में विभाजन । ३ मतिज्ञान की उत्पत्ति साधन, उनके भेद-प्रभेद और उनकी उत्पत्ति के क्रमबद्ध प्रकार । ४ वे परम्परा में प्रमाण माने जानेवाले आगम शास्त्र का धृतमान रूप से ब्रह्म, ५ अवधि आदि तीन दिव्य प्रत्यक्ष और उनके भेद-प्रभेद तथा पारमार्थिक अन्तर । ६ इन पाँचों ज्ञानों का तात्पर्य बतलाते हुए उनका विषय वस्तु और उनकी एक साथ संभवनीयता । ७ जितने ज्ञान प्रमाणात्मक होते हैं सन्तों हैं वह और ज्ञान की यथार्थता और अवयवार्थता के कारण । ८ के भेद-प्रभेद ।

तुलना—ज्ञानमीमांसा में जो ज्ञानवर्षा है वह 'प्रवचनसार' ज्ञानाधिकार जैसी सारंगपुरस्सर और दार्शनिक शैली की नहीं; बल्कि सूत्र की ज्ञानवर्षा जैसी आगमिक शैली की होकर ज्ञान के सम्पूर्ण प्रभेदों का तथा उनके विषयों का मान वर्णन करनेवाली और ज्ञान-भेद के बीच का भेद बतानेवाली है । इसमें जो अवग्रह, ईहा आदि तीनों ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम सूचित किया गया है वह न्यायशास्त्र में आयाती निमित्तम्, मविकल्प ज्ञान की और शौड अभिधम्मत्थमंगहो में आयाती ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया का स्मरण कराता है; इसमें जो अवधि आदि तीन दिव्य प्रत्यक्ष ज्ञानों का वर्णन है वह वैदिक और शौड दर्शन के विद्योगी तथा ईश्वर के ज्ञान का स्मरण कराता है । इसके दिव्य इतर बन्धित मनःपर्याय वा निरूपण योगदर्शन और शौडदर्शन के परस्परता को सादर दिखता है । इसमें जो प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से प्रमाणों का विवरण है वह वैदिक और शौडदर्शन में बन्धित दो प्रमाणों का, मति

(१) १. १२-१९ । (२) श्रुतार्थकी का० ५२ में आते । (३) श्रुतः १ परिभाषा ८ में । (४) १. २१-२६ और ३० । (५) प्रवचनसारकी पृ० १८७ । (६) ३. १९ । (७) अभिधम्मत्थमंगहो परि० १ श्रुतार्थ और न्यायार्थ का परमंशपह पृ० ४ । (८) १. १०-१२ । (९) प्रवचनसारकी पृ० २११ १० १२ और न्यायविवृति १. २ ।

योगदर्शन में वर्णित^१ तीन प्रमाणों का, न्यायदर्शन^२ में प्ररूपित चार प्रमाणों का और मीमांसादर्शन^३ में प्रतिपादित छः आदि प्रमाणों के विभागों का समन्वय है। इस ज्ञानमीमांसा में जो ज्ञान-अज्ञान^४ का विवेक है वह न्याय-दर्शन^५ को यथार्थ-अयथार्थ बुद्धि का तथा योगदर्शन^६ के प्रमाण और विषय का विवेक—जैसा है। इसमें जो नय^७ का स्पष्ट निरूपण है वैसा दर्शनान्तर में कहीं भी नहीं। संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि वैदिक और बौद्धदर्शन में वर्णित प्रमाणमीमांसा के स्थान पर जैनदर्शन क्या मानता है वह सब तफसीलवार प्रस्तुत ज्ञानमीमांसा में वा० उमास्वाति ने दरसाया है।

ज्ञेयमीमांसा की सारभूत बातें—जैयमीमांसा में जगत के मूलभूत जीव और अजीव इन दो तत्त्वों का वर्णन है; इनमें से मात्र जीवतत्त्व की चर्चा दूसरे से चौथे तक तीन अध्यायों में है। दूसरे अध्याय में जीवतत्त्व के सामान्य स्वरूप के अतिरिक्त ससारी जीव के अनेक भेद-प्रभेदों का और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेक बातों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में अधोलोक में बसनेवाले नारको और मध्यलोक में बसनेवाले मनुष्यों तथा पशु-पक्षी आदि का वर्णन होने से उनसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेक बातों के साथ पाताल और मनुष्य लोक का सम्पूर्ण भूगोल आ जाता है। चौथे अध्याय में देव-सृष्टि का वर्णन होने से उसमें खगोल के अतिरिक्त अनेक प्रकार के दिव्य धामों का और उनकी समृद्धि का वर्णन है। पाँचवें अध्याय में प्रत्येक द्रव्य के गुणधर्म का वर्णन करके उसका सामान्य स्वरूप बतला कर साधर्म्य-वैधर्म्य द्वारा द्रव्य मात्र की विस्तृत चर्चा की है।

ज्ञेयमीमांसा में मुख्य सोलह बातें आती हैं जो इस प्रकार हैं:—

दूसरे अध्याय में—१ जीवतत्त्व का स्वरूप । २ ससारी जीव के भेद । ३ इन्द्रिय के भेद-प्रभेद, उनके नाम, उनके विषय और जीवराशि में इंद्रियों

(१) ईश्वरकृष्ण कृत सांख्यकारिका का० ४ और योगदर्शन १.७ । (२) १. १. ३ । (३) शाबर-भाष्य १. ५ । (४) १, ३३ । (५) तत्कसंग्रह—बुद्धि-निरूपण । (६) योगसूत्र १. ६ । (७) १. ३४-३५ ।

नमुद्रों का; तथा ऊर्ध्वलोक मन्वन्थी विविध स्वर्गों का; उनमें ब्रह्मदेवों
 देवराजियों का, उनके आयुष्यों का; उनकी स्त्रियों, परिवार आदि भोगों का
 और उनके रत्न-महान का जो विस्तृत वर्णन है वह तत्त्वार्थ के तीसरे, चौथे
 अध्याय की वैश्वदेव-प्रकृति की अपेक्षा कमती मालूम होता है। इनो दश
 'बौद्धप्रयोगों' में वर्णित होय, समुद्र, पाताल, शीत-उष्ण, नारक और विविध
 देवों का वर्णन भी तत्त्वार्थ की वैश्वदेव-प्रकृति की अपेक्षा संक्षिप्त ही है।
 ऐसा होते हुए भी इन वर्णनों का शब्दमात्र्य और विचारमरणी की समानता
 देखकर भाष्य दर्शनो की जूझो जूझो नागाओं का एक मूल शोधने की प्रेरणा
 हो जाती है।^१

पाँचवाँ अध्याय बस्तु, शैली और परिभाषा में दूमेरे विमी भी-सर्वे
 की अपेक्षा वैश्वदेविक और साम्य दर्शन के माय अधिक साम्य रखता है। इनका
 यहूद्वयवाद वैश्वदेविकदर्शन^२ के यहूद्वयवाद को याद दिखता है। इसमें दूमेरे
 मायस्म-वैधर्म्य-वाली शैली वैश्वदेविक दर्शन^३ का प्रतिबिम्ब हो ऐसा प्रतीत
 होता है। यद्यपि यमांस्त्रिणाय^४ अवर्मास्त्रिणाय इन दो दूमेरे की कल्पना दूमेरे
 विमी दर्शनवाद में नहीं ही और 'अनन्ददर्शन' आत्मरक्षण^५ भी दूमेरे लक्ष्य
 दर्शनो की ओरता जूझो ही प्रकार का है, तो भी आत्मवाद और यहूद्वयवाद के
 मन्वन्थ्य रखनेवाली यहूद्वय-वाले वैश्वदेविक, मांस्त्रिणाय आदि के माय अधिक
 साम्य रखती है। 'अनन्ददर्शन'^६ की तरह व्याप, वैश्वदेविक^७, मांस्त्रिणाय^८ दर्शन

१. यमांस्त्रिणाय पृ० २१-३१ तथा अनियन्त्रित-चर्चापत्रो पृ० ५-६ पृ० ३६
 आगे। २. तत्त्वार्थ की भुक्तगायकृत शृति की प्रस्तावना (पृ० ८३) में
 ३. महेन्द्रकुमार ने यौद्ध, वैदिक भिन्न भिन्न ज्ञानो में यौद्ध का जो विस्तृत
 वर्णन उद्धृत किया है यह पुस्तक भूगोल-संज्ञा के विस्तृत वर्णन
 देखने योग्य है। ३. १. ४। ४. यमांस्त्रिणाय पृ० २६ में। ५. पृ० १३ और
 ५. १३; शिवाय विद्यार्थ के विवेक देखो, 'अनन्ताहि-यत्तज्जोषक' पृ० १३
 आदि पृ० तथा यौद्ध। ६. तत्त्वार्थ ५. १५-१६। ७. तत्त्वार्थ ५. ३।
 ८. 'व्यापकवादी माता- ' ३. २ २०। ९. 'पुस्तकसूचक विज्ञान-
 सन्देशिका १८।

दर्शन भी आत्मबहुत्ववादी हो है। जैनदर्शन का पुद्गलवाद ^१ वैशेषिकः दर्शन के परमाणुवाद ^२ और सांख्य दर्शन के प्रकृतिवाद ^३ के समन्वय का मान करता है; क्योंकि इसमें आरंभ और परिणाम उभयवाद का स्वरूप आता है। एक तरफ तत्त्वार्थ में कालद्रव्य को मानने वाले मतान्तर ^४ का किया हुआ उल्लेख और दूसरी तरफ उसके निश्चित रूप से बतलाये हुए लक्षणों ^५ पर से ऐसा मानने के लिये जी चाहता है कि जैन तत्त्वज्ञान के व्यवस्थापकों के ऊपर कालद्रव्य के विषय में वैशेषिक ^६ और साम्ख्य दोनों दर्शनों के मंतव्य की स्पष्ट छाप है; क्योंकि वैशेषिक दर्शन काल को स्वतंत्र द्रव्य मानता है, जब कि सांख्य दर्शन ऐसा नहीं मानता। तत्त्वार्थ में सूचित किये गये कालद्रव्य के स्वतंत्र अस्तित्व-नास्तित्व-विषयक दोनों पक्ष, जो आगे जाकर दिग्म्बर ^७ और श्वेताम्बर परम्परा की जुदी जुदी मान्यता रूप से विभाजित हो गये हैं, पहले से ही जैनदर्शन में होंगे या उन्होंने वैशेषिक और सांख्यदर्शन के विचार सघर्ष के परिणामस्वरूप किसी समय जैनदर्शन में स्थान प्राप्त किया होगा, यह एक शोध का विषय है। परन्तु एक बात तो दीपक जैसी स्पष्ट है कि मूल तत्त्वार्थ और उसकी व्याख्याओं ^८ में जो काल के लिंगो का वर्णन है वह वैशेषिक सूत्र के साथ शब्दग मिलता जुलता है। सत् और नित्य की तत्त्वार्थगत व्याख्या यदि किसी भी दर्शन के साथ सादृश्य रखती हो तो वह सांख्य और योग दर्शन हो है; इनमें वर्णित परिणामिनित्य का स्वरूप तत्त्वार्थ के सत् और नित्य के साथ शब्दशः मिलता है। वैशेषिक दर्शन में परमाणुओं में द्रव्यारम्भ को त्रि योग्यता ^९ बतलाई गई है वह तत्त्वार्थमें ^{१०} वर्णित पीद्गलिक बय—द्रव्यारम्भ की योग्यता की अपेक्षा जुदे ही प्रकार की है। तत्त्वार्थ

१. तत्त्वार्थ पृ. २३-२८। २. देखो, 'तर्कसंग्रह' पृथ्वी आदि भूतों का

निरूपण। ३. सांख्यकारिका २२ से आगे। ४. पृ. ३८, ५. ५. २२।

६. २. २. ६। ७. देखो, कुन्दकुन्द के प्रवचनसार और पंचास्तिकाय का

कालनिरूपण तथा सर्वार्थसिद्धि पृ. ३९। ८. देखो, भाष्यवृत्ति पृ. २२ और

प्रस्तुत परिचय पृ० ११। ९. प्रशस्तपाद, वायुनिरूपण पृ० ४८।

१०. पृ. ३२-३५।

समुद्रों का; तथा ऊर्ध्वलोक सम्बन्धी विविध स्वर्गों का; उनमें बसनेवाले देवजातियों का; उनके आयुषों का; उनकी स्त्रियों, परिवार आदि भागों का और उनके रहन-सहन का जो विस्तृत वर्णन है वह तत्त्वार्थ के तीसरे, चौथे अध्याय की श्रैलोक्य-प्रज्ञप्ति की अपेक्षा कमती मालूम देता है। इसी प्रकार 'बौद्धग्रंथों' में वर्णित द्वीप, समुद्र, पाताल, द्यौत-उष्ण, नारक और विविध देवों का वर्णन भी तत्त्वार्थ की श्रैलोक्यप्रज्ञप्ति की अपेक्षा संक्षिप्त ही है। ऐसा होते हुए भी इन वर्णनों का शब्दसाम्य और विचारसरणी की समानता देखकर आर्य दर्शनों की जुड़ी जुड़ी शाखाओं का एक मूल शोधने की प्रेरणा हो आती है।^१

पाँचवाँ अध्याय वस्तु, शैली और परिभाषा में दूसरे किसी भी दर्शन की अपेक्षा वैशेषिक और सांख्य दर्शन के साथ अधिक नाम्य रखता है। इसका पद्मद्वयवाद वैशेषिकदर्शन^२ के पदपदार्थवाद की याद दिलाता है। इसमें प्रयुक्त साधर्म्य-वैधर्म्य-वाली शैली वैशेषिक दर्शन^३ का प्रतिबिम्ब हो ऐसा भासता होता है। यद्यपि धर्मास्तिकाय^४ अधर्मास्तिकाय इन दो द्रव्यों की कल्पना दूसरे किसी दर्शनकार ने नहीं की और जैनदर्शनका आत्मस्वरूप^५ भी दूसरे सभी दर्शनों की अपेक्षा जुड़े हो प्रकार का है, तो भी आत्मवाद और पुद्गलवाद में सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सी बातें वैशेषिक, सांख्य आदि के साथ अधिक साम्य रखती हैं। जैनदर्शन^६ की तरह ग्याय, वैशेषिक^७, सांख्य^८ आदि

१. धर्मसंग्रह पृ० २९-३१ तथा अभिघम्मत्यसंग्रहो परि० ५ पैरा ३ में आगे। २. तत्त्वार्थ की श्रुतसागरकृत वृत्ति की प्रस्तावना (पृ० ८६) में पं० महेन्द्रकुमार ने बौद्ध, वैदिक भिन्न भिन्न ग्रन्थों से श्लोक का जो विस्तृत वर्णन उद्धृत किया है वह पुरातन भूगोल खगोल के जिज्ञासुओं को देखने योग्य है। ३. १. ४। ४. प्रशस्तपाद पृ० १६ से। ५. ५. १ और ५. १७; विशेष विवरण के लिये देखो, 'जैनसाहित्यसंशोधक' खण्ड तृतीय अङ्क पहला तथा चौथा। ६. तत्त्वार्थ ५. १५-१६। ७. तत्त्वार्थ ५. २। ८. "व्यवस्यातो नाना-" ३. २. २०। ९. "पुरुषयद्गुणं सिद्धम्-सांख्यकारिका १८।

दर्शन भी आत्मबहुत्ववादी ही है। जैनदर्शन का पुद्गलवाद ^१ वैशेषिक दर्शन के परमाणुवाद ^२ और सांख्य दर्शन के प्रकृतिवाद ^३ के समन्वय का भाव करता है; क्योंकि इसमें आरंभ और परिणाम उभयवाद का स्वरूप आता है। एक तरफ तत्त्वार्थ में कालद्रव्य को मानने वाले मतान्तर ^४ का किया हुआ उल्लेख और दूसरी तरफ उसके निश्चित रूप से बतलाये हुए लक्षणों ^५ पर से ऐसा मानने के लिये जी चाहता है कि जैन तत्त्वज्ञान के व्यवस्थापकों के ऊपर कालद्रव्य के विषय में वैशेषिक ^६ और सांख्य दोनों दर्शनों के मतव्य को स्पष्ट छाप है; क्योंकि वैशेषिक दर्शन काल को स्वतंत्र द्रव्य मानता है, जब कि सांख्य दर्शन ऐसा नहीं मानता। तत्त्वार्थ में सूचित किये गये कालद्रव्य के स्वतंत्र अस्तित्व-नास्तित्व-विषयक दोनों पक्ष, जो आगे जाकर दिगम्बर ^७ और श्वेताम्बर परम्परा की जुदी जुदी मान्यता रूप से विभाजित हो गये हैं, पहले से ही जैनदर्शन में होंगे या उन्होंने वैशेषिक और सांख्यदर्शन के विचार संघर्ष के परिणामस्वरूप किसी समय जैनदर्शन में स्थान प्राप्त किया होगा, यह एक शोध का विषय है। परन्तु एक बात तो दीपक जैसी स्पष्ट है कि मूल तत्त्वार्थ और उसकी व्याख्याओं ^८ में जो काल के लिंगों का वर्णन है वह वैशेषिक सूत्र के साथ शब्दशः मिलता जुलता है। सत् और नित्य की तत्त्वार्थगत व्याख्या यदि किसी भी दर्शन के माथ सादृश्य रखती हो तो वह सांख्य और योग दर्शन हो रें; इनमें वर्णित परिणामिनित्य का स्वरूप तत्त्वार्थ के सत् और नित्य के माथ शब्दशः मिलता है। वैशेषिक दर्शन में परमाणुओं में द्रव्यारम्भ की जो योग्यता ^९ बतलाई गई है वह तत्त्वार्थमें ^{१०} वर्णित पीद्गलिक पथ—द्रव्यारम्भ की योग्यता की अपेक्षा जुदे ही प्रकार की है। तत्त्वार्थ

१. तत्त्वार्थ ५. २३-२८। २. देखो, 'तर्कसंग्रह' पृथ्वी आदि भूतों का निरूपण। ३. सांख्यकारिका २२ से आगे। ४. ५. ३८, ५. ५. २२। ६. २. २, ६। ७. देखो, कुन्दकुन्द के प्रवचनसार और पंचास्तिकाय का कालनिरूपण तथा सर्वार्थसिद्धि ५. ३९। ८. देखो, भाष्यवृत्ति ५. २२ और प्रस्तुत परिचय पृ० ११। ९. प्रशस्तपाद, वायुनिरूपण पृ० ४८। १०. ५. ३२-३५।

की ' द्रव्य और गुण की व्याख्या वैशेषिक दर्शन की व्याख्या के भाग अधिक ^२ सादृश्य रखती है। तत्त्वार्थ और सांख्य योग दर्शन की परिणाम-सम्बन्धी परिभाषा समान ही हैं। तत्त्वार्थ का द्रव्य, गुण और पर्याय रूप से मत् पदार्थ का विवेक सांख्य के सत् और परिणामवाद की तथा वैशेषिक दर्शन के द्रव्य, गुण और कर्म को मुख्य सत् मानने की प्रवृत्ति की माद दिलाता है।

चारित्रमीमांसा की सारभूत बातें—जीवन में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हेय हैं, ऐसी हेय प्रवृत्तियों का मूल बोज क्या है, हेय प्रवृत्तियों को सेवन करनेवालों के जीवन में कैसा परिणाम आता है, हेय प्रवृत्तियों का त्याग शक्य हो तो वह किस २ प्रकार के उपायों से हो सकता है, और हेय प्रवृत्तियों के स्थान में किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ जीवन में दाखिल करना, उसका परिणाम जीवन में क्रमशः और अन्त में क्या आता है—ये सब विचार छठे से दसवें अध्याय तक की चारित्रमीमांसा में आते हैं। ये सब विचार जैनदर्शन की बिल्कुल जुदी परिभाषा और सांप्रदायिक प्रणाली के कारण मानो किसी भी दर्शन के साथ साम्य न रखते हों ऐसा आपाततः भास होता है; तो भी बौद्ध और योग दर्शन का सूक्ष्मता से अभ्यास करने वाले को यह मालूम हुए बिना कभी नहीं रहता कि जैन चारित्र मीमांसा का विषय चारित्र-प्रधान उक्त दो दर्शनों के साथ अधिक से अधिक और अद्भुत रीति से साम्य रखता है। यह साम्य भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित, जुदी जुदी परिभाषाओं में संगठित और उन शाखाओं में न्यूनाधिक विकास प्राप्त परन्तु असल में आर्य जाति के एक ही आचारदाय—आचार विषयक उत्तराधिकार का मान करता है।

चारित्र मीमांसा की मुख्य बातें ग्यारह हैं। छठे अध्याय में—आस्रव का स्वरूप, उसके भेद और किस किस प्रकार के आस्रवसेवन कीन कौन कर्म बंधते हैं उसका वर्णन। सातवें अध्याय में—२ व्रत व

स्वरूप, व्रत लेने वाले अधिकारियों के भेद और व्रत की स्थिरता के मार्ग ।
 ३ हिंसा आदि दोषों का स्वरूप । ४ व्रत में सम्भविता दोष । ५ दान का
 स्वरूप और उसके तारतम्य के हेतु । आठवें अध्याय में—६ कर्मबन्ध के मूल-
 हेतु और कर्मबन्ध के भेद । नववें अध्याय में—संवर और उसके विविध
 उपाय तथा उसके भेद-प्रभेद । ८ निर्जरा और उसका उपाय । ९ जुदे जुदे
 अधिकार वाले साधक और उनकी मर्यादा का तारतम्य । दसवें अध्याय
 में—१० केवलज्ञान के हेतु और मोक्ष का स्वरूप । ११ मुक्ति प्राप्त
 करने वाले आत्मा को किस रीति से कहाँ गति होती है उसका वर्णन ।

तुलना—तत्त्वार्थ की चारित्र्य मीमांसा प्रवचनसार के चारित्र्य वर्णन से
 जुड़ी पड़ती है; क्योंकि उसमें तत्त्वार्थ के सदृश आस्रव, संवर आदि तत्त्वों
 की चर्चा नहीं; उसमें तो केवल साधु की दशा का और वह भी दिगम्बर
 साधु के खास अनुकूल पड़े ऐसा वर्णन है । पंचास्तिकाय और समयसार में
 तत्त्वार्थ के सदृश ही आस्रव, संवर, बंध आदि तत्त्वों को लेकर चारित्र्य
 मीमांसा की गई है, तो भी इन दो के बीच अन्तर है और वह यह कि
 तत्त्वार्थ के वर्णन में निश्चय की अपेक्षा व्यवहार का चित्र अधिक खींचा
 गया है, इसमें प्रत्येक तत्त्व से संबन्ध रखने वाली सभी बातें हैं और त्यागी
 गृहस्थ तथा साधु के सभी प्रकार के आचार तथा नियम वर्णित हैं जो
 जैनसंघ का संगठन सूचित करते हैं; जब कि पंचास्तिकाय और समयसार
 में वंसा नहीं, उसमें तो आस्रव, संवर आदि तत्त्वों की निश्चयगामी तथा
 उपपत्ति-चर्चा है, उनमें तत्त्वार्थ के सदृश जैन गृहस्थ तथा साधु के प्रचलित
 व्रत का वर्णन नहीं है ।

योगदर्शन के साथ प्रस्तुत चारित्र्य मीमांसा की तुलना को जितना
 अवकाश है उतना ही यह विषय रसप्रद है; परन्तु यह विस्तार एक स्वतंत्र
 लेख का विषय होने से यहाँ उसको स्थान नहीं, तो भी अभ्यासियों का
 ध्यान खींचने के लिये, उनकी स्वतन्त्र तुलनाशक्ति पर विश्वास रख
 कर नीचे संक्षेप में तुलना करने योग्य मार व्रतों को एक सूची दी
 जाती है:—

तत्त्वार्थसूत्र

- १ कायिक, वाचिक, मानसिक प्रवृत्ति रूप आस्रव (६, १)
- २ मानसिक आस्रव (८, १)
- ३ सकपाय और अकपाय यह दो प्रकार का आस्रव (६, ५)
- ४ मुख-दुःख-जनक शुभ, अशुभ आस्रव (६, ३-४)
- ५ मिथ्यादर्शन आदि पांच बन्ध के हेतु (८, १)
- ६ पाँचों में मिथ्यादर्शन की प्रधानता.
- ७ आत्मा और कर्म का विलक्षण सम्बन्ध सो बन्ध (८, २-३)
- ८ बन्ध ही शुभ अशुभ हेतु विपाक का कारण है
- ९ अनादि बन्ध मिथ्यादर्शन के अधीन है
- १० कर्मों के अनुभागबन्ध का आधार कपाय है (६, ५)
- ११ आत्मनिरोध यह सवर (९, १)
- १२ गुप्ति, समिति आदि और विविध तप आदि ये सवर के उपाय (९, २-३)
- १३ अहिंसा आदि महाव्रत (७, १)

योगदर्शन

- १ कर्माशय (२, १२)
- २ निरोध के विषय रूप से ली जानेवाली चित्त वृत्तियों (१६)
- ३ विलम्ब और अविलम्ब दो प्रकार का कर्माशय (२, १२)
- ४ मुख-दुःख-जनक पुण्य, अपुण्य कर्माशय (२, १४)
- ५ अविद्या आदि पांच बन्धों के क्लेश (२, ३)
- ६ पाँचों में अविद्या की प्रधानता (२, ४)
- ७ पुरुष और प्रकृति का विलक्षण संयोग सो बन्ध (२, १७)
- ८ पुरुष प्रकृति का संयोग ही हेतु-दुःख का हेतु है (२, १७)
- ९ अनादि संयोग अविद्या के अधीन है (२, २४)
- १० कर्मों के विपाकजनन का मूल क्लेश है (२, १३)
- ११ चित्तवृत्तिनिरोध यह योग (१, २)
- १२ यम, नियम आदि और अभ्यास, वैराग्य आदि योग के उपाय (१, १२ से और २, २९ से)
- १३ अहिंसा आदि सार्वभौम यम (२, ३०)

- हिंसा आदि वृत्तियों में ऐहिक, पारलौकिक दोषों का दर्शन करके उन वृत्तियों को रोकना (७, ४)
- हिंसा आदि दोषों में दुःखपने ही ही भावना करके उन्हें त्यागना (७, ५)
- मैत्री आदि चार भावनाएँ (७, ६)
- पृथक्त्ववितर्कसविचार और एकत्ववितर्कनिर्विचार आदि चारशुक्ल ध्यान(९, ४१-४६)
- निर्जरा और मोक्ष (९, ३ और १०, ३)
- ज्ञानसहित चारित्र ही निर्जरा और मोक्ष का हेतु (१, १)
- जातिस्मरण, अवधिज्ञानादि दिव्य ज्ञान और चारण विद्यादि लब्धियाँ (१, १२ और १०, ७ का भाष्य)
- केवलज्ञान (१०, १)
- १४ प्रतिपक्ष भावना-द्वारा हिंसा आदि वितर्कों को रोकना (२, ३३-३४)
- १५ विवेकी की दृष्टि में संपूर्ण कर्माशय दुःखरूप ही है (२, १५)
- १६ मैत्री आदि चार^१ भावनाएँ (१, ३३)
- १७ सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार रूप चार^२ संग्रजात समाधियाँ (१, १६ और ४१, ४४)
- १८ आंशिकहान-बन्वोपरम और सर्वथा हान^३ (२, २५)
- १९ सागयोगसहित विवेकख्याति ही हान का उपाय (२, २६)
- २० संयमजनित वैसी ही विभूतियाँ^४ (२, २९ और ३, १६ से आगे)
- २१ विवेकजन्य तारक ज्ञान (३, ५४)

१. ये चार भावनाएँ बौद्ध परम्परा में 'ब्रह्मविहार' कहलाती हैं और न पर बहुत जोर दिया गया है। २. ये चार ध्यान के भेद बौद्धदर्शन प्रासिद्ध हैं। ३. इसे बौद्धदर्शन में 'निर्वाण' कहते हैं, जो तीसरा आर्यसत्य। ४. बौद्धदर्शन में इनके स्थान में पाँच अभिज्ञाएँ हैं। देखो, धर्मसंग्रह ०४ और अभिघम्मत्तसंगहो परिच्छेद ९ पैरा २४।

२२ शुभ, अशुभ, शुभाशुभ और न शुभ न अशुभ ऐसी कर्म को चतुर्भंगी ।

२२ शुक्ल, कृष्ण, शुक्लकृष्ण और अशुक्लकृष्ण ऐसी चतुष्पदी कर्म जाति (४, ७)

इसके सिवाय, कितनी ही बातें ऐसी भी हैं कि जिनमें से एक बात के ऊपर एक दर्शन द्वारा तो दूसरी बात के ऊपर दूसरे दर्शन द्वारा जोर दिया गया हाने से वह बात उस उस दर्शन के एक भास विषय के तौर पर अथवा एक विशेषता के रूप में प्रसिद्ध हो गई है । उदाहरण के तौर पर कर्म के सिद्धान्तों को लीजिये । बौद्ध और योगदर्शन^१ में कर्म के मूल सिद्धान्त तो हैं ही । योगदर्शन में तो इन सिद्धान्तों का तत्काल-वार वर्णन भी है; तो भी इन सिद्धान्तों के विषय का जैन दर्शन में एक विस्तृत और गहरा शास्त्र बन गया है, जैसा कि दूसरे किसी भी दर्शन में नहीं दिखाई देता । इसी में चारित्र्यमीमांसा में, कर्म के सिद्धान्तों का वर्णन करते हुए, जैनसम्मत सम्पूर्ण कर्मशास्त्र^२ वाचक उमास्वाति ने संक्षेप में ही समाविष्ट कर दिया है । उसी प्रकार तात्त्विक दृष्टि से चारित्र्य की मीमांसा जैन, बौद्ध और योग तीनों दर्शनों में समान होते हुए भी कुछ कारणों से व्यवहार में अन्तर पड़ा हुआ नजर पड़ता है; और यह अन्तर ही उस उस दर्शन के अनुगामियों की विशेषता रूप हो गया है । क्लेश और कर्माय का त्याग ही सभी के मत में चारित्र्य है, उसको सिद्ध करने के अनेक उपायों में से कोई एक के ऊपर तो दूसरा दूसरे के ऊपर अधिक जोर देता है । जैन आचार के संगठन में देहदमन^३ की प्रधानता दिखाई देती है, बौद्ध आचार के संगठन में देहदमन की जगह ध्यान पर जोर दिया गया है और योगदर्शनानुसारी परिव्राजकों के आचार के संगठन में प्राणायाम, शौच आदि के ऊपर अधिक जोर दिया गया है । यदि मुख्य चारित्र्य की सिद्धि में ही देहदमन, ध्यान तथा प्राणायाम आदि का बराबर उपयोग होवे तब तो इनमें से प्रत्येक का समान ही महत्त्व है; परन्तु जब ये बाह्य अंग मात्र

१. देखो, २. ३-१४ । २. तत्त्वार्थ ६. ११-२६ और ८. ४-२६ ।

३. तत्त्वार्थ १. १ "देहदुक्खं महाकलं"—दशरथकालिक अ० ८ उ० २ ।

बहार की लीक जैसे बन जाते हैं और उनमें से मुख्य चारित्र्य की सिद्धि आत्मा उड़ जाती है तभी इनमें विरोध की दुर्गंध आती है, और एक संप्रदाय के आचार की निरर्थकता बतलाता है। बौद्ध साहित्य में और बौद्ध अनुगामी वर्ग में जैनो के देहदमनप्रधान तप^१ की निन्दा दिखाई जाती है, जैन साहित्य और जैन अनुगामी वर्ग में बौद्धों के सुखशील वर्तन और ध्यान का तथा परिव्राजकों के प्राणायाम और शौच का परिहास^२ दिखाई देता है। ऐसा होने से उस उस दर्शन की चारित्र्य-मीमांसा के ग्रंथों में व्यावहारिक जीवन में सम्बन्ध रखने वाला वर्णन विशेष भिन्न दिखलाई देता है तो वह स्वाभाविक है। इसी से तत्त्वार्थ की चारित्र्यमीमांसा में हम प्राणायाम या शौच के ऊपर एक भी सूत्र नहीं देखते, तथा ध्यान का उनमें अधिक वर्णन होते हुए भी उसको सिद्ध करने के लिये बौद्ध या योग दर्शन वर्णन किये गए हैं जैसे व्यावहारिक उपाय हम नहीं देखते। इसी तरह तत्त्वार्थ में जो परीपहो और तप का विस्तृत तथा व्यापक वर्णन है वैसा ही योग या बौद्ध की चारित्र्यमीमांसा में नहीं देखते।

इसके सिवाय, चारित्र्यमीमांसा के सम्बन्ध में एक बात खास लक्ष्य रखने जैसी है कि उक्त तीनों दर्शनों में ज्ञान और चारित्र्य-मीमांसा दोनों को स्थान होते हुए भी जैन दर्शन में चारित्र्य को ही मोक्ष का प्रधान कारण रूप से स्वीकार कर के ज्ञान को उसका अंगरूप से स्वीकार दिया गया है, जब कि बौद्ध और योग दर्शन में ज्ञान को ही मोक्ष का प्रधान कारण मान कर ज्ञान के अंग रूप से चारित्र्य को स्थान दिया गया है। यह वस्तु उक्त तीनों दर्शनों के साहित्य का और उनके अनुयायी वर्ग के जीवन का चारीकी से अभ्यास करने वाले को मालूम हुए बिना नहीं होना; ऐसा होने में तत्त्वार्थ की चारित्र्य मीमांसा में चारित्र्यलक्षी क्रियाओं का और उनके भेद-प्रभेदों का अधिक वर्णन होना स्वाभाविक ही है।

१ मज्झिमनिकाय सूत्र १४।

२ सूत्रकृतांग अ० ३ उ० ५ गा० ६ की टीका तथा अ० ७ गा० १४ से आगे।

तुलना को पूरा करने से पहले चारित्र्य मीमांसा के अन्तिम मोक्ष के स्वरूप के संबंध में उक्त दर्शनों की क्या और कैसी कल्पना ही भी जान लेना आवश्यक है। दुःख के त्याग में से ही मोक्ष की उत्पन्न होने से सभी दर्शन दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को ही मानते हैं। न्याय^१, वैशेषिक^२, योग और बौद्ध ये चारों ऐसा मानते कि दुःख के नाश के अतिरिक्त मोक्ष में दूसरी है, इससे उनके मत में मोक्ष में यदि सुख ही नहीं, बल्कि उस दुःख के अभाव में ही पर्यवर्तित वेदान्त के सदृश ऐसा मानता है कि मोक्ष नहीं, बल्कि इसमें विषय निरपेक्ष स्वाभाविक सुख है; मात्र सुख ही नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त जगत्गुणों का आविर्भाव जैनदर्शन इस अवस्था में दूसरे दर्शनों की प्रक्रिया ऐसा स्वीकार करने से के स्थान-संबंध में जैन दर्शन का मत सबसे निराला है। बौद्ध दर्शन तो स्वतन्त्र आत्मतत्त्वका स्पष्ट स्थान न होने से मोक्ष के स्थान-संबंध उसमें से किसी भी विचार-प्राप्ति की आशा का स्थान नहीं है। प्राचीन सभी वैदिक दर्शन आत्मविभुत्व-वादी होने से उनके मत में मोक्ष स्थान कोई पृथक् ही ऐसी कल्पना ही नहीं हो सकती; परंतु जैन स्वतंत्र आत्मतत्त्व-वादी है और ऐसा होते हुए भी आत्मविभुत्व-वादी नहीं, इसने उसको मोक्ष का स्थान कहा है इसका विचार करना पड़ता है और यह विचार उसने दरसाया भी है; तत्त्वार्थ के अन्त में बात उमास्वाति कहते हैं कि "भुक्त हुए जीव हर एक प्रकार के शरीर से छूट ऊर्ध्वगामी होकर अन्त में लोक के अग्रभाग में स्थिर होते हैं और वही हमेशा के लिये रहते हैं।"

४. तत्त्वार्थ की व्याख्याएँ

साम्प्रदायिक व्याख्याओं के विषय में 'तत्त्वार्थाधिगम' सूत्र की तुलना 'ब्रह्मसूत्र' के साथ हो सकती है। जिन प्रकार बहुत से विषयों में परस्पर १ देखो १.१.२२। २ देखो ५.२.१८।

विलकुल भिन्न मत रखने वाले अनेक आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र पर व्याख्याएँ लिखी हैं और उसमें से ही अपने वक्तव्य को उपनिषदों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। उसी प्रकार दिगम्बर, श्वेताम्बर इन दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों ने तत्त्वार्थ पर व्याख्याएँ लिखी हैं और इसमें ही अपने परस्पर विरोधी मन्तव्यों को भी आगम के आधार पर फलित करने का प्रयत्न किया है। इस पर मे सामान्य बात इतनी ही सिद्ध होती है कि जैसे ब्रह्मसूत्र की वेदान्त साहित्य में प्रतिष्ठा होने के कारण भिन्न भिन्न मत रखनेवाले प्रतिभाशाली आचार्यों ने उस ब्रह्मसूत्र का आश्रय लेकर उसके द्वारा ही अपने विशिष्ट वक्तव्य को दरसाने की आवश्यकता अनुभव की वैसे ही जैन वाङ्मय में जमी हुई तत्त्वार्थाधिगम की प्रतिष्ठा के कारण उसका आश्रय लेकर दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों को अपने अपने मन्तव्यों को फलित करने की जरूरत हुई है। इतना स्थूल साम्य होते हुए भी ब्रह्मसूत्र की और तत्त्वार्थ की साम्प्रदायिक व्याख्याओंमें एक खास महत्त्व का भेद है कि जगत्, जीव, ईश्वर आदि जैसे तत्त्वज्ञान के मौलिक विषयों में ब्रह्मसूत्र के समिद्ध व्याख्याकार एक दूसरे से बहुत ही भिन्न पड़ते हैं और बहुत बार तो उनके विचारों में पूर्व-पश्चिम जितना अंतर दिखलाई देता है; तब दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदाय का अनुसरण करनेवाले तत्त्वार्थ के व्याख्याकारों में वैसे नहीं है। उनके बीच में तत्त्वज्ञान के मौलिक विषयोंपर कुछ भी भेद नहीं है और जो थोड़ा बहुत भेद है भी वह विलकुल साधारण जैसी बातों में है और वह भी ऐसा नहीं कि जिसमें समन्वय की आवश्यकता ही नहीं प्रयत्न वह पूर्व-पश्चिम-जितना अंतर हो। वस्तुतः जैनतत्त्वज्ञान के मूल सिद्धान्तों के सम्बन्ध में दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदायों में खान मतभेद पड़ा ही नहीं; इससे उनका तत्त्वार्थव्याख्याओं में दिखलाई देनेवाला मतभेद बहुत गम्भीर नहीं गिना जाता।

तत्त्वार्थाधिगम सूत्र के ही ऊपर लिखी हुई प्राचीन, अर्वाचीन, छोटी, बड़ी, संस्कृत तथा लोकिक भाषामय अनेक व्याख्याएँ हैं; परन्तु उनमें से उनका ऐतिहासिक महत्त्व हो, जिन्होंने जैनतत्त्वज्ञान को व्यवस्थित करने

में तथा विकसित करने में प्रधान भाग लिया हो और जिज्ञासा का दार्शनिक महत्त्व हो ऐसी चार ही व्याख्याएँ इन समय मौजूद हैं। इनमें से तीन तो दिगम्बर सम्प्रदाय की हैं, जो माध्य साम्प्रदायिक भेद से नहीं बल्कि विरोध की तीव्रता होने के बाद प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं; और एक खुद सूत्रकार वाचक उमास्वाति की श्रुति है। इनसे इन चार व्याख्याओं के विषय में ही प्रथम यहाँ पर कुछ कहना उचित जान पड़ता है।

(क) माध्य और सर्वार्थसिद्धि

'माध्य' और 'सर्वार्थसिद्धि' इन दोनों टीकाओं के विषय में विचार करने के पहले इन दोनों के सूत्रपाठों के विषय में विचार करना जरूरी है। यथार्थ में एक ही होते हुए भी पीछले साम्प्रदायिक भेद कारण सूत्रपाठ दो हो गये हैं, जिनमें एक श्वेताम्बर और दूसरा दिगम्बर तीर पर प्रसिद्ध है। श्वेताम्बर माने जानेवाले सूत्रपाठ का स्वरूप माध्य के साथ ठीक बैठने से, उसे 'भाष्यमान्य' कह सकते हैं, और दिगम्बर माने जानेवाले सूत्रपाठ का स्वरूप सर्वार्थसिद्धि के साथ ठीक बैठने से उसे 'सर्वार्थसिद्धिमान्य' कह सकते हैं। श्वेताम्बर आचार्य भाष्यमान्य सूत्रपाठ का ही अनुसरण करते हैं और सभी दिगम्बर आचार्य सर्वार्थसिद्धि-मान्य सूत्रपाठ का अनुसरण करते हैं। सूत्रपाठ के मन्वन्ध में नीचे की चार बातें यहाँ जिन जरूरी हैं—१. सूत्रसंख्या, २. अर्थभेद, ३. पाठान्तर के विषय में ४. यथायंता।

१. सूत्रसंख्या—भाष्यमान्य सूत्रपाठ की संख्या ३४४ और सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ की संख्या ३५७ है।

१ एक अपवाद संशोधनजगामि का है। देखें 'परिचय' पृ० ४५०

२. अर्थभेद—सूत्रों की मन्था और कही कही शाब्दिक रचना में फेर होते हुए भी मात्र मूलसूत्रों पर से ही अर्थ में महत्त्वपूर्ण फेरफार दिखाई दे। ऐसे तीन स्थल हैं, बाकी सब मूलसूत्रों पर से सोलह संख्या विषयक पहला (४. १९), काल का स्वतन्त्र अस्तित्व-नास्तित्व विषयक दूसरा (५. ३८) और तीसरा स्थल पुण्य प्रकृतियों में हास्य आदि चार प्रकृतियों के होने न होने का (८. २६)।

३. पाठान्तर विषयक भेद—दोनों सूत्रपाठों के पारस्परिक भेद के अतिरिक्त फिर इस प्रत्येक सूत्रपाठ में भी भेद आता है। नवार्थसिद्धि के कर्ता ने जो पाठान्तर निर्दिष्ट किया है^१ उसको यदि अलग कर दिया जाय तो नामान्य तौर पर यही कहा जा सकता है कि सब दिगम्बर टीकाकार नवार्थसिद्धि-मान्य सूत्रपाठ में कुछ भी पाठ भेद सूचित नहीं करने। उसने ऐसा कहना चाहिये कि पूज्यपाद ने नवार्थसिद्धि रचने समय जो सूत्रपाठ प्राप्त किया तथा मुधगर-वदाया उसी को निर्विवाद रूप से पीछे के सभी दिगम्बर टीकाकारों ने मान्य रक्खा। जब कि भाष्यमान्य सूत्रपाठ के विषय में ऐसा नहीं, यह सूत्रपाठ स्वताम्बर तौर पर एक होने पर भी उगमें कितने ही स्थानों पर भाष्य के वाक्य सूत्र रूप में दाम्बिल हो जाने का, कितने ही स्थानों पर सूत्र रूप में माने जानेवाले वाक्यों का भाष्यरूप में भी गिने जाने का, कहीं कहीं अमल के एक ही सूत्र के दो भागों में बँट जाने का और कहीं असल के दो सूत्र मिल कर वर्तमान में एक ही सूत्र हो जाने का सूचन भाष्य की लभ्य दोनों टीकाओं में सूत्रों की पाठान्तर विषयक चर्चा पर से स्पष्ट होता है^२।

४. अथार्थता—उक्त दोनों सूत्रपाठों में अमली कौन और परिवर्तित कौन? यह प्रश्न महज उत्पन्न होता है; इन वक्त तक के तिये हुए विचार पर से मुझे निश्चय हुआ है कि भाष्यमान्य सूत्रपाठ ही अमली है अथवा वह नवार्थसिद्धि मान्य सूत्रपाठ की अपेक्षा अमली सूत्रपाठ के बहुत ही निकट है।

^१ देखो, २. ५३।

^२ देखो, २. १९। २. २७। ३. १६। ५. २-३। ७. ३ और ५ इत्यादि।

सूत्रपाठ-विषय में इतनी चर्चा करने के पश्चात् अब उनके अर से प्रथम रचे हुए भाष्य तथा सर्वार्थसिद्धि इन दो टीकाओं के विषय में कुछ विचार करना आवश्यक जान पड़ता है। भाष्यमान्य सूत्रपाठ का अस्तित्व अथवा असली पाठ के विशेष निकट होना तथा पूर्व-कवतानुसार भाष्य का वा० उमास्वाति कर्तृकत्व इन बातों में दिगम्बर आचार्यों का ही स्वाभाविक है। क्योंकि पूज्यपाद के बाद होनेवाले सभी दिगम्बर आचार्यों की टीकाओं का मूल आधार सर्वार्थसिद्धि और उसका मान्य सूत्रपाठ ही है। इससे यदि वे भाष्य या भाष्यमान्य सूत्रपाठ को ही उमास्वाति कर्तृक मानें तो पूज्यपाद समत सूत्रपाठ और उसकी व्याख्या का प्रामाण्य पूरा पूरा नष्ट रह सकता। दिगम्बर परम्परा सर्वार्थसिद्धि और उसके मान्य सूत्रपाठ को प्रमाणसर्वम्य मानती है। ऐमा होने से भाष्य और सर्वार्थसिद्धि दोनों का प्रामाण्य-विषयक बलाबल बिना जाचे प्रस्तुत परिचय अधूरा ही रहता है। भाष्य की स्वोपज्ञता के विषय में कोई सन्देह न होते हुए भी शैली देर दलील के लिये यदि ऐसा मान लिया जाय कि यह स्वोपज्ञ नहीं तो भी इतना निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भाष्य सर्वार्थसिद्धि की अपेक्षा प्राचीन तथा तत्त्वार्थ सूत्र की पहली ही टीका है; क्योंकि वह सर्वार्थसिद्धि जैसी साम्प्रदायिक नहीं है। इस तत्त्व को समझने के लिये यहाँ तीन बातों की पर्यालोचना की जाती है—(क) शैली भेद (ख) अर्थ विवास की (ग) साम्प्रदायिकता।

(क) शैली भेद—विषी एक ही सूत्र के भाष्य और उसकी सर्वार्थसिद्धि सामने रख कर तुलना की दृष्टि से देखनेवाले अभ्यासी को ऐसा मालूम पड़े बिना नहीं रहता कि सर्वार्थसिद्धि से भाष्य की शैली प्राचीन है तथा पद पद पर सर्वार्थसिद्धि में भाष्य का प्रतिबिम्ब है। इन दोनों टीकाओं में भिन्न और दोनों से प्राचीन तीसरी कोई टीका तत्त्वार्थ सूत्र पर होने का थयेष्ट प्रमाण जब तक न मिले तब तक भाष्य और सर्वार्थसिद्धि को तुलना करनेवाले ऐमा कहें बिना नहीं रहेंगे कि भाष्य को सामने रख कर सर्वार्थसिद्धि की रचना की गई है। भाष्य की शैली प्रसन्न और गंभीर होने हुए भी दार्शनिकता की दृष्टि से सर्वार्थसिद्धि

की शैली भाष्य की शैली की अपेक्षा विशेष विकसित और विशेष परिशी-
लित है ऐसा निःसन्देह जान पड़ता है । संस्कृत भाषा के लेखन और जैन
साहित्य में दार्शनिक शैली के जिस विकास के पश्चात् सर्वार्थसिद्धि लिखी
गई है वही विकास भाष्य में दिखाई नहीं देता; ऐसा होने पर भी इन दोनों
की भाषा में जो बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव है वह स्पष्ट सूचित करता है कि
दोनों में भाष्य ही प्राचीन है ।

उदाहरण के तौर पर पहले अध्याय के पहले सूत्र के भाष्य में सम्यक्
शब्द के विषय में लिखा है कि 'सम्यक्' निपात है अथवा 'सम्' उपसर्ग
पूर्वक 'अञ्च' धातु का रूप है; इसी विषय में सर्वार्थसिद्धिकार लिखते हैं
कि 'सम्यक्' शब्द व्युत्पन्न अर्थात् व्युत्पत्ति-रहित अखंड है अथवा व्युत्पन्न
है—धातु और प्रत्यय दोनों मिलाकर व्युत्पत्तिपूर्वक सिद्ध हुआ है । 'अञ्च'
धातु की 'क्विप्' प्रत्यय लगाया जाय तब 'सम्+अञ्चति' इस रीति से
'सम्यक्' शब्द बनता है । 'सम्यक्' शब्द विषयक निरूपण को उक्त दो
शैलियों में भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि की स्पष्टता विशेष है । उन्ही प्रकार
भाष्य में 'दर्शन' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में सिर्फ इतना ही लिखा है कि
'दर्शन' 'दृशि' धातु का रूप है, जब कि सर्वार्थसिद्धि में 'दर्शन' शब्द की
व्युत्पत्ति तीन प्रकार से स्पष्ट बतलाई गई है । भाष्य में 'ज्ञान' और
'चारिय' शब्दों की व्युत्पत्ति स्पष्ट बतलाई नहीं है, जब कि सर्वार्थसिद्धि में
इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से स्पष्ट बतलाई है और बाद में
उसका जैनदृष्टि से समर्थन किया गया है । इसी तरह से समाम में दर्शन
और ज्ञान शब्दों में पहले कौन आवे और पीछे कौन आवे यह सामासिक
नवा भाष्य में नहीं; जब कि सर्वार्थसिद्धि में वह स्पष्ट है । इसी तरह पहले
अध्याय के दूसरे सूत्र के भाष्य में 'तत्त्व' शब्द के सिर्फ दो अर्थ सूचित किये
गये हैं; जब कि सर्वार्थसिद्धि में उन दोनों अर्थों की उत्पत्ति को गई है और
'दृशि' धातु का भ्रष्टा अर्थ कहे जना, यह बात भी बतलाई गई है, जो
भाष्य में नहीं है ।

(ग) अर्थविकास—अर्थ की दृष्टि में देखें तो भी भाष्य की इतिहासिक अर्थविकास प्रतीत होती है। जो एक बात भाष्य में है वह उसको विस्तृत करके—उसके ऊपर अधिक चर्चा करके—उत्तम सिद्धि में निरूपण किया गया है। व्याकरणशास्त्र और जैनतर दर्शनों की जितनी चर्चा नवार्थसिद्धि में है उतनी भाष्य में नहीं। जैन परिभाषा का गतिमान होने हुए भी, जो स्थिर विद्यशीकरण और वक्तव्य का जो पूर्वक्षण नवार्थसिद्धि में है वह भाष्य में कम से कम है। भाष्य की अपेक्षा नवार्थसिद्धि की ताकिकता बढ जाती है, और भाष्य में नहीं ऐसे विज्ञानवादी की भाषिकों के मन्व्य उगमें जाड़े जाते हैं और दर्शनान्तर का साइत को फकड़ता है। ये सब बातें नवार्थसिद्धि की अपेक्षा भाष्य की प्राचीनता में सिद्ध करती हैं।

(ग) साम्प्रदायिकता—उक्त दो बातों की अपेक्षा साम्प्रदायिकता की बात अधिक महत्व की है। कारणतत्त्व, केवलिकवलाहार, अर्थविकास और श्रीमंश जैम विषयो के तीव्र मतभेद का स्व धारण करने के बाद और इन बातों पर साम्प्रदायिक भावहू बंध जाने के बाद ही नवार्थसिद्धि लिखी गई है; जब कि भाष्य में साम्प्रदायिक अभिवेश का यह तत्त्व दिखाई नहीं देता। जिन ग्रंथों में रुद्र ध्वेनाम्बर साम्प्रदाय के साप दिग्म्वर साम्प्रदाय का विरोध है उन सभी बातों को नवार्थसिद्धि के प्रणे ने ग्रंथों में फेर-फार करके या उनके अर्थ में खोजतान करके या अर्थ अर्थवाहक शब्दों को अर्थ दिग्म्वर साम्प्रदाय के अनुकूल पड़े उन प्रकार सूत्रों में से उन्नत करके निकालने का साम्प्रदायिक प्रयत्न किया है, केना प्रयत्न भाष्य में नहीं दिखाई नहीं देता; इससे यह सा साम्प्रदाय होगा है कि नवार्थसिद्धि साम्प्रदायिक विरोध का धारणा

१ उदाहरण के तौर पर तुलना करो १. २; १. १२; १. ३२ अ २. १ इत्यादि सूत्रों का भाष्य और नवार्थसिद्धि।

२. देखा. ५. ३९; ६. १३; ८. १; ९. ९; ९. ११; १०. ९. इत्यादि सूत्रों की नवार्थसिद्धि के साथ उन्हीं सूत्रोंका भाष्य।

जम जाने के बाद पीछे में लिखी गई है और भाष्य इस विरोध के वातावरण से मुक्त है।

तब यहाँ प्रश्न होता है कि यदि इस प्रकार भाष्य प्राचीन हो तो-उने दिग्म्बर परम्पराने छोड़ा क्यों? इसका उत्तर यही है कि सर्वार्थसिद्धि के कर्ता को जिन बातों में श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यताओं का जो खंडन करना था उसका यह खंडन भाष्य में नहीं था, इतना ही नहीं किन्तु भाष्य अधिकांश में ऋद्ध दिग्म्बर परम्परा का पोषक ही मके ऐसा भी नहीं था, और बहुत से स्थानों पर तो वह उल्टा दिग्म्बर परम्परा में बहुत विरुद्ध जाता था^१। इसमें पूज्यपाद ने भाष्य को एक तरफ रख मूत्रो पर स्वतंत्र टीका लिखी और ऐसा करते हुए मूत्रपाठ में इष्ट मुधार तथा वृद्धि को^२ और उसकी व्याख्या में जहां मतभेद वाली बात आई वहाँ स्पष्ट रीति में दिग्म्बर मन्तव्यों का ही स्थापन किया, ऐसा करने में पूज्यपाद को कुन्दकुन्द के ग्रन्थ मुख्य आधारभूत हुए जान पड़ते हैं। ऐसा होने से दिग्म्बर परंपरा ने सर्वार्थसिद्धि को मुख्य प्रमाण रूप में स्वीकार कर लिया और भाष्य स्वाभाविक रीति में ही श्वेताम्बर परंपरा में मान्य रह गया। भाष्य पर किसी भी दिग्म्बर प्राचार्यने टीका नहीं लिखी, इसमें वह दिग्म्बर परम्परा से दूर हो रह गया; और अनेक श्वेताम्बर आचार्यों ने भाष्यपर टीकाएँ लिखी हैं और कहीं कहीं पर भाष्य के मन्तव्यों का विरोध किये जाने पर भी समष्टिरूप में उसका प्रामाण्य ही स्वीकार किया है जो में वह श्वेताम्बर सम्प्रदाय का प्रमाणभूत ग्रन्थ है। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिये कि भाष्य के प्रति दिग्म्बर परंपरा की जो आजकाल मनोवृत्ति,

१. ९. ७ तथा २४ के भाष्य में वन्न का उल्लेख है। तथा १०. ७ के भाष्य में 'सोर्धकरीतीर्थ' का उल्लेख है।

२. जहां जहां अर्थ की गौन्तान को दे अथवा पुलक आदि जैसे स्थानों पर टीका बैठना विवरण नहीं हो सका उन सूत्रों को क्यों न निकाल दायर ? इस प्रश्न का उत्तर मूत्रपाठ की अनिर्वासीद्धि और निरान्त दायर पर अग्रमाण्य का आशय जाने का दर था ऐसा जान पड़ता है।

देखी जाती है वह पुराने दिगम्बराचार्यों में नहीं थी। क्योंकि अकलंक ने प्रमुक्त दिगम्बराचार्य भी यथा सम्भव भाष्य के साथ अपने कथन की संज्ञा दिखाने का प्रयत्न करके भाष्य के विशिष्ट प्रामाण्य का सूचन करते हैं (इति राजवातिक ५. ४. ८.) और कहीं भी भाष्य का नामोल्लेख पूर्णक सम्भ्रम नहीं करते या अप्रामाण्य नहीं दिखाते।

(ख) दो वार्तिक

ग्रन्थों का नामकरण भी आकस्मिक नहीं होता; खोज की जाय तो उसका भी विशिष्ट इतिहास है। पूर्व-कालीन और समकालीन विद्वानों की भावना में से तथा साहित्य के नामकरणप्रवाह में से प्रेरणा पाकर ही ग्रन्थकार अपनी कृतियों का नामकरण करते हैं। व्याकरण पर पातञ्जल महाभाष्य की प्रतिष्ठा का असर पिछले अनेक ग्रन्थकारों पर हुआ, यह बात हम उनही कृतियों के भाष्य नाम से जान सकते हैं। इसी असर ने वा० उमास्वामि को भाष्य नामकरण करने के लिये प्रेरित किया हो, ऐसा सम्भव है। बौद्ध-साहित्य में एक ग्रन्थ का नाम 'मवार्थसिद्धि' होने का स्मरण है, जिनका और प्रस्तुत मवार्थसिद्धि के नाम का पीर्वापर्य सम्बन्ध अज्ञात है, परन्तु वार्तिकों के विषय में इतना निश्चित है कि एक बार भारतीय वाङ्मय में वार्तिक युग आया और भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर वार्तिक नाम के अनेक ग्रन्थ लिखे गये। उमा का असर तत्त्वार्थ के प्रस्तुत वार्तिकों के नामकरण पर है। अकलंक ने अपनी टीका का नाम 'तत्त्वार्थ-वार्तिक' रक्खा है, जो 'राजवातिक' नाम से प्रसिद्ध है। विद्यानन्द ने तत्त्वार्थव्याख्या का 'श्लोकवार्तिक' नाम कुमारिल के 'श्लोकवार्तिक' का अनुकरण है। इसमें कुछ भी गड़का नहीं।

तत्त्वार्थग्रन्थ पर अकलङ्क ने जो 'राजवातिक' लिखा है और विद्यानन्द ने जो 'श्लोकवार्तिक' लिखा है, उन दोनों का मूल आधार 'मवार्थसिद्धि' ही है। यदि अकलङ्क को मवार्थसिद्धि न मिली होती तो राजवातिक का वर्तमान स्वरूप ऐसा विशिष्ट नहीं होता, और यदि राजवातिक

१ साङ्ख्यसाहित्य में भी एक राजवातिक नाम का ग्रन्थ मौजूद था।

का आश्रय न होना तो विद्यानन्द के श्लोकवार्तिक में जो विशिष्टता दिखाई देती है वह भी न होती, यह निश्चित है। राजवार्तिक और श्लोकवार्तिक ये दोनों साक्षात्परा-पराम्परा से सर्वार्थसिद्धि के ऋणो होने पर भी इन दोनों में सर्वार्थसिद्धि की अपेक्षा विशेष विकास हुआ है। उदाहरण के 'न्यायवार्तिक' को तरह 'तत्त्वार्थवार्तिक' गद्य में है, जब कि 'श्लोकवार्तिक' कुमारिल के 'श्लोकवार्तिक' तथा धर्मकीर्ति के 'प्रमाणवार्तिक' तथा सर्वज्ञात्म मुनि कृत सक्षेपशारीरकवार्तिक की तरह पद्य में है। कुमारिल की अपेक्षा विद्यानन्द की विशेषता यह है कि उन्होंने स्वयं ही अपने पद्यवार्तिक की टीका भी लिखी है। राजवार्तिक में लगभग समस्त सर्वार्थसिद्धि आ जाती है फिर भी उसमें नवीनता और प्रतिभा इतनी अधिक है कि सर्वार्थसिद्धि को साथ रख कर राजवार्तिक को वाँचते हुए उसमें कुछ भी पौनःपुन्य दिखाई नहीं देता। लक्षणनिष्ठात पूज्यापाद के नवार्थसिद्धिगत सभी विशेष वाक्यों को अकलङ्क ने पृथक्करण और वर्गीकरण पूर्वक वार्तिकों में परिवर्तित कर डाला है और वृद्धि करने योग्य दिखाई देने वाली बातों तथा वैसे प्रश्नों के विषय में नवीन वार्तिक भी रचे हैं। और सब गद्य वार्तिकों पर स्वयं ही स्फुट विवरण लिखा है। इससे समष्टिरूप से देखते हुए, 'राजवार्तिक' सर्वार्थसिद्धि का विवरण होने पर भी वस्तुतः एक स्वतन्त्र ही ग्रन्थ है। सर्वार्थसिद्धि में जो दार्शनिक अभ्यास नजर पड़ता है उसकी अपेक्षा राजवार्तिक का दार्शनिक अभ्यास बहुत ही ऊँचा चढ़ जाता है। राजवार्तिक का एक ध्रुव मन्त्र यह है कि उसे जिस बात पर जो कुछ कहना होता है उसे वह 'अनेकान्त' का आश्रय लेकर ही कहता है। 'अनेकान्त' राजवार्तिक की प्रत्येक चर्चा की चाबो है। अपने समय पर्यन्त भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के विद्वानों ने 'अनेकान्त' पर जो आक्षेप किये और अनेकान्तवाद की जो त्रुटियाँ बतलाई उन सब का निरसन करने और अनेकान्त का वास्तविक स्वरूप बतलाने के लिये ही अकलङ्क ने प्रतिष्ठित तत्त्वार्थसूत्र के आधार पर सिद्धलक्षण वाली सर्वार्थसिद्धि का आश्रय लेकर अपने राजवार्तिक की मध्य इमारत तैयार की है। सर्वार्थसिद्धि में जो आगमिक विषयों का अति विस्तार है उसे राजवार्तिककार ने घटा कर कम कर दिया है और दार्शनिक विषयों को ही प्राधान्य दिया है।

१. तुलना करो १. ७-८ की सर्वार्थसिद्धि तथा राजवार्तिक।

दक्षिण हिन्दुस्तान में निवास करते विद्यान्द् ने देखा कि पूर्वकाशी और ममकालीन अनेक जैनतर विद्वानों ने जैनदर्शन पर जो हमने विदे के उनका उत्तर देना बहुत कुछ बाकी है, और खास कर मीमांसक कुमारिक आदि द्वारा किये गये जैनदर्शन के खंडन का उत्तर दिये बिना उनसे किता तरह भी रहा नहीं जा सका; तभी उन्होंने श्लोकवातिक की रचना की। हम देखते हैं कि इन्होंने अपना यह उद्देश्य सिद्ध किया है। तत्त्वार्थ श्लोकवातिक में जिनना और जैसा सबल मीमांसक दर्शन का खंडन है, वही तत्त्वार्थमूत्र की दूसरी किसी टीका में नहीं। तत्त्वार्थ श्लोकवातिक में सर्वार्थसिद्ध तथा राजवातिक में चर्चित हुए कोई भी मुख्य विषय सूत्र नहीं; उल्टा बहुत में स्थानों पर तो सर्वार्थसिद्धि और राजवातिक की अपेक्षा श्लोकवातिक की चर्चा बढ़ जाती है। किन्तु ही बातों की चर्चा तो श्लोकवातिक में त्रिककुल अपूर्व ही है। राजवातिक में दार्शनिक अभ्यास की विनालता है तो श्लोकवातिक में इस विनालता के साथ नूतनता की तत्त्व भरा हुआ दृष्टिगीचर होता है। समग्र जैन वाङ्मय में जो थोड़ी बहुत कृतियाँ महत्व रखती हैं उनमें की कृतियाँ 'राजवातिक' और 'श्लोकवातिक' भी हैं। तत्त्वार्थमूत्र पर उपलब्ध ध्वेताम्बर माहित्य में से एक भी ग्रंथ राजवातिक या श्लोकवातिक की तुलना कर सके ऐसा दिखलाई नहीं देता। भाष्य में दिखलाई देने वाला साधारण दार्शनिक अभ्यास सर्वार्थसिद्धि में कुछ गहरा बन जाता है और राजवातिक में वह विरोध गाड़ा होकर अंत में श्लोकवातिक में खूब जम जाता है। राजवातिक और श्लोकवातिक के इतिहासज अभ्यासों की मालूम हो पड़ेगा कि दक्षिण हिन्दुस्तान में जो दार्शनिक विद्या और म्घांका समय आया और अनेक-मुख पांडित्य विकसित हुआ उसी का प्रतिबिम्ब इन दो ग्रंथों में है। प्रस्तुत दोनों वातिक जैन दर्शन का प्रामाणिक अभ्यास करने के पर्याप्त साधन हैं; परन्तु इन में से 'राजवातिक' गद्य, सरल और विस्तृत होने में तत्त्वार्थ के मपूर्ण टीका ग्रंथों की गरज अकेला ही पूरी करता है। ये दो वातिक यदि नहीं होते तो दसवीं शताब्दी तक के दिग्म्बर माहित्य में

विशिष्टता आई है और इनको जो प्रतिष्ठा देवी है वह निश्चय से
 रो ही रहती । से दो धार्मिक साम्प्रदायिक होने पर भी अनेक दृष्टियों
 भारतीय दार्शनिक साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त करे ऐसी योग्यता
 है । इनका अवलोकन बौद्ध और वैदिक परंपरा के अनेक विषयों
 तथा अनेक ग्रन्थों पर ऐतिहासिक प्रकाश डालना है ।

(ग) दो वृत्तियाँ

मूल सूत्र पर रची गई व्याख्याओं का सक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के
 अथ व्याख्या पर रची हुई व्याख्याओं का परिचय प्राप्त करने का
 सर आता है । ऐसी दो व्याख्याएँ इन समय पुरो पुरो उपलब्ध हैं, जो
 ही श्वेताम्बर है । इन दोनों का मुख्य साम्य संक्षेप में इतना ही है
 ये दोनों व्याख्याएँ उमास्वाति के स्वोपन्न भाष्य की शब्दशः मर्श करती
 और उसका विवरण करती हैं । भाष्य का विवरण करते समय भाष्य
 आश्रय लेकर सर्वत्र आगमिक वस्तु का ही प्रतिपादन करना और जहाँ
 य आगम से विरुद्ध जाता दिखाई देता हो वहाँ भी अन्त को आगमिक
 मरा का ही समर्थन करना, यह इन दोनों वृत्तियों का समान ध्येय है ।
 ना साम्य होते हुए भी इन दोनों वृत्तियों में परस्पर भेद भी है । एक
 त जो प्रमाण में बड़ी है वह एक ही आचार्य की कृति है, जब कि दूसरी
 दो वृत्ति तीन आचार्यों की मिश्र कृति है । लगभग अठारह हजार
 प्रमाण बड़ी वृत्ति में अध्यायों के अन्त में तो बहुत कर्के 'भाष्या-
 गिरिणो' इतना ही उल्लेख मिलता है; जब कि छोटी वृत्ति के हरएक
 प्याप के अन्त में दिखाई देने वाले उल्लेख कुछ न कुछ भिन्नता वाले
 । वहीं " हरिभद्रविरचितायाम् " (प्रथमाध्याय की पुष्पिका) तो कहीं
 ' हरिभद्रोद्घृतायाम् ' (द्वितीय, चतुर्थ और पचमाध्याय के अन्त में) है,
 ही " हरिभद्राख्यायाम् " (छठे अध्यायके अन्तमें) तो कहीं ' प्राग्वापाम् '
 पात्रे अध्याय के अन्त में) है । कहीं ' यशोभद्राचार्यनिर्यूडायाम् ' (छठे
 प्याप के अन्त में) तो कहीं ' यशोभद्रसूरिसिष्यनिर्वाहितायाम् ' दसवें
 प्याप के अन्त में) है, बीच में कहीं ' तत्रैवान्वरुतुंकायाम् ' (आठवें अध्याय - -

के अन्त में) तथा 'तस्यामेवान्यक्तृकायाम्' (नववे अध्याय के अन्त में है। इन सब उल्लेखों की भाषाशैली तथा समुचित संगति का जरा देखकर कहना पड़ता है कि ये सब उल्लेख उस कर्ता के अपने नहीं हैं हरिमद्र ने अपने पाँच अध्यायों के अन्त में खुद लिखा होना तो बिरुप और उद्धृत ऐसे भिन्नार्थक दो शब्द प्रयुक्त कर

एक निश्चित अर्थ नहीं निकल सकता कि वह :
रचा या किसी एक या अनेक वृत्तियों का संक्षेप विस्तार रूप रचा किया। इसी तरह यशोभद्र लिखित अध्यायों के अन्त में भी एकवाक्य नहीं। 'यशोभद्रनिर्वाहितायाम्' ऐसा शब्द होनेपर भी 'अन्यक्तृकायाम्' लिखना या तो व्यर्थ है या किसी अर्थान्तर का सूचक है।

यह सब गड़बड़ देखकर मेरा अनुमान होता है कि वाले उल्लेख किसी एक या अनेक लेखकों के द्वारा एक जुड़े समय में नकल करने समय प्रविष्ट हुए हैं। और ऐसे उल्लेखों रचना का आधार यशोभद्र के शिष्य का वह पद्य-गद्य है जो उसने अपने रचना के प्रारम्भ में लिखा है।

उपर्युक्त उल्लेखों के पीछे से दाखिल होने की कल्पना का पौर इससे भी होता है कि अध्यायों के अन्त में पाया जानेवाला 'दुपडुपिकायाम्' ऐसा पद अनेक जगह वृद्धित है। जो कुछ हो अभी तो उन उल्लेखों के आधार में नीचे लिखी बातें फलित होती हैं :

१. 'तस्यामे' भाष्य के ऊपर हरिमद्र ने वृत्ति रची जो पूर्वकालीन समकालीन छोटी छोटी सण्डित, अलण्डित वृत्तियों का उद्धार है; क्योंकि उसमें उन वृत्तियों का यथोचित समावेश हो गया है।

२. हरिमद्र की अपूर्ण वृत्ति को यशोभद्र ने तथा उनके शिष्य गन्धहस्तों को वृत्ति के आधार से पूरा किया।

३. वृत्ति का दुपडुपिका नाम (अगर सचमुच वह नाम सत्य त ग्रन्थकारों का रसना हुआ हो तो) इसलिए पड़ा जान पड़ता है कि टुकड़े टुकड़े बनकर पूरी हुई; किसी एक के द्वारा पूरी बन न सकी। कि

ने में 'दुपडुपिका' पाठान्तर है। दुपडुपिका शब्द इस स्थान के सिवाय
 अन्य कहीं देखा व सुना नहीं गया। सम्भव है वह अपभ्रष्ट पाठ हो या
 ई देवीय शब्द रहा हो। जैसी मैंने प्रथम कल्पना की थी कि उसका
 ये कदाचित् डोंगो हों, किसी विद्वान् मित्र ने यह भी कहा था कि वह
 स्कृत उडुपिका का भ्रष्ट पाठ है। पर अब सोचने से वह कल्पना और
 इमूतना ठीक नहीं जान पड़ती। यशोभद्र के शिष्य ने अन्त में जो
 त्वय लिखा है उससे तो ऐसा कुछ ध्वनित होता है कि यह छोटी वृत्ति
 आई अमुक ने रची थोड़ी दूसरे अमुक ने थोड़ी तीसरे अमुक ने इस कारण
 रडुपिका बन गई, मानो एक कथा-सी बन गई।

सर्वार्थसिद्धि और राजवातिक के भाष्य सिद्धसेनीय वृत्ति की तुलना
 देने में इतना तो स्पष्ट जान पड़ता है कि जो भाषा का प्रसाद, रचना
 में विशदता और अर्थ का पृथक्करण सर्वार्थसिद्धि और राजवातिक में है,
 वह सिद्धसेनीय वृत्ति में नहीं। इसके दो कारण हैं। एक तो ग्रन्थकार
 का प्रकृतिभेद और दूसरा कारण पराश्रित रचना है। सर्वार्थसिद्धि और
 राजवातिककार सूत्रों पर अपना अपना वक्तव्य स्वतन्त्र रूप से ही कहते हैं।

सिद्धमेन को भाष्य का शब्दशः अनुसरण करते हुए पराश्रित रूप में
 लिखा पड़ता है। इतना भेद होने पर भी समग्र रीति में सिद्धसेनीय
 वृत्ति का अवलोकन करने समय मन पर दो बातें तो अंकित होती ही हैं।
 उनमें पहली यह कि सर्वार्थसिद्धि और राजवातिक की अपेक्षा सिद्धसेनीय
 वृत्ति की दार्शनिक योग्यता कम नहीं। पदति भेद होने पर भी समष्टि
 रूप में इस वृत्ति में भी उक्त दो ग्रन्थों-जितनी ही न्याय, वैशेषिक, सांख्य,
 योग और बौद्धदर्शनों की चर्चा की विरासत है। और दूसरी बात यह है
 कि सिद्धमेन अपनी वृत्ति में दार्शनिक और तार्किक चर्चा करते हुए भी
 अन्त में जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की तरह आगमिक परम्परा का प्रबल रूप
 में स्थापन करते हैं और इस स्थापन में उनका आगमिक अभ्यास प्रचुर रूप
 में दिखाई देता है। सिद्धसेन की वृत्ति को देखते हुए मालूम पड़ता है कि
 उनके समय तक तत्त्वार्थ पर अनेक व्याख्याएँ रची गई थी। किमी-किमी

स्थल पर एक ही सूत्र के भाष्य का विवरण करते हुए वे पाँच 'मतान्तर' निर्दिष्ट करते हैं, इससे ऐसा अनुमान करने का कारण निम्न है कि जब सिद्धसेनने वृत्ति रची तब उनके सामने कम से कम तत्त्वार्थ रची हुई पाँच टीकाएँ होनी चाहिए। सिद्धसेन की वृत्ति में तत्त्वार्थ विषय-सम्बन्धों जो विचार और भाषा की पुष्ट विरासत दिखाई देतीं उसे देखते हुए ऐसा भलीभाँति मालूम होता है कि इस वृत्ति के तत्त्वार्थ से संबन्ध रखने वाला काफी साहित्य रचा हुआ तथा वृत्ति प्राप्त हुआ होना चाहिये।

(घ) खण्डित वृत्ति

भाष्य पर तीसरी वृत्ति उपाध्याय यशोविजय की है; यदि यह मिल जाती तो सत्रहवीं अठारहवीं शताब्दी तक प्रान्त होने वाले भारतीयदर्शन शास्त्र के विकास का एक नमूना पूर्ण करती, ऐसा वर्णन में उपलब्ध इस वृत्ति के एक छोटे से खण्ड पर से ही कहने का हो जाता है। यह खण्ड प्रथम अध्याय के ऊपर भी पूरा नहीं, इसमें ऊपर की दो वृत्तियों के समान ही शब्दशः भाष्य का अनुसंधान कर विवरण किया गया है; ऐसा होने पर भी इसमें जो गहरी तर्कानुसंधान चर्चा, जो बहुध्रुवता और जो भावस्फोटन दिखाई देता है वह यशोविजय की न्याय-विशारदता का निश्चय कराता है। यदि यह वृत्ति इन्होंने नहीं रची होगी तो डाई मो ही वर्षों में उसका सर्वनाश हो गया हो एसा मानना से जी हिचकता है, अतः इसकी शोच के लिये किये जानेवाले प्रयत्न नष्फल जाना सम्भव नहीं।

रत्नसिंह का टिप्पण

अनेकान्त वर्ष ३ किरण १ (ई. १९३९) में पं० जगलकिशोरजी के तत्त्वार्थाधिगम सूत्र की सटिप्पण एक प्रति का परिचय कराया है। इन पत्रों में जान पड़ता है कि वह टिप्पण केवल मूलसूत्र स्पर्शी है। टिप्पण

१०० रत्नसिंह का समय तो ज्ञात नहीं पर उक्त परिचय में जो अवतरण
 ये गये हैं उनकी भाषा तथा लेखन शैली से ऐसा मालूम होता है कि
 रत्नसिंह १६ वीं शताब्दी के पूर्व का शायद ही हो। वह टिप्पण अभी
 कहीं छपा नहीं है। लिखित प्रति के आठ पत्र हैं।

ऊपर जो तत्त्वार्थ पर महत्त्वपूर्ण तथा अभ्यास योग्य योड़े से ग्रन्थों
 पर परिचय दिया गया है वह सिर्फ अभ्यासियों की जिज्ञासा जागरित करने
 के लिए इस दिशा में विशेष प्रयत्न करने को सूचना करना भर है। वास्तव
 तो प्रत्येक ग्रन्थ का परिचय एक-एक स्वतन्त्र निबन्ध की अपेक्षा रखता
 और इन सब का सम्मिलित परिचय तो एक खासी मोटी पुस्तक की
 अपेक्षा रखता है, जो काम इस स्थल की मर्यादा के बाहर है; इसलिए
 इन ही परिचय में सन्तोष धारण कर विराम लेना उचित समझता हूँ।

सुखलाल

परिशिष्ट

मने पं० जगन्नाथजी प्रेमी तथा पं० जुगलकिशोरजी मुन्शी उमास्वाति तथा तत्त्वार्थ में सम्बन्ध रखने वाली बातों के विषय में कुछ प्रश्न पूछे थे, जो उत्तर उनकी तरफ से मुझे मिला है, उसका मूल रूप चन्ही की भाषा में अपने प्रश्नों के साथ ही नीचे दिया जाता है। दोनों महाशय ऐतिहासिक दृष्टि रखते हैं और वर्तमान के दिग्गज विद्वानों में, ऐतिहासिक दृष्टि से, इन दोनों की योग्यता उच्च कोटि की है। इसमें अभ्यासियों के लिये उनके विचार काम के होने से उन्हें परिशिष्ट के रूप में यहाँ देता हूँ। पं० जुगलकिशोरजी के उत्तर पर मेरी अंशपर मुझे कुछ कहना है उसे उनके पत्र के वाद 'मिरी विचारणा' में के नीचे यहीं बतला दूँगा—

(क) प्रश्न

१ उमास्वाति कुन्दकुन्द का शिष्य या वंशज है इस भाव का उक्त मन्त्रमें पुराना किस ग्रंथ, पट्टावली या गिलालेख में आप के देखने में नक आया है? अथवा यों कहिये कि दसवीं सदी के पूर्ववर्ती गिनत पट्टावली आदि में उमास्वाति का कुन्दकुन्द का शिष्य होना या वंशज हो अब तक पाया गया है?

२ आप के विचार में पूज्यपाद का समय क्या है? तन्मार्ग देवताम्बर भाष्य आप के विचार में स्वोपज है या नहीं? यदि स्वोपज है तो उस पक्ष में महत्त्व की दलीलें क्या हैं?

३ दिगम्बर परम्परा में कोई 'उच्चनागर' नामक गाथा बनी है, और वाचकवंश या वाचकपद धारी कोई मुनिगण प्राचीन काल में कही हुआ है, यदि हुआ है तो उसका वर्णन या उल्लेख कहाँ पर है?

४ मुझे मंद्देह है कि तत्त्वार्थमूल के रचयिता उमास्वाति कुन्दकुन्द के शिष्य थे; क्योंकि कोई भी प्राचीन प्रमाण अभी तक मुझे नहीं मिला।

ले वे सब वारहवीं सदी के बाद के हैं। इसलिये उक्त प्रश्न पूछ रहा जो सरसरी तौर से ध्यान में आवे सो लिखना।

५ प्रसिद्ध तत्त्वार्थशास्त्र की रचना कुन्दकुन्द के शिष्य उमास्वाति ने है; इस मान्यता के लिये दसवीं सदी में प्राचीन क्या क्या सबुत या लेख हैं और वे कौन से हैं? क्या दिगम्बर साहित्य में दसवीं सदी में कौना कोई ऐसा उल्लेख है जिसमें कुन्दकुन्द के शिष्य उमास्वाति के इस तत्त्वार्थसूत्र की रचना किये जाने का सूचन या कथन हो।

६ “तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गुध्रपिच्छोपलक्षितम्” यह पद्य कहाँ है और कितना पुराना है?

७ पूज्यपाद, अकलङ्क, विद्यानन्द आदि प्राचीन टीकाकारों ने कहाँ तत्त्वार्थसूत्र के रचयिता रूप में उमास्वाति का उल्लेख किया है? वे नहीं किया है तो पीछे से यह मान्यता क्यों चरू पड़ी?

(ख) प्रेमीजी का पत्र

“आपका ता० ६ का कृपा पत्र मिला। उमास्वाति कुन्दकुन्द के वंशज इस बात पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। यह वंश-कल्पना उन समय की गई है जब तत्त्वार्थसूत्र पर सर्वार्थसिद्धि, श्लोकवातिक, राजवानिक आदि टीकाएँ बन चुकी थीं और दिगम्बर सम्प्रदाय ने उस ग्रंथ को पूर्णतया अपना लिया था। दसवीं शताब्दी के पहले का कोई भी उल्लेख अभी तक मुझे इस सम्बन्ध में नहीं मिला। मेरा विश्वास है कि दिगम्बर सम्प्रदाय में जो बड़े बड़े विद्वान् ग्रंथकर्ता हुए हैं, प्रायः वे किसी मठ या गद्दी के पट्टधर नहीं थे। परन्तु जिन लोगों ने गुर्वावली या पट्टावली बनाई है उनके मस्तक में यह बात भरी हुई थी कि जितने भी आचार्य या ग्रन्थकर्ता होते हैं वे किसी-न-किसी गद्दी के अधिकारी होते हैं। इस लिये उन्होंने पूर्ववर्ती सभी विद्वानों को इसी भ्रमात्मक विचार के अनुसार माना कर डाला है और उन्हें पट्टधर बना डाला है। यह तो उन्हें मालूम नहीं था कि उमास्वाति और कुन्दकुन्द किन किस समय में हुए हैं; परन्तु चूँकि वे बड़े आचार्य थे और प्राचीन थे, इसलिये उनका

सम्बन्ध जोड़ दिया और गुरु-शिष्य या शिष्य-गुरु बना दिया ।
 का उन्होंने कष्ट नहीं उठाया कि कुन्दकुन्द कर्नाटक देश के कुम्भ
 ग्राम के निवासी थे और उमास्वाति विहार में भ्रमण करने वाले । उन
 सम्बन्ध की कल्पना भी एक तरह से असम्भव है ।

श्रुतावतार, आदिपुराण, हरिवंश पुराण, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति व
 प्राचीन ग्रन्थों में जो प्राचीन आचार्य परंपरा दी हुई है उसमें उमास्वाति
 का बिल्कुल उल्लेख नहीं है, श्रुतावतार में कुन्दकुन्द का उल्लेख है
 और उन्हें एक बड़ा टीकाकार बतलाया है परन्तु उनके आगे या पीछे
 उमास्वाति का कोई उल्लेख नहीं है । इन्द्रनन्दी का श्रुतावतार पर
 बहुत पुराना नहीं है, फिर भी ऐसा जान पड़ता है कि वह किसी प्राचीन
 रचना का रूपान्तर है और इस दृष्टि से उसका कथन प्रमाणकोटि का है
 'दर्शनसार' ६६० संवत् का बनाया हुआ है, उसमें पद्मनन्दी या कुम्भ
 का उल्लेख है परन्तु उमास्वाति का नहीं । जिनसेन के समय राजर्षि
 और श्लोककारिक बन चुके थे, परन्तु उन्होंने भी दोनों आचार्यों व
 ग्रन्थकर्ताओं की प्रशंसा के प्रसंग में उमास्वाति का उल्लेख नहीं किया
 क्योंकि वे उन्हें अपनी परम्परा का नहीं समझते थे । एक बात और है
 आदि पुराण, हरिवंश पुराण आदि के कर्ताओं ने कुन्दकुन्द का भी उल्लेख
 नहीं किया है, यह एक विचारणीय बात है ।

मेरी समझ में कुन्दकुन्द एक सास आम्नाय या सम्प्रदाय के प्रक
 य । इन्होंने जैन-धर्म की वेदान्त की सचि में डाला था । जान पड़
 है कि जिनसेन आदि के समय तक उनका मत सर्वमान्य नहीं था
 और इसीलिये उनके प्रति उन्हें कोई आदर भाव नहीं था ।

“तत्त्वार्थशास्त्रकर्तारं गृध्रपिच्छोपलक्षितम्” आदि श्लोक मा
 नहीं कहाँ का है और किन्तु पुराना है । तत्त्वार्थसूत्र की मूल प्रतियों
 यह पाया जाता है । वहीं-वहीं कुन्दकुन्द को भी गृध्रपिच्छ लिखा है ।
 गृध्रपिच्छ नाम के एक और भी आचार्य का उल्लेख है । जैनहितोपा
 १० पृष्ठ २६९ और भाग १५ अंक ६ के कुन्दकुन्द सम्बन्धी लेख पढ़ना
 देख लीजियेगा ।

पट्टपाहुड की भूमिका भी पढ़वा लीजियेगा ।

श्रुतसागर ने आशाघर के महाभियेक की टीका संवत् १५८२ में समाप्त की है । अतएव ये विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के हैं । तत्त्वार्थ की वृत्ति के और पट्टपाहुड की तथा यशस्तिलक टीका के कर्ता भी यही हैं । दूसरे श्रुतसागर के विषय में मुझे मालूम नहीं ।”

[ग] मुस्तार जुगलकिशोरजी का पत्र

“आपके प्रश्नों का मैं सरसरी तौर से कुछ उत्तर दिये देता हूँ—

१. अभी तक जो दिगम्बर पट्टावलियाँ ग्रन्थादिकों में दी हुई गुर्वा वलियों से भिन्न उपलब्ध हुई है वे प्रायः विक्रम की १२ वीं शताब्दी के बाद की बनी हुई जान पड़ती हैं, ऐसा कहना ठीक होगा । उनमें सबसे पुरानी कौनसी है और वह कब की बनी हुई है, इस विषय में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता । अग्रिकांग पट्टावलियों पर निर्माण के समयादि का कुछ उल्लेख नहीं है और ऐसा भी अनुभव होता है कि किसी-किसी में अंतिम आदि कुछ भाग पीछे से भी शामिल हुआ है ।

कुन्दकुन्द तथा उमास्वाति के सम्बन्धवाले कितने ही गिलालेख तथा प्रगन्तियाँ हैं परन्तु वे सब इस समय मेरे सामने नहीं हैं । हाँ, श्रवणबेलगोल के जैन गिलालेखों का संग्रह इस समय मेरे सामने है, जो माणिकचंद्र ग्रन्थमाला का २८ वाँ ग्रन्थ है । इसमें ४०, ४०, ४३, ४७, ५०, १०५ और १०८ नम्बर के ७ गिलालेख दोनों के उल्लेख तथा सम्बन्ध को लिये हुए हैं । पहले पाँच लेखों में ‘तदन्वये’ पद के द्वारा नं० १०८ में ‘वंशे तवीये’ पदों के द्वारा उमास्वाति को कुन्दकुन्द के वंश में लिखा है । प्रकृत वाक्यों का उल्लेख ‘स्वामी समन्तभद्र’ के पृ० १५८ पर फुटनोट में भी किया गया है । इनमें सबसे पुराना गिलालेख नं० ४७ है, जो शक सं० १०३७ का लिखा हुआ है ।

२. पूज्यपाद का समय विक्रम की छठी शताब्दी है इसकी विवेक जानने के लिये ‘स्वामी समन्तभद्र’ के पृ० १४१ में १४३ तक देखिये ।

तत्प्राय के श्वेताम्बरीय भाष्य को मैं अभी तक स्वोपज्ञ नहीं समझता हूँ। उस पर कितना ही संदेह है, जिन सबका उल्लेख करने के लिये मैं इस समय तैयार नहीं हूँ।

३. दिगम्बरीय परम्परा में मुनियों को कोई उच्चनागर शाखा को हुई है, इसका मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है और न 'वाचकवर्ग' या 'वाचकपद' धारी मुनियों का कोई विशेष हाल मालूम है। हाँ, 'विन्दे कल्याणाभ्युदय' ग्रन्थ में 'अव्ययावलि' का वर्णन करते हुए कुन्दकुन्द और उमास्वाति दोनों के लिये 'वाचक' पद का प्रयोग किया गया है, जैसा कि उसके निम्न पद्य में प्रकट है:—

“पुष्पदन्तो भूतबलिजितचन्द्रो मुनिः पुनः ।

कुन्दकुन्दमुनीन्द्रोऽमास्वातिवाचकसंज्ञितौ ॥”

कुन्दकुन्द और उमास्वाति के संबंध का उल्लेख न० २ में किया गया है। मैं अभी तक उमास्वाति को कुन्दकुन्द का निकटान्वयी मानता हूँ—शिष्य नहीं। हो सकता है कि वे कुन्दकुन्द के प्रशिष्य रहे हों और इसका उल्लेख मैंने 'स्वामी समन्तभद्र' में पृ० १५८, १५९ पर भी किया है। उक्त इतिहास में 'उमास्वाति-समय' और 'कुन्दकुन्द-समय' नाम के दोनों श्रेणियों को एक बार पढ़ जाना चाहिये।

५. विषय की १० वीं शताब्दी से पहले का कोई उल्लेख मेरे ज्ञान में ऐसा नहीं आया जिनमें उमास्वाति को कुन्दकुन्द का शिष्य लिखा हो।

६. “तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गुध्रपिच्छोपलभितम्” यह पद्य तद्वार्थक को बहुशरीर प्रतियों के अन्त में देखा जाता है, परन्तु यह कहाँ का है और कितना पुराना है यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

७. पूज्यपाद और अकालंबदेव के विषय में तो अभी ठीक नहीं कह सकता परन्तु विद्यानन्द ने तो तत्त्वार्थसूत्र के कर्ता रूप से उमास्वाति का उल्लेख किया है—श्रीवार्तिक में उनका द्वितीय नाम गुध्रपिच्छोपलभितं दिया है और सायद आप्तपरीक्षा टीका आदि में 'उमास्वाति' नाम का भी उल्लेख है।

इस तरह पर यह आपके दोनों पत्रों का उत्तर है, जो इस समय बन सका है। विशेष विचार फिर किमी समय किया जायगा।”

(घ) मेरी विचारणा

विक्रम की १-१० वीं शताब्दी के दिगम्बराचार्य विद्यानन्द न आप्त-परोधा (श्लो० ११९) स्वोपज्ञवृत्ति में “तत्त्वार्थसूत्रकारैरुमास्वामि-प्रभृतिभिः” ऐसा कथन किया है और तत्त्वार्थ-श्लोकवार्तिक की स्वोपज्ञ-वृत्ति (पृ० ६-पं० ३१) में इन्हीं आचार्यों ने “एतेन गृध्रपिच्छाचार्य-पर्यन्तमुनिसूत्रेण व्यभिचारिता निरस्ता” ऐसा कथन किया है। ये दोनों कथन तत्त्वार्थशास्त्र के उमास्वाति रचित होने और उमास्वाति तथा गृध्र-पिच्छ आचार्य दोनों के अभिन्न होने को सूचित करते हैं ऐसी पं० जुगल-किशोरजी की मान्यता जान पड़ती है। परन्तु यह मान्यता विचारणीय है, अतः इस विषय में अपनी विचारणा को संक्षेप में बतला देना योग्य होगा।

पहले कथन में ‘तत्त्वार्थसूत्रकार’ यह उमास्वाति वगैरह आचार्यों का विशेषण है, न कि मात्र उमास्वाति का। अब यदि मुन्तारजी के कथनानुसार अर्थ कीजिये तो ऐसा फलित होता है कि उमास्वाति वगैरह आचार्य तत्त्वार्थ-सूत्र के कर्ता हैं। यही तत्त्वार्थसूत्र का अर्थ यदि तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र किया जाय तो यह फलित अर्थ दूगित ठहरता है क्योंकि तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र अकेले उमास्वामी का रचा हुआ माना जाता है, न कि उमास्वामी आदि अनेक आचार्यों का। इससे विशेषणगत तत्त्वार्थसूत्र पद का अर्थ मात्र तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र न करके जिन कथित तत्त्वप्रतिपादक सभी ग्रन्थ इतना करना चाहिये। इस अर्थ के करते हुए फलित यह होता है कि जिन कथित तत्त्वप्रतिपादक ग्रन्थ के रचनेवाले उमास्वामी वगैरह आचार्य। उन फलित अर्थ के अनुसार सोधे तीरपर इतना ही कह सकते हैं कि विद्यानन्द की दृष्टि में उमास्वामी भी जिन कथित तत्त्व प्रतिपादक किमी भी ग्रन्थ के प्रणेता है। यह पन्थ भले ही विद्यानन्द की दृष्टि में तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र ही हो परन्तु इनका यह आशय उक्त कथन में से हमारे आधारों के बिना सीधे तीर पर नहीं दिखना। इससे विद्यानन्द के आप्तपरोधागत पूर्वोक्त कथन पर

से-हम इसका आशय सीधी रीति से इतना ही निकाल सकते हैं कि उमास्वामी ने जैन तत्त्व के ऊपर कोई ग्रन्थ अवश्य रचा है।

पूर्वोक्त दूसरा कथन तत्त्वार्थाधिगमशास्त्र का पहला मोक्षमार्गविषय मूत्र सर्वज्ञवीतराम-प्रणीत है इस वस्तु को सिद्ध करनेवाली अनुमान चर्चा आया है। इस अनुमान चर्चा में मोक्षमार्ग-विषयक मूत्र पक्ष है, सर्वज्ञवीतराम प्रणीतत्व यह साध्य है और सूत्रत्व यह हेतु है। इस हेतु में व्यभिचारदोष का निरसन करते हुए विद्यानन्द ने 'एतेन' इत्यादि कथन किया है व्यभिचारदोष पक्ष में भिन्न म्यल में संभवित होता है। पक्ष तो मोक्षमार्ग विषयक प्रस्तुत तत्त्वार्थ मूत्र ही है इससे व्यभिचार का विषयभूत माने जाने वाला गृध्रपिच्छाचार्य पर्यन्त मुनियों का मूत्र यह विद्यानन्दकी दृष्टि उमास्वामि के पक्षभूत मोक्षमार्ग-विषयक प्रथम मूत्र से भिन्न ही हो चाहिए यह बात न्यायविद्या के अभ्यासी को शायद ही समझानी पड़े-ऐसी विद्यानन्द की दृष्टि में पक्षरूप उमास्वामि के मूत्र की अपेक्षा व्यभिचार विषयरूप में कल्पित क्रिया मूत्र जुदा हो है, इसीसे उन्होंने व्यभिचारदोष को निवारण करने के बाद हेतु में अमिद्धता दोष को करते हुए "प्रकृतमूत्रे" ऐसा कहा है। प्रकृत अर्थात् जिसकी चर्चा प्रथम है वह उमास्वामी का मोक्षमार्ग-विषयक मूत्र। असिद्धता दोष का निवारण करते हुए मूत्र को 'प्रकृत' ऐसा विशेषण दिया है और व्यभिचार दोष दूर करते हुए वह विशेषण नहीं दिया गया पक्ष रूप मूत्र के अन्दर व्यभिचार नहीं आता यह भी नहीं कहा। उल्टा न्यष्ट रूप में यह कहा है गृध्रपिच्छाचार्य पर्यन्त मुनियों के मूत्रों में व्यभिचार नहीं आता। यह निर्विवादरूप में सही सूचित करता है कि विद्यानन्द उमास्वामी से गृध्रपिच्छाचार्य को जुदा ही समझते हैं, दोनों को एक नहीं। इसी अभिप्राय की पुष्टि में दृष्टव्य यह भी है कि विद्यानन्द यदि गृध्रपिच्छ और उमास्वामी को भी ही समझते होते तो एक जगह उमास्वामी और दूसरी जगह गृध्रपिच्छाचार्य' इतना विशेषण ही उनके लिये प्रयुक्त न करते बल्कि 'गृध्रपिच्छ' का शब्द वे 'उमास्वामी' शब्द का प्रयोग करते। उक्त दोनों कथनों की विचारणा यदि अमन्य न हो तो उनके अनुसार यह फलित होता है

विद्यानन्दको दृष्टि में उमास्वामी तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र के प्रणेता होंगे परंतु उनकी दृष्टि में गुह्यपिच्छ और उमास्वामी ये दोनों निश्चय से जुड़े ही होने चाहिए ।

... गृह्यपिच्छ, बलाकपिच्छ, मयूरपिच्छ वगैरह विशेषणों की सृष्टि नग्नत्वमूलक वस्त्र पात्र के त्यागवाली दिगम्बर भावना में से हुई है । यदि विद्यानन्द उमास्वामी को निश्चय पूर्वक दिगम्बरीय समझते होते तो वे उनके नाम के साथ पिछले जमाने में लगाये जानेवाले गृह्यपिच्छ आदि विशेषण जरूर लगाते । इससे एसा कहना पडता है कि विद्यानन्द ने उमास्वामी का श्वेताम्बर, दिगम्बर या कोई तीसरा सम्प्रदाय सूचित ही नहीं किया ।

—सुखलाल

अभ्यास विषयक सूचनाएँ

जैन दर्शन का प्रामाणिक अभ्यास करने का इच्छुक जैन, जैन विद्यार्थी या शिक्षक, यह पूछता है कि ऐसी एक पुस्तक कौनसी है जिसका विस्तृत तथा विस्तृत अध्ययन किया जा सके; और जिसके अध्ययन से जैन दर्शन में सन्निहित मुद्दों के प्रत्येक विषय का ज्ञान हो। इन प्रश्न का उत्तर देनेवाला 'तत्त्वार्थ' के सिवाय अन्य किसी पुस्तक का निर्देश नहीं कर सकता। तत्त्वार्थ की इतनी योग्यता होने से आजकल जहाँ तक जैन दर्शन के अभ्यास-क्रम में इसका सर्व प्रथम स्थान है। ऐसा होने पर भी आजकल उनकी अध्ययन परिपाटी की जो स्वरूपा है वह विशेष फलप्रद प्रतीत नहीं होती। इसलिए उनकी अभ्यास-पद्धति के विषय में यहाँ पर कुछ सूचना अप्रामाणिक न होंगी।

सामान्य रूप से तत्त्वार्थ के ज्वेतावर अभ्यासी उसकी दिग्दर्शी टीकाओं को नहीं देखते और दिग्म्बर उनकी ज्वेताम्बरीय टीकाओं को नहीं देखते इसका कारण मकुचित दृष्टि, सम्प्रदायिक अभिनिवेश ज्ञानकारी का अभाव चाहें जो हों; पर अगर यह धारणा नहीं हो तो इसके कारण अभ्यासी का ज्ञान कितना मकुचित रहता है, उनकी विज्ञाना कितनी अरिष्ठ रहती है और उनकी तृप्तता तथा परीक्षण-शक्ति कितनी कुट्ट रहती है और उनके परिणाम स्वल्प तत्त्वार्थ के अभ्यासी का प्रामाणिक ज्ञान अल्प निर्मित होता है इसे समझने के लिए वर्तमान काल में मजही दुई सभों जैन-मार्थाओं के विद्यार्थियों से अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान के मार्ग में, विज्ञान के क्षेत्र में और मत्वात्वेय में चौकावटों की अर्थात् दृष्टि संकोच या सम्प्रदाय मोह को स्थान हो तो उनके मूल मनु हो गिड़ नहीं होनी। जो तुलना के विचार मात्र में ही कर जाते हैं; वे या तो अपने पक्ष को प्रामाणिकता तथा सत्यता के विषय में शक्ति होते हैं, या दूसरे के पक्ष के सामने सड़ें होने को शक्ति बन रहते हैं, या अन्त में कोई कर, मध्य में स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, तथा अन्त में

बात को भी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त बुद्धिबल और धैर्य नहीं रखते। ज्ञान का अर्थ यही है कि संकुचितता, ब्रधन और अवरोधों का अतिक्रमण कर आत्मा को विस्तृत करे और सत्य के लिए गहरा उतरे। इसलिए शिक्षकों के सामने नीचे की पद्धति रखता हूँ। वे इस पद्धति को अन्तिम सूचना न मान कर, उसमें भी अनुभव से सुधार करे और वास्तविक रूप से तो अपने पान अन्वय करते हुए विद्याधियों को साधन बना कर स्वयं तैयार हो।

(१) मूलमूत्र लेकर उसका सग्लना में जो अर्थ हो वह किया जाय।

(२) भाष्य या मन्वार्थसिद्धि इन दोनों में से किसी एक टीका को मुख्य रख उसे प्रथम पढ़ाना और पीछे तुरन्त ही दूसरी। इस वाचन में नीचे की नाम चाती की ओर विद्याधियों का ध्यान आकर्षित किया जाय।

(क) कौन कौन से विषय भाष्य तथा मन्वार्थसिद्धि में एक समान हैं? और समानता होने पर भी भाषा तथा प्रतिपादन शैली में किनना अन्तर पड़ता है।

(ख) कौन कौन से विषय एक में हैं और दूसरे में नहीं, अगर हैं तो रूपान्तर में? जो विषय दूसरे में छोड़ दिये गये हो या जिनकी नवीन रूप में चर्चा की गई हो वे कौन से और ऐसा होने का क्या कारण है?

(ग) उपर्युक्त प्रणाली के अनुसार भाष्य और मन्वार्थसिद्धि इन दोनों का पुनर्रचरण करने के बाद जो विद्यार्थी अधिक योग्य हो, उसे आगे 'परिचय' में दो हुई तुलना के अनुसार अन्य भारतीय दर्शनों के साथ तुलना करने के लिए प्रेरित करना और जो विद्यार्थी साधारण हो उसे नविष्य में ऐसी तुलना कर सके इस दृष्टि से कितनी ही रोचक सूचनाएँ करना।

(घ) ऊपर दो हुई सूचना के अनुसार विद्याधियों को पाठ पढ़ाने के बाद पढ़े हुए उसी मूत्र का राजवार्तिक स्वयं पढ़ जाने के लिए कहना। वे यह सम्पूर्ण राजवार्तिक पढ़ कर उसमें पूछने योग्य प्रश्न या समझने के विषय कागज के ऊपर नोट करके दूसरे दिन शिक्षक के सामने रखें। और इस चर्चा के समय शिक्षक बन सके वहाँ तक विद्याधियों में ही परस्पर चर्चा

करा कर उनके द्वारा हो (स्वयं केवल तटस्थ सहायक रह कर) स्वयं स्वयं का सम्पूर्ण कहलावे। भाष्य और सर्वार्थसिद्धि की अपेक्षा राजवातिक कथा कम हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, क्या क्या नवीन है; यह जानने के दृष्टि विद्याधियों में परिमार्जित हो।

(३) इस तरह भाष्य और सर्वार्थसिद्धि का अभ्यास राजवातिक अवलोकन के बाद पुष्ट होने पर उक्त तीनों ग्रन्थों में नहीं हों, ऐसे और कठिन ध्यान देने योग्य जो जो विषय श्लोकवातिक में चर्चित हों उनमें ही शिष्ट की मूर्त्ति तैयार कर रखना और अनुकूलता के अनुगार उन्हें विद्याधियों में पढ़ना या स्वयं पढ़ाने के लिए कहना। इतना होने के बाद मूल की उन चारों टीकाओं में प्रथमः कितना और किस किस प्रकार का विकास किया और ऐसा करने में उन उन टीकाओं ने अन्य दर्शनों से कितना धन उठाया है या अन्य दर्शनों को उनकी कितनी देन है? यह सभी विद्याधियों को समझाना।

(४) किसी परिस्थिति के कारण राजवातिक पढ़ना या पढ़ाना शक्य न हो तो अन्त में श्लोकवातिक के अनुसार राजवातिक में भी जो जो विषय अधिक सुन्दर रूप से चर्चित हों और जिनका महत्त्व वैदिक के अनुसार बहुत अधिक हो वैसे स्थलों की एक मूर्त्ति तैयार कर कम काम इतना तो सिमाना हो। अर्थात् भाष्य और सर्वार्थसिद्धि में दो-दो अभ्यास में नियत हो और उनके साथ ही राजवातिक तथा श्लोकवातिक के उक्त दोनों ग्रन्थों में नहीं आये हुए विविष्ट प्रकरण भी सम्मिलित और शेष सभी अवशिष्ट ऐच्छिक। उदाहरणार्थ राजवातिक में शं. म. मंगी और अनेकान्तवाद की चर्चा, और श्लोकवातिक में मे. म. म. जगत्कर्ता आदि की, नय की, याद की और पृथ्वीभ्रमण की तथा इमों तरह तटस्थ भाष्य की मिद्धिनेनाय वृत्ति में से विविष्ट क वाले भागों को छांट कर उन्हें अभ्यास में रखना। उदाहरणार्थ— १: ५. २९, ३१ के भाष्य की वृत्तिकी चर्चाएँ।

(५) अभ्यास प्रारम्भ करने के पहले शिक्षक तत्स्वार्थ वा बाह्य में प्राभ्यन्तरिक परिवर्तन कराने के लिए विद्याधियों के समक्ष कुछ रचित

प्रवचन करे तथा इस प्रकार विद्यार्थियों में रस वृत्ति पैदा करे। शीघ्र बोच में प्रसंगानुसार दर्शनों के इतिहास और क्रम विकास की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित हो इसके लिए योग्य प्रवचन की सुविधा का खयाल रखे।

(६) भूगोल, खगोल स्वर्ग और पाताल विद्या के तीसरे और चौथे अध्याय का शिक्षण देने के विषय में दो बड़े विरोधी पक्ष हैं। एक पक्ष उसे शिक्षण में रखने को मना करता है जब कि दूसरा उस शिक्षण के बिना सर्वज्ञ दर्शन का अभ्यास अधूरा मानता है। ये दोनों एकान्त की अन्तिम सीमाएँ हैं। इसलिए शिक्षक इन दोनों अध्यायों का शिक्षण देना हुआ भी उसके पीछे को दृष्टि में फेरफार करे यही इस समय योग्य है। तीसरे और चौथे अध्याय का सभी वर्णन सर्वज्ञकथित है, इसमें थोड़ा भी फेरफार नहीं हो सकता, आज कल के सभी वैज्ञानिक अन्वेषण और विचार जैनशास्त्रों से विरुद्ध होने के कारण विलकुल मिथ्या होने से त्याग्य है ऐसा कहकर इन अध्यायों के शिक्षण के ऊपर भार देने की अपेक्षा एक समय आर्यदर्शनों में स्वर्ग, नरक, भूगोल और खगोल विषय में कौसी कौसी मान्यताएँ प्रचलित थी और इन मान्यताओं में जैनदर्शन का क्या स्थान है, ऐसी ऐतिहासिक दृष्टि से इन अध्यायों का शिक्षण दिया जाय तो मिथ्या समझ कर फेंक देने योग्य विषयों में से जानने योग्य बहुत बच रहता है। तथा मत्स्य-शोधन के लिए जिज्ञासा का क्षेत्र तैयार होता है, इसी प्रकार, जो सच्चा हो उसे विशेष रूप से बुद्धि की कसौटी पर कसने की प्रेरणा मिलती है।

(७) उच्च कथा के विद्यार्थियों तथा श्रवणकों को लक्ष में रखकर मैं एक दो सूचनाएँ और भी करता हूँ। पहली बात तो यह है कि तत्त्वार्थ सूत्र और भाष्य आदि में आये हुए मुद्दों का उद्गम स्थान किन किन श्वेताम्बर तथा दिगम्बर प्राचीन ग्रन्थों में है यह सब ऐतिहासिक दृष्टि से देखना और फिर तुलना करना। दूसरी बात यह है कि उन मुद्दों के विषय में बौद्ध पिटक तथा महायान के अनुकूल ग्रन्थ क्या क्या कहते हैं उनमें इस सम्बन्ध में कौसा वर्णन है यह देखना। तथा वैदिक-सभी दर्शनों

के मूलमूत्र और भाष्य में मैं इस सम्बन्ध की सीधी जानकारी करते हुए तुलना करना। मैंने ऐसा करके अनुभव से देखा है कि तत्त्वज्ञान का आचार के क्षेत्र में भारतीय आत्मा एक है। जो कुछ हो पर ऐसा अल्प बिना किये उपाय का पूरा महत्त्व ध्यान में आ नहीं सकता।

(८) यदि प्रस्तुत हिन्दी विवेचन द्वारा ही तत्त्वार्थ पढ़ाना हो तो शिक्षक पहले एक एक सूत्र लेकर उसके सभी विषय मुद्दाओं में और उनमें विद्यार्थियों का प्रवेश हो जाय तब उस उस भाग के प्रस्तुत विवेचन का वाचन स्वयं विद्यार्थियों के पास हो करा देने और कुछ पूछ कर उनकी समझ के चारों में विश्वास कर ले।

(९) प्रस्तुत विवेचन द्वारा एक संदर्भ पर्यंत सूत्र अथवा संपूर्ण जगत्पद देने के बाद परिचय में की हुई तुलनात्मक दृष्टि के आधार पर शिक्षक अधिकारी विद्यार्थियों के समक्ष स्पष्ट तुलना करे।

निःसंदेह ऊपर सूचन की हुई पद्धति के अनुसार शिक्षण देने शिक्षक के ऊपर भार बढ़ता है, पर उस भार को उस्ताह और बुद्धि पूर्वक उठाये बिना शिक्षक का स्थान उच्च नहीं बन सकता और विद्यार्थी वर्ग में विचारदृष्टि ही रह जाता है। इसलिए शिक्षक अधिक से अधिक तैयार करे और अपनी तैयारी का मकसद बनाने के लिए विद्यार्थियों का मकसद तैयार करना अनिवार्य है। शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि में जो एत करना अनिवार्य है, पर चहुँ ओर पैर न घुंते हुए वर्तमान मान-वेग के देखकर उसके भाष्य समान रूप में बैठने की व्यावहारिक दृष्टि में भी एत करना अनिवार्य है।

सुखला

श्री माधुमार्गी त्रैलोक्य संघ
पंचाशहर - भो ना हर

तत्त्वार्थाधिगमसूत्राणि

॥० भाष्य में मुद्रित सूत्र	रा-पा राजवार्तिककार द्वारा निर्दिष्ट पाठान्तर
रा० राजवार्तिक में मुद्रित सूत्र	स-पा० सर्वार्थासिद्धि में निर्दिष्ट पाठान्तर
स० सर्वार्थासिद्धि में मुद्रित सूत्र	सि-पा० सिद्धसेनवृत्ति का प्रत्यन्तर का पाठ
श्लो० श्लोकवार्तिक में मुद्रित सूत्र	सि-भा० सिद्धसेनीयवृत्ति का भाष्य पाठ
सि० सिद्धसेनीय टीका में मुद्रित सूत्र	सि-वृ० सिद्धसेनीयवृत्तिसंमत पाठ
हा० हारिभद्रीय टीका में मुद्रित सूत्र	सि-वृ-पा० सिद्धसेनीयवृत्ति निर्दिष्ट पाठान्तर
टि० तत्त्वार्थ टिप्पण (अमुद्रित अनेकान्त ३. १.)	

प्रथमोऽध्यायः

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥ २ ॥

तन्निसर्गादधिगमाद्वा ॥ ३ ॥

जीवाजीवास्त्रैवबन्धसंवरनिर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् ॥ ४ ॥

नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः ॥ ५ ॥

प्रमाणनयैरधिगमः ॥ ६ ॥

निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥

नत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च ॥ ८ ॥

मतिश्रुतावधिमनःपर्यायकेवलानि ज्ञानम् ॥ ९ ॥

तत् प्रमाणे ॥ १० ॥

आद्ये परोक्षम् ॥ ११ ॥

प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १२ ॥

मतिःस्मृतिःसंज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् ॥ १३ ॥

तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥ १४ ॥

• अवग्रहेहावायधारणाः ॥ १५ ॥

बहुबहुविधक्षिप्रानिश्रितामंदिग्धध्रुवाणां सेतुगणाम् ॥ १६ ॥

अर्थस्य ॥ १७ ॥

व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥

न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥ १९ ॥

श्रुतं मतिपूर्वं अनेकद्वादशभेदम् ॥ २० ॥

द्विविधोऽवधिः ॥ २१ ॥

भैवप्रत्ययो नारकदेवानाम् ॥ २२ ॥

यथोक्तनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ॥ २३ ॥

१ तत्र आद्ये-हा० ।

२ हावाय-भा०, हा० मि० । अकलेक ने 'अपाय' 'अवाय' दोनों को मिला कहा है ।

३ निःसृतानुवृत्तधु-म०, रा० । -निसृतानुवृत्तधु-श्लो० । -क्षिप्रनिःसृतानुवृत्तधु-म-पा० । प्रानिश्रितानुवृत्तधु-भा०, मि-पृ० । -श्रितनिश्चितधु-मि-पृ०-म० ।

४ म० रा० श्लो० में मूलरूप नहीं । उत्पानमें म० और रा० में है ।

५ तत्र भय मि० भयप्रापयोवधिवैधनारकाणाम्-म०, प०, श्लो० ।

६ क्षयोपशमनिमित्तः-म० ग० श्लो० । भाष्य में व्याख्या है

“यथोक्तनिमित्तः क्षयोपशमनिमित्त इत्यर्थः”

ऋजुचिपुलमती मनःपर्यायः ॥ २४ ॥

विशुद्धप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥ २५ ॥

विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिर्मनःपर्याययोः ॥ २६ ॥

मतिश्रुतयोर्निबन्धः सर्वद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥ २७ ॥

रूपिष्ववधेः ॥ २८ ॥

तदनन्तभागे मनःपर्यायस्य ॥ २९ ॥

सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ ३० ॥

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः ॥ ३१ ॥

मतिश्रुतांऽवधयो विपर्ययश्च ॥ ३२ ॥

सदसतोरविशेषाद् यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥ ३३ ॥

नैगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दा नयाः ॥ ३४ ॥

आद्यशब्दा द्वित्रिभेदौ ॥ ३५ ॥

१. मनःपर्यायः—स० रा० श्लो० ।

२. मनःपर्यायोः—स० रा० श्लो० ।

३. निबन्ध-द्रव्ये—स० रा० श्लो० ।—१ २० के भाष्यमें जो गूचांश उद्धृत है उसमें 'सर्व' नहीं है ।

४. मनःपर्यायस्य—स० रा० श्लो० ।

५. श्रुताविभङ्ग विष-हा० ।

६. शब्दसमभिरुद्धैवभूता नयाः—म० रा० श्लो० ।

७. यह सूत्र स० रा० श्लो० में नहीं है ।

द्वितीयोऽध्यायः

औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिथश्च जीवस्य स्वतत्त्वौ
दयिकपारिणामिकौ च ॥ १ ॥

द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् ॥ २ ॥

सम्यक्त्वचारित्रे ॥ ३ ॥

ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥ ४ ॥

ज्ञानाज्ञानदर्शनदानादिलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः यथा
क्रमं सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च ॥ ५ ॥

गतिकपायलिङ्गमिथ्यादर्शनाऽज्ञानाऽसंयताऽसिद्धत्वैरे-
श्याश्चतुश्चतुस्त्र्यैकैकैकपद्भेदाः ॥ ६ ॥

जीवभव्याभव्यत्वौदीनि च ॥ ७ ॥

उपयोगो लक्षणम् ॥ ८ ॥

सं द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ॥ ९ ॥

संसाग्निगो मुक्ताश्च ॥ १० ॥

समनस्काऽमनस्काः ॥ ११ ॥

१. दर्शनलक्षणम्-म० रा० श्लो० १ ।

२. भेदाःसम्य-म० रा० श्लो० १ ।

३. तिट्ठनेऽद्या-म० रा० श्लो० १ ।

४. स्वतत्त्वौ न-म० रा० श्लो० १ ।

५. 'म' गर्हा हे मि-वृ-पा० ।

६. किमी हे शारा किए गये सूत्र विषयान को प्राणिकना तिट्ठने-
को हे ।

संसारिणस्त्रसंस्थावराः ॥ १२ ॥

पृथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥

तेजोवायू द्वीन्द्रियादयश्च त्रसाः ॥ १४ ॥

पंचेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥

द्विविधानि ॥ १६ ॥

निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥ १७ ॥

लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥ १८ ॥

उपयोगः स्पर्शादिषु ॥ १९ ॥

स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥ २० ॥

स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तेषामर्थाः ॥ २१ ॥

श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥ २२ ॥

वाय्वन्तानामेकम् ॥ २३ ॥

१ भूल से इस पुस्तक में 'त्रसाः' उपा है ।

२ पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः स० रा० श्लो० ।

३ द्वीन्द्रियादयश्च त्रसाः स० रा० श्लोक० ।

४ स० रा० श्लो० में नहीं है । सिद्धसेन कहते हैं—'कोई इसको सूत्र रूपसे नहीं मानते और वे कहते हैं कि यह तो भाष्यवाक्य को सूत्र बना दिया है'—पृ० १६९ ।

५—तवर्षा—स० रा० श्लो० । 'तदर्थाः' ऐसा समस्तपद ठीक नहीं इस शंका का समाधान अरुल्लेक और विद्यानन्द ने दिया है । दूसरी ओर श्वे० टीकाकारों ने असमस्त पद क्यों रसा है इसका खुलासा किया है ।

६ वनस्पत्यन्तानामेकम् स० रा० श्लो० ।

शुभं विशुद्धमन्याधाति चाहारकं चेतुर्दशपूर्वधरस्वैव ।
नारकसम्मूर्च्छिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥

न देवाः ॥ ५१ ॥

औपपातिकचरमेदेहोत्तमपुरुषाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनप-
र्त्यायुषः ॥ ५२ ॥

बाद यह मूत्र रूप में आया है । नि० में यह मूत्र क० स० प्रा० क० पा० अन्तर है । टि० में यह मूत्र स्वतंत्र रूप से है । किन्तु वह अन्तः का के बाद है । उसका यहाँ होना टिप्पणकारने अनुचित माना है ।

१ -कं घनुवंशपूर्वधर एव सि० । -कं प्रमत्तसंपद्यत्स्यैव- ग० रा० श्लो० ।
गिद्धतेन का कहना है कि कोई 'अकृत्स्नभृतस्यद्विमतः' ऐसा विवेक-
और जोड़ते हैं ।

२ इसके बाद ग० रा० श्लो० में 'शेषादित्रिवेदाः' ऐसा मूत्र है । देवा-
म्वरपाठ में यह मूत्र नहीं गमना जाया । क्योंकि इस मन्त्रक का अर्थ
यहाँ भाष्यवाच्य है ।

३ औपपातिकचरमोत्तमवेहाऽसं-ग० रा० श्लो० ।

४ -अरमरंहोत्तमदेहेनु-स-पा०, रा-पा० । गिद्धतेन का कहना है कि-
इस मूत्र में मूत्रकार ने 'उत्तमपुरुष' पर का प्रहण नहीं किया है-ऐसे
कोई मानते हैं । पूज्यभार, अकर्मक और विद्यानन्द 'अरम' को 'उत्तम'
का विवेकन समझते हैं ।

तृतीयोऽध्यायः

रत्नशर्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमःप्रभा भूमयो धना-
म्बुवाताकाशप्रतिष्ठाःसप्ताधोऽधः पृथुतराः ॥१॥

तासु नरकाः ॥२॥

निर्त्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥३॥

परस्परोदीरितदुःखाः ॥४॥

संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः ॥५॥

तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाः
सत्त्वानां परा स्थितिः ॥६॥

जम्बूद्वीपलवणोदयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥७॥

द्विद्विर्विष्कम्भाःपूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो बलयाकृतयः ॥८॥

तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रंविष्कम्भो जम्बू-
द्वीपः ॥९॥

तत्र भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः
क्षेत्राणि ॥१०॥

इसके विग्रह में सिद्धान्त पाठ और सामर्थ्यगम्य पाठ को चर्चा सर्वाय-
सिद्धि में है ।

२ पृथुतराः स० रा० श्लो० में नहीं । 'पृथुतरा' पाठ की अनावश्यकता
अकलङ्क ने दिखलाई है । इस सूत्र के बाद टि० में " घर्माविंश शैलां-
जना रिष्टा माधव्या माधवीति च " ऐसा सूत्र है ।

३ तासु त्रिंशत्पञ्चविंशतिपञ्चदशत्रिपञ्चोनेकतरकशतसहस्राणि पञ्चैव
मथाक्रमम् स० रा० श्लो० । इस सूत्र में सन्निहित गणना भाष्य में है ।

४ तेषु नारकाः नित्या-मि० । नारकाः नित्या-म० रा० श्लो० ।

५ -लवणोदयः' स० रा० श्लो० ।

६ 'तत्र' टि०, म० रा० श्लो० में नहीं ।

ताद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निव-
नीलरुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वताः ॥११॥

द्विधातकीखण्डे ॥१२॥

पुष्करार्धे च ॥१३॥

प्राह् मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥१४॥

आर्या म्लेच्छाश्च ॥१५॥

भरतैरावतविदेहाःकर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरुचरकुहभ्यः १६

नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तमुहूर्ते ॥१७॥

तिर्यग्योनीनां च । १८॥

१ 'वर्षधरपर्वताः' ति० ।

२ इस मंत्र के बाद "तत्र पञ्च" इत्यादि मन्त्रों का बोध मंत्र रामप्रते ही ऐसा सिद्धमेव का कहना है। म० में इस मन्त्र का मंत्र २८ श्लोक है। हरिभद्र और सिद्धमेव कहते हैं कि यहाँ कोई विशय बहुत नये मंत्र आने आप बना करके विस्तार के लिए करते हैं। यह उनका कथन संभवतः सर्वसिद्धिमान्य मंत्रपाठ की परंपरे रखकर ही सकता है; क्योंकि उनमें इस मंत्र के बाद १२ मंत्र ऐसे हैं जो सब मंत्रपाठ में नहीं हैं। और उसके बाद के मंत्र २४ और २५ के मंत्र भी भाष्यमान्य ११ के मंत्र के भाष्यवाच्य ही हैं। म० रा० के २६ में ३२ मंत्र भी अधिक ही हैं। म० का मन्त्रुर्वी मंत्र ३०० में तोड़ कर दो बना दिया गया है। यहाँ अधिक मंत्रों के पाठ के लिये म० रा० श्लो० देसना चाहिए।

३ आर्या म्लेच्छ-भ० श्लो० ।

४ परापरे-रा० श्लो० ।

५ तिर्यग्योनीनां च म० रा० श्लो० ।

चतुर्थोऽध्याय

- देवाश्चतुर्निकायाः ॥ १ ॥
 तृतीयः पीतलेश्यः ॥ २ ॥
 दशाष्टपंचद्विंशत्रिकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥ ३ ॥
 इन्द्रसामानिकवायस्त्रिंशपारिषद्वात्मरक्षलोकपालानिक-
 प्रकीर्णकामियोग्यकिल्वपिकाश्चैकशः ॥ ४ ॥
 त्रायस्त्रिंशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५ ॥
 पूर्वयोर्द्विन्द्राः ॥ ६ ॥
 पीतान्तलेश्याः ॥ ७ ॥
 कायप्रवीचारा आ ऐशानात् ॥ ८ ॥
 शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचारा द्वयोर्द्वयोः ॥ ९ ॥
 परेऽप्रवीचाराः ॥ १० ॥

- १ देवाश्चतुर्निकायाः स० रा० श्लो० ।
 २ आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः स० रा० श्लो० । देखो, हिन्दी विवेचन पृ० १३७ टि० १
 ३ -पारिषदा-स० रा० श्लो० ।
 ४ -शल्लोक-स० ।
 ५ घर्जा-सि०
 ६ यह सूत्र स० रा० श्लो० में नहीं ।
 ७ 'द्वयोर्द्वयोः' स० रा० श्लो० में नहीं है । इन पदों को सूत्र में रसना चाहिये ऐसी किसी की शंका का समाधान करते हुए अकलङ्क रहते हैं कि ऐसा करने से आप विरोध जाता है ।

भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाप्रिवातस्वनितादधि-
द्वीपदिक्कमाराः ॥ ११ ॥

व्यन्तराः किन्नरकिंपुरुषमहोरगगान्धर्वयक्षराक्षसभूत-
पिशाचाः ॥ १२ ॥

ज्योतिष्काः सूर्याश्चन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णतारकाश्च ॥ १३ ॥
भेरुप्रदाक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥ १४ ॥

तत्कृतः कालविभागः ॥ १५ ॥

बाहिरवस्थिताः ॥ १६ ॥

वैमानिकाः ॥ १७ ॥

कल्पोपपन्नाः कल्पातोताश्च ॥ १८ ॥

उपर्युपरि ॥ १९ ॥

सौधमेशानसानत्कुमारमाहेन्द्रैर्ब्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्र-
महस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रैवेयके-
विजययैजयन्तजयन्ताऽपराजितेषु सर्वार्थसिद्धे च ॥ २० ॥
स्थितिप्रभावद्युतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावाधिविषयतो-
ऽधिकाः ॥ २१ ॥

१ गन्धर्व-हा० म० रा० श्लो० ।

२ -सूर्याश्चन्द्रमसो-म० रा० श्लो० ।

३ - प्रकीर्णकता०-म० रा० श्लो० ।

४ तारादय-हा० ।

५ -माहेन्द्रैर्ब्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्रमहस्रारैश्चानतप्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रैवेयके-
रा० श्लो० । श्लो० में-सतार पाठ है । दिग्ध्वर परम्परा में भी शान्ति-
दग्गां में बाह्य वस्त्र होनेवा इयत्त ई-देखो, अतः प्रगत रूप ४ को
६ पु० २०२ । अनेकांत ५. १०-११ पु. १८२

६ -तिद्धी च म० रा० श्लो० ।

गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः*॥२२॥

पीतंपद्मशुक्लेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥२३॥

प्राग् ग्रैवेयकेभ्यः कल्पः ॥२४॥

ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः ॥२५॥

सारस्वतादित्यवह्नयरुणगर्दतोयतुषिताव्याबाधमैरुतो-
ऽरिष्ठाश्च ॥२६॥

त्रिजयादिषु द्विचरमाः ॥२७॥

औषधैः पातिका मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः ॥२८॥

स्थितिः* ॥२९॥

भवनेषु दक्षिणार्धाधिपतीनां पत्योपममध्यर्धम् ॥३०॥

शेषाणां पादोने ॥३१॥

असुरेन्द्रयोः सागरोपममधिकं च ॥३२॥

सौधर्मादिषु यथाक्रमम् ॥३३॥

* टि० में इसके बाद—“उच्छ्वासा हारवेदनोपपाता नुमावतश्च साध्याः”
ऐसा सूत्र है ।

पीतमिषपद्ममिश्रशुक्लेश्या द्वित्रिचतुश्चतुः शेषेष्विति रा-पा० ।

शुक्लेश्या लोका-स० रा० श्लो० । मि-पा० ।

शेषाणां पादोने—स० रा० श्लो० । देखो हिन्दी विवेचन पृ० १५५
टि० १ ।

असुरेन्द्रयोः—पादिक-म० रा० श्लो० ।

इस सूत्र में ३२ वें सूत्र तक के लिए—‘स्थितिरसुरनागमुपगंडोपशेषाणां
सागरोपमत्रिपत्योपमाद्वंद्वहीनमिता’—ऐसा स० रा० श्लो० में एक ही
सूत्र है । श्वे० दि० श्लो० परंपराओं में भवनपतिकी उत्कृष्ट स्थिति के
विषय में मतभेद है ।

इस सूत्र में ३५ वें तक के सूत्र के लिये एक ही सूत्र—सौधर्मादिषु

पञ्चमोऽध्यायः

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥१॥

द्रव्याणि जीवाश्च ॥२॥

नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥३॥

रूपिणः पुद्गलाः ॥४॥

आकाशादेकद्रव्याणि ॥५॥

निष्क्रियाणि च ॥६॥

असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मयोः ॥७॥

१ म० रा० श्लो० में इस एक सूत्र के स्थान में 'द्रव्याणि' 'जीवाश्च' ऐसे दो सूत्र हैं। सिद्धमेत कहते हैं—“कोई इस सूत्र को उपर्युक्त प्रकार के दो सूत्र बनाकर पड़ते हैं सो ठीक नहीं”।

अकलङ्क के सामने भी किसीने घट्टा उठाई है—“द्रव्याणि जीवाः” ऐसा 'च' रहित एक सूत्र ही क्यों नहीं बनाते ?” विद्यानन्दका श्रुति है कि स्पष्ट प्रतिज्ञा के लिये ही दो सूत्र बनाए हैं।

२ सिद्धमेत कहते हैं—“कोई इस सूत्र को तोड़ कर 'नित्यावस्थितानि' 'अरूपाणि' ऐसे दो सूत्र बनाते हैं।” 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि' ऐसा पाठान्तर भी वृत्ति में उन्होंने दिया है। 'नित्यावस्थितान्यरूपसंज्ञि' ऐसा एक और भी पाठका निर्देश उन्होंने किया है। “कोई नित्यावस्थितान्यरूपाणि का विशेषण गमनां है” ऐसा भी वे ही कहते हैं। इस सूत्र की व्याख्या के मतान्तरों के लिये सिद्धमेतीय वृत्ति देखनी चाहिए।

३ ऐतद्विन्दो विवेचन पृ० १६६ टि० १।

४ -धर्माधर्मजीवानाम्-म० रा० श्लो०।

जैविस्य ॥ ८ ॥

आकाशस्यानन्ताः ॥ ९ ॥

सङ्ख्येयासङ्ख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥ १० ॥

नाणोः ॥ ११ ॥

लोकाकाशेऽवगाहः ॥ १२ ॥

धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ १४ ॥

असङ्ख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५ ॥

प्रदेशसंहारविभर्गाभ्यां प्रदीपवत् ॥ १६ ॥

गतिभित्त्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः ॥ १७ ॥

आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥

शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥ १९ ॥

मुखदुःखजीवतमग्णापग्रहाश्च ॥ २० ॥

परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥ २१ ॥

वर्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥

स० रा० श्लो० में यह पृथक् सूत्र नहीं । पृथक् सूत्र क्यों किया गया है इसका रहस्य सिद्धसेन दिखाते हैं ।

—वितर्ग—ग० रा० श्लो० ।

—पग्रहो—सि० स० रा० श्लो० । अकलंकने द्विवचन का समर्थन किया है । देवो हिन्दो विवेचन पृ० १७८ टि० १ ।

वर्तनापरिणामक्रियाः पर—स० । वर्तनापरिणामक्रिया पर—रा० । ये नपादकों को भ्रान्तिजन्य पाठान्तर मान्य है । क्योंकि दोनों टोनाकारों ने इस सूत्र में समस्त पद होने की कोई सूचना नहीं की ।

स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पृथ्वलाः ॥ २३ ॥

शब्दचन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमच्छायातरोद्देशे
तवन्तश्च ॥ २४ ॥

अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥

सेधातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥

भेदादणुः ॥ २७ ॥

भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषाः ॥ २८ ॥

उत्पौदव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् ॥ २९ ॥

तद्भावाव्ययं नित्यम् ॥ ३० ॥

अर्पितानर्पितासिद्धेः ॥ ३१ ॥

स्निग्धरूक्षत्वाद्गन्धः ॥ ३२ ॥

नै जघन्यगुणानाम् ॥ ३३ ॥

१ भेदसंघातेभ्य उ-स० रा० इत्यो० ।

२ -वासुध. स० रा० इत्यो० । गिरुमेत इत्त सूत्र के अर्थ करने में (१) का मतभेद दिखाते हैं ।

३ इस सूत्र के पहिले स० ओर इत्यो० में 'सत् इव्यययुक्तम्' ऐसा सूत्र लिखित रा० में ऐसा अलग सूत्र नहीं । उनमें जो यह बात लप्या है वही गलत है । भाष्य में इसका भाग बयान है ।

४ इस सूत्र की व्याख्या में मतभेद है । हरिभट्ट सूत्र के निराला ही करते हैं । हरिभट्ट ने जैसी व्याख्या की है वैसी व्याख्या का निराला मतान्तर रूपसे निर्देश किया है ।

५ गन्ध की प्रकिया में इवे० टि० के मतभेद के लिये देनी, द्वितीयादि १० २०१ ।

गुणसाम्ये सदृशानाम् ॥ ३४ ॥

द्वयधिकादिगुणानां तु ॥ ३५ ॥

बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ ॥ ३६ ॥

गुणपर्यायवद् द्रव्यम् ॥ ३७ ॥

कालश्चेत्येके ॥ ३८ ॥

सोऽनन्तसमयः ॥ ३९ ॥

द्रव्यश्रया निर्गुणा गुणाः ॥ ४० ॥

तद्भावः परिणामः ॥ ४१ ॥ ७

अनादिरादिमांश्च ॥ ४२ ॥

रूपिष्वादिमान् ॥ ४३ ॥

योगोपयोगौ जीवेषु ॥ ४४ ॥

०

५

- १ बन्धेधिकौ पारिणामिकौ स० श्लो० । रा० में सूत्र के ४ अधिक हैं । अकलंक ने 'समाधिकौ' पाठ का खण्डन किया है ।
- २ देखो हिन्दी विवेचन पृ० २०९ टि० १ । कालश्च स० रा० श्लो० ।
- ३ ये अन्त के तीन सूत्र स० रा० श्लो० में नहीं । भाष्य के मत का खण्डन रामयानिककार ने किया है । विस्तार के लिये देखो हिन्दी विवेचन पृ० २१२ । टि० में इसके पहले 'सद्विविधः' ऐसा सूत्र है ।

पष्ठोऽध्यायः

कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥ १ ॥

स आस्रवः ॥ २ ॥

शुभः पुण्यस्य ॥ ३ ॥

अशुभः पापस्य ॥ ४ ॥

सकपायाकपाययोः साम्प्रसायिकेर्थापद्ययोः ॥ ५ ॥

अत्रतकपायेन्द्रियक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपधविंशति-
सङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥ ६ ॥

तात्रमन्दज्ञाताज्ञातभार्वैवीर्याधिकरणविशेषस्यस्त-
द्विशेषः ॥ ७ ॥

अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ८ ॥

१ देवो हिंसो विवेकत पु० २१५ टि० १ ।

२ यह सूत्ररूप में हा० में नहीं । लेकिन 'श्रेयं पापम्' ऐसा सूत्र है ।
में 'अशुभ. पापस्य' सूत्र रूप में उक्त है किन्तु टीका में साधु
है कि यह भाष्यवाच्य है । निवृत्तेन भी भी 'श्रेयं पापम्' ही सूत्र
में शक्तिमान् भाष्यनोता है ।

३ इन्द्रियकृत्यानावतत्रिन्ना - हा० नि० टि० । ग० रा० दश० । भाष्य
पाठ में 'अत्रत' हो पढ़ना है । तिस्रमेव सूत्र की टीका काही है ।
उनमें मानने 'इन्द्रिय' - पाठ प्रथम है । तिस्रु सूत्रके भाष्यमें 'अत्र
पाठ प्रथम है । तिस्रमेव की सूत्र और भाष्य की यह कल्पना
रुद्ध है और उन्हीने इच्छा दूर करने की शक्ति भी की है ।

४ - भाष्याधिकरणसौवर्दिने - ग० रा० दश० ।

आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकपाय-
विशेषैस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः ॥९॥

निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः
परम् ॥१०॥

तत्प्रदोषनिह्वयमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदर्श-
नावरणयोः ॥११॥

दुःखशोक्तापाक्रन्दनयधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्था-
न्यसद्वेद्यस्य ॥१२॥

भूतव्रत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादि योगः क्षान्तिः
शौचमिति सद्वेद्यस्य ॥१३॥

केवलिश्रुतमङ्घर्मदेवावर्णवादी दर्शनमोहस्य ॥१४॥

कपायोदयात्तीव्रात्मपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥१५॥

बह्वारम्भपरिग्रहत्वं च नारकास्यासृषाः ॥१६॥

माया तैर्यग्योनस्य ॥१७॥

अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वर्भावमार्दवाजैवं च मानु-
पस्य ॥१८॥

१ भूतव्रत्यनुकम्पादानसारागसंयमादियोगः—स० ग० श्लो० ।

२—तीव्रपरि० स० रा० श्लो० ।

३—त्वं नार—स० रा० श्लो० ।

४ इसके स्थानमें 'अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुपस्य' और 'स्वभावमार्द-
यं च' ऐसे दो सूत्र दि० परंपरा में हैं । एक ही सूत्र बयों नहीं बनाया
इन संकल्पन समाधान भी दि० टीकाकारों ने दिया है ।

पष्ठोऽध्यायः

- कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥ १ ॥
 स आस्रवः ॥ २ ॥
 शुभः पुण्यस्य ॥ ३ ॥
 अशुभः पापस्य ॥ ४ ॥
 सकपायाकपाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः ॥ ५ ॥
 अत्रतकपायेन्द्रियक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशति-
 सङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥ ६ ॥
 तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभार्वेयीर्याधिकरणविशेषेभ्यस्त-
 द्विशेषः ॥ ७ ॥
 अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ८ ॥

१ देखो हिन्दी विवेचन पृ० २१५ टि० १ ।

२ यह सूत्ररूप से हा० में नहीं । लेकिन 'शेष पापम्' ऐसा सूत्र है । जिसमें 'अशुभः पापस्य' सूत्र रूप से छपा है लेकिन टीका में मालूम हो है कि यह भाष्यवाक्य है । सिद्धसेन को भी 'शेष पापम्' ही सूत्र में अभिमत मालूम होता है ।

३ इन्द्रियकपायात्रतक्रियाः— हा० सि० टि० । सं० रा० श्लो० । भाष्यमा पाठ में 'अत्रत' ही पहला है । सिद्धसेन सूत्र की टीका करते हैं कि उनके सामने 'इन्द्रिय'— पाठ प्रथम है । किन्तु सूत्रके भाष्यमें 'अत्र' पाठ प्रथम है । सिद्धसेन को सूत्र और भाष्य की यह असंगति मालूम हुई है और उन्होंने इसका दूर करने की कोशिश भी की है ।

४ —भावाधिकरणवीर्यविशे—स० रा० श्लो० ।

आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकपाय-
विशेषैस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः ॥९॥

निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगानिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः
परम् ॥१०॥

तत्प्रदोपनिह्वयमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदर्श-
नावरणयोः ॥११॥

दुःखशोक्रतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्या-
न्यसद्वेद्यस्य ॥१२॥

भूतग्रत्यनुकम्पा दानं सरागसंचमादि योगः क्षान्तिः
शौचमिति सद्वेद्यस्य ॥१३॥

केवलिश्रुतमङ्गधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥१४॥

कपायोदयात्तीव्रात्मपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥१५॥

बह्वारम्भपरिग्रहत्वं च नारकास्यायुषाः ॥१६॥

माया तैर्यग्योनस्य ॥१७॥

अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्द्रवार्जवं च मानु-
पस्य ॥१८॥

१ भूतग्रत्यनुकम्पादानसरागसंचमादियोगः—म० रा० श्लो० ।

२—तीव्रपरि० स० रा० श्लो० ।

३—त्वं नार—स० रा० श्लो० ।

४ इसको स्थानमें 'अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुपस्य' और 'स्वभावमार्द्र-
वं च' ऐसे दो सूत्र दि० परंपरा में हैं । एक ही सूत्र क्यों नहीं बनाया
इन मंकाका समाधान भी दि० टीकाकारों ने दिया है ।

निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् ॥१९॥

सैरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जरावालतपांभि
देवस्य ॥२०॥*

योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः ॥२१॥

विपरीतं शुभस्य ॥२२॥

दर्शनविशुद्धिर्विनयसंपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारो-
ऽभीक्ष्णं ज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपत्नी सङ्घ-
साधुसमाधिवैयाघ्रत्यकरणमर्हदाचार्यबहुधृतप्रवचनभ-
क्तिरावश्यकापरिहाणिर्मार्गप्रभावना प्रवर्धनवत्सलत्व-
मिति तीर्थकृत्वस्य ॥ २६ ॥

परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणाच्छादनोद्भावने च नीच-
गोत्रस्य ॥ २४ ॥

तद्विपर्ययो नीचवृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥ २५ ॥

विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥ २६ ॥

१ देखो हिन्दी विवेचन पृ० २२७ टि० १ ।

२ देखो हिन्दी विवेचन पृ० २२७ टि० २ ।

*इस के बाद "सम्यक्त्वं च" ऐसा मूत्र टि० में है ।

३ तद्विप-स० रा० श्लो० ।

४ -भीक्षणज्ञा-म० रा० श्लो० ।

५ -सौ साधुसमाधिर्वै-स० रा० श्लो० ।

६ तोषंकरत्यस्य स० रा० श्लो० ।

७ -गुणोच्छा-स० । गुणच्छा-रा० श्लो० । म-वृ० संमत
'गुणच्छा -है ।

सप्तमोऽध्यायः

✓ हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिव्रतम् ॥ १ ॥

देशसर्वतोऽणुमहती ॥ २ ॥

तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च ॥ ३ ॥

हिंसादिष्विहामुत्र चापायावद्यदशनम् ॥ ४ ॥

दुःखमेव वा ॥ ५ ॥

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थैर्यानि सत्त्वगुणाधिकाक्लिश्य-
मानाविनेयेषु ॥ ६ ॥

१ 'पञ्च पञ्चगः' मि-वृ-पा०। अकलंक के सामने 'पञ्चगः' पाठ होने की आशंका की गई है। इस सूत्र के बाद 'वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपण समित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥४॥ क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्या-
ख्यानान्यनुबोधिभाषणं च पञ्च ॥ ५ ॥ शून्यागारविमोचितायास-
परोपरोधाकरणभंस (क्षय-रा०) शुद्धिसद्धर्मा (सधर्मा-श्लो०) विसंवादाः
पञ्च ॥ ६ ॥ स्त्रीरागकथाश्रयणतन्मनोहराङ्गतिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरण-
वृत्तेष्टरसस्त्वशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च ॥ ७ ॥ मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रिय-
धिपयरागद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥ ८ ॥ ऐसे पाँच सूत्र स० रा० श्लो०
में हैं जिनका भाव इसी सूत्र के भाष्य में है।

२ -मुत्रापाया-म० रा० श्लो० ।

३ सिद्धसेन कहते हैं कि इसी सूत्र के 'व्याधिप्रतीकारत्वात् कंडूपरि-
गतस्वाच्चाद्यह्य' तथा 'परिग्रहेष्वप्राप्तप्राप्तनष्टेषु काङ्क्षादीकी
प्राप्तेषु च रक्षणमुपभोगे वाऽवितृप्तिः' इन भाष्य वाक्यों को कोई दो
सूत्ररूप मानते हैं।

४ -माध्यस्थानि च स-स० रा० श्लो० ।

जगत्कायस्त्रभावौ च संवेगवैराग्यार्थम् ॥ ७ ॥

अमत्तयागात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ ८ ॥

असदाभिधानमनृतम् ॥ ९ ॥

अदत्तादान स्तेयम् ॥ १० ॥

मैथुनमब्रह्म ॥ ११ ॥

मूर्छा परिग्रहः ॥ १६ ॥

निःशल्यो व्रती ॥ १३ ॥

अगार्यनगारश्च ॥ १४ ॥

अणुव्रतोऽगारी ॥ १५ ॥

दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकर्षोपधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिमंविभागव्रतसंपन्नश्च ॥ १६ ॥

मारणान्तिकी संलेखनां जोपिता ॥ १७ ॥

शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दृष्टेरतिचाराः ॥ १८ ॥

व्रतशीलेषु पञ्च यथाक्रमम् ॥ १९ ॥

१ -वौ वा सं-स० रा० श्लो० ।

२ -पिकप्रोपधो-स० रा० श्लो० ।

३ -परिभोगातिथि-भा० । सिद्धसेन वृत्ति में जो इस सूत्र का भाष्य है उसमें भी परिमाण शब्द नहीं है । देखो पृ० १६. पं० १२ ।

४ देखो हिन्दी विवेचन पृ० २६२ टि० १ ।

५ संलेखना स० रा० श्लो० ।

६ स्तीचाराः भा० शि० रा० श्लो० ।

अन्ध्रवधच्छविच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥२०॥

मिथ्योपदेशरहस्याभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहार-
साकारमन्त्रभेदाः ॥ २१ ॥

स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिक-
मानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २२ ॥

परविवाहकरणेत्वरपरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्गक्री-
डातीव्रकामाभिनिवेशाः ॥ २३ ॥

क्षेत्रवास्तुद्विरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणाति-
क्रमाः ॥ २४ ॥

ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तर्धानानि ॥२५॥

१ -वधच्छेदाति-स० रा० श्लो० ।

२ -रहोभ्या-स० रा० श्लो० ।

३ -रणेत्वरिकापरि-स० रा० श्लो० ।

४ -डाकामतीव्राभि-म० रा० श्लो० ।

५ इस सूत्र के स्थान में कोई-परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृही-
तागमनानङ्गक्रीडातीव्रकामाभिनिवेशः (शाः) सूत्र मानते हैं,
ऐसा सिद्धसेनका कहना है । यह सूत्र दिगम्बर पाठ से कुछ भिन्नता
है । संपूर्ण नहीं । देखो ऊपर की टिप्पणी ।

कुछ लोग इसी सूत्र का पदविच्छेद 'परविवाहकरणम् इत्वरिका-
गमनं परिगृहीतापरिगृहीतागमनं अनङ्गक्रीडातीव्रकामाभिनिवेशः'
एन तरह करते हैं यह बात सिद्धसेन ने कही है । यह आशेष भी
दिगम्बर व्याख्याओं पर है ऐसा मालूम नहीं होता । इस प्रकार
पदच्छेद करने वाला ' इत्वरिका ' पद का जो अर्थ करता है वह भी
सिद्धसेन को मान्य नहीं ।

६ स्मृत्यन्तराधानानि म० रा० श्लो० ।

आनर्थेनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः ॥ २६ ॥

कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोगाधिक-
त्वानि ॥ २७ ॥

योगदृष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थोपनानि ॥ २८ ॥

अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादानानिक्षेपसंस्तारोपक्रम-
णानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ॥ २९ ॥

सचित्तसंबद्धसंमिश्रानिषवदुष्पक्काहाराः ॥ ३० ॥

*सचित्तनिक्षेपपिधानपरव्यदपेशमात्सर्गकालातिक्रमाः ३

जीवितमरणाशंसाभिन्नानुरागसुखानुबन्धनिदानै-
करणानि ॥ ३२ ॥

अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३३ ॥

विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात् तद्विशेषः ॥ ३४ ॥

- १ किसी के मत से 'आनायन' पाठ है ऐसा सिद्धसेन कहते हैं।
- २ पुद्गलप्रक्षेपाः भा० हा० । हा० वृत्ति में तो 'पुद्गलप्रक्षेपाः' ही पाठ है । सि- वृ० में 'पुद्गलप्रक्षेप' प्रतीक है ।
- ३ -कौकुच्य- भा० हा० ।
- ४ -करणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि स० रा० श्लो० ।
- ५ स्मृत्यनुपस्थानानि न० ग० श्लो० ।
- ६ अप्रत्यवेक्षि- हा० ।
- ७ दानसंस्तारो- म० रा० श्लो० ।
- ८ -स्मृत्यनुपस्थानानि- स० रा० श्लो० ।
- ९ -मन्बन्ध- म० रा० श्लो० ।
कृटि० में यह सूत्र नहीं है ।
- १० -शंसापिधान- स० रा० श्लो० ।
- ११ निदानानि न० रा० श्लो० ।

अष्टमोऽध्यायः

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥

सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते ॥ २ ॥

स बन्धः ॥ ३ ॥

प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्विधयः ॥ ४ ॥

आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कैनामगोत्रा-
न्तरायाः ॥ ५ ॥

पञ्चनवद्व्यष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेदा यथा-
क्रमम् ॥ ६ ॥

मत्यादीनाम् ॥ ५ ॥

चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला-
प्रचलास्त्यानगृद्धिवेदनीयानि च ॥ ८ ॥

१ - दत्ते स बन्धः ॥ २ ॥ स० रा० श्लो० ।

२ - त्यनुभव- स० रा० श्लो० ।

३ - नीयापुर्नाम- स० रा० श्लो० ।

४ - भेदो- रा० ।

५ - मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् स० रा० श्लो० । किन्तु यह पाठ सिद्धसेन को अपार्थक्य मालूम होता है । अकलङ्क और विद्यानन्द श्वे-
परंपरा संमत लघुपाठ की अपेक्षा उपर्युक्त पाठ को ही ठीक समझते हैं ।

६ - स्त्यानद्वि- सि० । सि-भा० का पाठ 'स्त्यानगृद्धि' मालूम होता है क्योंकि सिद्धसेन कहते हैं कि- स्त्यानद्विरिति वा पाठः ।

७ - स्त्यानगृद्धयश्च स० रा० श्लो० । सिद्धसेन ने वेदनीय पद का सम्-
बंध किया है ।

सदसद्वेद्ये ॥ ९ ॥

दर्शनचारित्रमोहनीयकपायनोकपायवेदनीयाख्यास्त्रि-
द्विपोडशनवभेदाः सम्यक्त्वमिध्यात्वतदुभयानि कपा-
यनोकपायावनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानानावरण-
संज्वलनविकल्पाश्चकेशः क्रोधमानमायालोभा हास्य-
रत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदोः ॥ १० ॥

नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि ॥ ११ ॥

गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणबन्धनसङ्घातसंस्थानसं-
ननस्पर्शरसगन्धवर्णानुपूर्व्यगुरुलघूपधातपराघातातपो-
द्ध्योतोच्छ्वासविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुख-
रशुभसूक्ष्मपर्याप्तस्थिरादेययशोसि सेतराणि तीर्थकृत्वं-
च ॥१२॥

१ दर्शनचारित्रमोहनीयाकपायकपायवेदनीयान्यास्त्रिद्विनवपोडशनभेदाः
सम्यक्त्वमिध्यात्वतदुभयान्यकपायकपायो हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सा-
स्त्रीपुंनपुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पाश्च-
केशः क्रोधमानमायालोभा-म० रा० दशो० ।

२ किसी को यह इतना लम्बा सूत्र नहीं जँचता उसको पूर्वाचार्य ने जो
जवाब दिया है वही सिद्धसेन उद्धृत करते हैं-

“ दुष्मन्प्यानी गरीयांश्च मोहो भवति बन्धनः ।

न तत्र लाभवादिष्टं मूत्रकारेण दुर्वचम् ।”

३ -नुपूर्व्याणु-स० रा० दशो० । शि-व० में ‘मानुपूर्व्यं’ पाठ है । अन्य
के मत में सिद्धसेन ने ‘मानुपूर्वी’ पाठ बताया है । दोनों के मत से मूत्र
का मिश्र मिश्र आकार कैसा होगा यह भी उद्घोषित किया है ।

-देयपदस्त्री(श.की)तिमेतराणि तीर्थकरत्वं च म० रा० दशो० ।

उच्चैर्नाचैश्च ॥ १३ ॥

दानादीनाम् ॥ १४ ॥

आदितस्त्रिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमक्रीटी-
क्रोद्यः परा स्थितिः ॥ १५ ॥

मत्सतिर्मोहनीयस्य ॥ १६ ॥

नामगोत्रयोर्विशतिः ॥ १७ ॥

त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यैष्युष्कस्य ॥ १८ ॥

अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १९ ॥

नामगोत्रयोरष्टौ ॥ २० ॥

शेषाणामन्तर्मुहूर्तम् ॥ २१ ॥

विपाकोऽनुभावः ॥ २२ ॥

स यथानाम ॥ २३ ॥

ततश्च निर्जरा ॥ २४ ॥

नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात्सुक्ष्मैकक्षेत्रावगाह-
स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २५ ॥

संद्वेद्यसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेदशुभायुर्नामगोत्राणि
पुण्यम् ॥ २६ ॥

१ वानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् म० ग० श्लो० ।

२ विशतिर्नामगोत्रयोः स० रा० श्लो० ।

३ -ण्यायुष स० रा० श्लो० । ४ -मुहूर्ता स० ग० श्लो० ।

५ -नुभवः स० रा० श्लो० । ६ -वगाहस्थि- स० रा० श्लो० ।

७ देतो हिन्दी विवेचन पृ० २९८ टि० १ । इसके स्थान में म० रा० श्लो० में दो सूत्र हैं- "संद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ।" "अतोऽन्यन् पापम् ।" यह दूसरा सूत्र भाष्य-वाचयक में अन्य टीकाकारोंने माना है ।

नवमोऽध्यायः

आसन्नवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥

स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपढजयचारित्रैः ॥ २ ॥

तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥ ४ ॥

ईर्याभाषणानदाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥ ५ ॥

उत्तमेः क्षमामार्द्वार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिञ्च-
न्यत्रलक्ष्यार्थाणि धर्मः ॥ ६ ॥

अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुचित्वान्मन्त्रसंवरानिर्जरा-
लोकबोधिदुर्लभधर्मस्वाख्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥

मार्गाच्यवननिर्जरार्थं परिसीढं व्याः परीपढाः ॥ ८ ॥

श्रुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिपद्या-
शय्याक्रोशवधयाचनाऽलाभरोगतृणस्पर्शमलमत्कारपुर-
स्कारप्रज्ञाज्ञानौदर्शनानि ॥ ९ ॥

१ उत्तमध- म० रा० श्लो० ।

२ -शुच्यावध- स० रा० श्लो० ।

३ "अपरे पठन्ति अनुप्रेक्षा इति अनुप्रेक्षितव्या इत्यर्थः । अपरे अनुप्रेक्षा-
शब्दमेकवचनान्तमपीयते"- सि- व० ।

४ देखो हिंदी विवेचन पृ० ३१० टि० १ ।

५ -प्रज्ञाज्ञानसम्यक्त्वानि हा० । हा-भा० में तो अदरोंन पाठ मा-
हांता हैं ।

सूक्ष्मसंपरायच्छद्मस्थवीतरागयोश्चतुर्दश ॥ १० ॥

एकादशं जिने ॥ ११ ॥

बादरसंपराये सर्वे ॥ १२ ॥

ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३ ॥

दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालाभौ ॥ १४ ॥

चारित्रमोहे नागन्यारतिस्त्रीनिपद्याक्रोशयाचनासत्कार-
पुगस्काराः ॥ १५ ॥

वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥

एकादयो भाज्या युगपदैकोनविंशतेः ॥ १७ ॥

सामाधिकच्छेदोपस्थाप्यैपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसंपराय
यथाख्यातानि^१ चारित्रम् ॥ १८ ॥

—साम्पराय—स० रा० श्लो० ।

देखो हिन्दी विवेचन पृ० ३१५ टि० १ ।

देखो हिन्दी विवेचन पृ० ३१५ टि० २ ।

—देकात्रविंशतेः हा० । —युगपदैकोनविंशतेः स० । युगपदैक-
स्मिन्नेकोनविंशतेः रा० श्लो० । लेकिन दोनों वातिकाँ में स० जैसा
ही पाठ है ।

—पस्थापनापरि— स० रा० श्लो० ।

सूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातमिति चा० स० रा० श्लो० । राजवार्तिक-
कार को यथाख्यात पाठ इष्ट मालूम होता है क्योंकि उन्होंने यथा
ख्यात को विकल्प में रक्खा है । सिद्धसेन को भी यथाख्यात पाठ
इष्ट है । देखो पृ० २३५ पं० १८ ।

केचित् विचित्रपदमेव सूत्रमधीयते—सिद्धसेन वृत्ति ।

अनशनावमौर्द्वैर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागाविविक्त-
शक्यामनकायकेशा बाह्यं तपः ॥ १९ ॥

प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्त्राध्यायव्युत्सर्गध्यानान्वु-
त्तरम् ॥ २० ॥

नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदं यथाक्रमं प्राग्ध्यानान् ॥ २१ ॥

आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपञ्चेदपी-
हारोपस्थापनानि^३ ॥ २२ ॥

ज्ञानदर्शनचारित्र्योपचाराः ॥ २३ ॥

आचार्योपाध्यायतपस्त्रिशैर्क्षकम्लानगणकुलसङ्घसाधुम-
मनोज्ञानाम् ॥ २४ ॥

वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षाभ्नायधर्मोपदेशाः ॥ २५ ॥

वाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम् ॥ २७ ॥

आ मुहूर्तान् ॥ २८ ॥

आर्तरौद्रधर्मशुक्लानि ॥ २९ ॥

१ -वमोदयं-म० रा० इत्यो० ।

२ -द्विभेदा-म० इत्यो० ।

३ -स्थापनाः-ए० रा० इत्यो० ।

४ -शैर्क्षकम्लान-म० । शैर्क्षकम्लानं ग० इत्यो० ।

५ -धुमनोज्ञानाम् ग० ग० इत्यो० ।

६ म० रा० इत्यो० ये 'ध्यानमास्तमहर्नात' हे; अतः २८ को मूखे ज
अत्र नदी । देव्यां शिःदी विवेचन पृ० ३२३ टि० १ ।

७ -धर्मशु-स० ग० इत्यो० ।

परे मोक्षहेतू ॥ ३० ॥

आतंममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसम-
न्वाहारः ॥ ३१ ॥

वेदनायाश्च ॥ ३२ ॥

विपरीतं मनोज्ञानाम् ॥ ३३ ॥

निदानं च ॥ ३४ ॥

तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥ ३५ ॥

हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविर-
तयोः ॥ ३६ ॥

आज्ञाऽपायविपाकसंस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तसंय-
तस्य ॥ ३७ ॥

१ -नोज्ञस्य स० रा० श्लो० ।

२ इस सूत्र को स० रा० श्लो० में 'विपरीतं मनोज्ञानाम्' के वाद रखा है
अर्थात् उनके मत से यह ध्यान का द्वितीय नहीं, तृतीय भेद है ।

३ मनोज्ञस्य स० रा० श्लो० ।

४ -चयाय धर्म्यमप्र-हा० । -चयाय धर्म्यम् ॥ ३६ ॥ स० रा०
श्लो० । दिगम्बर सूत्रपाठ में स्वामी का विधान करने वाला 'अप्र-
मत्तसंयतस्य' अंश नहीं है । इतना ही नहीं, बल्कि इस सूत्र के वाद
का 'उपशान्तक्षीण-' यह सूत्र भी नहीं है । स्वामी का विधान सर्वार्थ-
सिद्धि में है । उस विधान को लक्ष में रत्तकर अकलंक ने 'द्वे०
परंपरा संमत सूत्रपाठ विषयक स्वामी का जो विधान है उसका स्पष्टन
भी किया है । उसी का अनुगमन विद्यानन्द ने भी किया है; देखो
हिन्दो विवेचन पृ० ३३० ।

तत्त्वार्थसूत्र-विवेचन

का

विषयानुक्रम

पहला अध्याय

विषय

पृष्ठ

वैतिपाद्य विषय

१

मोक्ष का स्वरूप

२

साधनों का स्वरूप

३

साधनों का साहचर्य

४

साहचर्य नियम

५

सम्यग्दर्शन का लक्षण

६

सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के हेतु

७

निश्चय और व्यवहार दृष्टि से पृथक्करण

८

सम्यक्त्व के लक्षण

९

हेतुभेद

१०

उत्पत्तिक्रम

११

तान्त्रिक अर्थों का नाम निर्देश

१२

निक्षेपो का नाम निर्देश

१३

तत्त्वों के जानने के उपाय

१४

नय और प्रमाण का अन्तर

१५

तत्त्वों के विस्तृत ज्ञान के लिए कुछ विचाराणाद्वारों का निर्देश

१६

सम्यग्ज्ञान के भेद

१७

विषय

प्रमाणचर्चा

प्रमाण विभात

प्रमाण लक्षण

मतिज्ञान के एकार्थक शब्द

मतिज्ञान का स्वरूप

मतिज्ञान के भेद

अवग्रह आदि उक्त चारों भेदों के लक्षण

अवग्रह आदि के भेद

सामान्य रूप से अवग्रह आदि का विषय

इन्द्रियों की ज्ञानजनन पद्धति संबन्धी भिन्नता के कारण

अवग्रह के अवान्तर भेद

दृष्टान्त

श्रुतज्ञान का स्वरूप और उसके भेद

अवधिज्ञान के प्रकार और उसके स्वामी

मनःपर्याय के भेद और उनका अन्तर

अवधि और मनःपर्याय का अन्तर

पाँचों ज्ञानों के प्रायः विषय

एक आत्मा में एक साथ पाये जानेवाले ज्ञानों का वर्णन

विपर्ययज्ञान का निर्धारण और विपर्ययता के हेतु

नय के भेद

नयों के निरूपण का भाव क्या है ?

नयवाद की देशना अलग क्यों, और उससे

विशेषता कैसे ?

सामान्य लक्षण

विषय	पृष्ठ
विशेष भेदों का स्वरूप	५६
नैगमनय	५७
संग्रहनय	५८
व्यवहारनय	५९
ऋतुसूचनय	६१
शब्दनय	६१
समभिरूढनय	६३
एवंभूतनय	६३
शेष वक्तव्य	६४

दूसरा अध्याय

संच भाव, उनके भेद और उदाहरण	६७
भावों का स्वरूप	६९
औपशमिक भाव के भेद	७१
शायिक भाव के भेद	७१
सायोपशमिकभाव के भेद	७१
औदयिकभाव के भेद	७२
पारिणामिकभाव के भेद	७२
जीव का लक्षण	७३
उपयोग की विधिधता	७५
अचराशि के विभाग	७७
संसारि जीव के भेद-प्रभेद	७८
इन्द्रियों की संख्या, उनके भेद-प्रभेद और नामनिर्देश	८०

विषय

इन्द्रियों के नाम

इन्द्रियों के ज्ञेय अर्थात् विषय

इन्द्रियों के स्वामी

अन्तराल गति संबन्धी विशेष जानकारी के लिए योग

आदि पाँच बातों का वर्णन

अन्तराल संबन्धी पाँच बातों का वर्णन

योग

गति का नियम

गति का प्रकार

गति का कालमान

अनाहार का कालमान

जन्म और योनि के भेद तथा उनके स्वामी

जन्म भेद

योनि भेद

जन्म के स्वामी

शरीरों के संबन्ध में वर्णन

शरीर के प्रकार और उनकी व्याख्या

स्थूल-सूक्ष्मभाव

आरम्भक-उपादान द्रव्य का परिमाण

अन्तिम दो शरीरों का स्वभाव, कालमर्यादा

और स्वामी

स्वभाव

कालमर्यादा

स्वामी

एक साथ लक्ष्य शरीरों की संख्या

विषय

पृष्ठ

प्रयोजन

१०७

जन्मसिद्धता और कृत्रिमता

१०९

१-लिंग विभाग

१११

विभाग

११२

त्रिकार की तरतमता

११२

॥यु के प्रकार और उनके स्वामी

११२

अधिकारी

११४

तीसरा अध्याय

नारकों का वर्णन

११७

भूमियों में नरकावासों की संख्या

१२२

लेश्या

१२२

परिणाम

१२३

क्षारीर

१२३

वेदना

१२३

विक्रिया

१२३

नारकों की स्थिति

१२५

गति

१२५

आगति

१२६

द्वीप, समुद्र आदि का संभव

१२६

मिध्यलोक का वर्णन

१२७

द्वीप और समुद्र

१२८

व्याप्त

१२९

विषय

रचना

आकृति

जम्बूद्वीप, उसके क्षेत्रों और प्रधान पर्वतोंका वर्णन

घातकीखण्ड और पुष्कारार्धद्वीप

मनुष्यजाति का स्थितिश्च और प्रकार

कर्मभूमियों का निर्देश

मनुष्य और तिर्यञ्च की स्थिति

चौथा अध्याय

देवों के प्रकार

तीसरे निकाय की लेश्या

स्वार निकायों के भेद

धतुर्निकायके अवान्तर भेद

इन्द्रों की संख्या का नियम

पहले दो निकायों में लेश्या

देवों के कामसुख का वर्णन

नतुर्निकाय देवों के पूर्वोक्त भेदों का वर्णन

दशविध भवनपति

व्यन्तों के भेद प्रभेद

पञ्चविध ज्योतिष्क

चरज्योतिष्क

धामरिमाग

स्थिरज्योतिष्क

वैमानिक देव

विषय	पृष्ठ
दृष्ट वातों में देवों की उत्तरोत्तर अधिकता और हीनता	१५०
स्थिति	१५१
प्रभाव	१५१
मुख और श्रुति	१५१
लेश्या की विशुद्धि	१५१
इन्द्रियविषय	१५१
अवाधिज्ञान का विषय	१५२
गति	१५२
शरीर	१५२
परिग्रह	१५३
अभिमान	१५३
उच्छ्वास	१५३
आहार	१५३
वेदना	१५४
उपपात	१५४
अनुभव	१५४
वैमानिकों में लेश्या का नियम	१५४
करूपों की परिगणना	१५५
लोकान्तिक देवों का वर्णन	१५५
अनुत्तर विमान के देवों का विशेषत्व	१५७
तिर्यञ्चों का स्वरूप	१५७
अधिकार सूत्र	१५८
भवनपतिनिकाय की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन	१५८
वैमानिकों की उत्कृष्ट स्थिति	१५९

विषय

सम्यग्दृष्टियों की कर्मानिर्जरा का तरुतमभाव
निर्ग्रन्थ के भेद

आठ बातों द्वारा निर्ग्रन्थों की विशेष विचारणा

संयम

धृत

प्रतिमेवना (विराचना)

तार्थ्य (द्वासन)

लिङ्ग

लेश्या

उपपात (उत्पत्ति स्थान)

स्थान (संयम के स्थान-प्रकार)

दसवाँ अध्याय

कैवल्य की उत्पत्ति के हेतु

कर्म के आत्यन्तिक क्षय के कारण और मोक्ष का स्वरूप
अन्य कारणों का कथन

मुक्तजीव का मोक्ष के बाद ही तुरन्त होने वाला कार्य
सिध्यमान गति के हेतु

आठ बातों द्वारा सिद्धों की विशेष विचारणा

— क्षेत्र-काठ-गति-लिङ्ग-तार्थ्य-चारित्र-प्रत्येक बुद्धकोविता-

भान-अवगाहना-अन्तर-संहरा-अस्पृह्यत्व—

॥ अहं ॥

आचार्य उमास्वाति प्रणीत-

॥ तत्त्वार्थ सूत्र ॥

विवेचन सहित

पहला अध्याय

प्राणी अनन्त हैं और सभी सुख चाहते हैं। यद्यपि सुख की कल्पना सब की एक-सी नहीं है, तथापि विकास की न्यूनाधिकता या कमी-वेशी के अनुसार संक्षेप में प्राणियों के और उनके सुख के दो प्रतिपाद्य विषय वर्ग किये जा सकते हैं। पहले वर्ग में अल्प विकासवाले ऐसे प्राणी संमिलित हैं जिनके सुख की कल्पना बाह्य साधनों तक ही है। दूसरे वर्ग में अधिक विकासवाले ऐसे प्राणी आते हैं, जो बाह्य अर्थात् भौतिक साधनों की सम्पत्ति में सुख न मानकर सिर्फ आध्यात्मिक गुणों की प्राप्ति में ही सुख मानते हैं। दोनों वर्ग के माने हुए सुख में अन्तर यही है कि पहला सुख परार्थीन है और दूसरा स्वाधीन। परार्थीन सुख को काम और स्वाधीन सुख को मोक्ष कहते हैं। काम और मोक्ष—दो ही पुरुषार्थ हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु प्राणिवर्ग के लिए मुख्य साध्य नहीं है। पुरुषार्थों में अर्थ और धर्म की जो गिनती है वह मुख्य साम्प्रत्य से नहीं किन्तु काम और मोक्ष के साधन रूप से। अर्थ ही काम का और धर्म ही मोक्ष का प्रधान साधन है। प्रस्तुत शास्त्र का मुख्य

प्रतिपाद्य विषय मोक्ष है। इसलिए उसीके साधनभूत धर्म को तीन कि-
में विभक्त करके शास्त्रकार पहले सूत्र में उनका निर्देश करते हैं—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः । १ ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य—ये तीनों शिल्प-
के साधन हैं।

इस सूत्र में मोक्ष के साधनों का नाम निर्देश मात्र है।
उनका स्वरूप और उनके भेद आगे विस्तार से कहे जानेवाले हैं, व
यहाँ संक्षेप में स्वरूपमात्र लिख दिया जाता है।

बन्ध और वन्ध के कारणों का अभाव होकर परिपूर्ण आत्मिक शान्ति
का नाम मोक्ष है। अर्थात् ज्ञान और धैर्यसमन्वित
मोक्ष का स्वरूप पराक्राष्ट ही मोक्ष है।

जिस गुण अर्थात् शक्ति के विकास से तत्त्व अर्थात् सत्य ही प्र-
प्त हो, अपथा जिससे देख-छोड़ने योग्य, उपादेय-ग्रहण योग्य तत्त्व के
विवेक की अभिवृत्ति हो—यह सम्यग्दर्शन है। नैसर्गिक
साधनों का स्वरूप प्रमाण से होनेवाला जीव आदि तत्त्वों का यथार्थ
सम्यग्ज्ञान है। सम्यग्ज्ञानपूर्वक कार्यात्मिक भाव अर्थात् रागाद्वेष और मो-

१. जो ज्ञान शब्द में उतारा जाता है अर्थात् जिसमें उद्देश्य में
विधेय रूप से वस्तु भागित होती है वह ज्ञान 'नय' है, और जिसमें उद्देश्य
विधेय के निम्नान्त के बिना ही अर्थात् अविमल वस्तु का सम्पूर्ण या अंश
यथार्थ भाव हो वह ज्ञान 'प्रमाण' है। विशेष सुलभ के लिए देखो अणु
१ सूत्र ६; तथा न्यायानुसार श्लोक २९-३० का गुजराती अनुवाद।

२. मानसिक, वाचिक और कार्यात्मिक क्रिया की मोग कहते हैं।

ति से जो स्वरूप-रमण होता है वही सम्यक्चारित्र है ।

उक्त तीनों साधन जब परिपूर्ण रूप में प्राप्त होते हैं तभी सम्पूर्ण मोक्ष है अन्यथा नहीं । जबतक एक भी साधन अपूर्ण रहेगा तब तक परिपूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता । उदाहरणार्थ—सम्यग्दर्शन [धनों का और सम्यग्ज्ञान के परिपूर्ण रूप में प्राप्त हो जाने पर भी साहचर्य सम्यक्चारित्र की अपूर्णता के कारण ही तेरहवें गुणस्थान में मोक्ष अर्थात् अशरीर-सिद्धि या विदेह-मुक्ति नहीं होती और चौदहवें स्थान में शैलेशी^३-अवस्था रूप परिपूर्ण चारित्र प्राप्त होते ही तीनों नों की परिपूर्णता के बल से पूर्ण मोक्ष हो जाता है ।

उक्त तीनों साधनों में से पहले दो अर्थात् सम्यग्दर्शन साहचर्यनियम और सम्यग्ज्ञान अवश्य सहचारी होते हैं ।

१. हिंसादि दोषों का त्याग और अहिंसादि महाव्रतों का अनुष्ठान यक्चारित्र कहलाता है । यह इसलिए कि उसके द्वारा रागद्वेष की निवृत्ति जाती है, एवं रागद्वेष की निवृत्ति से दोषों का त्याग और महाव्रतों का मन स्वतः सिद्ध होता है ।

२. यद्यपि तेरहवें गुणस्थान में वीतरागभाव रूप चारित्र तो पूर्ण हो है तथापि यहाँ जो अपूर्णता कही गई है वह वीतरागता और अयोगता—इन नों को पूर्ण चारित्र मानकर ही । ऐसा पूर्ण चारित्र चौदहवें गुणस्थान में त होता है और तुरन्त ही अशरीर-सिद्धि होती है ।

३. आत्मा को एक ऐसी अवस्था, जिसमें ध्यान की पराकाष्ठा के कारण प्रसन्न निष्प्रकम्पता व निश्चलता आती है वही शैलेशी अवस्था है । विशेष लक्ष के लिए देखो—हिन्दी 'दूसरा कर्मग्रन्थ' पृष्ठ ३० ।

४. एक ऐसा भी पक्ष है जो दर्शन और ज्ञान के अवश्यमात्री साहचर्य को न मानकर वैकल्पिक साहचर्य को मानता है । उसके मतानुसार कभी

जैसे सूर्य का ताप और प्रकाश एक दूसरे को छोड़कर नहीं चले ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान एक दूसरे के बिना नहीं चले। सम्यक्चारित्र के साथ उनका साहचर्य आवश्यकताकी नहीं है। सम्यक्चारित्र के बिना भी कुछ काल तक सम्यग्दर्शन जाते हैं। फिर भी उत्क्रान्ति (विकास) क्रमानुसार सम्यक्चारित्र नियम है कि जब वह प्राप्त होता है तब उसके पूर्ववर्ती सम्यग्दर्शन दो साधन अवश्य होते हैं।

प्रश्न—यदि आत्मिक गुणों का विकास ही मोक्ष है और आदि उसके साधन भी आत्मा के लाख लाख गुण का विकसित तो फिर मोक्ष और उसके साधन में क्या अन्तर हुआ ?

उत्तर—कुछ नहीं।

प्रश्न—यदि अन्तर नहीं है तो मोक्ष साध्य और सम्यग्दर्शन-रत्नप्रय उसका साधन, यह साध्य-साधनभाव कैसे ? क्योंकि साध्य-सम्बन्ध भिन्न यस्तुओं में देखा जाता है।

दर्शनकाल में ज्ञान नहीं भी होता। इसका अर्थ यह है कि सम्यग्दर्शन होने पर भी देव-नारक-तिर्थन्व को तथा कुछ मनुष्यों को विद्विष्ट अर्थात् प्राचाराज्ञादि-अज्ञप्रविष्ट-विषयक ज्ञान नहीं होता। इस मत के दर्शन के समय ज्ञान न पाये जाने का मालूम विविध भुक्तज्ञान न से है। परन्तु दर्शन और ज्ञान को अवश्य सद्व्यवहारी माननेवाले आदम्य यह है कि दर्शन प्राप्ति के पढ़ले जो मति आदि अज्ञान जीव है वही सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति या भिन्नादर्शन की निवृत्ति में सम्यग्परिणत हो जाता है तब मति आदि ज्ञान बढ़ता है। इस मत के जो और जितना विशेष बोध सम्यग्दर्शन-प्राप्ति काल में विद्यमान है सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन, विद्विष्टभुक्त मान नहीं।

उत्तर—साधक-अवस्था की अपेक्षा से मोक्ष और रत्नत्रय का साध्य-
भाव कहा गया है, सिद्ध-अवस्था की अपेक्षा से नहीं। क्योंकि
क का साध्य परिपूर्ण दर्शनादि रत्नत्रय रूप मोक्ष होता है और उसकी
। रत्नत्रय के क्रमिक विकास से ही होती है। यह शास्त्र साधक के लिए
सिद्ध के लिए नहीं। अतः इसमें साधक के लिए उपयोगी साध्य-साधन
वेद का ही कथन है।

प्रश्न—संसार में तो धन-कलत्र-पुत्रादि साधनों से सुख-प्राप्ति प्रत्यक्ष
। जाती है, फिर उसे छोड़कर मोक्ष के परोक्ष सुख का उपदेश क्यों ?

उत्तर—मोक्ष का उपदेश इसलिए है कि उसमें सच्चा सुख मिलता
संसार में सुख मिलता है सही, पर वह सच्चा सुख नहीं, सुखाभास है।

प्रश्न—मोक्ष में सत्य सुख है और संसार में सुखाभास है तो कैसे ?

उत्तर—सांसारिक सुख इच्छा की पूर्ति से होता है। इच्छा का यह
। है कि एक इच्छा पूर्ण होते न होते दूसरी सैकड़ों इच्छाएँ उत्पन्न
जाती हैं। उन सब इच्छाओं की तृप्ति होना संभव नहीं, अगर हो भी
तब तक ऐसी हजारों इच्छाएँ पैदा हो जाती हैं जिनका पूर्ण होना
। नहीं। अतएव संसार में इच्छापूर्तिजन्य सुख के पलड़े से अपूर्ण
प्रजन्य दुःख का पलड़ा भारी ही रहता है। इसीसे उसमें सुखाभास
। गया है। मोक्ष की स्थिति ऐसी है कि उसमें इच्छाओं का ही अभाव
जाता है और स्वभाविक संतोष प्रकट होता है। इससे उसमें संतोषजन्य
। ही सुख है, यही सत्य सुख है। १।

सम्यग्दर्शन का लक्षण—

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् । २ ।

• यथार्थरूप से पदार्थों का निश्चय करने की रुचि सम्यग्दर्शन है।

सम्बन्धदर्शन की उत्पत्ति के हेतु—

तान्त्रिसर्गादधिगमाद्वा । ३ ।

वह (सम्बन्धदर्शन) निर्गम अर्थात् परिणाम मात्र से उत्पन्न अर्थात् उपदेशादि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है ।

जगत के पदार्थों को यथार्थरूप से जानने की रचि संस्कृति व्याध्यात्मिक दोनों प्रकार की महत्त्वाकांक्षा से होती है । धन, प्रतिष्ठा किसी सांसारिक वासना के कारण जो तत्त्व-जिज्ञासा होती है वह कम नहीं है, क्योंकि उसका नतीजा मोक्ष न होकर संसार होता है । स तत्त्वनिश्चय की रचि सिर्फ आत्मिक तृप्ति के लिए, आध्यात्मिक तृप्ति के लिए होती है—वही सम्बन्धदर्शन है ।

आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न एक प्रकार का आत्मिक परिशेषमात्र को तार्किक रूप में जानने की, हेतु को लागने की और

को ग्रहण करने की रचि रूप है, वही निश्चय-और-व्यवहार दृष्टि-से-पृथक्करण है । और उस रचि के बल से होनेवाली निश्चय का नाम व्यवहार सम्बन्ध है ।

सम्बन्धदर्शन की पहचान करानेवाले प्रथम, संकेत, निर्वेद, मूल्य और आस्तिक्य—ये पाँच लिङ्ग माने जाते हैं । १ तत्त्वों के अस्तित्व के लिए से होनेवाले कदामह आदि दोषों का उपशम ही प्रथम २ सांसारिक वस्तुओं का भय ही संकेत है । ३ तत्त्वों में आसक्ति का कम हो जाना निर्वेद है । ४ दुःखी प्रतियोगियों के दूर करने की इच्छा अनुकम्पा है । ५ आत्मा आदि परोक्ष विस्तृत प्रमाण सिद्ध पदार्थों का स्वीकार ही आस्तिक्य है ।

५. ३. सम्बन्धदर्शन के योग्य आध्यात्मिक उत्पत्ति होती ही सम्बन्धदर्शन आनिर्माण होता है । पर किसी आत्मा को उसके आत्मिकत्व में

हेतुभेद निमित्त की अपेक्षा रहती है और किसी को नहीं। यह बात प्रसिद्ध है कि एक व्यक्ति शिक्षक आदि की मदद से शिल्प आदि किसी कला को सीख लेता है और दूसरा किसी अन्य की मदद के बिना अपने आप सीख लेता है। आन्तरिक कारण की समानता होने पर भी बाह्य निमित्त की अपेक्षा और अनपेक्षा को लेकर प्रस्तुत सूत्र में सम्यग्दर्शन के निसर्ग-सम्यग्दर्शन और अधिगम-सम्यग्दर्शन ऐसे दो भेद किए गये हैं। बाह्य निमित्त भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई प्रतिमा आदि धार्मिक वस्तु के अवलोकन मात्र से सम्यग्दर्शन लाभ करता है, कोई गुरु का उपदेश सुनकर, कोई शास्त्र पढ़-सुन कर और कोई सत्संग पाकर।

अनादिकालीन संसार-प्रवाह में तरह तरह के दुःखों का अनुभव करते करते योग्य आत्मा में कभी ऐसी परिणामशुद्धि हो जाती है जो उसके लिए अपूर्व होती है। उस परिणामशुद्धि को उत्पत्ति क्रम अपूर्वकरण कहते हैं। अपूर्वकरण से रागद्वेष की वह तीव्रता मिट जाती है जो तात्त्विक पक्षपात (सत्य में आप्रह) की बाधक है। ऐसी राग-द्वेष की तीव्रता मिटते ही आत्मा सत्य के लिए जागरूक बन जाता है। यह आध्यात्मिक जागरण ही सम्यक्त्व है। २, ३।

तात्त्विक अर्थों का नाम निर्देश—

जीवाजीवास्रवैचन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् । ४ ।

जीव, अजीव, आस्रव, चन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष—ये तत्त्व हैं ।

१. उत्पत्ति क्रम की स्पष्टता के लिए देखो—हिन्दी 'दूसरा कर्मग्रन्थ' पृ० ७ तथा 'चौथा कर्मग्रन्थ' की प्रस्तावना पृ० १३।

२. बौद्ध दर्शन में जो दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग चार अर्थ सत्य हैं, सांख्य तथा योग दर्शन में हेय, हेयहेतु, हान और हानोपाय चतुर्भूत है, जिसे न्यायदर्शन में अर्थ-पद कहा है, उनके स्थान में आस्रव से लेकर मोक्ष तक के पाँच तत्त्व जैनदर्शन में प्रसिद्ध हैं।

बहुत से प्रश्नों में पुण्य और पाप को मिलाकर नय तत्त्व कहा पर। परन्तु यहाँ पुण्य और पाप दोनों का समावेश आस्य या बन्धतत्त्व में नहीं सिर्फ सात-ही तत्त्व कहे गये हैं। अन्तर्भाव को इस प्रकार समझना चाहिए—पुण्य-पाप दोनों द्रव्य-भाव रूप से दो दो प्रसार कहे हैं। कर्मपुद्गल द्रव्यपुण्य और अशुभ कर्मपुद्गल द्रव्यपाप है। इसलिए इन पुण्य तथा पाप बन्धतत्त्व में अन्तर्भूत हैं, क्योंकि आत्मसंबन्ध कर्मपुद्गल आत्मा और कर्मपुद्गल का सम्बन्ध-विशेष ही द्रव्य बन्धतत्त्व कहलाता है। द्रव्य-पुण्य का कारण शुभ अभ्यवसाय जो भावपुण्य है और द्रव्यपाप का कारण अशुभ अभ्यवसाय जो भावपाप कहलाता है, दोनों भी बन्धतत्त्व में बन्धतत्त्व हैं, क्योंकि बन्ध का कारणभूत कार्यात्मिक अभ्यवसाय—परिणाम ही बन्धतत्त्व कहलाता है।

प्र०—आस्य से लेकर मोक्ष तक के पाँच तत्त्व न तो जीव अर्थ में स्वतंत्र ही हैं और न अनादि अनन्त। किन्तु ये सध्यासंबन्ध ही जीव या अजीव की अवस्थाविशेष रूप हैं। इसलिए उन्हें जीव अर्थ में साप तत्त्वरूप से क्यों गिना ?

उ०—वस्तुस्थिति वैसी ही है अर्थात् यहाँ तत्त्व शब्द का अर्थ अनादि-अनन्त और स्वतंत्र भाव से नहीं है, किन्तु मोक्ष प्राप्ति में उत्पन्न होनेवाले शेष भाव से है। प्रस्तुत शास्त्र का मुख्य प्रतिपादक होने से मोक्ष के जिज्ञासुओं के लिए, जिन वस्तुओं का ज्ञान अज्ञान आवश्यक है वे ही यद्युक्त यहाँ तत्त्व रूप से कहे गये हैं। मोक्ष तो एक साध्य ही दृश्य, इसलिए उसको तथा उसके कारण को बिना जाने मोक्ष में मुमुक्षु की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। इसी तरह यदि मुमुक्षु मोक्ष के विरोधी तत्त्व का और उस विरोधी तत्त्व के कारण का स्वरूप न जाने तो भी वह अपने पय में अस्वच्छिन्न प्रवृत्ति नहीं कर सकता। पर ही ५५५

जि सबसे पहले जान लेना पड़ता है कि अगर मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ तो मोक्ष में पाया जानेवाला सामान्य स्वरूप किस किसमें है और किसमें नहीं ? उसी ज्ञान की पूर्ति के लिए सात तत्त्वों का कथन है। जीवतत्त्व के कथन में मोक्ष का अधिकारी कहा गया। अजीवतत्त्व से यह सूचित किया गया कि जगत में एक ऐसा भी तत्त्व है जो जड़ होने के कारण मोक्षमार्ग में उपदेश का अधिकारी नहीं है। बन्धतत्त्व से मोक्ष का विरोधी भाव और आस्रवतत्त्व से उस विरोधी भाव का कारण बतलाया गया। संवरतत्त्व में मोक्ष का कारण और निर्जरातत्त्व से मोक्ष का क्रम बतलाया गया है। ४।

निक्षेपों का नामनिर्देश-

नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्यासः । ५ ।

नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप से उनका अर्थात् सम्यग्दर्शन आदि और जीव आदि का न्यास अर्थात् निक्षेप या विभाग होता है।

सभी व्यवहार या ज्ञान की लेन-देन का मुख्य साधन मापा है। मापा शब्दों से बनती है। एक ही शब्द प्रयोजन या प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। हर एक शब्द के कम से कम चार अर्थ पाये जाते हैं। वे ही चार अर्थ उस शब्द के अर्थसामान्य के चार विभाग हैं। ऐसे विभाग ही निक्षेप या न्यास कहलाते हैं। इनको जान लेने से कथा का तात्पर्य समझने में सरलता होती है। इसीलिए प्रस्तुत सूत्र में वे चार अर्थनिक्षेप बतलाये गये हैं, जिससे यह पृथक्करण स्पष्टरूप से हो सके कि मोक्ष-मार्ग रूप से सम्यग्दर्शन आदि अर्थ और तत्त्वरूप से जीवजीवादि अर्थ अमुक प्रकार का लेना चाहिए, दूसरे प्रकार का नहीं। वे चार निक्षेप ये हैं: १-जो अर्थ व्युत्पत्ति सिद्ध नहीं है सिर्फ माता, पिता या अन्य लोगों के संकेत बल से जाना जाता है वह अर्थ नामनिक्षेप है; जैसे-एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सेवक योग्य कोई गुण नहीं है, पर किसी ने जिसका नाम

मेवक रस दिया है। २-जो वस्तु असली वस्तु की प्रतिरति, दृष्टि चित्र हो अथवा जिसमें असली वस्तु का आरोप किया गया हो स्यापना-निक्षेप है; जैसे—किसी सेवक का चित्र, फोटो का दृष्टि-दे-जो अर्थ भावनिक्षेप का पूर्वरूप या उत्तररूप हो अर्थात् उन्हीं का उत्तर अवस्था रूप हो—वह द्रव्यनिक्षेप है; जैसे—एक ऐसा व्यक्ति वर्तमान में सेवाकार्य नहीं करता, पर या तो वह सेवा कर चुका है आगे करने वाला है। जिस अर्थ में शब्द का व्युत्पत्ति का-निमित्त बराबर घटित हो वह भावनिक्षेप है; जैसे—एक ऐसा सेवक योग्य कार्य करता है।

सम्यग्दर्शन आदि मोक्षमार्ग के और जीव-अर्जावादि तत्त्वों के चार चार निक्षेप पाये जा सकते हैं। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वे नहीं ही प्राय हैं। ५।

१. संक्षेप से नाम दो तरह के होते हैं—योगिक और वृद्ध। स्वयं मुनार इत्यादि योगिक शब्द हैं। गाय, घोडा इत्यादि वृद्ध शब्द हैं। स्वयं यह रसोहया और सुवर्ण का काम करे वह मुनार। यहाँ पर रसोह और सुवर्ण का काम करने की किया ही रसोहया और मुनार—इन शब्दों की व्युत्पत्ति का निमित्त हैं। अर्थात् ये शब्द ऐसी क्रिया के आशय से ही बने हैं। इगोलिख यह क्रिया ऐसे शब्दों की व्युत्पत्ति का निमित्त कही जाती है। यही बात संस्कृत शब्दों में लागू करनी ही तो पाचक, कुम्भकार आदि में कर्मशः पाक क्रिया और घट निर्माण क्रिया की व्युत्पत्ति निमित्त सम्यग्दर्शन। मारांश यह कि योगिक शब्दों में व्युत्पत्ति का निमित्त ही व्युत्पत्ति का निमित्त बनता है लेकिन वृद्ध शब्दों के विषय में ऐसा नहीं है। वृद्ध शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्त नहीं होने लेकिन वृद्धि के अर्थ उनका अर्थ होता है। गाय (गाँ) घोडा (आव) आदि शब्दों की व्युत्पत्ति होती नहीं है। किन्तु यदि कोई किसी प्रकार कर भी लेती अन्त में उदाहरण स्वरूप ही वृद्धि के अनुसार ही देना जाता है, वृद्धि

तत्त्वों के जानने के उपाय-

प्रमाणन्यैरधिगमः । ६ ।

प्रमाण और नयों से पदार्थों का ज्ञान होता है ।

नय और प्रमाण दोनों ज्ञान ही हैं, परन्तु उनमें अन्तर यह है कि नय वस्तु के एक अंश का बोध कराता है और प्रमाण अनेक अंशों का । अर्थात् वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, उनमें से जय नय और प्रमाण किसी एक धर्म के द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाय, का अन्तर जैसे—नित्यत्व धर्म द्वारा 'आत्मा या प्रदीप आदि वस्तु नित्य है' ऐसा निश्चय करना नय है । और जय अनेक धर्म द्वारा वस्तु का अनेक रूप से निश्चय किया जाय जैसे—नित्यत्व, अनित्यत्व आदि धर्म द्वारा 'आत्मा या प्रदीप आदि वस्तु नित्यानित्य आदि अनेक रूप है' ऐसा निश्चय करना प्रमाण है । अथवा दूसरे शब्दों में यों समझना चाहिए कि नय प्रमाण का एक अंश मात्र है और प्रमाण अनेक नयों का समूह है, क्योंकि नय वस्तु को एक दृष्टि से ग्रहण करता है और प्रमाण अनेक दृष्टियों से ग्रहण करता है । ६ ।

के अनुसार नहीं । अमुक २ प्रकार की आकृति-जाति ही गाय. घोड़ा आदि रूढ शब्दों के व्यवहार का निमित्त हैं । अतः उस २ आकृति-जाति को घैते शब्दों का व्युत्पत्ति निमित्त नहीं लेकिन प्रवृत्ति निमित्त ही कहा जाता है ।

जहाँ यौगिक शब्द (विशेषण रूप) हो वहाँ व्युत्पत्ति निमित्त वाले अर्थ को भाव निक्षेप और जहाँ रूढ शब्द (जाति नाम) हो वहाँ प्रवृत्ति निमित्त वाले अर्थ को भाव निक्षेप समझना चाहिए ।

तत्त्वों के विलुप्त ज्ञान के लिए कुछ विचारणां द्वारों का निर्देश—

निर्देशस्वामित्वसाधनाऽधिकरणस्थितिविधानतः । ७ ।

सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाऽल्पबहुत्वैश्च । ८ ।

निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से; तथा सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व से सम्बन्धदर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है ।

छोटा या बड़ा कोई भी जिज्ञासु जब पहले पहल किसी विषय आदि नई वस्तु को देखता या उसका नाम सुनता है तब उसकी चित्तवृत्ति जाग उठती है, और इससे वह उस अदृश्यपूर्व या अनुभूतपूर्व वस्तु-संबन्ध में अनेक प्रश्न करने लगता है । वह उस वस्तु के स्वभाव, स्वरूप, उसके मासिक, उसके बनाने के उपाय, उसके रहने का स्थान, उसके टिकाऊपन की अवधि, उसके प्रकार आदि के संबन्ध में नागरिष्य करता है और उन प्रश्नों का उत्तर पाकर अपनी ज्ञानवृद्धि करता । इसी तरह अन्तर्दृष्टि व्यक्ति भी मोक्षमार्ग को सुनकर या देख उठा आध्यात्मिक तथ्य सुनकर उसके संबन्ध में विविध प्रश्नों के द्वारा ज्ञान पढ़ाता है । यही आशय प्रस्तुत दो सूत्रों में प्रकट किया गया । उदाहरणार्थ—निर्देश आदि सूक्ष्म चौदह प्रश्नों को लेकर सम्बन्ध-संश्लेष में विचार किया जाता है—

१. किसी भी वस्तु में प्रवेश करने का मंगल्य है उसकी जगह-वर्णन और विचार करना । ऐसा करने का मुख्य साधन उसके विषय-विनिषेध प्रश्न करना ही है । प्रश्नों का जितना तुलना मिले उतना ही ज्ञान में प्रवेश सम्भवाया चाहिए । अतः प्रश्न ही वस्तु में प्रवेश करने के अविचारणा द्वारा उसकी वह तक पहुँचने के द्वार हैं । अतः विचारणा (मीमांसा) का मन्तव्य प्रश्न सम्भवाया चाहिए । शब्दों में उनको अनुसन्धेय इति ज्ञायते । अनुसन्धेय अर्थात् अन्वेष्य या विवरण, उसके द्वार अर्थात् प्रश्न

१. निर्देश-स्वरूप-तत्त्वयत्चि यह सम्यग्दर्शन का स्वरूप है ।

२. स्वामित्व-अधिकारित्व-सम्यग्दर्शन का अधिकारी जीव ही है, अजीव नहीं क्योंकि यह जीव का ही गुण या पर्याय है । ३. साधन—कारण—दर्शनमोहनीय कर्म का उपशम, क्षयोपशम और क्षय ये तीन सम्यग्दर्शन के अन्तरङ्ग कारण हैं । उसके बहिरङ्ग कारण शास्त्रज्ञान, जातिस्मरण, प्रतिमा-दर्शन, सत्संग आदि अनेक हैं । ४. अधिकरण-आधार-सम्यग्दर्शन का आधार जीव ही है, क्योंकि वह उसका परिणाम होने के कारण उसी में रहता है । सम्यग्दर्शन गुण है, इसलिए यद्यपि उसका स्वामी और अधिकरण जुदा जुदा नहीं है तथापि जीव आदि द्रव्य के स्वामी और अधिकरण का विचार करना हो, वहाँ उन दोनों में जुदाई भी पाई जाती है । जैसे व्यवहारदृष्टि से देखने पर एक जीव का स्वामी कोई दूसरा जीव होगा पर अधिकरण उसका कोई स्थान या शरीर ही कहा जायगा । ५. स्थिति—कालमर्यादा—सम्यग्दर्शन की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति सादि-अनन्त है । तीनों प्रकार के सम्यक्त्व अमुक समय में उत्पन्न होते हैं इसलिए वे सादि अर्थात् पूर्वावधिवाले हैं । परन्तु उत्पन्न होकर भी औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व फायम नहीं रहते इसलिए वे दो तो सान्त अर्थात् उत्तर अवधिवाले भी हैं । पर क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होने के बाद नष्ट नहीं होता इसलिए वह अनन्त है । इसी अपेक्षा से सामान्यतया सम्यग्दर्शन को सादि सान्त और सादि अनन्त समझना चाहिए । ६. विधान-प्रकार—सम्यक्त्व के औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक ऐसे तीन प्रकार हैं ।

७. सत्-सत्ता—यद्यपि सम्यक्त्व गुण सत्तास्व से सभी जीवों में मौजूद है, पर उसका आविर्भाव सिर्फ मध्य जीवों में हो सकता है, अभव्यों में नहीं । ८. संख्या-गिनती—सम्यक्त्व की गिनती उसे पानेवालों की:

संख्या पर निर्भर है । आज तक अनन्त जीवों ने सम्पत्कर्म-कार्य
 है और आगे अनन्त जीव उसको प्राप्त करेंगे, इस दृष्टि में सम्पत्कर्म
 संख्या में अनन्त है । ९. क्षेत्र-लोकआकाश-सम्पदादर्शन का क्षेत्र एक
 लोकआकाश नहीं है किन्तु उसका असंख्यातवर्ण भाग है । यदि सम्पदादर्शन
 एक जीव को लेकर या अनन्त जीवों को लेकर विचार किया जाय
 भी सामान्यरूप से सम्पदादर्शन का क्षेत्र लोक का असंख्यातवर्ण भाग
 समझना चाहिए क्योंकि सभी सम्पदादर्शन वाले जीवों का निवास क्षेत्र ही
 लोक का असंख्यातवर्ण भाग ही है । हाँ, इतना अन्तर अस्तर होता है
 एक सम्पत्कर्त्ता जीव के क्षेत्र की अपेक्षा अनन्त जीवों का क्षेत्र, जिसमें
 में बड़ा होगा, क्योंकि लोक का असंख्यातवर्ण भाग भी तत्सम भाग ही
 असंख्यात प्रकार का होता है । १०. स्पर्शन-निगासस्थान रूप अस्तर
 के चारों ओर के प्रदेशों को सूत्रा स्पर्शन है । क्षेत्र में तिरक आकाश
 आकाश ही लिया जाता है । और स्पर्शन में आधार क्षेत्र के वाते लोक
 के आकाश प्रदेश जो आधेय के द्वारा छुए गए हों वे भी सिरे-सिरे तक
 यही क्षेत्र और स्पर्शन का भेद है । सम्पदादर्शन का स्पर्शन भी लोक का
 असंख्यातवर्ण भाग ही समझना चाहिए । पर यदि माग उसके क्षेत्र की
 अपेक्षा कुछ बड़ा होगा, क्योंकि इसमें शीघ्रभूत आकाश के पर्याप्त
 प्रदेश भी सम्मिलित हैं । ११. बाल-मगध-एक जीव की अपेक्षा
 सम्पदादर्शन का बाल विचार वाय भी वह सादि सान्त का सादि सान्त
 होगा पर सब जीवों की अपेक्षा से यह अनादि-अनन्त समझना चाहिए
 क्योंकि भूतचातु का ऐसा कोई भी भाग नहीं है जब कि मगध के
 भिन्नकुल न रहा हो । भविष्यत् बाल के विषय में भी यही बात है अनादि
 अनादि बाल में सम्पदादर्शन के अविर्भाव का प्रम. ज्ञासी है जो अनन्त
 एक चमत्कार ही रहेगा । १२. अन्तर-गिरिकाल-एक जीव को लेकर माग

दर्शन के विरहकाल का विचार किया जाय तो वह जघन्य अन्तर्मुहूर्त और अष्टक अपार्धपुद्गलपरावर्त. परिमाण समझना चाहिए; क्योंकि एक बार सम्यक्त्व का वमन-नाश हो जाने पर फिर से वह जल्दी से जल्दी अन्तर्मुहूर्त पाया जा सकता है। और ऐसा न हुआ तो अन्त में अपार्धपुद्गलपरावर्त के शब्द अवश्य ही पाया जाता है। परन्तु नाना जीवों की अपेक्षा तो सम्यग्दर्शन का विरह काल बिलकुल नहीं होता, क्योंकि नाना जीवों में तो किसी न किसी को सम्यग्दर्शन होता ही रहता है। १३. भाव-अवस्था वैशेष्य-सम्यक्त्व औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक इन तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। ये भाव सम्यक्त्व के आवरणभूत दर्शनमोहनीय कर्म के उपशम, क्षयोपशम और क्षय से जनित हैं। इन भावों से सम्यक्त्व की शुद्धि का तारतम्य जाना जा सकता है। औपशमिक की अपेक्षा क्षायोपशमिक और क्षायोपशमिक की अपेक्षा क्षायिक भाववाला सम्यक्त्व उत्तरोत्तर

१. आवली से अधिक और मुहूर्त से न्यून काल को अन्तर्मुहूर्त कहते हैं। आवली से एक समय अधिक काल जघन्य अन्तर्मुहूर्त, मुहूर्त में एक समय कम उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त और बीच का सब मध्यम काल अन्तर्मुहूर्त समझना। यह दिग्ग्वर परंपरा है। देखो तिलोपपण्णति ४.२८८। जीव कांड गा० ५७३-५१५। श्वे० परंपरा के अनुसार नव समय का जघन्य अन्तर्मुहूर्त है। बाकी सब समान है।

२. जीव पुद्गलों को ग्रहण करके शरीर, भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास रूप में परिणत करता है। जब कोई एक जीव जगत में विद्यमान समग्र पुद्गल परमाणुओं को आहारक शरीर के सिवा शेष सब शरीरों के रूप में तथा भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास रूप में परिणत करके उन्हें छोड़ दे-इसमें जितना काल लगता है, उसे पुद्गलपरावर्त कहते हैं। इसमें कुछ ही काल कम हो तो उसे अपार्धपुद्गल परावर्त कहते हैं।

३. यहाँ जो क्षयोपशमिक को औपशमिक की अपेक्षा शुद्ध कहा है, वह परिणाम की अपेक्षा से नहीं, किन्तु स्थिति की अपेक्षा से समझा जाय।

विद्युत्, विद्युत्तर होता है। उक्त तीन भावों के सिवा ही और हैं—औद्यिक तथा पारिणामिक। इन भावों में सम्यक्त्व नहीं है अर्थात् दर्शनमोक्षनीय की उदयावस्था में सम्यक्त्व का आधिपत्य नहीं सकता। इसी तरह सम्यक्त्व अनादि काल से जीवत्व के अज्ञान अवस्था में न पाये जाने के कारण पारिणामिक अर्थात् स्वाभाविक ही नहीं है।

१४. अल्पबहुत्व-न्यूनाधिकता-पूर्वोक्त तीन प्रकार के सम्यक्त्व में औद्यिक सम्यक्त्व सबसे अल्प है, क्योंकि ऐसे सम्यक्त्व वाले जीव अन्य दो सम्यक्त्व वालों से हमेशा थोड़े ही पाये जाते हैं। औद्यिक सम्यक्त्व आधोपद्यमिक सम्यक्त्व असंख्यात गुण और आधोपद्यमिक अन्तःस्थायिक सम्यक्त्व अनन्तगुण है। आधोपद्यमिक सम्यक्त्व के अनन्तगुण होने के कारण यह है कि यह सम्यक्त्व समस्त मुक्त जीवों में होता है और अन्य दो सम्यक्त्व अनन्त हैं। ७-८।

सम्यग्ज्ञान के भेद—

मतिभुताऽवधिमनःपर्यायकेवलानि ज्ञानम् । ९।

मतिः भुत, अपधि, मनःपर्याय और केवल—ये पाँच ज्ञान हैं।

ऐसे सम्यग्दर्शन का लक्षण सूत्र में बतलाया है वेगै सम्यग्दर्शन नहीं बतलाया। यह इसलिए कि सम्यग्दर्शन का लक्षण ज्ञान में सम्यग्ज्ञान का लक्षण अर्थात् आप मान्य किता आ सकता है। इस प्रकार कि ज्ञान कभी सम्यग्दर्शन रहित तो होता है, पर ज्ञान मतिः

परिणाम की अनेका में तो औद्यिक ही ज्यादा शुद्ध है। क्योंकि औद्यिक सम्यक्त्व में तो मिथ्यात्व का प्रवेशोदय ही सकता है, तो औद्यिक सम्यक्त्व के समय निर्यात के मिथ्यात्व-मोक्षोदय के उदय संभव नहीं। तथापि औद्यिक की अनेका आधोपद्यमिक की स्थिति में भी संभव है। इसी अनेका में इसको निश्चय ही कह सकती है।

वेता । किसी न किसी प्रकार का ज्ञान उसमें अवश्य रहता है । वही ज्ञान सम्यक्त्व का आविर्भाव होते ही सम्यग्ज्ञान कहलाता है । सम्यग्ज्ञान असम्यग्ज्ञान का अन्तर यही है कि पहला सम्यक्त्व सहचरित है और दूसरा असम्यक्त्व रहित अर्थात् मिथ्यात्व सहचरित है ।

प्र०—सम्यक्त्व का ऐसा कौन सा प्रभाव है कि उसके अभाव में तो न चाहे कितना ही अधिक और अभ्रान्त क्यों न हो, पर वह असम्यग्ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलाता है; और थोड़ा अस्पष्ट व भ्रमात्मक ज्ञान भी सम्यक्त्व के प्रकट होते ही सम्यग्ज्ञान कहलाता है ?

उ०—यह अध्यात्म शास्त्र है । इसलिए सम्यग्ज्ञान, असम्यग्ज्ञान का वैक आध्यात्मिक दृष्टि से किया जाता है, न्याय या प्रमाण शास्त्र की तरह विषय की दृष्टि से नहीं किया जाता । न्यायशास्त्र में जिस ज्ञान का विषय धार्य हो वही सम्यग्ज्ञान-प्रमाण और जिसका विषय अयथार्थ हो वह असम्यग्ज्ञान-प्रमाणाभास कहलाता है । परन्तु इस आध्यात्मिक शास्त्र में वायशास्त्र सम्मत सम्यग्ज्ञान, असम्यग्ज्ञान का वह विभाग मान्य होने पर ही गौण है । 'यहाँ यहाँ विभाग मुख्य है कि जिस ज्ञान से आध्यात्मिक श्रद्धान्ति-विकास हो वही सम्यग्ज्ञान, और जिससे संसार वृद्धि या आध्यात्मिक तन हो वही असम्यग्ज्ञान । ऐसा संभव है कि सामग्री की कमी के कारण उन्मत्त जीव को कभी किसी विषय में संशय भी हो, भ्रम भी हो, एवं अस्पष्ट ज्ञान भी हो; पर वह सत्यगवैपक और कदाग्रहहित होने के कारण अपने से महान्, प्रामाणिक, विशेषदर्शी व्यक्ति के आशय से अपनी कमी सुधार लेने को सदैव उत्सुक रहता है, तथा उसे सुधार भी लेता है और अपने ज्ञान का उपयोग मुख्यतया वासनापोषण में न कर आध्यात्मिक विकास में ही करता है । सम्यक्त्वशून्य जीव का स्वभाव इससे उलटा होता है । सामग्री की पूर्णता की यदौलत उसे निश्चयात्मक अधिक और स्पष्ट ज्ञान

होता है तथापि वह कदापि प्रकृति के कारण पमंही होकर किसी के विचारों को भी तुच्छ समझता है और अन्त में अपने गत प्रारम्भिक प्रगति में न कर सांसारिक महत्त्वाकांक्षा में ही बरता है।

प्रमाण चर्चा—

तत् प्रमाणे । १० ।

आद्ये परोक्षम् । ११ ।

प्रत्यक्षमन्यत् । १२ ।

वह अर्थात् पाँचों प्रकार का ज्ञान दो प्रमाणरूप है।

प्रथम के दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण है।

शेष सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है।

प्रमाणविभाग मति, भ्रत आदि जो ज्ञान के पाँच प्रकार के दो परोक्ष और परोक्ष इन दो प्रमाणों में विभक्त हो गये हैं।

प्रमाण का सामान्य लक्षण पहले ही कहा जा चुका है कि जो वस्तु को अनेकरूप से जानने वाला हो वह प्रमाण है। उसके विशेष लक्षण

प्रमाण लक्षण ये हैं : जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से ही सिर्फ आत्मा की योग्यता के बल से उत्पन्न हो वह प्रत्यक्ष और जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न हो वह परोक्ष है।

उक्त पाँच में में पहले दो अर्थात् मतिज्ञान और भ्रतज्ञान परोक्ष कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों इन्द्रिय तथा मन की मदद से उत्पन्न होते हैं।

अतः, मनःपर्याय और केवल ये तीनों परोक्ष हैं क्योंकि वे इन्द्रिय तथा मन की मदद के बिना ही सिर्फ आत्मा की योग्यता के बल से उत्पन्न होते हैं।

न्यायशास्त्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष का लक्षण दूसरे प्रकार से किया गया है। उसमें इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष और लिङ्ग (हेतु) तथा शब्दादिजन्य ज्ञान को परोक्ष कहा है; परन्तु वह लक्षण यहाँ स्वीकृत नहीं है। यहाँ तो मात्रमात्र सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से और आत्मा के अलावा इन्द्रिय तथा मन की अपेक्षा रखने वाला ज्ञान परोक्ष रूप से इष्ट है। इसके अनुसार मति और श्रुत दोनों ज्ञान इन्द्रिय और मन की अपेक्षा रखनेवाले होने के कारण परोक्ष समझने चाहिए। और चाकी के अवाधि आदि तीनों ज्ञान इन्द्रिय तथा मन की मदद के बिना ही सिर्फ आत्मिक योग्यता के बल से उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष समझने चाहिए। इन्द्रिय तथा मनोजन्य मतिज्ञान को कहीं कहीं प्रत्यक्ष कहा है वह पूर्वोक्त न्यायशास्त्र के लक्षणानुसार सौकिक दृष्टि को लेकर समझना चाहिए। १०-१२

मतिज्ञान के एकार्यक शब्द—

मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् । १३ ।

मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध—ये शब्द पर्यायभूत—एकार्य-चाचक हैं।

प्र०—किस ज्ञान को मति कहते हैं ?

उ०—उसे जो ज्ञान वर्तमान विषयक हो।

प्र०—क्या स्मृति, संज्ञा और चिन्ता भी वर्तमान विषयक ही है ?

उ०—नहीं, पहले अनुभव की हुई वस्तु के स्मरण का नाम स्मृति है, इसलिए वह अतीत विषयक है। पहले अनुभव की हुई और वर्तमान

१ प्रमाणमीमांसा आदि तर्क ग्रन्थों में साव्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से इन्द्रिय-मनोजन्य अवग्रह आदि ज्ञान का वर्णन है। विशेष खुलासे के लिए देलो-न्यायावतार, गुजराती अनुवाद की प्रस्तावना में जैन प्रमाणमीमांसा पदति का विकासक्रम।

होता है तथापि वह कदाप्रही प्रकृति के कारण घमंडी होकर किसी के विचारों को भी तुच्छ समझता है और अन्त में अपने ज्ञान आत्मिक प्रगति में न कर सांसारिक महत्त्वाकांक्षा में ही करता है।

प्रमाण चर्चा—

तत् प्रमाणे । १० ।

आद्ये परोक्षम् । ११ ।

प्रत्यक्षमन्यत् । १२ ।

वह अर्थात् पाँचों प्रकार का ज्ञान दो प्रमाणरूप है।

प्रथम के दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं।

दोष सप्त ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

प्रमाणविभाग मति, श्रुत आदि जो ज्ञान के पाँच प्रकार कहे गये प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो प्रमाणों में विभक्त हो जाते।

प्रमाण का सामान्य लक्षण पहले ही कहा जा चुका है कि जो यस्तु को अनेकरूप से जानने वाला हो वह प्रमाण है। उसके विशेष

प्रमाण लक्षण ये हैं : जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता के ही सिर्फ आत्मा की योग्यता के बल से उत्पन्न हो वह प्रत्यक्ष; और जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न है वह परोक्ष है।

उक्त पाँच में से पहले दो अर्थात् मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों इन्द्रिय तथा मन की मदद से उत्पन्न होते

अवधि, मनःपर्याय और केवल ये तीनों प्रत्यक्ष हैं क्योंकि वे इन्द्रिय तथा मन की मदद के बिना ही सिर्फ आत्मा की योग्यता के बल से उत्पन्न होते हैं।

न्यायशास्त्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष का लक्षण दूसरे प्रकार से किया गया है। उसमें इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष और लिङ्ग (हेतु) तथा शब्दादिजन्य ज्ञान को परोक्ष कहा है; परन्तु वह लक्षण यहाँ स्वीकृत नहीं है। यहाँ तो आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से और आत्मा के अलावा इन्द्रिय तथा मन की अपेक्षा रखने वाला ज्ञान परोक्ष रूप से इष्ट है। इसके अनुसार मति और श्रुत दोनों ज्ञान इन्द्रिय और मन की अपेक्षा रखनेवाले होने के कारण परोक्ष समझने चाहिए। और वाकी के अवाधि आदि तीनों ज्ञान इन्द्रिय तथा मन की मदद के बिना ही सिर्फ आत्मिक योग्यता के बल से उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष समझने चाहिए। इन्द्रिय तथा मनोजन्य मतिज्ञान को कहीं कहीं प्रत्यक्ष कहा है वह पूर्वोक्त न्यायशास्त्र के लक्षणानुसार लौकिक दृष्टि को लेकर समझना चाहिए। १०-१२

मतिज्ञान के एकार्यक शब्द—

मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् । १३ ।

मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध—ये शब्द पर्यायभूत—एकार्य-वाचक हैं।

प्र०—किस ज्ञान को मति कहते हैं ?

उ०—उसे जो ज्ञान वर्तमान विषयक हो।

प्र०—क्या स्मृति, संज्ञा और चिन्ता भी वर्तमान विषयक ही है ?

उ०—नहीं, पहले अनुभव की हुई वस्तु के स्मरण का नाम स्मृति है, इसलिए वह अतीत विषयक है। पहले अनुभव की हुई और वर्तमान

१ प्रमाणमीमांसा आदि तर्क ग्रन्थों में साव्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से इन्द्रिय-मनोजन्य अवग्रह आदि ज्ञान का वर्णन है। विशेष खुलासे के लिए देखो—न्यायावतार, गुजराती अनुवाद की प्रस्तावना में जैन प्रमाणमीमांसा पद्धति का विकासक्रम।

में अनुभव की जानेवाली वस्तु की एकता के अनुसंधान का नाम संज्ञा प्रत्यभिज्ञान है; इसलिए वह अतीत और वर्तमान-उभयविषयक है। चिन्ता, भार्वा वस्तु की विचारणा का नाम है इसलिए वह अल्पविषयक है।

प्र०-इस कथन से तो मति, स्मृति, संज्ञा और चिन्ता के पर्याय नहीं हो सकते क्योंकि इनके अर्थ जुदे जुदे हैं।

उ०-विषय भेद और कुछ निमित्त भेद होने पर भी मति, स्मृति, संज्ञा और चिन्ता ज्ञान का अन्तरङ्ग कारण जो मतिज्ञानावरणीय कर्म क्षयोपशम है वह सामान्य रूप से एक ही यहाँ विवक्षित है इसी अभिप्राय से यहाँ मति आदि शब्दों को पर्याय कहा है।

प्र०-अभिनिबोध शब्द के विषय में तो कुछ नहीं कहा। वह किस प्रकार के ज्ञान का वाचक है? यह बतलाइए।

उ०-अभिनिबोध शब्द सामान्य है। वह मति, स्मृति, संज्ञा और चिन्ता इन सभी ज्ञानों में प्रयुक्त होता है अर्थात् मति-ज्ञानावरणीय कर्म क्षयोपशम से होने वाले सब प्रकार के ज्ञानों के लिए अभिनिबोध शब्द सामान्य है और मति आदि शब्द उस क्षयोपशमजन्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हैं।

प्र०-इसी रीति से तो अभिनिबोध सामान्य हुआ और मति आदि उसके विशेष हुए फिर ये पर्याय शब्द कैसे?

उ०-यहाँ सामान्य और विशेष की भेद-विवक्षा न करके सबको पर्याय शब्द कहा है। १३।

मतिज्ञान का स्वरूप—

तदिन्द्रियाऽनिन्द्रियनिमित्तम् । १४ ।

मतिज्ञान इन्द्रिय और अनिन्द्रिय रूप निमित्त से उत्पन्न होता है।

प्र०—यहाँ मतिज्ञान के इन्द्रिय और अनिन्द्रिय ये दो कारण बतलाए हैं।
 उनमें इन्द्रिय तो चक्षु आदि प्रसिद्ध है पर अनिन्द्रिय से क्या मतलब है ?

उ०—अनिन्द्रिय का मतलब मन से है।

प्र०—जब चक्षु आदि तथा मन ये सभी मतिज्ञान के साधन हैं तब
 एक को इन्द्रिय और दूसरे को अनिन्द्रिय कहने का क्या कारण ?

उ०—चक्षु आदि बाह्य साधन हैं और मन आन्तर साधन है। यही
 भेद इन्द्रिय और अनिन्द्रिय संज्ञाभेद का कारण है। १४।

मतिज्ञान के भेद—

अवग्रहेहावायधारणाः । १५।

अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा ये चार भेद मतिज्ञान के हैं।
 प्रत्येक इन्द्रियजन्य और मनोजन्य मतिज्ञान के चार चार भेद पाये
 जाते हैं। अतएव पाँच इन्द्रियों और एक मन इन छहों के अवग्रह आदि
 चार चार भेद गिनने से चौबीस भेद मतिज्ञान के होते हैं। उनके नाम
 यहाँ समझने चाहिए—

स्पर्शन	अवग्रह	ईहा	अवाय	धारणा
रसन	”	”	”	”
घ्राण	”	”	”	”
चक्षु	”	”	”	”
श्रोत्र	”	”	”	”
मन	”	”	”	”

१. नाम, जाति आदि की विशेष कल्पना से रहित सामान्य ज्ञान का ज्ञान अवग्रह है। जैसे-गाढ़ अवग्रह।
 अवग्रह आदि उक्त चारों भेदों के लक्षण कुछ छू जाने पर यह कुछ है-ऐसा ज्ञान। इसमें यह नहीं भाव्य होता कि किस चीज का स्पर्श है। इसलिए वह अव्यक्त ज्ञान-अवग्रह है। २. अज्ञ के द्वारा ग्रहण किये हुए सामान्य विषय को विशेष रूप से निश्चित करने के लिए जो विचारणा होती है-वह ईहा है। जैसे-यह रस्सी का स्पर्श है सोप का यह संशय होने पर ऐसी विचारणा होती है कि यह रस्सी का स्पर्श होना चाहिए। क्योंकि यदि सोप होता तो इतना सख्त आघात होने पर वह फुफकार किये बिना न रहता। यही विचारणा संभावना का एक कहलाती है। ३. ईहा के द्वारा ग्रहण किये हुए विशेष का कुछ अवधान-एकाग्रता से जो निश्चय होता है वह अवाय है। जैसे-कुछ काल तक सोचने और जाँच करने से यह निश्चय हो जाता कि यह सोप का स्पर्श नहीं, रस्सी का ही है, अवाय कहलाता है। ४. अवाय रूप निश्चय कुछ काल तक कायम रहता है फिर विषयान्तर में मन चला जाने से यह निश्चय लुप्त तो हो जाता है पर ऐसे संस्कार को डाल जाता है कि जितने आगे कभी कोई योग्य निमित्त मिलने पर उस निश्चित विषय का स्मरण होता है। इस निश्चय की सतत धारा, तज्जन्य संस्कार और संस्कार स्मरण-यह सब मतिव्यापार-धारणा है।

प्र०-उक्त चार

कम रक्खा है

सहेतुक ?

सेतर (प्रतिपक्ष सहित) ऐसे बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिभ्रित, असंदिग्ध और ध्रुव के अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा रूप मतिज्ञान होते हैं।

पाँच इन्द्रियाँ और एक मन इन छह साधनों से होने वाले मतिज्ञान के अवग्रह, ईहा आदि रूप से जो चौबीस भेद कहे गए हैं वे क्षयोपशम और अपय की विविधता से बारह बारह प्रकार के होते हैं। जैसे—

बहुग्राही	छह अवग्रह	छह ईहा	छह अवाय	छह धारणा
अल्पग्राही	”	”	”	”
बहुविधग्राही	”	”	”	”
एकविधग्राही	”	”	”	”
क्षिप्रग्राही	”	”	”	”
अक्षिप्रग्राही	”	”	”	”
अनिभ्रितग्राही	”	”	”	”
निभ्रितग्राही	”	”	”	”
असंदिग्धग्राही	”	”	”	”
संदिग्धग्राही	”	”	”	”
ध्रुवग्राही	”	”	”	”
अध्रुवग्राही	”	”	”	”

बहु का मतलब अनेक और अल्प का मतलब एक है। जैसे—
 १। या दो से अधिक पुस्तकों को जानने वाले अवग्रह, ईहा आदि चारों ममायी मतिज्ञान बहुग्राही अवग्रह, बहुग्राहिणी ईहा; बहुग्राही अवाय और बहुग्राहिणी धारणा कहलाते हैं। और एक पुस्तक को जाननेवाले अल्पग्राही अवग्रह, अल्पग्राहिणी ईहा, अल्पग्राही अवाय, अल्पग्राहिणी धारणा कहलाते हैं।

बहुविध का मतलब अनेक प्रकार से और एकविध का मतलब एक प्रकार से है। जैसे—आकार-प्रकार, रूप-रंग या मोटाई आदि में विविध रखने वाली पुस्तकों को जानने वाले उक्त चारों ज्ञान कम से बहुविधमाही अवग्रह, बहुविधमाहिणी ईहा, बहुविधमाही अवाय तथा बहुविधमाहिनि धारणा; और आकार-प्रकार, रूप-रंग तथा मोटाई आदि में एक ही प्रकार की पुस्तकों को जानने वाले ये ज्ञान एकविधमाही अवग्रह, एकविधमाहिनि ईहा आदि कहलाते हैं। बहु तथा अल्प का मतलब व्यक्ति की संख्या में और बहुविध तथा एकविध का मतलब प्रकार, किस्म या जाति की संख्या से है। यही दोनों का अन्तर है।

शक्ति जानने वाले चारों मतिज्ञान क्षिप्रमाही अवग्रह आदि और विज्ञेय से जानने वाले अक्षिप्तमाही अवग्रह आदि कहलाते हैं। यह देखा जाता है कि इंद्रिय, विषय आदि सब बाह्य सामग्री बराबर होंगे पर भी सिर्फ क्षयोपशम की पटुता के कारण एक मनुष्य उस विषय का ज्ञान जल्दी कर लेता है और क्षयोपशम की मन्दता के कारण दूसरा मनुष्य देर से कर पाता है।

अनिभित का मतलब लिंग-अप्रमित अर्थात् हेतु द्वारा अस्ति वस्तु से है और निभित का मतलब लिंग-प्रमित वस्तु से है। जैसे पूर्व में अनुत्त

१ अनिभित और निभित शब्द का जो अर्थ ऊपर बतलाया है वा नन्दीयूत्र की टीका में भी है; पर इसके सिवा दूसरा अर्थ भी उस टीका में श्रीमल्लयगिरजी ने बतलाया है। जैसे—परधर्मों से मिभित ग्रहण निभितावग्रह और परधर्मों से अमिभित ग्रहण अनिभितावग्रह है। देखो पृ० १८१, आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित।

दिग्गम्य ग्रन्थों में 'अनिःसृत' पाठ है। तदनुसार उनमें अर्थ दिया है कि संपूर्णतया आविर्भूत नहीं ऐसे पृथकों का ग्रहण 'अनिःसृतावग्रह' और संपूर्णतया आविर्भूत पृथकों का ग्रहण 'निःसृतावग्रह' है। देखो इसी पृ० का राजवार्तिक न० १५।

शीत, कोमल और स्निग्ध स्पर्शरूप लिंग से वर्तमान में जूँ के फूलों को जाननेवाले उक्त चारों ज्ञान क्रम से निश्चितग्राही (सलिंगग्राही) अवग्रह आदि और उक्त लिंग के बिना ही उन फूलों को जाननेवाले अनिश्चितग्राही (अलिंगग्राही) अवग्रह आदि कहलाते हैं।

असंदिग्ध का मतलब निश्चित से और संदिग्ध का मतलब अनिश्चित से है; जैसे यह चन्दन का ही स्पर्श है, फूल का नहीं। इस प्रकार से स्पर्श को निश्चित रूप से जानने वाले उक्त चारों ज्ञान निश्चितग्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं। तथा यह चन्दन का स्पर्श होगा या फूल का, क्योंकि दोनों शीतल होते हैं। इस प्रकार से विशेष की अनुपलब्धि के समय होनेवाले संदेहयुक्त चारों ज्ञान अनिश्चितग्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं।

ध्रुव का मतलब अवश्यंभावी और अध्रुव का मतलब कदाचिद् भावी से है। यह देखा गया है कि इन्द्रिय और विषय का संबन्ध तथा मनोयोग

१ इसके स्थान में दिगम्बर ग्रन्थों में 'अनुक्त' ऐसा पाठ है। तदनुसार उनमें अर्थ किया है कि एक ही वर्ण निकलने पर पूर्ण अनुच्चारित शब्द को अभिप्रायमात्र से जान लेना कि आप अमुक शब्द बोलने वाले हैं यह अनुक्तावग्रह। अथवा स्वर का संचारण करने से पहले ही वीणा आदि वादयंत्र की ठनक मात्र से जान लेना कि आप अमुक स्वर निकालने वाले हैं यह अनुक्तावग्रह। इसके विपरीत उक्तावग्रह है। देखो इसी सूत्र का राजवार्तिक नं० १५।

श्वेताम्बर ग्रन्थों में नन्दीयूत्र में असंदिग्ध ऐसा एक मात्र पाठ है। उसका अर्थ ऊपर लिखे अनुसार ही उसकी टीका में है, देखो पृ० १८३। परंतु तत्त्वार्थभाष्य की वृत्ति में अनुक्त पाठ भी दिया है। उसका अर्थ पूर्वोक्त राजवार्तिक के अनुसार है। किन्तु वृत्तिकार ने लिखा है कि अनुक्त पाठ रखने से इसका अर्थ सिर्फ शब्द विषयक अवग्रह आदि में ही लागू पड़ सकता है, स्पर्श विषयक अवग्रह आदि में नहीं। इस अपूर्णता के कारण अन्य आचार्यों ने असंदिग्ध पाठ रक्खा है। देखो तत्त्वार्थभाष्य-वृत्ति, पृ० ५८ मनसुख भगुभाई द्वारा प्रकाशित, अहमदाबाद।

रूप सामग्री समान होने पर भी एक मनुष्य उस विषय को अन्तर्गत जान लेता है और दूसरा उसे कभी जान पाता है, कभी नहीं। समान होने पर विषय को अवश्य जानने वाले उक्त चारों ज्ञान-भुवगाही आदि आदि कहलाते हैं और सामग्री होने पर भी क्षयोपशम की मन्दता के कारण विषय को कभी ग्रहण करने वाले और कभी न-ग्रहण करने वाले उक्त चारों ज्ञान-भुवगाही अवग्रह आदि कहलाते हैं।

प्र०— उक्त चार भेदों में से कितने भेद विषय की विविधता के कितने भेद क्षयोपशम की पटुता-मन्दता रूप विविधता के आधार पर मिलेंगे ?

उ०— बहु, अल्प, बहुविध और अल्पविध ये चार भेद विषय की विविधता पर अवलम्बित हैं; शेष आठ भेद क्षयोपशम की विविधता पर

प्र०— अब तक कुल भेद कितने हुए ?

उ०— दो सौ अठ्ठासी।

प्र०— कैसे ?

उ०— पाँच इन्द्रियाँ और मन इन छह भेदों के साथ अवग्रह आदि चार चार भेद गुनने से चौबीस और बहु, अल्प आदि उक्त चार भेदों के साथ चौबीस गुनने में दो सौ अठ्ठासी। १६।

सामान्यरूप से अवग्रह आदि का विषय—

अर्थस्य । १७ ।

अवग्रह, ईशा, अघाय, धारणा ये चारों मतिज्ञान अर्थ—वस्तु का ग्रहण करते हैं।

अर्थ का मतलब वस्तु में है। वस्तु, द्रव्य-सामान्य और पर्याप्त-विशेष, दोनों को कहते हैं। इसलिए प्रश्न होता है कि क्या इन्द्रियजन्य

और मनोजन्य अवग्रह, ईहा आदि ज्ञान द्रव्यरूप वस्तु को विषय कहते हैं या पर्यायरूप वस्तु को !

उ०—उक्त अवग्रह, ईहा आदि ज्ञान मुख्यतया पर्याय को ग्रहण करते हैं, संपूर्ण द्रव्य को नहीं। द्रव्य को वे पर्याय द्वारा ही जानते हैं, क्योंकि इन्द्रिय और मन का मुख्य विषय पर्याय ही है। पर्याय, द्रव्य का एक अंश है। इसलिए अवग्रह, ईहा आदि ज्ञान द्वारा जब इन्द्रियाँ या मन अपने अपने विषयभूत पर्याय को जानते हैं, तब वे उस उस पर्याय रूप से द्रव्य को ही अंशतः जान लेते हैं। क्योंकि द्रव्य को छोड़कर पर्याय नहीं रहता और द्रव्य भी पर्याय-रहित नहीं होता। जैसे नेत्र का विषय रूप और संस्थान-आकार आदि हैं, जो पुद्गल द्रव्य के पर्याय विशेष हैं। नेत्र आम्रफल आदि को ग्रहण करता है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि वह उसके रूप तथा आकार विशेष को जानता है। रूप और आकार विशेष आम से जुदा नहीं है इसलिए स्थूल दृष्टि से यह कहा जाता है कि नेत्र से आम देखा गया, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि उसने संपूर्ण आम को ग्रहण नहीं किया। क्योंकि आम में तो रूप और संस्थान के अलावा स्पर्श, रस, गन्ध आदि अनेक पर्याय हैं जिनको जानने में नेत्र असमर्थ है। इसी तरह स्पर्शन, रसन और घ्राण इन्द्रियाँ जब गरम गरम जलेबी आदि वस्तु को ग्रहण करती हैं तब वे क्रम से उस वस्तु के उष्ण स्पर्श, मधुर रस और सुगंधरूप पर्याय को ही जानती हैं। कोई भी एक इन्द्रिय उस वस्तु के संपूर्ण पर्यायों को जान नहीं सकती। कान भी भाषारमक पुद्गल के ध्वनि-रूप पर्याय को ही ग्रहण करता है, अन्य पर्याय को नहीं। मन भी किसी विषय के अमुक अंश का ही विचार करता है। एक साथ संपूर्ण अंशों का विचार करने में वह असमर्थ है। इससे यह सिद्ध है कि इन्द्रियजन्य और मनोजन्य अवग्रह, ईहा आदि चारों;

ज्ञान पर्याय को ही मुख्यतया विषय कहते हैं और द्रव्य को विषय
द्वारा ही जानते हैं ।

प्र०—पूर्व सूत्र और इस सूत्र में क्या संबंध है ?

उ०—यह सूत्र सामान्य का वर्णन करता है और पूर्व सूत्र विशेष
का । अर्थात् इस सूत्र में पर्याय या द्रव्यरूप वस्तु को अवग्रह आदि शब्द
का विषय जो सामान्य रूप से बतलाया है उसीकी संख्या, जाति आदि
द्वारा वृत्तकरण करके बहु, अल्प आदि विशेष रूप से पूर्व सूत्र में
बतलाया है । १७ ।

इन्द्रियों की ज्ञानजनन पद्धति संबन्धी भिन्नता के कारण अवग्रह के
अवान्तर भेद—

व्यञ्जनस्यावग्रहः । १८ ।

न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् । १९ ।

व्यञ्जन—उपकरणेन्द्रिय का विषय के साथ संयोग—होने पर अग्र
ही होता है ।

नेत्र और मन से व्यञ्जन होकर अवग्रह नहीं होता ।

हमें मनुष्य को चलने में लकड़ी का सहारा अपेक्षित है जैसे
हमें आत्मा की आवृत्त चेतना शक्ति को पराधीनता के कारण ज्ञान उत्पन्न
करने में महारे की अपेक्षा है । उसे बाहरी सहारा इन्द्रिय और मन का
चाहिए । सब इन्द्रिय और मन का स्वभाव एकता नहीं है, इसलिए
उनके द्वारा होने वाली ज्ञानधारा के आविर्भाव का क्रम भी एकता नहीं
होता । यह क्रम दो प्रकार का है, मन्दक्रम और पटुक्रम ।

मन्दक्रम में प्रायः विषय के साथ उस उस विषय की प्रायः
उपकरणेन्द्रिय का संयोग—व्यञ्जन होते ही ज्ञान का आविर्भाव होता है

शुरू में ज्ञान की मात्रा इतनी अल्प होती है कि उससे 'यह कुछ है' ऐसा सामान्य बोध भी होने नहीं पाता परन्तु ज्यों ज्यों विषय और इन्द्रिय का संयोग पुष्ट होता जाता है त्यों त्यों ज्ञान की मात्रा भी बढ़ती जाती है। उक्त संयोग-व्यञ्जन की पुष्टि के साथ कुछ काल में तज्जनित ज्ञानमात्रा भी इतनी पुष्ट हो जाती है कि जिससे 'यह कुछ है' ऐसा विषय का सामान्य बोध-अर्थावग्रह होता है। इस अर्थावग्रह का पूर्ववर्ती ज्ञानव्यापार जो उक्त व्यञ्जन से उत्पन्न होता है और उस व्यञ्जन की पुष्टि के साथ ही हमेशः पुष्ट होता जाता है, वह सब व्यञ्जनावग्रह कहलाता है; क्योंकि उसके होने में व्यञ्जन की अपेक्षा है। यह व्यञ्जनावग्रह नामक दीर्घ ज्ञानव्यापार उत्तरोत्तर पुष्ट होने पर भी इतना अल्प होता है कि उससे विषय का सामान्यबोध तक नहीं होता। इसलिए उसको अव्यक्ततम, प्रव्यक्ततर, अव्यक्त ज्ञान कहते हैं। जब वह ज्ञानव्यापार इतना पुष्ट हो जाय कि उससे 'यह कुछ है' ऐसा सामान्य बोध हो सके तब वही सामान्य बोधकारक ज्ञानांश अर्थावग्रह कहलाता है। अर्थावग्रह भी व्यञ्जनावग्रह का एक चरम पुष्ट अंश ही है। क्योंकि उसमें भी विषय और इन्द्रिय का संयोग अपेक्षित है। तथापि उसको व्यञ्जनावग्रह से अलग कहने का और अर्थावग्रह नाम रखने का प्रयोजन यह है कि उस ज्ञानांश से होने वाला विषय का बोध ज्ञाता के ध्यान में आ सकता है। अर्थावग्रह के बाद उसके द्वारा सामान्य रूप से जाने हुए विषय की विशेष रूप से जिज्ञासा, विशेष का निर्णय, उस निर्णय की धारा, तज्जन्य संस्कार और संस्कारजन्य स्मृति यह सब ज्ञानव्यापार होता है, जो ईहा, अवाय और धारणा रूप से तीन विभागों में पहले बतलाया जा चुका है। यह बात भूलनी न चाहिए कि इस भेदक्रम में जो उपकरणेन्द्रिय और विषय के संयोग की अपेक्षा कही गई है वह व्यञ्जनावग्रह के अंतिम अंश अर्थावग्रह तक ही है। इसके बाद ईहा, अवाय आदि ज्ञानव्यापार में वह संयोग अनिवार्यरूप से अपेक्षित।

नहीं है क्योंकि उस ज्ञानव्यापार की प्रवृत्ति विशेष की ओर होने में उस समय मानसिक अवधान की प्रधानता रहती है। इसी कारण भाष्यकार युक्त व्याख्यान करके प्रस्तुत सूत्र के अर्थ में कहा गया है कि 'व्यञ्जन-व्यग्र-व्यग्र-व्यग्र एव' व्यञ्जन का अवग्रह ही होता है अर्थात् अवग्रह-अवग्रह-व्यग्र-व्यग्र तक ही व्यञ्जन की अपेक्षा है, ईहा आदि में नहीं।

पटुक्रम में उपकरणेन्द्रिय और विषय के संग की अपेक्षा नहीं है। दूर, दूरतर होने पर भी योग्य सन्निधान मात्र से इन्द्रिय उस विषय को ग्रहण कर लेती है और ग्रहण होते ही उस विषय का उस इन्द्रिय द्वारा शुरु में ही अर्थावग्रह रूप सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता है। इसके बाद क्रमशः ईहा, अवाय आदि ज्ञानव्यापार पूर्वोक्त मंदक्रम की तरह ही प्राप्त होता है। सारांश यह है कि पटुक्रम में इन्द्रिय के साथ प्रायः विषय के संयोग हुए बिना ही ज्ञानधारा का आविर्भाव होता है। जिसका प्रथम अंश अर्थावग्रह और चरम अंश स्मृतिरूप धारणा है। इसके विपरीत मंदक्रम में इन्द्रिय के साथ प्रायः विषय का संयोग होने पर ही ज्ञानधारा का आविर्भाव होता है। जिसका प्रथम अंश अव्यक्ततम, अव्यक्ततम व्यग्रनावग्रह नामक ज्ञान, दूसरा अंश अर्थावग्रहरूप ज्ञान और चरम अंश स्मृतिरूप धारणा ज्ञान है।

मंदक्रम की ज्ञानधारा, जिसके आविर्भाव के लिए इन्द्रिय-विषय संयोग की अपेक्षा है, उसको स्पष्टतया समझने के लिए शराव-मच्छरे का दृष्टांत उपयोगी है। जैसे आवाप-भट्टे में से तुरन्त निकाले हुए मच्छरे

शराव में पानी का एक त्रिंदु डाला जाय तो तुरन्त ही शराव से दृष्टांत सोख लेता है, यहाँ तक कि उसका कोई नामोनिशान नहीं रहता।

इसी तरह आगे भी एक एक कर डाले गए अनेक जलत्रिंदुओं को वह धीरे-धीरे सोख लेता है। पर अन्त में ऐसा समय आता है जब कि वह बचने-बचने को सोखने में अशक्य होकर उनसे भीम जाता है और उसमें डूबने लगता है।

जलकण समूह रूप में इकट्ठे होकर दिखाई देने लगते हैं। शराव की आर्द्रता पहले पहल जब मात्स्र होती है इसके पूर्व में भी शराव में जल या पर उसने इस कदर जल को सोख लिया था कि उसमें जल बिलकुल तिरोभूत हो जाने से वह दृष्टि में आने लायक नहीं था, पर उस शराव में वह मा अवश्य। जब जल की मात्रा बढ़ी और शराव की सोखने की शक्ति कम हुई तब कहीं आर्द्रता दिखाई देने लगी और जो जल प्रथम शराव के पेट में बर्ती समा गया था वही अब उसके ऊपर के तल में इकट्ठा होने लगा और दिखाई दिया। इसी तरह जब किसी सुपुत्र व्यक्ति को पुकारा जाता है तब वह शब्द उसके कान में गायब सा हो जाता है। दो चार बार पुकारने से उसके कान में जब पौद्गलिक शब्दों की मात्रा काफी रूप में भर जाती है तब जलकणों से पहले पहल आर्द्र होने वाले शराव की तरह उस सुपुत्र व्यक्ति के कान भी शब्दों से परिपूरित होकर उनको सामान्य रूप से जानने में समर्थ होते हैं कि 'यह क्या है' यही सामान्य ज्ञान है जो शब्द को पहले पहल स्फुटतया जानता है। इसके बाद विशेष ज्ञान का क्रम शुरू होता है। अर्थात् जैसे कुछ काल तक जलचिंदु पड़ते रहने ही से स्थ शराव क्रमशः आर्द्र बन जाता है और उसमें जल दिखाई देता है, वैसे ही कुछ काल तक शब्दपुद्गलों का संयोग होते रहने से सुपुत्र व्यक्ति के कान परिपूरित हो कर उन शब्दों को सामान्य रूप में जान पाते हैं और पीछे शब्दों की विशेषताओं को जानते हैं। यद्यपि यह क्रम सुपुत्र की तरह ज्ञात व्यक्ति में भी बराबर लागू पड़ता है पर वह इतना शीघ्रभावी होता है कि साधारण लोगों के ध्यान में मुश्किल से आता है। इसीलिए शराव के साथ सुपुत्र का साम्य दिखाया जाता है।

पटुकम की ज्ञानधारा के लिए दर्पण का दृष्टान्त ठीक है जैसे दर्पण के सामने कोई वस्तु आई की तुरन्त ही उसका उसमें प्रतिबिम्ब पड़

जाता है और वह दिखाई देता है। इसके लिए दर्पण के साथ वस्तु के साक्षात् संयोग की जरूरत नहीं है, जैसे कि कान के साथ ध्वनि के साक्षात् संयोग की। सिर्फ प्रतिबिम्बप्रार्थी दर्पण और प्रतिबिम्ब होने वाले वस्तु का योग्य देश में सन्निधान आवश्यक है। ऐसा सन्निधान होने पर प्रतिबिम्ब पड़ जाता है और वह तुरन्त ही दीख पड़ता है। इसी तरह नेत्र के सामने कोई रंगवाली वस्तु थार्द कि तुरन्त ही वह सामान्य रूप में दिखाई देता है। इसके लिए नेत्र और उस वस्तु का संयोग अपेक्षित नहीं है, जैसा कि कान और शब्द का संयोग अपेक्षित है। किन्तु दोनों की तरह नेत्र का और उस वस्तु का योग्य सन्निधान चाहिए इसीसे पहले में पहले पहल अर्थात् प्रथम माना गया है।

मन्दक्रमिक ज्ञानधारा में व्यञ्जनावग्रह को स्थान है और पदुक्रमिक ज्ञानधारा में नहीं। इसलिए यह प्रश्न होता है कि व्यञ्जनावग्रह किस इन्द्रिय से होता है और किस किस से नहीं? इसका उत्तर प्रस्तुत रूप में दिया गया है। नेत्र और मन से व्यञ्जनावग्रह नहीं होता क्योंकि वे दोनों संयोग बिना ही क्रमशः किये हुए योग्य सन्निधान मात्र से और अपना-अपने अपने अपने माप विषय को जान पाते हैं। यह कौन नहीं जानता कि दूरतरवर्ती वृक्ष पर्वत आदि को नेत्र ग्रहण कर लेता है और मन दूरवर्ती वस्तु का भी चिन्तन कर लेता है। इसीसे नेत्र तथा मन अप्राप्यक माने गए हैं और उनसे होने वाली ज्ञानधारा को पदुक्रमिक कहा है। कर्ण, जिह्वा, घ्राण और स्पर्शन ये चार इन्द्रियाँ मन्दक्रमिक ज्ञानधारा की धारक हैं। क्योंकि ये चारों प्राप्यकारण अर्थात् माप विषयों में संयुक्त होकर ही उनको ग्रहण करती हैं। यह सबका अनुभव है कि जब तक शब्द कान में न पड़े, दाढ़र जीभ से न लगे, पुष्प का रजःकण नाक में न मुसे और शरीर को न छूए तब तक न तो शब्द ही सुनाई देगा, न शब्द का स्वाद आएगा, न फूल की सुगंध ही मान्द्रम देगी और न जल ही ठंडा गरम जान पड़ेगा।

प्र०—मतिज्ञान के कुल भेद-कितने हैं ?

उ०—३३६ ।

प्र०—कैसे ?

उ०—पाँच इन्द्रियों और मन इन सबके अर्थावग्रह आदि चार चार भेद गिनने से चौबीस तथा उनमें चार प्राप्यकारी इन्द्रियों के चार व्यञ्जनावग्रह जोड़ने से अष्टाईस । इन सबके बहु, अल्प, बहुविध, अल्पविध आदि बारह बारह भेद गिनने से ३३६ हुए । यह भेद की गिनती स्थूल दृष्टि से है । वास्तविक रूप में देखा जाय तो प्रकाश आदि की स्फुटता, अस्फुटता, विषयों की विविधता और क्षयोपशम की विचित्रता के आधार पर तरतम-मात्र वाले असंख्य भेद होते हैं ।

प्र०—पहले जो बहु, अल्प आदि बारह भेद कहे हैं वे विषयगत विशेषों में ही लागू पड़ते हैं; और अर्थावग्रह का विषय तो सामान्य मात्र । इससे वे अर्थावग्रह में कैसे घट सकते हैं ?

उ०—अर्थावग्रह दो प्रकार का माना गया है : व्यावहारिक और नैश्चयिक । बहु, अल्प आदि जो बारह भेद कहे गये हैं वे प्रायः व्यावहारिक अर्थावग्रह के ही समझने चाहिये, नैश्चयिक के नहीं । क्योंकि नैश्चयिक अर्थावग्रह में जाति-गुण-क्रिया शून्य सामान्य मात्र प्रतिभासित होता है । इसलिए उसमें बहु, अल्प आदि विशेषों का ग्रहण संभव ही नहीं ।

प्र०—व्यावहारिक और नैश्चयिक में क्या अन्तर है ?

उ०—जो अर्थावग्रह पहले पहल सामान्यमात्र को ग्रहण करता है वह नैश्चयिक और जिस जिस विशेषप्राही अवायज्ञान के बाद अन्यान्य विशेषों की निराशा और अवाय होते रहते हैं वे सामान्य-विशेषप्राही अवायज्ञान व्यावहारिक अर्थावग्रह हैं, वही अवायज्ञान व्यावहारिक अर्थावग्रह नहीं है

जिसके बाद अन्य विशेषों की जिज्ञासा न हो । अन्य सभी अपने बाद नये नये विशेषों की जिज्ञासा पैदा करते हैं वे अर्थावग्रह अर्थावग्रह हैं ।

प्र०-अर्थावग्रह के बहु, अल्प आदि उक्त चारह भेदों के सम्बन्ध जो यह कहा गया कि वे भेद व्यावहारिक अर्थावग्रह के लेने चाहिये नैश्वयिक के नहीं । इस पर प्रश्न होता है कि यदि ऐसा ही मान लिया तो फिर उक्त रीति से मतिज्ञान के ३३६ भेद कैसे हो सकेंगे ? अष्टाईस प्रकार के मतिज्ञान के चारह चारह भेद गिनने से ३३६ भेद हैं और अष्टाईस प्रकार में तो चार व्यञ्जनावग्रह भी आते हैं, जो नैश्वयिक अर्थावग्रह के भी पूर्ववर्ती होने से अत्यन्त अव्यक्त रूप हैं । इसलिए उक्त चारह चारह-कुल अष्टतालीस भेद निकाल देने पड़ेंगे ।

उ०-अर्थावग्रह में तो व्यावहारिक को लेकर उक्त चारह भेद तय घटाए जा सकते हैं । इसलिए स्थूल दृष्टि से वैसा उत्तर दिया है । वास्तव में नैश्वयिक अर्थावग्रह और उसके पूर्ववर्ती व्यञ्जनावग्रह भी चारह चारह भेद समझ लेने चाहिये । सो कार्यकारण की समानता सिद्धांत पर अर्थात् व्यावहारिक अर्थावग्रह का कारण नैश्वयिक अर्थावग्रह और उसका कारण व्यञ्जनावग्रह है । अब यदि व्यावहारिक अर्थावग्रह स्वरूप से बहु, अल्प आदि विषयगत विशेषों का प्रतिभास होता है तो उसके साक्षात् कारणभूत नैश्वयिक अर्थावग्रह और व्यवहित चारह चारह व्यञ्जनावग्रह में भी उक्त विशेषों का प्रतिभास मानना पड़ेगा, यद्यपि वह अस्फुट होना से दुर्ज्ञेय है । अस्फुट हो या स्फुट यहाँ सिद्ध सम्बन्ध अपेक्षा से उक्त चारह चारह भेद गिनने चाहिये । १८, १९ ।

भूतज्ञान का स्वरूप और उसके भेद-

भूतं मतिपूर्वं व्यनेकद्वादशभेदम् । २० ।

नहीं। श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है। वह दो प्रकारका, अनेक प्रकार का और तीसरे प्रकार का है।

मतिज्ञान कारण और श्रुतज्ञान कार्य है, क्योंकि मतिज्ञान से श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है। इसीसे उसको मतिपूर्वक कहा है। जिस विषय का मतिज्ञान करना हो उस विषय का मतिज्ञान पहले अवश्य होना चाहिए। इसीसे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान का पाठन और पूरण करनेवाला कहलाता है। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान का कारण है पर वह वहिरङ्ग कारण है, अन्तरङ्ग कारण तो श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपशम है। क्योंकि किसी विषय का मतिज्ञान हो जाने पर भी यदि उक्त क्षयोपशम न हो तो उस विषय का श्रुतज्ञान नहीं हो सकता।

प्र०—मतिज्ञान की तरह श्रुतज्ञान की उत्पत्ति में भी इन्द्रिय और मन की सहायता अपेक्षित है फिर दोनों में अन्तर क्या है? जब तक दोनों का भेद स्पष्टतया न जाना जाय तब तक 'श्रुतज्ञान मतिपूर्वक है' यह कथन कोई खास अर्थ नहीं रखता। इसी तरह मतिज्ञान का कारण मतिज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम और श्रुतज्ञान का कारण श्रुतज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है। इस कथन से भी दोनों का भेद ध्यान में नहीं आता क्योंकि क्षयोपशम भेद साधारण बुद्धिगम्य नहीं है।

उ०—मतिज्ञान विद्यमान वस्तु में प्रवृत्त होता है और श्रुतज्ञान अतीत, विद्यमान तथा भावी इन त्रैकालिक विषयों में प्रवृत्त होता है। इस विषय-वृत्त भेद के सिवा दोनों में यह भी अन्तर है कि मतिज्ञान में शब्दोल्लेख नहीं होता और श्रुतज्ञान में होता है। अतएव दोनों का फलित लक्षण यह है कि जो ज्ञान इन्द्रियजन्य और मनोजन्य होने पर भी शब्दोल्लेख रहित है वह श्रुतज्ञान है; और जो शब्दोल्लेख रहित है वह मतिज्ञान है। शारांश यह है

१ शब्दोल्लेख का मतलब व्यवहारकाल में शब्द शक्तिमद जन्यत्व से

कि दोनों में इन्द्रिय और मन की अपेक्षा होने पर भी समान रूप से अपेक्षा भुत का विषय अधिक है और स्पष्टता भी अधिक है। तब भुत में मनोव्यापार की प्रधानता होने से विचारांश अधिक रहता है और पूर्वापर का अनुसंधान भी रहता है। अतः यहाँ कहा जा सकता है कि इन्द्रिय तथा मनोजन्य एक ही शक्ति का प्राथमिक अपरिपक्व अंश मतिज्ञान और उत्तरवर्ती परिपक्व अंश भुतज्ञान है। अतः यहाँ भी कहा जाता है कि जो शक्ति उतरा जा सके वह भुतज्ञान और जो ज्ञान भाग में उतरने पर परिपक्व को प्राप्त न हो वह मतिज्ञान। अगर भुतज्ञान को उतरने पर मतिज्ञान को दूध कहना चाहिए।

प्र०—भुत के दो, अनेक और बारह प्रकार कहे तो कैसे !

उ०—अन्नयाग्न और अन्नप्रविष्ट रूप से भुतज्ञान दो प्रकार का इनमें से अन्नयाग्न भुत उत्कालिक-कालिक भेद से अनेक प्रकार का और अन्नप्रविष्ट भुत आचाराग्न, सूत्रकृताग्न आदि रूप से बारह प्रकार का है।

प्र०—अन्नयाग्न और अन्नप्रविष्ट का अन्तर किन अपेक्षा से है।

उ०—वस्तुभेद की अपेक्षा से। तीर्थङ्करों द्वारा प्रकाशित रूप उनके परम मेधावी साक्षात् शिष्य गणधरों ने ग्रहण करके जो हीन स्त्रीरूप में रूपयत्न किया वह अन्नप्रविष्ट; और कालदोषरहित वह और आयु की कमी को देखकर सर्वसाधारण के स्थिति में उनी द्वादशाब्दी में से भिन्न भिन्न विषयों पर गणधरों के पञ्चाब्दी बुद्धि आचार्यों ने जो शास्त्र रचे थे अन्नयाग्न; अर्थात् जिन शास्त्रों के

हैं अर्थात् जैसे भुतज्ञान की उत्पत्ति से: समर्थ संकेत, स्मरण और सुख-अनुकरण अपेक्षित हैं वैसे दिशा-आदि मतिज्ञान की उत्पत्ति में अपेक्षित हैं।

प्रश्न: हैं वह अङ्गप्रविष्ट और जिसके रचयिता अन्य आचार्य हैं, वह शास्त्र ।

प्र०— वारह अङ्ग कौन से हैं ? और अनेकविध अङ्गशास्त्र में मुख्यतया कौन प्राचीन ग्रन्थ गिने जाते हैं ?

उ०— आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रशस्ति (भगवतीसूत्र), धर्मकथा, उपासकदशा, अन्तकृद्दशा अनुत्तरौपपातिक दशा, प्रश्रव्याकरण, कसूत्र और दृष्टिवाद ये वारह अङ्ग हैं । सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, नक, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान ये छ आवश्यक तथा कैकालिक, उत्तराध्ययन, दशाश्रुतस्कंध, कल्प, व्यवहार, निशीथ और भाषित आदि शास्त्र अङ्गशास्त्र में सम्मिलित हैं ।

प्र०— ये भेद तो ज्ञान को व्यवस्थितरूप में संगृहीत करने वाले शास्त्रों के भेद हैं, तो फिर क्या शास्त्र इतने ही हैं ?

उ०— नहीं । शास्त्र अनेक थे, अनेक हैं, अनेक बनते हैं और आगे अनेक बनेंगे वे सभी भुत-ज्ञानान्तर्गत ही हैं । यहाँ सिर्फ वे ही गिनाए जिनके ऊपर प्रधानतया जैन शासन का दारोमदार है । परन्तु उनके अतिरिक्त और भी अनेक शास्त्र बने हैं और बनते जाते हैं । इन सभी अङ्गशास्त्र में सम्मिलित कर लेना चाहिए । शर्त इतनी ही है कि वे बुद्धि और समभाव पूर्वक रचे गए हों ।

प्र०— आजकल जो विविध विज्ञान विषयक तथा काव्य, नाटक आदि लौकिक विषयक अनेक शास्त्र बनते जाते हैं क्या वे भी भुत हैं ?

उ०— अवश्य, वे भी भुत हैं ।

प्र०— तब तो वे भी भुतज्ञान होने से मोक्ष के लिए उपयोगी हो सकेंगे ?

! प्रत्येक बुद्ध आदि ऋषियों द्वारा जो कथन किया गया हो वह श्रुति-प्रमाणित । जैसे—उत्तराध्ययन का आठवाँ कापिलीय अध्ययन इत्यादि ।

उ०—मोक्ष में उपयोगी बनना या न बनना यह कितनी ही नियत स्वभाव नहीं है पर उसका आधार अधिकारी की योग्यता ही। अगर अधिकारी योग्य और मुमुक्षु है तो लौकिक शास्त्रों को भी नीचे उपयोगी बना सकता है और अधिकारी पात्र न हो तो यह भाष्यत्मक जाने वाले शास्त्रों से भी अपने को नीचे गिराता है। तयारि विना प्रणेता की योग्यता की दृष्टि से लोकोत्तर श्रुत का विशेषत्व अवरर है।

प्र०—श्रुत यह ज्ञान है, फिर भाषात्मक शास्त्रों को या ये किन कहे जाते हैं उन कागज़ आदि को श्रुत क्यों कहा जाता है ?

उ०—उपचार से; असल में श्रुत तो ज्ञान ही है। पर देश प्रकाशित करने का साधन भाषा है और भाषा भी ऐसे ज्ञान से ही होती है तथा कागज़ आदि भी उस भाषा को लिखित करके रखने के साधन हैं। इसी कारण भाषा या कागज़ आदि को उत्तर श्रुत कहा जाता है। २०।

अवधिज्ञान के प्रकार और उनके स्वामी—

द्विविधोऽवधिः २१

तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम् । २२।

यथोक्तनिमित्तः पट्टविकल्पः शेषाणाम् । २३।

अवधिज्ञान दो प्रकार का है। उन दो में से भवप्रत्यय नारक देवों को होता है।

यथोक्तनिमित्त—अयोपशमजन्य अवधि छ प्रकार का है। जो अर्थात् तिरपञ्च तथा मनुष्यों को होता है।

अवधिज्ञान के भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ऐसे दो भेद हैं। जो भिन्न जन्म लेते ही प्रकट होता है यह भवप्रत्यय अर्थात् जिसके जाने के लिए व्रत, नियम आदि अनुष्ठान की अनेका नहीं है, यह जन्म अवधिज्ञान भवप्रत्यय कहलाता है। और जो अवधिज्ञान जन्मदि

१ किन्तु जन्म लेने के बाद तप, नियम आदि गुणों के अनुष्ठान के बल से रूकट किया जाता है वह गुणप्रत्यय या क्षयोपशमजन्य कहलाता है ।

प्र०—क्या भवप्रत्यय अवधिज्ञान क्षयोपशम के बिना ही उत्पन्न होता है ?

उ०—नहीं, उसके लिए भी क्षयोपशम तो अपेक्षित ही है ।

प्र०—तब तो भवप्रत्यय भी क्षयोपशमजन्य ही ठहरा । फिर भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय इन दोनों में क्या अन्तर है ?

उ०—कोई भी अवधिज्ञान हो, वह योग्य क्षयोपशम के बिना ही नहीं सकता । इसलिए अवधि-ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम तो अवधिज्ञान मात्र का साधारण कारण है । इस तरह क्षयोपशम स्वका समान कारण होने पर भी किसी अवधिज्ञान को भवप्रत्यय और किसी को क्षयोपशमजन्य—गुणप्रत्यय कहा है, सो क्षयोपशम के आविर्भाव के निमित्तभेद की अपेक्षा से समझना चाहिए । देहधारियों की कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनमें जन्म लेते ही योग्य क्षयोपशम और तद्द्वारा अवधिज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है । अर्थात् उन जाति वालों को अवधिज्ञान के योग्य क्षयोपशम के लिए उस जन्म में कोई तप आदि अनुष्ठान नहीं करना पड़ता । अतएव ऐसी जातिवाले सभी जीवों को न्यूनाधिक रूप में जन्म-सिद्ध अवधिज्ञान अवश्य होता है और वह जीवन पर्यन्त रहता है । इसके विपरीत कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं जिनमें जन्म लेने के साथ ही अवधिज्ञान प्राप्त होने का नियम नहीं है । ऐसी जाति वालों को अवधिज्ञान के योग्य क्षयोपशम के लिए तप आदि गुणों का अनुष्ठान करना आवश्यक है । अतएव ऐसी जाति वाले सभी जीवों में अवधिज्ञान संभव नहीं होता । सिर्फ उन्हीं में होता है जिन्होंने उस ज्ञान के लायक गुण पैदा किये हों । इसीसे क्षयोपशम रूप अन्तरङ्ग कारण समान होने पर भी उसके लिए किसी जाति में सिर्फ जन्म की और किसी जाति में तप आदि गुणों की अपेक्षा होने से

उ०-मोक्ष में उपयोगी बनना या न बनना यह किसे क्या नियत स्वभाव नहीं है पर उसका आधार अधिकारी की योग्यता ही। अगर अधिकारी योग्य और मुमुक्षु है तो लौकिक शास्त्रों को भी मोक्ष उपयोगी बना सकता है और अधिकारी पात्र न हो तो वह आस्तिक शास्त्रों को भी अपने को नीचे गिराता है। तथापि विद्वान् प्रणेता की योग्यता की दृष्टि से लोकोत्तर श्रुत का विशेषत्व अवश्य है।

प्र०-श्रुत यह ज्ञान है, फिर मायात्मक शास्त्रों को या वेदित नहीं माने जाते हैं उन कागज़ आदि को श्रुत क्यों कहा जाता है?

उ०-उपचार से; असल में श्रुत तो ज्ञान ही है। पर ऐसी प्रकाशित करने का साधन भाषा है और भाषा भी ऐसे ज्ञान से ही बनती है तथा कागज़ आदि भी उस भाषा को लिखित करके रक्खने के साधन हैं। इसी कारण भाषा या कागज़ आदि को श्रुत कहा जाता है। २०।

अवधिज्ञान के प्रकार और उनके स्वामी-

द्विविधोऽवधिः २१

तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम् । २२ ।

यथोक्तनिमित्तः षड्विकल्पः श्रेयाणाम् । २३ ।

अवधिज्ञान दो प्रकार का है। उन दो में से भवप्रत्यय ज्ञान देवों को होता है।

यथोक्तनिमित्त-क्षयोरक्षमजन्य अवधि छ प्रकार का है। ज्ञान अर्थात् तिर्य्य तथा मनुष्यों को होता है।

अवधिज्ञान के भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ऐसे दो भेद हैं। जो भवज्ञान जन्म लेते ही प्रकट होता है यह भवप्रत्यय अर्थात् तिर्य्य के अर्थ के तिर्य्य मत, नियम आदि अनुष्ठान की अवेधा नहीं है, पर अविज्ञान भवप्रत्यय कहलाता है। और जो अवधिज्ञान जन्मले

है किन्तु जन्म लेने के बाद तप, नियम आदि गुणों के अनुष्ठान के बलसे प्रकट किया जाता है वह गुणप्रत्यय या क्षयोपशमजन्य कहलाता है।

प्र०—क्या भवप्रत्यय अवधिज्ञान क्षयोपशम के बिना ही उत्पन्न होता है ?

उ०—नहीं, उसके लिए भी क्षयोपशम तो अपेक्षित ही है।

प्र०—तब तो भवप्रत्यय भी क्षयोपशमजन्य ही ठहरा। फिर भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय इन दोनों में क्या अन्तर है ?

उ०—कोई भी अवधिज्ञान हो, वह योग्य क्षयोपशम के बिना ही नहीं सकता। इसलिए अवधि-ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम तो अवधिज्ञान मात्र का साधारण कारण है। इस तरह क्षयोपशम का समान कारण होने पर भी किसी अवधिज्ञान को भवप्रत्यय और किसी को क्षयोपशमजन्य—गुणप्रत्यय कहा है, सो क्षयोपशम के आविर्भाव निमित्तभेद की अपेक्षा से समझना चाहिए। देहधारियों की कुछ जातियाँ ही हैं जिनमें जन्म लेते ही योग्य क्षयोपशम और तद्द्वारा अवधिज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात् उन जाति वालों को अवधिज्ञान के योग्य क्षयोपशम के लिए उस जन्म में कोई तप आदि अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। अतएव ऐसी जातिवाले सभी जीवों को न्यूनाधिक रूप में जन्म-प्राप्त अवधिज्ञान अवश्य होता है और वह जीवन पर्यन्त रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं जिनमें जन्म लेने के साथ ही अवधिज्ञान प्राप्त होने का नियम नहीं है। ऐसी जाति वालों को अवधिज्ञान के योग्य क्षयोपशम के लिए तप आदि गुणों का अनुष्ठान करना आवश्यक है। अतएव ऐसी जाति वाले सभी जीवों में अवधिज्ञान संभव नहीं होता। सिर्फ जन्म ही होता है जिन्होंने उस ज्ञान के लायक गुण पैदा किये हैं। इसीसे क्षयोपशम रूप अन्तरङ्ग कारण समान होने पर भी उसके लिए किसी जाति में सिर्फ जन्म की और किसी जाति में तप आदि गुणों की अपेक्षा होने से

सुभीते की दृष्टि से अवधिज्ञान के भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय देने से न रक्षे गए हैं ।

देहधारी जीवों के चार वर्ग किये हैं : नारक, देव, तिर्यक और मनुष्य । इनमें से पहले दो वर्गवाले जीवों में भवप्रत्यय अर्थात् जन्म से ही अधिज्ञान होता है और पिछले दो वर्गवालों में गुणप्रत्यय अर्थात् गुणों से अधिज्ञान होता है ।

प्र०—जब सभी अवधिज्ञान वाले देहधारी ही हैं तब ऐसा कैसे कि किसी को तो प्रयत्न किये बिना ही जन्म से यह प्राप्त हो कि किसी को उसके लिए सात प्रयत्न करना पड़े ?

उ०—कार्य की विचित्रता अनुभवसिद्ध है । यह कौन नहीं जानता कि पक्षीजाति में जन्म लेने ही से आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है और इसके विपरीत मनुष्य जाति में जन्म लेने मात्र से ही आकाश में उड़ नहीं सकता जब तक कि विमान आदि का साहाय्य न लिया जाय । अथवा जैसे—कितनों में काव्यशक्ति जन्मसिद्ध होती है और कितनों को यह प्रयत्न किये बिना प्राप्त ही नहीं होती ।

तिर्यक और मनुष्य में पाये जाने वाले अवधिज्ञान के छह भेद बतलाए गये हैं । ये ये हैं : आनुगामिक, अनानुगामिक, वर्धमान, शिथिल, अवरिपत और अनवरिपत ।

१. जैसे जिस स्थान में धन आदि किसी वस्तु को रंग लगाया हो उस स्थान से उसे हटा लेने पर भी उसका रंग कायम ही रहता है ऐसे ही अधिज्ञान उससे उत्पत्ति क्षेत्र को छोड़ कर दूसरी जगह चले जाने पर भी कायम रहता है यह आनुगामिक है ।

२. जैसे धिक्का का पदोत्थि-ज्ञान ऐसा होता है कि जिससे यह प्रसन्न होकर ठीक उच्च अमुक स्थान में ही रह सकता है, दूसरे स्थान में नहीं

से ही जो अवधिज्ञान उसके उत्पत्ति स्थान को छोड़ देने पर कायम नहीं होता वह अनानुगामिक है ।

३. जैसे दियासलाई, या अरणि आदि से पैदा होने वाली आग की ज्वलनशीलता बहुत छोटी होने पर भी अधिक अधिक सूखे इंधन आदि को जलाने का क्रमशः बढ़ती है वैसे ही जो अवधिज्ञान उत्पत्तिकाल में अल्प विषयक होने पर भी परिणाम शुद्धि बढ़ाने के साथ ही क्रमशः अधिक अधिक विषयक होता जाता है वह वर्धमान है ।

४. जैसे परिमित दास्य वस्तुओं में लगी हुई आग नया दास्य न मिलने के क्रमशः घटती ही जाती है वैसे जो अवधिज्ञान उत्पत्ति के समय अधिक विषय होने पर भी परिणाम शुद्धि कम हो जाने से क्रमशः अल्प अल्प विषयक होता जाता है वह क्षीयमान है ।

५. जैसे किसी प्राणी को एक जन्म में प्राप्त हुआ पुरुष आदि वेद या सूत्र अनेक तरह के शुभ-अशुभ संस्कार उसके साथ दूसरे-जन्म में जाते हैं या आजन्म कायम रहते हैं, वैसे ही जो अवधिज्ञान जन्मान्तर होने पर भी आत्मा में कायम रहता है या केवल ज्ञान की उत्पत्ति पर्यन्त किंवा राजन्म ठहरता है वह अवस्थित है ।

६. जलतरङ्ग की तरह जो अवधिज्ञान कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी आविर्भूत होता है और कभी तिरोहित हो जाता है वह अनवस्थित है ।

यद्यपि तीर्थङ्कर मात्र को तथा किसी अन्य मनुष्य को भी अवधिज्ञान जन्मसिद्ध प्राप्त होता है, तथापि उसे गुणप्रत्यय ही समझना चाहिए । क्योंकि योग्य गुण न होने पर वह अवधिज्ञान आजन्म कायम नहीं रहता, वैसे कि देव या नरकगति में रहता है । २१, २२, २३ ।

मनःपर्याय के भेद और उनका अन्तर-

सुभीते की दृष्टि से अवधिज्ञान के भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ऐसे बंधे रखे गए हैं ।

देहधारी जीवों के चार वर्ग किये हैं : नारक, देव, तिर्यञ्च और मनुष्य। इनमें से पहले दो वर्गवाले जीवों में भवप्रज्ञान होता है और पिछले दो वर्गवालों में भवप्रज्ञान होता है ।

प्र०—जब सभी अवधिज्ञान वाले देहधारी ही हैं तब ऐसा क्यों है कि किसी को तो प्रयत्न किये बिना ही जन्म से वह प्राप्त हो और किसी को उसके लिए खास प्रयत्न करना पड़े ?

उ०—कार्य की विचित्रता अनुभवसिद्ध है । यह कौन नहीं जानता कि पक्षीजाति में जन्म लेने ही से आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और इसके विपरीत मनुष्य जाति में जन्म लेने मात्र से कोई आकाश में उड़ नहीं सकता जब तक कि विमान आदि का सहारा न लिया जाय । अथवा जैसे—कितनों में काव्यशक्ति जन्मसिद्ध होती है और कितनों को वह प्रयत्न किये बिना प्राप्त ही नहीं होती ।

तिर्यञ्च और मनुष्य में पाये जाने वाले अवधिज्ञान के छह भेद स्वरूप लाने लिये हैं । ये ये हैं : अनुगामिक, अनानुगामिक, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित ।

१. जैसे जिस स्थान में वस्त्र आदि किसी वस्तु को रंग लगाया हो उस स्थान से उसे हटा लेने पर भी उसका रंग कायम ही रहता है वैसे ही अवधिज्ञान उसके उत्पत्ति क्षेत्र को छोड़ कर दूसरी जगह चले जाने पर भी कायम रहता है यह अनुगामिक है ।

२. जैसे किसी का ज्योतिष-ज्ञान ऐसा होता है कि जिससे वह प्रभु का ठीक ठीक उत्तर अमुक स्थान में ही दे सकता है, दूसरे स्थान में नहीं;

जैसे ही जो अवधिज्ञान उसके उत्पत्ति स्थान को छोड़ देने पर कायम नहीं होता वह अनानुगात्मिक है ।

३. जैसे दियासलाई या अरणि आदि से पैदा होने वाली आग की ध्वनगारी बहुत छोटी होने पर भी अधिक अधिक सूखे इंधन आदि को बिकर क्रमशः बढ़ती है वैसे ही जो अवधिज्ञान उत्पत्तिकाल में अल्प विषयक होने पर भी परिणाम शुद्धि बढ़ने के साथ ही क्रमशः अधिक अधिक विषयक होता जाता है वह वर्धमान है ।

४. जैसे परिमित दास्य वस्तुओं में लगी हुई आग नया दास्य न मिलने पर क्रमशः घटती ही जाती है वैसे जो अवधिज्ञान उत्पत्ति के समय अधिक विषयक होने पर भी परिणाम शुद्धि कम हो जाने से क्रमशः अल्प अल्प विषयक होता जाता है वह हीयमान है ।

५. जैसे किसी प्राणी को एक जन्म में प्राप्त हुआ पुरुष आदि वेद या दूसरे अनेक तरह के शुभ-अशुभ संस्कार उसके साथ दूसरे-जन्म में जाते हैं या आजन्म कायम रहते हैं, वैसे ही जो अवधिज्ञान जन्मान्तर होने पर भी आत्मा में कायम रहता है या केवल ज्ञान की उत्पत्ति पर्यन्त किंवा आजन्म ठहरता है वह अवस्थित है ।

६. जलतरङ्ग की तरह जो अवधिज्ञान कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी आविर्भूत होता है और कभी तिरोहित हो जाता है वह अनवस्थित है ।

यद्यपि तीर्थङ्कर मात्र को तथा किसी अन्य मनुष्य को भी अवधिज्ञान जन्मसिद्ध प्राप्त होता है, तथापि उसे गुणप्रत्यय ही समझना चाहिए । क्योंकि योग्य गुण न होने पर वह अवधिज्ञान आजन्म कायम नहीं रहता, वैसे कि देव या नरकगति में रहता है । २१, २२, २३ ।

मनःपर्याय के भेद और उनका अन्तर

देखो अ० २, सू० ६।

✓ ऋजुविपुलमती मनःपर्यायः । २४ ।

विशुद्धप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषैः । २५ ।

ऋजुमति और विपुलमति ये दो मनःपर्याय हैं ।

विशुद्धि से और पुनःपतन के अभाव से उन दोनों का अन्तर है। मनवाले—संज्ञी—प्राणी किसी भी वस्तु का चिन्तन मन से करते हैं। चिन्तन के समय चिन्तनीय वस्तु के भेद के अनुसार चिन्तनकार्य में मन भिन्न भिन्न आकृतियों को धारण करता रहता है। वे आकृतियाँ मन के पर्याय हैं और उन मानसिक आकृतियों को साक्षात् जाननेवाला ज्ञान मनःपर्याय ज्ञान है। इस ज्ञान के बल से चिन्तनशील मन की आकृतियाँ जानी जाती हैं पर चिन्तनीय वस्तुएँ नहीं जानी जा सकतीं।

प्र०—तो फिर क्या चिन्तनीय वस्तुओं को मनःपर्याय ज्ञानी जान सकता ?

उ०—जान सकता है, पर पीछे से अनुमान द्वारा ।

प्र०—तो कैसे ?

उ०—जैसे कोई मानसशास्त्र का अभ्यासी किसी का चेहरा या हाव भाव प्रत्यक्ष देखकर उसके आधार पर उस व्यक्ति के मनोगत भावों के सामर्थ्य का ज्ञान अनुमान से करता है वैसे ही मनःपर्याय-ज्ञानी मनःपर्याय ज्ञान से किसी के मन की आकृतियों को प्रत्यक्ष देखकर बाद में अभ्यासक ऐसा अनुमान कर लेता है कि इस व्यक्ति ने अमुक वस्तु का चिन्तन किया; क्योंकि इसका मन उस वस्तु के चिन्तन के समय अवश्य होनेवाले अमुक प्रकार की आकृतियों से युक्त है।

प्र०—ऋजुमति और विपुलमति का क्या अर्थ है ?

उ०—जो विषय को सामान्य रूप से जानता है वह ऋजुमति मनःपर्याय और जो विशेष रूप से जानता है वह विपुलमतिमनःपर्याय है।

प्र०—जब ऋजुमति सामान्यप्राही है तब तो वह दर्शन ही हुआ, उसे ज्ञान क्यों कहते हो ?

उ०—वह सामान्यप्राही है—इसका मतलब इतना ही है कि वह विशेषों को जानता है, पर विपुलमति जितने विशेषों को नहीं जानता ।

ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति मनःपर्याय ज्ञान विशुद्धतर होता है ।^१ क्योंकि वह ऋजुमति की अपेक्षा सूक्ष्मतर और अधिक विशेषों को स्फुट-तया जान सकता है । इसके सिवा दोनों में यह भी अन्तर है कि ऋजुमति उत्पन्न होने के बाद कदाचित् चला भी जाता है, पर विपुलमति चला नहीं जाता; वह केवलज्ञान की प्राप्ति पर्यन्त अवश्य बना रहता है । २४, २५ ; १:

अवाधि और मनःपर्याय का अन्तर—

✓ विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्याययोः । २६ ।

विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय द्वारा अवाधि और मनःपर्याय का अन्तर जानना चाहिए ।

यद्यपि अवाधि और मनःपर्याय ये दोनों पारमार्थिक विकल-अपूर्ण प्रत्यक्ष रूप से समान हैं तथापि दोनों में कई प्रकार से अन्तर है । जैसे विशुद्धिकृत, क्षेत्रकृत, स्वामिकृत और विषयकृत । १. मनःपर्यायज्ञान अवाधिज्ञान की अपेक्षा अपने विषय को बहुत विशद रूप से जानता है इसलिए उससे विशुद्धतर है । २. अवाधिज्ञान का क्षेत्र अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर सारा लोक है और मनःपर्यायज्ञान का क्षेत्र तो मानुषोत्तर पर्वत पर्यन्त ही है । ३. अवाधिज्ञान के स्वामी चारों गति वाले हो सकते हैं, पर मनःपर्याय के स्वामी सिर्फ संयत मनुष्य हो सकते हैं । ४. अवाधि का विषय कतिपय पर्याय सहित रूपी द्रव्य है, पर मनःपर्याय का विषय तो सिर्फ उसका अनन्तवाँ भाग है अर्थात् मात्रे मनोद्रव्य है ।

१ देखो आगे सूत्र २९ ।

प्र०-विषय कम होने पर भी मनःपर्याय अवधि से विशुद्धतर मान गया, सो कैसे ?

उ०-विशुद्धि का आधार विषय की न्यूनाधिकता पर नहीं है किन्तु विषयगत न्यूनाधिक सूक्ष्मताओं को जानने पर है। जैसे दो व्यक्तियों से एक ऐसा हो जो अनेक शास्त्रों को जानता हो, और दूसरा सिर्फ एक शास्त्र को; तो भी अगर अनेक शास्त्रों की अपेक्षा एक शास्त्र जानने का व्यक्ति अपने विषय की सूक्ष्मताओं को अधिक जानता हो तो उसका ज्ञान पहले की अपेक्षा विशुद्ध कहलाता है। वैसे ही विषय अल्प होने पर भी उसकी सूक्ष्मताओं को अधिक जानने के कारण मनःपर्याय अवधि से विशुद्धतर कहा जाता है। २६।

पाँचों ज्ञानों के प्रात्य विषय—

मतिश्रुतयोर्निबन्धः सर्वद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु । २७ ।

रूपेष्ववधेः । २८ ।

तदनन्तभागे मनःपर्यायस्य । २९ ।

सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य । ३० ।

मति और श्रुतज्ञान की प्रवृत्ति—प्राप्तता सर्व पर्याय रहित अर्थात् परिपूर्ण पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होती है।

अवधिज्ञान की प्रवृत्ति सर्व पर्याय रहित सिर्फ रूपी-मूर्त्त द्रव्यों में होती है।

मनःपर्यायज्ञान की प्रवृत्ति उस रूपी द्रव्य के सर्व पर्याय रहित अन्तर्गम्य भाग में होती है।

केवलज्ञान की प्रवृत्ति सभी द्रव्यों में और सभी पर्यायों में होती है।

मति और श्रुतज्ञान के द्वारा रूपी, अरूपी सभी द्रव्य जाने जा सकते हैं पर पर्याय उनके कुछ ही जाने जा सकते हैं, सब नहीं।

प्र०—उक्त कथन से जान पड़ता है कि मति और भुत के प्राग्र विषयों में न्यूनाधिकता है ही नहीं, सो क्या ठीक है ?

उ०—द्रवरूप प्राग्र की अपेक्षा से तो दोनों के विषयों में न्यूनाधिकता नहीं है। पर पर्याप्त रूप प्राग्र की अपेक्षा से दोनों के विषयों में न्यूनाधिकता अवश्य है। प्राग्र पर्यायों की कमी-बेशी होने पर भी समानता सिर्फ इतनी है कि ये दोनों ज्ञान द्रव्यों के परिमित पर्यायों को ही जान सकते हैं संपूर्ण पर्यायों को नहीं। मतिज्ञान वर्तमानप्राही होने से इन्द्रियों की शक्ति और आत्मा की योग्यता के अनुसार द्रव्यों के कुछ कुछ वर्तमान पर्यायों को ही ग्रहण कर सकता है; पर भुतज्ञान त्रिकाळप्राही होने से तीनों काल के पर्यायों को थोड़े बहुत प्रमाण में ग्रहण कर सकता है।

प्र०—मतिज्ञान चक्षु आदि इन्द्रियों से पैदा होता है और वे इन्द्रियाँ सिर्फ मूर्त्त द्रव्य को ही ग्रहण करने का सामर्थ्य रखती हैं। फिर मतिज्ञान के प्राग्र सब द्रव्य कैसे माने गए ?

उ०—मतिज्ञान इन्द्रियों की तरह मन से भी होता है; और मन स्वानुभूत या शास्त्रभुत सभी मूर्त्त, अमूर्त्त द्रव्यों का चिन्तन करता है। इसलिए मनोजन्य मतिज्ञान की अपेक्षा से मतिज्ञान के प्राग्र सब द्रव्य मानने में कोई विरोध नहीं है।

प्र०—स्वानुभूत या शास्त्रभुत विषयों में मन के द्वारा मतिज्ञान भी होगा और भुतज्ञान भी, तब दोनों में फर्क क्या रहा ?

उ०—जब मानसिक चिन्तन, शब्दोल्लेख सहित हो तब भुतज्ञान और जब उससे रहित हो तब मतिज्ञान।

परम प्रकरप्राप्त परमावाधि-ज्ञान जो अलोक में भी लोकप्रमाण असंख्यात स्वर्णों को देखने का सामर्थ्य रखता है वह भी सिर्फ मूर्त्त द्रव्यों का

साक्षात्कार कर सकता है, अमूर्तों का नहीं। इसी तरह वह मूर्त द्रव्य भी समग्र पर्यायों को नहीं जान सकता।

मनःपर्याय-ज्ञान भी मूर्त द्रव्यों का ही साक्षात्कार करता है पर अज्ञेय-ज्ञान जितना नहीं। क्योंकि अवधिज्ञान के द्वारा सब प्रकार के पुद्गल ग्रहण किये जा सकते हैं; पर मनःपर्याय ज्ञान के द्वारा सिर्फ मनरूप ही हुए पुद्गल और भी वे मानुषोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत ही ग्रहण किये जा सकते हैं। इसीसे मनःपर्यायज्ञान का विषय अवधिज्ञान के विषय का अन्तर्भाग कहा गया है। मनःपर्याय-ज्ञान भी कितना ही विशुद्ध क्यों न हो; पर अपने मूर्त द्रव्यों के संपूर्ण पर्यायों को जान नहीं सकता। यद्यपि मनःपर्याय ज्ञान के द्वारा साक्षात्कार तो सिर्फ चिन्तनशील मूर्त मन का ही होता है; पर पीछे होनेवाले अनुमान से तो उस मन के द्वारा चिन्तन किये गये मूर्त, अमूर्त सभी द्रव्य जाने जा सकते हैं।

मति आदि चारों ज्ञान कितने ही शुद्ध क्यों न हों, पर वे चेतनाशक्ति के अपूर्ण विकासरूप होने से एक भी वस्तु के समग्र भावों को जानने असमर्थ हैं। यह नियम है कि जो ज्ञान किसी एक वस्तु के संपूर्ण भावों को जान सके वह सब वस्तुओं के संपूर्ण भावों को भी ग्रहण कर सकता है वही ज्ञान पूर्णज्ञान कहलाता है; इसीको केवलज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान चेतनाशक्ति के संपूर्ण विकास के समय प्रकट होता है। इसलिए इन अपूर्णताजन्य भेद-प्रभेद नहीं हैं। कोई भी वस्तु या भाव ऐसा नहीं है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष न जाना जा सके। इसी कारण केवलज्ञान की प्रकृत सव द्रव्य और सव पर्यायों में मानी गई है। २७-३०।

एक आत्मा में एक साथ पाये जानेवाले ज्ञानों का वर्णन-

✓ एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः । ३१ ।

एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर चार तक ज्ञान भवना के अनियत रूप से होते हैं।

किसी आत्मा में एक साथ एक, किसी में दो, किसी में तीन और किसी में चार ज्ञान तक संभव है; पर पाँचों ज्ञान एक साथ किसी में नहीं होते। जब एक होता है तब केवलज्ञान समझना चाहिए; क्योंकि केवलज्ञान परिपूर्ण होने से उसके समय अन्य अपूर्ण कोई ज्ञान संभव नहीं। जब दो होते हैं तब मति और श्रुत; क्योंकि पाँच ज्ञान में से अनियत सहचारी दो ज्ञान ये ही हैं। शेष तीनों एक दूसरे को छोड़कर भी रह सकते हैं। जब तीन ज्ञान होते हैं तब मति, श्रुत और अवधि ज्ञान या मति, श्रुत और मनःपर्याय ज्ञान। क्योंकि तीन ज्ञान अपूर्ण अवस्था में ही संभव हैं और उस समय चाहे अवधिज्ञान हो या मनःपर्यायज्ञान; पर मति और श्रुत—दोनों अवश्य होते हैं। जब चार ज्ञान होते हैं तब मति श्रुत, अवधि और मनःपर्याय; क्योंकि ये ही चारों ज्ञान अपूर्ण अवस्थाभावी होने से एक साथ हो सकते हैं। केवलज्ञान का अन्य किसी ज्ञान के साथ साहचर्य इसलिए नहीं है कि वह पूर्ण अवस्थाभावी है और शेष सभी अपूर्ण अवस्थाभावी। पूर्णता तथा अपूर्णता का आपस में विरोध होने से दो अवस्थाएँ एक साथ आत्मा में नहीं होतीं। दो, तीन या चार ज्ञानों को एक साथ संभव कहा गया; सो शक्ति की अपेक्षा से, प्रवृत्ति की अपेक्षा से नहीं।

प्र०— इसका मतलब क्या ?

उ०— जैसे मति और श्रुत—दो ज्ञानवाला या अवधि सहित तीन ज्ञानवाला कोई आत्मा जिस समय मतिज्ञान के द्वारा किसी विषय को जानने में प्रवृत्त हो उस समय वह अपने में श्रुत की शक्ति या अवधि की शक्ति होने पर भी उसका उपयोग करके तद्द्वारा उसके विषयों को जान नहीं सकता। इसी तरह वह श्रुतज्ञान की प्रवृत्ति के समय मति या अवधि शक्ति को भी काम में ला नहीं सकता। यही बात मनःपर्याय की

शक्ति के विषय में समझनी चाहिए। सारांश यह है कि एक अन्य एक साथ अधिक से अधिक चार ज्ञान शक्तियाँ हों तब भी एक में कोई एक ही शक्ति अपना जानने का काम करती है। अन्य उस समय निष्क्रिय रहती है।

केवलज्ञान के समय मति आदि चारों ज्ञान नहीं होते। सिद्धान्त सामान्य होने पर भी उसकी उपपत्ति दो तरह से की जाती है। कोई आचार्य कहते हैं कि केवलज्ञान के समय भी मति आदि चारों शक्तियाँ होती हैं पर वे सूर्यप्रकाश के समय ग्रह, नक्षत्र आदि के प्रकाश की तरह केवलज्ञान की प्रवृत्ति से अभिभूत हो जाने के कारण अपना ज्ञान रूप कार्य कर नहीं सकती। इसीसे शक्तियाँ होने पर भी केवलज्ञान के समय मति आदि ज्ञानपर्याय नहीं होते।

दूसरे आचार्यों का कथन है कि मति आदि चार ज्ञान शक्तियाँ आत्मा में स्वभाविक नहीं हैं; किन्तु कर्म-क्षयोपशम रूप होने से औपाधिक अर्थात् कर्म सापेक्ष हैं। इसलिए ज्ञानावरणीय कर्म का सर्वथा अन्तर्भाव होने पर—अब कि केवलज्ञान प्रकट होता है—उन औपाधिक शक्तियों का संभव ही नहीं है। इसलिए केवलज्ञान के समय केवलशक्ति के द्वारा ही अन्य कोई ज्ञानशक्तियाँ ही हैं और न उनका मति आदि ज्ञान रूप कार्य ही। ३१।

विपर्ययज्ञान का निर्धारण और विपर्ययता के हेतु—

मतिश्रुताऽवधयो विपर्ययश्च । ३२ ।

सदसत्तोरविशेषाद् यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् । ३३ ।

मति, श्रुत और अवधि ये तीन विपर्यय—अज्ञानरूप भी हैं।

-वास्तविक और-अवास्तविक-का-अन्तर न-जानने से यदृच्छोपलब्धि विचारशून्य उपलब्धि के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान ही है।

मति, श्रुत आदि पाँचों चेतनाशक्ति के पर्याय हैं। अपने अपने विषय को प्रकाशित करना उनका कार्य है। इसलिए वे सभी ज्ञान कहते हैं। परन्तु उनमें से पहले तीन, ज्ञान और अज्ञान रूप माने गए। जैसे मतिज्ञान, मति-अज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रुत-अज्ञान, अविधिज्ञान, अविधि-अज्ञान अर्थात् विभक्तज्ञान।

प्र०—मति, श्रुत और अविधि ये तीन पर्याय अपने अपने विषय का प्रकाश कराने के कारण ज्ञान कहलाते हैं तब उन्हीं को अज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों शब्द परस्पर विरुद्ध अर्थ के शब्द होने से एक ही अर्थ में प्रकाश और अन्धकार शब्द की तरह प्रयुक्त नहीं हो सकते।

उ०—उक्त तीनों पर्याय लौकिक संकेत के अनुसार तो ज्ञान ही हैं; परन्तु यहाँ जो उन्हें ज्ञान और अज्ञानरूप कहा जाता है सो शास्त्रीय संकेत के अनुसार। आध्यात्मिक शास्त्र का यह संकेत है कि मिथ्यादृष्टि के अज्ञान, श्रुत और अविधि ये तीनों ज्ञानात्मक पर्याय अज्ञान ही हैं और मिथ्यादृष्टि के उक्त तीनों पर्याय ज्ञान ही मानने चाहिए।

प्र०—यह संभव नहीं कि सिर्फ सम्यग्दृष्टि आत्मा प्रामाणिक व्यवहार चलाते हों और मिथ्यादृष्टि न चलाते हों। यह भी संभव नहीं कि सम्यग्दृष्टि को संशय-भ्रम रूप मिथ्याज्ञान बिलकुल न होता हो और मिथ्यादृष्टि न होता ही हो। यह भी मुमकिन नहीं कि इन्द्रिय आदि साधन सम्यग्दृष्टि के तो पूर्ण तथा निर्दोष ही हों और मिथ्यादृष्टि के अपूर्ण तथा दुष्ट ही हों। यह भी कौन कह सकता है कि विज्ञान, साहित्य आदि विषयों में अपूर्ण प्रकाश डालने वाले और उनका यथार्थ निर्णय करनेवाले सभी सम्यग्दृष्टि हैं। इसलिए यह प्रश्न होता है कि आध्यात्मशास्त्र के पूर्वोक्त ज्ञान-अज्ञान संबन्धी संकेत का आधार क्या है?

उ०—आध्यात्मिक शास्त्र का आधार आध्यात्मिक दृष्टि है, वह दृष्टि नहीं। जीव दो प्रकार के हैं : मोक्षाभिमुख और संसारिणी। मोक्षाभिमुख आत्मा में समभाव की मात्रा और आत्मविवेक शक्ति इसलिए वे अपने सभी ज्ञानों का उपयोग समभाव की दृष्टि में ही करते हैं, सांसारिक वासना की दृष्टि में नहीं। यही कारण है कि चाहे लोके दृष्टि से उनका ज्ञान अल्प ही हो पर वह ज्ञान कहा जाता है। इसके विपरीत संसाराभिमुख आत्मा का ज्ञान लौकिक दृष्टि से विना विशाल और स्पष्ट हो पर वह समभाव का पोषक न होकर विपरिमाण में सांसारिक-वासना का पोषक होता है उतने ही परिमाण अज्ञान कहलाता है। जैसे कभी उन्मत्त मनुष्य भी सोने को सोना और लोहे को लोहा मानकर यथार्थ ज्ञान लाभ कर लेता है पर उन्माद के कारण वह सत्य-असत्य का अन्तर जानने में असमर्थ होता है। इससे उसे सच्चा-झूठा सभी ज्ञान विचारशून्य या अज्ञान ही कहलाता है। वे संसाराभिमुख आत्मा कितना ही अधिक ज्ञानवाला क्यों न हो पर अज्ञान के विषय में अंधेरा होने के कारण उसका सारा लौकिक ज्ञान आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञान ही है।

सारांश, उन्मत्त मनुष्य को अधिक विभूति हो भी जाय और कभी भी का यथार्थ बोध भी हो जाय तथापि उसका उन्माद ही बढ़ता है, जैसे मिथ्या-दृष्टि आत्मा जिसके राग-द्वेष की तीव्रता और आत्मा का अज्ञान हो वह अपनी विशाल ज्ञानराशि का भी उपयोग सिर्फ सांसारिक वासना की दृष्टि में करता है। इसीसे उसके ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है। विपरीत सम्यग्दृष्टि आत्मा जिसमें राग-द्वेष की तीव्रता न हो और आत्मज्ञ हो वह अपने थोड़े भी लौकिक ज्ञान का उपयोग आत्मिक दृष्टि में करता है। इसलिए उसके ज्ञान को ज्ञान कहा है, वह आध्यात्मिक है। ३२, ३३।

नय के भेद-

नैगमसंग्रहव्यवहारर्जुसूत्रशब्दा नयाः । ३४ ।

आद्यशब्दौ द्वित्रिभेदौ । ३५ ।

नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र और शब्द ये पाँच नय हैं ।

आद्य अर्थात् पहले—नैगम के दो और शब्द के तीन भेद हैं ।

नय के भेदों की संख्या के विषय में, कोई एक निश्चित परंपरा ही है । इनकी तीन परंपराएँ देखने में आती हैं । एक परंपरा तो धे तौर पर पहले से ही सात भेदों को मानती है; जैसे कि—नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुद्ध और एवंभूत । यह परंपरा जैनागमों में दिगम्बर ग्रन्थों की है । दूसरी परंपरा सिद्धसेन दिवाकर की है । नैगम को छोड़कर बाकी के छः भेदों को मानते हैं । तीसरी परंपरा श्रुत सूत्र और उनके भाष्यगत है । इसके अनुसार नय के मूल पाँच नय हैं और बाद में प्रथम नैगम नय के (माध्य के अनुसार) देश-परिक्षेपी और सर्वपरिक्षेपी ऐसे दो तथा पाँचवें शब्द नय के सांप्रत, समभिरुद्ध और एवंभूत ऐसे तीन भेद हैं ।

किन्हीं भी एक या अनेक चीजों के बारे में एक या अनेक व्यक्तियों का विचार अनेक तरह के होते हैं । अर्थात् एक ही वस्तु के विषय में विचारों के निरूपण भिन्न-भिन्न विचारों की यदि गणना की जाए, तो वे अपरिमित प्रतीत होंगे । अतः तद्विषयक प्रत्येक विचार का बोध करना अशक्य हो जाता है । इसलिए उनका अतिबंधित और अतिविस्तृत प्रतिपादन छोड़ करके मध्यम-मार्ग से प्रतिपादन करना—यही नयों का निरूपण है । नयों का निरूपण अर्थात् विचारों का वर्गीकरण । नयवाद का अर्थ है—विचारों की मीमांसा ।

नयवाद में सिर्फ विचारों के कारण, उनके परिणाम या उनके तिरि
की ही चर्चा नहीं आती। किन्तु जो विचार परस्पर विरुद्ध दिख
पड़ते हैं, और वास्तव में जिनका विरोध है नहीं—ऐसे विचारों
अविरोध के बीज की गवेषणा करना, यही इस वाद का मुख्य उद्देश्य
है। अतः नयवाद की संक्षिप्त व्याख्या इस तरह हो सकती है कि—परस्पर
विरुद्ध दिखाई देनेवाले विचारों के वास्तविक अविरोध के बीज को गवेषणा
करके उन विचारों का समन्वय करने वाला शास्त्र। जैसे आत्मा के
बारे में ही परस्पर विरुद्ध मन्तव्य मिलते हैं। किसी जगह 'आत्मा
एक है' ऐसा कथन है, तो अन्यत्र 'अनेक है' ऐसा भी मिलता है।
एकत्व और अनेकत्व परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न
होता है कि—इन दोनों का यह विरोध वास्तविक है या नहीं? यदि
वास्तविक नहीं, तो क्यों? इसका जवाब नयवाद ने ढूँढ़ निकाला है
और ऐसा समन्वय किया है कि—व्यक्ति रूप से देखा जाय तो आत्मा
अनेक है, किन्तु यदि शुद्ध चैतन्य की ओर दृष्टि दें, तब तो एक ही है।
इस तरह का समन्वय करके नयवाद परस्पर विरोधी वाक्यों का भी अविरोध—एकवाक्यता सिद्ध करता है। इसी तरह आत्मा के विषय में परस्पर
विरुद्ध दिखाई देने वाले—नित्यत्व-अनित्यत्व, कर्तृत्व-अकर्तृत्व आदि मन्तव्यों
का भी अविरोध नयवाद से ही सिद्ध होता है। ऐसे अविरोध वाक्यों
विचारक की दृष्टि-तात्पर्य—में ही है। इसी दृष्टि के लिए प्रस्तुत शास्त्र
में 'अपेक्षा' शब्द है। अतः नयवाद अपेक्षावाद भी कहा जाता है।

प्रथम किए गए ज्ञान निरूपण में श्रुत की चर्चा आ चुकी है।
नयवाद की दृष्टि से श्रुत विचारात्मक ज्ञान है और नय भी एक ही प्रकार का
अलग-अलग अर्थों, और का विचारात्मक ज्ञान होने से श्रुत में ही समा जाता है।
उपरोक्त विवेचना कैसे? इसीसे प्रथम यह प्रश्न उपस्थित होता है कि श्रुत का

निरूपण हो जाने के बाद नयों को उससे भिन्न करके नयवाद की देशना भ्रलंग क्यों की जाती है ? जैन तत्त्वज्ञान की एक विशेषता नयवाद के कारण गानी जाती है; लेकिन नयवाद तो श्रुत है, और श्रुत कहते हैं आगम प्रमाण को । जैनेतर दर्शनों में भी प्रमाण चर्चा और उसमें भी आगम-प्रमाण का निरूपण है ही । अतः सहज ही दूसरा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब आगम-प्रमाण की चर्चा इतर दर्शनों में भी मौजूद है, तब आगम-प्रमाण व समाविष्ट ऐसे नयवाद की सिर्फ अलग देशना करने से ही जैन-दर्शन की तत्कृत विशेषता कैसे मानी जाय ? अथवा यों कहना चाहिए कि श्रुतप्रमाण के अतिरिक्त नयवाद की स्वतंत्र देशना करने में जैन-दर्शन के प्रवर्तकों का क्या उद्देश्य था ?

श्रुत और नय ये दोनों विचारात्मक ज्ञान तो हैं ही । फिर भी दोनों में फर्क यह है कि—किसी भी विषय को सर्वांश में स्पर्श करने वाला अथवा सर्वांश से स्पर्श करने का प्रयत्न करने वाला विचार श्रुत है और उसी विषय के किसी एक अंश को स्पर्श करके बैठ जानेवाला विचार नय है । इसी कारण नय को स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं कह सकते फिर भी वह अप्रमाण नहीं है । जैसे अंगुली के अप्रमाण को अंगुली नहीं कह सकते, वैसे ही उसको 'अंगुली नहीं है' ऐसा भी नहीं कह सकते; क्योंकि वह अंगुली का अंश तो है ही । इसी तरह नय भी श्रुत प्रमाण का अंश है । विचार की उत्पत्ति का क्रम और तत्कृत व्यवहार—इन दो दृष्टियों से नय का निरूपण—श्रुत प्रमाण से भिन्न करके किया गया है । किसी भी वस्तु के विभिन्न अंशों के विचार ही अन्त में विशालता या समग्रता में परिणत होते हैं । विचार जिस क्रम से उत्पन्न होते हैं, उसी क्रम से तत्त्वबोध के उपायरूप से उनका वर्णन होना चाहिए । इस बात के मान लेने से ही स्वाभाविक तौर से नय का निरूपण श्रुत प्रमाण से अलग करना प्राप्त हो जाता है, और किसी एक

विषय का कितना भी समग्ररूप से ज्ञान हो तब भी व्यवहार में जो ज्ञान का उपयोग एक एक अंश को लेकर ही होता है। और समग्र विचारात्मक श्रुत से अंश विचारात्मक नय का निरूपण फिर प्राप्त होता है।

यद्यपि जैनैतर दर्शनों में आगम-प्रमाण की चर्चा है तथापि प्रमाण में समाविष्ट ऐसे नयवाद की जो जैन-दर्शन ने जुदी प्राप्ति के उसका कारण निम्नोक्त है; और यही कारण इसकी विशेषता के लिये पड़े है। सामान्यतः मनुष्य की ज्ञानवृत्ति अधूरी होती है और अतिमता-अतिनिवेश अत्यधिक होता है। फलतः जब वह किसी भी विषय में कुछ सोचता है, तब वह उसको ही अन्तिम व सम्पूर्ण मानने को प्रेरित होता है। और इसी प्रेरणा के वश वह दूसरे के विचारों को समझने की कोश छोड़ता है। अन्ततः वह अपने आंशिक ज्ञान में ही सम्पूर्ण आरोप कर लेता है। इस आरोप के कारण एक ही वस्तु के बारे में दो लेकिन भिन्न-भिन्न विचार रखने वालों के बीच सामंजस्य नहीं रहता फलतः पूर्ण और सत्य ज्ञान का द्वार बन्द हो जाता है।

आत्मा आदि किसी भी विषय में अपने आप पुरुष के आदि विचार को ही जब कोई एक दर्शन सम्पूर्ण मान कर चलता है तब व विरोधी होने पर भी यथार्थ विचार रखने वाले दूसरे दर्शनों को अप्रामाण्य भूत कह कर उनकी अवगणना करता है। इसी तरह दूसरा दर्शन उठा और फिर दोनों किसी तीसरे की अवगणना करते हैं। फलतः समता जगह विषमता और विवाद खड़े हो जाते हैं। इसी से सत्य और ज्ञान का द्वार खोलने और विवाद दूर करने के लिए ही नयवाद की प्रतिष्ठा की गई है। और उससे यह उचित किया गया है कि प्रत्येक विचार को चाहिए कि अपने विचार को आगमप्रमाण कहने से पूर्व यह देख ले

विचार प्रमाण-दोषोंमें आने योग्य सर्वांशी है या नहीं। ऐसी सूचना जा यही नयवाद के द्वारा जैन-दर्शन की विशेषता है।

किसी भी विषय का सापेक्ष निरूपण करने वाला सामान्य लक्षण विचार नय है।

संक्षेप में नय के दो भेद किये गए हैं : द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक।

जगत में छोटी या बड़ी सभी वस्तुएँ एक दूसरे से न तो सर्वथा समान ही होती हैं न सर्वथा समान ही। इनमें समानता और असमानता-नों अंश बने रहते हैं। इसी से वस्तुमात्र सामान्य-विशेष-उभयात्मक ऐसा कहा जाता है। मनुष्य की बुद्धि कभी तो वस्तुओं के सामान्य श की ओर झुकती है और कभी विशेष अंश की ओर। जब वह सामान्य अंश को ग्रहण करती है, तब उसका वह विचार-द्रव्यार्थिक नय, और जब वह विशेष अंश को ग्रहण करती है, तब यही विचार पर्यायार्थिक नय कहलाता है। सभी सामान्य और विशेष दृष्टियों भी एक सी नहीं होतीं, उनमें भी अन्तर रहता है। इसी को बतलाने के लिए इन दो दृष्टियों के फिर संक्षेप में भाग किये गए हैं। द्रव्यार्थिक के तीन और पर्यायार्थिक के चार-इस तरह कुल सात भाग बनते हैं, और ये ही सात नय हैं। द्रव्यदृष्टि में विशेष-पर्याय, और पर्यायदृष्टि में द्रव्य-सामान्य आता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह दृष्टिविभाग तो सिर्फ गौण-प्रधान भाव की अपेक्षा से ही समझना चाहिए।

प्र०-ऊपर कहे हुए दोनों नयों को सरल उदाहरणों से समझाइए।

उ०-कहीं भी, कभी भी और किसी भी अवस्था में रह कर समुद्र की तरफ दृष्टि डालने पर-जब जल के रंग, स्वाद, उसकी गहराई या छिछलापन, उसके विस्तार व सीमा इत्यादि विशेषताओं की ओर ध्यान

न जाकर सिर्फ जल ही जल ध्यान में आता है, तब वह एक मात्र जल सामान्य विचार कहलाता है; और यही जल विषयक द्रव्याधिक तत्त्व है।

इसके विपरीत जब रंग, स्वाद आदि विशेषताओं की ओर ध्यान तब वह विचार जल की विशेषताओं का होने से जलविषयक तत्त्व न कहलाएगा।

जैसे जल के विषय में कहा गया है, वैसे ही दूसरी सभी भौतिक वस्तुओं के बारे में भी समझा जा सकता है। विभिन्न स्थलों में पड़े हुए जल जैसी एक ही तरह की नाना वस्तुओं के विषय में जिस प्रकार साधारण और विशेषात्मक विचार संभव है; वैसे ही भूत, वर्तमान, भविष्य इस त्रिकाल रूप अपार पट पर फैले हुए आत्मादि किसी पदार्थ के बारे में भी सामान्य और विशेषात्मक विचार सर्वथा संभव हैं। काल तथा अवस्था-भेद कृत चित्रों पर ध्यान न देकर जब केवल चैतन्य की ओर ही ध्यान जाता है, तब वह उसके विषय का द्रव्याधिक तत्त्व कहलाएगा। तथा चैतन्य की देश-कालादि कृत विविध दशाओं पर ध्यान जाएगा, तब वह चैतन्य विषयक पर्यायार्थिक समझा जायगा।

विशेष भेदों का स्वरूप * १. जो विचार लौकिक हृदि अथवा लौकिक संसार अनुसरण में से पैदा होता है, वह नैगमनय है।

श्री उमास्वाति द्वारा सूचित नैगम के दो भेदों की व्याख्या इस प्रकार है:—घट-पट जैसे सामान्य बोधक नाम से जब एकाध घट-पट अर्थवस्तु ही विचार में ली जाती है तब वह विचार देश-परिक्षेपी नैगम कहलाता है, और जब उस नाम से विषयित होने वाले अर्थ की सारी ही वस्तुओं का विचार में ली जाती है तब वह विचार सर्वपरिक्षेपी नैगम कहलाता है।

२. जो विचार भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को तथा अनेक व्यक्तियों को किसी भी सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में संकलित कर लेता है, वह संग्रहनय है।

३. जो विचार सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में संकलित वस्तुओं का व्यावहारिक प्रयोजन के अनुसार पृथक्करण करता है वह व्यवहारनय है।

इन तीनों नयों का उद्भूत द्रव्यार्थिक की भूमिका में रहा हुआ है; अतः ये तीनों द्रव्यार्थिक प्रकृति वाले कहलाते हैं।

प्र०—शेष नयों की व्याख्या देने से पहले ऊपर के तीन नयों को ही उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह स्पष्ट कीजिए।

उ०—देश-काल एवं लोक-स्वभाव सम्बन्धी भेदों की विविधता के कारण लोक-रूढ़ियाँ तथा तज्जन्य संस्कार भी अनेक तरह के होते हैं, अतः उनसे उद्भूत नैगमनय भी अनेक तरह का होता है जिससे उसके उदाहरण विविध प्रकार के मिल जाते हैं; और वैसे ही दूसरे नये उदाहरण भी बनाए जा सकते हैं।

किसी काम के संकल्प से जाने वाले से कोई पूछता है कि—आप कहाँ जा रहे हैं? तब जवाब में वह कहता है कि—‘मैं कुल्हाड़ी या कलम लेने जा रहा हूँ।’

जवाब देने वाला वास्तव में तो कुल्हाड़ी के हाथे के लिए लकड़ी अथवा कलम के लिए किलक लेने ही जा रहा है, तब भी वह ऊपर का ही जवाब देता है, और पूछने वाला भी चट से उसके मतलब को समझ लेता है; यह एक तरह की लोकरूढ़ि है।

जात-पौत छोड़ कर भिक्षु बने हुए व्यक्ति का परिचय जब कोई पूर्वाश्रम के ब्राह्मण वर्ण द्वारा कराता है, तब भी ‘वह ब्राह्मण भ्रमण है’ यह कथन तत्काल स्वीकार कर लिया जाता है। इसी तरह चैत्र शुक्ला नवमी व त्रयोदशी के दिनों के आते ही हजारों वर्ष पहले के रामचन्द्र व महावीर के जन्मदिन के रूप में उन दिनों को लोग मानते हैं। तथा उन्हें जन्मदिन

मान कर वैसे ही उत्सवादि भी मनाते हैं । यह भी एक तरह की सोच-रूढ़ि ही है ।

जब कभी खास खास मनुष्य समूहरूप में लड़ने लगते हैं, तब जो लोग उनकी निवास-भूमि को ही लड़ने वाली मान कर बहुधा करने लगते हैं—‘हिन्दुस्तान लड़ रहा है’ ‘चीन लड़ रहा है’—इत्यादि; ऐसे कथन का आशय सुनने वाले भी समझ लेते हैं ।

इस प्रकार लोक-रूढ़ियों से पड़े हुए संस्कारों के कारण जो विचार उत्पन्न होते हैं, वे सभी नैगमनय के नाम से पहली श्रेणी में गिन लिये जाते हैं ।

जड़, चेतन रूप अनेक व्यक्तियों में जो सद्रूप एक सामान्य तत्त्व है; उसी पर दृष्टि रखकर दूसरे विशेषों को ध्यान में न रखते संप्रह्वनय हुए—सभी व्यक्तियों को एक रूप मान कर ऐसा विचार करते हैं कि—संपूर्ण जगत सद्रूप है; क्योंकि सत्ता रहित कोई वस्तु है ही नहीं—भी संप्रह्वनय है । इसी तरह घनों की विविध किस्मों और भिन्न-भिन्न वर्तों के ओर लक्ष्य न देकर एक मात्र घन रूप सामान्य तत्त्व को ही ध्यान में रखकर विचार करना कि—इस जगह सिर्फ घन है, इसीका नाम संप्रह्वनय है ।

सामान्य तत्त्व के अनुसार सरतममाव को लेकर संप्रह्वनय के अनन्त उदाहरण बन सकते हैं । जितना विशाल सामान्य होगा, संप्रह्वनय भी उतना ही विशाल समझना चाहिए । तथा जितना ही छोटा सामान्य होगा, संप्रह्वनय भी उतना ही संक्षिप्त होगा । सारांश यह है कि जो जो विचार सामान्य तत्त्व के आशय से विविध वस्तुओं या एकीकरण करके प्रकृत होते हैं, वे सभी संप्रह्वनय की श्रेणी में रखे जा सकते हैं ।

विविध वस्तुओं को एक रूप में संकलित करने के बाद भी इन उनकी विशेष रूप में शोध कराना हो, या व्यवहार में उपयोग करने का

प्रसंग आवे; तत्र उनका विशेष रूप से भेद करके पृथक्करण करना पड़ता है। वस्तु कहने मात्र से भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्तुओं का अलग व्यवहारनय अलग घोष नहीं हो सकता। जो सिर्फ खादी चाहता है, वह वस्तुओं का विभाग किये बिना उसे नहीं पा सकता, क्योंकि वस्तु तो कई प्रकार के हैं। इसी से खादी का कपड़ा, मिल का कपड़ा इत्यादि भेद भी करने पड़ते हैं। इसी प्रकार तत्त्वज्ञान के प्रदेश में सद्रूप वस्तु भी जड़ और चेतन रूप से दो प्रकार की है। चेतन तत्त्व भी संसारी और मुक्त रूप से दो प्रकार का है—इत्यादि रूप से पृथक्करण करना पड़ता है। ऐसे ऐसे पृथक्करणोन्मुख सभी विचार व्यवहारनय की धेनी में आते हैं।

ऊपर के उदाहरणों में देखा जा सकता है कि नैगमनय का आधार लोक-रूढ़ि है, लोक-रूढ़ि आरोप पर आधारित है, और आरोप है—सामान्य-तत्त्वाश्रयी। ऐसा होने से नैगमनय सामान्यप्राही है, यह घात भी बिलकुल स्पष्ट हो जाती है। संग्रहनय तो स्पष्टरूप से एकीकरण रूप बुद्धि-व्यापार होने से सामान्यप्राही है ही। व्यवहारनय में पृथक्करणोन्मुख बुद्धि-व्यापार होने पर भी उसकी क्रिया का आधार सामान्य होने से उसे भी सामान्यप्राही ही समझना चाहिए। इसी कारण ये तीनों नय द्रव्यार्थिक नय के भेद माने जाते हैं।

प्र०—इन तीनों नयों का पारस्परिक भेद और उनका संबन्ध क्या है ?

उ०—नैगमनय का विषय सबसे अधिक विशाल है, क्योंकि यह सामान्य और विशेष-दोनों का ही लोक-रूढ़ि के अनुसार कभी तो गौण रूप से और कभी मुख्य रूप से अवलंबन करता है। सिर्फ सामान्यलक्षी होने से संग्रह का विषय नैगम से कम है, और व्यवहार का विषय तो संग्रह से भी कम है; क्योंकि यह संग्रह द्वारा संकलित विषय का ही खास खास विशेषताओं के आधार पर पृथक्करण करने वाला होने से सिर्फ विशेषगामी है।

इस तरह तानों का विनय-क्षेत्र उत्तरोत्तर कम होने से इनका सामान्य-पौर्यापर्य सम्बन्ध है। सामान्य, विशेष और उन दोनों के सम्बन्ध प्रतीति नैगमनय कराता है। इसीमें से संप्रह का उद्भव होता है, और इसकी भित्ति पर ही व्यवहार का चित्र खींचा जाता है।

प्र०-पूर्वोक्त प्रकार से शेष चार नयों को व्याख्या करीजिये, उनके उदाहरण दीजिये, और दूसरी जानकारी कराइये।

उ०-१. जो विचार भूत और भविष्यत् काल का खयाल न करे केवल वर्तमान को ही ग्रहण करता है वह ऋजुसूत्र है।

२. जो विचार शब्दप्रधान होता हुआ कितनेक शाब्दिक धर्मों से और शुरु कर तदनुसार ही अर्थ-भेद की कल्पना करता है वह शब्दनय है।

श्री उमास्वाति द्वारा सूत्र में सूचित शब्दनय के तीन भेदों में प्रथम भेद सांप्रत है। अर्थात् शब्द नय ऐसा सामान्य पद सांप्रत-समभिरूढ और एवंभूत इन तानों भेदों को ध्यात कर लेता है; परंतु प्रचलित सत्र परम्पराओं में सांप्रत नामक पहले भेद में ही 'शब्दनय' का सामान्य पद रूढ हो गया है और सांप्रत नय पद का स्थान शब्द नय पद ने ले लिया है। इसलिए यहाँ पर सांप्रत नय की सामान्य व्याख्या कर दे कर आगे विशेष स्पष्टीकरण करते समय शब्द नय पद का ही व्यवहार किया है। और उसका जो स्पष्टीकरण किया है, उसे ही भाष्यकार सांप्रत नय का स्पष्टीकरण समझना चाहिए।

३. जो विचार शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ-भेद की कल्पना करता है वह समभिरूढनय है।

४. जो विचार शब्द से पालित होने वाले अर्थ के घटने पर ही नय को उस रूप में मानता है, अन्यथा नहीं वह एवंभूतनय है।

यद्यपि मनुष्य की कल्पना भूत और भविष्य की सर्वथा उपेक्षा करके: इसी चल सकती, तथापि मनुष्य की बुद्धि कई बार तात्कालिक परिणाम की ओर झुक कर सिर्फ वर्तमान में ही प्रवृत्ति करने।
 ऋजुसूत्रनय
 लगती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य-बुद्धि ऐसा मानने।
 समझती है कि जो उपस्थित है, वही सत्य है, वही कार्यकारी है, और भूत।
 या भावी वस्तु वर्तमान में कार्य साधक न होने से शून्यवत् है। वर्तमान।
 समृद्धि ही सुख का साधन होने से समृद्धि कही जा सकती है। लेकिन।
 भूत-समृद्धि का स्मरण या भावी-समृद्धि की कल्पना वर्तमान में सुख को।
 साधने वाली न होने से समृद्धि ही नहीं कही जा सकती। इसी तरह पुत्र-
 मौजूद हो, और माता-पिता की सेवा करे, तब तो वह पुत्र है। किन्तु
 जो पुत्र अतीत हो या भावी हो, पर मौजूद न हो वह तो पुत्र ही नहीं।
 इस तरह के सिर्फ वर्तमानकाल से सम्बन्ध रखने वाले विचार ऋजुसूत्रनय।
 की कोटि में रखे जाते हैं।

जब विचार की गहराई में उतरनेवाली बुद्धि एक बार भूत और
 भविष्यत् काल की जड़ काटने पर उतारू हो जाती है, तब वह दूसरी बार
 उससे भी आगे बढ़ कर किसी दूसरी जड़ को भी काटने
 शब्दनय
 पर तैयार होने लगती है। इसी से वह कभी सिर्फ शब्द
 को ही पकड़ कर प्रवृत्त होती है, और ऐसा विचार करने लगती है कि
 यदि भूत या भावी से पृथक् होने के कारण सिर्फ वर्तमान काल मान
 लिया जाय, तब तो एक ही अर्थ में व्यवहृत होने वाले भिन्न भिन्न
 लिङ्ग, काल, संख्या, कारक, पुरुष और उपसर्गयुक्त शब्दों के अर्थ
 भी अलग अलग क्यों न माने जायें ? जैसे तीनों कालों में कोई सूत्र रूप
 एक वस्तु नहीं है, किन्तु वर्तमान स्थित वस्तु ही एक मात्र वस्तु कहलाती
 है, वैसे ही भिन्न भिन्न लिङ्ग, संख्या और कालादि-से युक्त शब्दों द्वारा

कहीं जाने वाली वस्तुएँ भी भिन्न भिन्न ही मानी जानी चाहिए। ऐसे विचार करके काल और लिङ्गादि के भेद से अर्थ में भी भेद बुझाने लगती है।

उदाहरणार्थ : शास्त्र में एक ऐसा वाक्य मिलता है कि—'राज्यं नृप-
का नगर या' इस वाक्य का अर्थ मोटे रूप से ऐसा होता है कि राज्य नर-
का नगर भूतकाल में था, वर्तमान में नहीं; जब कि वास्तव में
शेखरक के समय में भी राज्य ही मौजूद है। यदि वर्तमान में मौजूद है, तो
उसको 'या' क्यों लिखा? इस प्रश्न या अत्राप्य शब्दनाम देना
सह कहता है कि वर्तमान में मौजूद राज्य से भूतकाल में राज्य का भेद
ही है, और उसी का वर्णन प्रस्तुत होने से 'राज्यं या' का अर्थ
यह काश्चभेद से अर्थभेद का उदाहरण हुआ।

लिङ्गभेद से अर्थभेद : जैसे कि कुर्बों, कुर्से। यहाँ पहला शब्द नर
जाति का और दूसरा नारी जाति का है। इन दोनों का वस्तुत्व अर्थभेद
भी व्यवहार में प्रसिद्ध है। कितने ही ताराओं को नक्षत्र के नाम से
पुकारा जाता है, फिर भी इस शब्दनाम के अनुसार 'अनुक्त तारा नक्षत्र
है' अथवा 'यह मघा नक्षत्र है' ऐसा शब्द व्यवहार नहीं किया जा सकता।
क्योंकि इस नाम के अनुसार लिङ्गभेद से अर्थभेद मानी जाने के कारण
'तारा' और 'नक्षत्र' एवं 'मघा' और 'नक्षत्र' इन दोनों शब्दों का एक ही
अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते।

संस्थान (आकार) ग्रस्थान (गमन) उपस्थान (उपस्थिति) एवं
प्रकार आराम, विराम इत्यादि शब्दों में एक ही धातु होने पर भी
उपसर्ग के लगाने से जो अर्थ-भेद हो जाता है, वही शब्दनाम की
सूत्रिका की चनाता है।

इस तरह विविध शाब्दिक धर्मों के आधार पर जो अर्थ-भेद
अनेक मान्यताएँ प्रचलित हैं, वे सभी शब्दनाम की श्रेणी की हैं।

शाब्दिक धर्मभेद के आधार पर अर्थभेद करने वाली बुद्धि ही जब और भी आगे बढ़ कर व्युत्पत्ति भेद का आश्रय लेने लगती समभिरुद्धनय है, और ऐसा मानने पर उतारू हो जाती है कि जहाँ पर अनेक जुदे जुदे शब्दों का एक ही अर्थ मान लिया जाता है, वहाँ पर भी वास्तव में उन सभी शब्दों का एक अर्थ नहीं हो सकता, किन्तु जुदा जुदा ही अर्थ है। उसकी दलील यह है कि यदि लिङ्गभेद और संख्याभेद आदि से अर्थभेद मान सकते हैं, तब शब्दभेद भी अर्थ का भेदक क्यों नहीं मान लिया जाता? ऐसा कह कर वह बुद्धि—राजा, नृप, भूपति आदि एकार्थक शब्दों का भी व्युत्पत्ति के अनुसार जुदा जुदा अर्थ करती है; और कहती है कि राजचिह्नो से शोभित हो वह—'राजा', मनुष्यों का रक्षण करने वाला—'नृप' तथा पृथ्वी का पालन-संवर्धन करनेवाला ही 'भूपति' है। इस तरह से उक्त तीनों नामों से कहे जाने वाले एक ही अर्थ में व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थभेद की मान्यता रखनेवाला विचार समभिरुद्धनय कहलाता है। पर्याय भेद से की जानेवाली अर्थभेद की सभी कल्पनाएँ इसी नय की श्रेणी में आ जाती हैं।

एविशेष रूप से गहराई में जाने की आदतवाली बुद्धि जब अन्त तक गहराई में पहुँच जाती है, तब वह विचार करती है कि यदि व्युत्पत्ति भेद से अर्थभेद माना जा सकता है, तब तो ऐसा भी मानना एवंभूतनय चाहिए कि जब व्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ घटित होता हो, तभी उस शब्द का वह अर्थ स्वीकार करना चाहिए; तथा उस शब्द के द्वारा उस अर्थ का प्रतिपादन करना चाहिए, 'अन्यथा नहीं। इस कल्पना के अनुसार कितनी समय राजचिह्नो से शोभित होने की योग्यता को धारण करना, किंवा मनुष्य रक्षण के उत्तरदायित्व को प्राप्त कर लेना—इतना मात्र ही 'राजा' या 'नृप' कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं। किन्तु इससे आगे

बढ़कर 'राजा' तो उसी समय कहला सकता है, जब कि 'सचमुच सम्राट' को धारण करता हुआ उससे शोभायमान हो रहा हो; इसी तरह 'नृप' तब कहना चाहिए, जब वह मनुष्यों का रक्षण कर रहा हो। शक्य यह है कि किसी व्यक्ति के लिए राजा या नृप शब्द का प्रयोग करने अभी ठीक होगा, जब कि उसमें शब्द का व्युत्पत्ति-सिद्ध अर्थ भी बतल हो रहा हो।

इसी तरह जब कोई सचमुच सेवा कर रहा हो, उसी समय उतनी धार ही उसे 'सेवक' नाम से पुकारा जा सकता है। जब वास्तव में कोई किया हो रहा हो, उसी समय उससे संबन्ध रखने वाले विशेषण या विशेष्य नाम का व्यवहार करने वाली मान्यताएँ एवंभूतनय की कहलाती हैं।

पूर्वोक्त चार प्रकार की विचार श्रेणियों में जो अन्तर है, वह से उदाहरणों से ही स्पष्ट हो सकता है। अतः उसे अब पृथक् लिखने की

जरूरत नहीं। हाँ, इतना जान लेना चाहिए कि पूर्व-पूर्व श्रेण्य वक्तव्य नय की अपेक्षा उत्तर-उत्तर नय सूक्ष्म और सूक्ष्मतर हो जाता है। अतएव उत्तर-उत्तर नय का विषय पूर्व-पूर्व नय के विषय पर ही अवलम्बित रहता है। इन चारों नयों का मूल पर्यायार्थिक नय है। यद्यपि वास्तव में इसलिये कही गई है कि ऋजुसूत्र सिर्फ वर्तमान को ही स्वीकार करता है, भूत और भविष्यत् को नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि इसका विषय सामान्य न रह कर विशेष रूप से ही ध्यान में आता है; अर्थात् वास्तव में ऋजुसूत्र से ही पर्यायार्थिक नय-विशेषगामिनी दृष्टि का आरम्भ माना जाता है। ऋजुसूत्र के बाद के तीन नय तो उत्तरोत्तर और भी अधिक विशेषगामी बनते जाते हैं। इससे उनका पर्यायार्थिक होना तो स्पष्ट ही है।

यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि इन चार नयों में माँ, अर्थात् कि उत्तर नय को पूर्व की अपेक्षा सूक्ष्म कहा जाता है, तब वह पूर्व नय

इतने अंश में तो उत्तर की अपेक्षा सामान्यगामी है ही। इसी तरह पार्यिक नय की भूमिका पर स्थित नैगमादि तीन नय भी—पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर सूक्ष्म होने से उतने अंश में तो पूर्व की अपेक्षा विशेषगामी मानने ही चाहिएँ।

इतने पर भी पहले के तीन नयों को द्रव्यार्थिक और बादके चारों को पर्यायार्थिक कहने का तात्पर्य इतना ही है कि प्रथम तीनों में मान्य तत्त्व और उसका विचार अधिक स्पष्ट है, क्योंकि वे तीनों अधिक लक्ष्य हैं। बादके चार नय विशेष सूक्ष्म हैं, उनमें विशेष तत्त्व व प्रकाश विचार भी ज्यादा स्पष्ट है। सामान्य और विशेष की इसी स्पष्टता तथा अस्पष्टता के कारण तथा उनकी मुख्यता-गौणता को ध्यान में रख कर सात नयों के द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक—ऐसे दो विभाग किये गए हैं। जब वास्तविक विचार करते हैं, तब सामान्य और विशेष—ये दोनों ही वस्तु के अविभाज्य दो पहलू होने से एकान्त रूप में एक नय के रूप को दूसरे नय के विषय से सर्वथा अलग नहीं कर सकते।

नयद्वय, विचारसरणि, या सापेक्ष अभिप्राय—इन सभी शब्दों का एक अर्थ है। पूर्वोक्त वर्णन से इतना पता अवश्य लगेगा कि किसी भी एक विषय को लेकर विचारसरणियाँ अनेक हो सकती हैं। विचारसरणियाँ अनेक जितनी हों, पर उन्हें संक्षिप्त करके अनेक दृष्टि से सात ही भाग किये गए हैं। उनमें भी पहली विचारसरणि की अपेक्षा दूसरी में, और दूसरी की अपेक्षा तीसरी में उत्तरोत्तर अधिकाधिक सूक्ष्मत्व आता जाता है। एवंभूत नाम की अन्तिम विचारसरणि में सबसे अधिक सूक्ष्मत्व प्राप्त होता है। इसीलिए उक्त चार विचारसरणियों के अन्य प्रकार में भी दो भाग किये गए हैं—व्यवहारनय और निश्चयनय। व्यवहार अर्थात् सूक्ष्मगामी अथवा उपचार-प्रधान और निश्चय अर्थात् सूक्ष्मगामी अथवा तत्त्वस्पर्शी। वास्तव में एवंभूत ही निश्चय की पराकाष्ठा है।

एक तीसरे प्रकार से भी सात नयों के दो विभाग किये जाते हैं— शब्दनय और अर्थनय । जिसमें अर्थ का विचार प्रधान रूप में किया जाय वह अर्थनय और जिसमें शब्द का प्राधान्य हो वह शब्दनय । सात पर्यन्त पहले के चार अर्थनय हैं, और बाकी के तीन शब्दनय हैं ।

पूर्वोक्त दृष्टियों के अलावा और भी बहुत सी दृष्टियाँ हैं । वे दो भाग हैं । एक तो सत्य को पहचानने का और दूसरा सत्य को पकड़ने का । जो भाग सिर्फ सत्य का विचार करता है, अर्थात् तत्त्वज्ञान है, वह ज्ञानदृष्टि—ज्ञाननय है । तथा जो भाग तत्त्वानुभव को पकड़ने की पूर्णता समझता है, वह क्रियादृष्टि—क्रियानय है ।

ऊपर वर्णित सातों नय तत्त्व-विचारक होने से ज्ञाननय में सम्मिलित हैं । तथा उन नयों के द्वारा शोधित सत्यको जीवन में उठाने की वही क्रियादृष्टि है । क्रिया का अर्थ है—जीवन को सत्यमय बनाना ।

दूसरा अध्याय

पहले अध्याय में सात पदार्थों का नामनिर्देश किया गया है। अगले नव अध्यायों में क्रमशः उनका विशेष विचार करना है। अतएव सबसे पहले इस अध्याय में जीव पदार्थ का तत्त्व-स्वरूप बतलाते हुए उसके भेद-प्रभेद आदि विषयों का वर्णन चौथे अध्याय तक करते हैं।

पाँच भाव, उनके भेद और उदाहरण

औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौ-
दधिकपारिणामिकौ च । १ ।

दिनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् । २।

सम्यक्त्वचारित्रे । ३ ।

ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च । ४ ।

ज्ञानाज्ञानदर्शनदानादिलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः यथाक्रमं
सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च । ५ ।

गतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शनाऽज्ञानाऽसंयताऽसिद्धत्वले-
स्याश्चतुश्चतुस्त्र्यैकैकैकपङ्कभेदाः । ६ ।

जीवमव्याभव्यत्वादीनि च । ७ ।

औपशमिक, क्षायिक और मिश्र-क्षायोपशमिक, ये तीन तथा औदयिक,
पारिणामिक ये दो, कुल पाँच भाव हैं। सो जीव के स्वरूप हैं।

उक्त पाँच भावों के अनुक्रम से दो, नव, अठारह, इक्कीस और तीन
भेद हैं।

सम्यक्त्व और चारित्र ये दो औपशमिक हैं।

ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग वीर्य तथा सम्भक्त और चारित्र्य ये नव क्षायिक हैं ।

चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, पाँच दानादि, चारित्र्य, सम्भक्त्य, चारित्र्य-सर्वविरति और संयमासंयम-देशविरति ये अज्ञान क्षायोपशमिक हैं ।

चार गतियाँ, चार कषाय, तीन लिङ्ग-वेद, एक भिन्नादर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धभाव और छह देशाएँ-वे रस्य औदयिक हैं ।

जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन तथा अन्य भी परिणामिक भाव हैं ।

आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में जैनदर्शन का अन्य दर्शनों के साथ क्या मन्तव्य भेद है यही बतलाना प्रस्तुत सूत्र का उद्देश्य है । सांख्य और वेदान्त दर्शन आत्मा को कूटस्थनित्य मानकर उसमें कोई परिणाम नहीं मानते । ज्ञान, सुख दुःखादि परिणामों को वे प्रकृति या आविष्टा ही मानते हैं । वैशेषिक और नैयायिक ज्ञान आदि को आत्मा का गुण मानते हैं सही, पर ऐसा मानकर भी वे आत्मा को एकान्तनित्य-अपरिणामी मानते हैं । नवीन मीमांसक का मत वैशेषिक और नैयायिक जैसा ही है । वे दर्शन के अनुसार आत्मा एकान्तक्षणिक अर्थात् निरन्वय परिणामों का प्रवाह मात्र है । जैन दर्शन का कथन है कि जैसे प्राकृतिक जड़ पदार्थों

१. भिन्न-भिन्न क्षणों में सुख-दुःख अथवा भोटे बहुत भिन्न-भिन्न ज्ञानादि परिणामों का जो अनुभव होता है, सिद्धे उन्हीं परिणामों को मूल और उनके बीच स्वरूप किसी भी अस्वरूप स्थिर तत्त्व को स्वीकार न करने इसीको निरन्वय परिणामों का प्रवाह कहते हैं ।

तो कूटस्थनित्यता है और न एकान्तक्षणिकता किन्तु परिणामिनित्यता।
वैसे ही आत्मा भी परिणामी नित्य है। अतएव शान सुख, दुःख
दि पर्याय आत्मा के ही समझने चाहिएँ।

आत्मा के सभी पर्याय एक ही अवस्था वाले नहीं पाये जाते, कुछ
पर्याय किसी एक अवस्था में, तो दूसरे कुछ पर्याय किसी दूसरी अवस्था
पाये जाते हैं। पर्यायों की वे ही भिन्न भिन्न अवस्थाएँ भाव कहलाती
। आत्मा के पर्याय अधिक से अधिक पाँच भाव वाले हो सकते हैं।
पाँच भाव ये हैं— १ औपशमिक . २ क्षायिक, ३ क्षायोपशमिक,
४ औदयिक और ५ पारिणामिक।

१. औपशमिक भाव वह है जो उपशम से पैदा होता हो। उपशम
एक प्रकार की आत्म शुद्धि है, जो सत्तागत कर्म का उदय बिलकुल रुक
जाने पर वैसे ही होती है जैसे मल नीचे बैठ जाने पर
शवों का स्वरूप जल में स्वच्छता होती है।

२. क्षायिक भाव वह है जो क्षय से पैदा होता हो। क्षय आत्मा की
वह परम विशुद्धि है, जो कर्म का सम्बन्ध बिलकुल छूट जाने पर वैसे ही
प्रकट होती है जैसे सर्वथा मल निकाल देने पर जल में स्वच्छता आती है।

३. क्षायोपशमिक भाव वह है जो क्षय और उपशम से पैदा होता हो।
क्षयोपशम एक प्रकार की आत्मिक शुद्धि है, जो कर्म के एक अंश का

१. हयोडे की चाहे जितनी चोटें लगे, तब भी घन (एरन) जैसे स्थिर
ही रहता है, वैसे ही देश, कालादि सम्बन्धी विविध परिवर्तनों के होने पर
भी जिसमें किञ्चिन्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता वही कूटस्थनित्यता है।

२. तीनों कालों में मूल वस्तु के कायम रहने पर भी देश, कालादि के
निमित्त से यदि परिवर्तन होता रहता है—वह परिणामिनित्यता है।

प्रदेशोदय द्वारा क्षय होते रहने पर प्रकट होती है। यह विशिष्टि के प्रति मिश्रित है जैसे घोलने से मादक शक्ति के कुछ क्षीण हो जाने और कुछ क्षीण होने पर कोदों की श्रद्धि।

४. औदयिक भाव वह है जो उदय से पैदा होता है। उदय एक प्रकार का आरम्भिक कालुष्य-मालिन्य है, जो कर्म के विपाकानुसार ही जैसे ही होता है जैसे मल के मिल जाने पर जल में मालिन्य होता है।

५. पारिणामिक भाव द्रव्य का वह परिणाम है, जो सिर्फ इनके अस्तित्व से आप ही आप हुआ करता है अर्थात् किसी भी द्रव्य के स्वाभाविक स्वरूप परिणाम ही पारिणामिक भाव कहलाता है। ✓

ये ही पाँच भाव आत्मा के स्वरूप हैं अर्थात् संसारी या मुक्त दोनों भी आत्मा हो उसके सभी पर्याय उक्त पाँच भावों में से किसी न किसी भाव वाले अवश्य होंगे। अजीव में उक्त पाँचों भाव वाले पर्याय सम्भव नहीं हैं, इस लिए वे पाँचों अजीव के स्वरूप नहीं हो सकते। उक्त पाँचों भाव सभी जीवों में एक साथ पाये जाएँ यह भी नियम नहीं है। समस्त मुक्त जीवों में सिर्फ दो भाव होते हैं, शायिक और पारिणामिक संसारी जीवों में कोई तीन भाव वाला कोई चार भाव वाला कोई पाँच भाव वाला होता है, पर दो भाव वाला कोई नहीं होता अर्थात् मुक्त आत्मा के पर्याय उक्त दो भाव में और संसारी के पर्याय तीन से लेकर पाँच भाव वाले तक पाये जाते हैं। अतएव पाँच भावों को जीव वा स्वरूप कहते हैं सो जीवराशि की अपेक्षा से या किसी जीव विशेष में सम्भव की अपेक्षा से समझना चाहिए।

१. नीरस किये हुए कर्मदलितों का वेदन प्रदेशोदय है और विशिष्ट दलितों का विपाकवेदन विपाकोदय है।

जो पर्याय औद्यमिक भाव वाले हों वे वैभाविक और शेष चारों भाव लिये पर्याय स्वाभाविक हैं । १ ।

उक्त पाँच भावों के कुल त्रेपन भेद इस सूत्र में गिनाए हैं, जो अगले श्लोक में नाम पूर्वक क्रमशः बतलाये गए हैं कि किस भाव वाले कितने त्रेपने पर्याय हैं और वे कौन से हैं । २ ।

दर्शन-मोहनीय कर्म के उपशम से सम्यक्त्व का और चारित्र्य-मोहनीय कर्म के उपशम से चारित्र्य का आविर्भाव होता है । इसलिए सम्यक्त्व और चारित्र्य ये दो ही पर्याय औपशमिक भाव के भेद औपशमिक भाव वाले समझने चाहिए । ३ ।

केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवलज्ञान, केवलदर्शनावरण के क्षय से केवलदर्शन पंचविध अन्तराय के क्षय से दान, लाभ, भोग, उपभोग, और वीर्य ये पाँच लब्धियाँ, दर्शन-मोहनीय कर्म के क्षय से सम्यक्त्व, और चारित्र्य-मोहनीय कर्म के क्षय से चारित्र्य का आविर्भाव होता है । इसीसे केवल ज्ञानादि नवविध पर्याय औपशमिक कहलाते हैं । ४ ।

मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण अवधिज्ञानावरण और मनःपर्याय ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्याय ज्ञान का आविर्भाव होता है । मति-अज्ञानावरण, श्रुत अज्ञानावरण और विभङ्ग ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और विभङ्गज्ञान का आविर्भाव होता है । चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण और अवधिदर्शनावरण के क्षयोपशम से अचक्षुर्दर्शन और अवधिदर्शन का आविर्भाव होता है । पंचविध अन्तराय के क्षयोपशम से दान, लाभ आदि उक्त पाँच लब्धियों का आविर्भाव होता है । अनन्तानुबन्धी चतुष्क तथा दर्शनमोहनीय के

क्षयोपशम से सम्यक्त्व का आविर्भाव होता है। अनन्तानुबन्धी चार प्रकार के कषाय के क्षयोपशम से चारित्र-सर्वधिरति का अभाव होता है। अनन्तानुबन्धी आदि अष्टविध कषाय के क्षयोपशम से संयम-देशधिरति का आविर्भाव होता है। इसलिए मतिज्ञान अति से अठारह प्रकार के ही पर्याय क्षायोपशमिक हैं। ५।

औद्यिक भाव
के भेद

गति नाम-कर्म के उदय का फल नरक, सिद्धि, मनुष्य और देव ये चार गतियाँ हैं। कषायमोह के उदय से क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय होते हैं। वेदमोहनीय के उदय से स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद होता है। मिथ्यात्वमोहनीय के उदय से मिथ्यादर्शन-तत्त्व का अभिमान होता है। अज्ञान-ज्ञानाभाव, ज्ञानावरणीय के उदय का फल है। अस्पृश्य-विषय का सर्वथा अभाव, अनन्तानुबन्धी आदि चार प्रकार के चारित्र-मोह के उदय का परिणाम है। असिद्धत्व-शरीरधारण वेदनीय, आहुति और गोत्र कर्म के उदय का नतीजा है। कृष्ण, नील, काशेत, ताम्र, और शुक ये छह प्रकार की लक्षणाएँ-कषायोदय रजित योगपरिणाम-कर्म के उदय अथवा योगजनक शरीरनाम कर्म के उदय का फल है। जन्म गति आदि उक्त इच्छित पर्याय औद्यिक कहे जाते हैं। ६।

जीवत्य-चेतन्य, भव्यत्य-मुक्ति की योग्यता, अभव्यत्य-मुक्ति अयोग्यता, ये तीन भाव स्वाभाविक हैं अर्थात् न कर्म के उदय से, न उपशम से, न क्षय से, न क्षयोपशम से पैदा होते हैं; किन्तु अनादिब्रह्म अनादिब्रह्म के अस्तित्व से ही सिद्ध हैं, इसीसे ये पारिणामिक हैं।

प्र०-क्या पारिणामिक भाव तीन ही हैं।

उ०-नहीं और भी हैं।

प्र०—कौन से ?

उ०—अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, गुणवत्त्व, प्रदेशवत्त्व, असंख्यात्प्रदेशत्व, असर्वगतत्व, अरूपत्व आदि अनेक हैं ।

प्र०—फिर तीन ही क्यों गिनाए गए ?

उ०—यहाँ जीव का स्वरूप बतलाना है सो उसके असाधारण भावों के द्वारा ही बतलाया जा सकता है । इसलिये औपशमिक आदि के साथ पारिणामिक भाव भी वे ही बतलाए हैं जो सिर्फ जीव के असाधारण हैं । अस्तित्व आदि पारिणामिक हैं सही; पर वे जीव की तरह अजीव में भी हैं । इसलिए वे जीव के असाधारण भाव नहीं हैं । इसीसे यहाँ उनका निर्देश नहीं किया गया, तथापि अन्त में आदि शब्द रक्खा है सो उन्हीं को सूचित करने के लिए; और दिगम्बर सम्प्रदाय में यही अर्थ 'च' शब्द से निकाला गया है । ७ ।

जीव का लक्षण

उपयोगो लक्षणम् । ८ ।

उपयोग यह जीव का लक्षण है ।

जीव जिसको आत्मा और चेतन भी कहते हैं वह अनादिसिद्ध, स्वतन्त्र द्रव्य है । तार्किक दृष्टि से अरूपा होने के कारण उसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा नहीं हो सकता, पर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि से किया जा सकता है । तथापि साधारण जिज्ञासुओं के लिए एक ऐसा लक्षण बतला देना चाहिए जिससे कि आत्मा की पहचान की जा सके । इसी अभिप्राय से प्रस्तुत सूत्र में उसका लक्षण बतलाया है । आत्मा लक्ष्य-ज्ञेय है और उपयोग लक्षण-जानने का उपाय है । जगत् अनेक जड़-चेतन पदार्थों का मिश्रण है । उसमें से जड़ और चेतन का विवेक पूर्वक निश्चय करना हो तो उपयोग के द्वारा ही हो सकता है; क्योंकि उपयोग

तरतम माय से सभी आत्माओं में अवश्य पाया जाता है। जड़ जैसे जिसमें उपयोग न हो।

प्र०—उपयोग क्या वस्तु है ?

उ०—बोध रूप व्यापार ही उपयोग है।

प्र०—आत्मा में बोध की क्रिया होती है और जड़ में नहीं, तो जड़ !

उ०—बोध का कारण चेतनाशक्ति है। वह जिसमें हो, उसी में हो-क्रिया हो सकती है, दूसरे में नहीं। चेतनाशक्ति आत्मा में ही है, जड़ में नहीं।

प्र०—आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य है, इसलिए उसमें अनेक गुण होने चाहिये, फिर उपयोग को ही लक्षण क्यों कहा ?

उ०—निसन्देह आत्मा में अनन्त गुण-पर्याय हैं, पर उन सब में उपयोग ही मुख्य है; क्योंकि स्व-परप्रकाश रूप होनेसे उपयोग ही कल्प तथा इतर पर्यायों का ज्ञान करा सकता है। इसके सिवा आत्मा जो कुछ अस्ति-नास्ति जानता है, गनु-नच करता है, सुख-दुःख का अनुभव करता है वह सब उपयोग से। अतएव उपयोग ही सब पर्यायों में प्रधान है।

प्र०—क्या लक्षण स्वरूप से भिन्न है ?

उ०—नहीं।

प्र०—तब तो पहले जो पाँच भावों को जीव का स्वरूप कहा है, वे सब लक्षण हुए, फिर दूसरा लक्षण पतलाने का क्या प्रयोजन ?

उ०—असाधारण धर्म भी सब एक से नहीं होते। कुछ तो ऐसे होते हैं जो लक्ष्य में होते हैं सही, पर कभी होते हैं कभी नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो समग्र लक्ष्य में नहीं रहते और कुछ ऐसे भी होते हैं जो तीनों काल में समग्र लक्ष्य में रहते हैं। समग्र लक्ष्य में तीनों काल में पाया जाने वाला उपयोग ही है। इसलिए लक्षणरूप से उसीका मुख्य

म्यन किया और तद्द्वारा यह सूचित किया है कि औपशमिक आदि भाव-
 शिव के स्वरूप हैं सही, पर वे न तो सब आत्माओं में पाये जाते हैं और
 विकालवर्ती ही हैं। विकालवर्ती और सब आत्माओं में पाया जाने
 वाला एक जीवत्व रूप पारिणामिक भाव ही है, जिसका फलित अर्थ उपयोग
 होता है। इसलिए उती को अलग करके यहाँ लक्षण रूप से कहा है।
 तरे सब भाव कादाचित्क—कभी होनेवाले कभी नहीं होने वाले, कतिपय
 क्षयवर्ती और कर्म साक्षेप होने से जीव के उपलक्षण हो सकते हैं, लक्षण
 हैं। उपलक्षण और लक्षण का अन्तर यह है कि जो प्रत्येक लक्ष्य में
 वात्मभाव से तीनों काल में पाया जाय—जैसे अग्नि में उष्णत्व—वह लक्षण,
 और जो किसी लक्ष्य में हो किसी में न हो, कभी हो कभी न हो, और
 वभावसिद्ध न हो वह उपलक्षण, जैसे अग्नि के लिए धूम। जीवत्व को
 प्रोढ़कर भावों के भावन भेद आत्मा के उपलक्षण ही हैं। ८।

उपयोग की विविधता

स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः । ९ ।

वह उपयोग दो प्रकार का है तथा आठ प्रकार का और चार प्रकार
 का है।

जानने की शक्ति—चेतना समान होने पर भी, जानने की क्रिया—
 बोधव्यापार या उपयोग—सब आत्माओं में समान नहीं देखी जाती। यह
 उपयोग की विविधता, ब्राह्म-आभ्यन्तर कारणकलाप की विविधता पर
 अवलम्बित है। विषय भेद, इन्द्रिय आदि साधन भेद, देश-काल भेद,
 रत्नादि विविधता ब्राह्म सामग्री की है। आवरण की तीव्रता-मन्दता का
 आरतम्य आन्तरिक सामग्री की विविधता है। इस सामग्री-बैचिब्य की
 प्रदोस्त एक ही आत्मा भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार की बोधक्रिया
 करता है और अनेक आत्मा एक ही समय में भिन्न भिन्न बोध करते हैं।

यह बोध की विविधता अनुभवगम्य है। इसको संक्षेप में वर्गीकार कर चतलाना ही इस सूत्र का उद्देश्य है।

उपयोगराशि के सामान्यरूप से दो विभाग किये जाते हैं—१. साकार
२. अनाकार। विशेषरूप से साकार-उपयोग के आठ और अनाकार-उपयोग
के चार विभाग किये हैं। इस तरह उपयोग के कुल बारह भेद होते हैं।

साकार के आठ भेद ये हैं—मतिज्ञान, भ्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन्त्रज्ञान,
ज्ञान, केवलज्ञान, मति-अज्ञान, भ्रुत-अज्ञान और विमङ्गलज्ञान। अनाकार उपयोग
के चार भेद ये हैं—चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन।

प्र०—साकार और अनाकार का मतलब क्या है ?

उ०—जो बोध प्राश्रवस्तु को विशेष रूप से जानने वाला हो वह साकार
उपयोग; और जो बोध प्राश्रवस्तु को सामान्य रूप से जानने वाला हो वह
अनाकार उपयोग है। साकार को ज्ञान या सधिकल्पक बोध और अनाकार
को दर्शन या निर्विकल्पक बोध भी कहते हैं।

प्र०—उक्त बारह भेद में से कितने भेद पूर्ण विकसित चेतनाशक्ति के
कार्य हैं और कितने अपूर्ण विकसित चेतनाशक्ति के कार्य ?

उ०—केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दो पूर्ण विकसित चेतना के
व्यापार और शेष सब अपूर्ण विकसित चेतना के व्यापार हैं।

प्र०—विकास की अपूर्णता के समय तो अपूर्णता की विविधता के
कारण उपयोग भेद सम्भव है पर विकास की पूर्णता के समय उक्त
भेद कैसे ?

उ०—विकास की पूर्णता के समय केवलज्ञान और केवलदर्शन रूप से
जो उपयोग भेद माना जाता है इसका कारण भिन्न प्राय विषय की विविधता
है अर्थात् प्रत्येक विषय सामान्य और विशेष रूप में उपपन्नभाव है इसलिए
उत्तको जानने वाला चेतनाजन्य व्यापार भी ज्ञान और दर्शन रूप में ही
प्रकार का होता है।

प्र०—साकार के आठ भेदों में ज्ञान और अज्ञान का क्या अन्तर है ?

उ०—और कुछ नहीं, सिर्फ सम्यक्त्व के सहभाव, असहभाव का ।

प्र०—तो फिर शेष दो ज्ञानों के प्रतिपक्षी अज्ञान और दर्शन के प्रतिपक्षी अदर्शन क्यों नहीं ?

उ०—मनःपर्याय और केवल ये दो ज्ञान सम्यक्त्व के बिना होते ही नहीं, इस लिए उनके प्रतिपक्ष का संभव नहीं। दर्शनों में केवलदर्शन सम्यक्त्व के सिवा नहीं होता; पर शेष तीन दर्शन सम्यक्त्व के अभाव में भी होते हैं; तथापि उनके प्रतिपक्षी तीन अदर्शन न कहने का कारण यह है कि दर्शन यह सामान्यमात्र का बोध है। इस लिए सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी के दर्शन के बीच कोई भेद नहीं बतलाया जा सकता ।

प्र०—उक्त चारह भेदों की व्याख्या क्या है ?

उ०—ज्ञान के आठ भेदों का स्वरूप पहले ही बतलाया जा चुका है। दर्शन के चार भेदों का स्वरूप इस प्रकार है—१. जो सामान्य बोध नेत्रजन्य हो वह चक्षुदर्शन, २. नेत्र के सिवा अन्य किसी इन्द्रिय से या मन से होने वाला सामान्य बोध अचक्षुदर्शन, ३. अवधिलब्धि से मूर्त पदार्थों का सामान्य बोध अवधिदर्शन, ४. और केवललब्धि से होने वाला समस्त पदार्थों का सामान्य बोध केवलदर्शन कहलाता है । ९ ।

जीवराशि के विभाग

संसारिणो मुक्ताश्च । १० ।

संसारी और मुक्त ऐसे दो विभाग हैं ।

जीव अनन्त हैं । चैतन्य रूप से वे सब समान हैं । यहाँ उनके दो विभाग किये गये हैं सौ पर्याय विशेष के सद्भाव-असद्भाव की अपेक्षा से,

१. देखो अ० १, सू० ९ से ३३ तक

अर्थात् एक संसार रूप पर्याय वाले और दूसरे संसार रूप पर्याय वाले पहले प्रकार के जीव संसारी और दूसरे प्रकार के मुक्त कह्यो हैं ।

प्र०-संसार क्या वस्तु है ?

उ०-द्रव्य और भाव ग्रन्थ ही संसार है । क्रमदल का निःसम्बन्ध द्रव्य है । राग-द्वेष आदि वासनाओं का सम्बन्ध भावग्रन्थ है ।

संसारी जीव के भेद-प्रभेद

समनस्काऽमनस्काः । ११ ।

संसारिणस्त्रसस्थावराः । १२ ।

पृथिव्यऽम्बुवनस्पतयः स्थावराः । १३ ।

तेजोवायु द्विन्द्रियादयश्च त्रसाः । १४ ।

मनवाले और मनरहित ऐसे संसारी जीव हैं ।

तथा वे त्रस और स्थावर हैं ।

पृथिवीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय ये तीन स्थावर हैं ।

तेजःकाय, वायुकाय और द्विन्द्रिय आदि त्रस हैं ।

संसारी जीव भी अनन्त हैं । संश्लेष में उनके दो विभाग हैं । भी दो तरह से । पहला विभाग मन के संश्लेष और असंश्लेष पर है, अर्थात् मनवाले और मनरहित इस तरह दो विभाग किये हैं, जिसकल संसारी का समावेश हो ज्यता है । दूसरा विभाग त्रसत्व और त्रसत्व के आधार पर किया है अर्थात् एक त्रस और दूसरे स्थावर । इस विभाग भी सकल संसारी जीवों का समावेश हो जाता है ।

प्र०-मन किसे कहते हैं ?

उ०-निससे विचार किया जा सके ऐसी आदिक शक्ति मन है । इस शक्ति से विचार करने में सहायक होनेवाले एक प्रकार के तन्मय भी मन कहल्यो हैं । पहला भावमन और दूसरा द्रव्यमन इस शक्ति

प्र०—ब्रह्मत्व और स्यावरत्व का मतलब क्या है ?

उ०—उद्देश्य पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह जाने या हिलने चलने की शक्ति यह ब्रह्मत्व, और ऐसी शक्ति का न होना यह स्यावरत्व ।

प्र०—जो जीव मनरहित कहे गये हैं क्या उनके द्रव्य, भाव किसी प्रकार का मन नहीं होता ?

उ०—होता है, पर सिर्फ भावमन ।

प्र०—तब तो सभी मनवाले हुए, फिर मनवाले और मनरहित यह विभाग कैसे ?

उ०—द्रव्यमन की अपेक्षा से अर्थात् जैसे बहुत बूढ़ा आदमी पाँव और चलने की शक्ति होने पर भी लकड़ी के सहारे के बिना नहीं चल सकता; इसी तरह भावमन होने पर भी द्रव्यमन के बिना स्पष्ट विचार नहीं किया जा सकता । इसी कारण द्रव्यमन की प्रधानता मानकर उसके भाव और अभाव की अपेक्षा से मनवाले और मनरहित ऐसा विभाग किया है ।

प्र०—क्या दूसरा विभाग करने का यह तो मतलब नहीं है कि सभी ब्रह्म समनस्क और स्यावर सभी अमनस्क हैं ।

उ०—नहीं; ब्रह्म में भी कुछ ही समनस्क होते हैं, सब नहीं । और स्यावर तो सभी अमनस्क ही होते हैं । ११, १२ ।

स्यावरके पृथिवीकाय, जलकाय और धनस्पतिकाय ये तीन भेद हैं और ब्रह्म के तेजःकाय, वायुकाय ये दो भेद तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय ऐसे भी चार भेद हैं ।

प्र०—ब्रह्म और स्यावरका मतलब क्या है ?

उ०—ब्रह्मके ब्रह्म नाम-कर्म का उदय हो वह ब्रह्म, और स्यावर नाम-कर्म का उदय हो वह स्यावर ।

प्र०—ब्रह्म नाम-कर्म के उदय की और स्यावर नाम-कर्म के उदय की पहचान क्या है ?

उ०—दुःख को त्यागने और सुख को पाने की प्रवृत्ति का स्पष्ट रूप में दिखाई देना और न दिखाई देना यही क्रमशः प्रस नाम-कर्म के उदय की और स्यावर नाम-कर्म के उदय की पहचान है ।

प्र०—क्या इंद्रिय आदि की तरह तेजःकायिक और वायुकायिक जीव भी उक्त प्रवृत्ति करते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिससे उनको माना जाय ?

उ०—नहीं ।

प्र०—तो फिर पुण्यवी कायिक आदि की तरह उनको स्थावर भी न कहा गया ?

उ०—उक्त लक्षण के अनुसार वे असल में स्थावर ही हैं । जो इंद्रिय आदि के साथ विषय गति का सादृश्य देखकर उनको प्रस कहा गया अर्थात् प्रस दो प्रकार के हैं—लब्धिप्रस और गतिप्रस । प्रस नाम-कर्म के उदय वाले लब्धिप्रस हैं, ये ही मुख्य प्रस हैं; जैसे इंद्रिय ने तेजः पञ्चेन्द्रिय तक के जीव । स्यावर नाम-कर्म का उदय होने पर भी प्रस ही गति होने के कारण जो प्रस कहलाते हैं वे गतिप्रस । ये उदय प्रस से प्रस हैं; जैसे तेजःकायिक और वायुकायिक । १३, १४ ।

इन्द्रियों की संख्या, उनके भेद-प्रभेद और नाम निर्देश

पञ्चेन्द्रियाणि । १५ ।

द्विविधानि । १६ ।

निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् । १७ ।

लब्धुपयोगां भावेन्द्रियम् । १८ ।

उपयोगः स्पर्शादिषु । १९ ।

स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि । २० ।

इन्द्रियाँ पाँच हैं ।

वे प्रत्येक दो दो प्रकार की है ।

द्रव्येन्द्रिय निर्वृति और उपकरण रूप है ।

भावेन्द्रिय लब्धि और उपयोग रूप है ।

उपयोग स्पर्श आदि विषयों में होता है ।

स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये इन्द्रियों के नाम हैं ।

यहाँ इन्द्रियों की संख्या बतलाने का उद्देश्य यह है कि उसके आधार पर यह मालूम किया जा सकता है कि संसारी जीवों के कितने विभाग हो सकते हैं । इन्द्रियों पाँच हैं । सभी संसारियों के पाँचों इन्द्रियाँ नहीं होतीं । किन्हीं के एक, किन्हीं के दो, इसी तरह एक-एक बढ़ाते-बढ़ाते किन्हीं के पाँच तक होती हैं । जिनके एक इन्द्रिय हो वे एकेन्द्रिय, जिनके दो हों वे द्वीन्द्रिय, इसी तरह त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय—इस प्रकार पाँच भेद संसारी जीवों के होते हैं ।

प्र०—इन्द्रिय का मतलब क्या है ?

उ०—जिससे ज्ञान लाभ हो सके वह इन्द्रिय है ।

प्र०—क्या पाँच से अधिक इन्द्रियाँ नहीं हैं ?

उ०—नहीं, ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच ही हैं । यद्यपि सांख्य आदि शास्त्रों में वाक्, प्राणि, पाद, पायु-गुदा, और उपस्थ-लिङ्ग अर्थात् जननेन्द्रिय को भी इन्द्रिय कहा गया है; परन्तु वे कर्मेन्द्रियाँ हैं । यहाँ सिर्फ ज्ञानेन्द्रियोंको बतलाना है, जो पाँच से अधिक नहीं हैं ।

प्र०—ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय का मतलब क्या है ?

उ०—जिससे मुख्यतया जीवन यात्रोपयोगी ज्ञान हो सके वह ज्ञानेन्द्रिय और जीवन यात्रोपयोगी आहार, विहार, निहार आदि किया जिससे हो वह कर्मेन्द्रिय । १५ ।

उ०—दुःख को त्यागने और सुख को पाने की प्रवृत्ति का स्वप्न में दिखाई देना और न दिखाई देना यही क्रमशः प्रस नाम-कर्म के उदय की और स्यावर नाम-कर्म के उदय की पहचान है।

प्र०—क्या हीन्द्रिय आदि की तरह, तेजःकायिक और वायुकायिक जीव भी उक्त प्रवृत्ति करते हुए स्वप्न दिखाई देते हैं, जिन्हें उदय माना जाय ?

उ०—नहीं।

प्र०—तो फिर पृथिवी कायिक आदि की तरह, उनको स्वप्न में न कहा गया ?

उ०—उक्त लक्षण के अनुसार ये असल में स्वप्न ही हैं। ये हीन्द्रिय आदि के साथ तिरफ गति का साहचर्य देखकर उनको प्रस कहा गया। प्रस दो प्रकार के हैं—लब्धिप्रस और गतिप्रस। प्रस नाम-कर्म के उदय वाले लब्धिप्रस हैं, ये ही मुख्य प्रस हैं; जैसे हीन्द्रिय के उदय पश्चेन्द्रिय तक के जीव। स्यावर नाम-कर्म का उदय होने पर भी प्रस नाम गति होने के कारण जो प्रस कहलाते हैं वे गतिप्रस। ये उदय वाले प्रस हैं; जैसे तेजःकायिक और वायुकायिक। १३, १४।

इन्द्रियों की संख्या, उनके भेद-प्रभेद और नाम निर्देश

पञ्चेन्द्रियाणि । १५ ।

द्विविधानि । १६ ।

निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् । १७ ।

लक्ष्युपगोगौ भावेन्द्रियम् । १८ ।

उपयोगः स्पर्शादिषु । १९ ।

स्पर्शनरसनघ्राणचतुःश्रोत्राणि । २० ।

इन्द्रियाँ पाँच हैं ।

वे प्रत्येक दो दो प्रकार की हैं ।

द्रव्येन्द्रिय निर्गुण और उपकरण रूप है ।

भावेन्द्रिय लब्धि और उपयोग रूप है ।

उपयोग स्पर्श आदि विषयों में होता है ।

स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये इन्द्रियों के नाम हैं ।

यहाँ इन्द्रियों की संख्या बतलाने का उद्देश्य यह है कि उसके आधार पर यह मालूम किया जा सकता है कि संसारी जीवों के कितने विभाग हो सकते हैं । इन्द्रियाँ पाँच हैं । सभी संसारियों के पाँचों इन्द्रियाँ नहीं होतीं । किन्हीं के एक, किन्हीं के दो, इसी तरह एक-एक बढ़ते-बढ़ाते किन्हीं के पाँच तक होती हैं । जिनके एक इन्द्रिय हो वे एकेन्द्रिय, जिनके दो हों वे द्वीन्द्रिय, इसी तरह त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय—इसे पाँच भेद संसारी जीवों के होते हैं ।

प्र०—इन्द्रिय का मतलब क्या है ?

उ०—जिससे ज्ञान लाभ हो सके वह इन्द्रिय है ।

प्र०—क्या पाँच से अधिक इन्द्रियाँ नहीं हैं ?

उ०—नहीं, ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच ही हैं । यद्यपि सांख्य आदि शास्त्रों में वाक्, प्राणि, पाद, पायु-गुदा, और उपस्थ-लिङ्ग अर्थात् जननेन्द्रिय को भी इन्द्रिय कहा गया है; परन्तु वे कर्मेन्द्रियाँ हैं । यहाँ सिर्फ ज्ञानेन्द्रियोंको मतलब है, जो पाँच से अधिक नहीं हैं ।

प्र०—ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय का मतलब क्या है ?

उ०—जिससे मुख्यतया जीवन यात्रोपयोगी ज्ञान हो सके वह ज्ञानेन्द्रिय और जीवन यात्रोपयोगी आहार, विहार, निहार आदि क्रिया जिससे वह कर्मेन्द्रिय । १५ ।

पाँचों इन्द्रियों के द्रव्य और भाव रूप से दो-दो भेद हैं। पुरुषार्थ इन्द्रिय द्रव्येन्द्रिय है, और आत्मिक परिणामरूप इन्द्रिय भावेन्द्रिय है।

द्रव्येन्द्रिय निर्वृत्ति और उपकरण रूप से दो प्रकार की है। जिनके ऊपर दीखने वाली इन्द्रियों की आकृतियाँ जो पुरुषलक्षणों की रचना रूप हैं, उनको निर्वृत्ति-इन्द्रिय और निर्वृत्ति-इन्द्रिय की माँस्य मीतरी पौद्गलिक शक्ति, जिसके बिना निर्वृत्ति-इन्द्रिय प्राप्त हो ही असमर्थ है; उसको उपकरणेन्द्रिय कहते हैं। १७।

भावेन्द्रिय भी लक्षि और उपयोग रूप से दो प्रकार की मतिज्ञानावरणीय फल आदि का धयोपशम जो एक प्रकार का परिणाम है—यह लक्ष्मीन्द्रिय है। और लक्षि, निर्वृत्ति तथा लक्ष्मण इन तीनों के मिलने से जो रूपादि विषयों का सामान्य और विज्ञेय होता है वह उपयोगेन्द्रिय है। उपयोगेन्द्रिय मतिज्ञान तथा लक्ष्मण दर्शनरूप है। १८।

मतिज्ञान रूप उपयोग जिसे भावेन्द्रिय कहा है वह अरूपों (अज्ञेय पदार्थों) को ज्ञान सकता है पर उनके सकल गुण, पर्यायों को नहीं ज्ञान सकता सिर्फ स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द पर्यायों को ही ज्ञान सकता है।

प्र०—प्रत्येक इन्द्रिय के द्रव्य-भाव रूप से दो दो और इन तथा भाव के भी अनुकूल से निर्वृत्ति-उपकरण रूप तथा लक्षि-उपकरण दो दो भेद बतलाए; अब यह कहिये कि इनका प्राक्किष्ण क्या है।

उ०—लक्ष्मीन्द्रिय होने पर ही निर्वृत्ति संभव है। निर्वृत्ति बिना उपकरण नहीं अर्थात् लक्षि प्राप्त होने पर निर्वृत्ति, उपकरण उपयोग हो सकते हैं। इसी तरह निर्वृत्ति प्राप्त होने पर उपकरण उपयोग तथा उपकरण प्राप्त होने पर उपयोग संभव है। अतएव कि पूर्ण-पूर्ण इन्द्रिय प्राप्त होनेपर उपकरण-उपकरण इन्द्रिय का प्राप्त होना

पर ऐसा नियम नहीं है कि उत्तर-उत्तर इन्द्रिय की प्राप्ति होने पर ही पूर्व इन्द्रिय प्राप्त हो । १९ ।

१. स्पर्श-इन्द्रिय—त्वचा, २. रसनेन्द्रिय—जिह्वा, ३. घ्राणेन्द्रिय—
नासिका, ४. चक्षुरिन्द्रिय—आँख, ५. श्रोत्रेन्द्रिय—कान । इन पाँचों के
लब्धि, निवृत्ति, उपकरण और उपयोग रूप चार चार
इन्द्रियों के नाम प्रकार हैं अर्थात् इन चार चार प्रकारों की समष्टि ही
नि आदि एक एक पूर्ण इन्द्रिय है । इस समष्टि में जितनी न्यूनता है
ही ही इन्द्रिय की अपूर्णता ।

प्र०—उपयोग तो ज्ञान विशेष है जो इन्द्रिय का फल है; उसको
विषय कैसे कहा गया ?

उ०—यद्यपि उपयोग वास्तव में लब्धि, निवृत्ति और उपकरण इन
की समष्टि का कार्य है; तथापि यहाँ उपचार से अर्थात् कार्य में कारण
आरोप करके उसे भी इन्द्रिय कहा गया है । २० ।

इन्द्रियों के ज्ञेय अर्थात् विषय—

स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तेषामर्थाः । २१ ।

श्रुतमनिन्द्रियस्य । २२ ।

स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण—रूप और शब्द ये पाँच क्रम से उनके
विषय पूर्वोक्त पाँच इन्द्रियों के अर्थ-ज्ञेय हैं ।

अनिन्द्रिय—मन का विषय श्रुत है ।

जगत् के सब पदार्थ एक से नहीं हैं । कुछ मूर्त हैं और कुछ
मूर्त हैं । जिनमें वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श आदि हों वे मूर्त हैं । मूर्त

१. इनके विशेष विचार के लिए देखो हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ पृ०
'इन्द्रिय' शब्द विषयक परिशिष्ट ।

पदार्थ ही इन्द्रियों से जाने जा सकते हैं, अमूर्त नहीं। पाँचों इन्द्रियों का विषय जो बुदा बुदा बतलाए गए हैं वे आपस में सर्वथा भिन्न और द्रव्य-द्रव्यरूप नहीं; किन्तु एक ही द्रव्य के भिन्न भिन्न अंश—पदार्थ ही पाँचों इन्द्रियों एक ही द्रव्य की पारस्परिक-भिन्न भिन्न अवस्थाओं को जानने में प्रवृत्त होती हैं। अतएव इस सूत्र में पाँच इन्द्रियों के पाँच विषय बतलाए हैं उन्हें स्वतंत्र अलग अलग वस्तु न समझना ही मूर्त—पौद्गलिक द्रव्य के अंश समझना चाहिए। जैसे एक ही वस्तु को पाँचों इन्द्रियों भिन्न भिन्न रूप से जानती हैं। अंगुली सूक्ष्म स्पर्श, उष्ण आदि स्पर्श को बतला सकती है। जीम नखर उसके कर्मीठे आदि रस को बतलाती है। नाक सूँघ कर ठण्डी सुगंध को बतलाती है। आँख देखकर उसके लाल, सफेद आदि रंग को बतलाती है। कान उस कड़े लड़्डू को खाने आदि से ठापन्न होनेवाले सन्धों को जानता है। यह नहीं कि उस एक ही लड़्डू में स्पर्श, रस, गन्ध आदि एक पाँचों विषयों का स्थान अलग अलग रहता है। किन्तु वे सब उसके सब भागों में एक साथ रहते हैं, क्योंकि वे सभी एक ही वस्तु के अभिन्नान्य पर्याय हैं। उनका विभाग सिर्फ बुद्धि द्वारा किया जा सकता है जो इन्द्रियों से होता है। इन्द्रियों की शक्ति बुदा बुदा है। वे भिन्न ही पदु क्यों न हों; पर अपने प्राण विषय के असाया अन्य विषयों को जानने में समर्थ नहीं होतीं। इसी कारण पाँचों इन्द्रियों के बीच में असंबन्ध—शून्यक पृथक् हैं।

प्र०—स्पर्श आदि पाँचों अवयव सहनरित हैं तब ऐसा क्यों कि किसी किसी वस्तु में उन पाँचों की उपसन्धि न होकर किन्हीं दो की होती है; जैसे सूँघ आदि की प्रज्ञा का रूप तो मादृम ही है स्पर्श, रस, गन्ध आदि नहीं। इसी तरह पुष्पादि से भूमिभिरा रूप स्पर्श मादृम पढ़ने पर भी रस, गन्ध आदि मादृम नहीं पढ़ने।

उ०—प्रत्येक भौतिक द्रव्य में स्पर्श आदि उक्त सभी पर्याय होती हैं पर जो पर्याय उत्कट हो वही इन्द्रियग्राह्य होती है। किसी में स्पर्श आदि पाँचों पर्याय उत्कटताया अभिव्यक्त होते हैं और किसी में एक दो आदि। शेष पर्याय अनुत्कट अवस्था में होने के कारण इन्द्रियों से जाने नहीं जाते; पर होते हैं अवश्य। इन्द्रिय की पटुता—ग्रहणशक्ति—भी सब जाति के प्राणियों की एक ही नहीं होती। एक जातीय प्राणियों में भी इन्द्रिय की पटुता विविध प्रकार की देखी जाती है। इसलिए स्पर्श आदि की उत्कटता, अनुत्कटता का विचार इन्द्रिय की पटुता तरतम भाव पर भी निर्भर है। २१।

उक्त पाँचों इन्द्रियों के अलावा एक और भी इन्द्रिय है जिसे मन कहते हैं। मन ज्ञान का साधन है, पर स्पर्शन आदि की तरह बाह्य साधन न होकर आन्तरिक साधन है; इसीसे उसे अन्तःकरण भी कहते हैं। मन का विषय बाह्य इन्द्रियों की तरह परिमित नहीं है। बाह्य इन्द्रियाँ सिर्फ मूर्त्त पदार्थ को ग्रहण करती हैं और वह भी अंश रूप में; जब कि मन मूर्त्त, अमूर्त्त सभी पदार्थों को ग्रहण करता है, सो भी अनेक रूप से। मन का कार्य विचार करने का है, जो इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए और नहीं ग्रहण किए गए सभी विषयों में विकास—योग्यता के अनुसार विचार कर सकता है। यह विचार ही श्रुत है। इसी से कहा गया है कि अनिन्द्रिय का विषय श्रुत है अर्थात् मूर्त्त-अमूर्त्त सभी तत्वों का स्वरूप मन का प्रवृत्ति क्षेत्र है।

प्र०—जिसे श्रुत कहते हो वह यदि मन का फाँस है और वह एक प्रकार का स्पष्ट तथा विशेषग्राही ज्ञान है, तो फिर मन से मतिज्ञान क्यों नहीं होता ?

उ०—होता है; पर मन के द्वारा पहले पहले जो सामान्य वस्तु का ग्रहण होता है तथा जिसमें शब्दार्थ सम्बन्ध, पौर्णिक-पाँचे का अनुसन्धान और विकल्प रूप विशेषता न हो उसे ही इसके बाद होनेवाली उच्च विशेषतायुक्त विचारधारा भ्रमज्ञान, मनोजन्म ज्ञान ध्यापार की धारा में प्राथमिक अल्प अंश प्रतिबन्धित पाँचे का अधिक अंश भ्रमज्ञान है। सारांश यह है कि सर्वप्रथम पाँच इन्द्रियों से सिर्फ मतिज्ञान होता है, पर मन से मति, धृति इत्यादि इनमें भी मति की अपेक्षा श्रुत ही प्रधान है। इसी से पाँचों विषय धृत कहा गया है।

प्र०—मन को अग्निन्द्रिय क्यों कहा गया है ?

उ०—यद्यपि यह भी ज्ञान का साधन होने से इन्द्रिय ही है, पर रूप आदि विषयों में प्रवृत्त होने के लिए उसको नेत्र आदि इन्द्रियों से सहाय लेना पड़ता है। इसी पराधीनता के कारण उसे अग्निन्द्रिय—इन्द्रिय अर्थात् इन्द्रिय जैसा कहा है।

प्र०—क्या मन भी नेत्र आदि की तरह शरीर के किसी स्थान में ही रहता है या सर्वत्र ?

उ०—यह शरीर के अन्दर सर्वत्र वर्तमान है, किसी एक स्थान में नहीं; क्योंकि शरीर के विज्ञान विज्ञान स्थानों में वर्तमान इन्द्रियों के ग्रहण किये गए सभी विषयों में मन की मति है; जो उसे देखना बिना घट नहीं सकती; इसी से यह कहा जाता है कि 'यत्र पश्यन् मनः' । २१, २२।

कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि । २४ ।

संज्ञिनः समनस्काः । २५ ।

वायुकाय तक के जीवों के एक इन्द्रिय है ।

कृमि, पिपीलिका—चींटी, भ्रमर—भौरा और मनुष्य वगैरह के कम एक एक इन्द्रिय अधिक होती है ।

संज्ञी मनवाले होते हैं ।

तेरहवें और चौदहवें सूत्र में संशरी जीवों के स्यावर और प्रस रूप से विभाग बतलाए हैं । उनके नव निकाय—जातियाँ हैं; जैसे—पृथिवीकाय, अकाय, वनस्पतिकाय, तेजःकाय, धायुकाय ये पाँच तथा द्वीन्द्रिय आदि र । इनमें से वायुकाय तक के पाँच निकायों के सिर्फ एक स्पर्शन द्रव्य होती है ।

कृमि, जलौका आदि के दो इन्द्रियाँ होती हैं, एक स्पर्शन और दूसरी रसन । चींटी, कुंघु, खटमल आदि के उक्त दो और घ्राण ये तीन इन्द्रियाँ होती हैं । भौरा, मक्खी, बिच्छू, मच्छर आदि के उक्त तीन तथा आँख ये चार इन्द्रियाँ होती हैं । मनुष्य, पशु, पक्षी तथा देव-नारक के उक्त चार और कान ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैं ।

प्र०—यह संख्या द्रव्येन्द्रिय की है या भावेन्द्रिय की अथवा उभयेन्द्रिय की ?

उ०—उक्त संख्या सिर्फ द्रव्येन्द्रिय की समझनी चाहिए, भावेन्द्रियाँ तो सभी के पाँचों होती हैं ।

प्र०—तो फिर क्या कृमि आदि भावेन्द्रिय के बल से देख या सुन लेते हैं ?

उ०—नहीं, सिर्फ भावेन्द्रिय काम करने में समर्थ नहीं; उस द्रव्येन्द्रिय का सहारा चाहिए । अतएव सब भावेन्द्रियों के होने पर भी

नारक, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यक्ष में ही स्पष्ट रूप से देखी जाती है। इसलिए वे ही मनवाले माने जाते हैं।

प्र०—क्या कृमि, चींटी आदि जीव अपने अपने इष्ट को पाने तथा अनिष्ट को त्यागने का प्रयत्न नहीं करते ?

उ०—करते हैं।

प्र०—तब फिर उनमें संप्रधारण संज्ञा और मन क्यों नहीं माने जाते ?

उ०—कृमि आदि में भी अत्यन्त सूक्ष्म मन मौजूद है, इसीसे वे हित में प्रवृत्ति और अनिष्ट से निवृत्ति कर लेते हैं। पर उनका वह कार्य सिर्फ देह-यात्रोपयोगी है, इससे अधिक नहीं। यहाँ इतना पुष्ट मन विवक्षित है जिससे निमित्त मिलने पर देह-यात्रा के अलावा और भी अधिक विचार किया जा सके, अर्थात् जिससे पूर्व जन्म का स्मरण तक हो सके—इतनी विचार की योग्यता ही संप्रधारण संज्ञा कहलाती है। इस संज्ञावाले उक्त देव, नारक, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यक्ष ही हैं। अतएव उन्हें को यहाँ समनस्क कहा है। २३-२५।

अन्तराल गति सम्बन्धी विशेष जानकारी के लिए योग आदि
पाँच बातों का वर्णन—

विग्रहगतौ कर्मयोगः । २६ ।

अनुश्रेणि गतिः । २७ ।

अविग्रहा जीवस्य । २८ ।

१ देखो ज्ञानविन्दु प्रकरण (यशोविजय जैन ग्रन्थमाला) पृ० १४४।

२ इस विषयको विशेष स्पष्टतापूर्वक समझने के लिए देखो हिन्दी

चौथा कर्मग्रन्थ में 'अनाहारक' शब्द का परिशिष्ट पृ० १४३।

कृमि या चीटी आदि नेत्र तथा कर्ण रूप द्रव्येन्द्रिय न होने से वे सुनने में असमर्थ हैं; फिर भी ये अपनी अपनी द्रव्येन्द्रिय की दृष्टि से जीवन-यात्रा का निर्वाह कर ही लेते हैं ।

पृथिवीकाय से लेकर चतुरिन्द्रिय पर्यन्त के भाठ निम्नोक्त के हैं : होता ही नहीं; पंचेन्द्रियों में भी सब के नहीं होता । पंचेन्द्रिय के चार वर्ग हैं : देव, नारक, मनुष्य और तिर्यक । इनमें से पहले दो वर्गों में तो सभी के मन होता है और पिछले दो वर्गों में उन्हीं के ही मन होता है; अर्थात् मनुष्य और तिर्यक-गर्भोत्पन्न तथा संमूर्तिमण्डल दो ही प्रकार के होते हैं, जिनमें संमूर्तिमण्डल मनुष्य और तिर्यक के ही मन होता है । सारांश यह कि पंचेन्द्रियों में सब देव, सब नारक और सब मनुष्य तथा गर्भत्र तिर्यक के ही मन होता है ।

प्र०—अनुक के मन है और अनुक के नहीं, इसकी पहचान ?

उ०—इसकी पहचान संज्ञा का होना या न होना है ।

प्र०—संज्ञा, वृत्ति ही कहते हैं और वृत्ति न्यूनाधिक रूप में ही न किसी प्रकार की सभी में देखी जाती है; क्योंकि कृमि, चीटी व जन्तुओं में भी आक्षर, भय आदि की वृत्तियाँ देखी जाती हैं, फिर भी उनमें संज्ञा का होना नहीं माना जाता ।

उ०—यहाँ संज्ञा का मतलब साधारण वृत्ति ही नहीं, वृत्ति ही है । यह विशिष्ट वृत्ति गुण-दोष की विचारणा है, जिनके ही प्राप्ति और अहित का परिदार ही संज्ञा है । इस विशिष्ट वृत्ति का ध्यान में संप्रधारण संज्ञा कहते हैं । यह संज्ञा मन का कार्य है जो देव

१. इसके गुणधर्मों के लिए देवों हिन्दी शीघ्र करेगा वृत्ति का 'संज्ञा' शब्द का परिशिष्ट ।

इन पाँच प्रश्नों पर आत्मा को व्यापक मानने वाले दर्शनों को भी विचार करना चाहिए; क्योंकि उन्हें भी पुनर्जन्म की उपपत्ति के लिए, सूक्ष्म शरीर का गमन और अन्तराल गति माननी ही पड़ती है; परन्तु देहव्यापि आत्मवादी होने से जैन दर्शन को तो उक्त प्रश्नों पर अवश्य विचार करना चाहिए। यही विचार यहाँ क्रमशः किया गया है, जो इस प्रकार है—

अन्तराल गति दो प्रकार की है: ऋजु और वक्र। ऋजुमति से स्थानान्तर को जाते हुए जीव को नया प्रयत्न नहीं करना पड़ता; क्योंकि जब वह पूर्व शरीर छोड़ता है तब उसे पूर्व शरीरजन्य वेग मिलता है; जिससे

वह दूसरे प्रयत्न के बिना ही धनुष से छूटे हुए बाण की तरह सीधे ही नये स्थान को पहुँच जाता है।

योग

वक्र गति वक्र-ध्रुमाव वाली होती है, इसलिए इस गति से जाते हुए जीव को नये प्रयत्न की अपेक्षा होती है; क्योंकि पूर्व शरीरजन्य प्रयत्न वहाँ तक ही काम करता है जहाँ से जीव को घूमना पड़े। घूमने का स्थान आते ही पूर्व देहजनित प्रयत्न मन्द पड़ जाता है; इसलिए वहाँ से सूक्ष्म शरीर जो जीव के साथ उस समय भी है उसी से प्रयत्न होता है। वही सूक्ष्म शरीरजन्य प्रयत्न कर्मणयोग कहलाता है। इसी आशय से सूत्र में कहा गया है कि विग्रह गति में कर्मणयोग ही होता है। सारांश यह है कि वक्रगति से जाने वाला जीव सिर्फ पूर्व शरीरजन्य प्रयत्न से नये स्थान को नहीं पहुँच सकता, इसके लिए नया प्रयत्न कर्मण-सूक्ष्म शरीर से ही साध्य है; क्योंकि उस समय दूसरा कोई स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल शरीर न होने से उस समय मनोयोग और वचनयोग भी नहीं होते। २६।

गतिशील पदार्थ दो ही प्रकार के हैं: जीव और पुद्गल। इन दोनों में गतिक्रिया की शक्ति है, इसलिए वे निमित्त वश गतिक्रिया में परिणत

विप्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः । २९ ।

एकसमयोऽविग्रहः । ३० ।

एकं द्वौ वाऽनाहारकः । ३१ ।

विग्रहगति में कर्मयोग-धामनयोग ही होता है ।

गति, भेषि-भरत्प्रेरणा के अनुसार होती है ।

जीव-मुख्यमान आत्मा की गति विग्रहस्थित ही होती है ।

संसारी आत्मा की गति अविग्रह और सविग्रह होती है ।

विग्रह चार से पहले अर्थात् तीन तक हो सकते हैं ।

विग्रह का अभाव एक समय परिमित है अर्थात् विग्रह

गति एक समय परिमाण है ।

एक या दो समय तक जीव अनाहारक रहता है ।

पुनर्जन्म मानने वाले प्रत्येक दर्शन के सामने अन्तरात्म

संघर्षी निम्नलिखित पाँच प्रश्न उत्तरस्थित होते हैं :

१. जन्मान्तर के लिए या मोक्ष के लिए जब जीव गति करता है तब अर्थात् अन्तरात्म गति के समय स्थूल शरीर न होने से जीव किस तरह प्रवृत्त करता है ?

२. गतिशील पदार्थ गतिक्रिया करते हैं, वह किस नियम से ?

३. गतिक्रिया के फलने प्रकार है और कौन-कौन जीव किस

गतिक्रिया के अधिपति है ?

४. अन्तरात्म गति का जन्म या उत्पन्न आत्मान किनसे है यह आत्मान किस नियम पर अन्तर्निहित है ?

५. अन्तरात्म गति के समय जीव आहार करता है या नहीं, यदि नहीं तो जन्म या उत्पन्न भिन्न-भिन्न आत्म शरीर और अनाहारक (जीव) का अन्तर्निहित नियम पर अन्तर्निहित है ?

। व मोक्ष के नियत स्थान पर, ऋजुगति से ही जाते हैं, वक्रगति से नहीं; क्योंकि वे पूर्व स्थान की सरलरेखा वाले मोक्ष स्थान में ही प्रातिष्ठित होते; थोड़ा भी इधर उधर नहीं। परन्तु संसारी जीव के उत्पत्ति स्थान का ई नियम नहीं। कभी तो उनको जहाँ उत्पन्न होना हो वह नया स्थान व स्थान की बिलकुल सरलरेखा में होता है और कभी वक्ररेखा में; पोंकि पुनर्जन्म के नवीन स्थान का आधार पूर्वकृत कर्म पर है, और कर्म विष प्रकार का होता है; इसलिए संसारी जीव ऋजु और वक्र दोनों तियों के अधिकारी हैं। सारांश यह कि मुक्तिस्थान में जाने वाले आत्मा की एक मात्र सरल गति होती है, और पुनर्जन्म के लिए स्थानान्तर जानेवाले जीवों की सरल तथा वक्र दोनों गतियाँ होती हैं। ऋजुगति, दूसरा नाम इपुगति भी है, क्योंकि वह धनुष के वेग से प्रेरित वाण की ति की तरह पूर्व शरीरजनित वेग के कारण सीधी होती है। वक्रगति के णिमुक्ता, लाङ्गलिका और, गोमूत्रिका ऐसे तीन नाम हैं; जिसमें एक बार लरेखा का भङ्ग हो वह पाणिमुक्ता, जिसमें दो बार हो वह लाङ्गलिका और जिसमें तीन बार हो वह गोमूत्रिका। कोई भी ऐसी वक्रगति जीव की ही होती, जिसमें तीन से अधिक घुमाव करने पड़ें; क्योंकि जीव का नया त्पत्ति स्थान कितना ही विधेणिपतित—वक्ररेखा स्थित क्यों न हो, पर वह नि घुमाव में तो अवश्य ही प्राप्त हो, जाता है। पुद्गल की वक्रगति में, माव की संख्या का कोई भी नियम नहीं है, उसका आधार प्रेरक निमित्त र है। २८, २९।

अन्तराल गति का कालमान जघन्य एक समय का और उत्कृष्ट ार समय का है। जब ऋजुगति हो तब एक ही समय और जब वक्रगति ो तब दो, तीन या चार समय समझने चाहिएँ। समय की संख्या की।

१. ये पाणिमुक्ता आदि संज्ञाएँ शिगम्यर व्याख्या ग्रन्थों में प्रासिद्ध हैं।

होकर गति करने लगते हैं। चाण उपनिषद् से भी ही ख्याती है

गति का नियम

स्वाभाविक गति-तो ऊपरी गौरी ही होती है। गति का मतलब यह है कि पृथ्वी शिफ काल में जीव या परमाणु स्थित हों, वहाँ से गति करते हुए वे ऊपरी की सरल रेखा में चाहे ऊँचे, नीचे या तिरछे चले जाते हैं। एतद् स्वभाविक गति को लेकर सूत्र में कहा गया है कि गति अनुभवे भेगि का मतलब पूर्णरूपान प्रमाण आकाश की अन्यूनाधिक मात्रा है। इस स्वाभाविक गति के वर्ण से सूचित हो जाता है कि प्रतिघातकारक कारण ही तब जीव या पुद्गल भेगि-मरुत रेखा से ही चक्र-रेखा से भी गमन करते हैं। शारांत यह है कि गतिरहित पदार्थ गतिक्रिया प्रतिघातक निमित्त के अभाव में पूर्णरूपान प्रमाण ही होती है और प्रतिघातक निमित्त होने पर चक्ररेखा से होती है।

पहले कहा गया है कि प्रायु और वक्र इस तरह गति हो प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्त गति यह है जिसमें पूर्व स्थान से नये स्थान तक

गति का प्रकार

सरल रेखा का भेग न हो अर्थात् एक ही पृथ्वी तक चले। चक्रगति यह है जिसमें पूर्व स्थान के चक्ररेखा से सरलरेखा का भेग हो अर्थात् वक्र से वक्र एक पृथ्वी तक ही। यह भी कहा गया है कि जीव, पुद्गल दोनों ठक होने की अपेक्षा ही हैं। यहाँ मुख्य प्रश्न जीव का है। पूर्व स्थान से स्थानान्तर को जाने वाले जीव दो प्रकार के हैं: एक तो वे जो पृथ्वी पर शरीर की सदा के लिए छोड़कर स्थानान्तर को जाने हैं, वे ही मुरकमान-मोक्ष जाने वाले कहलाते हैं। दूसरे वे जो पूर्व स्थान से छोड़कर नये स्थान शरीर को प्राप्त करते हैं। वे मन्त्रयाम एतद् ही मन्त्रयाम शरीर के अभाव में ही होते हैं, ऐसे जीव संसारी कहलाते हैं।

जीव मोक्ष के नियत स्थान पर, ऋजुगति से ही जाते हैं, वक्रगति से नहीं; क्योंकि वे पूर्व स्थान की सरलरेखा वाले मोक्ष स्थान में ही प्रतिष्ठित होते हैं; योद्धा भी इधर उधर नहीं। परन्तु संसारी जीव के उत्पत्ति स्थान का कोई नियम नहीं। कभी तो उनको जहाँ उत्पन्न होना हो वह नया स्थान पूर्व स्थान की बिलकुल सरलरेखा में होता है और कभी वक्ररेखा में; क्योंकि पुनर्जन्म के नवीन स्थान का आधार पूर्वकृत कर्म पर है, और कर्म विविध प्रकार का होता है; इसलिए संसारी जीव ऋजु और वक्र दोनों गतियों के अधिकारी हैं। सारांश यह कि मुक्तिस्थान में जाने वाले आत्मा की एक मात्र सरल गति होती है, और पुनर्जन्म के लिए स्थानान्तर में जानेवाले जीवों की सरल तथा वक्र दोनों गतियाँ होती हैं। ऋजुगति का दूसरा नाम इषुगति भी है, क्योंकि वह धनुष के वेग से प्रेरित बाण की गति की तरह पूर्व शरीरजनित वेग के कारण सीधी होती है। वक्रगति के पाणिमुक्ता, लाङ्गलिका और गोमूत्रिका ऐसे तीन नाम हैं; जिसमें एक बार सरलरेखा का भ्रम हो वह पाणिमुक्ता, जिसमें दो बार हो वह लाङ्गलिका और जिसमें तीन बार हो वह गोमूत्रिका। कोई भी ऐसी वक्रगति जीव की नहीं होती, जिसमें तीन से अधिक घुमाव करने पड़ें; क्योंकि जीव का नया उत्पत्ति स्थान कितना ही विभ्रेणिपतित—वक्ररेखा स्थित क्यों न हो, पर वह तीन घुमाव में तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। पुद्गल की वक्रगति में घुमाव की संख्या का कोई भी नियम नहीं है, उसका आधार प्रेरक निमित्त पर है। २८, २९।

अन्तराल गति का कालमान जघन्य एक समय का और उत्कृष्ट चार समय का है। जब ऋजुगति हो तब एक ही समय और जब वक्रगति हो तब दो, तीन या चार समय समझने चाहिए। समय की संख्या की

१. वे पाणिमुक्ता आदि संज्ञाएँ दिगम्बर व्याख्या ग्रन्थों में प्रासिद्ध हैं।

होकर गति करने लगते हैं। बाह्य उपाधि से वे मने ही वक्रगति से

स्वाभाविक गति-तो उनकी सीधी ही होती है।

गति का नियम गति का मतलब यह है कि पहले जिस आकाश में जीव या परमाणु स्थित हों, वहाँ से गति करते हुए वे उर्ध्व की सरल रेखा में चाहे ऊँचे, नीचे या तिरछे चले जाते हैं। इस स्वाभाविक गति को लेकर सूत्र में कहा गया है कि गति अनुभ्रंश श्रेणि का मतलब पूर्वस्थान प्रमाण आकाश की अन्यूनधिक सरल रेखा है। इस स्वाभाविक गति के वर्णन से सूचित हो जाता है कि जब प्रतिघातकारक कारण हो तब जीव या पुद्गल श्रेणि-सरल रेखा से वक्ररेखा से भी गमन करते हैं। सरांस यह है कि गतिशील परमाणु-गतिक्रिया प्रतिघातक निमित्त के अभाव में पूर्वस्थान प्रमाण सरल रेखा ही होती है और प्रतिघातक निमित्त होने पर वक्ररेखा से होती है।

पहले कहा गया है कि श्रृजु और वक्र इस तरह गति दो प्रकार की होती है। श्रृजु गति वह है जिसमें पूर्व स्थान से नये स्थान तक जाने

सरल रेखा का भंग न हो अर्थात् एक ही सुभाव न

गति का प्रकार पड़े। वक्रगति वह है जिसमें पूर्व स्थान से नये स्थान तक जाने में सरलरेखा का भंग हो अर्थात् कम से कम एक सुभाव भंग हो। यह भी कहा गया है कि जीव, पुद्गल दोनों उक्त दोनों गतियों के अधिकारी हैं। यहाँ मुख्य प्रश्न जीव-का है। पूर्व शरीर छोड़कर स्थानान्तर को जाने वाले जीव दो प्रकार के हैं: एक तो वे जो सूक्ष्म शरीर को सदा के लिए छोड़कर स्थानान्तर को जाते हैं, वे मुच्यमान-मोक्ष जाने वाले कहलाते हैं। दूसरे वे जो पूर्व स्थूल शरीर छोड़कर नये स्थूल शरीर को प्राप्त करते हैं। वे अन्तराल गति के सूक्ष्म शरीर से अवश्य वेष्टित होते हैं, ऐसे जीव संसारी कहलाते हैं।

वर्तमान शरीर के द्वारा ग्रहण किये गए, आहार का या नवीन जन्मस्थान
 ग्रहण किये आहार का समय है। यही हाल एक विग्रह वाली गति का
 ; क्योंकि इसके दो समयों में से पहला समय पूर्व शरीर के द्वारा ग्रहण
 किये हुए आहार का है और दूसरा समय नये उत्पत्ति स्थान में पहुँचने का
 ; जिसमें नवीन शरीर धारण करने के लिए आहार किया जाता है।
 अन्तु तीन समय की दो विग्रह वाली और चार समय की तीन विग्रह
 वाली गति में अनाहारक स्थिति पाई जाती है; यह इसलिए कि इन दोनों
 स्थितियों के क्रम से तीन और चार समयों में से पहला समय तब शरीर के
 लिए हुए आहार का और अन्तिम समय उत्पत्तिस्थान में लिए हुए
 आहार का है। पर इन प्रथम तथा अन्तिम दो समयों को छोड़कर बीच
 का काल आहाररह्य होता है। अतएव द्विविग्रह गति में एक समय और
 त्रिविग्रह गति में दो समय तक जीव अनाहारक माने गए हैं। यही भाव
 स्तुत सूत्र में प्रकट किया गया है। सारांश यह है कि ऋजुगति और
 त्रिविग्रह गति में आहारक दशा ही रहती है और द्विविग्रह तथा त्रिविग्रह
 गति में प्रथम और चरम इन दो समयों को छोड़कर अनुक्रम से मध्यवर्ती
 एक तथा दो समय पर्यन्त अनाहारक दशा रहती है। कहीं कहीं तीन
 समय भी अनाहारक दशा के माने गये हैं; सो पाँच समय की चार विग्रह
 वाली गति के संभव की अपेक्षा से।

प्र०—अन्तराल गति में शरीर पोषक आहाररूप से स्थूल पुद्गलों के
 ग्रहण का अभाव तो मान्य हुआ, पर यह कहिये कि उस समय कर्मपुद्गल
 ग्रहण किये जाते हैं या नहीं ?

उ०—किये जाते हैं।

प्र०—सो कैसे ?

उ०—अन्तराल गति में भी संसारी जीवों के कर्मण शरीर अवश्य
 होता है। अतएव यह शरीरजन्य आत्मप्रदेश-कम्पन, जिसको कर्मण योग

बुद्धि का आधार घुमाव की संख्या की बुद्धि पर अवलम्बित है। नि-
 वक्रगति में एक घुमाव हो उसका कालमान दो
 गति का कालमान का, जिसमें दो घुमाव हों, उसका कालमान दो
 समय का, और जिसमें तीन घुमाव हों उसका कालमान चार समय का।
 सारांश यह कि एक विप्रद की गति से उत्पत्ति स्थान में जब जाना है
 तब पूर्व स्थान से घुमाव के स्थान तक पहुँचने में एक समय और पुनः
 स्थान से उत्पत्ति स्थान तक पहुँचने में दूसरा समय लग जाता है। इ-
 नियम के अनुसार दो विप्रद की गति में तीन समय और तीन विप्रद की
 गति में चार समय लग जाते हैं। यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि
 ऋजुगति से जन्मान्तर करने वाले जीव के पूर्ण शरीर त्यागते समय ही न-
 आधुप और गति कर्म का उदय हो जाता है; और वक्रगति वाले जीवों
 प्रथम वक्र स्थान से नवीन आयु, गति और आनुपूर्वी नाम कर्म का स्प-
 संभव उदय हो जाता है, क्योंकि प्रथम वक्रस्थान तक ही पूर्वभरण आ-
 आदि का उदय रहता है। ३० ।

मुच्यमान जीव के लिए तो अन्तराल गति में आहार का प्रश्न
 नहीं है; क्योंकि यह सूक्ष्म, स्थूल सब शरीरों से मुक्त है। पर संसारी जीवों
 लिए आहार का प्रश्न है; क्योंकि उसके अन्तर्गत
 अनाहार का कालमान में भी सूक्ष्म शरीर अवश्य होता है। आहार
 मतलब है स्थूल शरीर योग्य पदार्थों को प्रदण करना
 ऐसा आहार संसारी जीवों में अन्तराल गति के समय में पाया भी जाता
 और नहीं भी पाया जाता। जो ऋजुगति से या दो समय की एक वि-
 वाली गति से जाने वाले हों वे अनाहारक नहीं होते; क्योंकि ऋजुगति का
 जिस समय में पूर्ण शरीर छोड़ते हैं उसी समय में नया स्थान प्राप्त
 है, समान्तर नहीं होता। इसलिए उनकी ऋजुगति का समय शान्ति

अन्य आकर नवीन भव के योग्य स्थूल शरीर के लिए पहले पहल योग्य को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। इसके सम्मूर्छन, गर्भ और त ऐसे तीन भेद हैं। माता-पिता के संबन्ध के बिना ही उत्पत्ति में स्थित औदारिक पुद्गलों को पहले पहल शरीर रूप में परिणत सम्मूर्छन जन्म है; उत्पत्ति स्थान में स्थित शुक्र और शोणित को पहले पहल शरीर के लिए ग्रहण करना गर्भ जन्म है। उत्पत्ति में स्थित वैक्रिय पुद्गलों को पहले पहल शरीर रूप में परिणत करना त जन्म है। ३२।

जन्म के लिए कोई स्थान चाहिए। जिस स्थान में पहले पहल शरीर के लिए ग्रहण किए गए पुद्गल कार्मण. शरीर के साथ गरम छोटे में पानी की तरह मिल जाते हैं, वही स्थान योनि है। योनि के नव प्रकार हैं : सच्चित्त, शीत, संवृत; अचित्त, उष्ण, त; सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृतविवृत।

१. सच्चित्त—जो योनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित हो, २. अचित्त—जो अधिष्ठित न हो, ३. मिश्र—और जो कुछ भाग में अधिष्ठित हो तथा कुछ में न हो, ४. शीत—जिस उत्पत्ति स्थान में शीत स्पर्श हो, ५. उष्ण—जिसमें उष्ण स्पर्श हो, ६. मिश्र—और जिसके कुछ भाग में शीत तथा कुछ में उष्ण स्पर्श हो, ७. संवृत—जो उत्पत्ति स्थान ढका या दबा हो, विवृत—जो ढका न हो, खुला हो, ९. मिश्र—और जो कुछ ढका तथा कुछ खुला हो।

किस-किस योनि में कौन-कौन से जीव उत्पन्न होते हैं, इसका ब्यौरा प्रकार है—

जीव	योनि
रूढ़ और देव	अचित्त
मनुष्य और तिर्यच	मिश्र-सचित्ताचित्त

कहते हैं, वह भी अवश्य होता है। जब योग है तब कर्मपुत्रल का भाव भी अनिवार्य है; क्योंकि योग ही कर्मवर्गों के आकर्षण का कारण है। जैसे जल की वृद्धि के समय फेंका गया संतत वाण जलकणों को धरती पर उन्हे सोखता हुआ चला जाता है, वैसे ही अन्तराल गति के एक काम्य योग से चलल जीव भी कर्मवर्गों को ग्रहण करता और अपने साथ मिलाता हुआ स्थानान्तर को जाता है। ३१।

जन्म और योनि के भेद तथा उनके स्वामी-

सम्मूर्च्छनगर्भोपपाता जन्म । ३२ ।

सच्चित्तशीतसंश्रुताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः । ३३ ।

जराखण्डपोतजानां गर्भः । ३४ ।

नारकदेवानामुपपातः । ३५ ।

शेषाणां सम्मूर्च्छनम् । ३६ ।

सम्मूर्च्छन, गर्भ, और उपपात के भेद से तीन प्रकार का जन्म है।

सच्चित्त, शीत और संश्रुत ये तीन; तथा इन तीनों की प्राणिवर्ग अचित्त, उष्ण और विश्रुत; तथा मिश्र अर्थात् सच्चित्ताचित्त, शीत और संश्रुतविश्रुत—कुल नव उसकी अर्थात् जन्म की योनियाँ हैं।

जरायुज, अण्डज और पोतज प्राणियों का गर्भ जन्म होता है।

नारक और देवों का उपपात जन्म होता है।

शेष सब प्राणियों का सम्मूर्च्छन जन्म होता है।

पूयं भव गमाप्त होने पर संसारी जीव नया भव धारण करने इसके लिए उन्हें जन्म लेना पड़ता है; पर जन्म लेना एक ही जन्म

जन्म भेद होता यही बात यहाँ बतलाई गई है। पूयं भव का जन्म शरीर छोड़ने के बाद अन्तराल गति से फिर काम्य योग

उ०—चौरासी लाख का कथन विस्तार की अपेक्षा से है। पृथिवीकाय दि जिष्ठ जिष्ठ निकाय के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श के तरतम भाव के जितने जितने उत्पत्ति स्थान हैं उस उस निकाय की उतनी उतनी नेयों चौरासी लाख में गिनी गई हैं। यहाँ उन्हीं चौरासी लाख के वृत्त आदि रूप से संक्षेप में विभाग करके नव भेद बतलाए गए हैं। ३३।

ऊपर कहे हुए तीन प्रकार के जन्म में से कौन जन्म के स्वामी कौन जन्म किन किन जीवों का होता है; इसका विभाग के लिये अनुसार है :

जरायुज, अण्डज और पोतज प्राणियों का गर्भजन्म होता है। देव और नारकों का उपपात जन्म होता है। शेष सत्र अर्थात् पाँच स्यावर, न विकलेन्द्रिय और अगर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यच तथा मनुष्य का सम्मूर्छन जन्म होता है। जरायुज वे हैं जो जरायु से पैदा हों; जैसे मनुष्य, गाय, भेड़, चकरी आदि जाति के जीव। जरायु एक प्रकार का जाल जैसा आवरण है, जो रक्त और मांस से भरा होता है, और जिसमें पैदा होनेवाला बच्चा लिपटा रहता है। जो अण्डे से पैदा होने वाले अण्डज हैं, जैसे—मूँष, मोर, चिड़िया, कबूतर आदि जाति के जीव। जो किसी प्रकार के आवरण से वेष्टित न होकर ही पैदा होते हैं वे पोतज हैं; जैसे हाथी, शशक, खिल्ला, चूहा आदि जाति के जीव। ये न तो जरायु से ही लिपटे हुए पैदा होते हैं और न अण्डे से; किन्तु खुले अङ्ग पैदा होते हैं। देवों और नारकों में जन्म के लिए खास नियत स्थान होता है जो उपपात कहलाता है। देवशय्या के ऊपर वाला दिव्यवस्त्र से आच्छन्न भाग देवों का उपपात क्षेत्र है, और यज्ञमय भीत का गवाक्ष—कुंभी ही नारकों का उपपात क्षेत्र है; क्योंकि इस उपपात क्षेत्र में स्थित वैश्वदेवों की वे शरीर के लिए भक्षण करते हैं। ३४-३६।

शेष सब अर्थात् पाँच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय और अगर्भज पक्षेन्द्रिय तिर्यंच तथा मनुष्य	}	त्रिविध- शीत, उष्ण तथा मिथ
गर्भज मनुष्य और तिर्यंच तथा देव तेजःकायिक- अमिकाय		मिथ- शीतोष्ण उष्ण
शेष सब अर्थात् चार स्थावर, तीन- विकलेन्द्रिय, अगर्भज पक्षेन्द्रिय तिर्यंच और मनुष्य तथा नारक	}	त्रिविध- शीत, उष्ण, शीतोष्ण
नारक, देव और एकेन्द्रिय गर्भज पक्षेन्द्रिय तिर्यंच और मनुष्य		संवृत मिथ- संवृतविहः
शेष सब अर्थात् तीन विकलेन्द्रिय, अगर्भज पक्षेन्द्रिय मनुष्य और तिर्यंच	}	द्विवृत

प्र०—योनि और जन्म में क्या भेद है ?

उ०—योनि आधार है और जन्म आपेय है, अर्थात् एत के लिए योग्य पुद्गलों का प्राथमिक ग्रहण जन्म है; और वह प्रा बगह हो वह योनि है ।

प्र०—योनियों तो चौरासी लाख कहीं जाती हैं, तो ति नव ही क्यों कहीं गई ?

१. दिगम्बर टीका ग्रन्थों में शीत और उष्ण योनियों के स्थान और नारक माने गए हैं । तदनुसार वहाँ शीत, उष्ण आदि त्रिविध के स्थायीयों में नारक को न गिनकर गर्भज मनुष्य और तिर्यंच को ही चादिए ।

उक्त पाँच प्रकारों में जो शरीर पर पर अर्थात् आगे आगे का है, वह पूर्व पूर्व से सूक्ष्म है।

तैजस के पूर्ववर्ती तीन शरीरों में पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर शरीर प्रदेशों—स्कन्धों से असंख्यात गुण होता है।

और परवर्ती दो अर्थात् तैजस और कर्मण शरीर प्रदेशों से अनन्त गुण होते हैं।

तैजस और कर्मण दोनों शरीर प्रतिघात रहित हैं।

आत्मा के साथ अनादि सम्बन्ध वाले हैं।

और सब संसारी जीवों के होते हैं।

एक साथ एक जीव के शरीर—तैजस, कर्मण से लेकर चार तक—विकल्प से होते हैं।

अन्तिम अर्थात् कर्मण शरीर ही उपभोग—सुखदुःखादि के अनुभव से रहित है।

पहला अर्थात् औदारिक शरीर सम्मूर्च्छनजन्म और गर्भजन्म से ही पैदा होता है।

वैक्रियशरीर उपपात जन्म से पैदा होता है।

तथा वह लब्धि से भी पैदा होता है।

आहारक शरीर शुभ—प्रशस्त पुद्गल द्रव्य जन्य, विशुद्ध—निष्पाप कार्यकारी, और व्याघात—बाधा रहित होता है, तथा वह चौदह पूर्व वाले भुनि के ही पाया जाता है।

जन्म ही शरीर का आरम्भ है, इसलिए जन्म के बाद शरीर का वर्णन किया गया है; जिसमें उससे संबन्ध रखनेवाले अनेक प्रश्नों पर नीचे मिले अनुसार क्रमशः विचार किया है।

देहधारी जीव अनन्त हैं, उनके शरीर भी अलग-अलग होने से वे व्यक्तिगत अनन्त हैं। पर कार्य, कारण आदि के सादृश्य की दृष्टिसे संक्षेप

शरीरों के संबन्ध में वर्णन-

औदारिकवैक्रियाऽऽहारकतैजसकार्मणानि शरीरानि ३६
परं परं सूक्ष्मम् । ३८ ।

प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक् तैजसात् । ३९ ।

अनन्तगुणे परे । ४० ।

अप्रतिघाते । ४१ ।

अनादिसम्बन्धे च । ४२ ।

सर्वस्य । ४३ ।

तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्म्यः । ४४ ।

निरुपभोगमन्त्यम् । ४५ ।

गर्मसम्मूर्छनजमाद्यम् । ४६ ।

वैक्रियमौपपातिकम् । ४७ ।

लब्धिप्रत्ययं च । ४८ ।

शुभं विशुद्धमन्याघाति चाहारकं चतुर्दशपूर्वधरस्यत्र ४९

औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण ये पाँच प्रकार के शरीर हैं ।

१. यहाँ प्रदेश शब्द का अर्थ भाष्य की शृति में 'अनन्ताणु' का क्रिया है; परन्तु सर्वार्थसिद्धि आदि में 'परमाणु' अर्थ लिया है ।

२. इस सूत्र के बाद 'तैजसमपि' ऐसा सूत्र दिगम्बर परंपरा में ज्येताम्बर परंपरा में नहीं है। सर्वार्थसिद्धि आदि में उक्तका अर्थ इस प्रकार है - तैजस शरीर भी लब्धिजन्य है, अर्थात् जैसे वैक्रिय शरीर लब्धि से उत्पन्न किया जा सकता है, वैसे ही लब्धि से तैजस शरीर भी बनाया जा सकता है। इस अर्थ से यह फलित नहीं होता कि तैजस शरीर लब्धिजन्य ही है।

जैसे वे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर कहलाते हैं। उदाहरणार्थ— भिंडीकी फली और दाँत का दाँत ये दोनों बराबर परिमाणवाले लेकर देखें जायें, तो भिंडी की फली क्षियल होगी और दाँत की रचना उससे निबिड़; इसीसे परिणामस्वरूप होने पर भी भिंडी की अपेक्षा दाँत का पौद्गलिक द्रव्य अधिक है। ३८।

स्थूल, सूक्ष्म भाव की उक्त व्याख्या के अनुसार उत्तर-उत्तर शरीर का आरम्भक द्रव्य पूर्व-पूर्व शरीर की अपेक्षा परिमाण में अधिक होता है, यह बात मालूम हो जाती है; पर यह परिमाण जितना-जितना पाया जाता है, उसीको दो में बतलाया गया है।

परमाणुओं से बने हुए जिन स्कन्धों से शरीर का निर्माण होता है वे स्कन्ध शरीर के आरम्भक द्रव्य हैं। जब तक परमाणु अलग-अलग तब तक उनसे शरीर नहीं बनता। परमाणुपुंज जो स्कन्ध कहलाते हैं वे शरीर बनता है। वे स्कन्ध भी अनन्त परमाणुओं के बने हुए चाहिए। औदारिक शरीर के आरम्भक स्कन्धों से वैक्रिय शरीर के आरम्भक स्कन्ध असंख्यात गुण होते हैं, अर्थात् औदारिक शरीर के आरम्भक स्कन्ध अनन्त परमाणुओं के होते हैं और वैक्रिय शरीर के आरम्भक स्कन्ध अनन्त परमाणुओं के; पर वैक्रिय शरीर के स्कन्धगत परमाणुओं की संख्या, औदारिक शरीर के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या संख्यात गुण अधिक होती है। यही अधिकता वैक्रिय और आहारक शरीर के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या में समझनी चाहिए।

(आहारक स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या से तैजस के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या अनन्तगुण होती है, इसी तरह वायु से कार्मण के स्कन्धगत परमाणु भी अनन्तगुण अधिक हैं। इससे देखने से यह स्पष्ट है कि पूर्व पूर्व शरीर की अपेक्षा उत्तर-उत्तर

शरीर के प्रकार और में विभाग करके उनके पाँच प्रकार चतुर्दश
उनकी व्याख्या जैसे—औदारिक, वैक्य, आहारक, तैजस

जीव के क्रिया करने के साधन को शरीर कहते हैं। १. जल
जलाया जा सके व जिसका छेदन, भेदन हो सके वह औदारिक है। २. वह
शरीर कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी पतला, कभी मोटा, कभी एक, कभी
अनेक इत्यादि अनेक रूपोंको धारण कर सके वह वैक्य है। ३. जो शरीर
सिर्फ चतुर्दशपूर्वों मुनिके द्वारा ही रचा जा सके वह आहारक है। ४. जो
शरीर तेजोमय होने से खाए हुए आहार आदि के परिपाक का रस
दाँति का निमित्त हो वह तैजस है। और ५. कर्मसमूह ही बर्तमान
है। ३७।

उक्त पाँच शरीर में सबसे अधिक स्थूल औदारिक शरीर है, तैजस
उससे सूक्ष्म है; आहारक वैक्य से भी सूक्ष्म।
स्थूल-सूक्ष्म भाव इसी तरह आहारक से तैजस और तैजस से तैजस
सूक्ष्म, सूक्ष्मतर है।

प्र०—यहाँ स्थूल और सूक्ष्म का मतलब क्या है ?

उ०—स्थूल और सूक्ष्म का मतलब रचना की शिथिलता और
सघनता से है, परिमाण से नहीं। औदारिक से वैक्य सूक्ष्म है, आहारक से स्थूल है। इसी तरह आहारक आदि शरीर भी पूर्व-पूर्व की अनेक
सूक्ष्म और उत्तर-उत्तर की अपेक्षा स्थूल हैं; अर्थात् यह स्थूल-सूक्ष्म का
अपेक्षा कृत है। इसका मतलब यह है कि जिस शरीर की रचना किसी
दूसरे शरीर की रचना से शिथिल हो वह उससे स्थूल और कृत्य उसे
सूक्ष्म। रचना की शिथिलता और सघनता पौद्गलिक परिवर्तन पर निर्भर
है। पुद्गलों में अनेक प्रकार के परिणमन की शक्ति है, स्वयं से
परिमाण में घोड़ा होने पर भी जब शिथिल रूप में परिणत होते हैं तब स्थूल
कहलाते हैं और परिणमन में बहुत होने पर भी जैसे-जैसे सघन होते हैं

तैजस और कर्मण का संबन्ध आत्मा के साथ प्रवाह रूप से जैसा अनादि है वैसा पहले तीन शरीरों का नहीं है; क्योंकि वे तीनों शरीर अमुक काल के बाद कायम नहीं रह सकते। इसलिए औदारिक आदि तीनों शरीर कदाचित्—अस्थायी संबन्ध वाले कहे जाते हैं और तैजस, कर्मण अनादि संबन्ध वाले।

प्र०—जब कि वे जीव के साथ अनादि संबद्ध हैं, तब तो उनका अभाव कभी न होना चाहिए; क्योंकि अनादिभाव का नाश नहीं होता ?

उ०—उक्त दोनों शरीर व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं, पर प्रवाह की अपेक्षा से अनादि हैं। अतएव उनका भी अपचय, उपचय हुआ करता है। जो भावात्मक पदार्थ व्यक्तिरूप से अनादि होता है वही नष्ट नहीं होता, जैसे परमाणु।

तैजस और कर्मण शरीर को सभी संसारी धारण करते हैं; पर औदारिक, वैकिय और आहारक को नहीं। अतएव तैजस, कर्मण के स्वामी सभी संसारी हैं, और औदारिक आदि के स्वामी कुछ ही होते हैं।

प्र०—तैजस और कर्मण के बीच कुछ अन्तर बतलाइए ?

उ०—कर्मण यह सारे शरीरों की जड़ है; क्योंकि वह कर्म स्वरूप है और कर्म ही सब कार्यों का निमित्त कारण है। जैसे तैजस सब का कारण नहीं, वह सब के साथ अनादिसंबद्ध रहकर भुक्त आहार के पाचन आदि में सहायक होता है। ४१-४३।

तैजस और कर्मण ये दो शरीर सभी संसारी जीवों के संसारकाल अवश्य होते हैं; पर औदारिक आदि बदलते रहते हैं, इससे वे कर्मण लभ्य होते हैं और कर्मी नहीं। अतएव यह प्रश्न होता है कि संख्या प्रत्येक जीव के कम से कम और अधिक से अधिक कितने बात का प्रतिपादन गीता में भी है—नासतो विद्यते भावो सतः, अघ्नाय २, श्लो० १६।

शरीर का आरम्भक द्रव्य अधिक अधिक होता है। निरभ्र के विचित्रता के कारण ही उत्तर-उत्तर शरीर निविड, निविड, जाता है, और सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर कहलाता है।

प्र०—औदारिक के स्कन्ध भी अनन्त परमाणुवाले आदि के स्कन्ध भी अनन्त परमाणु वाले हैं, तो फिर उन स्कन्ध न्यूनाधिकता क्या हुई ?

उ०—अनन्त संख्या अनन्त प्रकार की है। इसलिये अनन्त से समानता होने पर भी औदारिक आदि के स्कन्ध से वैक्यिक स्कन्ध का असंख्यात गुण अधिक होना असंभव नहीं है। ३९, ४०।
अन्तिम दो शरीरों का स्वभाव, उक्त पाँच शरीरों में से पहले कालमर्यादा और स्वामी की अपेक्षा पिछले दो में कुछ विद्वेज जो यहाँ तीन बातों के द्वारा क्रमशः तीन सूत्रों में बतलाई गई है।

तैजस और कार्मण ये दो शरीर सारे लोक में कहीं भी नहीं पाते अर्थात् अत्र जैसी फटिन वस्तु भी उन्हें प्रवेश करने नहीं सकती; क्योंकि वे अनन्त सूक्ष्म हैं। यद्यपि एक स्वभाव का दूसरी मूर्त वस्तु से प्रतिघात देखा जाता है तथापि घात का नियम स्थूल वस्तुओं में लागू पड़ता है, सूक्ष्म में नहीं। वस्तु बिना रुकावट के सर्वत्र प्रवेश कर पाती है जैसे लोहपिण्ड में प्रवेश

प्र०—तब तो सूक्ष्म होने से वैक्यिक और आदारिक को भी घात पाती ही करना चाहिए ?

उ०—असंभव, ये भी बिना प्रतिघात के प्रवेश कर लेते हैं। यहाँ अप्रतिघात का मतलब लोकान्त पर्यन्त अव्याहत गति से है। और आदारिक अव्याहत गति वाले हैं, पर तैजस, कार्मण की तरफ लोक में नहीं, किन्तु लोक के खास भाग में अर्थात् अरुणादी में (१)।

मत के अनुसार-अन्तराल 'गति' में सिर्फ कर्मण शरीर होता है। अतएक
उ समय एक शरीर का पाया जाना संभव है।

प्र०—जो यह कहा गया कि वैक्य और आहारक इन दो लब्धियों
युगपत्—एक साथ प्रयोग नहीं होता इसका क्या कारण ?

उ०—वैक्यलब्धि के प्रयोग के समय और लब्धि से शरीर बना
ने पर नियम से प्रमत्त दशा होती है। परन्तु आहारक के विषय में ऐसा
नहीं है; क्योंकि आहारक लब्धि का प्रयोग तो प्रमत्त दशा में होता है।
उससे शरीर बना लेने के बाद शुद्ध अध्यवसाय संभव होने के कारण
प्रमत्तभाव पाया जाता है; जिससे उक्त दो लब्धियों का प्रयोग एक साथ
संभव है। सारांश यह है कि युगपत् पाँच शरीरों का न होना कहा गया है,
आविर्भाव की अपेक्षा से। शक्ति रूपसे तो पाँच भी हो सकते हैं; क्योंकि
आहारक लब्धि वाले मुनि के वैक्य लब्धि होना भी संभव है। ४४।

प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई प्रयोजन होता है। इसलिए शरीर
सप्रयोजन होने ही चाहिए; पर उनका मुख्य प्रयोजन क्या है और वह
सब शरीरों के लिए समान है या कुछ विशेषता भी है ?
प्रयोजन यह प्रश्न होता है। इसीका उत्तर यहाँ दिया गया है।

शरीर का मुख्य प्रयोजन उपभोग है जो पहले चार शरीरों से सिद्ध होता
है। सिर्फ अन्तिम—कर्मण शरीर से सिद्ध नहीं होता, इसीसे उसको निरु-
पभोग कहा है।

प्र०—उपभोग का मतलब क्या है ?

उ०—कर्ण आदि इन्द्रियों से शुभ-अशुभ शब्द आदि विषय ग्रहण
करके सुख-दुःख का अनुभव करना; हाथ, पाँव आदि अवयवों से दान,
सिखा आदि शुभ-अशुभ कर्म का बंध करना; ब्रह्मकर्म के शुभ-अशुभ विपाक

१. यह विचार अ० २, सूत्र ४४ की भाष्यवृत्ति में है।

शरीर हो सकते हैं ? इसका उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है। एक साथ एक संसारी जीव के कम से कम दो और अधिक से अधिक शरीर तक हो सकते हैं, पाँच कभी नहीं होते। जब दो होते हैं, तब देह और कामर्ण; क्योंकि ये दोनों यावत्-संसार भावी है। ऐसी स्थिति मनुष्य गति में ही पाई जाती है; क्योंकि उस समय अन्य कोई भी शरीर नहीं होता। जब तीन होते हैं तब तैजस, कामर्ण और औदारिक पाए जाते हैं, कामर्ण और वैक्रिय। पहला प्रकार मनुष्य, तिर्यग में और दूसरा प्रकार नारक में जन्मकाल से लेकर मरण पर्यन्त पाया जाता है। जब चार होते हैं तब तैजस, कामर्ण, औदारिक और वैक्रिय अथवा तैजस, कामर्ण, औदारिक और आहारक। पहला विकल्प वैक्रिय लब्धि के प्रयोग के समय ही मनुष्य तथा तिर्यचों में पाया जाता है। दूसरा विकल्प आहारक लब्धि के प्रयोग के समय चतुर्दशपूर्वा मुनि में ही होता है। पाँच शरीर एक साथ किसी के भी नहीं होते, क्योंकि वैक्रिय लब्धि और आहारक लब्धि के प्रयोग एक साथ संभव नहीं है।

७०—उक्त रांति से दो, तीन या चार शरीर जब हों तब एक साथ एक ही समय में एक जीव का संबन्ध कैसे घट सकेगा ?

उ०—जैसे एक ही प्रदीप का प्रकाश एक साथ अनेक वस्तुओं पर पड़ सकता है, वैसे एक ही जीव के प्रदेश अनेक शरीरों के साथ संबन्ध रूप से संबद्ध हो सकते हैं।

प्र०—क्या किसी के भी कोई एक ही शरीर नहीं होता ?

उ०—नहीं। सामान्य सिद्धान्त ऐसा है कि तैजस, कामर्ण और औदारिक शरीर कभी अलग नहीं होते। अतएव कोई एक शरीर कभी नहीं हो सकता, पर किसी आचार्य का ऐसा मत है कि तैजस शरीर कामर्ण ही है या यावत्-संसार भावी नहीं है, यह आहारक की तरह लब्धिजन्य ही है।

१. यह मत भाष्य में निर्दिष्ट है, देखो अ० २, सू० ४६।

शरीर सहायक न हों तब तक अकेले कर्मण शरीर से उक्त प्रकार का उपभोग साध्य नहीं हो सकता; अर्थात् उक्त विशिष्ट उपभोग को सिद्ध करने के लिये साक्षात् साधन औदारिक आदि चार शरीर हैं। इसीसे वे सोपभोग कहिये गए हैं; और परम्परया साधन होने से कर्मण को निरूपभोग कहा।

। ४५ ।

अन्त में एक यह भी प्रश्न होता है कि कितने शरीर जन्मसिद्ध हैं और कितने कृत्रिम? तथा जन्मसिद्ध में कौनसा शरीर किस जन्म से जन्मसिद्धता और पैदा होता है और कृत्रिम का कारण क्या है? इसीका कृत्रिमता उत्तर चार सूत्रों में दिया गया है।

१. तैजस और कर्मण ये दो न तो जन्मसिद्ध हैं और न कृत्रिम। अर्थात् वे जन्म के बाद भी होनेवाले हैं फिर भी वे अनादि संबद्ध हैं। औदारिक जन्मसिद्ध ही है, जो गर्भ तथा सम्मूर्च्छन इन दो जन्मों से पैदा होता है तथा जिसके स्वामी मनुष्य और तिर्यच ही हैं। वैक्रिय शरीर जन्मसिद्ध और कृत्रिम दो प्रकार का है। जो जन्मसिद्ध है वह उपपात जन्म के द्वारा पैदा होता है और देवों तथा नारकों के ही होता है। कृत्रिम वैक्रिय का कारण लब्धि है। लब्धि एक प्रकार की तपोजन्य शक्ति है; जो कुछ ही गर्भज मनुष्यों और तिर्यचों में संभव है। इसलिए ही लब्धि से होने वाले वैक्रिय शरीर के अधिकारी गर्भज मनुष्य और तिर्यच ही हो सकते हैं। कृत्रिम वैक्रिय की कारणभूत एक दूसरे प्रकार की भी लब्धि मानी गई है, जो तपोजन्य न होकर जन्म से ही मिलती है। ऐसी लब्धि कुछ बादर वायुकायिक जीवों में ही मानी गई है। इससे वे भी लब्धिजन्य—कृत्रिम वैक्रियशरीर के अधिकारी हैं। आहारकशरीर कृत्रिम ही है। इसका कारण विशिष्ट लब्धि ही है; जो,

का अनुभव करना, पवित्र अनुष्ठान द्वारा कर्म की निवृत्ति-सुख
सब उपभोग कहलाता है ।

प्र०—औदारिक, वैकिय और आहारक शरीर सेन्द्रिय
हैं, इसलिए उक्त प्रकार का उपभोग उनसे साध्य हो सकता है ।
शरीर जो न तो सेन्द्रिय है और न सावयव है, उससे उक्त
होना कैसे संभव है ?

उ०—यद्यपि तैजस शरीर सेन्द्रिय और सावयव-रूप
नहीं है, तथापि उसका उपयोग पाचन आदि ऐसे कार्य में हो सकता
जिससे सुख-दुःख का अनुभव आदि उक्त उपभोग सिद्ध हो सकता है ।
उसका अन्य कार्य शाप और अनुग्रह रूप भी है । अर्थात् अन्य
आदि कार्य में तैजस शरीर का उपयोग तो सब कोर कर देता है, जो
विशिष्ट तपस्वी तपस्याजन्य खास लब्धि प्राप्त कर लेते हैं वे पुनः
उस शरीर द्वारा अपने कोपमाजन को जला तक सकते हैं और प्रकृत
उस शरीर से अपने अनुग्रह प्राप्त को शान्ति भी पहुँचा सकते हैं ।
तैजस शरीर का शाप, अनुग्रह आदि में उपयोग हो करने से
दुःख का अनुभव, शुभाशुभ कर्म का शान्ति आदि उक्त उपभोग
माना गया है ।

प्र०—ऐसी शरीरों से देना जाय तो कार्मण शरीर को कि
के समान ही सेन्द्रिय और सावयव नहीं है, उसका भी उपभोग
क्योंकि वही अन्य सब शरीरों की लक्ष्य है । इसलिए अन्य कर्म
उपभोग असल में कार्मण का ही उपभोग माना जाना चाहिए कि
निरुपभोग क्यों कहा ?

उ०—टीक है, उक्त शक्ति से कार्मण भी कोपजन्य कर्म
यहाँ उभे निरुपभोग कहने का अभिप्राय इतना ही है कि उक्त कर्म

शरीर सहायक न हों तब तक अकेले कर्मण शरीर से उक्त प्रकार का उपभोग साध्य नहीं हो सकता; अर्थात् उक्त विशिष्ट उपभोग को सिद्ध करने के लिये साक्षात् साधन औदारिक आदि चार शरीर हैं। इसीसे वे सोपभोग सिद्ध हो गए हैं; और परम्परया साधन होने से कर्मण को निरुपभोग कहा।

१४५।

अन्त में एक यह भी प्रश्न होता है कि कितने शरीर जन्मसिद्ध हैं और कितने कृत्रिम? तथा जन्मसिद्ध में कौनसा शरीर किस जन्म से जन्मसिद्धता और पैदा होता है और कृत्रिम का कारण क्या है? इसका उत्तर चार सूत्रों में दिया गया है।

तैजस और कर्मण ये दो न तो जन्मसिद्ध हैं और न कृत्रिम। अर्थात् वे जन्म के बाद भी होनेवाले हैं फिर भी वे अनादि संबद्ध हैं। औदारिक जन्मसिद्ध ही है, जो गर्भ तथा सम्मूर्छन इन दो जन्मों से पैदा होता है तथा त्रिसके स्वामी मनुष्य और तिर्यच ही हैं। वैक्रिय शरीर जन्मसिद्ध और कृत्रिम दो प्रकार का है। जो जन्मसिद्ध है वह उपपात जन्म के द्वारा पैदा होता है और देवों तथा नारकों के ही होता है। तैजस वैक्रिय का कारण लब्धि है। लब्धि एक प्रकार की तपोजन्य शक्ति है जो कुछ ही गर्भज मनुष्यों और तिर्यचों में संभव है। इसलिए तैजस लब्धि से होने वाले वैक्रिय शरीर के अधिकारी गर्भज मनुष्य और तिर्यच ही हो सकते हैं। कृत्रिम वैक्रिय की कारणभूत एक दूसरे शरीर की भी लब्धि मानी गई है, जो तपोजन्य न होकर जन्म से ही मिलती है। ऐसी लब्धि कुछ बादर वायुकायिक जीवों में ही मानी गई है। इससे वे भी लब्धिजन्य—कृत्रिम वैक्रियशरीर के अधिकारी हैं। औदारिकशरीर कृत्रिम ही है। इसका कारण विशिष्ट लब्धि ही है; जो

मनुष्य के सिवा अन्य जाति में नहीं होती और मनुष्य में संकेत मुनि के ही होती है ।

प्र०—कौन से विशिष्ट मुनि ?

उ०—चतुर्दशपूर्वपाठी ।

प्र०—वे उस लब्धि का प्रयोग कब और किस लिए करते हैं ?

उ०—किसी सूक्ष्म विषय में संदेह होने पर संदेह निवारण के लिए ही अर्थात् जब कभी किसी चतुर्दशपूर्वों को मान लिये संदेह हो और सर्वश का सन्निधान न हो तब वे औदारिक शरीर क्षेत्रान्तर में जाना असंभव समझ कर अपनी विशिष्ट लब्धि का प्रयोग करते हैं और हस्तप्रमाण छोटा-सा शरीर बनाते हैं, जो शुभ पुत्र-पत्नी से सुन्दर होता है, प्रशस्त उद्देश्य से बनाये जाने के कारण निम्नलिखित है और अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण अव्यापारिता अर्थात् किसी को छूने वाला या किसी से रुकने वाला नहीं होता । ऐसे शरीर से वे क्षेत्रों में सर्वश के पास पहुँच कर उनसे संदेह निवारण कर फिर अपने स्वयं-वापिस आ जाते हैं । यह कार्य सिर्फ अंतर्मुहूर्त में ही होता है ।

प्र०—भौर कोई शरीर लब्धिजन्य नहीं है ?

उ०—नहीं ।

प्र०—चाप और अनुप्रद के द्वारा तैजस का जो उन्मोक्त रूप बनाया उससे तो वह लब्धिजन्य स्पष्ट मान्य होता है फिर भी लब्धिजन्य नहीं है, सो क्यों ?

उ०—यहाँ लब्धिजन्य का मतलब उन्मोक्त से है, प्रयोग में ही तैजस की उत्पत्ति लब्धि से नहीं होती, उसे वैकिर और अन्तर्गत होती है; पर उसका प्रयोग कभी लब्धि में किया जाता है । इसी प्रकार से तैजस को यहाँ लब्धिजन्य—व्यभिचय नहीं कहा । ४६-११ ।

वेद-लिंग विभाग—

नारकसम्भूर्छिनो नपुंसकानि । ५० ।

न देवाः । ५१ ।

नारक और सम्भूर्छिम नपुंसक ही होते हैं ।

देव नपुंसक नहीं होते ।

शरीरों का वर्णन हो चुकने के बाद लिंग का प्रश्न होता है । इसी का स्पष्टीकरण यहाँ किया गया है । लिंग, चिह्न को कहते हैं । वह तीन प्रकार का पाया जाता है । यह बात पहले औदयिक भावों की संख्या बतलाते समय कही जा चुकी है । तीन लिंग ये हैं—पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग । लिंग का दूसरा नाम वेद भी है । ये तीनों वेद द्रव्य और भाव रूप से दो दो प्रकार के हैं । द्रव्यवेद का मतलब ऊपर के चिह्न से है और भाववेद का मतलब अभिलाषा विशेष से है । १. जिस चिह्न से पुरुष की पहचान होती है वह द्रव्य पुरुषवेद है और स्त्री के संसर्ग सुख की अभिलाषा भाव पुरुषवेद है । २. स्त्री की पहचान का साधन द्रव्य स्त्रीवेद और पुरुष के संसर्ग सुख की अभिलाषा का भाव स्त्रीवेद है । ३. जिसमें कुछ स्त्री के चिह्न और कुछ पुरुष के चिह्न हों वह द्रव्य नपुंसकवेद और स्त्री पुरुष दोनों के संसर्ग सुख की अभिलाषा भाव नपुंसकवेद है । द्रव्य-वेद पौद्गलिक आकृति रूप है जो नाम कर्म के उदय का फल है । भाव-वेद एक प्रकार का मनोविकार है, जो मोहनीय कर्म के उदय का फल है । द्रव्यवेद और भाववेद के बीच साध्य-साधन या पोष्य-पोषक का संबन्ध है ।

१. देखो अ० २, सू० ६ ।

२. द्रव्य और भाव वेद का पारस्परिक संबन्ध तथा तत्संबन्धी अन्य आवश्यक बातें जानने के लिए देखो, हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ पृ० ५३ की टिप्पणियाँ ।

नारक और सम्पूर्ण जीवों के नपुंसक वेद होता है। वही नपुंसक वेद नहीं होता, शेष दो होते हैं। चार्वाक के मत विभाग गर्भज मनुष्यों तथा तिर्यचों के तीनों वेद हो सकते हैं।

पुरुषवेद का विकार सब से कम स्थायी होता है। उसके लंबे का विकार अधिक स्थायी और नपुंसक वेद का विकार की तरतमता स्त्रीवेद के विकार से भी अधिक स्थायी होता है। यद्वात उपमान के द्वारा इस तरह समझाई गई है—

पुरुषवेद का विकार घास की अग्नि के समान है, जो शीघ्र लपट हो जाता है और प्रकट भी शीघ्र होता है। स्त्रीवेद का विकार अंगोरे के समान है जो जल्दी शान्त नहीं होता और प्रकट भी जल्दी नहीं होता। नपुंसक वेद का विकार संताप ईंट के समान है जो बहुत देर में लपट होता है।

स्त्री में कोमल भाव मुख्य है जिसे फटोर तारव की अनेक राशियाँ हैं। पुरुष में फटोर भाव मुख्य है जिसे कोमल तारव की अनेक राशियाँ हैं। पर नपुंसक में दोनों भावों का मिश्रण होने से दोनों तारवों की अनेक राशियाँ रहती हैं। ५०, ५१।

आयुष के प्रकार और उनके स्वामी—

औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषाऽसंख्येयवर्षीयुषोऽनन्तयुषः । ५२ ।

औपपातिक (नारक और देव), चरम शरीरी, उत्तम पुरुष के असंख्यवर्षवर्षीयों के अनन्तवर्षीय आयु वाले ही होते हैं।

सुख आदि वित्त में हगारों रहनेवाले नौजवानों को एक मात्र मनुष्य देखकर और बूढ़े तथा जर्जर देह वालों को भी भयानक भयानक के रूप में

खरक यह संदेह होता है कि क्या अकाल मृत्यु भी है ? जिस से अनेक प्राणि एक साथ मर जाते हैं और कोई नहीं भी मरता; इसका उत्तर और ना में यहाँ दिया गया है ।

आयु दो प्रकार की है—अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय । जो आयु बन्धकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले ही शीघ्र भोगी जा सके वह अपवर्तनीय और जो आयु बन्धकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले भोगी जा सके वह अनपवर्तनीय; अर्थात् जिसका भोगकाल बन्धकालीन स्थितिमर्यादा से कम हो वह अपवर्तनीय और जिसका भोगकाल उक्त मर्यादा के बराबर ही हो वह अनपवर्तनीय आयु कही जाती है ।

अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय आयु का बन्ध स्वाभाविक नहीं ; किन्तु परिणाम के तारतम्य पर अवलम्बित है । भावी जन्म की आयु वर्तमान जन्म में निर्माण की जाती है । उस समय अगर परिणाम मन्द हो तो आयुका बन्ध शिथिल हो जाता है जिससे निमित्त मिलने पर बन्धकालीन कालमर्यादा घट जाती है । इसके विपरीत अगर परिणाम तीव्र हो तो आयु का बन्ध गाढ़ होता है, जिससे निमित्त मिलने पर भी बन्धकालीन कालमर्यादा नहीं घटती और न आयु एक साथ ही भोगी जा सकती है । जैसे, अत्यन्त दृढ़ होकर खड़े हुए पुरुषों की पंक्ति अभेद्य और शिथिल होकर खड़े हुए पुरुषों की पंक्ति भेद्य होती है; अथवा जैसे घघन घोए हुए बीजों के पौधे पशुओं के लिए दुष्प्रवेश्य और विरल विरल घोए हुए बीजों के पौधे उनके लिए सुप्रवेश्य होते हैं; वैसे ही तीव्र परिणाम से गाढ़ रूपसे बद्ध आयु शस्त्र-विष आदि का प्रयोग होने पर भी अपनी नियत कालमर्यादा से पहले पूर्ण नहीं होती और मन्द परिणाम से शिथिल रूप से बद्ध आयु उक्त प्रयोग होते ही अपनी नियत कालमर्यादा समाप्त होने के पहले ही अंतर्मुहूर्त्त मात्र में भोग ली जाती है । आयु के द्य

शीघ्र भोग को ही अपवर्तना या अकाल मृत्यु कहते हैं और निराला भोग को अनपवर्तना या कालमृत्यु कहते हैं। अपवर्तनीय आयु उपक्रम सहित ही होती है। तीव्र रात्र, तीव्र विष, तीव्र स्नेह जिन निमित्तों से अकाल मृत्यु होती है उन निमित्तों का प्रायः ही उपक्रम दे। ऐसा उपक्रम अपवर्तनीय आयु के अवस्य होता है; क्योंकि आयु नियम से कालमर्यादा समाप्त होने के पहले ही भोगने लगती है। परन्तु अनपवर्तनीय आयु उपक्रम और निरुपक्रम दो प्रकार की होती है अर्थात् उस आयु को अकालमृत्यु लगाने वाले उक्त निमित्तों से संनिधान होता भी है और नहीं भी होता। उक्त निमित्तों का संनिधान पर भी अनपवर्तनीय आयु नियत कालमर्यादा के पहले पूर्ण नहीं होता। सारांश यह कि अपवर्तनीय आयु वाले प्राणियों को शत्रु और कोई निमित्त मिल ही जाता है; जिससे वे अकाल में ही मर जाते हैं। अनपवर्तनीय आयु वालों को कैसा भी प्रयत्न निमित्त नहीं मिलता अकाल में नहीं मरते।

उपपात जन्मवाले नारक और देव ही होते हैं। परमेश्वर उत्तमपुरुष मनुष्य ही होते हैं। बिना जन्मान्तर किये उन्हीं परमेश्वर को पाने वाले चरमदेह कहलाते हैं। तर्पिन्धर, चण्डाल, उन्मत्त, जापिहारी आदि उत्तमपुरुष कहलाते हैं। असंख्यात पर्यन्ती मनुष्य और कुछ तिर्यक ही होते हैं। इनमें से औपचारिक और मनुष्य पर्यन्ती निरुपक्रम अनपवर्तनीय आयु वाले ही होते हैं। नरक में उत्तमपुरुष उपक्रम अनपवर्तनीय तथा निरुपक्रम अनपवर्तनीय

१. असंख्यात पर्यन्ती मनुष्य तथा अकर्मभूमियों, जन्म मरने और कर्मभूमियों में उत्तम सुगन्धिक ही हैं। परन्तु सर्वत्र ही तिर्यक तो उक्त दोनों के अलावा धार शीघ्र के चण्ड के ही मृत्यु में पाने जाते हैं।

श्री आयु वाले होते हैं। इनके अतिरिक्त दोष सभी मनुष्य, तिर्यंच वर्तनीय आयु वाले पाये जाते हैं।

प्र०—नियत कालमर्यादा के पहले आयु का भोग हो जाने से श, अकृतागम और निष्फलता ये दोष लगेंगे, जो शास्त्र में इष्ट नहीं नका निवारण कैसे होगा ?

उ०—शीघ्र भोग होने में उक्त दोष नहीं हैं, क्योंकि जो कर्म जल तक भोगा जा सकता है, वही एक साथ भोग लिया जाता है, कोई भी भाग बिना विपाकानुभव किये नहीं छूटता। इसलिए न तत्कर्म का नाश है और न बद्धकर्म की निष्फलता ही है। इसी कर्मानुसार आने वाली मृत्यु ही आती है; अतएव अकृतकर्म का भोग भी नहीं है। जैसे घास की सघन राशि में एक तरफ से छोटा कण छोड़ दिया जाय, तो वह अभिकण एक एक तिनके को क्रमशः जलाते उस सारी राशि को विलम्ब से जला सकता है। वे ही कण घास की शिथिल और विरल राशि में चारों ओर से छोड़ दिये, तो एक साथ उसे जला डालते हैं।

इसी बात को विशेष स्फुट करने के लिए शास्त्र में और भी दो अन्त दिये गए हैं: पहला गणितक्रिया का और दूसरा वस्त्र सुखाने का। किसी विशिष्ट संख्या का लघुतम छेद निकालना हो, तो इसके लिए अतप्रक्रिया में अनेक उपाय हैं। निपुण गणितज्ञ अभीष्ट फल निकालने लिए एक ऐसी रीति का उपयोग करता है, जिससे बहुत ही शीघ्र अभीष्ट परिणाम निकल आता है और दूसरा साधारण जानकार अल्प भागाकार आदि विलम्ब-साध्य क्रिया से देरी से अभीष्ट परिणाम पाता है। परिणाम तुल्य होने पर भी दक्ष गणितज्ञ उसे शीघ्र निकाल पाता है और साधारण गणितज्ञ देरी से निकाल पाता है। इसी तरह से

समान रूप में भीगे हुए दो कपड़ों में से एक को समेकित करने को फैलाकर मुलाया जाय तो पहला देरी से सूखेगा और दूसरा पानी का परिणाम और क्षोषणक्रिया समान होने पर भी सूखेगा और विस्तार के कारण उसके सोखने में देरी और जल्दी का अन्तर है। समान परिमाण गुण अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय भावों में भी सिर्फ देरी और जल्दी का ही अन्तर पड़ता है। सूखने का नाश आदि उक्त दोष नहीं आते। ५२।

तीसरा अध्याय

दूसरे अध्याय में गति की अपेक्षा से संसारी जीव के नारक, मनुष्य, देव और देव ऐसे जो चार प्रकार कहे गए हैं; उनका स्थान, आयु, आहारा आदि के वर्णन द्वारा विशेष स्वरूप तीसरे और चौथे अध्याय में बताया है। तीसरे अध्याय में नारक, तिर्यच और मनुष्य या वर्णन है चौथे में देव का।

नारकों का वर्णन—

रत्नशर्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमःप्रभाभूमयो घना-
म्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः पृथुतराः । १ ।

तासु नरकाः । २ ।

नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । ३ ।

परस्परोदीरितदुःखाः । ४ ।

संछिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः । ५ ।

तेश्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाः

सत्त्वानां परा स्थितिः । ६ ।

रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा महातमःप्रभा ये सात भूमियाँ हैं। ये भूमियाँ घनाम्बु, वात और काश पर स्थित हैं, एक दूसरे के नीचे हैं और नीचे की ओर अधिक अधिक विस्तीर्ण हैं।

उन भूमियों में नरक हैं।

ये नरक नित्य—निरन्तर अशुभतर लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और विक्रिया वाले हैं।

समान रूप में भीगे हुए दो कपड़ों में से एक को समेट कर
 को फैलाकर सुखाया जाय तो पहला देरी से सूखेगा और
 पानी का परिणाम और शोषणक्रिया समान होने पर भी कपड़े
 और विस्तार के कारण उसके सोखने में देरी और जल्दी का अन्तर
 है। समान परिमाण युक्त अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय आसु
 में भी सिर्फ देरी और जल्दी का ही अन्तर पड़ता है।
 का नाश आदि उक्त दोष नहीं आते। ५२।

तीसरा अध्याय

दूसरे अध्याय में गति की अपेक्षा से संसारी जीव के नारक, मनुष्य, देव और देव ऐसे जो चार प्रकार कहे गए हैं; उनका स्थान, आयु, आदिना आदि के वर्णन द्वारा विशेष स्वरूप तीसरे और चौथे अध्याय खाना है। तीसरे अध्याय में नारक, तिर्यच और मनुष्य या वर्णन है चौथे में देव का।

नारकों का वर्णन—

रत्नशर्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमःप्रभाभूमयो घना-
म्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः पृथुतराः । १ ।

तासु नरकाः । २ ।

नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाधिक्रियाः । ३ ।

परस्परोदीरितदुःखाः । ४ ।

संछिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः । ५ ।

तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाः

सत्त्वानां परा स्थितिः । ६ ।

रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा
महातमःप्रभा ये सात भूमियाँ हैं। ये भूमियाँ घनाम्बु, वात और
काश पर स्थित हैं, एक दूसरे के नीचे हैं और नीचे की ओर अधिक
धेरु विस्तीर्ण हैं।

उन भूमियों में नरक हैं।

ये नरक नित्य—निरन्तर अशुभतर लेश्या, परिणाम, देह, वेदना
रि विक्रिया वाले हैं।

चौथी की एक लाख बीस हजार, पाँचवीं की एक लाख अठ्ठाईस हजार छठी की एक लाख सोलह हजार तथा सातवीं की मोटाई एक लाख नौ हजार योजन है। सातों भूमियों के नीचे जो सात घनोदधि इतने-उतने उन सबकी मोटाई बराबर अर्थात् बीस बीस हजार योजन है और जो षट् घनवात तथा सात तनुवात बलय हैं; उनकी मोटाई सामान्य रूप से असंख्यात योजन-प्रमाण होने पर भी आपस में तुल्य नहीं है, अर्थात् एक भूमि के नीचे के घनवात बलय तथा तनुवात बलय की असंख्यात योजन प्रमाण मोटाई से, दूसरी भूमि के नीचे के घनवात बलय तनुवात बलय असंख्यात योजन प्रमाण मोटाई विशेष है। इसी क्रम से उत्तरोत्तर ऊपर भूमि के घनवात-तनुवात बलय से सातवीं भूमि के घनवात-तनुवात बलय मोटाई विशेष विशेष है। यही बात आकाश के बारे में भी समझें।

पहली भूमि रत्नप्रधान होने से रत्नप्रभा कहलाती है। इसी प्रकार शर्करा- (शक्कर) के सदृश होने से दूसरी शर्कराप्रभा है। वालुका-पत्थर की मुख्यता से तीसरी वालुकाप्रभा है। पद्म-कीचड़ की अधिकता से चौथी पद्मप्रभा है। धूम-धुएँ की अधिकता से पाँचवीं धूमप्रभा है। तमः-अंधेरे की विशेषता से छठी तमःप्रभा और महातमः-घन अन्धकार की प्रचुरता से सातवीं भूमि महातमःप्रभा कहलाती है। इन सातों के नाम क्रमशः घर्मा, वंशा, शैला, अजना, रिष्टा, माघव्या और मापवी हैं।

रत्नप्रभा भूमि के तीन काण्ड-हिस्से हैं। सबसे ऊपर का प्रथम खरकाण्ड रत्नप्रचुर है, जो मोटाई में १६ हजार योजन प्रमाण है। उसके नीचे का दूसरा काण्ड पद्मचहुल है, जो मोटाई में ८४ हजार योजन है। उसके नीचे का तीसरा काण्ड जलचहुल है, जो मोटाई में ८० हजार योजन है। तीनों काण्डों की मोटाई मिलाने से १ लाख ८० हजार योजन होती है। दूसरी से लेकर सातवीं भूमि तक ऐसे काण्ड नहीं हैं; क्योंकि उन-

रा, पालुका आदि जो जो पदार्थ हैं वे सब जगह एक से हैं। रत्नप्रभा प्रथम काण्ड दूसरे पर और दूसरा काण्ड तीसरे पर स्थित है। तीसरा काण्ड घनोदधि बलय पर, घनोदधि घनवात बलय पर, घनवात तनुवात बलय पर, तनुवात आकाश पर प्रतिष्ठित है; परन्तु आकाश किसी पर स्थित नहीं है। यह आत्म-प्रतिष्ठित है, क्योंकि आकाश का स्वभाव ही ऐसा है; उसे उसको दूसरे आधार की अपेक्षा नहीं रहती। दूसरी भूमि का आधार घनोदधि बलय है, वह बलय अपने नीचे के घनवात बलय पर स्थित है, तनुवात अपने नीचे के तनुवात के आश्रित है, तनुवात नीचे के आकाश पर प्रतिष्ठित है और आकाश स्वाश्रित है। यही क्रम सातवीं भूमि तक की हर भूमि और उसके घनोदधि बलय की स्थिति के सम्बन्ध में बताना चाहिए।

ऊपर ऊपर की भूमि से नीचे नीचे की भूमिका बाहुल्य कम होने भी उनका विष्कम्भ आयाम अधिक अधिक बढ़ता ही जाता है; इसलिए नरकावासों का संस्थान छत्रातिछत्र के समान अर्थात् उत्तरोत्तर पृथु—विस्तीर्ण, उत्तर कहा गया है। १।

सातों भूमियों की जितनी जितनी मोटाई ऊपर कही गई है, उसके पर तथा नीचे का एक एक हजार योजन छोड़कर बाकी के मध्यभाग में नरकावास हैं; जैसे रत्नप्रभा की एक लाख अस्सी हजार योजन की मोटाई से ऊपर-नीचे का एक एक हजार योजन छोड़ कर बीच के एक लाख अठारह हजार योजन प्रमाण भाग में नरक हैं। यही कम सातवीं भूमि का समझा जाय। नरकों के रौरव, रौद्र, घातन, शोचन आदि अशुभ नाम हैं; जिनको सुनने से ही भय होता है। रत्नप्रभागत सीमान्तक नाम है नरकावास से लेकर महातमःप्रभागत अप्रतिष्ठान नामक नरकावास तक के सभी नरकावास वज्र के छुरे के सदृश तल वाले हैं। संस्थान—आकार

सबका एक सा नहीं है; कुछ, गोल कुछ त्रिकोण, कुछ चतुर्भुज, कुछ षोडशै जैसे, कुछ लोहे के घड़े जैसे; इस तरह भिन्न भिन्न प्रकारों में प्रस्तर—प्रस्तर जो मंजिल वाले घर के तले के समान हैं; उनमें से प्रत्येक प्रकार है—रत्नप्रभा में तेरह प्रस्तर हैं, शर्कराप्रभा में ग्यारह। प्रत्येक प्रकार नीचे की हर एक भूमि में दो-दो घटाने से सातवीं महतनःप्रभा में एक ही प्रस्तर है; इन्हीं प्रस्तरों में नरक हैं।

प्रथम भूमि में तीस लाख, दूसरी में पच्चीस लाख, तीसरी में बीस लाख, चौथी में दस लाख, पाँचवीं में तीन लाख, छठी में पाँच कम एक लाख और सातवीं में सिर्फ पाँच नरकावास हैं।

प्र०—प्रस्तरों में नरक कहने का क्या मतलब है ?

उ०—एक प्रस्तर और दूसरे प्रस्तर के बीच जो अन्तर है, उसमें नरक नहीं हैं; किन्तु हर एक प्रस्तर की मोटाई जो तीन हजार योजन की मानी गई है, उसी में ये विविध संस्थान नरक हैं।

प्र०—नरक और नारक का क्या संबन्ध है ?

उ०—नारक जीव हैं और नरक उनके स्थान का नाम है। नामक स्थान के संबन्ध से ही वे जीव नारक कहलाते हैं। २।

पहली भूमि से दूसरी और दूसरी से तीसरी इसी तरह सातवीं तक के नरक अशुभ, अशुभतर, अशुभतम रचना वाले हैं। इसी उन नरकों में स्थित नारकों की लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और भी उत्तरोत्तर अधिक-अधिक अशुभ है।

रत्नप्रभा में कापोत लेश्या है। शर्कराप्रभा में भी कापोत लेश्या है, पर

लेश्या

रत्नप्रभा से अधिक तीव्र संज्ञेय वाली है। वाडुप्रभा में कापोत और नील लेश्या है। पद्मप्रभा में नील लेश्या है।

धूमप्रभा में नील-कृष्ण लेश्या है तमःप्रभामें कृष्णलेश्या है और महातमःप्रभा में भी कृष्ण लेश्या है, पर तमःप्रभा से तीव्रतम है ।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, शब्द, संस्थान आदि अनेक परिणाम प्रकार के पौद्गलिक परिणाम सातों भूमियों में उत्तरोत्तर अधिक अधिक अशुभ हैं ।

सातों भूमियों के नारकों के शरीर अशुभ नामकर्म के उदय से उत्तरोत्तर अधिक अधिक अशुभ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, शब्द, संस्थान वाले तथा अधिक अधिक अशुचि और व्रीभत्स हैं । शरीर

सातों भूमियों के नारकों की वेदना उत्तरोत्तर तीव्र होती है । पहली तीन भूमियों में उष्ण वेदना, चौथी में उष्ण-शीत, पाँचवीं में शीतोष्ण, छठी में शीत और सातवीं में शीततर वेदना है । यह उष्ण वेदना और शीत वेदना इतनी सख्त है कि इसे भोगने वाले नारक अगर मर्त्य लोक की सख्त गरमी या सख्त सरदी में आ जायें, तो उन्हें बड़े आराम से नींद आ सकती है ।

उनकी विक्रिया भी उत्तरोत्तर अशुभ होती है । वे दुःख से घबरा कर उससे छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर होता है उलटा । मुखका साधन सम्पादन करने में उनको दुःख के साधन ही विक्रिया प्राप्त होते हैं । वे वैक्रियलब्धि से व्रताने लगते हैं कुछ शुभ, पर व्रत जाता है अशुभ ।

प्र०—लेश्या आदि अशुभतर भावों को नित्य कहने का क्या मतलब है ?

उ०—नित्य का मतलब निरन्तर है । गति, जाति, शरीर और अज्ञोपाह्न नामकर्म के उदय से नरक गति में लेश्या आदि भाव जीवन पर्यन्त अशुभ ही व्रते रहते हैं; बीच में एक पल के लिए भी अन्तर नहीं पड़ता और न कभी शुभ ही होते हैं । ३१

एक तो नष्टक में क्षेत्र-स्वभाव से सरदी गरमी का भयंकर दुःख ही, भूख-प्यास का दुःख तो और भी भयंकर है। भूख का दुःख इतना अधिक है कि अग्नि की तरह सर्व भक्षण से भी शान्ति नहीं होती। कौआ भूख की ज्वाला और भी तेज हो जाती है। प्यास का कष्ट इतना अधिक है कि चाहे जितने जल से भी तृप्ति नहीं ही होती। इस दुःख के उदात्त बड़ा भारी दुःख तो उनको आपस के वैर और मारपीट से होता है, जैसे कौआ और उल्लू तथा सॉप और नेबला जन्म-शत्रु हैं; वैसे ही नारक जन्म-शत्रु हैं। इसलिए वे एक दूसरे को देखकर कुत्तों की तरह आपस में लड़ते हैं, काटते हैं और गुस्से से जलते हैं; इसीलिए परस्परजन्य दुःख वाले कहे गए हैं। ४।।

नारकों के तीन प्रकार की वेदना मानी गई है; जिसमें क्षेत्रस्वभाव जन्य और परस्परजन्य वेदना का वर्णन पहले किया गया है। तीसरी वेदना उत्कट अधर्म जनित है। पहली दो प्रकार की वेदना सती भूमियों में साधारण है। तीसरे प्रकार की वेदना सिर्फ पहली तीन भूमियों में होती है; क्योंकि उन्हीं भूमियों में परमाधार्मिक हैं। परमाधार्मिक एक प्रकार के असुर देव हैं, जो बहुत क्रूर स्वभाव वाले और पापरात होते हैं। इनकी अम्ब, अम्बरीष आदि पंद्रह जातियाँ हैं। वे स्वभाव से ही ऐसे निर्दय और कुतूहली होते हैं कि उन्हें दूसरों को सताने में ही आनन्द प्राप्त है। इसलिए वे नारकों को अनेक प्रकार के प्रहारों से दुःखी करते रहते हैं। उन्हें आपस में कुत्तों, भैसों और माहों की तरह लड़ाने हैं। आपस में उनको लड़ते, मार-पीट करते देखकर बहुत खुशी मनाते हैं। यद्यपि वे परमाधार्मिक एक प्रकार के देव हैं, उन्हें और भी अनेक सुख साधन प्राप्त हैं; तथापि पूर्वजन्म कृत तीन दोष के कारण उन्हें दूसरों को सताने में ही प्रसन्नता होती है। नारक भी बेचारे कर्मवश अशरण होकर सारा जीवन तीव्र वेदनाओं के अनुभव में ही व्यतीत करते हैं। वेदना जितनी ही सती

हो, पर नारकों को न तो कोई शरण है और अनपवर्तनीय—धीचमें कम
होनेवाली आयु के कारण न जीवन ही जल्दी समाप्त होता है । ५ ।

प्रत्येक गति के जीवों की स्थिति—आयुमर्यादा जघन्य और उत्कृष्टः
के तरह ने बतलाई जा सकती है । जिससे कम न पाई जा सके उसे
जघन्य और जिससे अधिक न पाई जा सके उसे उत्कृष्ट
नारकों की स्थिति कहते हैं । इस जगह नारकों की सिर्फ उत्कृष्ट स्थिति
का वर्णन है । उनकी जघन्य स्थिति आगे बतलाई जायगी । पहली में एक
सागरोपम की, दूसरी में तीन, तीसरी में सात, चौथी में दस, पाँचवीं में
त्रयोदश, छठी में बाईस और सातवीं में तेतीस सागरोपम की उत्कृष्ट आयु
की स्थिति है ।

यहाँ तक सामान्य रूप से अधोलोक का वर्णन पूरा होता है । इसमें
को बातें खास जान लेनी चाहिए—गति-आगति और द्वीप-समुद्र आदि का
सम्भव ।

असंज्ञी प्राणी मरकर पहली भूमि में उत्पन्न हो सकते हैं, आगे नहीं ।
भुजवरिसर्प पहली दो भूमि तक, पक्षी तीन भूमि तक, सिंह चार भूमि तक,
उरग पाँच भूमि तक, स्त्री छह भूमि तक और मत्स्य
गति तथा मनुष्य मरकर सात भूमि तक जा सकते हैं ।
सारास्य तिर्यंच और मनुष्य ही नरक भूमि में पैदा हो सकते हैं, देव और
नारक नहीं; इसका कारण यह है कि उनमें वैशे अध्ययसान का अभाव है ।
नारक मरकर फिर तुरन्त न तो नरक गति में ही पैदा होते हैं और न देव
गति में । वे सिर्फ तिर्यंच और मनुष्य गति में पैदा हो सकते हैं ।

पहली तीन भूमियों के नारक मनुष्य जन्म पाकर तीर्यङ्कर पद तक
प्राप्त कर सकते हैं । चार भूमियों के नारक मनुष्यत्व पाकर निर्वाण भी पा

आगति

सकते हैं। पाँच भूमियों के नारक मनुष्यपति में वन का लाभ ले सकते हैं। छह भूमियों से निकले हुए नारक देवविरति और सात भूमियों से निकले हुए सम्भव का लाभ कर सकते हैं।

रत्नप्रभा को छोड़कर बाकी की छह भूमियों में न तो द्वीप, कन्य पर्वत, सरोवर ही है; न गाँव, शहर आदि; न वृक्ष, लता आदि वनस्पति काय है; न द्वीन्द्रिय से लेकर पशुन्द्रिय पक्षी द्वीप, समुद्र आदि का समय तिर्यच; न मनुष्य हैं और न किसी प्रकार के देव हैं।

रत्नप्रभा को छोड़कर कहने का कारण यह है कि उक्त थोड़ा भाग मध्यलोक-तिरिछे लोक में सम्मिलित है; जिससे उसमें उक्त द्वीप, समुद्र, ग्राम, नगर, वनस्पति, तिर्यच, मनुष्य, देव पाये जा सकते हैं। रत्नप्रभा के सिवा शेष छह भूमियों में सिर्फ नारक और कुछ एकेन्द्रिय वन पाये जाते हैं। इस सामान्य नियम का भी अपवाद है; क्योंकि उन भूमियों में कभी किसी स्थान पर कुछ मनुष्य, देव और पशुन्द्रिय तिर्यच भी सम्भव है। मनुष्य तो इस अपेक्षा से सम्भव है कि केवली समुद्रात करने वाले मनुष्य सर्वलोक व्यापी होने से उन भूमियों में भी आत्मप्रदेश फैलाता है। इसके सिवा वैश्वलब्धि वाले मनुष्य की भी उन भूमियों तक पहुँच है। तिर्यचों की पहुँच भी उन भूमियों तक है; परन्तु यह सिर्फ वैश्वलब्धि की अपेक्षा से ही माना जाता है। देवों की पहुँच के विषय में यह बात है कि कुछ देव कभी कभी अपने पूर्व जन्म के मित्र नारकों के पास उन्हे दुःखमुक्त करने के उद्देश्य से जाते हैं। ऐसे जाने वाले देव भी सिर्फ तीन भूमियों तक जा सकते हैं, आगे नहीं। परमाधार्मिक जो एक प्रकार के देव और नरकपाल कहलाते हैं, जन्म से ही पहली तीन भूमियों में अन्य देव जन्म से सिर्फ पहली भूमि में पाए जा सकते हैं। ६।

मध्यलोक का वर्णन—

- जम्बूद्वीपलवणादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः । ७ ।
 द्विद्विविष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः । ८ ।
 तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजनशतसहस्राविष्कम्भो जम्बू-
 द्वीपः । ९ ।
 तत्र भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरप्यवतैरावतवर्षाः
 क्षेत्राणि । १० ।
 तद्विभांजिनः पूर्वपरायता हिमवन्महाहिमवन्निपधनील-
 रुक्मिणेशिखरिणो वर्षधरपर्वताः । ११ ।
 द्विर्घातकीखण्डे । १२ ।
 पुष्करार्धे च । १३ ।
 प्राङ् मानुषोत्तरान् मनुष्याः । १४ ।
 आर्या म्लेच्छाश्च । १५ ।
 भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरुत्तरकुरु-
 म्यः । १६ ।
 नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तमुद्दते । १७ ।
 तिर्यग्योनीनां च । १८ ।

जम्बूद्वीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप, तथा लवण आदि शुभ
 वाले समुद्र हैं ।

वे सभी द्वीप और समुद्र, वलय—चूड़ी जैसी आकृति वाले, पूर्व
 धो वेक्षित करने वाले और दूने दूने विष्कम्भ—ऽध्यास अर्थात् विस्तार
 हैं ।

उन सभ के बीच में जम्बूद्वीप है, जो वृत्त—गोल है इस विष्कम्भ वाला है और जिसके मध्य में मेघ पर्वत है।

जम्बूद्वीप में भरतवर्ष, हैमतवर्ष, हरिवर्ष, विदेशवर्ष, हैरण्यवतवर्ष, ऐरावतवर्ष ये सात क्षेत्र हैं।

उन क्षेत्रों को पृथक् करनेवाले और पूर्व-पश्चिम लगे ऐसे तीन महाहिमवान्, निषध, नील, रुक्मी, और शिखरी—ये छह पर्वत हैं।

घातकीखण्ड में पर्वत तथा क्षेत्र जम्बूद्वीप से दूने हैं।

पुष्कराधद्वीप में भी उतने ही हैं।

मानुषोत्तर नामक पर्वत के पहले तक ही मनुष्य हैं।

वे आर्य और म्लेच्छ हैं।

देवकुरु और उत्तरकुरु को छोड़ कर भरत, ऐरावत तथा हि सभी कर्म भूमियाँ हैं।

मनुष्यों की स्थिति—आयु उत्कृष्ट तीन पत्योपम तक और अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है।

तथा तिर्यंचों की स्थिति भी उतनी ही है।

मध्य लोक की आकृति क्षालर के समान द्वीप और समुद्र है। यही बात द्वीप-समुद्रों के वर्णन द्वारा स्पष्ट हुई है।

मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। वे क्रम से छोटे-छोटे बाद समुद्र और समुद्र के बाद द्वीप इस तरह अवस्थित हैं। इनका नाम शुभ ही है। यहाँ द्वीप-समुद्रों के विषय में व्यास, रचना आकृति ये तीन बातें बतलाई गई हैं; जिनसे मध्य लोक का आकार स्पष्ट हो जाता है।

जम्बूद्वीप का पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण विस्तार एक एक लाख मील है, लवणसमुद्र का उससे दूना है, घातकीखण्ड का लवणसमुद्र से, कालोदधि का घातकीखण्ड से, पुष्करवरद्वीप का कालोदधि से, पुष्करोदधि समुद्र का पुष्करवरद्वीप से विष्कम्भ दूना दूना है। विष्कम्भ का यही क्रम अन्त तक समझना चाहिए अर्थात् अंतिम द्वीप स्वयम्भूरमण से आखिरी समुद्र स्वयम्भूरमण का विष्कम्भ दूना है।

द्वीप-समुद्रों की रचना चक्री के पाट और उसके याल के समान है; अर्थात् जम्बूद्वीप लवणसमुद्र से वेष्टित है, लवणसमुद्र घातकीखण्ड से, घातकीखण्ड कालोदधि से; कालोदधि पुष्करवरद्वीप से और पुष्करवरद्वीप पुष्करोदधि से वेष्टित है। यही क्रम स्वयम्भूरमण पर पर्यन्त है।

जम्बूद्वीप याली जैसा गोल है और अन्य सब द्वीप-समुद्रों की आकृति बलय अर्थात् चूड़ी के समान है। ७, ८।

जम्बूद्वीप ऐसा द्वीप है, जो सबसे पहला और सब द्वीप-समुद्रों के बीच में है अर्थात् उसके द्वारा कोई द्वीप या समुद्र वेष्टित नहीं हुआ है।

जम्बूद्वीप का विष्कम्भ लाख योजना प्रमाण है। वह कुम्हार के चाक के समान गोल है, लवणादि की तरह बलयाकृति नहीं। उसके बीच में मेरु पर्वत है। मेरु पर्वत संक्षेप में इस प्रकार है—

मेरु की ऊँचाई एक लाख योजना है, जिसमें हजार योजना जितना जमीन में अर्थात् अदृश्य है। निम्नानुषे हजार योजना प्रमाण भाग जमीन के ऊपर है। जो हजार योजना प्रमाण भाग जमीन में है, उसकी ऊँचाई-चौड़ाई सब जगह दस हजार योजना प्रमाण है। पर बाहर के भाग ऊपर का अंश जहाँ से चूलिका निकलती है वह हजार हजार

प्रमाण लम्बा-चौड़ा है। मेरु के तीन काण्ड हैं। वह अवगाहित होकर रहा है और चार वनों से घिरा हुआ है। पहले हजार योजन प्रमाण है, जो जमीन में है। दूसरा त्रैलोक्य हजार योजन प्रमाण है, जो तीसरा छत्तीस हजार योजन प्रमाण है। पहले काण्ड में शुद्ध शक्कल, कंकड़ आदि की, दूसरे में चाँदी, स्फटिक आदि की और तीसरे में प्रचुरता है। चार वनों के नाम क्रमशः भद्रशाल, नन्दन, शोणित पाण्डुक हैं। लाख योजन की ऊँचाई के बाद सबसे ऊपर एक चूल्हा चोटी है, जो चालीस योजन ऊँची है; जो मूल में चारह योजन, चौथाठ योजन और ऊपर चार योजन प्रमाण लम्बी-चौड़ी है।

जम्बूद्वीप में मुख्यतया सात क्षेत्र हैं; जो वंश, वंश कहलाते हैं। इनमें पहला भरत है; जो दक्षिण की ओर है, भरत की ओर हैमवत, हैमवत के उत्तर में हरि, हरि के उत्तर में विरे, विरे के उत्तर में रम्यक, रम्यक के उत्तर में हेरण्यवत और हेरण्यवत के उत्तर में ऐरावतवर्ष है। व्यवहारसिद्धे दिशा के नियम के अनुसार मेरु पर्वत क्षेत्रों के उत्तर भाग में अवस्थित है।

सातों क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग करने वाले उनके वर्ष पर्वत हैं; जो वर्षधर कहलाते हैं। वे सभी पूर्व-पश्चिम लम्बे हैं। और हैमवत क्षेत्र के बीच हिमवान पर्वत है। हैमवत और हरि

१. दिशा का नियम सूर्य के उदयास्त पर निर्भर है। सूर्य उदय और मुख करके खड़े होने पर यदि तरफ उत्तरदिशा में मेरु पड़ता है। क्षेत्र में सूर्यास्त की जो दिशा है, ऐरावत क्षेत्र में वही सूर्योदय की है। इसलिए वहाँ भी सूर्योदय की ओर मुख करने से मेरु पर्वत दिशा में ही रहता है। इसी तरह से दूसरे क्षेत्रों में भी मेरु का उदय समझना चाहिए।

विभाजक महाहिमवान् है। हरिवर्ष और विदेह को जुदा करने वाला रघुपर्वत है। विदेह और रम्यक वर्ष को भिन्न करने वाला नीलपर्वत है। एक और हैरण्यवत को विभक्त करने वाला रुक्मी पर्वत है। हैरण्यवत र. ऐरावत के बीच विभाग करने वाला शिखरी पर्वत है।

ऊपर बताया हुए सातों क्षेत्र वाली के आकार वाले जम्बूद्वीप में पूर्व के र से पश्चिम के छोर तक विस्तृत लम्बे पट के रूप में एक के बाद एक ए हैं। विदेह क्षेत्र इन सबके मध्य में है; इसलिए मेरु पर्वत भी उस के बराबर मध्य में स्थित है। ऊपर बताया गया है कि विदेह क्षेत्र को एक क्षेत्र से नील पर्वत अलग करता है, और हरिवर्ष क्षेत्र को निपघपर्वत अलग करता है। विदेह क्षेत्र में मेरु और नीलपर्वत के बीच का चन्द्राकार भाग, जिसकी कि पूर्व-पश्चिम सीमा वहाँ के दो पर्वतों से घेरी होती है, वह उत्तरकुरु कहलाता है; और मेरु तथा निपघपर्वत के बीच का वैसा ही अर्धचन्द्राकार भाग देवकुरु कहलाता है। देवकुरु और उत्तरकुरु ये दोनों क्षेत्र विदेह (अर्थात् महाविदेह) के ही भाग हैं; परंतु क्षेत्रों में युगलिकों की बस्ती होने के कारण वे भिन्न रूप से पहचाने जाते हैं। देवकुरु और उत्तरकुरु के भाग जितना क्षेत्र छोड़ने पर महाविदेह का जो पूर्व और पश्चिम भाग अवशिष्ट रहता है उस हर एक भाग में सोलह सोलह विभाग हैं। वह प्रत्येक विभाग विजय कहलाता है। इस प्रकार सुमेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर मिलकर कुल ३६ विजय होते हैं।

जम्बूद्वीप में भारतक्षेत्र की सीमा पर स्थित हिमवान पर्वत के दोनों ओर पूर्व-पश्चिम लवणसमुद्र में फैले हुए हैं। इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र की सीमा पर स्थित शिखरी पर्वत के दोनों ओर भी लवणसमुद्र में फैले हुए हैं। प्रत्येक ओर दो भाग में विभाजित होने के कारण कुल मिलाकर

दोनों पर्वतों के आठ भाग लवणसमुद्र में आवे हुए हैं। वे दाढ़ों की आकृति वाले होने से दाढ़ा कहलाते हैं। प्रत्येक दाढ़ा पर मनुष्य की वस्ती वाले सात सात क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र लवणसमुद्र में आने के बाद अंतरद्वीप रूप से प्रसिद्ध हैं। ऐसे अंतरद्वीप कुल छापने हैं। उनमें युगलिक घर्मावाले मनुष्य रहते हैं। ९-११।

जम्बूद्वीप की अपेक्षा घातकीखण्ड में मेरु, वर्ष और वर्षा की संख्या दूनी है; अर्थात् उसमें दो मेरु, चौदह वर्ष और बारह वर्षा की घातकीखण्ड और परन्तु नाम एक से ही हैं; अर्थात् जम्बूद्वीप में पुष्करार्धद्वीप मेरु, वर्षाघर और वर्ष के जो नाम हैं, वे ही घातकीखण्डगत मेरु आदि के भी हैं। बलयाकृति घातकीखण्ड के पूर्वार्ध पश्चिमार्ध ऐसे दो भाग हैं। पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध का विभाग पर्वतों से हो जाता है, जो दक्षिणोत्तर विस्तृत हैं और इध्वाकार—समान सरल हैं। प्रत्येक भाग में एक-एक मेरु, सात-सात वर्ष और छह वर्षाघर हैं। सारांश यह कि नदी, क्षेत्र, पर्वत आदि जो कुछ जम्बू में हैं वे घातकीखण्ड में दूने हैं। घातकीखण्ड को पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध रूपसे विभक्त करनेवाले दक्षिणोत्तर विस्तृत और इध्वाकार दो पर्वत तथा पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध में पूर्व-पश्चिम विस्तृत छः छः वर्षाघर हैं। ये सभी एक ओर से कालोदधि को और दूसरी ओरसे लवण को छूते हैं। पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध में स्थित छः छः वर्षाघरों की नामों में लगे हुए आर्यों की उपमा दी जाय तो उन वर्षाघरों के विभक्त होने वाले सात भरत आदि क्षेत्रों की आर्यों के बीच के अन्तर् उपमा देनी चाहिए।

मेरु, वर्ष और वर्षाघरों की जो संख्या घातकीखण्ड में है, पुष्करार्ध द्वीप में है; अर्थात् उसमें भी दो मेरु, चौदह वर्ष तथा

धर हैं; जो इध्वाकार पर्वतों के द्वारा विभक्त पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध में
 पत हैं। इस तरह मिलाने से ढाई द्वीप में कुल पाँच मेरु, तीस वर्षधर
 और पैंतीस वर्ष क्षेत्र हैं। उक्त पैंतीस क्षेत्र के पाँच (महा) विदेह क्षेत्र में
 च देवकुरु, पाँच उत्तरकुरु और एकसौ साठ विजय हैं। अन्तर्द्वीप
 कि लवणसमुद्र में होने के कारण छप्पन हैं। पुष्करद्वीप में एक मानु-
 उत्तर नामका पर्वत है; जो इसके ठीक मध्य में शहर के किले की तरह
 लोकार खड़ा है और मनुष्यलोक को घेरे हुए है। जम्बूद्वीप, घातकी-
 ण्ड और आधा पुष्करद्वीप ये ढाई द्वीप तथा लवण, कालोदधि ये दो
 मुद्र इतना ही भाग मनुष्यलोक कहलाता है। उक्त भाग का नाम
 मनुष्यलोक और उक्त पर्वत का नाम मानुषोत्तर इसलिए पड़ा है कि इसके
 इतर न तो कोई मनुष्य जन्म लेता है और न कोई मरता है। सिर्फ
 महाशम्भु मुनि या वैक्रिय लब्धिधारी मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर जा सकते
 ; पर उनका भी जन्म-मरण मानुषोत्तर के अंदर ही होता है। १२, १३।

मानुषोत्तर पर्वत के पहले जो ढाई द्वीप और दो समुद्र कहे गए हैं,
 उनमें मनुष्य की स्थिति है सही, पर वह सार्वत्रिक नहीं; अर्थात् जन्म से
 मनुष्यजाति का तो मनुष्यजाति का स्थान सिर्फ ढाई द्वीप के अन्तर्गत
 स्थितिक्षेत्र और जो पैंतीस क्षेत्र और छप्पन अन्तर्द्वीप कहे गए हैं; उन्हीं
 प्रकार में होता है; पर संहरण, विद्या या लब्धि के निमित्त से
 मनुष्य ढाई द्वीप के तथा दो समुद्र के किसी भी भाग में पाया जा सकता
 है। इतना ही नहीं, बल्कि मेरुपर्वत की चोटी पर भी वह उक्त निमित्त
 से रह सकता है। ऐसा होने पर भी यह भारतीय है, यह हैमवतीय है
 इत्यादि व्यवहार क्षेत्र के संबन्ध से और यह जम्बूद्वीपीय है, यह घातकी-
 खण्डीय है इत्यादि व्यवहार द्वीप के संबन्ध से समझना चाहिए। १४।

मनुष्यजाति के मुख्यतया दो भेद हैं :- आर्य और म्लेच्छ। निमित्त
 भेद से छह प्रकार के आर्य माने गए हैं। जैसे क्षेत्र से, जाति से, कुल से,

कर्म से, शिल्प से और भाषा से । क्षेत्र-आर्य वे हैं, जो पन्द्रह कर्मभूमियों में और उनमें भी आर्यदेशों में पैदा होते हैं । जो इक्ष्वाकु, विरेह, तिशात, कुरु, उग्र आदि वंशों में पैदा होते हैं, वे जाति-आर्य हैं । कुटुम्ब, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और दूसरे भी जो विशुद्ध कुल वाले हैं, वे कुल-आर्य हैं । यजन, याजन, पठन, पाठन, कृषि, लिपि, वाणिज्य आदि से आजीविका करने वाले, कर्म-आर्य हैं । जुलाहा, नार्ह, कुम्हार आदि से थल्प आरम्भ वाली और अनिन्द्य आजीविका से जीते हैं; वे शिल्प-आर्य हैं । जो शिष्टे पुरुषमान्य भाषा में सुगम रीति से बोलने आदि का व्यवहार करते हैं, वे भाषा-आर्य हैं । इन छह प्रकार के आर्यों से विपरीत रहने वाले सभी म्लेच्छ हैं; जैसे, शक, यवन, फग्गोज, शबर, पुलिन्द आदि । छप्पन अन्तर्द्वीपों में रहने वाले तो सभी और कर्मभूमियों में भी अनार्य देशोत्पन्न हैं, वे म्लेच्छ ही हैं । १५ ।

जहाँ मोक्षमार्ग के जानने वाले और उपदेश करने वाले तीर्थंकर पैदा हो सकते हैं वही कर्मभूमि है । दार्ह-द्वीप में मनुष्य की पैदाइश का पैंतीस क्षेत्र और छप्पन अन्तर्द्वीप कहे गए हैं; उनमें कर्मभूमियों का उक्त प्रकार की कर्मभूमियों पंद्रह ही हैं । जैसे पाँच महा-पाँच ऐरावत और पाँच विदेह । इनकी छोड़कर बाकी

१. पाँच भरत और पाँच ऐरावत में प्रत्येक में साठे पचीस आर्यदेश गिनाये गए हैं । इस तरह ये दो सौ पचपन आर्यदेश हैं और पाँच विदेह की एकसौ साठ चक्रवर्ति-विजय आर्यदेश हैं । इन्हीं में तीर्थंकर उत्पन्न होकर धर्मप्रवर्तन करते हैं । उनको छोड़कर बाकी का पन्द्रह कर्मभूमियों का आर्यदेश रूप से नहीं माना जाता ।

२. तीर्थंकर, गणधर आदि जो अतिशयसम्पन्न हैं वे शिष्ट, उनकी भाषा संस्कृत, अर्धमागधी इत्यादि ।

३. इस व्याख्या के अनुसार हीमवत आदि तीस भोगभूमियों अर्थात् अकर्मभूमियों में रहने वाले म्लेच्छ ही हैं ।

के बीच क्षेत्र तथा सब अन्तर्द्वीप अकर्मभूमि (भोगभूमि) ही हैं। यद्यपि देवकुरु और उत्तरकुरु ये दो विदेह के अंदर ही हैं, तथापि वे कर्मभूमियाँ नहीं; क्योंकि उनमें युगलिक-धर्म होने के कारण चारित्र्य कभी सम्भव नहीं है, जैसा कि हैमवत आदि अकर्मभूमियों में नहीं है। १६।

मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति—जीवितकाल तीन पत्योपम और जघन्य मनुष्य और तिर्यञ्च स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही है। तिर्यञ्चों की स्थिति भी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति मनुष्य के बराबर अर्थात् उत्कृष्ट तीन पत्योपम और जघन्य अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही है।

भव और कायभेद से स्थिति दो प्रकार की है। कोई भी जन्म पाकर उसमें जघन्य अथवा उत्कृष्ट जितने काल तक जी सकता है वह भवस्थिति है; और बीच में किसी दूसरी जाति में जन्म न ग्रहण करके किसी एक ही जाति में बार बार पैदा होना कायस्थिति है। ऊपर मनुष्य और तिर्यञ्च की जो जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वह उनकी भवस्थिति है। कायस्थिति का विचार इस प्रकार है: मनुष्य हो या तिर्यञ्च; सब की जघन्य कायस्थिति तो भवस्थिति की तरह अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही है। मनुष्य की उत्कृष्ट कायस्थिति सात अथवा आठ भवग्रहण परिमाण है; अर्थात् कोई भी मनुष्य अपनी मनुष्यजाति में लगातार सात अथवा आठ जन्म तक रहने के बाद अवश्य उस जाति को छोड़ देता है।

सब तिर्यञ्चों की कायस्थिति भवस्थिति की तरह एकसी नहीं है। इसलिए उनकी दोनों स्थितियों का विस्तृत वर्णन आवश्यक है। पृथ्वी-काय की भवस्थिति चाईस हजार वर्ष, जलकाय की सात हजार वर्ष, वायुकाय की तीन हजार वर्ष, तेजःकाय की तीन अहोरात्र भवस्थिति है। उन चारों की कायस्थिति असंख्यात अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी प्रमाण है। कनस्पतिकाय की भवस्थिति दस हजार वर्ष और कायस्थिति अनन्त

कर्म से, शिल्प से और भाषा से । क्षेत्र-आर्य वे हैं, जो पन्द्रह कर्मभूमियों में और उनमें भी आर्यदेशों में पैदा होते हैं । जो इक्ष्वाकु, विदेह, मिश्रा, शात, कुरु, उग्र आदि वंशों में पैदा होते हैं, वे जाति-आर्य हैं । कुन्ति, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और दूसरे भी जो विशुद्ध कुल वाले हैं, वे कुल-आर्य हैं । यजन, याजन, पठन, पाठन, कृषि, लिपि, वाणिज्य आदि से आजीविका करने वाले कर्म-आर्य हैं । जुलाहा, नाई, कुम्हार आदि के अल्प आरम्भ वाली और अनिन्द्य आजीविका से जीते हैं; वे शिल्प-आर्य हैं । जो शिष्ट पुरुषमान्य भाषा में सुगम रीति से बोलने आदि का व्यवहार करते हैं, वे भाषा-आर्य हैं । इन छह प्रकार के आर्यों से विपरित उत्पन्न वाले सभी म्लेच्छ हैं; जैसे, शक, यवन, कम्बोज, शघर, पुलिन्द आदि । छप्पन अन्तर्द्वीपों में रहने वाले तो सभी और कर्मभूमियों में भी दो अनार्य देशोत्पन्न हैं, वे म्लेच्छ ही हैं । १५ ।

जहाँ मोक्षमार्ग के जानने वाले और उपदेश करने वाले तीर्थंकर पैदा हो सकते हैं वही कर्मभूमि है । दार्द्र द्वीप में मनुष्यों की पैदाइश करने पैंतास क्षेत्र और छप्पन अन्तर्द्वीप कहे गए हैं; उनमें के कर्मभूमियों का निर्देश उक्त प्रकार की कर्मभूमियों पंद्रह ही हैं । जैसे पाँच भरत, पाँच ऐरावत और पाँच विदेह । इनको छोड़कर बाकी

१. पाँच भरत और पाँच ऐरावत में प्रत्येक में साढ़े पचीस आर्यदेश गिनाये गए हैं । इस तरह ये दो सौ पचपन आर्यदेश हैं और पाँच तीर्थंकरों की एकसौ साठ चक्रवर्ति-विजय आर्यदेश हैं । इन्हीं में तीर्थंकर उत्पन्न होकर धर्मप्रवर्तन करते हैं । उनको छोड़कर बाकी का पन्द्रह कर्मभूमियों का भाग आर्यदेश रूप से नहीं माना जाता ।

२. तीर्थंकर, गणधर आदि जो अतिशयसम्पन्न हैं वे शिष्य, उनकी भाषा संस्कृत, अधर्मागधी इत्यादि ।

३. इस व्याख्या के अनुसार हैमवत आदि तीस भोगभूमियों अन्तर्गत अकर्मभूमियों में रहने वाले म्लेच्छ ही हैं ।

के बीच क्षेत्र तथा सब अन्तर्द्वीप अकर्मभूमि (भोगभूमि) ही हैं।
 यद्यपि देवकुरु और उत्तरकुरु ये दो विदेह के अंदर ही हैं, तथापि वे
 कर्मभूमियाँ नहीं; क्योंकि उनमें युगलिक-धर्म होने के कारण चारित्र कभी
 सम्भव नहीं है, जैसा कि हैमवत आदि अकर्मभूमियों में नहीं है। १६।

मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति—जीवितकाल तीन पत्योपम और जघन्य
 मनुष्य और तिर्यञ्च स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही है। तिर्यञ्चों की
 का स्थिति भी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति मनुष्य के बराबर
 अर्थात् उत्कृष्ट तीन पत्योपम और जघन्य अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही है।

भव और कायभेद से स्थिति दो प्रकार की है। कोई भी जन्म
 पाकर उसमें जघन्य अथवा उत्कृष्ट जितने काल तक जी सकता है वह
 भवस्थिति है; और बीच में किसी दूसरी जाति में जन्म न ग्रहण करके
 किसी एक ही जाति में बार बार पैदा होना कायस्थिति है। ऊपर मनुष्य
 और तिर्यञ्च की जो जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वह उनकी
 भवस्थिति है। कायस्थिति का विचार इस प्रकार है: मनुष्य हो या
 तिर्यञ्च; सब की जघन्य कायस्थिति तो भवस्थिति की तरह अन्तर्मुहूर्त
 प्रमाण ही है। मनुष्य की उत्कृष्ट कायस्थिति सात अथवा आठ भवग्रहण
 परिमाण है; अर्थात् कोई भी मनुष्य अपनी मनुष्यजाति में लगातार सात
 अथवा आठ जन्म तक रहने के बाद अवश्य उस जाति को छोड़ देता है।

सब तिर्यञ्चों की कायस्थिति भवस्थिति की तरह एकसी नहीं है।
 इसलिए उनकी दोनों स्थितियों का विस्तृत वर्णन आवश्यक है। पृथ्वी-
 काय की भवस्थिति बाईस हजार वर्ष, जलकाय की सात हजार वर्ष,
 वायुकाय की तीन हजार वर्ष, तेजःकाय की तीन अहोरात्र भवस्थिति है।
 उन चारों की कायस्थिति असंख्यात अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी प्रमाण है।
 वनस्पतिकाय की भवस्थिति दस हजार वर्ष और कायस्थिति अनन्त

कर्म से, शिल्प से और भाषा से । क्षेत्र-आर्य वे हैं, जो पन्द्रह कर्मभूमि में और उनमें भी आर्यदेशों में पैदा होते हैं । जो इक्ष्वाकु, विदेह, विशात, कुरु, उग्र आदि वंशों में पैदा होते हैं, वे जाति-आर्य हैं । कुट्य, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और दूसरे भी जो विशुद्ध कुल वाले हैं, वे कर्म-आर्य हैं । यजन, याजन, पठन, पाठन, कृषि, लिपि, वाणिज्य आदि के आजीविका करने वाले कर्म-आर्य हैं । जुलाहा, नाई, कुम्हार आदि में अल्प आरम्भ वाली और अनिन्द्य आजीविका से जीते हैं; वे शिल्प-आर्य हैं । जो शिष्टे पुरुषमान्य भाषा में सुगम रीति से बोलने आदि काम करते हैं, वे भाषा-आर्य हैं । इन छह प्रकार के आर्यों से विपरीत तरह वाले सभी म्लेच्छ हैं; जैसे, शक, यवन, कम्बोज, शनर, पुलिन्द आदि । छप्पन अन्तर्द्वीपों में रहने वाले तो सभी और कर्मभूमियों में भी दो अनार्य देशोत्पन्न हैं, वे म्लेच्छ ही हैं । १५ ।

जहाँ मोक्षमार्ग के जानने वाले और उपदेश करने वाले तीर्थंकर पैदा हो सकते हैं वही कर्मभूमि है । दार्द्वीप में मनुष्य की पैदाइश पाँच क्षेत्र और छप्पन अन्तर्द्वीप कहे गए हैं; उनमें कर्मभूमियों का निर्देश उक्त प्रकार की कर्मभूमियों पंद्रह ही हैं । जैसे पाँच भक्त, पाँच ऐरावत और पाँच विदेह । इनको छोड़कर बाकी

१. पाँच भक्त और पाँच ऐरावत में प्रत्येक में साढ़े पाँच आर्यदेश गिनाये गए हैं । इस तरह ये दो सौ पचपन आर्यदेश हैं और पाँच विदेह की एकसौ साठ चक्रवर्ति-विजय आर्यदेश हैं । इन्हीं में तीर्थंकर उत्पन्न होना धर्मप्रवर्तन करते हैं । उनको छोड़कर बाकी का पन्द्रह कर्मभूमियों का आर्यदेश रूप से नहीं माना जाता ।

२. तीर्थंकर, गणधर आदि जो अतिशयसम्पन्न हैं वे शिष्ट, उन्नत भाषा संस्कृत, अर्धमागधी इत्यादि ।

३. इस व्याख्या के अनुसार हीमवत आदि तीस भोगभूमियों में अकर्मभूमियों में रहने वाले म्लेच्छ ही हैं ।

के बीच क्षेत्र तथा सब अन्तर्द्वीप अकर्मभूमि (भोगभूमि) ही हैं। यद्यपि देवकुरु और उत्तरकुरु ये दो विदेह के अंदर ही हैं, तथापि वे कर्मभूमियाँ नहीं; क्योंकि उनमें युगलिक-धर्म होने के कारण चारित्र्य कभी सम्भव नहीं है, जैसा कि हैमवत आदि अकर्मभूमियों में नहीं है। १६।

मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति—जीवितकाल तीन पत्योपम और जघन्य मनुष्य और तिर्यञ्च स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही है। तिर्यञ्चों की स्थिति भी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति मनुष्य के चराचर अर्थात् उत्कृष्ट तीन पत्योपम और जघन्य अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही है।

मव और कायभेद से स्थिति दो प्रकार की है। कोई भी जन्म पाकर उसमें जघन्य अथवा उत्कृष्ट जितने काल तक जी सकता है वह भवस्थिति है; और बीच में किसी दूसरी जाति में जन्म न ग्रहण करके किसी एक ही जाति में बार बार पैदा होना कायस्थिति है। ऊपर मनुष्य और तिर्यञ्च की जो जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वह उनकी भवस्थिति है। कायस्थिति का विचार इस प्रकार है: मनुष्य हो या तिर्यञ्च; सब की जघन्य कायस्थिति तो भवस्थिति की तरह अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही है। मनुष्य की उत्कृष्ट कायस्थिति सात अथवा आठ भवग्रहण परिमाण है; अर्थात् कोई भी मनुष्य अपनी मनुष्यजाति में लगातार सात अथवा आठ जन्म तक रहने के बाद अवश्य उस जाति को छोड़ देता है।

सब तिर्यञ्चों की कायस्थिति भवस्थिति की तरह एकसी नहीं है। इसलिए उनकी दोनों स्थितियों का विस्तृत वर्णन आवश्यक है। पृथ्वी-काय की भवस्थिति बाईस हजार वर्ष, जलकाय की सात हजार वर्ष, वायुकाय की तीन हजार वर्ष, तेजःकाय की तीन अहोरात्र भवस्थिति है। उन चारों की कायस्थिति असंख्यात अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी प्रमाण है। वनस्पतिकाय की भवस्थिति दस हजार वर्ष और कायस्थिति अन

शारीरिक घर्ण से है, अध्यवसाय विशेष रूप भावलेख्या से नहीं, स्तुति भावलेख्या तो चारों निकायों के देवों में उहाँ पाई जाती है । २ ।

चार निकायों के भेद—

दशाष्टपञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः । ३ ।

कल्पोपन्न देव तक के चतुर्निकायिक देव अनुक्रमसे दस, नव, पाँच और बारह भेद वाले हैं ।

भवनपतिनिकाय के दस, व्यन्तरनिकाय के आठ, ज्योतिष्कनिकाय के पाँच और वैमानिकनिकाय के बारह भेद हैं; जो सब आगे कहे बरने। वैमानिकनिकाय के बारह भेद कहे हैं, वे कल्पोपन्न वैमानिक देव तक के समझने चाहिएँ; क्योंकि कल्पातीत देव हैं तो वैमानिक निकाय के, पर उक्त बारह भेदों में नहीं आते । सौधर्म से अच्युत तक बारह स्वर्ग—देवकण्ड हैं, वे कल्प कहलाते हैं । ३ ।

चतुर्निकाय के अवान्तर भेद—

इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंशत्परिपद्यात्मरक्षलोकपालानीकप्रकीर्णकाभियोग्यकित्त्विषिकाश्चैकशः । ४ ।

त्रायस्त्रिंशलोकपालवज्र्या व्यन्तरज्योतिष्काः । ५ ।

चतुर्निकाय के उक्त दस आदि एक-एक इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंशत्, परिपद्य, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और कित्त्विक रूप हैं ।

व्यन्तर और ज्योतिष्क त्रायस्त्रिंशत् तथा लोकपाल रहित हैं ।

भवनपतिनिकाय के अनुरकुमार आदि दस प्रकार के देव हैं । वे हरएक किस्म के देव इन्द्र, सामानिक आदि दस भागों में विभक्त हैं ।
१. इन्द्र वे हैं जो सामानिक आदि सब प्रकार के देवों के स्वामी हैं ।

सामानिक वे हैं जो आयु आदि में इन्द्र के समान हैं अर्थात् जो
 १. शक्र, २. त्रायस्त्रिंश वे हैं जो देव, मंत्री या पुरोहित का काम करते हैं ।
 ३. पारिषद्य वे हैं जो मित्र का काम करते हैं । ४. आत्मरक्षक वे हैं
 जो रात्र उठाये हुए आत्मरक्षक रूप से पीठ की ओर खड़े रहते हैं ।
 ५. लोकपाल वे हैं जो सरहद की रक्षा करते हैं । ६. अनीक वे हैं जो
 सैनिक रूप और सेनाधिपति रूप हैं । ७. प्रकीर्णक वे हैं जो नगरवासी
 और देशवासी के समान हैं । ८. आभियोग्य-सेवक वे हैं जो दास के
 समान हैं । ९. किल्बिषिक वे हैं जो अन्वज समान हैं । बारह
 देवों में अनेक प्रकार के वैमानिक देव भी इन्द्र, सामानिक आदि दस
 विभागों में विभक्त हैं ।

व्यन्तरनिकाय के आठ और ज्योतिष्कनिकाय के पाँच भेद सिर्फ
 इन्द्र आदि आठ विभागों में ही विभक्त हैं, क्योंकि इन दोनों निकायों में
 त्रायस्त्रिंश और लोकपाल जाति के देव नहीं होते । ४, ५ ।

इन्द्रों की संख्या का नियम-

पूर्वयोर्द्वीन्द्राः । ६ ।

पहले के दो निकायों में दो दो इन्द्र हैं ।

व्यन्तरनिकाय के असुरकुमार आदि दसों प्रकार के देवों में तथा
 ज्योतिष्कनिकाय के कृत्तर आदि आठों प्रकार के देवों में दो-दो इन्द्र हैं ।
 जैसे; चमर और धृति असुरकुमारों में, घरण और भूतानन्द नागकुमारों में,
 शरी और हरिसद्विष्णुकुमारों में, वेषुदेव और वेणुदारी सुपर्णकुमारों में,
 अग्निशेख और अग्निमाणव अग्निकुमारों में, बेलम्ब और प्रमञ्जन घातकुमारों
 में, सुषेप और महाषेप स्तनित्तकुमारों में, जलकान्त और जलप्रम टदधि-

कुमारों में, पूर्ण और वासिष्ठ द्वीपकुमारों में तथा आभितगति और इन्द्र-
वाहन दिक्कुमारों में इन्द्र हैं। इसी तरह व्यन्तरनिकाय में भद्र, सिद्धि,
किष्कर और किपुरुष, किपुरुषों में सत्पुरुष और महापुरुष, महात्म्य और
काय और महाकाय, गान्धर्वों में गीतरति और गीतयज्ञ, यज्ञों में इन्द्र
और मणिभद्र, राक्षसों में भीम और महाभीम, भूतों में प्रतिविर और
अप्रतिरूप तथा भिशाचों में काल और महाकाल ये दो दो इन्द्र हैं।

भवनपति और व्यन्तर इन दो निकायों में दो दो इन्द्र हैं।
शेष दो निकायों में दो दो इन्द्रों का अभाव सूचित किया गया है।
ज्योतिष्क में तो चन्द्र और सूर्य ही इन्द्र हैं। चन्द्र और सूर्य अंतरिक्ष में
इसलिए ज्योतिष्कनिकाय में इन्द्र भी इतने ही हुए। वैमानिकनिकाय
हर एक कल्प में एक एक इन्द्र है। सौधर्म-कल्प में शक, ऐशान में इन्द्र
सान्त्कुमार में सनत्कुमार नामक इन्द्र हैं, इसी तरह ऊपर के देवलोको
उन देवलोकों के नामवाला एक एक इन्द्र है। सिद्धि विशेषता इन्द्र
कि आनत और प्राणत इन दो का इन्द्र एक है जिसका नाम प्राणत
आरण और अच्युत इन दो कल्पों का इन्द्र भी एक है, जिसका नाम
अच्युत-६।

पहले दो निकायों में लेख्या-

पीतान्तलेख्याः । ७ ।

पहले दो निकाय के देव पीत-तेजः पर्यन्त लेख्या वाले हैं।

भवनपति और व्यन्तर आदि के देवों में शारीरिक वर्णव्यवस्था
आर ही मानी जाती है। जैसे-कृष्ण, नील, क्रापोत और पीत-तेजः

देवों के कामतुल्य का वर्णन-

कायप्रवीचारा आ ऐशानात् । ८ ।

शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचारा द्वयोर्द्वयोः । ९ ।

परेऽप्रवीचाराः । १० ।

ऐशान तक के देव कायप्रवीचार अर्थात् शरीर से विषयसुख भोगने लें होते हैं ।

बार्का के देव दो दो कल्पों में क्रम से स्पर्श, रूप, शब्द और रूप द्वारा विषयसुख भोगने वाले होते हैं ।

अन्य सब देव प्रवीचार रहित अर्थात् वैषयिक सुखभोग से रहित होते हैं ।

भवगपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और पहले तथा दूसरे स्वर्ग के वैमानिक-इतने देव मनुष्य की तरह शरीर से कामसुख का अनुभव करके प्रप्ता लाभ करते हैं ।

तीसरे स्वर्ग से ऊपर के वैमानिक देव मनुष्य के समान सर्वाङ्गीण स्पर्श द्वारा कामसुख नहीं भोगते; किन्तु अन्य अन्य प्रकार से वैषयिक का अनुभव करते हैं । जैसे तीसरे और चौथे स्वर्ग के देव तो देवियों स्पर्शमात्र से कामवृष्णा की शान्ति कर लेते हैं, और सुख का अनुभव करते हैं । पाँचवें और छठे स्वर्ग के देव देवियों के सुसज्जित रूप को लेकर ही विषयसुखजन्य संतोष लाभ कर लेते हैं । सातवें और आठवें स्वर्ग देवों की कामवासना देवियों के विविध शब्दमात्र को सुनने से शान्त जाती है और उन्हें विषयसुख के अनुभव का आनन्द मिलता है । नववें और दसवें तथा ग्यारहवें और बारहवें इन दो जोड़ों अर्थात् चार स्वर्गों के देवों की वैषयिक तृप्ति सिर्फ देवियों के चिन्तनमात्र से हो जाती है । इस तृप्ति लिए उन्हें न तो देवियों के स्पर्श की, न रूप देखने की और न गीत आदि सुनने की अपेक्षा रहती है । सारांश यह है कि—दूसरे स्वर्ग तक ही वे जाते हैं, ठहर नहीं । इसलिए वे जब तीसरे आदि ऊपर के स्वर्ग में

गहनेवाले देवों को विषयसुख के लिए उत्सुक और इस कारण उनके आदरशील जानती हैं, तभी वे ऊपर के देवों के निकट पहुँच जाँचें पहुँचते ही उनके हस्त आदि के स्पर्शमात्र से तीव्र, चौपे स्पर्श देवों की कामतृप्ति हो जाती है। उनके शृङ्गारसज्जित मनोरम चेहरे देखने मात्र से पाँचवें और छठे स्वर्ग के देवों की कामलालसा पूरे हो जाती है। इसी तरह उनके सुन्दर संगीतमय शब्द को सुनने मात्र से सातवें और आठवें स्वर्ग के देव वैषयिक आनन्द का अनुभव कर लेते हैं। दशवें की पहुँच सिर्फ आठवें स्वर्ग तक ही है, इसके ऊपर नहीं। नववें से दशवें स्वर्ग के देवों की काम-सुखतृप्ति केवल देवियों के चिन्तनमात्र से ही हो सकती है। बारहवें स्वर्ग से ऊपर जो देव हैं वे शान्त और कामलालसा रहित होते हैं। इसलिए उनको देवियों के स्पर्श, रूप, शब्द या चिन्तन का कामसुख भोगने की अपेक्षा नहीं रहती; फिर भी वे अन्य देवों से अधिक सन्तुष्ट और अधिक सुखी होते हैं। कारण स्पष्ट है और वह यह कि चित्तसंश्लेष अधिक त्यों त्यों चित्तसंश्लेष अधिक, त्यों त्यों उसको मिटाने के लिए विषयभोग भी अधिक चाहिए। दूसरे स्वर्ग-तक के देवों की अपेक्षा तीसरे और चौथे स्वर्ग के देवों की, और उनकी अपेक्षा पाँचवें छठे के देवों की—इस तरह ऊपर के स्वर्ग के देवों की कामवासना मन्द होती है। इसलिए उनके चित्तसंश्लेष की मात्रा भी कम होती है। अतएव उनके कामभोग के साधन भी अल्प कहे गए हैं। बारहवें स्वर्ग के ऊपरवाले देवों की कामवासना मन्द होती है, इस कारण उन्हें स्पर्श, रूप, शब्द, चिन्तन आदि में से किसी भी भोग की इच्छा नहीं होती। वे संतोषजन्य परमसुख में निमग्न होते हैं। यही कारण है कि जिससे वे नचिन्तित रहते हैं।

व्याख्याकारों का सुख-अधिक-मात्र

चतुर्निकाय देवों के पूर्वोक्त भेदों का वर्णन—

भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधि-
द्वीपदिवकुमाराः । ११ ।

व्यन्तराः किन्नरकिंपुरुषमहोरगगान्धर्वयक्षराक्षसभूत-
पिशाचाः । १२ ।

ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णतारकाश्च । १३ ।
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके । १४ ।

तत्कृतः कालविभागः । १५ ।

बहिरवस्थिताः । १६ ।

वैमानिकाः । १७ ।

कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च । १८ ।

उपर्युपरि । १९ ।

सौधमैशानसानत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्र-
सहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रैवेयकेषु वि-
जय वैजयन्तजयन्ताऽपराजितेषु सर्वार्थसिद्धे च । २० ।

असुरकुमार, नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार,
वातकुमार, स्तानितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, और दिवकुमार ये
भवनवासीनिकाय हैं ।

किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गान्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, और पिशाच
व्यन्तरनिकाय हैं ।

१. श्वेताम्बर संप्रदाय में बारह कल्प हैं; पर दिगम्बर संप्रदाय सोलह
कल्प मानता है; उनमें ब्रह्मोत्तर, कापिष्ठ, शुक्र और शतार नाम के चार
कल्प अधिक हैं। जो क्रमशः छठे, आठवें, नववें और ग्यारहवें नंबर पर
आते हैं। दिगम्बर सूत्रपाठ के लिए देखें मूर्खों का तुलनात्मक परिशिष्ट ।

सूर्य, चन्द्र तथा ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्ण तारा ये सभी निकाय हैं।

वे मनुष्यलोक में मेरु की चारों ओर प्रदक्षिणा करने वाले निस्य गतिशील हैं।

काल का विभाग उन—चरज्योतिष्को द्वारा किया हुआ है।

ज्योतिष्क मनुष्यलोक के बाहर स्थिर होते हैं।

चतुर्य निश्चायवाले वैमानिक देव हैं।

वे कल्पोपपन्न और कल्पातीत रूप हैं।

और ऊपर ऊपर रहते हैं।

सौधर्म, ऐशान, सानाकुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, सान्तर, महासहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत तथा नव प्रयोगक विजय, धैजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा सर्वार्थसिद्ध में उनका निवास है।

दसों प्रकार के भवनपति अम्बुद्वीपगत सुमेरु पर्वत के नीचे, दक्षिण और उत्तर भाग में तिरछे अनेक कोटाकोटि स्थ योजना कर

हैं। अमुरकुमार बहुत करके आवासों में और दशाधिभ भवनपति भवनों में बसते हैं, तथा नागकुमार आदि छ

भवनों में ही बसते हैं। आवास रजप्रमा के पृथ्वीपिंड में से जल के एक एक हजार योजना छोड़कर बीच के एक लाख अक्षर

योजना परिमाण भाग में सब जगह हैं; पर भवन तो रजप्रमा के नीचे हजार योजना परिमाण भाग में ही होते हैं। आवास बड़े मण्डप जैसे हैं

और भवन नगर सदृश। भवन नगर से गोल भीतर से समबद्ध और तले में पुष्करकर्णिका जैसे होते हैं।

सभी भवनपति, कुमार इतिहास करते आते हैं कि वे कुमार की देखने में मनोहर तथा सुकुमार हैं और मृदु व मधुर गतिवाले तथा ब्रह्मा

। दसों प्रकार के भवनपतियों की चिह्नादि स्वरूपसम्पत्ति जन्म से ही अपनी अपनी जाति में जुदा जुदा है। जैसे—असुरकुमारों के मुकुट में कामिनी का चिह्न होता है। नागकुमारों के नाग का, विद्युत्कुमारों के बिजली का, सुपर्णकुमारों के गरुड़ का, अम्बिकुमारों के घट का, वातकुमारों के वायु का, स्तनितकुमारों के वर्धमान—शरावसंपुट (शरावयुगल) का, अश्विकुमारों के मकर का, द्वीपकुमारों के सिंह का और दिक्कुमारों के दिक् का चिह्न होता है। नागकुमार आदि सभी के चिह्न उनके आभरण होते हैं। सभी के चक्र, शस्त्र, भूषण आदि त्रिविध होते हैं। ११।

सभी व्यन्तर देव ऊर्ध्व, मध्य और अधः—तीनों लोकों में भवन करनेवालों में बसते हैं। वे अपनी इच्छा से या दूसरों की प्रेरणा से भिन्न भिन्न जगह जाया करते हैं। उनमें से कुछ व्यन्तरो के भेद-प्रभेद तो मनुष्यों की भी सेवा करते हैं। वे विविध प्रकार के पहाड़ और गुफाओं के अन्तरो में तथा वनों के अन्तरो में बसनेवाले व्यन्तर कहलाते हैं। इनमें से किञ्चर नामक व्यन्तर के दस प्रकार जैसे—किञ्चर; किंपुरुष, किंपुरुषोत्तम, किञ्चरोत्तम, हृदयंगम, रूपशाली, मेन्दित, मनोरम, रतिप्रिय और रतिभेद्य। किंपुरुष नामक व्यन्तर के दस प्रकार हैं; जैसे—पुरुष, सत्पुरुष, महापुरुष, पुरुषवृषभ, पुरुषोत्तम, त्रिपुरुष, मन्वेदेव, मरुत, मेरुप्रभ और यशस्वान्। महोरग के दस प्रकार हैं—भुजग, भोगशाली, महाकाय, अतिकाय, स्कन्धशाली, मनोरम, विवेक, महेश्वर, मेरुकान्त और भास्वान्। गान्धर्व के बारह प्रकार ये हैं—शास, हृद्य, तुम्बुरव, नारद, ऋषिवादि, भूतवादि, कादम्ब, महा-दम्ब, रौत, विश्वावसु, गीतरति और गीतयशः। यथोक्ते तीरह प्रकार ये

१. संप्रहणी में उदधिकुमारों के अश्व का और वातकुमारों के मकर का चिह्न लिखा है, गा० २६।

हैं— पूर्णभद्र, माणिभद्र, श्वेतभद्र, हरिभद्र, सुमनोभद्र, व्यतिनातिभद्र, सर्वतोभद्र, मनुष्ययज्ञ, वनाधिपति, वनाहार, रूपयज्ञ और सौ राक्षसों के सात प्रकार ये हैं— भीम, महाभीम, विघ्न, विनायक, वनराक्षस और ब्रह्मराक्षस । भूतोंके नव प्रकार ये हैं— सुरूप, प्रतिरूप, भूतोत्तम, स्कन्दिक, महास्कन्दिक, महाविग, प्रतिच्छन्न और अश्विपिशाचों के पन्द्रह भेद ये हैं— कूष्माण्ड, पटक, जोष, भानु, महाकाल, चौक्ष, अचौक्ष, तालपिशाच, मुखरापिशाच, अपस्तम्ब, महाविदेह, तूष्णीक और वनपिशाच ।

आठों प्रकार के व्यन्तरो के चिन्ह अनुक्रम से अशोक, चमर, तुम्बर, वट, खट्वाङ्ग, मुत्तस और कदम्बर हैं । खट्वाङ्ग के सिवा चिह्न वृक्ष जाति के हैं, सब चिह्न उनके आभूषण आदि में होते हैं ।

मेरु के समतल भूभाग से सातवीं गव्ये योजन की ऊँचाई ज्योतिष्क के क्षेत्र का आरम्भ होता है; जो वर्षों से ऊँचाई में दस योजन परिमाण है, और तिरछा असंख्य पञ्चविध ज्योतिष्क समुद्र परिमाण है । उसमें दस योजन की ऊँचाई

अर्थात् उक्त समतल से आठ सौ योजन की ऊँचाई पर सूर्यके तिरछे वर्षों से अस्सी योजन की ऊँचाई पर अर्थात् समतल से आठ सौ योजन की ऊँचाई पर चन्द्र के विमान हैं; वर्षों से बीस योजन की तक में अर्थात् समतल से नव सौ योजन की ऊँचाई तक में प्रक्रीण और प्रकीर्ण तारे हैं । प्रकीर्ण तारे कहने का मतलब यह है कि कुछ तारे ऐसे भी हैं जो अनियतचारी होनेसे कभी सूर्य, चन्द्र भी चलते हैं और कभी ऊपर भी । चन्द्र के ऊपर बीस योजन की में पहले चार योजन की ऊँचाई पर नक्षत्र हैं, इसके बाद चार सौ

चार्द पर बुधग्रह, बुध से तीन योजन ऊँचे शुक्र, शुक्र से तीन योजन ऊँचे गुरु, गुरु से तीन योजन ऊँचे मङ्गल और मङ्गल से तीन योजन ऊँचे शनि है। अनियतचारी तारा जब सूर्य के नीचे चलता है, तब वह सूर्य के नीचे दस योजन प्रमाण ज्योतिष-क्षेत्र में चलता है। ज्योतिष-क्षेत्राशमान विमान में रहने के कारण सूर्य आदि ज्योतिष्क कहलाते हैं। इन सबके मुकुटों में प्रभामण्डल का सा उज्ज्वल, सूर्यादि के मण्डल जैसा चमकता है। सूर्य के सूर्यमण्डल का सा, चन्द्र के चन्द्रमण्डल का सा और तारा के तारामण्डल का सा चिह्न समझना चाहिए। १३।

मानुषोत्तर नामक पर्वत तक मनुष्यलोक है, यह बात पहले कही जा चुकी है। उस मनुष्यलोक में जो ज्योतिष्क हैं, वे सदा भ्रमण किया करते हैं। उनका भ्रमण मरु के चारों ओर होता है। मनुष्य-लोक में कुल सूर्य और चन्द्र एकसौ बत्तीस हैं। जैसे—
 मन्वन्तरीय में दो दो, लवणमुद्र में चार चार, धातकीखण्ड में बारह बारह, मालोदधि में बयालीस बयालीस और पुष्करार्ध में बहत्तर बहत्तर सूर्य तथा चन्द्र हैं। एक एक चन्द्र का परिवार अट्ठाईस नक्षत्र, अट्ठासी ग्रह और छयासठ हजार नवसौ पचहत्तर कोटाकोटी तारों का है। यद्यपि लोक-सूर्यांदा के स्वभाव से ही ज्योतिष्क विमान सदा ही आपसे आप फिरते रहते हैं; तथापि समृद्धि विशेष प्रकट करने के लिए और आभियोग्य—
 सैवक नाम कर्म के उदय से क्रीड़ाशील कुछ देव उन विमानों को उठाकर भ्रमण करते हैं। आगे के भाग में सिंहाकृति, दाहिने गजाकृति, पीछे बैरुपधारी और उत्तर में अश्वरूपधारी देव विमान के नीचे लग कर भ्रमण किया करते हैं। १४।

'मृहूर्त, अहोरात्र, पक्ष; मास आदि; भूत, वर्तमान, आदि; संख्येय असंख्येय, आदि रूप से अनेक प्रकार का कालव्यवहार मनुष्यों में ही होता है; उसके बाहर नहीं। मनुष्यलोक के कालविभाग अगर कोई कालव्यवहार करनेवाला हो और ऐसा कार्य करे तो भी वह मनुष्यलोक प्रसिद्ध व्यवहार के अनुसार ही; क्योंकि पारद्वारिक कालविभाग का मुख्य आधार नियत किया मास है। देखें कि सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिष्कों की गति ही है। गति भी मनुष्यलोक में ही पाई जाती, सिर्फ मनुष्यलोक के अंदर वर्तमान कालों में ही पाई जाती है। इसीलिए माना गया है कि काल का मूल ज्योतिष्कों की विशिष्ट गति पर ही निर्भर है। दिन, रात, पक्ष आदि जो स्थूल कालविभाग हैं, वे सूर्य आदि ज्योतिष्कों की गति पर अवलम्बित होने के कारण उससे जाने जा सकते हैं, मनुष्यलोक आदि सूक्ष्म कालविभाग उससे नहीं जाने जा सकते। मान लें कि सूर्य के प्रथम दर्शन से लेकर स्थान विशेष में जो सूर्य का अस्त होता है; इस उदय और अस्त के बीच की सूर्य की गतिक्रिया से ही दिन का व्यवहार होता है। इसी तरह सूर्य के अस्त से उदय तक ही रात से रात का व्यवहार होता है। दिन और रात का तीसरा भाग मनुष्यों पंद्रह दिनरात का पक्ष है। दो पक्षों का मास, दो मास का ऋतु, ऋतु का अयन, दो अयन का वर्ष, पाँच वर्षों का युग इत्यादि मनुष्यों का लौकिक कालविभाग सूर्य की गतिक्रिया से किया जाता है जो किया चालू है वह वर्तमान काल, जो होनेवाली है वह भूतकाल का और जो हो चुकी है वह भूतकाल। जो काल गिनती में आता है

वह संख्येय, जो गिनती में नहीं आ सकता सिर्फ उपमान द्वारा जाना जा सकता है वह असंख्येय, जैसे—पल्योपम, सागरोपम आदि; और उसका अन्त नहीं वह अनन्त है । १५।

मनुष्यलोक के बाहर के सूर्य आदि ज्योतिष्क विमान स्थिर हैं; क्योंकि उनके विमान स्वभाव से ही एक जगह कायम रहते हैं, इधर-उधर भ्रमण नहीं करते । इसी कारण से उनकी लक्ष्म्या और स्थिरज्योतिष्क उनका प्रकाश भी एकरूप स्थिर है, अर्थात् वहाँ राहु आदि की छाया न पड़ने से ज्योतिष्कों का स्वाभाविक पीतवर्ण ज्यों का त्यों बना रहता है और उदय-अस्त न होने के कारण उनका लक्ष्य योजन विमान प्रकाश भी एकसा स्थिर ही रहता है । १६।

चतुर्थ निकाय के देव वैमानिक कहलाते हैं । उनका वैमानिक नाम पारिभाषिक मात्र है; क्योंकि विमान से चलने वाले पारिभाषिक देव तो अन्य निकाय के देव भी हैं । १७।

वैमानिक के कल्पोपपन्न और कल्पातीत ऐसे दो भेद हैं । जो कल्प रहते हैं वे कल्पोपपन्न और जो कल्प के ऊपर रहते हैं वे कल्पातीत होते हैं । ये सभी वैमानिक न तो एक ही; स्थान में हैं और न तिरछे केन्तु एक दूसरे के ऊपर-ऊपर वर्तमान हैं । १८, १९।

कल्प के सौधर्म, ऐशान आदि बारह भेद हैं । उनमें से सौधर्म-प ज्योतिष्क के ऊपर असंख्यात योजन चढ़ने के बाद मेरु के दक्षिण प से उपलक्षित आकाशप्रदेश में स्थित है । उसके बहुत ऊपर किन्तु प की ओर ऐशान कल्प है । सौधर्म कल्प के बहुत समभ्रेणि में गङ्गुमार कल्प है, और ऐशान के ऊपर समभ्रेणि में माहेन्द्र कल्प है ।

१. यह तो अनन्त का शब्दार्थ है । उसका पूरा भाव समझने के लिये देखो, चौथा कर्मग्रन्थ ।

इन दोनों के मध्य में किन्तु ऊपर ब्रह्मलोक कल्प है। इसके ऊपर शक्ति में क्रम से लान्तक, महाशुक्र, और सहस्रार ये तीन कल्प एक ही हैं। इनके ऊपर सौधर्म और ऐशान की तरह आनत, प्राणत दो हैं। इनके ऊपर समश्रेणि में सानात्कुमार और माहेन्द्र की तरह अत्यन्त अच्युत कल्प हैं। कल्पों के ऊपर अनुक्रम से नव विमान ऊपर हैं जो पुरुषाकृति लोक के प्रीवास्थानीय भाग में होने के कारण प्रेरित कल्प हैं। इनके ऊपर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सौम्य पाँच विमान ऊपर ऊपर हैं जो सबसे उत्तर-प्रधान होने के कारण कल्प कहलाते हैं।

सौधर्म से अच्युत तक के देव कल्पोपपन्न और इनके ऊपर के देव कल्पातीत हैं। कल्पोपपन्न में स्वामि-सेवक भाव है, कल्पोपपन्न नहीं; वे तो सभी इन्द्रिय होने से अहमिन्द्र कहलाते हैं। मनुष्यों की किसी निमित्त से जाना हुआ, तो कल्पोपपन्न देव ही जाते आते हैं, कल्पोपपन्न अपने स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते। २०।

कुछ बातों में देवों की उत्तरोत्तर अधिकता और हीनता-

स्थितिप्रभावमुखशुतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियाधिधिषयता
ऽधिकाः । २१ ।

गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः । २२ ।

स्थिति, प्रभाव, मुख, शुति, लेश्याविशुद्धि, इन्द्रियाधिधिषय और मनुष्य विषय में ऊपर ऊपर के देव अधिक हैं।

गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान-
नीचे से ऊपर ऊपर के देव हीन हैं।
बातों में ऊपर

इसका विशेष खुलासा आगे तीसवें सूत्र से लेकर स्थिति त्रेपनवें सूत्र तक है ।

निग्रह, अनुग्रह करने का सामर्थ्य; अणिमा महिमा आदि सिद्धि सामर्थ्य और आक्रमण करके दूसरों से काम करवाने का बल—यह सब प्रभाव के अन्तर्गत हैं । ऐसा प्रभाव यद्यपि ऊपर ऊपर के देवों में अधिक होता है; तथापि उनमें उत्तरोत्तर अभिमान व संकेश कम होने से वे अपने प्रभाव का उपयोग कम ही करते हैं ।

इन्द्रियों के द्वारा उनके ग्राह्यविषयों का अनुभव करना सुख है । शीत, बल और आभरण आदि की दीप्ति ही द्युति है । उक्त सुख और द्युति ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक होने के कारण सुख और द्युति उत्तरोत्तर क्षेत्रस्वभावजन्य शुभ पुद्गलपरिणाम की प्रकृति ही है ।

लेख्या का नियम अगले तीसवें सूत्र में स्पष्ट होगा । यहाँ इतना न लेना चाहिए कि जिन देवों की लेख्या समान है, उनमें भी नीचे की अपेक्षा ऊपर के देवों की लेख्या संकेश की कमी के कारण उत्तरोत्तर विशुद्ध, विशुद्धतर ही होती है ।

इस से इष्ट विषयों को ग्रहण करने का जो इन्द्रियों का सामर्थ्य, वह भी उत्तरोत्तर गुण की वृद्धि और संकेश की न्यूनता के कारण ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक-अधिक है ।

अवधिज्ञान का सामर्थ्य भी ऊपर-ऊपर के देवों में ज्यादा ही होता है । पहले, दूसरे स्वर्ग के देव अधोभाग में रत्नप्रभा तक, तिरछे भाग असंख्यात लाख योजन तक और ऊर्ध्वभाग में अपने-अपने भयन अधिज्ञान से जानने का सामर्थ्य रखते हैं । तीसरे-चौथे स्वर्ग

७ अवधिज्ञान का
विषय

अधोभाग में शर्कराप्रभा तक, तिरछे भ्रम देख
रुयात लाख योजन तक और ऊर्ध्वभाग में धूल
अपने भवन तक अवधिज्ञान से देख सकते हैं।
तरह क्रमशः बढ़ते-बढ़ते अन्त में अनुत्तर-विमानपासी देव सूर्यदेव
नाली को अवधिज्ञान से देख सकते हैं। जिन देवों के अधोभाग
क्षेत्र समान होता है, उनमें भी नीचे की अपेक्षा ऊपर के देवों की
विशुद्धतर शान का सामर्थ्य रखते हैं। २१।

चार बातें ऐसी हैं जो नीचे की अपेक्षा ऊपर उपर के देवों
कम-कम पाई जाती हैं; जैसे—

गमनक्रिया की शक्ति और गमनक्रिया में प्रवृत्ति ये दोनों ही
ऊपर के देवों में कम पाई जाती हैं; क्योंकि ऊपर ऊपर के देवों में
तर महानुभावता और उदासीनता अधिक होने के कारण
१ गति देशान्तर विषयक क्रीड़ा करने की रति कम-कम होती जाती है।
सानकुमार आदि के देव जिन की जघन्य स्थिति दो सागरोन्मूलों
के अधोभाग में सातवें नरक तक और तिरछे असंख्यात हजार कोटि
योजन पर्यन्त जाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसके बाद के जघन्य स्थिति
वाले देवों का गतिसामर्थ्य घटते-घटते यहाँ तक घट जाता है कि इन
देव अधिक से अधिक तीसरे नरक तक ही जाने का सामर्थ्य रखते
शक्ति चाहे अधिक हो, पर, कोई देव अधोभाग में तीसरे नरक के
न जाया है और न जायगा।

पहले स्वर्ग में पचीस लाख विमान; दूसरे में अट्ठाईस लाख, तीसरे बारह लाख, चौथे में आठ लाख, पाँचवें में चार लाख, छठे में पचास हजार, सातवें में चालीस हजार, आठवें में छः हजार, नववें से बारहवें तक में सात सौ, अघोवर्ती तीन प्रैवेयक एकसौ ग्यारह, मध्यम तीन प्रैवेयक में एकसौ सात; ऊर्ध्व तीन प्रैवेयक सौ और अनुत्तर में सिर्फ पाँच ही विमान का परिग्रह है ।

३ परिग्रह

अभिमान का मतलब अहंकार से है । स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, विभूति, स्थिति आदि में अभिमान पैदा होता है ।
 ४ अभिमान
 ऐसा अभिमान कपाय की कमी के कारण ऊपर ऊपर देवों में उत्तरोत्तर कम ही होता है ।

सूत्र में नहीं कही हुई और भी पाँच बातें देवों के संबन्ध में ज्ञातव्य - १. उच्छ्वास, २. आहार, ३. वेदना, ४. उपपात और ५. अनुभाव ।

ज्यों ज्यों देवों की स्थिति बढ़ती जाती है, त्यों त्यों उच्छ्वास का लक्षण भी बढ़ता जाता है; जैसे- दस हजार वर्ष की आयुवाले देवों का एक एक उच्छ्वास सात सात स्तोक परिमाण काल में होता है । एक पत्योपम की आयु वाले देवों का उच्छ्वास एक दिन के अन्दर एक ही होता है । सागरोपम की आयु वाले देवों के विषय में यह नियम है कि जिनकी आयु जितने सागरोपम हो उनका एक एक उच्छ्वास उतने उतने पक्ष पर होता है ।

१ उच्छ्वास

आहार के संबन्ध में यह नियम है कि दस हजार वर्ष की आयु वाले देव एक एक दिन बीच में छोड़कर आहार लेते हैं । पत्योपम की आयु वाले दिनपृथक्त्व के बाद

२ आहार

१. दो की संख्या से लेकर नव की संख्या तक पृथक्त्व का व्यवहार होता है ।

७ अवधिज्ञान का विषय

अधोभाग में शर्कराप्रभा तक, तिरछे भाग में सहायत लाख योजन तक और ऊपरभाग में अपने भवन तक अवधिज्ञान से देख सकते हैं। तरह क्रमशः बढ़ते-बढ़ते अन्त में अनुत्तर-विमानवासी देव सन्तानों को अवधिज्ञान से देख सकते हैं। जिन देवों के अक्षय्यक्षेत्र समान होता है, उनमें भी नीचे की अपेक्षा ऊपर के देव विशुद्धतर ज्ञान का सामर्थ्य रखते हैं। २१।

चार बातें ऐसी हैं जो नीचे की अपेक्षा ऊपर उपर के देवों में कम-कम पाई जाती हैं; जैसे—

गमनक्रिया की शक्ति और गमनक्रिया में प्रवृत्ति ये दोनों ही ऊपर के देवों में कम पाई जाती हैं; क्योंकि ऊपर ऊपर के देवों में उत्तम महानुभावता और उदासीनता अधिक होने के कारण गति देशान्तर विषयक फीका करने की शक्ति कम-कम होती है। सानुकुमार आदि के देव जिन की जघन्य स्थिति ही सागरेयम में है अधोभाग में सातवें नरक तक और तिरछे अर्धसहायत हजार योजन पर्यन्त जाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसके बाद के जघन्य वाले देवों का गतिसामर्थ्य घटते-घटते यहाँ तक घट जाता है कि देव अधिक से अधिक तीसरे नरक तक ही जाने का सामर्थ्य रखते हैं। शक्ति चाहे अधिक हो, पर कोई देव अधोभाग में तीसरे नरक में न गया है और न जायगा।

शरीर का परिमाण पहले, दूसरे स्वर्ग में सात हाथ का; तीसरे स्वर्ग में छः हाथ का; चौथे, छठे स्वर्ग में पाँच हाथ का; सातवें, आठवें स्वर्ग में चार हाथ का; नववें, दसवें स्वर्ग तक में तीन तीन हाथ का; नव प्रियेयक में दो हाथ का अनुत्तरविमान में एक हाथ का है।

पहले स्वर्ग में बत्तीस लाख विमान; दूसरे में अट्ठाईस लाख, तीसरे में बारह लाख, चौथे में आठ लाख, पाँचवें में चार लाख, छठे में पचास हजार, सातवें में चालीस हजार, आठवें में छः हजार, नववें से बारहवें तक में सात सौ, अघोवर्ती तीन प्रवेयक में एकसौ ग्यारह, मध्यम तीन प्रवेयक में एकसौ सात; ऊर्ध्व तीन प्रवेयक में सौ और अनुत्तर में सिर्फ पाँच ही विमान का परिग्रह है।

३ परिग्रह

अभिमान का मतलब अहंकार से है। स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, विभूति, स्थिति आदि में अभिमान पैदा होता है।
 ४ अभिमान ऐसा अभिमान कपाय की कमी के कारण ऊपर ऊपर के देवों में उत्तरोत्तर कम ही होता है।

सूत्र में नहीं कही हुई और भी पाँच बातें देवों के संबन्ध में ज्ञातव्य हैं- १. उच्छ्वास, २. आहार, ३. वेदना, ४. उपपात और ५. अनुभाव।

ज्यों ज्यों देवों की स्थिति बढ़ती जाती है, त्यों त्यों उच्छ्वास का कालमान भी बढ़ता जाता है; जैसे- दस हजार वर्ष की आयुवाले देवों का एक एक उच्छ्वास सात सात स्तोत्र परिमाण काल में होता है। एक पत्योपम की आयु वाले देवों का उच्छ्वास एक दिन के अन्दर एक ही होता है। सागरोपम की आयु वाले देवों के विषय में यह नियम है कि जिनकी आयु जितने सागरोपम की हो उनका एक एक उच्छ्वास उतने उतने पक्ष पर होता है।

१ उच्छ्वास

आहार के संबन्ध में यह नियम है कि दस हजार वर्ष की आयु वाले देव एक एक दिन बीच में छोड़कर आहार लेते हैं। पत्योपम की आयु वाले दिनष्टृपकस्य के बाद

२ आहार

१. दो की संख्या से लेकर नव की संख्या तक पृथक्त्व का व्यवहार होता है।

आहार लेते हैं। सागरोपम के विषय में, यह नियम है कि जिससे अधिक जितने सागरोपम की हो वे उतने हजार वर्ष के बाद आहार लेते हैं।

सामान्य रीति से देवों के साता—मुख वेदना ही होती है। स्व-
असाता—दुःख वेदना हो गई तो यह अन्तर्जात है
३ वेदना अधिक काल तक नहीं रहती। साता वेदना में काल-
तार छः महीने तक एक सी रहकर फिर बदल जाती है।

उपपात का मतलब उत्पत्तिस्थान की योग्यता से है। अन्य लोक-
लिङ्गिक मिथ्यात्वी बारहवें स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकते हैं। पर-
लिङ्गिक मिथ्यात्वी त्रैवेयक तक जा सकते हैं। उपपात
४ उपपात पहले स्वर्ग से सर्वार्थसिद्ध पर्यन्त कक्षी भी जा सकते हैं।
परन्तु चतुर्दशपूर्वी संयत पाँचवें स्वर्ग से नीचे उत्पन्न होते ही नहीं।

अनुभाव का मतलब लोकस्वभाव—जगद्गम से है, इसी को स्व-
सच विमान तथा सिद्धशिला आदि आराध में मिथ्या
५ अनुभाव अवस्थित हैं।

भगवान् अरिहन्त के जन्माभिषेक आदि प्रसंगों पर देवों के अङ्ग-
का फणित होना यह भी लोकानुभाव का ही कार्य है। आनन्द-
अनन्तर अवधिज्ञान के उपयोग से तीर्थंकर की महिमा को जानकर इ-
देव निकट आकर उनकी स्तुति, वन्दना, उपासना आदि से आनन्द-
करते हैं। कुछ देव अपने ही स्थान में रहकर प्रत्युत्थान, अङ्ग-
प्रणिपात, नमस्कार, उपहार आदि से तीर्थंकर की अर्चा करते हैं।
भी सब लोकानुभाव का ही कार्य है। २२।

वैमानिहों में लेख्या का नियम—

पीतपद्मशुक्लेश्या द्वित्रिशेषेषु । २३ ।

दो, तीन और शेष स्वर्गों में क्रम से पीत, पद्म और शुक्रेन्द्रिया-
वाले देव हैं।

पहले दो स्वर्गों के देवों में पीत—तेजो लक्ष्या होती है। तीसरे से
चौथे स्वर्ग तक के देवों में पद्मलक्ष्या और छठे से सर्वायसिद्ध पर्यन्त के
देवों में शुक्रेन्द्रिया होती है। यह नियम शरीरवर्णरूप द्रव्यलक्ष्या का है, क्योंकि
कि अश्वत्थसाय रूप भावलक्ष्या तो सब देवों में छहों पाई जाती है। २२।

कल्पों की परिगणना—

प्राग् प्रैवेयकेभ्यः कल्पाः । २४ ।

प्रैवेयकों से पहले कल्प हैं।

जिनमें इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश आदि रूप से देवों के विभाग
की कल्पना है वे कल्प हैं। ऐसे कल्प प्रैवेयक के पहले तक अर्थात् सौधर्म
से अच्युत पर्यन्त बराबर हैं। प्रैवेयक से लेकर सभी कल्पातीत हैं; क्योंकि
उनमें इन्द्र, सामानिक; त्रायस्त्रिंश आदि रूप से देवों की विभाग कल्पना
नहीं है; अर्थात् वे सभी बराबरी वाले होने से अहमिन्द्र कहलाते हैं। २४।

लोकान्तिक देवों का वर्णन—

ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः । २५ ।

सारस्वतादित्यवह्न्यरुणगर्दतीयतुपिताव्याबाध-
मंरुतोऽरिष्ठाच । २६ ।

१. रायल एशियाटिक सोसायटी की मुद्रित पुस्तक में 'अरिष्ठाश्च' इस
अंश को निश्चित रूप से सूत्र में न रखकर कोष्ठक में रक्खा है; परन्तु म०
म० की मुद्रित पुस्तक में यही अंश 'रिष्ठाश्च' पाठ सूत्रगत ही निश्चित रूप
से उगा है। यद्यपि श्वेताम्बर संप्रदाय के मूलसूत्र में 'ऽरिष्ठाश्च' ऐसा पाठ

आहार लेते हैं। सागरोपम के विषय में, यह नियम है कि किसी भी जितने सागरोपम की हो वे उतने हजार वर्ष के बाद आहार लेते हैं।

सामान्य रीति से देवों के साता-सुख वेदना ही होती है। पर
असाता-दुःख वेदना हो गई तो वह अल्पकाल
३ वेदना अधिक काल तक नहीं रहती। साता वेदना में ल

तार छः महीने तक एक सी रहकर फिर बदल जाती है।

उपपात का मतलब उत्पत्तिस्थान की योग्यता से है। अन्य लोक
लिङ्गिक मिथ्यात्वी चारहवें स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकते हैं। स्वर्ग-
लिङ्गिक मिथ्यात्वी त्रैवेणिक तक जा सकते हैं। समस्त

४ उपपात पहले स्वर्ग से सर्वसिद्ध पर्यन्त कहीं भी जा सकते हैं
परन्तु चतुर्दशपूर्वा संयत पाँचवें स्वर्ग से नीचे उत्पन्न होते ही नहीं।

अनुभाव का मतलब लोकस्वभाव-जगद्रम से है, इसी की रीति
सब विमान तथा सिद्धशिला आदि आकाश में निरूप
५ अनुभाव अवस्थित हैं।

भगवान् अरिहन्त के जन्माभिषेक आदि प्रसंगों पर देवों के स्वर्ग
का कम्पित होना यह भी लोकानुभाव का ही कार्य है। आनन्द
अनन्तर अधिज्ञान के उपयोग से तीर्थङ्कर की महिमा को जानकर
देव निकट आकर उनकी स्तुति, वन्दना, उपासना आदि से आत्मदान
करते हैं। कुछ देव अपने ही स्थान में रहकर प्रस्युरयान, अश्वि
प्रणिपात, नमस्कार, उपहार आदि से तीर्थङ्कर की अर्चा करते हैं।
भी सब लोकानुभाव का ही कार्य है। २२।

चैमानिकों में लेश्या का नियम—

पीतपद्मशुक्लेभ्या द्वित्रिशेषेषु । २३ ।

दो, तीन और शेष स्वर्गों में क्रम से पीत, पद्म और शुकुल लेश्या-
देव हैं ।

पहले दो स्वर्गों के देवों में पीत—तेजो लेश्या होती है । तीसरे से
चौथे स्वर्ग तक के देवों में पद्मलेश्या और छठे से सर्वायसिद्ध पर्यन्त के
में शुकुललेश्या होती है । यह नियम शरीरवर्णरूप द्रव्यलेश्या का है, क्योंकि
अध्वसाय रूप भावलेश्या तो सब देवों में छाई पाई जाती हैं । २२ ।

कल्पों की परिगणना—

प्राग् प्रैवेयकेभ्यः कल्पाः । २४ ।

प्रैवेयकों से पहले कल्प हैं ।

जिनमें इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश आदि रूप से देवों के विभाग
कल्पना है वे कल्प हैं । ऐसे कल्प प्रैवेयक के पहले तक अर्थात् सौधर्म
पर्यन्त चारह हैं । प्रैवेयक से लेकर सभी कल्पातीत हैं; क्योंकि
में इन्द्र, सामानिक; त्रायस्त्रिंश आदि रूप से देवों की विभाग कल्पना
है; अर्थात् वे सभी चराचरी घाले होने से अहमिन्द्र कहलाते हैं । २४ ।

लोकान्तिक देवों का वर्णन—

ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः । २५ ।

सारस्वतादित्यवह्न्यरुणगर्दतोयतुपिताव्यावाध-

भेरुतोऽरिष्ठाच । २६ ।

१. रायल एशियाटिक सोसायटी की मुद्रित पुस्तक में 'अरिष्ठाश्च' इस
की निश्चित रूप से सूत्र में न रखकर कोष्ठक में रक्खा है; परन्तु म०
की मुद्रित पुस्तक में यही अंश 'रिष्ठाश्च' पाठ सूत्रगत ही निश्चित रूप
लिया है । यद्यपि श्वेताम्बर संप्रदाय के मूलसूत्र में 'ऽरिष्ठाश्च' ऐसा पाठ

ब्रह्मलोक ही लोकान्तिक देवों का आलय—निवासस्थान है।

सारस्वत, आदित्य, वह्नि, अरुण, गर्दतोय, तुषिति, धर्मरत्न, मरुत और अरिष्ट ये लोकान्तिक हैं।

लोकान्तिक देव जो विपयरति से रहित होने के कारण देवों कहाते हैं, तथा आपस में छोटे बड़े न होने के कारण सभी स्वर्ग और जो तार्पण्य के निष्क्रमण—गृहत्याग के समय उनके सामने उभर कर “बुज्जाह बुज्जाह” शब्द द्वारा प्रतिबोध करने का अर्थ पालन करते हैं; वे ब्रह्मलोक नामक पाँचवें स्वर्ग के ही चारों ओर विदिशाओं में रहते हैं, दूसरी जगह कहीं नहीं रहते। वे सभी स्वर्गों से च्युत होकर मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष पाते हैं।

हरएक दिशा, हरएक विदिशा और मध्यभाग में एक एक लोचने के कारण उनकी कुल नव जातियाँ हैं; जैसे—पूर्वोत्तर अक्षांश-रेखा कोण में सारस्वत, पूर्व में आदित्य, पूर्वदक्षिण-अक्षिणोण में अरुण, दक्षिणपश्चिम-नैऋत्यकोण में गर्दतोय, पश्चिम में तुषिति, पश्चिमोत्तर-वायव्यकोण में अम्यावाद्य, उत्तर में मरुत और बीच में अरिष्ट नामके लोकान्तिक रहते हैं। इनके सारस्वत आदि नाम विमान के नामों आधार पर ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ इतनी विशेषता और भी जान करेगा चाहे कि इन दो सूत्रों के मूलभाष्य में लोकान्तिक देवों के आठ ही नाम बतलाये गए हैं, नव नहीं। दिगम्बर संप्रदाय के सूत्र पाठ में भी

है, तथापि इस सूत्र के भाष्य की टीका में “परिणोपात्ताः रिष्टविमानप्रसूयां यतिभिः” इत्यादि उल्लेख है; जिससे ‘अरिष्ट’ के स्थान में ‘रिष्ट’ होने भी तर्क हो सकता है। परन्तु दिगम्बर संप्रदाय में इस सूत्र का अर्थ भाग ‘अम्यावाधारिणाश्च ऐसा भिद्यतां है। इससे यहाँ माफ ही पर ‘अरिष्ट’ नाम ही फलित होता है, ‘रिष्ट’ नहीं; माफ ही ‘मरुत’ का भी उल्लेख नहीं है।

संख्या की ही उपलब्धि होती है, उनमें 'मरुत' का उल्लेख नहीं। द्रौ, स्थानात् आदि सूत्रों में नव भेद जल्द पाये जाते हैं। उत्तमचरित्र में तो दश भेदों का भी उल्लेख मिलता है। इससे ऐसा मादम होता है कि यहाँ मूलसूत्र में 'मरुतो' पाठ पीछे से प्रक्षिप्त हुआ है। २५, २६।

अनुत्तर विमान के देवों का विशेषत्व-

विजयादिषु द्विचरमाः । २७ ।

विजयादि में देव, द्विचरम- दो बार मनुष्य जन्म धारण करके स्वत्व को प्राप्त करने वाले होते हैं।

अनुत्तरविमान के पाँच प्रकार हैं। उनमें से विजय, धैजयन्त, वन्त और अपराजित इन चार विमानों में जो देव रहते हैं, वे द्विचरम होते हैं; अर्थात् वे अधिक से अधिक दो बार मनुष्य जन्म धारण करके स्वत्व प्राप्त करते हैं। इसका क्रम इस प्रकार है : चार अनुत्तरविमान से व्युत्पन्न होने के बाद मनुष्यजन्म, उस जन्म के बाद अनुत्तरविमान में देवजन्म, तब से फिर मनुष्य जन्म और उसी जन्म से मोक्ष। परन्तु सर्वार्थसिद्ध मानवासी देव शिर्ष एक ही बार मनुष्य जन्म लेते हैं, वे उस विमान से स्वत्व होने के बाद मनुष्यजन्म धारण करके उसी जन्म में मोक्ष लाभ करते हैं। अनुत्तर विमानवासी के सिवा अन्य सब प्रकार के देवों के लिए कोई स्वत्व नहीं है; क्योंकि कोई तो एक ही बार मनुष्यजन्म लेकर मोक्ष जाते हैं, कोई दो बार, कोई तीन बार, कोई चार बार और कोई उससे भी अधिक बार जन्म धारण करते हैं। २७।

तिर्यचों का स्वरूप-

औपपातिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनय । २८ ।

औपपातिक और मनुष्य से जो शेष हैं, वे तिर्यचयोनि वाले हैं। ✓

तिर्यंच कौन कहलाते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर इस सूत्र में है। औपपातिक-देव तथा नारक, और मनुष्य को छोड़कर सभी के ही संसारी जीव तिर्यंच कहे जाते हैं। देव, नारक और मनुष्य त्रिदश भोग होते हैं; पर तिर्यंच में एकैन्द्रिय से पञ्चैन्द्रिय तक सब प्रकार के भोग जाते हैं। देव, नारक और मनुष्य जैसे लोक के खास भागों में ही जाते हैं, जैसे तिर्यंच नहीं पाये जाते, क्योंकि उनका स्थान त्रिदश भागों में है। २८।

अधिकार सूत्र-

स्थितिः । २९।

आयु वर्गन की जाती है।

मनुष्य और तिर्यंच की अव्यय और उत्कृष्ट आयु बनसारी की। देव और नारक की बतलाना चाकी है, वह इस अध्याय की समाप्ति बतलाई जाती है। २९।

भवनपतिनिकाय की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन-

भवनेषु दक्षिणार्धाधिपतीनां पत्न्योपममध्यर्धम् । ३०।

शेषाणां पादोने । ३१।

असुरेन्द्रयोः सागरोपममधिकं च । ३२।

भवनों में दक्षिणार्ध के इन्द्रों की स्थिति डेढ़ पत्न्योपम की है।

शेष इन्द्रों की स्थिति बीने दो पत्न्योपम की है।

दो असुरेन्द्रों की स्थिति कम से सागरोपम और कुछ सागरोपम की है।

यहाँ भवनपतिनिकाय की जो स्थिति बतलाई गई है, वह समझनी चाहिए; क्योंकि अव्ययस्मिति का वर्णन आगे दीर्घार्थों में

माने वाला है। भवनपतिनिकाय के असुरकुमार, नागकुमार आदि दस भेद पहले कहे जा चुके हैं। हर एक भेद के दक्षिणार्ध के अधिपति और उत्तरार्ध के अधिपति रूप से दो दो इन्द्र हैं; जिनका वर्णन पहले ही कर दिया गया है। उनमें से दक्षिण और उत्तर के दो असुरेन्द्रों की उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है: दक्षिणार्ध के अधिपति चमर नामक असुरेन्द्र की स्थिति एक सागरोपम की ओर उत्तरार्ध के अधिपति बलि नामक असुरेन्द्र की स्थिति सागरोपम से कुछ अधिक है। असुरकुमार को छोड़कर बाकी के नागकुमार आदि नव प्रकार के भवनपति के जो दक्षिणार्ध के धरण आदि नव इन्द्र हैं, उनकी स्थिति षेड पत्योपम की और जो उत्तरार्ध के भूतानन्द आदि नव इन्द्र हैं, उनकी स्थिति पौने दो पत्योपम की है। ३०-३२।

वैमानिकों की उत्कृष्ट स्थिति-

सौधर्मादिषु यथाक्रमम् । ३३ ।

सागरोपमे । ३४ ।

अधिके च । ३५ ।

सप्त सानत्कुमारे । ३६ ।

विशेषात्रिसप्तदशैकादशत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि
च । ३७ ।

आरणान्युताद् ऊर्ध्वमेकैकेन नवसु प्रैवेयकेषु, विजया-
दिषु सर्वार्थसिद्धे च । ३८ ।

सौधर्म आदि देवलोको में निम्नोक्त क्रम से स्थिति जानना ।

सौधर्म में दो सागरोपम की स्थिति है ।

पेशान में कुछ अधिक दो सागरोपम की स्थिति है ।

सानत्कुमार में सात सागरोपम की स्थिति है ।

माहेन्द्र से आरणाच्युत तक क्रम से कुछ अधिक सात सागरोपम, नीन से अधिक सात सागरोपम, सात से अधिक सात सागरोपम, सप्त से अधिक सात सागरोपम, ग्यारह से अधिक सात सागरोपम, तेषु से अधिक सात सागरोपम, पंद्रह से अधिक सात सागरोपम प्रमाण स्थिति है।

आरणाच्युत के ऊपर नव प्रवेयक, चार विजयादि और सर्वशक्ति में अनुक्रम से एक एक सागरोपम अधिक स्थिति है।

यहाँ वैमानिक देवों की जो स्थिति क्रम से बतलाई गई है उल्टी है; उनकी जघन्य स्थिति आगे बतलाई जाएगी। पहले सप्त दो सागरोपम की, दूसरे में दो सागरोपम से कुछ अधिक, तीसरे में दो सागरोपम की, चौथे में सात सागरोपम से कुछ अधिक, पाँचवें में सात सागरोपम की, छठे में चौदह सागरोपम की, सातवें में सप्त सागरोपम की, आठवें में अठारह सागरोपम की, नववें-दसवें में बीस सागरोपम की और ग्यारहवें-बारहवें स्वर्ग में बाईस सागरोपम की स्थिति है। नव प्रवेयक में तेईस सागरोपम की, दूसरे में चौबीस सागरोपम की, तीसरे में एक एक बढ़ते बढ़ते नववें प्रवेयक में इकतीस सागरोपम की स्थिति है। पहले चार अनुत्तर विमान में बत्तीस और सर्वायतिष्ठ में तेतीस सागरोपम की स्थिति है। ३३-३८।

वैमानिकों की जघन्य स्थिति—

अपरा पल्योपमधिकं च । ३९ ।

सागरोपमे । ४० ।

१. दिगम्बर टीकाओं में और कहीं कहीं भेताम्बर स्थिति में विजयादि चार विमानों में उल्टी स्थिति तेतीस सागरोपम की स्थिति देखो इसी अष्टाध्याय का सू. ४२ का भाष्य । रामहृषी में भी ३३ सागरोपम की उल्टी स्थिति कही गई है।

अधिके च । ४१ ।

परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तरा । ४२ ।

अपरा—जघन्य स्थिति पत्योपम और कुछ अधिक पत्योपम

दो सागरोपम की है ।

कुछ अधिक दो सागरोपम की है ।

आगे आगे पहली पहली परा—उत्कृष्ट स्थिति अनन्तर अनन्तर जघन्य स्थिति है ।

सौधर्मादि की जघन्य स्थिति अनुक्रम से इस प्रकार है : पहले में एक पत्योपम की दूसरे में पत्योपम से कुछ अधिक, तीसरे में दो सागरोपम की, चौथे में दो सागरोपम से कुछ अधिक स्थिति है । पाँचवें भागे आगे सभी देवलोकों में जघन्य स्थिति वही है जो अननों अननों का पूर्व पूर्व के देवलोकों में उत्कृष्ट स्थिति हो । इस निरन के अनुसार देवलोक की कुछ अधिक सात सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति ही है; देवलोक में जघन्य स्थिति है; पाँचवें की दस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति छठे में जघन्य स्थिति है; छठे की चौदह सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति सातवें में जघन्य स्थिति है; सातवें की दस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति आठवें में जघन्य है; आठवें की दस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति नववें-दसवें में जघन्य; नववें-दसवें की दस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति ग्यारहवें-बारहवें की जघन्य; ग्यारहवें-बारहवें की दस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति प्रथम प्रवेयक की जघन्य स्थिति है; इस नीचे नीचे के प्रवेयक की उत्कृष्ट स्थिति को ऊपर ऊपर के प्रवेयक की उत्कृष्ट स्थिति समझना चाहिए । इस क्रम से नववें प्रवेयक की उत्कृष्ट स्थिति सागरोपम की होती है । चार अनुसराविमान हैं : जघन्य स्थिति

इकतीस सागरोपम की है। सर्वापेक्षित में उत्कृष्ट और अन्तर नहीं है अर्थात् तैतीस सागरोपम की ही स्थिति है। ४१-४१।

नारकों की जघन्य स्थिति—

नारकाणां च द्वितीयादिषु । ४३ ।

दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् । ४४ ।

दूसरी आदि भूमियों में नारकों की पूर्व-पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति अनन्तर अनन्तर की जघन्य स्थिति है।

पहली भूमि में जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है।

जैसा ब्रह्मालीसवें सूत्र में देवों की जघन्य स्थिति का क्रम है, उसी क्रम दूसरी से लेकर सातवीं भूमि तक के नारकों की जघन्य स्थिति का है। इस नियम के अनुसार पहली भूमि की एक सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति दूसरी में जघन्य स्थिति है। दूसरी की तीन सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति तीसरी में जघन्य है। तीसरी की सात सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति चौथी में जघन्य है। चौथी की दस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति पाँचवीं में जघन्य है। पाँचवीं की सत्रह सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति छठी में जघन्य है। छठी की बाईस सागरोपम स्थिति सातवीं में जघन्य है। सातवीं की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष प्रमाण है। ४३, ४४।

भवनपतियों की जघन्य स्थिति—

भवनेषु च । ४५ ।

भयनों में भी दस हजार वर्ष प्रमाण ही जघन्य स्थिति है।

व्यन्तरों की स्थिति—

व्यन्तराणां च । ४६ ।

परा पल्योपमम् । ४७ ।

व्यन्त्रोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है ।

और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम प्रमाण है । ४६, ४७ ।

ज्योतिष्कों की स्थिति—

ज्योतिष्काणामधिकम् । ४८ ।

ग्रहाणामेकम् । ४९ ।

नक्षत्राणामर्धम् । ५० ।

तारकाणां चतुर्भागः । ५१ ।

जघन्या त्वष्टभागः । ५२ ।

चतुर्भागः शेषाणाम् । ५३ ।

ज्योतिष्क. अर्थात् सूर्य, चन्द्र की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक पम की है ।

ग्रहों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम की है ।

नक्षत्रों की उत्कृष्ट स्थिति अर्ध पल्योपम की है ।

तारों की उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का चौथा भाग है ।

और जघन्य स्थिति तो पल्योपम का आठवाँ भाग है ।

शेष अर्थात् तारों को छोड़कर बाकी के ज्योतिष्कों अर्थात् ग्रहों नक्षत्रों की जघन्य स्थिति पल्योपम का चौथा भाग है । ४८-५३ ।

पाँचवाँ अध्याय

दूसरे से चौथे अध्याय तक जीवतत्त्व का निरूपण हुआ। अध्याय में अजीवतत्त्व का निरूपण है।

अजीव के भेद—

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः । १ ।

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय ये चार अजीवकाय हैं।

निरूपणपद्धति के नियमानुसार पहले लक्षण और बाद में भेद कथन करना चाहिए; फिर भी यहाँ सूत्रकार ने अजीवतत्त्व का स्वरूप बतलाकर उसके भेदों का जो कथन किया है उसका अनिश्चय है कि अजीव का लक्षण जीव के लक्षण से ही ज्ञात हो जाता है। इसे अलग से कहने की खास आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि अजीव जीव नहीं है वह अजीव है। उपयोग जीव का लक्षण है, जिससे ज्ञान हो वह तत्त्व अजीव; अर्थात् उपयोग का अभाव ही अजीव का लक्षण फलित होता है।

अजीव यह जीव का विरोधी भावात्मक तत्त्व है; वह स्वतन्त्र भावात्मक नहीं है।

धर्म आदि चार अजीव तत्वों को आस्तिकाय कहने का अर्थ यह है कि ये तत्व सिर्फ एक प्रदेशरूप या एक अवयवरूप हैं किन्तु प्रचय अर्थात् समूहरूप हैं। धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों प्रदेशप्रचय रूप हैं, और पुद्गल अवयवरूप तथा अणुप्रचय रूप हैं।

प्र०—नित्यत्व-और अवस्थितत्व के अर्थ में क्या अन्तर है ?

उ०—अपने अपने सामान्य तथा विशेष स्वरूप से च्युत न होना है, और अपने अपने स्वरूप में कायम रहते हुए भी दूसरे के स्वरूप को प्राप्त न करना अवस्थितत्व है; जैसे जवितत्त्व 'द्रव्यात्मक सामान्य रूप और चेतनात्मक विशेष रूप को कभी नहीं', यह उसका नित्यत्व है; और उक्त स्वरूप को न छोड़ता हुआ अजीव तत्त्व के स्वरूप को प्राप्त नहीं करता यह उसका अवस्थितत्व सारांश यह कि स्व-स्वरूप को न त्यागना और परस्वरूप को प्राप्त न करना ये दो अंश—धर्म सभी द्रव्यों में समान हैं। उनमें से पहला नित्यत्व और दूसरा अंश अवस्थितत्व कहलाता है। द्रव्यों के नित्यत्व से जगत की शाश्वतता सूचित की जाती है और अवस्थितत्वकथन जगत् पारस्परिक असांकर्य सूचित किया जाता है; अर्थात् वे सब तैन्शील होने पर भी अपने स्वरूप में सदा स्थित हैं और एक साथ हुए भी एक दूसरे के स्वभाव—लक्षण से अस्पृष्ट हैं। अतएव जगत् अनादि-निधन भी है और इसके मूल तत्त्वों की संख्या भी सी रहती है।

प्र०—धर्मास्तिकाय आदि अजीव सब द्रव्य हैं और तत्त्व भी हैं उनका कोई न कोई स्वरूप अवश्य मानना पड़ेगा, फिर उन्हें अस्वी कहा गया ?

है। साधर्म्य का अर्थ है समानधर्म—समानता और वैधर्म्य का अर्थ
विरुद्धधर्म—असमानता। इस सूत्र में जो द्रव्यत्व का विचार
धर्मास्तिकाय आदि पाँचों पदार्थों का द्रव्यरूप साधर्म्य है। अर्थ
हो सकता है तो गुण या पर्याय का, क्योंकि गुण भी द्रव्य
द्रव्य नहीं हैं। २।

मूलद्रव्यों का साधर्म्य और वैधर्म्य—

नित्यावस्थितान्यरूपाणि । ३ ।

रूपिणः पुद्गलाः । ४ ।

आकाशादेकद्रव्याणि । ५ ।

निष्क्रियाणि च । ६ ।

उक्त द्रव्य नित्य हैं, स्थिर हैं और अरूपी हैं।

पुद्गल रूपी अर्थात् मूर्त हैं।

उक्त पाँच में से आकाश तक के द्रव्य एक एक हैं।

और निष्क्रिय हैं।

धर्मास्तिकाय आदि पाँचों द्रव्य नित्य हैं अर्थात् वे अपने
सामान्य तथा विशेष स्वरूप से कदापि घ्युत नहीं होते। वे द्रव्य
भी हैं, क्योंकि उनकी संख्या में कभी न्यूनाधिकता नहीं होती। अतः
तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और अक्षरिकाय
चार ही द्रव्य हैं। पुद्गलद्रव्य अरूपी नहीं है। साधर्म्य का अर्थ
नित्यत्व तथा अवस्थितत्व ये दोनों पाँचों द्रव्यों के साधर्म्य हैं।
पित्त पुद्गल को छोड़कर शेष चार द्रव्यों का साधर्म्य है।

१. भाष्य में 'आ आकाशान्' ऐमा सन्धिर्दहित पाठ है।
परन्तु में तो सूत्र में भी सन्धिर्दहित पाठ है।

प्र०—नित्यत्व और अवस्थितत्व के अर्थ में क्या अन्तर है ?

उ०—अपने अपने सामान्य तथा विशेष स्वरूप से च्युत न होना यत्व है, और अपने अपने स्वरूप में कायम रहते हुए भी दूसरे के स्वरूप को प्राप्त न करना अवस्थितत्व है; जैसे जवितत्त्व ने द्रव्यात्मक सामान्य रूप और चेतनात्मक विशेष रूप को कभी नहीं इता, यह उसका नित्यत्व है; और उक्त स्वरूप को न छोड़ता हुआ अजीव तत्त्व के स्वरूप को प्राप्त नहीं करता यह उसका अवस्थितत्व । सारांश यह कि स्व-स्वरूप को न त्यागना और परस्वरूप को प्राप्त करना ये दो अंश—धर्म सभी द्रव्यों में समान हैं । उनमें से पहला नित्यत्व और दूसरा अंश अवस्थितत्व कहलाता है । द्रव्यों के नित्य-ध्यान से जगत् की शाश्वतता सूचित की जाती है और अवस्थितत्वकथन उनका पारस्परिक असाकर्य सूचित किया जाता है; अर्थात् वे सब वर्तनेशील होने पर भी अपने स्वरूप में सदा स्थित हैं और एक साथ न हुए भी एक दूसरे के स्वभाव—लक्षण से अस्पृष्ट हैं । अतएव जगत् अनादि-निधन भी है और इसके मूल तत्त्वों की संख्या भी क सी रहती है ।

प्र०—धर्मास्तिकाय आदि अजीव जगत् द्रव्य हैं और तत्त्व भी हैं उनका कोई न कोई स्वरूप अवश्य मानना पड़ेगा, फिर उन्हें अरूपी से कहा गया ?

उ०—यहाँ अरूपित्व का मतलब स्वरूपनिषेध से नहीं है, स्वस्व धर्मास्तिकाय आदि तत्त्वों का भी अवश्य होता है । अगर उनका कोई रूप न हो तब तो वे अश्वशृङ्ग की तरह वस्तु ही सिद्ध न हों । यहाँ अरूपित्व के कथन से रूप—मूर्ति का निषेध करना है । रूप का अर्थ ही मूर्ति है । रूप आदि संस्थान परिणाम को अथवा रूप, रस, गन्ध

और स्पर्श के समुदाय को मूर्ति कहते हैं। ऐसी मूर्ति का धर्मास्तिकाय आदि चार तत्त्वों में अभाव होता है। यही बात 'अरूपी' वद में भी गई है। ३।

रूप, मूर्तत्व, मूर्ति ये सभी शब्द समानार्थक हैं। रूप, तत्त्वों के गुण इन्द्रियों से प्रश्न किये जा सकते हैं, वे इन्द्रियमात्र गुण ही नहीं कहे जाते हैं। पुद्गलों के गुण इन्द्रियमात्र हैं, इसलिए पुद्गल ही मूर्त-रूपी हैं। पुद्गल के सिवा अन्य कोई द्रव्य मूर्त नहीं है; क्योंकि वे इन्द्रियों से ग्रहीत नहीं होते। अतएव रूपित्व यह पुद्गल से, मित्त धर्मास्तिकाय आदि चार तत्त्वों का वैधर्म्य है।

यद्यपि अतीन्द्रिय होने से परमाणु आदि अनेक सूक्ष्म शब्दों के उनके गुण इन्द्रियमात्र नहीं हैं, तथापि विशिष्ट परिणामरूप अवस्था स्थिति में वे ही इन्द्रियों के द्वारा प्रश्न होने की योग्यता रखते हैं; इसी बात से अतीन्द्रिय होते हुए भी रूपी—मूर्त ही हैं। अरूपी कहे जाने वाले धर्मास्तिकाय आदि चार द्रव्य तो इन्द्रिय के विषय बनने की योग्यता नहीं रखते। अतीन्द्रिय पुद्गल और अतीन्द्रिय धर्मास्तिकाय आदि इनके ही यही अन्तर है। ४।

उक्त पाँच द्रव्यों में से आकाश पर्यन्त के तीन द्रव्य अर्थात् धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय एक एक व्यक्ति रूपी इनकी दो या दो से अधिक व्यक्तियों नहीं है।

इसी तरह वे तीनों ही निष्क्रिय—क्रियारहित हैं। एक व्यक्ति और निष्क्रियत्व ये दोनों उक्त तीनों द्रव्यों का वैधर्म्य और जीवत्व तथा पुद्गलास्तिकाय का वैधर्म्य है। जीव और पुद्गल द्रव्य ही व्यक्ति व्यक्तियों हैं और वे क्रियार्थक भी हैं। जैनदर्शन प्रेरणत की तरह अन्य द्रव्य को एक व्यक्तिरूप नहीं मानता और सांख्य, वैशेषिक आदि अन्य वैदिक दर्शनों की तरह उसे निष्क्रिय भी नहीं मानता।

प्र०—जैनमत के अनुसार सभी द्रव्यों में पर्यायपरिणमन—उत्पाद, व्यय माना जाता है। यह परिणमन क्रियाशील द्रव्यों में हो सकता है। धर्मास्तिकाय आदि तीन द्रव्यों को अगर निष्क्रिय माना जाय तो उनमें पर्यायपरिणमन कैसे घट सकेगा ?

उ०—यहाँ निष्क्रियत्व से गतिक्रिया का निषेध किया गया है, क्रियामात्र का नहीं। जैनमत के अनुसार निष्क्रिय द्रव्य का मतलब 'गति-शून्य द्रव्य' इतना ही है। गतिशून्य धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों में भी सदृशपरिणमन रूप क्रिया जैनदर्शन मानता ही है। ५, ६।

प्रदेशों की संख्या का विचार—

असह्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मयोः । ७।

जीवस्य च । ८।

आकाशस्यानन्ताः । ९।

सह्येयाऽसह्येयाश्च पुद्गलानाम् । १०।

नाणोः । ११।

धर्म और अधर्म के प्रदेश असंख्यात हैं।

एक जीव के प्रदेश असंख्यात हैं।

आकाश के प्रदेश अनन्त हैं।

पुद्गलद्रव्य के प्रदेश संख्यात, असंख्यात और अनन्त होते हैं।

अणु—परमाणु के प्रदेश नहीं होते।

धर्म, अधर्म आदि चार अजीव और जीव इन पाँच द्रव्यों को काय करके पहले यह सूचित किया है कि पाँच द्रव्य अस्तिकाय अर्थात् प्रदेशप्रचय रूप हैं; परन्तु उनके प्रदेशों की विशेष संख्या पहले नहीं बताई है, वही संख्या यहाँ बतलाई जाती है।

धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय—प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश अंश-रूपात हैं। प्रदेश का मतलब एक ऐसे सूक्ष्म अंश से है, जिसे एका अंश की कल्पना बुद्धि से भी नहीं की जा सकती। ऐसे अविभाज्य रूप को निरंश अंश भी कहते हैं। धर्म, अधर्म ये दो द्रव्य एक एक स्वरूप हैं और उनके प्रदेश—अविभाज्य अंश असंख्यात-असंख्यात हैं। इस कल्पना से फलित यह हुआ कि उक्त दोनों द्रव्य एक ऐसे अंगद रूप में हैं, जिनके असंख्यात अविभाज्य सूक्ष्म अंश सिर्फ बुद्धि से कल्पित भिन्न हो सकते हैं, ये वस्तुभूत स्कन्ध से अलग नहीं किये जा सकते।

जीवद्रव्य व्यक्ति रूप से अनन्त हैं। प्रत्येक जीवव्यक्ति एक प्रकार का वस्तु है जो धर्मास्तिकाय की तरह असंख्यात प्रदेश-परिमाण है।

आकाशद्रव्य अन्य सब द्रव्यों से बड़ा स्कन्ध है, क्योंकि पर धर्म प्रदेश-परिमाण है।

पुद्गलद्रव्य के स्कन्ध धर्म, अधर्म आदि दूसरे चार द्रव्यों की भाँति नियत रूप नहीं हैं; क्योंकि कोई पुद्गल स्कन्ध संख्यात प्रदेशों का होता है, कोई असंख्यात प्रदेशों का, कोई अंगत प्रदेशों का, और कोई अनन्तानन्त प्रदेशों का भी होता है।

पुद्गल और दूसरे द्रव्यों के बीच इतना अन्तर है कि—पुद्गल प्रदेश अपने स्कन्ध से अलग-अलग हो सकते हैं, पर अन्य चार द्रव्यों के प्रदेश अपने-अपने स्कन्ध से अलग नहीं हो सकते; क्योंकि पुद्गल भिन्न चारों द्रव्य अमूर्त हैं, और अमूर्त का समापन संश्लेष न होने के कारण है। पुद्गलद्रव्य मूर्त है, मूर्त के संघ हो भी सकते हैं, क्योंकि संश्लेष के द्वारा मिलने की तथा अलग होने की शक्ति मूर्तद्रव्य में होती है। इसी अन्तर के कारण पुद्गलस्कन्ध के छोटे बड़े भागों को अलग-अलग कहते हैं। अलग-अलग का अर्थ है अलग होने वाला अंश।

यद्यपि परमाणु भी पुद्गल होने के कारण मूर्त है, तथापि उसका विभाग नहीं हो सकता; क्योंकि वह आकाश के प्रदेश की तरह पुद्गल का छोटे से छोटा अंश है। परमाणु का ही परिमाण सबसे छोटा परिमाण है, इसी से वह भी अविभाज्य अंश है।

यहाँ जो परमाणु के खंड—अंश न होना कहा जाता है, वह द्रव्य व्यक्ति रूप से है, पर्याय रूप से नहीं। पर्याय रूप से तो उसके भी अंशों की कल्पना की गई है; क्योंकि एक ही परमाणु में वर्ण, गन्ध, रस आदि अनेक पर्याय हैं; वे सभी उस द्रव्य के भाव रूप अंश ही हैं। इसलिए एक परमाणु के भी भावपरमाणु अनेक माने जाते हैं।

प्र०—धर्म आदि के प्रदेश और पुद्गल के परमाणु के बीच क्या अन्तर है ?

उ०—परमाणु की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं। जितने क्षेत्र में परमाणु रह सकता है, उतने भाग को प्रदेश कहते हैं। परमाणु अविभाज्य अंश होने से उनके समाने लायक क्षेत्र भी अविभाज्य ही होगा। अतएव परमाणु और तत्परिमित प्रदेशसंश्लेष क्षेत्र दोनों ही परिमाण की दृष्टि से समान हैं, तो भी उनके बीच यह अन्तर है कि परमाणु अपने अंशीभूत स्क्न्ध से अलग हो सकता है; पर धर्म आदि द्रव्यों के प्रदेश अपने स्क्न्ध से अलग नहीं हो सकते।

प्र०—नववें सूत्र में 'अनन्त' पद है, इसे पुद्गलद्रव्य के अनेक अनन्त प्रदेश होने का अर्थ तो निकल सकता है, पर अनन्तानन्त प्रदेश होने का जो अर्थ ऊपर निकाला है सो किस पद से ?

उ०—अनन्तपद सामान्य है, यह सब प्रकार की अनन्त संख्याओं का बोध करा सकता है। इसलिए उसी पद से अनन्तानन्त अर्थ का ग्रहण हो जाता है। ७-११।

द्रव्यों के स्थितिक्षेत्र का विचार-

लोकाकाशेऽवगाहः । १२ ।

धर्माधर्मयोः कृत्स्ने । १३ ।

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् । १४ ।

असह्येषभागादिषु जीवानाम् । १५ ।

प्रदेशसंहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत् । १६ ।

आधेय-ठहरनेवाले द्रव्यों की स्थिति लोकाकाश में ही है ।

धर्म और अधर्म द्रव्यों की स्थिति समग्र लोकाकाश में है ।

पुद्गलद्रव्यों की स्थिति लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में स्थित से अर्थात् अनिधितरूप से है ।

जीवों की स्थिति लोक के असंख्यातवै भाग आदि में होती है ।

नयोंके प्रदीप की तरह उनके प्रदेशों का संघोच और विनाश होता है ।

जगत पाँच अस्तित्काम रूप है । इसलिये प्रश्न होता है कि ये पाँच अस्तित्कामों का आधार-स्थितिक्षेत्र क्या है ? क्या उनका स्थान उनके अतिरिक्त और कोई द्रव्य है, अथवा उन पाँच में से ही कोई द्रव्य शक्ति के सब द्रव्यों का आधार है ? इस प्रश्न का उत्तर हमें यद दिया गया है कि आकाश ही आधार है और शक्ति के सब द्रव्य आधेय हैं । यह उत्तर व्यवहारदृष्टि से समझना चाहिए, नियमदृष्टि से सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठ अर्थात् अपने अपने स्वरूप में स्थित हैं । कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य में तारिपक दृष्टि से नहीं रह सकता । यह प्रश्न ही यह है कि जैसे धर्म-आदि चार द्रव्यों का आधार व्यवहारदृष्टि से आकाश ही आता है, वैसे आकाश का आधार क्या है ? इसका उत्तर यही है ।

आकाश का कोई दूसरा आधार नहीं है, क्योंकि उसमें बड़े परिमाण वाला या उसके बराबर परिमाणवाला और कोई तत्त्व ही नहीं है। इसलिए व्यवहार या निश्चय दोनों दृष्टियों से आकाश स्वप्रतिष्ठ ही है। आकाश को इतर द्रव्यों का आधार कहने का कारण यह है कि आकाश उन द्रव्यों से महान् है।

आधेयभूत धर्म आदि चार द्रव्य भी समग्र आकाश में नहीं रहते। वे आकाश के अमुक परिमित भाग में ही स्थित हैं। जितने भाग में वे स्थित हैं, उतना आकाशभाग 'लोक' कहलाता है। लोक का अर्थ है पाँच अस्तिकाय। इस भाग के बाहर इर्द गिर्द चारों ओर अनन्त आकाश विद्यमान है। उसमें इतर द्रव्यों की स्थिति न होने के कारण वह भाग अलोकाकाश कहलाता है। यहाँ अस्तिकायों के आधारधेय संबन्ध का जो विचार है, वह लोकाकाश को ही लेकर समझना चाहिए।

धर्म और अधर्म ये दो अस्तिकाय ऐसे अखंड स्कन्धरूप हैं कि वे संपूर्ण लोकाकाश में ही स्थित हैं। इस बात को यों भी कह सकते हैं कि वस्तुतः अखंड आकाश के भी जो लोक और अलोक ऐसे दो भागों की कल्पना बुद्धि से की जाती है, वह धर्म, अधर्म द्रव्य संबन्ध से ही हैं। जहाँ उन द्रव्यों का संबन्ध न हो वह अलोक और जहाँ तक संबन्ध हो वह लोक जानना चाहिए।

पुद्गलद्रव्य का आधार सामान्यरूप से लोकाकाश ही नियत है, तथापि विशेष रूप से भिन्न भिन्न पुद्गलद्रव्य के आधारक्षेत्र के परिमाण में अन्तर होता है। पुद्गलद्रव्य धर्म, अधर्मद्रव्य की तरह एक व्यक्तिमात्र तो है ही नहीं, जिससे उसके एकरूप आधारक्षेत्र होने की संभावना की जा सके। भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हुए भी पुद्गलों के परिमाण में विविधता है; एकरूपता नहीं है। इसीसे यहाँ उसके आधार का परिमाण अनेक रूप से—

भजना या विकल्प से धतलाया गया है। कोई पुरुष होसकता है कि प्रदेश में, और कोई दो प्रदेश में रहता है। इसी तरह कोई पुरुष असंख्यात प्रदेश परिमित लोकाकाश में भी रहता है। कारण पर सि-
 आधारभूत क्षेत्र के प्रदेशों की संख्या आधेवभूत पुरुष द्रव्य के लोकाकाश की संख्या से न्यून या उसके बराबर हो सकती है, अधिक नहीं। अतः एक परमाणु एक ही आकाश प्रदेश में स्थित रहता है, पर ईन्द्रजित् एक प्रदेश में भी रह सकता है और दो में भी। इसी तरह उत्प्रेषण स्थिति बढ़ते बढ़ते व्यंशुक, चतुरश्रुक यावत् संख्याताशुक स्कन्ध एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, यावत् संख्यात प्रदेश क्षेत्र में रह सकते हैं। संख्याताशुक द्रव्य की स्थिति के लिए असंख्यात प्रदेश वाले क्षेत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। असंख्याताशुक स्कन्ध एक प्रदेश से लेकर अधिक से अधिक अपने बराबर की असंख्यात संख्या वाले प्रदेशों के क्षेत्र में रह सकते हैं। अनन्ताशुक और अनन्तानन्ताशुक स्कन्ध भी एक प्रदेश, दो प्रदेश इतने कम से बढ़ते बढ़ते संख्यात प्रदेश और असंख्यात प्रदेश वाले क्षेत्र में रह सकते हैं, उनकी स्थिति के लिए अनन्त प्रदेशात्मक क्षेत्र नहीं चाहिए। पुरुषलद्रव्य का सबसे बड़ा स्कन्ध जिसे अनन्त महास्कन्ध करते हैं और अनन्तानन्त अणुओं का बना हुआ होता है पर भी अनन्तानन्त लोकाकाश में ही समा जाता है।

जैन दर्शन में आत्मा का परिमाण आकाश की तरह न तो स्थित है और न परमाणु की तरह अणु, किन्तु माध्यम परिमाण का है।

१. दो परमाणुओं से बना हुआ स्कन्ध—अथवा दो व्यंशुक स्कन्ध दो परमाणुओं का स्कन्ध व्यंशुक। इसी तरह चार परमाणुओं का व्यंशुक, नौगुण्य परमाणुओं का संख्याताशुक, असंख्यात का अनन्तानन्ताशुक, एक ही का अनन्ताशुक और अनन्तानन्त परमाणु अन्य स्कन्ध अनन्तानन्तानन्त कहलाता है।

है। यद्यपि सब आत्माओं का मध्यम परिमाण प्रदेश संख्या की दृष्टि से समान है; तथापि लम्बाई, चौड़ाई आदि सबकी एकसी नहीं है। इसलिए प्रश्न होता है कि जीवद्रव्य का आधारक्षेत्र कमसे कम और अधिक से अधिक कितना माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ यह दिया गया है कि एक जीव का आधारक्षेत्र लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से लेकर सम्पूर्ण लोकाकाश तक हो सकता है। यद्यपि लोकाकाश असंख्यात प्रदेश परिमाण है, तथापि असंख्यात संख्या के भी असंख्यात प्रकार होने से लोकाकाश के ऐसे असंख्यात भागों की कल्पना की जा सकती है, जो अंगुलासंख्येय-भाग परिमाण हों; इतना छोटा एक भाग भी असंख्यात प्रदेशात्मक ही होता है। उस एक भाग में कोई एक जीव रह सकता है, उतने उतने दो भाग में भी रह सकता है। इसी तरह एक एक भाग बढ़ते बढ़ते आखिरकार सर्व लोक में भी एक जीव रह सकता है अर्थात् जीवद्रव्य का छोटे से छोटा आधारक्षेत्र अंगुलासंख्येय भाग परिमाण का संख्येय होता है, जो समग्र लोकाकाश का एक असंख्यातवाँ हिस्सा होता है। उसी जीव का कालान्तर में अथवा उसी समय जीवान्तर का कुछ बड़ा आधारक्षेत्र उक्त भाग से दूना भी पाया जाता है। इसी तरह उसी जीव का या जीवान्तर का आधारक्षेत्र उक्त भाग से तिगुना, चौगुना, पाँचगुना आदि क्रम से बढ़ते बढ़ते कभी असंख्यातगुण अर्थात् सर्व लोकाकाश में हो सकता है। एक जीव का आधारक्षेत्र सर्व लोकाकाश तभी हो सकता है, जब वह जीव केवलिसमुदाय की दशा में हो। जीव के परिमाण की न्यूनधिकता के अनुसार उसके आधारक्षेत्र के परिमाण की जो न्यूनधिकता उत्पन्न करी गई है, वह एक जीव की अपेक्षा से समझनी चाहिए। सर्व जीवों की अपेक्षा से तो जीवत्व का आधारक्षेत्र सम्पूर्ण लोकाकाश ही है।

अब प्रश्न यह होता है कि एक जीवद्रव्य के परिमाण में जो शान्ति-भेद से न्यूनाधिकता पाई जाती है, या तुल्य प्रदेश वाले भिन्न-भिन्न जीवों के परिमाण में एक ही समय में जो न्यूनाधिकता देखी जाती है, उसका कारण क्या है ? इसका उत्तर यहाँ यह दिया गया है कि कर्मण शरीर जो अनादि काल से जीव के साथ लगा हुआ है और जो अनन्तानन्त अणुप्रचय रूप होता है, उसके संबन्ध से एक ही जीव के परिमाण में यानाना जीवों के परिमाण में विविधता आती है । कर्मण शरीर कदा एक सा नहीं रहता । उसके संबन्ध से औदारिक आदि जो अन्य शरीर बनते हैं, वे भी कर्मण के अनुसार छोटे बड़े होते हैं । जीवद्रव्य वस्तु है तो अमूर्त, पर वह शरीरसंबन्ध के कारण मूर्तवत् बन जाता है । इसलिए जब जब जितना जितना बड़ा शरीर उसे प्राप्त हो, सब तब उसका परिमाण उतना ही हो जाता है ।

धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य की तरह जीवद्रव्य भी अमूर्त है, फिर एक का परिमाण नहीं घटता बढ़ता और दूसरे का क्यों घटता बढ़ता है ? इस प्रश्न का उत्तर स्वभाव भेद के सिवा और कुछ नहीं है । जीवद्रव्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह निमित्त मिलने पर प्रदीप की तरह संकोच और विकास को प्राप्त करता है; जैसे खुले आकाश में रखे हुए प्रदीप का प्रकाश अमृक परिमाण होता है; पर उसे जब एक कोठरी में रखा जाता है तब उसका प्रकाश कोठरी भर ही बन जाता है; फिर उसी को जब एक कुंडे के नीचे रखा जाता है तब वह कुंडे के नीचे के भाग को ही प्रकाशित करता है, लोटे के नीचे रखे जाने पर उसका प्रकाश उतना ही बन जाता है । इस प्रकार प्रदीप की तरह जीवद्रव्य भी संकोच-विकासशील है । इसलिए यह जब जब जितने छोटे या बड़े शरीर को धारण करता है तब तब शरीर के परिमाणानुसार उसके परिमाण में संकोच-विकास होता है ।

यहाँ प्रश्न होता है कि यदि जीव संकोचस्वभाव के कारण छोटा होता है तब वह लोकाकाश के प्रदेश रूप असंख्यातव्ये भाग से छोटे भाग में अर्थात् आकाश के एक प्रदेश पर या दो, चार, पाँच आदि प्रदेश पर क्यों समा नहीं सकता ? इसी तरह यदि उसका स्वभाव विकसित होने का है, तो वह विकास के द्वारा सम्पूर्ण लोकाकाश की तरह अलोकाकाश को भी व्याप्त क्यों नहीं करता ? इसका उत्तर यह है कि संकोच की मर्यादा निर्गम शरीर पर निर्भर है; कार्मण शरीर तो कोई भी अंगुलासंख्यात भाग छोटा हो ही नहीं सकता; इसलिए जीवका संकोच कार्य भी वहाँ तक परिमित रहता है, विकास की मर्यादा लोकाकाश तक ही मानी गई । इसके दो कारण बतलाए जा सकते हैं, पहला तो यह कि जीव के रेश उतने ही हैं जितने लोकाकाश के । अधिक से अधिक विकास में जीव का एक प्रदेश आकाश के एक ही प्रदेश को व्याप्त कर सकता है, दो या अधिक को नहीं; इसलिए सर्वोत्कृष्ट विकास दशा में भी वह लोकाकाश के बाहरी भाग को व्याप्त नहीं कर सकता । दूसरा कारण यह है कि विकास गतिका कार्य है, और गति घर्मास्तिकाय के सिवा हो ही सकती; इस कारण लोकाकाश के बाहर जीव के फैलने का प्रसंग ही ही आता ।

प्र०—असंख्यात प्रदेश वाले लोकाकाश में शरीरधारी अनन्त जीव कैसे समा सकते हैं ?

उ०—सूक्ष्मभाव में परिणत होने से निम्नोदशरीर से व्याप्त एक ही आकाशक्षेत्र में साधारणशरीर, अनन्त जीव एक साथ रहते हैं; और मनुष्य आदि के एक औदारिक शरीर के ऊपर तथा अन्दर अनेक संमूर्द्धिम जीवों की स्थिति देखा जाती है, इसलिए लोकाकाश में अनन्तानन्त जीवों का समावेश विरुद्ध नहीं है ।

यद्यपि पुद्गल द्रव्य अनन्तानन्त और मूर्त हैं; तथापि आकाश के उनके समा जाने का कारण यह है कि पुद्गलों में सूक्ष्मत्व रूप से घटित होने की शक्ति है। जब ऐसा परिणाम होता है तब एक ही क्षेत्र से एक दूसरे को व्याघात पहुँचाए बिना अनन्तानन्त परमाणु और अनन्तानन्त स्कन्ध स्थान पा सकते हैं; जैसे एक ही स्थान में हजारों दीपकों का प्रकाश व्याघात के बिना ही समा जाता है। पुद्गलद्रव्य मूर्त होने पर भी व्याघात शील तभी होता है, जब स्थूल भाव में घटित होता है। अनन्तानन्त में वह न किसी को व्याघात पहुँचाता है।

पाता है। १६-१६।

कार्य द्वारा धर्म, अधर्म और आकाश के लक्षणों का कथन—

गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः । १७।

आकाशस्यावगाहः । १८।

गति और स्थिति में निमित्त बनना यह अनुक्रम से धर्म और अधर्म द्रव्यों का कार्य है।

अवकाश में निमित्त होना आकाश का कार्य है।

धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों अमूर्त होने से इन्द्रियमान नहीं हैं; इससे इनकी सिद्धि लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हो सकती। यद्यपि आगम प्रमाण से इनका अस्तित्व माना जाता है, तथापि आगम पौष्पक ऐसी युक्ति भी है जो उक्त द्रव्यों के अस्तित्व को सिद्ध करती है। वह युक्ति यह है कि—जगत में गतिशील और गतिपूर्वक स्थितियों

१. यद्यपि “गतिस्थित्युपग्रहो” ऐसा भी पाठ कहीं कहीं देखा जा सकता है; तथापि भाष्य को देखने से “गतिस्थित्युपग्रहो” यह पाठ अधिक ठीक माना जान पड़ता है। दिगम्बर परम्परा में तो “गतिस्थित्युपग्रहो” ऐसा ही पाठ निर्विवाद सिद्ध है।

पर्याय जीव और पुद्गल दो हैं। यद्यपि गति और स्थिति दोनों ही उक्त दो द्रव्यों के परिणाम व कार्य होने से उन्हीं से पैदा होते हैं, अर्थात् गति और स्थिति का उपादान कारण जीव और पुद्गल ही हैं, तथापि निमित्त कारण जो कार्य की उत्पत्ति में अवश्य अपेक्षित है, वह उपादान कारण से भिन्न होना ही चाहिए। इसीलिए जीव-पुद्गल की गति में निमित्त रूप से धर्मास्तिकाय की और स्थिति में निमित्त रूप से अधर्मास्तिकाय की सिद्धि होती है। इसी अभिप्राय से शास्त्र में धर्मास्तिकाय का लक्षण ही 'गतिशील दार्थों की गति में निमित्त होना' बतलाया है और अधर्मास्तिकाय का लक्षण 'स्थिति में निमित्त होना' बतलाया गया है।

धर्म, अधर्म, जीव और पुद्गल ये चारों द्रव्य कहीं न कहीं स्थित हैं, अर्थात् आयेय बनना या अवकाश लाभ करना उनका कार्य है। पर अपने में अवकाश—स्थान देना यह आकाश का कार्य है। इसीसे अवगाहप्रदान को आकाश का लक्षण माना गया है।

प्र०—सांख्य, न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनों में आकाशद्रव्य तो माना गया है; पर धर्म, अधर्म द्रव्यों को और किसी ने नहीं माना; फिर वेददर्शन ही उन्हें स्वीकार क्यों करता है ?

उ०—जड़ और चेतन द्रव्य जो दृश्यादृश्य विश्व के खास अंग हैं, उनकी गतिशीलता तो अनुभव सिद्ध है। अगर कोई नियामक तत्त्व न हो तो वे द्रव्य अपनी सहज गतिशीलता के कारण अनन्त आकाश में कहीं भी चले जा सकते हैं। यदि वे सचमुच अनन्त आकाश में चले ही जायें तो इस दृश्यादृश्य विश्व का नियत संस्थान जो सदा सामान्य रूप से एतदा नजर आता है वह किसी भी तरह घट नहीं सकेगा; क्योंकि अनन्त पुद्गल और अनन्त जीव व्यक्तियाँ भी अनन्त परिमाण विस्तृत आकाश क्षेत्र में बेरीकटोक संचार होने से ऐसे घट्यक् हो जायेंगी, जिनका पुनः

मिलना और नियतसृष्टि रूप से नजर आना असम्भव नहीं तो दुःखमय अवश्य हो जायगा । यही कारण है कि गतिशील उक्त द्रव्यों की गतिमर्यादा को नियन्त्रित करने वाले तत्त्व को जैन दर्शन स्वीकार करता है । तत्त्व धर्मास्तिकाय कहलाता है । गतिमर्यादा के नियामक रूप से उक्त तत्त्व को स्वीकार कर लेने पर तुल्य युक्ति से स्थितिमर्यादा के नियामक रूप से अधर्मास्तिकाय तत्त्व को भी जैन दर्शन स्वीकार कर ही लेता है ।

पूर्व, पश्चिम आदि व्यवहार जो दिग्द्रव्य का कार्य माना जाता है, उसकी उपपत्ति आकाश के द्वारा हो सकने के कारण दिग्द्रव्य को आकाश से अलग मानने की जरूरत नहीं । पर धर्म, अधर्म द्रव्यों का कार्य आकाश से सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि आकाश को गति और स्थिति का नियामक मानने से वह अनन्त और अखंड होने के कारण जड़ तथा चेतन द्रव्यों को अपने में सर्वत्र गति व स्थिति करने से रोक नहीं सकता और ऐसा होने से नियत दृश्यादृश्य विश्व के संस्थान की उपपत्ति बनी ही रहेगी । इसलिए धर्म, अधर्म द्रव्यों को आकाश से अलग स्वतन्त्र मानना न्यायप्राप्त है । जब जड़ और चेतन गतिशील हैं, तब मर्यादित आकाशक्षेत्र में उनकी गति, नियामक के बिना ही अपने स्वभाव से नहीं मानी जा सकती; इसलिए धर्म, अधर्म द्रव्यों का अस्तित्व युक्ति सिद्ध है । १७, १८ ।

कार्य द्वाग पुद्गल का लक्षण—

शरीरवाच्यनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् । १९ ।

सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च । २० ।

शरीर, वाणी, मन, निःश्वास और उच्छ्वास ये पुद्गलों के उपकार-

कार्य हैं ।

तथा सुख, दुःख, जीवन और मरण ये भी पुद्गलों के उपकार-हैं।

अनेक पौद्गलिक कार्यों में से कुछ कार्य यहाँ बतलाए हैं, जो जीवों पर अनुग्रह या निग्रह करते हैं। औदारिक आदि सब शरीर पौद्गलिक ही हैं अर्थात् पुद्गल से ही बने हैं। यद्यपि कर्मगत शरीर अतीन्द्रिय है, तथापि वह दूसरे औदारिक आदि मूर्त द्रव्य के संबन्ध से सुखदुःखादि विपाक देता है; जैसे जलादि के संबन्ध से घान। इसलिए उसे भी पौद्गलिक ही समझना चाहिए।

दो प्रकार की भाषा में से भावभाषा तो वीर्यान्तराय, मतिज्ञानावरण और धृतज्ञानावरण के क्षयोपशम से तथा अंगोपांग नामकर्म के उदय से प्राप्त होने वाली एक विशिष्ट शक्ति है; जो पुद्गल सापेक्ष होने से पौद्गलिक है, और ऐसे शक्तिवाले आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर वचनरूप में परिणत होने वाली भाषावर्गणा के स्कन्ध ही द्रव्यभाषा हैं।

लब्धि तथा उपयोग रूप भावमन पुद्गलावलंबी होने से पौद्गलिक है। ज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से और अंगोपांग नामकर्म के उदय से मनोवर्गणा के जो स्कन्ध गुणदोषविवेचन, स्मरण आदि कार्यों में अभिमुख आत्मा के अनुग्राहक अर्थात् उसके सामर्थ्य के उच्चेजक होते हैं वे द्रव्यमन हैं। इसी प्रकार आत्मा के द्वारा उदर से बाहर निकाला जाने वाला निष्वासवायु—प्राण और उदर के भीतर पहुँचाया जाने वाला उद्वासवायु—अपान ये दोनों पौद्गलिक हैं, और जीवनप्रद होने से आत्मा के अनुग्रहकारी हैं।

भाषा, मन, प्राण और अपान इन सबका व्याघात और अभिभ्रष्ट देखा जाता है। इसलिए वे शरीर की तरह पौद्गलिक ही हैं।

जीव का प्रीतिरूप परिणाम सुख है, जो सातावेदनीय कर्म रूप अन्वंग कारण और द्रव्य, क्षेत्र आदि चाग्र कारण से उत्पन्न होता है।

परिताप ही दुःख है, जो असातावेदनिय कर्म रूप अन्तरंग कारण और द्रव्य आदि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है।

आयुर्कर्म के उदय से देहधारी जीव के प्राण और अपान का चर रहना जीवित है, और प्राणापान का उच्छेद होना मरण है। ये सब दुःख आदि पर्याय जीवों में पुद्गलों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। स्वप्ति के जीवों के प्रति पौद्गलिक उपकार माने गए हैं। १९, २०।

कार्य द्वारा जीव का लक्षण—

परस्परोपग्रहो जीवानाम् । २१ ।

परस्पर के कार्य में निमित्त होना—यह जीवों का उपकार है।

इस सूत्र में जीवों के पारस्परिक उपकार का वर्णन है। एक अहित या अहित के उपदेश द्वारा दूसरे जीव का उपकार करता है, मालिक पैसा देकर नौकर पर उपकार करता है, और नौकर हित अहित की बात कह कर मालिक पर उपकार करता है। आचार्य शिष्य का उपदेश करके उसके अनुष्ठान द्वारा शिष्य का उपकार करता है, और शिष्य अनुकूल प्रवृत्ति द्वारा आचार्य का उपकार करता है। २१।

कार्य द्वारा काल का लक्षण—

वर्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य । २२ ।

वर्तना, परिणाम, क्रिया और परत्व-अपरत्व ये काल के उपकार हैं।

काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानकर यहाँ उसके उपकार बतलाए गए हैं। अपने अपने पर्याय की उत्पत्ति में स्वयमेव प्रवर्तमान घर्म आदि द्रव्यों के निमित्तत्प से प्रेरणा करना यह वर्तना कहलाती है। स्वजाति का लक्षण किए बिना होने वाला द्रव्य का अपरिस्पन्द रूप पर्याय, जो पूर्वावस्था के

निवृत्ति और उत्तरावस्था की उत्पत्तिरूप है, उसे परिणाम समझना चाहिए। ऐसा परिणाम जीव में ज्ञानादि तथा क्रोधादि; पुद्गल में नील, पीत वर्णादि और धर्मास्तिकाय आदि शेष द्रव्यों में अगुरुलघु गुण की हानि-वृद्धि रूप है। गति-परिस्पन्द ही क्रिया है। ज्येष्ठत्व परत्व है और कनिष्ठत्व अपरत्व है। यद्यपि वर्तना आदि कार्य यथासम्भव धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों के ही हैं; तथापि काल सब का निमित्त कारण होने से यहाँ वे काल के उपकार रूप से वर्णन किए गए हैं। २२।

पुद्गल के असाधारण पर्याय-

स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः । २३ ।

शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्लायाम्-
तपोद्द्योतवन्तश्च । २४ ।

पुद्गल स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण वाले होते हैं।

तथा वे शब्द, बन्ध, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, संस्थान, भेद, अन्धकार, श्लाय, आतप और उद्योत वाले भी हैं।

बौद्ध लोग पुद्गल शब्द का व्यवहार जीव के अर्थ में करते हैं, तथा वैशेषिक आदि दर्शनों में पृथिवी आदि मूल द्रव्यों को समान रूप से स्पर्श, रस आदि चतुर्गुण युक्त नहीं माना है, किन्तु पृथिवी को चतुर्गुण, जल को

१. अगुरुलघु शब्द तीन परम्परा में तीन स्थलों पर भिन्न भिन्न अर्थों में व्यवहृत है:—

(१) आत्मा के ज्ञान, दर्शन आदि जो आठ गुण आठ धर्म ने आचार्य-आवरण योग्य—माने गये हैं, उनमें एक अगुरुलघुत्व नामक आत्मगुण है, जो मोक्षकर्म से आचार्य है। मोक्षकर्म का कार्य जीवन में उच्च नीच भाव आरोपित करने का है। मोक्षकर्मपथार में जीव जन्म से, जातिदुल्ल

गन्ध रहित त्रिगुण, तेज को गन्ध-रस रहित द्विगुण और वायु को त्व-स्पर्शगुण वाला माना है। इसी तरह उन्होंने मनमें स्पर्श आदि चारों गुण नहीं माने हैं। इसलिए उन बौद्ध आदि से मतभेद दिखलाना प्रस्तुत सूत्र का उद्देश्य है। इस सूत्र से यह सूचित किया जाता है कि जैन दर्शन में जीव और पुद्गल तत्त्व भिन्न हैं। अतः पुद्गल शब्द का व्यवहार जीव तत्त्व के लिए नहीं होता। इसी तरह पृथिवी, जल, तेज और वायु

से, देश से, रूपरंग से और दूसरे अनेक निमित्तों से उच्च या नीच रूप व्यवहृत होते हैं। परंतु सब आत्माएँ समान हैं, उनमें न तो कोई उच्च है और न कोई नीच। इस प्रकार शक्ति और योग्यतामूलक जो साम्य है उस साम्य को स्थिर रखनेवाला जो सहजगुण-या शक्ति है वह अगुरुलघु कहलाता है।

(२) अगुरुलघु नाम इस प्रकार का एक कर्म है जो छोटे नामकर्म प्रकारों में आता है; उसका कृत्य आगे नामकर्म की चर्चा के समय बताना वह वहाँ से देखना चाहिए।

(३) पहले नेत्र पर जो अगुरुलघुत्व की व्याख्या की गई है वह अगुरुलघुत्व केवल आत्मगत है, जब कि प्रस्तुत अगुरुलघु गुण सभी अजीव द्रव्यों को व्याप्त होता है। यदि द्रव्य स्वतः परिणामनशील हो किसी समय भी ऐसा क्यों नहीं होता कि वह द्रव्य अन्य द्रव्य रूप भी परिणाम को प्राप्त करे? इसी प्रकार ऐसा प्रश्न भी होता है कि द्रव्य में वही हुई भिन्न भिन्न शक्तियाँ अर्थात् गुण अपने अपने परिणाम उत्पन्न करते ही रहते हैं तो कोई एक शक्ति अपने परिणाम की नियत की सीमा से बाहर जाकर अन्य शक्ति के परिणाम क्यों नहीं पैदा करती? इसी प्रकार ऐसा प्रश्न भी होता है कि एक द्रव्य में जो अनेक शक्तियाँ स्वीकार की गई हैं वे अपना नियत सहचरत्व छोड़कर स्थिर क्यों नहीं जाते? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अगुरुलघुगुण से दिया जाता है। यह गुण द्रव्यों में नियामक पद भोगता है जिससे एक भी द्रव्य द्रव्यान्तर नहीं हो

सभी पुद्गल रूप से समान हैं; अर्थात् वे सभी स्पर्श आदि चतुर्गुण युक्त हैं। तथा जैन दर्शन में मन भी पौद्गलिक होने के कारण स्पर्श आदि गुणवाला ही है। स्पर्श आठ प्रकार का माना जाता है; जैसे—कठिन, मृदु, गुह्य, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध—चिकना और रूक्ष—रूखा। रस के पाँच प्रकार हैं: तिक्त—कड़ुघा, कटुक—चरपरा, कपाय—कसैला, खट्टा और मीठा। सुगन्ध और दुर्गन्ध ये दो गन्ध हैं। वर्ण पाँच हैं: काला, नीला—हरा, लाल, पीला और सफेद। उक्त प्रकार से स्पर्श आदि के कुल बीस भेद होते हैं; पर इनमें से प्रत्येक के संख्यात, असंख्यात और अनन्त भेद तारतम्य भाव से पाये जाते हैं। जो जो वस्तु मृदु होती है, उस सब के मृदुत्व में कुछ न कुछ तारतम्य पाया जाता है। इस कारण सामान्य रूप से मृदुत्व स्पर्श एक होने पर भी उसके तारतम्य के अनुसार संख्यात,

एक भी गुण गुणान्तर का कार्य नहीं करता और नियत सहभावी परस्पर अलग नहीं होते।

ग्रन्थों के मुस्पष्ट आधार के अतिरिक्त भी मैंने अगुणलघु गुण की अतिम व्याख्या का विचार किया। मैं इसका संवाद ढूँढ़ रहा था। मुझसे जय कोई पूछता तब यह व्याख्या कहता परंतु संवाद प्राप्त करने की जिज्ञासा तो रहती ही थी। प्रस्तुत टिप्पण लिखने का समय आया तब एकाएक स्व० पंडित गोपालदासजी बरैया की 'श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका' पुस्तिका मिल गई। इसमें श्रीयुत बरैयाजीने भी ऐसा ही विचार दर्साया है। इसलिए इतने अंश में मेरे इस विचार को संवाद प्राप्त हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। अतएव मैं इस स्थल पर उल्लेख करता हूँ। विशिष्ट अभ्यासी अधिक अन्वेषण करें। पं० बरैयाजी जैन तत्त्वज्ञान के असाधारण ज्ञाता थे।

ऊपर जिस अगुणलघुगुण को मानने के लिए जो दलील दी गई है, लगभग उसके जैसी ही एक दलील जैन परम्परा में माने गए धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय का समर्थन करते समय दी जाती है। वह तुलनात्मक दृष्टि से जानने योग्य है। जड़ और चेतन गतिशील होने के कारण आकाश में

असंख्यात और अनन्त तक भेद पाये जाते हैं। यही बात कठिन आदि अन्य स्पर्श तथा रस आदि अन्य पर्यायों के विषय में भी समझनी चाहिए।

शब्द कोई गुण नहीं है; वैसा कि वैशेषिक, नैयायिक आदि मानते हैं। वह भाषावर्गणा के पुद्गलों का एक प्रकार का विष्टि परिणाम है। निमित्त भेद से उसके अनेक भेद किए जाते हैं। जो शब्द आत्मा के प्रयत्न से उत्पन्न होता है वह प्रयोगज, और जो किसी के प्रयत्न के बिना ही उत्पन्न होता है वह वैस्रसिक है। वाद्यों की गर्जना वैस्रसिक है। प्रयोगज शब्द के छह प्रकार बतलाए गए हैं। वे हैं : १. भाषा-मनुष्य आदि की व्यक्त और पशु, पक्षी आदि की अव्यक्त ऐसी अनेकवि भाषाएँ। २. तत-चमड़ा लपेटे हुए वाद्यों का अर्थात् मृदंग, पट्ट आदि

चाहे जहाँ चले नहीं जायँ इसके लिए उक्त दोनों काय नियामक रूप से माने गए हैं और कहा गया है कि इनके कारण गतिशील द्रव्यों की गतिस्थिति लोकक्षेत्र जितनी मर्यादित रहती है। जिस प्रकार ये दोनों काय गतिस्थिति के नियामक रूप से माने गए हैं, उसी प्रकार अगुरुल्लु गुण के विचार से समझना चाहिए।

गतिस्थिति की मर्यादा के लिए गतिस्थितिशील पदार्थों का स्वभाव ही माना जाय या आकाश का ऐसा स्वभाव माना जाय और उक्त दोनों धर्मों को नहीं मानें तो क्या असंगति है? ऐसा प्रश्न होना सहज है। परन्तु काय विषय अहेतुवाद का होने के कारण इसमें केवल सिद्ध का समर्थन करना रहता है। यह विषय हेतुवाद या तर्कवाद का नहीं है कि जिससे केवल तर्क के बल से इन कायों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाय। अगुरुल्लु-गुण के समर्थन के बारे में भी मुख्यरूप से अहेतुवाद का ही आश्रय लेना चाहिए हेतुवाद अन्त में अहेतुवाद की पुष्टि के लिए ही है ऐसा स्वीकार किए बिना नहीं चलता। इस प्रकार सब दर्शनों में अमुक विषय हेतुवाद और अहेतुवाद की मर्यादा में आ जाते हैं।

घ्रा शब्द । ३. वितत-तार वाले वीणा, सारंगी आदि वायों का शब्द ।
 ४. घन-हालर, घंट आदि का शब्द । ५. शुपिर-फूँक कर बजाये जाने
 वाले शंख, बंसी आदि का शब्द । ६. संघर्ष-लकड़ी आदि के संघर्षण से
 होनेवाला शब्द ।

परस्पर आश्लेष रूप बन्ध के भी प्रायोगिक, वैज्ञानिक ऐसे दो भेद
 हैं । जीव और शरीर का संघन्ध तथा लाख और लकड़ी का संघन्ध प्रयत्न
 निरपेक्ष होने से प्रायोगिक बन्ध है । भिजली, मेघ, इन्द्रधनुष आदि का
 प्रयत्न निरपेक्ष पौद्गलिक संश्लेष वैज्ञानिक-बन्ध है ।

सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व के अन्त्य तथा आपेक्षिक ऐसे दो दो भेद हैं ।
 जो सूक्ष्मत्व तथा स्थूलत्व दोनों एक ही वस्तु में अपेक्षा भेद से घट न
 सकें वे अन्त्य और जो घट सकें वे आपेक्षिक । परमाणुओं का सूक्ष्मत्व
 और जगद्-व्यापी महास्कन्ध का स्थूलत्व अन्त्य है; क्योंकि अन्य पुद्गल की
 अपेक्षा परमाणुओं में स्थूलत्व और महास्कन्ध में सूक्ष्मत्व घट नहीं सकता ।
 दणुक आदि मध्यवर्ती स्कन्धों का सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व दोनों आपेक्षिक हैं;
 जैसे आँवले का सूक्ष्मत्व और बिल्व का स्थूलत्व । आँवला बिल्व की
 अपेक्षा छोटा होने के कारण उससे सूक्ष्म है और बिल्व आँवले से स्थूल है ।
 परन्तु वही आँवला बर की अपेक्षा स्थूल भी है और वही बिल्व कूष्माण्ड
 की अपेक्षा सूक्ष्म भी है । इस तरह जैसे आपेक्षिक होने से एक ही वस्तु
 में सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व दोनों विरुद्ध पर्याय पायी जा सकती हैं, वैसे अन्त्य-
 सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व एक वस्तु में पाये नहीं जा सकते ।

संस्थान ह्यर्थस्वरूप, अनित्यंस्वरूप से दो प्रकार का है । जिस
 आधार की किसी के साथ तुलना की जा सके—वह ह्यर्थस्वरूप, और जिसकी
 तुलना न की जा सके वह अनित्यंस्वरूप है । मेघ आदि का संस्थान-
 स्वरूप विशेष अनित्यंस्वरूप है; क्योंकि अनियत रूप होने से किसी

प्रकार से उसका निरूपण किया नहीं जा सकता, और अन्य पदार्थों का संस्थान इत्यंत्वरूप है; जैसे गेंद, सिंघाड़ा आदि का। गोल, विज्ञान-चतुष्कोण, दीर्घ, परिमण्डल-वलयकार आदि रूप से इत्यंत्वरूप संस्थान के अनेक भेद हैं।

एकत्रय अर्थात् स्कन्ध रूप में परिणत पुद्गलपिण्ड का विरलेन-विभक्त होना भेद है। इसके पाँच प्रकार हैं : १. औत्करिक-चारे या सौदे जहाँ पर होने वाली लकड़ी, पत्थर आदि का भेदन। २. चौर्णिक-रूप का रूप से चूर्ण हो जाना, जैसे-जौ आदि का सत्तू, आटा इत्यादि। ३. सय-डुकड़े डुकड़े हो कर टूट जाना, जैसे-घड़े का कपालादि। ४. प्रवर-प्रवर्तन निकालना, जैसे-अध्रक, मोजपत्र आदि में। ५. अनुतट-अनिकलना, जैसे-बॉस, लख आदि की।

तम अन्धकार को कहते हैं; जो देखने में रुकावट डालने वाला प्रकाश का विरोधी एक परिणाम विशेष है।

छाया प्रकाश के ऊपर आवरण आ जाने से होती है। इसके पाँच प्रकार हैं—आइने आदि अस्वच्छ पदार्थों में जो मुख का बिम्ब पड़ता है जिसमें मुख का वर्ण, आकार आदि व्यों का र्यों देखा जाता है, वह परमादि विकार परिणामरूप छाया है और अन्य अस्वच्छ द्रव्यों पर जो मात्र प्रतिबिम्ब (परछाई) पड़ता है वह प्रतिबिम्बरूप छाया है।

सूर्य आदि का उष्ण प्रकाश आतप और चन्द्र, मणि, सरो आदि का अनुष्ण प्रकाश उद्योत है।

स्पर्श आदि तथा शब्द आदि उपर्युक्त सभी पर्याय पुद्गल के कार्य होने से पौद्गलिक पर्याय माने जाते हैं।

तेईसवें और चौबीसवें सूत्र को अलग करके यह सूचित किया कि स्पर्श आदि पर्याय परमाणु और स्कन्ध दोनों में पाये जाते हैं, पर

शब्द बन्ध आदि पर्याय सिर्फ स्कन्ध में पाये जाते हैं। यद्यपि सूक्ष्मत्त्व परमाणु और स्कन्ध दोनों का पर्याय है, तथापि उमका परिगणन स्पर्श आदि के साथ न करके शब्द आदि के साथ किया है, वह भी प्रतिपक्षों। सूक्ष्मत्त्व पर्याय के साथ उसके कथन का औचित्य समझ करके ही। २३, २४।

पुद्गल के मुख्य प्रकार—

अणवः स्कन्धाश्च । २५ ।

पुद्गल परमाणुरूप और स्कन्धरूप हैं ।

व्यक्तिरूप से पुद्गलद्रव्य अनन्त हैं, और उनकी विविधता भी अपरिमित है; तथापि अगले दो सूत्रों में पौद्गलिक परिणाम की उत्पत्ति के निम्न निम्न कारण दिखाने के लिए यहाँ तदुपयोगी परमाणु और स्कन्ध—ये दो प्रकार संक्षेप में बतलाए गए हैं। सम्पूर्ण पुद्गलराशि इन दो प्रकारों में समा जाती है ।

जो पुद्गलद्रव्य कारणरूप है, कार्यरूप नहीं है, वह अन्त्य द्रव्य कहलाता है। ऐसा द्रव्य परमाणु है, जो नित्य है, सूक्ष्म है और किसी एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और दो स्पर्श से युक्त है। ऐसे परमाणु-द्रव्य का ज्ञान इन्द्रियों से तो हो नहीं सकता। उसका ज्ञान आगम या अनुमान से साध्य है। परमाणु का अनुमान कार्यहेतु से माना गया है। जो जो पौद्गलिक कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, वे सब सकारण हैं। इसी तरह जो अदृश्य अंतिम कार्य होगा, उसका भी कारण होना चादिष्ट; वही कारण परमाणुद्रव्य है। उसका कारण और कोई द्रव्य न होने से उसे अंतिम कारण कहा है। परमाणुद्रव्य का कोई विभाग नहीं है और न हो सकता है। इसलिए उसका आदि, उसका मध्य और उसका अन्त बतलाना ही है। परमाणुद्रव्य अपद—अवमुदाय रूप होते हैं ।

पुद्गलद्रव्य का दूसरा प्रकार स्कन्ध है। स्कन्ध सभी भ्रूतसमुदायन होते हैं, और वे अपने कारणद्रव्य की अपेक्षा से कार्यद्रव्य रूप तथा अपने कार्यद्रव्य की अपेक्षा से कारणद्रव्य रूप हैं। जैसे द्विप्रदेश आदि स्कन्ध, ये परमाणु आदि के कार्य हैं और त्रिप्रदेश आदि के कारण भी हैं। २५।

अनुक्रम से स्कन्ध और अणु की उत्पत्ति के कारण—

सङ्घातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते । २६ ।

भेदादणुः । २७ ।

संघात से, भेद से और संघात-भेद दोनों से स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। अणु भेद से ही उत्पन्न होता है।

स्कन्ध—अवयवी द्रव्य की उत्पत्ति तीन प्रकार से होती है। कोई स्कन्ध संघात—एकत्वपरिणति से उत्पन्न होता है, कोई भेद से बनता है और कोई एक साथ भेद-संघात दोनों निमित्तों से होता है। जब अणु अलग स्थित दो परमाणुओं के मिलने पर द्विप्रदेशिक स्कन्ध होता है वह संघातजन्य कहलाता है। इसी तरह तीन, चार, संख्यात, अमंशक, अनन्त यावत् अनन्तानन्त परमाणुओं के मिलने मात्र से त्रिप्रदेश, चतुःप्रदेश, संख्यातप्रदेश, असंख्यातप्रदेश, अनन्तप्रदेश यावत् अनन्तानन्त प्रदेश तक स्कन्ध बनते हैं; वे सभी संघातजन्य हैं। किसी बड़े स्कन्ध के टूटने मात्र से जो छोटे छोटे स्कन्ध होते हैं, वे भेदजन्य हैं। ये भी द्विप्रदेश से लेकर यावत् अनन्तानन्त प्रदेश तक हो सकते हैं। जब किसी एक स्कन्ध के टूटने पर उसके अवयव के साथ उसी समय द्वाग कोई अन्य मिल जाने से नया स्कन्ध बनता है, तब वह स्कन्ध भेद-संघातजन्य है। ऐसे स्कन्ध भी द्विप्रदेश से लेकर अनन्तानन्त प्रदेश तक हो सकते हैं। यों से अधिक प्रदेश वाले स्कन्धों के लिए यह बात समझनी चाहिए कि तब

चार आदि अलग अलग परमाणुओं के मिलने से भी त्रिप्रदेश, चतुष्प्रदेश आदि स्कन्ध होते हैं, और द्विप्रदेश स्कन्ध के साथ एक परमाणु मिलने से त्रिप्रदेश तथा द्विप्रदेश या त्रिप्रदेश स्कन्ध के साथ अनुक्रम से दो या एक परमाणु मिलने से भी चतुष्प्रदेश स्कन्ध बन सकता है ।

अणुद्रव्य किसी द्रव्य का कार्य नहीं है, इसलिए उसकी उत्पत्ति में दो द्रव्यों का संघात सम्भव नहीं है । यों तो परमाणु नित्य माना गया है; तथापि यहाँ उसकी उत्पत्ति पर्यायदृष्टि से बतलाई गई है, अर्थात् परमाणु द्रव्यरूप से तो नित्य ही है, पर पर्यायदृष्टि से वह जन्य भी है । कभी स्कन्ध के अवयव रूप बनकर सामुदायिक अवस्था में परमाणु का रहना और कभी स्कन्ध से अलग होकर विशकलित अवस्था में रहना ये सभी परमाणु के पर्याय—अवस्थाविशेष ही हैं । विशकलित अवस्था स्कन्ध के भेद से ही उत्पन्न होती है । इसलिए वहाँ भेद से अणु की उत्पत्ति के कथन का अभिप्राय इतना ही है कि—विशकलित अवस्था विशिष्ट परमाणु भेद का कार्य है, शुद्ध परमाणु नहीं । २६, २७ । ।

अचाक्षुप स्कन्ध के चाक्षुप बनने में हेतु—

“भेदसंघाताभ्यां चाक्षुपाः । २८ ।

भेद और संघात से ही चाक्षुप स्कन्ध बनते हैं ।

अचाक्षुप स्कन्ध भी निमित्त पाकर चाक्षुप बन सकता है, यह दिखाना इस सूत्र का उद्देश्य है ।

पुद्गल के परिणाम विविध हैं, अतः कोई पुद्गल स्कन्ध अचाक्षुप—चक्षु से अप्राप्त होता है, तो कोई चाक्षुप—चक्षु से प्राप्त होता है । जो स्कन्ध पहले सूक्ष्म होने के कारण अचाक्षुप हो वह निमित्तवशः सूक्ष्मत्व परिणाम छोड़कर बादर—स्थूल परिणामविशिष्ट बनने से चाक्षुप हो सकता है । उस स्कन्ध के ऐसा होने में भेद तथा संघात दो ही हेतु निमित्त

हैं। जब किसी स्कन्ध में सूक्ष्मत्व परिणाम की निवृत्ति हो कर स्थूल परिणाम उत्पन्न होता है, तब कुछ नये अणु उस स्कन्ध में अयत्न मिल जाते हैं। सिर्फ मिलते ही नहीं; किन्तु कुछ अणु उस स्कन्ध में से अलग भी हो जाते हैं। सूक्ष्मत्व परिणाम की निवृत्ति पूर्वक स्थूलत्व परिणाम की उत्पत्ति न केवल संघात—अणुओं के मिलने मात्र से होती है और न केवल भेद—अणुओं के अलग होने मात्र से ही होती है। स्थूलत्व—चादरत्व रूप परिणाम के सिवाय कोई स्कन्ध चाक्षुष तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ नियम पूर्वक कहा गया है कि चाक्षुषस्कन्ध में भेद और संघात दोनों ही से बनता है।

भेद शब्द के दो अर्थ हैं : १. स्कन्ध का टूटना अर्थात् उनमें से अणुओं का अलग होना तथा २. पूर्व परिणाम निवृत्त होकर दूसरे परिणाम का उत्पन्न होना। इन दो अर्थों में से पहला अर्थ लेकर ऊपर वर्णन लिखा गया है। दूसरे अर्थ के अनुसार सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है—जब कोई सूक्ष्म स्कन्ध नेत्र से ग्रहण करने योग्य चादर परिणाम को प्रयत्न करता है, अर्थात् अचाक्षुष मिट कर चाक्षुष बनता है, तब उसके बनने में स्थूल परिणाम अपेक्षित है, जो विशिष्ट अनन्ताणु संख्या (संज्ञा) सापेक्ष है। केवल सूक्ष्मत्वरूप पूर्व परिणाम की निवृत्तिपूर्वक नवान् स्वरूप परिणाम चाक्षुष बनने का कारण नहीं और केवल विशिष्ट अनन्त संख्या भी चाक्षुष बनने में कारण नहीं; किन्तु परिणाम (भेद) और उक्त संख्या-संघात दोनों ही स्कन्ध के चाक्षुष बनने में कारण हैं।

यद्यपि सूत्रगत चाक्षुष पद से तो चक्षुर्ग्राह्य स्कन्ध का ही बोध होता है; तथापि यहाँ चक्षुःपद से समस्त इन्द्रियों का साधुदिक-बोध विवक्षित है। तदनुसार सूत्र का अर्थ यह होता है कि—सभी इन्द्रिय-स्कन्धों के ऐन्द्रियक (इन्द्रियग्राह्य) बनने में भेद और संघात दो ही हैं।

संश्लेषित है। पौद्रलिक परिणाम की अमर्यादित विचित्रता के कारण जैसे पहले के अतीन्द्रिय स्कन्ध भी पीछे से भेद तथा संघात रूप निमित्त से ऐन्द्रियक बन सकते हैं, वैसे ही स्थूल स्कन्ध भी सूक्ष्म बन जाते हैं। इतना ही नहीं, परिणाम की विचित्रता के कारण अधिक इन्द्रियों से ग्रहण किया जाने वाला स्कन्ध अल्प इन्द्रियग्राह्य बन जाता है। जैसे लवण, हिंगु आदि पदार्थ नेत्र, स्पर्शन, रसन और घ्राण इन चार इन्द्रियों से ग्रहण किये जा सकते हैं; पर वे ही जल में मिलकर गल जाने से सिर्फ रसन और घ्राण दो ही इन्द्रियों से ग्रहण हो सकते हैं।

प्र०—स्कन्ध के चाक्षुष बनने में दो कारण दिखाए, पर अचाक्षुष स्कन्ध की उत्पत्ति के कारण क्यों नहीं दिखाए गए ?

उ०—छन्वीसवें सूत्र में सामान्य रूप से स्कन्ध मात्र की उत्पत्ति के तीन हेतुओं का कथन किया गया है। यहाँ तो सिर्फ विशेष स्कन्ध की उत्पत्ति के अर्थात् अचाक्षुष से चाक्षुष बनने के हेतुओं का विशेष कथन है। इसलिए उस सामान्य विधान के अनुसार अचाक्षुष स्कन्ध की उत्पत्ति के हेतु तीन ही प्राप्त होते हैं। सरांश यह कि छन्वीसवें सूत्र के कथनानुसार भेद, संघात और भेद-संघात इन तीनों हेतुओं से अचाक्षुष स्कन्ध बनते हैं। २८।

'सत्' की व्याख्या—

उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् । २९।

जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीनों से युक्त अर्थात् तदात्म्य है वही सत् कहलाता है।

सत् के स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न दर्शनों का मतभेद है। कौंड दर्शन सम्पूर्ण सत् पदार्थ को (ब्रह्म को) केवल भुव (नित्य ही) मानता

१. वेदान्त-औपनिषद् शाङ्करमत ।

है। कोई दर्शन सत् पदार्थ को निरन्वय क्षणिक (मात्र उत्पाद-विनाशील) मानता है। कोई दर्शन चेतनतत्त्व रूप सत् को तो केवल (कूटस्थनित्य) और प्रकृति तत्त्व रूप सत् को परिणामिनित्य (नितानित्य) मानता है। कोई दर्शन अनेक सत् पदार्थों में से परमाणु, काष्ठ, वा आदि कुछ सत् तत्त्वों को कूटस्थनित्य और घट, पट आदि कुछ सत् मात्र उत्पाद-व्ययशील (अनित्य) मानता है। परंतु जैनदर्शन का के स्वरूप से संबन्ध रखने वाला मन्तव्य उक्त सप्त मतों से भिन्न है वही इस सूत्र में ब्रतलाया गया है।

जैनदर्शन का मानना है कि जो सत्—वस्तु है, यह पूर्ण रूप सिर्फ कूटस्थनित्य या सिर्फ निरन्वयविनाशी या उसका अमुक भाग कूटस्थनित्य और अमुक भाग परिणामिनित्य अथवा उसका कोई भाग तो कूटस्थनित्य और कोई भाग मात्र अनित्य नहीं हो सकता। इसके मतानुसार चाहे चेतन हो या जड़, अमूर्त हो या मूर्त, सूक्ष्म हो या स्थूल, समीप कहलाने वाली वस्तुएँ उत्पाद, व्यय, और प्रौढ्य रूप से त्रिरूप हैं।

हरएक वस्तु में दो अंश हैं : एक अंश ऐसा है जो तत्कालों में शाश्वत है और दूसरा अंश सदा अशाश्वत है। शाश्वत अंश कारण हरएक वस्तु प्रौढ्यात्मक (स्थिर) और अशाश्वत अंश के कारण उत्पाद-व्ययात्मक (अस्थिर) कहलाती है। इन दो अंशों में किसी की ओर दृष्टि जाने और दूसरे की ओर न जाने से वस्तु सिर्फ स्थिररूप सिर्फ अस्थिररूप मालूम होती है। परन्तु दोनों अंशों की ओर दृष्टि से ही वस्तु का पूर्ण और यथार्थ स्वरूप मालूम किया जा सकता है; इसलिए दोनों दृष्टियों के अनुसार ही इस सूत्र में सत्—वस्तु का रूप प्रतिपादित किया गया है। २९।

[३०.]

विशेष का परिहार और परिणामित्यस्य का स्वरूप—

तद्भावाव्ययं नित्यम् । ३० ।

जो उसके भाव से (अपनी जाति से) व्युत्पन्न न हो वही नित्य है ।

लिखते सूत्र में कहा गया है कि एक ही वस्तु उत्पाद-व्यय-प्रौढ्या-
है अपान् स्थिरास्थिर—उभय रूप है; परन्तु इस पर प्रश्न होता है
यदि कैसे घट सकता है? जो स्थिर है वही अस्थिर कैसे? और
अस्थिर है वही स्थिर कैसे? एक ही वस्तु में स्थिरत्व, अस्थिरत्व दोनों
सि शोत-क्षण की तरह परस्पर विरुद्ध होने से एक ही समय में घट नहीं
सकते। इसलिए सूत्र की उत्पाद-व्यय-प्रौढ्यात्मक व्याख्या क्या विरुद्ध
है? इस विशेष के परिहार के लिए जैनदर्शन सम्मत नित्यत्व
का स्वरूप बतलाना ही इस सूत्र का उद्देश्य है ।

यदि कुछ अन्य दर्शनों की तरह जैनदर्शन भी वस्तु का स्वरूप
सिद्ध मानता कि 'किसी भी प्रकार से परिवर्तन को प्राप्त किए बिना ही
वस्तु सदा एक रूप में अवस्थित रहती है' तो इस कूटस्थनित्य में
नित्यत्व का सम्भव न होने के कारण एक ही वस्तु में स्थिरत्व, अस्थिरत्व
का विशेष आता । इसी तरह अगर जैनदर्शन वस्तु को क्षणिक मात्र
मानता, अपान् प्रत्येक वस्तु को क्षण क्षण में उत्पन्न तथा नष्ट होनेवाली
मान कर उसका कोई स्थायी आधार न मानता, तो भी उत्पाद-व्ययशील
अनित्यपरिणाम में नित्यत्व का सम्भव न होने के कारण उक्त विशेष आता ।
परन्तु जैनदर्शन किसी वस्तु को केवल कूटस्थनित्य या केवल परिणामित्य
न मान कर परिणामित्य मानता है । इसलिए सभी तत्त्व अपनी अपनी
जाति में स्थिर रहते हुए भी निमित्त के अनुसार परिवर्तन (उत्पाद-व्यय)
ग्रहण करते रहते हैं । अतएव इत्येक वस्तु में मूल जाति (द्रव्य) की अपेक्षा
से प्रौढ्य और परिणाम की अपेक्षा से उत्पाद-व्यय—इनके घटित होने में

है। कोई दर्शन सत् पदार्थ को निरन्वय शक्ति (मात्र उत्पाद-विनाशील) मानता है। कोई दर्शन चेतनतत्त्व रूप सत् को तो चेतन (कूटस्थनित्य) और प्रकृति तत्त्व रूप सत् को परिणामिनित्य (निष्कामिनित्य) मानता है। कोई दर्शन अनेक सत् पदार्थों में से परमाणु, काल, अणु आदि कुछ सत् तत्त्वों को कूटस्थनित्य और घट, पट आदि कुछ सत् को मात्र उत्पाद-व्ययशील (अनित्य) मानता है। परंतु जैनदर्शन का स्वयं के स्वरूप से संबन्ध रखने वाला मन्तव्य उक्त सत् मतों से भिन्न है और वही इस सूत्र में ब्रतलाया गया है।

जैनदर्शन का मानना है कि जो सत्—वस्तु है, वह पूर्ण रूप से सिर्फ कूटस्थनित्य या सिर्फ निरन्वयविनाशी या उसका अमुक भाग कूटस्थनित्य और अमुक भाग परिणामिनित्य अथवा उसका कोई भाग तो कूटस्थनित्य और कोई भाग मात्र अनित्य नहीं हो सकता। इसके मतानुसार चाहे चेतन हो या जड़, अमूर्त हो या मूर्त, सूक्ष्म हो या स्थूल, सभी सत् कहलाने वाली वस्तुएँ उत्पाद, ध्वय, और प्रौढ्य रूप से त्रिरूप हैं।

हर एक वस्तु में दो अंश हैं : एक अंश ऐसा है जो जैन कालों में शाश्वत है और दूसरा अंश सदा अशाश्वत है। शाश्वत अंश के कारण हर एक वस्तु प्रौढ्यात्मक (स्थिर) और अशाश्वत अंश के कारण उत्पाद-व्ययात्मक (अस्थिर) कहलाती है। इन दो अंशों में किसी एक की ओर दृष्टि जाने और दूसरे की ओर न जाने से वस्तु सिर्फ स्थिर रूप से ही सिर्फ अस्थिररूप मान्य होती है। परन्तु दोनों अंशों की ओर दृष्टि देने से ही वस्तु का पूर्ण और यथार्थ स्वरूप मान्य किया जा सकता है; इसलिए दोनों दृष्टियों के अनुसार ही इस सूत्र में सत्—वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। २९।

विरोध का परिहार और परिणामिनित्यत्व का स्वरूप—

तद्भावाव्ययं नित्यम् । ३० ।

जो उसके भाव से (अपनी जाति से) व्युत्पन्न न हो वही नित्य है ।

पिछले सूत्र में कहा गया है कि एक ही वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक है अर्थात् स्थिरास्थिर—उभय रूप है; परन्तु इस पर प्रश्न होता है कि यह कैसे घट सकता है ? जो स्थिर है वही अस्थिर कैसे ? और जो अस्थिर है वही स्थिर कैसे ? एक ही वस्तु में स्थिरत्व, अस्थिरत्व दोनों अंश शीत-उष्ण की तरह परस्पर विरुद्ध होने से एक ही समय में घट नहीं सकते । इसलिए सूत्र की उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक व्याख्या क्या विरुद्ध नहीं है ? इस विरोध के परिहार के लिए जैनदर्शन सम्मत नित्यत्व का स्वरूप बतलाना ही इस सूत्र का उद्देश्य है ।

यदि कुछ अन्य दर्शनों की तरह जैनदर्शन भी वस्तु का स्वरूप ऐसा मानता कि 'किसी भी प्रकार से परिवर्तन को प्राप्त किए बिना ही वस्तु सदा एक रूप में अवस्थित रहती है' तो इस कूटस्थनित्य में अनित्यत्व का सम्भव न होने के कारण एक ही वस्तु में स्थिरत्व, अस्थिरत्व का विरोध आता । इसी तरह अगर जैनदर्शन वस्तु को क्षणिक मात्र मानता, अर्थात् प्रत्येक वस्तु को क्षण क्षण में उत्पन्न तथा नष्ट होनेवाली मान कर उसका कोई स्थायी आधार न मानता, तो भी उत्पाद-व्ययशील अनित्यपरिणाम में नित्यत्व का सम्भव न होने के कारण उक्त विरोध आता । परन्तु जैनदर्शन किसी वस्तु को केवल कूटस्थनित्य या केवल परिणामिमात्र न मान कर परिणामिनित्य मानता है । इसलिए सभी तत्त्व अपनी अपनी जाति में स्थिर रहते हुए भी निमित्त के अनुसार परिवर्तन (उत्पाद-व्यय) प्राप्त करते रहते हैं । अतएव हर एक वस्तु में मूल जाति (द्रव्य) की अपेक्षा से ध्रौव्य और परिणाम की अपेक्षा से उत्पाद-व्यय—इनके घटित होने में

कोई विरोध नहीं आता। जैन का परिणामिनित्यवाद सांख्य की सिर्फ जड़ (प्रकृति) तक ही सीमित नहीं है; किन्तु चेतनतत्त्व पर भी घटित होता है।

सब तत्त्वों में व्यापक रूप से परिणामिनित्यवाद का स्वीकार करने के लिए साधकप्रमाण मुख्यतया अनुभव है। सूत्रम दृष्टि वे पर कोई ऐसा तत्त्व अनुभव में नहीं आता जो सिर्फ अपरिणामी। मात्र परिणामरूप हो। धातु, आभ्यन्तर सभी वस्तुएँ परिणामिनी मात्तम होती हैं। अगर सभी वस्तुएँ क्षणिक मात्र हों, तो प्रत्येक क्षण नयी नयी वस्तु उत्पन्न तथा नष्ट होने के कारण, एवं उसका कोई आधार न होने के कारण, उस क्षणिक परिणाम परम्परा में तत्कालीन कभी अनुभव न हो, अर्थात् पहले कभी देखी हुई वस्तु को फिर से देखने पर जो 'यह वही है' ऐसा प्रत्यभिज्ञान होता है वह किसी तरह से संभव न सकेगा; क्योंकि प्रत्यभिज्ञान के लिए जैसे उसकी विषयभूत वस्तु का स्मरण आवश्यक है, वैसे ही दृष्ट आत्मा का स्थिरत्व भी आवश्यक है। इसी आधार पर जड़ या चेतन तत्त्व मात्र निर्विकार हो तो इन दोनों तत्त्व के विरुद्ध रूप जगत में क्षण क्षण में दिखाई देनेवाली विविधता कभी उत्पन्न न सकेगी अतएव परिणामिनित्यवाद को जैनदर्शन सुचिसंगत मानता है।

व्याख्यानतर से पूर्वोक्त सूत्र के नित्यत्व का वर्णन-

“तद्भावाव्ययं नित्यम्”

सत् उसके भाव से स्थित न होने के कारण नित्य है।

उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक होना यही वस्तुमात्र का स्वरूप है। स्वरूप सत् कहलाता है। सत् स्वरूप नित्य है; अर्थात् यह तीनों वस्तुएँ एकसा अवस्थित रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु में या वस्तु

उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्य कभी हों और कभी न हों। प्रत्येक समय में उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य तीनों अंश अवश्य होते हैं, यही सत् का नित्यत्व है।

अपनी अपनी जाति को न छोड़ना यह सभी द्रव्यों का ध्रौव्य है और प्रत्येक समय में भिन्न भिन्न परिणामरूप से उत्पन्न और नष्ट होना यह व्यय का उत्पाद-व्यय है। ध्रौव्य तथा उत्पाद-व्यय का चक्र द्रव्यमात्र में दा पाया जाता है।

उस चक्र में से कभी कोई अंश छुप्त नहीं होता, यही इस सूत्र का यत्न किया गया है। पूर्व सूत्र में ध्रौव्य का जो कथन है वह द्रव्य के ध्रौव्य—स्थायी अंश मात्र को लेकर और इस सूत्र में जो नित्यत्व का कथन है, वह उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीनों अंशों के अविच्छिन्नत्व को लेकर। यही पूर्व सूत्र में कथित ध्रौव्य और इस सूत्र में कथित नित्यत्व का बीच अन्तर है। ३०।

अनेकान्त के स्वरूप का समर्थन—

अर्पितानर्पितसिद्धेः । ३१ ।

प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है; क्योंकि अर्पित—अर्पणा अर्थात् प्रेषणा से और अनर्पित—अनर्पणा अर्थात् अपेक्षान्तर से विरोधी स्वरूप सिद्ध होता है।

परस्पर विरुद्ध किन्तु प्रमाण सिद्ध धर्मों का समन्वय एक वस्तु में हो सकता है, तथा विद्यमान अनेक धर्मों में से कभी एक का और कभी दूसरे का प्रतिपादन क्यों होता है, यह दिखाना इस सूत्र का हेतु है।

‘आत्मा सत् है’ इस प्रतीति या उक्ति में जो सर्व का भान होता है, वह सब प्रकार से घटित नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो तो आत्मा,

चेतना आदि स्व-रूप की तरह घटादि पर-रूप से भी सत् सिद्ध हो; परन्तु उसमें चेतना की तरह घटत्व भी मासमान हो; जिससे उसका मिलित स्वरूप सिद्ध ही न हो। विशिष्ट स्वरूप का अर्थ ही यह है कि वह सत्त्व से सत् और पर-रूप से सत् नहीं अर्थात् असत् है। इस तरह अनेक विशेष से सत्त्व और अपेक्षान्तर से असत्त्व ये दोनों धर्म आत्मा में सिद्ध होते हैं। जैसे सत्त्व, असत्त्व जैसे ही नित्यत्व, अनित्यत्व धर्म भी सिद्ध हैं। द्रव्य (सामान्य) दृष्टि से नित्यत्व और पर्याय (विशेष) से अनित्यत्व सिद्ध होता है। इसी तरह परस्पर विरुद्ध दिखाई देने वाले परन्तु अपेक्षा भेद से सिद्ध ऐसे और भी एकत्व, अनेकत्व आदि धर्मों पर समन्वय आत्मा आदि सब वस्तुओं में अनाधित है; इसलिए सभी पर अनेक धर्मात्मक माने जाते हैं।

व्याख्यानन्तर—

“अर्पितानर्पितासिद्धेः”

प्रत्येक वस्तु अनेक प्रकार से व्यवहार्य है, क्योंकि अर्पणा और अनर्पणा से अर्थात् विवक्षा के अनुसार प्रधान किंवा अप्रधान माने व्यवहार की सिद्धि—उपपत्ति होती है।

अपेक्षाभेद से सिद्ध ऐसे अनेक धर्मों में से भी कभी किसी एक धर्म के द्वारा और कभी उसके विरुद्ध दूसरे धर्म के द्वारा वस्तु का प्रयत्न होता है, वह अप्रामाणिक या बाधित नहीं है; क्योंकि विद्यमान स्वयं ही एक साथ विवक्षित नहीं होते। प्रबोधनानुसार कभी एक ही कभी दूसरे की विवक्षा होती है। जब जिसकी विवक्षा हो, तो ही प्रधान और दूसरा अप्रधान होता है। जो कर्म का कर्ता है वही उसके फल का भोक्ता हो सकता है। इस कर्म और तत्सम्बन्ध फल के सम्बन्ध धिक्करण्य को दिखाने के लिए आत्मा में द्रव्यदृष्टि से सिद्ध निरूपण

विवक्षा की जाती है। उस समय उसका पर्यायदृष्टि से सिद्ध अनित्यत्व विवक्षित न होने के कारण गौण है; परन्तु कर्तृत्वकाल की अपेक्षा भोज्यत्व-काल में आत्मा की अवस्था बदल जाती है। ऐसा कर्मकालीन और फलकालीन अवस्थामेद दिखाने के लिए जब पर्यायदृष्टि सिद्ध अनित्यत्व या प्रतिपादन किया जाता है, तब द्रव्यदृष्टि से सिद्ध नित्यत्व प्रधान नहीं होता। इस तरह विवक्षा और अविवक्षा के कारण कभी आत्मा को नित्य और कभी अनित्य कहा जाता है। जब दोनों धर्मों की विवक्षा एक साथ की जाती है, तब दोनों धर्मों का युगपत् प्रतिपादन कर सके ऐसा वाचक शब्द न होने के कारण आत्मा को अव्यक्तव्य कहा जाता है। विवक्षा, अविवक्षा और सहविवक्षा आश्रित उक्त तीन वाक्य रचनाओं के पारस्परिक विषय मिश्रण से और भी चार वाक्य रचनाएँ बनती हैं। जैसे—नित्य-नेत्र, नित्य-अवक्तव्य, अनित्य-अवक्तव्य और नित्य-अनित्य-अवक्तव्य। इन प्रत्येक वाक्यरचनाओं को सप्तभंगी कहते हैं। इनमें पहले तीन वाक्य और तीन में भी दो वाक्य मूल हैं। जैसे भिन्न भिन्न दृष्टि से सिद्ध नित्यत्व और अनित्यत्व को लेकर विवक्षावश किसी एक वस्तु में सप्तभंगी घटाई जा सकती है; वैसे और भी भिन्न भिन्न दृष्टिसिद्ध किन्तु परस्पर विरुद्ध दिखलाई देनेवाले सरव-असत्त्व, एकत्व-अनेकत्व, वाच्यत्व-अवाच्यत्व आदि धर्मयुग्मों को लेकर सप्तभंगी घटानी चाहिए। अतएव एक ही वस्तु अनेक धर्मात्मक और अनेक प्रकार के व्यवहार की विषय मानी गई है। ३१।

पौत्रलिक बन्ध के हेतु का कथन—

स्निग्धरूक्षत्वाद् बन्धः । ३२ ।

स्निग्धत्व और रूक्षत्व से बन्ध होता है।

पौत्रलिक-बन्ध की उत्पत्ति उसके अवयवभूत परमाणु आदि के पारस्परिक संयोग मात्र से नहीं होती। इसके लिए संयोग के अलावा

दूसरे अवयव में स्निग्धत्व या रूक्षत्व के अंश दो, तीन, चार या वृत् संख्यात, असंख्यात, अनन्त अधिक होने पर भी बन्ध माना जाता है; किन्तु एक अंश अधिक होने पर बन्ध नहीं माना जाता ! परन्तु सभी दिग्गतर व्याख्याओं के अनुसार सिर्फ दो अंश अधिक होने पर ही बन्ध माना जाता है; अर्थात् एक अंश की तरह तीन, चार या वृत्-संख्यात, असंख्यात, अनन्त अंश अधिक होने पर बन्ध नहीं माना जाता ।

३. पैंतीसवें सूत्र में भाष्य और वृत्ति के अनुसार दो, तीन और अंशों के अधिक होने पर जो बन्ध का विधान है वह सदृश अवयवों में ही लागू पड़ता है; परन्तु दिग्गतर व्याख्याओं में यह विधान तरह की तरह असदृश परमाणुओं के बन्ध में भी लागू पड़ता है ।

इस अर्थ-भेद के कारण दोनों परम्पराओं में जो बन्ध विनाश विधि-निषेध फलित होता है, वह आगे के कोष्ठकों में दिखाया जाता है—

भाष्य-वृत्त्यनुसारी कोष्ठक

गुण-अंश	सदृश	विसदृश
१. जघन्य + जघन्य	नहीं	नहीं
२. जघन्य + एकाधिक	नहीं	१
३. जघन्य + द्वाधिक	१	२
४. जघन्य + त्र्यादि अधिक	१	२
५. जघन्येतर + सम जघन्येतर	नहीं	२
६. जघन्येतर + एकाधिक जघन्येतर	नहीं	१
७. जघन्येतर + द्वाधिक जघन्येतर	१	२
८. जघन्येतर + त्र्यादि अधिक जघन्येतर	१	१

सर्वार्थसिद्धिं आदि के अनुसार कोष्ठक

गुण-अंश	सदृश	विसदृश
१. जघन्य + जघन्य	नहीं	नहीं
२. जघन्य + एकाधिक	नहीं	नहीं
३. जघन्य + द्वाधिक	नहीं	नहीं
४. जघन्य + त्रयादि अधिक	नहीं	नहीं
५. जघन्येतर + सम जघन्येतर	नहीं	नहीं
६. जघन्येतर + एकाधिक जघन्येतर	नहीं	नहीं
७. जघन्येतर + द्वाधिक जघन्येतर	है	है
८. जघन्येतर + त्रयादि अधिक जघन्येतर	नहीं	नहीं

स्निग्धत्व, रुक्षत्व दोनों स्पर्श विशेष हैं। ये अपनी अपनी जाति की अपेक्षा एक एक रूप होने पर भी परिणमन की तरतमता के कारण अनेक प्रकार के होते हैं। तरतमता यहाँ तक होती है कि निःकृष्ट स्निग्धत्व और निःकृष्ट रुक्षत्व तथा उत्कृष्ट स्निग्धत्व और उत्कृष्ट रुक्षत्व के बीच अनन्तानन्त अंशों का अन्तर पाया जाता है। उदाहरणार्थ, यकरी और क्वैनी के दूध के स्निग्धत्व का अन्तर। दोनों में स्निग्धत्व होता ही है, परन्तु एक में बहुत कम और दूसरे में बहुत अधिक। तरतमता वाले स्निग्धत्व और रुक्षत्व परिणामों में जो परिणाम सबसे निःकृष्ट अर्थात् अविभाज्य हो वह जघन्य अंश कहलाता है। जघन्य को छोड़कर बाकी के सभी जघन्येतर कश्मत्ते हैं। जघन्येतर में मध्यम और उत्कृष्ट संख्या आ जाती है। जो स्निग्धत्व परिणाम सबसे अधिक हो वह उत्कृष्ट; और जघन्य तथा उत्कृष्ट के बीच सभी परिणाम मध्यम हैं। जघन्य स्निग्धत्व

करता रहता है। द्रव्य में परिणाम जनन की जो शक्ति है वही लगान्ता गुण कहलाता है और गुणजन्य परिणाम पर्याय कहलाता है। गुण सामान्य और पर्याय कार्य है। एक द्रव्य में शक्ति-रूप अनन्त गुण हैं; वे बहुधा आश्रयभूत द्रव्य से तथा परस्पर में अविभाज्य हैं। प्रत्येक गुण-शक्ति के भिन्न भिन्न समयों में होनेवाले त्रैकालिक पर्याय अनन्त हैं। द्रव्य की उसकी अंश भूत शक्तियाँ उत्पन्न तथा विनष्ट होने के कारण विना अर्थात् अनादि अनन्त हैं; परन्तु सभी पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न तथा नष्ट होने रहने के कारण व्यक्तिगत अनित्य अर्थात् सादि सान्त है और प्रतीति की अपेक्षा से पर्याय भी अनादि अनन्त है। कारणभूत एक शक्ति के रूप द्रव्य में होनेवाला त्रैकालिक पर्याय प्रवाह भी सञ्जातीय है। द्रव्य में अलग शक्तियों से तज्जन्य पर्याय प्रवाह भी अनन्त ही एक ही साथ चलते रहते हैं। भिन्न-भिन्न शक्तिजन्य विजातीय पर्याय एक समय में एक द्रव्य में पनि जा सकते हैं; परन्तु एक शक्तिजन्य भिन्न भिन्न समयभावी सञ्जातीय पर्याय एक द्रव्य में एक समय में नहीं पाये जा सकते।

आत्मा और पुद्गल द्रव्य हैं; क्योंकि उनमें अनुक्रम से चेतना आदि तथा रूप आदि अनन्त गुण हैं और ज्ञान, दर्शन रूप विविध उपयोग आदि तथा नील, पीत आदि विविध अनन्त पर्याय हैं। आत्मा चेतनाशक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न उपयोग रूप में और पुद्गल रूपशक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न नील, पीत आदि रूप में परिणत होता रहता है। चेतनाशक्ति आत्मद्रव्यसे और आत्मगत अन्य शक्तियों से अलग नहीं हो सकती। इसी तरह रूपशक्ति पुद्गलद्रव्य से पुद्गलगत अन्य शक्तियों से पृथक् नहीं हो सकती। ज्ञान, दर्शन आदि भिन्न भिन्न समयवर्ती विभिन्न उपयोगों के त्रैकालिक प्रवाह की कारणभूत एक चेतनाशक्ति है, और उस शक्ति का कार्यभूत पर्याय प्रवाह उपयोगात्मक है। पुद्गल में भी कार्यभूत रूपशक्ति और नील, पीत आदि विविध वर्णपर्यायप्रवाह उस एक शक्ति से

वर्ष है। आत्मा में उपयोगात्मक पर्याय प्रवाह की तरह सुख-दुःख, अनात्मक पर्याय प्रवाह, प्रवृत्त्यात्मक पर्याय प्रवाह आदि अनन्त पर्याय प्रवाह एक साथ चलते रहते हैं। इसलिए उसमें चेतना की तरह उसमें सजातीय पर्याय प्रवाह की कारणभूत आनन्द, वीर्य आदि एक एक शक्ति के मानने से अनन्त शक्तियाँ सिद्ध होती हैं। इसी तरह पुद्गल में भी रूपपर्याय प्रवाह की तरह गन्ध, रस, स्पर्श आदि अनन्त पर्याय प्रवाह प्रवाह चलते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रवाह की कारणभूत एक एक शक्ति के मानने से उसमें रूपशक्ति की तरह गन्ध, रस, स्पर्श आदि अनन्त शक्तियों सिद्ध होती हैं। आत्मा में चेतना, आनन्द और वीर्य आदि शक्तियों के भिन्न भिन्न विविध पर्याय एक समय में पाये जा सकते हैं; परंतु एक चेतना शक्ति के या एक आनन्द शक्ति के विविध उपयोग पर्याय या विविध वेदना पर्याय एक समय में नहीं पाये जा सकते; क्योंकि प्रत्येक शक्ति का एक समय में एक ही पर्याय व्यक्त होता है। इसी तरह पुद्गल में भी रूप, गन्ध आदि भिन्न भिन्न शक्तियों के भिन्न भिन्न पर्याय एक समय में होते हैं, परंतु एक रूपशक्ति के नील, पीत आदि विविध पर्याय एक समय में नहीं होते। जैसे आत्मा और पुद्गल द्रव्य नित्य हैं वैसे उनकी चेतना आदि तथा रूप आदि शक्तियाँ भी नित्य हैं। परंतु चेतना-द्रव्य उपयोग पर्याय या रूपशक्तिजन्य नील, पीत पर्याय नित्य नहीं हैं, किन्तु सदैव उत्पाद-विनाशशाली होने से व्यक्तिशः अनित्य है और उपयोग पर्याय प्रवाह तथा रूप पर्याय प्रवाह भ्रैकालिक होने से नित्य है।

अनन्त गुणों का अग्रह समुदाय ही द्रव्य है; तथापि आत्मा के चेतना, आनन्द, चारित्र्य, वीर्य आदि-परिमित गुण ही साधारण बुद्धि वाले उपास्य की कल्पना में आते हैं, सब गुण नहीं आते। इसी तरह पुद्गल के भी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि कुछ ही गुण कल्पना में आते हैं; सब

नहीं। इसका कारण यह है कि आत्मा या पुद्गल द्रव्य को सब प्रकार के पर्यायप्रवाह विशिष्टज्ञान के बिना जाने नहीं जा सकते। जो दो पर्यायप्रवाह साधारण बुद्धि से जाने जा सकते हैं, उनके कारणभूत गुणों का व्यवहार किया जाता है; इसलिए ये गुण विकल्प्य हैं। आत्मा के चेतना, आनन्द, चारित्र्य, वीर्य आदि गुण विकल्प्य अर्थात् विचार्य या कार्य के गोचर हैं और पुद्गल के रूप आदि गुण विकल्प्य हैं। शरीर के अणु अविकल्प्य हैं जो सिर्फ केवलगम्य ही हैं।

त्रैकालिक अनन्त पर्यायों के एक एक प्रवाह की कारणभूत एक एक शक्ति (गुण) और ऐसी अनन्त शक्तियों का समुदाय द्रव्य है; यह कारण भी भेद सापेक्ष है। अभेददृष्टि से पर्याय अपने अपने कारणभूत गुणस्वरूप और गुण द्रव्यस्वरूप होने से गुणपर्यायात्मक ही द्रव्य कहा जाता है।

द्रव्य में सब गुण एक से नहीं हैं। कुछ साधारण अर्थात् साधारण द्रव्यों में पाये जाने वाले होते हैं, जैसे अस्तित्व, प्रदेशवत्त्व, शेषत्व आदि और कुछ असाधारण अर्थात् एक एक द्रव्य में पाये जाने वाले होते हैं, जैसे चेतना, रूप आदि। असाधारण गुण और तज्जन्य पर्याय के कारण प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे से भिन्न है।

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय द्रव्यों के गुण तथा पर्यायों का विचार भी इसी तरह कर लेना चाहिए। यहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि पुद्गलद्रव्य मूर्त होने से उसके गुण गुणस्वरूप पर्याय भी गुणरूप कहे जाते हैं। परन्तु शेष सब द्रव्य अमूर्त होने से उनके गुण और पर्याय अगुणरूप कहे जाते हैं। १७।

काल का विचार-

कालश्चेत्येके । ३८ ।

सोऽनन्तसमयः । ३९ ।

कोई आचार्य काल को भी द्रव्य कहते हैं ।

वह अनन्त समय (पर्याय) वाला है ।

पहले काल के वर्तना आदि अनेक पर्याय बतलाये गए हैं, परन्तु वस्तुतः आदि की तरह उसमें द्रव्यत्व का विधान नहीं किया गया ।

लिए प्रश्न होता है कि क्या प्रथम विधान न करने के कारण काल द्रव्य है ! या वर्तना आदि पर्यायों का वर्णन करने के कारण काल द्रव्य इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है ।

सूत्रकार का कहना है कि कोई आचार्य काल को द्रव्यरूप से मानते इस कथन से सूत्रकार का तात्पर्य यह जान पड़ता है कि वस्तुतः काल द्रव्यरूप से सर्व सम्मत नहीं है ।

काल को अलग द्रव्य मानने वाले आचार्यों के मत का निराकरण करने नहीं किया, सिर्फ उसका वर्णन मात्र कर दिया है । इसमें सूत्रकार कहते हैं कि काल अनन्त पर्याय वाला है । वर्तना आदि

१. दिगम्बर परम्परा में "कालश्च" ऐसा सूत्र पाठ है । तदनुसार वे काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं । प्रस्तुत सूत्र को एकदेशीय मत परक मान कर वे सिद्धान्त रूप से ही काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानने वाला सूत्र का तात्पर्य बतलाते हैं । जो काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते हैं जो मानते हैं वे सब अपने अपने मन्तव्य की पुष्टि किस प्रकार करते हैं काल का स्वरूप कैसा बतलाते हैं, इसमें और भी कितने मतभेद हैं यदि बातों को सविशेष जानने के लिए देखो, हिन्दी चौथे कर्म ग्रंथ में विषयक परिशिष्ट पृ० १५७ ।

२. देखो अ० ५. सू० २२ ।

पर्याय तो पहले कहे जा चुके हैं। समयरूप पर्याय भी काल के वर्तमान कालीन समयपर्याय तो सिर्फ एक ही होता है, परन्तु अनागत समय के पर्याय अनन्त होते हैं। इसीसे काल को अक्षर वाला कहा गया है। ३८, ३९।

गुण का स्वरूप—

द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः । ४० ।

जो द्रव्य में सदा रहने वाले और गुण रहित हैं वे गुण हैं। द्रव्य के लक्षण में गुण का कथन किया गया है, इसलिये स्वरूप यहाँ बतलाया गया है।

यद्यपि पर्याय भी द्रव्य के ही आभित और निर्गुण हैं, उत्पाद-विनाश वाले होने से द्रव्य में सदा नहीं रहते; पर गुण होने के कारण सदा ही द्रव्याभित हैं। यही गुण और पर्याय का अ

द्रव्य में सदा वर्तमान शक्तियों जो पर्याय की जनक रूप जाती हैं वे ही गुण हैं। उन गुणों में फिर गुणान्तर या शक्त्यन्त से अनवस्था आती है; इसलिए द्रव्यनिष्ठ शक्तिरूप गुण निर्गुण ही हैं। आत्मा के गुण चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र्य, आनन्द, ईर्ष्या आदि और पुद्गल के गुण रूप, रस गन्ध, स्पर्श आदि हैं।

परिणाम का स्वरूप—

तद्भावः परिणामः । ४१ ।

उसका होना अर्थात् स्वरूप में स्थित रह कर उत्पन्न तथा परिणाम है।

पैले कई तरह परिणाम का भी कथन आया है। अन्त-प्राप्ति का स्वरूप बतलाया जा रहा है।

चौद लोग वस्तु मात्र को अनस्पृशी और निस्स्वभावता की स्थिति में देखते हैं उनके मतानुसार परिणाम का अर्थ उत्पन्न होकर सर्वथा नष्ट हो जाता अर्थात् नाश के बाद किसी तरह का वापस न रहना कहते हैं। नैवार्थिक आदि भेदकारी दर्शन को गुण और द्रव्य का पारस्परिक भेद मानते हैं, उनके मतानुसार सर्वथा अविच्छिन्न द्रव्य में गुणों का उत्पन्न होना नष्ट होता ऐसा परिणाम का अर्थ प्रकृत होता है। इन दोनों पक्षों के अन्तरे परिणाम के स्वरूप के संबन्ध में देवदर्शन का मन्त्रावलीद्वारा दिखाना भी इस स्वरूप का उद्देश्य है।

कौर द्रव्य या कौर गुण ऐसा नहीं है जो सर्वथा अविच्छिन्न रह करे। भिन्न अर्थात् अवस्थान्तर्गों को प्राप्त होते रहने पर भी कौर द्रव्य या कौर गुण अपनी मूल जाति-स्वभाव का त्याग नहीं करता। हातांग पर हि द्रव्य हो या गुण, सभी अपनी अपनी जाति का त्याग किये बिना ही प्रविष्टमन्त्र निमित्तानुसार भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होते रहते हैं। कौर द्रव्य का तथा गुणों का परिणाम है।

आत्मा चाहे मनुष्यरूप हो या पशुपरीक्षण, पर उन भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होते रहने पर भी उसमें आत्मत्व कायम रहता है। इसी तरह चाहे ज्ञानरूप साकार उपयोग हो या दर्शनरूप निराकार उपयोग, पर विषयक शान हो या पद विषयक, पर उन सब उपयोग पर्यायों में वेदान्त कायम रहता है। चाहे व्यक्त अवस्था हो या अज्ञानरूप, पर पुत्रल उन अनेक अवस्थाओं में भी अपना पुत्रत्व नहीं छोड़ता। इसी तरह शुद्धरूप बदल कर कृष्ण हो, या कृष्ण बदल कर श्वेत

१. देवी अ. ५, सू. २२, २६।

पर्याय तो पहले कहे जा चुके हैं। समयरूप पर्याय भी बात के हैं। वर्तमान कालीन समयपर्याय तो सिर्फ एक ही होता है, वस्तु अनागत समय के पर्याय अनन्त होते हैं। इसीसे काल को अन्तः काल वाला कहा गया है। ३८, ३९।

गुण का स्वरूप—

द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। ४०।

जो द्रव्य में सदा रहने वाले और गुण रहित हैं वे गुण हैं।

द्रव्य के लक्षण में गुण का कथन किया गया है, इसलिए वे स्वल्प यहाँ बतलाया गया है।

यद्यपि पर्याय भी द्रव्य के ही आश्रित और निर्गुण हैं, तब उत्पाद-विनाश वाले होने से द्रव्य में सदा नहीं रहते; पर गुण तो होने के कारण सदा ही द्रव्याश्रित हैं। यही गुण और पर्याय का अन्तः

द्रव्य में सदा वर्तमान शक्तियाँ जो पर्याय ही अनेक रूप में जाती हैं वे ही गुण हैं। उन गुणों में फिर गुणान्तर या अन्तःकरण से अनवस्था आती है; इसलिए द्रव्यनिष्ठ शक्तिरूप गुण निर्गुण ही मने हैं। आत्मा के गुण चेतना, सम्यक्तय, चारित्र्य, आनन्द, यौग्य आदि मुद्रल के गुण रूप, रस गन्ध, स्पर्श आदि हैं।

परिणाम का स्वरूप—

तद्भावः परिणामः। ४१।

उसका होना अर्थात् स्वरूप में स्थित यह पर उपर्युक्त तद्भाव परिणाम है।

पहले कई जगह परिणाम का भी कथन आया है। अतः यहाँ उसका स्वरूप बतलाया जा रहा है।

बौद्ध लोग वस्तु मात्र को क्षणस्थायी और निरन्वयविनाशी मानते हैं। इसलिए उनके मतानुसार परिणाम का अर्थ उत्पन्न होकर सर्वथा नष्ट हो जाना अर्थात् नाश के बाद किसी तत्त्व का कायम न रहना फलित होता है। नैयायिक आदि भेदवादी दर्शन जो गुण और द्रव्य का एकान्त भेद मानते हैं, उनके मतानुसार सर्वथा अविकृत द्रव्य में गुणों का उत्पन्न तथा नष्ट होना ऐसा परिणाम का अर्थ फलित होता है। इन दोनों पक्षों के सामने परिणाम के स्वरूप के संबन्ध में जैनदर्शन का मन्तव्यभेद दिखाना ही इस सूत्र का उद्देश्य है।

कोई द्रव्य या कोई गुण ऐसा नहीं है जो सर्वथा अविकृत रह सके। उचित अर्थात् अवस्थान्तरों को प्राप्त होते रहने पर भी कोई द्रव्य या कोई गुण अपनी मूल जाति-स्वभाव का त्याग नहीं करता। सारांश यह कि द्रव्य हो या गुण, सभी अपनी अपनी जाति का त्याग किये बिना ही किसिमसे निमित्तानुसार भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होते रहते हैं। ही द्रव्यों का तथा गुणों का परिणाम है।

आत्मा चाहे मनुष्यरूप हो या पशुपक्षीरूप, पर उन भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होते रहने पर भी उसमें आत्मत्व कायम रहता है। वी तरह चाहे ज्ञानरूप साकार उपयोग हो या दर्शनरूप निराकार उपयोग, प्र विषयक ज्ञान हो या पद विषयक, पर उन सब उपयोग पर्यायों में विनाश कायम रहता है। चाहे द्युक्त अवस्था हो या व्युक्त अवस्था, पर सुदृढ उन अनेक अवस्थाओं में भी अपना सुदृढत्व नहीं खोता। इसी तरह शुद्धरूप बदल कर कृष्ण हो, या कृष्ण बदल कर पतित

हो; तथापि उन विविध वर्णपर्यायों में रूपरत्न स्वभाव धारण रहना। इसी तरह हरएक द्रव्य और उसके हरएक गुण के विषय में धारण चाहिए । ४१ ।

परिणाम के भेद तथा आभयविभाग-

अनादिरादिमांश्र । ४२ ।

रूपिष्वादिमान् । ४३ ।

योगोपयोगौ जीवेषु । ४४ ।

वह अनादि और आदिमान् दो प्रकारका है ।

रूपी अर्थात् पुद्गल द्रव्यों में आदिमान् है ।

जीवों में योग और उपयोग आदिमान् हैं ।

जिसके काल की पूर्व कोटी जानी न जा सके वह अनादि । जिसके काल की पूर्व कोटी शत हो सके वह आदिमान् कहा जाता है । अनादि और आदिमान् शब्द का उक्त अर्थ जो सामान्य रूप में प्रसिद्ध है; उसे मान लेने पर द्विविध परिणाम के आभय का सिद्ध करते समय यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि द्रव्य चाहे रूपी हो या अन्य सब द्रव्यों में अनादि और आदिमान् दोनों प्रकार का परिणाम पा जाता है । प्रवाद की अपेक्षा से अनादि और ध्यक्ति की अपेक्षा से आदिमान् परिणाम सब में समान रूप से घट्टाया जा सकता है । ऐसा होने भा प्रस्तुत सूत्रों में तथा उनके माध्य तक में उक्त अर्थ संशुद्ध रूप से स्पष्टतया क्यों नहीं कहा गया ? यह प्रश्न माध्य की शृति में शृतिघट्ट उठाया है और अन्त में स्वीकार किया है कि प्रस्तुतः सब द्रव्यों में अनादि तथा आदिमान् दोनों परिणाम होते हैं ।

सर्वार्थसिद्धि आदि दिगम्बर व्याख्या-ग्रन्थों में तो सत्र द्रव्यों में दोनों प्रकार के परिणाम होने का स्पष्ट कथन है; और उसका समर्थन भी किया है कि द्रव्य—सामान्य की अपेक्षा से अनादि और पर्याय—विशेष की अपेक्षा से आदिमान् परिणाम समझना चाहिए ।

दिगम्बर व्याख्याकारों ने बयालीस से चवालीस तक के तीन सूत्र सूत्रगठ में न रख कर “तद्भावः परिणामः” इस सूत्र की व्याख्या में ही परिणाम के भेद और उनके आश्रय का कथन सम्पूर्णतया तथा स्पष्टतया किया है । इससे जान पड़ता है कि उनको भी परिणाम के आश्रयविभाग तक प्रस्तुत सूत्रों तथा उनके भाष्य में अर्थत्रुटि अथवा अस्पष्टता अवश्य मालूम हुई होगी । जिससे उन्होंने अपूर्णार्थक सूत्रों को पूर्ण करने की अपेक्षा अपने वक्तव्य को स्वतंत्र रूप से कहना ही उचित समझा ।

छठा अध्याय

जीव और अजीव का निरूपण ही हुआ, अब आत्मव का निरूपण
क्रमप्राप्त है ।

योग के वर्णन द्वारा आत्मवका स्वरूप—

कायवाङ्मनःकर्म योगः । १ ।

स आत्मवः । २ ।

काय, वचन और मन की क्रिया योग है ।

यही आत्मव अर्थात् कर्म का संबन्ध कराने वाला होने से आत्म
संशक है ।

वीर्यान्तराय के क्षयोपशम या क्षय से तथा पुद्गलों के आत्मवत्त्व
होनेवाला आत्मप्रदेशों का परिस्पन्द—काम्यनव्यापार योग कहलाता है
इसके आलम्बनभेद से तीन भेद हैं : काययोग, वचनयोग और मनोयोग ।
औदारिकादि शरीर वर्गणाके पुद्गलों के आलम्बन से जो योग प्रयोज्य होता
है वह काययोग है । मतिज्ञानावरण, अक्षर-भ्रूवावरण आदि कर्म से
क्षयोपशम से उत्पन्न आन्तरिक चाग्लम्भि होने पर भाषावर्गणा के अवलम्बन
से जो भाषा परिणाम के अभिमुख आत्मा का प्रदेश परिस्पन्द होता है वह
वाचयोग है । नोदन्द्रिय मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप आन्तरिक लम्भि
होने पर मनोवर्गणा के अवलम्बन से जो मनःपरिणाम के अभिमुख
आत्मा का प्रदेशकाम्यन होता है वह मनोयोग है ।

उक्त तीनों प्रकार का योग ही आत्मव कहलाता है । योग के
आत्मव कहने का कारण यह है कि योग के द्वारा ही आत्मा में कर्म वर्णन
का आत्मवर्णन—कर्मरूप में संबन्ध होता है । जैसे जलराशय में जल के

उ कतने बाले नाले आदि का मुख या द्वार आध्व-वहन का निमित्त । से आसव कहा जाता है, वैसे ही कर्मासव का निमित्त होने के कारण । को आसव कहा जाता है । १, २ ।

योग के भेद और उनका कार्यभेद—

शुभः पुण्यस्य । ३ ।

अशुभः पापस्य । ४ ।

शुभयोग पुण्य का आसव—बन्धहेतु है ।

और अशुभयोग पापका आसव है ।

कार्ययोग आदि तर्कों योग शुभ भी हैं और अशुभ भी ।

योग के शुभत्व और अशुभत्व का आधार भावना की शुभाशुभता । शुभ उद्देश्य से प्रवृत्त योग शुभ और अशुभ उद्देश्य से प्रवृत्त योग शुभ है । कार्य—कर्मबन्ध की शुभाशुभता पर योग की शुभाशुभता निर्भर नहीं है; क्योंकि ऐसा मानने से सभी योग अशुभ ही कहे जायेंगे, कोई शुभ कहा न जा सकेगा; क्योंकि शुभ योग भी आठवें आदि स्थानों में अशुभ ज्ञानावरणों आदि कर्मों के बन्ध का कारण होता है ।

१. तीसरे और चौथे नेबरवाले दो सूत्रों के स्थान में 'शुभ पुण्यस्या-
मः पापस्य' ऐसा एक ही सूत्र तीसरे नेबर पर दिग्गम्य ग्रन्थों में छपा । परंतु राजवार्तिकमें "ततः सूत्रद्वयमनर्पकम्" ऐसा उल्लेख प्रस्तुत सूत्रों । चर्चा में मिलता है; देखो पृष्ठ २४८ वार्षिक ७ की टीका । इस उल्लेख जान पड़ता है कि व्याख्याकारों ने दोनों सूत्र साथ लिखकर उन पर एक ही व्याख्या की होगी और लिखने या छपानेवालों ने एक साथ सूत्र । और साथ ही व्याख्या देखकर दोनों सूत्रों को अलग अलग न.मानकर । ही सूत्र समझा होगा और उनके ऊपर एक ही नेबर लिख दिया होगा ।

२. इसके लिए देखो हिंदी चौथा कर्मग्रंथ—गुणस्थानों में बन्धाधिचार; या हिंदी दूसरा कर्मग्रंथ ।

हिंसा, चोरी, अमृत आदि कायिक व्यापार अशुभ कार्यों का दया, दान, ब्रह्मचर्य पालन आदि शुभ काययोग है। सख सिद्धि भाषण, मिथ्या भाषण, कठोर भाषण आदि अशुभ वाक्ययोग और सख भाषण, मृदु तथा सभ्य आदि भाषण शुभ वाक्ययोग है। दूसरों का तया उनके बंध का चिन्तन आदि करना अशुभ मनोयोग दूसरों की भलाई का चिन्तन तथा उनका उत्कर्ष देखकर प्रसन्न होना शुभ मनोयोग है।

शुभ योग का कार्य पुण्यप्रकृति का बन्ध और अशुभ के कार्य पाप प्रकृति का बन्ध है। ऐसा प्रस्तुत सूत्रों का विधान आने के क्योंकि संकेश—कराय की मन्दता के समय होनेवाला योग शुभ संकेश की तीव्रता के समय होनेवाला योग अशुभ कहलाता है। अशुभ योग के समय प्रयम आदि गुणस्थानों में ज्ञानावरणीय आदि पुण्य, पाप प्रकृतियों का यथासम्भव बन्ध होता है, वैध ही उठे आदि स्थानों में शुभयोग के समय भी सभी पुण्य, पाप प्रकृतियों का यथासम्भव होता ही है। फिर शुभयोग का पुण्य के बन्धकारण रूप से और अशुभ योग का पाप के बन्धकारण रूप से अलग-अलग विधान कैसे हो सकता है ? इच्छिष्ट प्रस्तुत विधान की मुख्यतया अनुभागबन्ध की ही से समझना चाहिए। शुभ योग की तीव्रता के समय पुण्य प्रकृति अनुभाग—रस की मात्रा अधिक और पाप प्रकृतियों के अनुभाग मात्रा हीन निष्पन्न होती है। इससे उलटा अशुभ योग की तीव्रता के समय पाप प्रकृतियों का अनुभागबन्ध अधिक और पुण्य प्रकृति अनुभागबन्ध अल्प होता है। इसमें जो शुभयोगजन्य पुण्यनुभाग अधिकमात्रा और अशुभयोगजन्य पापानुभाग की अधिक मात्रा है, प्राधान्य मान कर सूत्रों में अनुक्रम से शुभ योग को पुण्य का और अशुभ योग को पाप का बन्धकारण कहा है। शुभ-योगजन्य पापानुभाग की

मात्रा और अशुभयोगजन्य पुण्यानुभाग की हीन मात्रा विवक्षित नहीं है; क्योंकि लोक की तरह शास्त्र में भी प्रधानता से व्यवहार करने का नियम प्रसिद्ध है। ३, ४।

स्वामिभेद से योग का फलभेद-

सकपायाकपाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः। ५।

कपायसहित और कपायरहित आत्मा का योग अनुक्रम से साम्परायिक कर्म और ईर्यापय कर्म का बन्धहेतु—आसन्न होता है।

जिनमें क्रोध, लोभ आदि कपायों का उदय हो वह कपायसहित और जिनमें न हो वह कपायरहित हैं। पहले से दसवें गुणस्थान तक के सभी जीव न्यूनाधिक प्रमाण में सकपाय हैं और ग्यारहवें आदि आगे के गुणस्थान वाले अकपाय हैं।

आत्मा का सम्पराय—पराभव करनेवाला कर्म साम्परायिक कहलाता है। जैसे गीले चमड़े के ऊपर हवा द्वारा पड़ी हुई रज उसके साथ चिपक जाती है, वैसे योग द्वारा आकृष्ट होनेवाला जो कर्म कपायोदय के कारण आत्मा के साथ संबद्ध होकर स्थिति पा लेता है, वह साम्परायिक है। सूती भौत के ऊपर लगे हुए लकड़ी के गोले की तरह योग से आकृष्ट जो कर्म कपायोदय न होने के कारण आत्मा के साथ लग कर तुरन्त ही छूट जाता है वह ईर्यापय कर्म कहलाता है। ईर्यापय कर्म की स्थिति सिर्फ एक समय की मानी गई है।

कपायोदय वाले आत्मा काययोग आदि तीन प्रकार के शुभ, अशुभ योग से जो कर्म बांधते हैं वह साम्परायिक हैं; अर्थात् कपाय की तीव्रता,

१. "प्राधान्येय व्यपदेशा भवन्ति" यह न्याय जैसे—जहां ब्राह्मणों की प्रधानता हो या संख्या अधिक हो, अन्य वर्ण के लोग होने पर भी वह गौव ब्राह्मणों का कहलाता है।

मंदता के अनुसार अधिक या कम स्थिति वाला होता है; और पचाहम शुभाशुभ विपाक का कारण भी होता है। परन्तु कपायकृत आत्म तर्क प्रकार के योग से जो कर्म बांधते हैं वह कपाय के अभाव के कारण न कें विपाकजनक होता है और न एक समय से अधिक स्थिति ही प्राप्त करते हैं। ऐसे एक समय की स्थिति वाले कर्म को ईर्ष्यादिक नाम देने का कारण यह है कि वह कर्म कपाय के अभाव में गिरके ईर्ष्या-गमनादिसदृश क्रिया के पथ द्वारा ही बांधा जाता है। सारांश यह कि तीनों प्रकार के योग समान होने पर भी अगर कपाय न हो तो उपार्जित कर्म में स्थिति या रस का बंध नहीं होता। स्थिति और रस दोनों का बंधकारण कपाय ही है। अतएव कपाय ही संसार की असली जड़ है। ५।

सांख्यिक कर्मात्म्य के भेद-

अग्रतकपायेन्द्रियक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिसंख्याः
पूर्वस्य भेदाः । ६ ।

पूर्व के अर्थात् दो में से पहले सांख्यिक कर्मात्म्य के अग्र, कपाय, इन्द्रिय और क्रिया रूप भेद हैं जो अनुक्रम में संख्या में पाँच, चार, पाँच और पचीस हैं।

जिन हेतुओं से सांख्यिक कर्म का बन्ध होता है वे सांख्यिक कर्म के आत्म्य कहलाते हैं। ऐसे आद्य सप्तपाय जीवों में ही पाये जा सकते हैं। प्रस्तुत सूत्र में जिन आद्यभेदों का कथन है वे सांख्यिक कर्मात्म्य ही हैं, क्योंकि ये कपायमूलक हैं।

है। यज्ञ इन्द्रिय का अर्थ उसको राग-द्वेष युक्त प्रवृत्ति में है; क्योंकि सिर्फ स्वप्नमात्र से कोई इन्द्रिय कर्मबन्ध का कारण नहीं हो सकती और न; इन्द्रियों को राग-द्वेष रहित प्रवृत्ति ही कर्मबन्ध का कारण हो सकती है।

पञ्चोक्त क्रियाओं के नाम और उनके लक्षण इस प्रकार हैं: १. सम्प-
रचनिका वर है जो देव, गुरु और शास्त्र की पूजापतिवृत्ति रूप होने से
भगवत् को पोषक है। २. मिथ्यात्व क्रिया यः है जो मिथ्यात्व मोह-
संपर्क के मूल से होनेवाली सराग देव की स्तुति, उपासना आदि रूप
है। ३. शरीर आदि द्वारा जाने, आने आदि में सक्रिय प्रवृत्ति करना
योग क्रिया है। ४. लगी होकर भोगवृत्ति की ओर झुकना समादान-
रेश है। ५. ईर्ष्यापथकर्म—एक सामयिक कर्म के बंधन या वेदन की
करणभूत क्रिया ईर्ष्यापथक्रिया है।

१. दुष्टभाव युक्त होकर प्रयत्न करना अर्थात् किसी काम के लिए
पर होना कार्याकी क्रिया है। २. हिंसाकारी साधनों को ग्रहण करना
ताधिकारिकी क्रिया है। ३. क्रोध के आवेश से होनेवाली क्रिया प्रादो-
की क्रिया है। ४. प्राणियों को सतानेवाली क्रिया पापितापनिकी क्रिया है।
५. प्राणियों को प्रोणों से चियुक्त करने की क्रिया प्राणातिपातिकी क्रिया है।

१. रागवश होकर रमणीय रूप को देखने की वृत्ति दर्शनक्रिया है।
२. प्रनादवश होकर स्पर्श करने लायक वस्तुओं के स्पर्शानुभव की वृत्ति
दर्शनक्रिया है। ३. नये शस्त्रों को बनाना प्रात्ययिकी क्रिया है। ४. छी,
रूप और पशुओं के जाने आने की जगह पर मल, मूत्र आदि त्यागना
मन्तानुपातनक्रिया है। ५. अवलोकन और प्रमांजन नहीं की हुई जगह
शरीर आदि रखना अनाभोगक्रिया है।

१. पाँच इन्द्रियों; मन-बचन-क्रायबल; उद्वाहनिःश्राव, और आयुः
दश प्राण हैं।

१. जो किया दूसरे के करने की हो उसे स्वयं कर देना स्वाभिमानी है। २. पापकारी प्रवृत्ति के लिए अनुमति देना निन्द्यक्रिया है। ३. स्वयं ने जो पापकार्य किया हो उसे प्रकाशित कर देना विदार विद्वे। ४. पालन करने की शक्ति न होने से शास्त्रोक्त आशा के विपरीत प्रवृत्त करने भाशाव्यापादिकों अथवा आनयनों किया है। ५. भूतता और भयानक शास्त्रोक्त विधि करने का अनादर अनवकांक्ष किया है।

१. काटने पीटने और घात करने में स्वयं नग रहना और दूसरों की वैसी प्रवृत्ति देखकर खुश होना आभ्यक्रिया है। २. जो किया कर्म का नाश न होने के लिए की जाय वह परिप्रतिष्ठा किया है। ३. स्वयं, स्वयं आदि के विषय में दूसरों को ठगना मायाक्रिया है। ४. मिथ्याशक्ति के प्रवृत्ति करने, करने में निरत मनुष्य को 'नू टोंक करता है' इत्यादि कहकर प्रशंसा आदि द्वारा और भी मिथ्यात्व में दृष्ट करना मिथ्याशक्ति क्रिया है। संयमघातिकर्म के प्रभाव के कारण पापव्यापार में निरत होना अपत्यारुथान किया है।

पाँच पाँच क्रियाओं का एक, ऐसे उक्त पाँच पंचकों में से कि ईर्ष्यापित्री क्रिया साम्प्रदायिक कर्म का आसन्न नहीं है; और यह स्वयं कर्मायुक्त होने के कारण साम्प्रदायिक कर्म की रन्धकारण है। तभी उक्त सब क्रियाओं को साम्प्रदायिक कर्मोत्पन्न कहा है जो साहस्य की ही समझना चाहिए। यद्यपि अमृत, इन्द्रियप्रवृत्ति और उक्त विद्वे, रन्धकारणता रागद्वेष पर ही अवलम्बित है; इसलिए यद्यपि अमृत कर्माय ही साम्प्रदायिक कर्म का रन्धकारण है, तथापि कर्माय ही अमृत आदि का रन्धकारण रूप से सूत्र में जो कथन किया है वह कर्माय ही कौन कौन ही प्रवृत्ति स्वयं में मुख्यतया नष्ट आती है, और कौन अमितायी को किस किस प्रवृत्ति को रोकने की ओर ध्यान देना पड़े-यह समझाने के लिए है। ६।

बंधकारण समान होने पर भी परिणामभेद से कर्मबन्ध में विशेषता—

तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभाववीर्याऽधिकरणविशेषेभ्यस्तद्विशेषः । ७ ।

तीव्रभाव, मंदभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, वीर्य और अधिकरण के र से उसकी अर्थात् कर्मबन्ध की विशेषता होती है ।

प्राणातिपात, इन्द्रियव्यापार और सभ्यव्यक्रिया आदि उक्त आस्रव-कारण समान होने पर भी तदजन्य कर्मबन्ध में किस किस कारण से विशेषता होती है यही इस सूत्र में दिखाया गया है ।

ब्राह्म बंधकारण समान होने पर भी परिणाम की तीव्रता और मंदता कारण कर्मबन्ध भिन्न भिन्न होता है । जैसे एक ही हृदय को देखनेवाले व्यक्तियों में से मंद आसक्तिपूर्वक देखनेवाले की अपेक्षा तीव्र आसक्ति देखने वाला कर्म को तीव्र ही बांधता है । इशदापूर्वक प्रवृत्ति करना व भाव है और बिना इशदे के कृत्य का हो जाना अज्ञातभाव है । ज्ञात व अज्ञात भाव में ब्राह्म व्यापार समान होने पर भी कर्मबन्ध में फर्क होता है । जैसे एक व्यक्ति हरिण को हरिण समझ कर घाण से बाँध लता है और दूसरा घाण चलाता तो है किसी निर्जीव निशान पर, किन्तु उसे घाँच में वह हरिण को बाँध डालता है । भूल से मारनेवाले की चेष्टा संभ्रम पूर्वक मारनेवाले का कर्मबन्ध उदकट होता है । वीर्य-विशेष भी कर्मबन्ध की विचित्रता का कारण होता है । जैसे—दान, श्रम आदि कोई शुभ काम हो या हिंसा, चोरी आदि अशुभ काम भी शुभाशुभ कामों को बलवान् मनुष्य जिस आसानी और उत्साह से कर सकता है, निर्बल मनुष्य उन्हीं कामों को बड़ी कठिनता से कर पाता है । इसलिए बलवान् की अपेक्षा निर्बल का शुभाशुभ कर्मबन्ध मन्द ही होता है ।

अन्त में कार्य को करना आरम्भ कहलाता है। अर्थात् कार्य की संकल्पनात्मक सूक्ष्म अवस्था से लेकर उसको प्रकट रूप में पूरा कर देने तक का अवसरवाचक होती है, जो अनुकम से संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ कहलाते हैं। योग के तीन प्रकार पहले कहे जा चुके हैं। पूरा का मतलब पूरा करना, कारित का मतलब दूसरे से कराना और अनुमत का मतलब किसी कार्य में सम्मत होना है। क्रोध, मान आदि चारों कषाय प्रसिद्ध हैं।

जब कोई संसारी जीवदान आदि शुभ वा दिसा आदि अशुभ वा से संबन्ध रखता है, तब या तो वह क्रोध से या मान आदि किसी कषाय से प्रेरित होता है। कषायप्रेरित होकर भी कभी वह स्वयं कर ले, या दूसरे से करवाता है, अपना दूसरे के काम में सम्मत होता है इसी तरह वह कभी उस काम के लिए कायिक, मानिक और मानसिक संरम्भ, समारम्भ या आरम्भ से मुक्त अवश्य होता है। ९।

परमाणु आदि मूर्त वस्तु, द्रव्य अजीवाधिकरण है। जीव व शुभाशुभ प्रवृत्ति में उपयोगी होनेवाला मूर्त द्रव्य त्रिसुखित्त अरुणा यत्तमान पाया जा सकता है यह सब भाव अजीवाधिकरण है। यहाँ ए भावाधिकरण के मुख्य चार भेद बतलाए हैं। जैसे निर्वर्तना—रचना निक्षेप—रखना, संयोग—मिलना और निसर्ग—प्रवर्तन। निर्वर्तना के मूल गुणनिर्वर्तना और उत्तरगुणनिर्वर्तना ऐसे दो भेद हैं। पुद्गल द्रव्य की ओदारिक आदि शरीररूप रचना अन्तरात् साधन रूप से जीव को शुभ प्रवृत्ति में उपयोगी होती है वह मूलगुणनिर्वर्तना और पुद्गल द्रव्य को ही सक्की, पत्थर आदि रूप परिवर्तित करित साधन रूप से जीव को शुभाशुभ प्रवृत्ति में उपयोगी होती है वह उत्तरगुणनिर्वर्तना है।

निक्षेप के अवस्यवेदितनिक्षेप, सुध्वमाश्रितनिक्षेप, सरसाश्रित और अन्तर्भोगनिक्षेप ऐसे चार भेद हैं। प्रायवेद्य किसे बिना ही अर्थात्

अच्छी तरह देखे बिना ही किसी वस्तु को कहीं भी रख देना अप्रत्यवेक्षित-निक्षेप है। प्रत्यवेक्षण करने पर भी ठीक तरह से प्रमार्जन किये बिना ही वस्तु को जैठे तैठे रख देना दुष्प्रमार्जितनिक्षेप है। प्रत्यवेक्षण और प्रमार्जन किये बिना ही सहसा अर्थात् जल्दी से वस्तु को रखना सहसानिक्षेप है। संयोग के बिना ही किसी वस्तु को कहीं रख देना अनाभोगनिक्षेप है।

संयोग के दो भेद हैं : अन्न, जल आदि का संयोजन करना तथा पात्र आदि उपकरणों का संयोजन करना—अनुक्रम से भक्षण—गाधिकरण और उपकरण-संयोगाधिकरण है।

शरीर का, वचन का और मन का प्रवर्तन अनुक्रम से कावनिर्गम, वचननिर्गम और मनोनिर्गम रूप से तीन निर्गम हैं। १०।

आठ प्रकारों में से प्रत्येक सांप्रदायिक कर्म के भिन्न भिन्न बन्धहेतुओं का कथन—

तत्प्रदोषनिह्वयमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदर्श-
नावरणयोः । ११ ।

दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्य-
सद्वेद्यस्य । १२ ।

भूतब्रह्मनुकम्पा दानं सरागसंयमादियोगः क्षान्तिः
शौचमिति सद्वेद्यस्य । १३ ।

केवलिश्रुतसङ्घर्षमदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य । १४ ।

कपायोदयात्तीव्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य । १५ ।

बह्वारम्भपरिग्रहत्वं च नारकस्यायुपः । १६ ।

माया तैर्यग्योनस्य । १७ ।

अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्दवाज्जवं च मानुषस्य ॥

निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् । १९ ।

सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जगजालतपाभि

देवस्य । २० ।

योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाप्तः । २१ ।

विपरीतं शुभस्य । २२ ।

दर्शनविशुद्धिर्विनयसंपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारोऽनै

ज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपत्नी सहस्रायुतमा

वैयावृत्त्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनमक्तिगावभ्यस

परिहाणिर्मार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति

तीर्थकृत्त्वस्य । २३ ।

परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणाच्छादनोद्भावने च नै

र्गोत्रस्य । २४ ।

तद्विपर्ययो नीचैषृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य । २५ ।

विभ्रकरणमन्तरायस्य । २६ ।

तत्प्रदोष, निहव, मात्सर्य, अन्तराय, आषादन, और कर्म-
जानावरण कर्म तथा दर्शनावरण कर्म के बन्धदेतु—आश्रय है ।

निच आत्मा में, पर आत्मा में या दोनों आत्मा में स्था-
यन दुःख, शोक, ताप, आनन्दन, यष और परिदेयन के बन्धदेतु
कर्म के बन्धदेतु है ।

भूत-अनुकम्पा, नति-अनुकम्पा, दान, समाज सेपमेदि, और
और शौच ये सातावेदनीय कर्म के बन्धदेतु है ।

कैवल्यानी, भुव, संप, धर्म और देव का अर्थवाद प्रकृतियों के
के बन्धुत्व है।

काम के उदय से होने वाला साम आत्मनरेणाम चरित्रमरेणम
के बन्धुत्व है।

बहुत आरम्भ और बहुत परिश्रम से नरकायु के बन्धुत्व है।

मया तिर्यच-आयु का बन्धुत्व है।

अप आरम्भ, अल्प परिश्रम, स्वभाव की मृदुता और मारणा से
अनुप-आयु के बन्धुत्व हैं।

अशिक्षित और अक्षरहित होना तथा पूर्णतः अल्प आरम्भ और,
अप आयुओं के बन्धुत्व हैं।

कौण्डिन्य, संप्रसास्यम, अचामनिदरा और शक्यता से देव
बन्धुत्व हैं।

१. दिगम्बर परम्परा के अनुसार इस सूत्र का ऐसा अर्थ है कि
निर्जीव्य और निर्मल्य वे दोनों नरक आदि तीन आयुओं के बन्धुत्व हैं।

और भोगभूमि में उत्तम-मनुष्यों की अपेक्षा से निर्जीव्य और निर्मल्य वे

देवायु के बन्धुत्व का सम्बन्ध

परन्तु इसी भाव्य की वृत्ति में
जान करके इस बात की पूर्ण
अनुसार कर लेने के लिये ही विद्वानों को सूचित किया है।

२. दिगम्बर परम्परा में देवायु के प्रस्तुत सूत्र में इन आशयों के अन्वय
होगा एक और भी आशय गिनाया है, और उसके लिए इस सूत्र के बाद

से एक सूत्र "सम्पत्तव च" ऐसा अर्थ सूत्र है। इस परम्परा के
अनुसार उक्त सूत्र का अर्थ ऐसा है कि सम्पत्तव तौर्यम आदि कल्पवानी

के ही आयु का बन्धुत्व है। माध्य में यह बात नहीं है। त्रि भी

केवल्य से सम्पत्तव में दूसरे कई आशय गिनाते हुए सम्पत्तव को
जोके लिए है।

अल्पारम्भपरिमहत्वं स्वभावमार्दवाज्यं च मानुष्यं ।
निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् । १९ ।

सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जगत्पति
देवस्य । २० ।

योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः । २१ ।

विपरीतं शुभस्य । २२ ।

दर्शनविशुद्धिर्विनयसंपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारोऽर्क
ज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तिवस्त्यागतपत्नी सहस्राधुम
वैयावृत्त्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनमक्तिरावन्त
परिहाणिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति
तीर्थकृच्चस्य । २३ ।

परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणाच्छादनोद्भावने च
गोत्रस्य । २४ ।

तद्विपर्ययो नीचैवृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य । २५ ।

विघ्नकरणमन्तरायस्य । २६ ।

तदप्रदोष, निहव, मात्सर्य, अन्तराय, आताडन, और अज्ञानावरण कर्म तथा दर्शनावरण कर्म के बन्धहेतु—आत्मन है ।

निव्र आत्मा में, पर आत्मा में या दोनों आत्मा में स्थित—
गहन दुःख, शोक, ताप, आतन्दन, तप और परिदेवन से अज्ञानावरण
कर्म के बन्धहेतु है ।

मृत-अनुकम्पा, मति-अनुकम्पा, दान, मरणा केपक्षेदि को
और शोक से आताडनीय कर्म के बन्धहेतु है ।

केवलशानी, श्रुत, संघ, धर्म और देव का अवर्णवाद दर्शनमोहनीय कर्म का बन्धहेतु है।

कषाय के उदय से होने वाला तीव्र आत्मपरिणाम चारित्रमोहनीय कर्म का बन्धहेतु है।

बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह ये नरकायु के बन्धहेतु हैं।

माया तिर्यच-आयु का बन्धहेतु है।

अल्प आरम्भ, अल्प परिग्रह, स्वभाव की मृदुता और सरलता ये मनुष्य-आयु के बन्धहेतु हैं।

शीलरहित और व्रतरहित होना तथा पूर्वोक्त अल्प आरम्भ आदि, सभी आयुओं के बन्धहेतु हैं।

संयोगसंयम, संयमासंयम, अकामनिर्जरा और बालतप ये देवायु के बन्धहेतु हैं।

१. दिगम्बर परम्परा के अनुसार इस सूत्र का ऐसा अर्थ है कि निःशीलत्व और निर्भ्रतत्व ये दोनों नारक आदि तीन आयुओं के आस्रव हैं। और भोगभूमि में उत्पन्न मनुष्यों की अपेक्षा से निःशीलत्व और निर्भ्रतत्व ये दोनों देवायु के भी आस्रव हैं। इस अर्थ में देवायु के आस्रव का समावेश होता है, जिसका वर्णन भाष्य में नहीं आया; परन्तु इसी भाष्य की वृत्ति में वृत्तिकार ने विचारपूर्वक भाष्य की यह श्रुति जान करके इस बात की पूर्ति आगमानुसार कर लेने के लिये ही विद्वानों को सूचित किया है।

२. दिगम्बर परम्परा में देवायु के प्रस्तुत सूत्र में इन आस्रवों के अलावा दूसरा एक और भी आस्रव गिनाया है, और उसके लिए इस सूत्र के बाद ही एक दूसरा "सम्यक्त्वं च" ऐसा अलग सूत्र है। इस परम्परा के अनुसार उक्त सूत्र का अर्थ ऐसा है कि सम्यक्त्व सौधर्म आदि कल्पवासी देवों की आयु का आस्रव है। भाष्य में यह बात नहीं है। फिर भी वृत्तिकार ने भाष्यवृत्ति में दूसरे कई आस्रव गिनाते हुए सम्यक्त्व को भी ले लिया है।

अल्पारम्भपरिमहत्त्वं स्वभावमार्दवाजैवं च मानुसम् ।।

निःशीलग्रतत्वं च सर्वेषाम् । १९ ।

सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जगत्तत्पामि
देवस्य । २० ।

योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः । २१ ।

विपरीतं शुभस्य । २२ ।

दर्शनविशुद्धिर्विनयसंपन्नता शीलग्रतेष्वनतिचारोपने

ज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तिवस्त्यागतपत्नी महत्साधुसत्त

वैयावृत्त्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिराचर

परिहाणिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति

तीर्थकृत्त्वस्य । २३ ।

परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणाच्छादनोद्भावने च

गोत्रस्य । २४ ।

तद्विपर्ययो नीचैषुत्पनुत्सेकौ चोत्तरस्य । २५ ।

विमकरणमन्तरायस्य । २६ ।

उपशोष, निह्य, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन, और वत्स-
लानापरण कर्म तथा दर्शनापरण कर्म के बन्धहेतु—आपत्त है ।

निज आत्मा में, पर आत्मा में या दोनों आत्म में स्थि-
मान दुःख, शोक, ताप, आचन्दन, यथ और परिदेवन के बन्धहेतु
कर्म के बन्धहेतु हैं ।

भूत-अनुकम्पा, भक्ति-अनुकम्पा, दान, सनातन तैत्तिरि शोध, क
और शौच के सातावेदनीय कर्म के बन्धहेतु हैं ।

केवलशानी, धृत, संघ, धर्म और देव का अवर्णवाद दर्शनमोहनीय कर्म का बन्धहेतु है ।

कषाय के उदय से होने वाला तोष आत्मपरिणाम चारित्रमोहनीय कर्म का बन्धहेतु है ।

बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह ये नरकायु के बन्धहेतु हैं ।

माया तिर्यच-आयु का बन्धहेतु है ।

अल्प आरम्भ, अल्प परिग्रह, स्वभाव की मृदुता और सरलता ये मनुष्य-आयु के बन्धहेतु हैं ।

शीलरहित और व्रतरहित होना तथा पूर्वोक्त अल्प आरम्भ आदि, सभी आयुओं के बन्धहेतु हैं ।

संरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिर्जरा और बालतप ये देवायु के बन्धहेतु हैं ।

१. दिगम्बर परम्परा के अनुसार इस सूत्र का ऐसा अर्थ है कि निःशीलत्व और निर्व्रतत्व ये दोनों नारक आदि तीन आयुओं के आस्रव हैं । और भोगभूमि में उत्पन्न मनुष्यों की अपेक्षा से निःशीलत्व और निर्व्रतत्व ये दोनों देवायु के भी आस्रव हैं । इस अर्थ में देवायु के आस्रव का समावेश होता है, जिसका वर्णन भाष्य में नहीं आया; परन्तु इसी भाष्य की वृत्ति में वृत्तिकार ने विचारपूर्वक भाष्य की यह श्रुति जान करके इस बात की पूर्ति आगमानुसार कर लेने के लिये ही विद्वानों को सूचित किया है ।

२. दिगम्बर परम्परा में देवायु के प्रस्तुत सूत्र में इन आस्रवों के अलावा दूसरा एक और भी आस्रव गिनाया है, और उसके लिए इस सूत्र के बाद ही एक दूसरा "सम्यक्त्वं च" ऐसा अलग सूत्र है । इस परम्परा के अनुसार उक्त सूत्र का अर्थ ऐसा है कि सम्यक्त्वं सौधर्म आदि कल्पवासी देवों की आयु का आस्रव है । भाष्य में यह बात नहीं है । फिर भी वृत्तिकार ने भाष्यवृत्ति में दूसरे कई आस्रव गिनाते हुए सम्यक्त्वं को भी ले लिया है ।

योग की यत्नता और विसंबाद ये अशुभ नामकर्म के बन्धहेतु
विपर्यय अर्थात् योग की अयत्नता और भविष्यत्वात् यत्न
के बन्धहेतु हैं ।

दर्शनविशुद्धि, विनयसंपन्नता, शील और तपो में अत्यन्त
ज्ञान में सतत उपयोग तथा सतत संयोग, शक्ति के अनुसार तथा
संप्र और साधु की समाधि और वैपाकुरम करना, अरिदंश, भाषाई,
तथा प्रवचन की भक्ति करना, आवश्यक क्रिया को न छोड़ना, सेवा
की प्रभावना और प्रवचनवात्सल्य ये सब तीर्णकर नामकर्म के बन्धहेतु
परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सद्गुणों का आच्छादन और अशुभ
प्रकाशन ये नीच गोत्र के बन्धहेतु हैं ।

उनका विपर्यय अर्थात् परप्रशंसा, आत्मनिन्दा आदि तथा
और निरभिमानता ये उत्तम गोत्रकर्म के बन्धहेतु हैं ।

दानादि में विम्व दालना अन्तर्यामकर्म का बन्धहेतु है ।

यहाँ से लेकर इस अध्याय के अन्त तक प्रत्येक मूल कर्मके
बन्धहेतुओं का क्रमशः वर्णन है । यद्यपि सब कर्मप्रवृत्तियों के ही
सामान्य रूप से योग और कर्माय ही हैं, तथापि कर्मावबन्ध और
की प्रवृत्तियों में से कौन कौन सी प्रवृत्ति किस किस कर्म के अन्त
हो सकती है, इसी बात को विभाग पूर्वक ज्ञात करना प्रत्येक
उद्देश्य है ।

१. ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के मापनों पर ही ज्ञान के
अर्थात् ज्ञानज्ञान के निरूपण के समय कोई अपने मन ही पर है जो
ज्ञानावगोचर और के प्रति, उसके मध्य के प्रति, अथवा प्रती
दर्शनावगोचर कर्मों के प्रति गणते रहते हैं, यदि ज्ञानावगोचर
के बन्धहेतुओं का कदापि भी नहीं है । २. कोई किसी में ही
स्वरूप
साधन मागे, तब ज्ञान तथा ज्ञान के कारण

होने पर भी कल्पित भाव से यह कहना कि मैं नहीं जानता अथवा
 मैं जान रहा हूँ ही नहीं, यह शान्तिहव है। ३. ज्ञान अन्तर
 और परिष्कृत हो, तथा देने योग्य भी हो, फिर भी उसके अन्तर
 के मिलने पर उसे न देने का कल्पित कृती ही शान्तिहव है।
 कल्पित भाव से ज्ञानप्राप्ति में किसी को बाधा पहुँचाना ही शान्तिहव
 है। ४. इसका बौद्ध ज्ञान दे रहा हो, तब किसी कल्पित कृती में अन्तर
 देने का शान्तिहव है। ५. किसी ने उचित ही कहा है, फिर भी
 किसी अन्यो मति के कारण अयुक्त भावित होने में अन्तर उसके अन्तर
 उदघात कहलाता है।

जब पूर्वोक्त प्रत्येक, निम्न आदि ज्ञान, ज्ञानी या उसके अन्तर
 के साथ संबन्ध रखते हैं, तब वे शान्तिहव, शान्तिहव अन्तर
 हैं; और दर्शन-सामान्य बोध, दर्शनी अथवा दर्शन के अन्तर
 हैं।

प्र०—आसादन और उदघात में क्या अन्तर है ?
 उ०—ज्ञान के विद्यमान होने पर भी किसी विद्वाने न जानता, इससे
 अज्ञान भाव कर उसे नष्ट करने का
 प्रयत्न, इन दोनों के बीच यही अन्तर है। ११।

१. बाध या अन्तरिक निमित्त से पंथा का रोना दुःख है।
 किसी विद्वाने के संबन्ध के टूटने से चिन्ता और शोक होता है।
 २. अज्ञान से मन कल्पित होने के कारण
 जो तत्र संताप होता है वह ताप है। ३. महत्तर पर
 से आसू गिराने के साथ रोना-पीटना अन्तर है।
 ४. किसी के प्राण लेना बध है। ५. विद्वाने अन्तर

योग की वक्रता और विसंवाद ये अशुभ नामकर्म के बन्ध विपरीत अर्थात् योग की अवक्रता और अविसंवाद गुण के बन्धहेतु हैं ।

दर्शनविशुद्धि, विनयसंपन्नता, शील और व्रतों में अत्यन्त ज्ञान में सतत उपबोग तथा सतत संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग संघ और साधु की समाधि और वैयाहृत्य करना, अरिहंत, आचार्य तथा प्रवचन की भक्ति करना, आवश्यक क्रिया को न छोड़ना, की प्रभावना और प्रवचनवाःसत्य ये सब तीर्थंकर नामकर्म के बन्ध परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सद्गुणों का आच्छादन और अशुभ प्रकाशन ये नीच गोत्र के बन्धहेतु हैं ।

उनका विपर्यय अर्थात् परप्रशंसा, आत्मनिन्दा आदि उप और निरभिमानता ये उच्च गोत्रकर्म के बन्धहेतु हैं ।

दानादि में विघ्न डालना अन्तरायकर्म का बन्धहेतु है ।

यहाँ से लेकर इस अध्याय के अन्त तक प्रत्येक मूल के बन्धहेतुओं का क्रमशः वर्णन है । यद्यपि सब कर्मप्रवृत्तियों के सामान्य रूप से योग और कर्माय ही हैं, तथापि कर्मायत्रन्ध अर्थात् प्रवृत्तियों में से कौन कौन सी प्रवृत्ति किस किस कर्म के बन्ध हेतु हो सकती है, इसी बात को विभाग पूर्वक बतलाना प्रवृत्तियों के उद्देश्य है ।

१. ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों पर द्वेष करना अर्थात् तत्त्वज्ञान के निरूपण के समय कोई अपने मन ही मन ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्मों के बन्धहेतुओं का स्वरूप के प्रति, उसके बन्ध के प्रति, अथवा ज्ञान के प्रति जलते रहते हैं, यही तत्त्वज्ञान के बन्धहेतु है । २. कोई किसी से कुछ साधन मांगे, तब ज्ञान तथा ज्ञान के

पास होने पर भी कल्पित भाव से यह कहना कि मैं नहीं जानता अथवा मेरे पास वह वस्तु है ही नहीं, यह ज्ञाननिह्व है। ३. ज्ञान अभ्यस्त और परिपक्व हो, तथा देने योग्य भी हो, फिर भी उसके अधिकारी आह्वक के मिलने पर उसे न देने का कल्पित वृत्ति ही ज्ञानमात्सर्य है। ४. कल्पित भाव से ज्ञानप्राप्ति में किसी को बाधा पहुँचाना ही ज्ञानान्तराय है। ५. दूसरा कोई ज्ञान दे रहा हो, तब बाणी अथवा शरीर से उसका अपेक्ष करना ज्ञानासादन है। ६. किसी ने उचित ही कहा हो, फिर भी अपनी उल्टी मति के कारण अयुक्त भासित होने से उल्टा उसके दोष झालना उपघात कहलाता है।

जब पूर्वोक्त प्रद्वेष, निह्व आदि ज्ञान, ज्ञानी या उसके साधन आदि के साथ संबन्ध रखते हों, तब वे ज्ञानप्रद्वेष, ज्ञाननिह्व आदि कहलाते हैं; और दर्शन-सामान्य बोध, दर्शनी अथवा दर्शन के साधन के साथ संबन्ध रखते हों, तब दर्शनप्रद्वेष, दर्शननिह्व आदि रूप से समझना चाहिए।

प्र०—आसादन और उपघात में क्या अन्तर है ?

उ०—ज्ञान के विद्यमान होने पर भी उसकी वितय न करना, दूसरे सामने उसे प्रकाशित न करना, उसके गुणों को न दरसाना आसादन और उपघात अर्थात् ज्ञान को ही अज्ञान मान कर उसे नष्ट करने का आदेश रखना, इन दोनों के बीच यही अन्तर है। ११।

१. बाह्य या आन्तरिक निमित्त से पीड़ा का होना दुःख है। २. किसी द्वितीय के संबन्ध के टूटने से चिन्ता और खेद होना शोक है। ३. अपमान से मन कल्पित होने के कारण जो तीव्र संताप होता है वह ताप है। ४. गद्गद स्वर से आँसू गिराने के साथ रोना-पीटना आक्रन्दन है। ५. किसी के प्राण लेना वध है। ६. वियुक्त व्यक्ति

सत्तवेदनीय कर्म
के बन्धहेतुओं
का स्वरूप

योग की वक्रता और विसंवाद ये अशुभ नामकर्म के बन्धहेतु हैं।

विपरीत अर्थात् योग की अवक्रता और अविसंवाद शुभ नामकर्म के बन्धहेतु हैं।

दर्शनविद्युद्धि, विनयसंपन्नता, शील और व्रतों में अग्रन्त प्रयत्न, ज्ञान में सतत उपयोग तथा सतत संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग और संघ और साधु की समाधि और वैयाकरण करना, अरिहंत, आचार्य, गुरु तथा प्रवचन की भक्ति करना, आवश्यक क्रिया को न छोड़ना, मोक्षार्थ की प्रभावना और प्रवचनवासत्य ये सब तीर्थंकर नामकर्म के बन्धहेतु हैं।

परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सद्गुणों का आच्छादन और अधर्मात्मियों का प्रकाशन ये नीच गोत्र के बन्धहेतु हैं।

उनका विपर्यय अर्थात् परप्रशंसा, आत्मनिन्दा आदि तथा नम्रता और निरभिमानता ये उच्च गोत्रकर्म के बन्धहेतु हैं।

दानादि में विघ्न डालना अन्तरायकर्म का बन्धहेतु है।

यहाँ से लेकर इस अध्याय के अन्त तक प्रत्येक मूल कर्मप्रवृत्तियों के बन्धहेतुओं का क्रमशः वर्णन है। यद्यपि सब कर्मप्रवृत्तियों के रूपों का सामान्य रूप से योग और कर्माय ही है, तथापि कर्माय अन्य अनेक प्रवृत्तियों की प्रवृत्तियों में से कौन कौन सी प्रवृत्ति किस किस कर्म के बन्धहेतु हो सकती है, इसी बात को विभाग पूर्वक बतलाना प्रत्येक प्रवृत्ति का उद्देश्य है।

१. ज्ञान, शान्ति और ज्ञान के साधनों पर द्वेष करना और अज्ञान अर्थात् तत्त्वज्ञान के निरूपण के समय कोई अपने मन ही मन में तात्पर्य के प्रति, उसके वक्रता के प्रति, अपना उसके वक्रता के प्रति जलते रहते है, यही तात्पर्य-साधन के बन्धहेतुओं का स्वरूप कहलाता है। २. कोई किसी से पूछे कि ज्ञान के साधन मांगे, तब ज्ञान तथा ज्ञान के साधन

मान होने पर भी कल्पित भाव से यह कहना कि मैं नहीं जानता अथवा मेरे पास वह वस्तु है ही नहीं, यह ज्ञाननिह्व है। ३. ज्ञान अभ्यस्त और परिपक्व हो, तथा देने योग्य भी हो, फिर भी उसके अधिकारी ग्राहक के मिलने पर उसे न देने का कल्पित वृत्ति ही ज्ञानमात्सर्य है। ४. कल्पित भाव से ज्ञानप्राप्ति में किसी को बाधा पहुँचाना ही ज्ञानान्तराय है। ५. दूसरा कोई ज्ञान दे रहा हो, तब बाणी अथवा शरीर से उसका निषेध करना ज्ञानासादन है। ६. किसी ने उचित ही कहा हो, फिर भी अपनी उलट्टी मति के कारण अयुक्त भासित होने से उलटा उसके दोष निकालना उपघात कहलाता है।

जब पूर्वोक्त प्रद्वेष, निह्व आदि ज्ञान, ज्ञानी या उसके साधन आदि के साथ संबन्ध रखते हों, तब वे ज्ञानप्रद्वेष, ज्ञाननिह्व आदि कहलाते हैं; और दर्शन-सामान्य बोध, दर्शनी अथवा दर्शन के साधन के साथ संबन्ध रखते हों, तब दर्शनप्रद्वेष, दर्शननिह्व आदि रूप से समझना चाहिए।

प्र०—आसादन और उपघात में क्या अन्तर है ?

उ०—ज्ञान के विद्यमान होने पर भी उसकी विनय न करना, दूसरे सामने उसे प्रकाशित न करना, उसके गुणों को न दर्साना आसादन और उपघात अर्थात् ज्ञान को ही अज्ञान मान कर उसे नष्ट करने का उपाय नगदा रखना, इन दोनों के बीच यही अन्तर है। ११।

१. बाह्य या आन्तरिक निमित्त से पीड़ा का होना दुःख है। २. किसी हितैषी के संबन्ध के टूटने से चिन्ता और खेद होना शोक है। ३. अपमान से मन कल्पित होने के कारण जो तीव्र संताप होता है वह ताप है। ४. गद्गद स्वर से आँसू गिराने के साथ रोना-पीटना आक्रन्दन है। ५. किसी के प्राण लेना वध है। ६. वियुक्त व्यक्ति

प्रातःवेदनीय कर्म के बन्धहेतुओं का स्वरूप

के गुणों का स्मरण होने से जो करुणाजनक रुदन होता है : वह क्षीण कहलाता है ।

उक्त दुःख आदि छः और उन जैसे अन्य भी ताड़न तरेन अनेक निमित्त जब अपने में, दूसरे में या दोनों में ही पैदा किये जायें, वे उत्पन्न करने वाले के असातावेदनीय कर्म के बन्धहेतु बनते हैं ।

प्र०—अगर दुःख आदि पूर्वोक्त निमित्त अपने में या दूसरे उत्पन्न करने से असातावेदनीय कर्म के बन्धक होते हैं; तो फिर बिना उपवास, व्रत तथा वैसे दूसरे नियम भी दुःखकारी होने से वे भी असातावेदनीय के बन्धक होने चाहिएँ, और यदि ऐसा हों, तो उन व्रत व्रत नियमों का अनुष्ठान करने की अपेक्षा उनका त्याग ही करना अधिक क्यों नहीं माना जाय ?

उ०—उक्त दुःख आदि निमित्त जब क्रोध आदि आवेग उत्पन्न हुए हों, तभी आसन्न के कारण बनते हैं, न कि संशय-रहित से ही अर्थात् दुःखकारी होने मात्र से ही । जैसे त्यागों या व्रतों का चाहे जितने कठोर व्रत, नियमों का पालन करने पर भी असातावेदनीय का बन्ध नहीं होता । इसके दो कारण हैं : पहला यह कि यथा व्रत चाहे जैसे कठोर व्रत का पालन करके दुःख उठाये, पर वह शेष न वैसे ही दूसरे किसी दुष्ट भाव से नहीं, किन्तु सद्वृत्ति और सद्गुणों से प्रेरित हो कर ही दुःख उठाता है । वह कठिन व्रत धारण करता है, चाहे जितने दुःख प्रसंग क्यों न आ जायें, उनमें क्रोध, संतान और कथाम न होने से वे प्रसंग भी उसके लिए बन्धक नहीं बनते । इस कारण यह है कि कई बार तो जैसे त्यागियों को कठोरतम व्रत, नियमों का पालन करने में भी यास्तविक प्रसन्नता का अनुभव होता है और इस कारण जैसे प्रसंगों में उनको दुःख या शोक आदि संभव ही नहीं होते । यह तो प्रसिद्ध ही है कि एक को जिन प्रसंगों में दुःख होता है,

प्रसंग में दूसरे को भी दुःख होता है, ऐसा नियम नहीं। इसलिए ऐसे निवृत्तों के पालन में भी मानसिक रति होने से उनके लिए वह दुःख रूप न होकर सुख रूप ही होता है। जैसे, कोई दयालु वैद्य चीर-पाड़ से किसी को दुःख देने में निमित्त होने पर भी करुणा वृत्ति से प्रेरित होने के कारण पापभागी नहीं होता, वैसे सांसारिक दुःख दूर करने के लिए उसके ही उपायों को प्रसन्नता पूर्वक आजमाता हुआ त्यागी भी सद्वृत्ति के कारण पाप का बन्धक नहीं होता।]

१. प्राणि-मात्र पर अनुकम्पा रखना ही भूतानुकम्पा है अर्थात् दूसरे के दुःख को अपना दुःख मानने का भाव ही— अनुकम्पा है।

२. व्रत्यनुकम्पा अर्थात् अल्पांश रूप से व्रतधारी गृहस्थ और सर्वांश रूप से व्रतधारी त्यागी इन दोनों पर विशेष प्रकार से अनुकम्पा रखना व्रत्यनुकम्पा है।

३. अपनी वस्तु दूसरों को नम्रभाव से अर्पण करना दान है। ४. सरागसंयमादि योग का अर्थ है सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिर्जरा और बालत्तप इन सबों में यथोचित ध्यान देना। संसार को कारण रूप तृष्णा को दूर करने के लिए तत्पर होकर संयम स्वीकार कर लेने पर भी जब कि मन में राग के संस्कार क्षीण नहीं होते—तब वह संयम सरागसंयम कहलाता है। आंशिक संयम को स्वीकार करना संयमासंयम है। अपनी इच्छा से नहीं, किन्तु परतंत्रता से जो भोगों का त्याग किया जाता है, वह अकामनिर्जरा है। बाल अर्थात् यथार्थ ज्ञान से हृद्य मिथ्यादृष्टि वालों का अग्निप्रवेश, जलपतन, गोबर आदि का भक्षण, भ्रनशन आदि तप बालत्तप है। ५. क्षान्ति अर्थात् धर्मदृष्टि से कोषादि नेत्रों का शमन। ६. लोमवृत्ति और तःसमान दोषों का शमन ही तैच है। १३।

१. केवली का अवर्णवाद अर्थात् दुर्बुद्धि से केवली के अभाव होने को प्रकट करता, जैसे सर्वज्ञता की संभावना को स्वीकार न करना और कहना कि सर्वज्ञ होकर भी उसने मोक्ष के सख्त उपाय न बतला कर जिनका आचरण शक्य नहीं ऐसे दुर्बुद्धि उपाय क्यों बतलाए हैं ? इत्यादि । २. कुत्र का अवर्णवाद अर्थात् शास्त्र के मिथ्या दोषों का देवतुष्टि से वर्णन करना, जैसे यह कहना कि यह शास्त्र अनपढ़ लोगों की भाषा भाषा में अथवा पण्डितों की जटिल संस्कृत आदि भाषा में रचित होने से तुच्छ है, अथवा इसमें विविध मत, नियम तथा प्रायश्चित आदि का अभाव हीन एवं परेशान करने वाला वर्णन है; इत्यादि । ३. साधु, साध्वी, भारत, आदिका रूप चतुर्विध संघ के मिथ्या दोष प्रकट करना; संघ-अभाव है । जैसे यह कहना कि साधु-लोग-मत नियम आदि का व्यर्थ प्रेय उद्योग है, साधुत्व तो संभव ही नहीं तथा उसका कुछ अच्छा परिणाम भी नहीं निकलता । भावकों के बारे में ऐसा कहना कि वे ज्ञान, दान आदि शिष्ट प्रवृत्तियों नहीं करते, और न पवित्रता को ही मानते हैं, इत्यादि । ४. धर्म का अवर्णवाद अर्थात् अहिंसा आदि महान् धर्मों के मिथ्या होना बतलाना या यह कहना कि धर्म प्रत्यक्ष कहीं दीखता है ? और जो प्रयत्न नहीं दीखता, उसका अस्तित्व संभव ही कैसे ? तथा ऐसा कहना कि अहिंसा से मनुष्य जाति अथवा राष्ट्र का पतन हुआ है, इत्यादि । ५. देश का अवर्णवाद अर्थात् उनकी निन्दा करना, जैसे यह कहना कि देश नहीं हैं ही नहीं, और हों तो भी व्यर्थ ही हैं; क्योंकि वे शांतिशाली होकर भी यहाँ आकर हम लोगों की मदद क्यों नहीं करते; तथा अपने संरक्षकों का दुःख दूर क्यों नहीं करते ? इत्यादि । १४ ।

१. स्वयं कषाय करना और दूसरों में भी कषाय पैदा करना तथा कषाय के वश होकर अनेक तुच्छ प्रवृत्तियों करना ये सब कषायमोहक

चारित्रमोहनीय
कर्म के बन्धहेतुओं
का स्वरूप

कर्म के बन्ध के कारण हैं । २. सत्य धर्मका उपहास करना, गरीब या दीन मनुष्य की हंसी उड़ाना; टुट्टे-बाजी की आदत रखना आदि हास्य-वृत्तियों हास्य मोहनीय कर्म के बन्ध के कारण हैं । ३. विविध श्रद्धाओं में संलग्न रहना, व्रत-नियम आदि योग्य अंकुश में अरुचि रखना आदि रतिमोहनीय का आस्रव है । ४. दूसरों को ब्रैचैन बनाना, किसी के आराम में विघ्न डालना, हलके श्रादमियों की संगति करना आदि असतिमोहनीय के आस्रव हैं । ५. स्वयं शोकातुर रहना तथा दूसरों की शोक-वृत्ति को उत्तेजित करना आदि शोकमोहनीय के आस्रव हैं । ६. स्वयं डरना और दूसरों को डराना भयमोहनीय का आस्रव है । ७. हितकर क्रिया और हितकर आचरणसे घृणा करना आदि जुगुप्सा-मोहनीय का आस्रव है । ८-१०. टगने की आदत, परदोषदर्शन आदि स्त्री वेद के आस्रव हैं । स्त्री जाति के योग्य, पुरुष जाति के योग्य तथा नपुंसक जाति के योग्य संस्कारों का अभ्यास करना ये तीनों क्रमशः स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद के आस्रव हैं । १५ ।

१. प्राणियों को दुःख पहुँचे, ऐसी कषायपूर्वक प्रवृत्ति करना आरंभ है । २. यह वस्तु मेरी है और मैं इसका मालिक हूँ ऐसा संकल्प रखना परिग्रह है । जब आरंभ और परिग्रह वृत्ति बहुत ही तीव्र हो, तथा हिंसा आदि क्रूर कामों में सतत प्रवृत्ति हो, दूसरे के धन का अपहरण किया जावे, अथवा भोगों में अत्यन्त आसक्ति बनी रहे, तब नरकायु के आस्रव होते हैं । १६ ।

छलप्रपन्न करना अथवा कुटिल भाव रखना माया है ।
उदाहरणार्थ—धर्मतरव के उपदेश में धर्म के नाम से मिथ्या बातों को

निर्यंचआयु के कर्म
के बन्धहेतुओं
का स्वरूप

मिलाकर उनका स्वार्थ-शुद्धि से प्रचार करने
जीवन को शील से दूर रखना आदि सब
कहलाती है, वही निर्यंच आयु का भासव है । १५

मनुष्य-आयु के
कर्मबन्धके हेतुओं
का स्वरूप

आरंभ-वृत्ति तथा परिग्रह-वृत्ति को
रखना, स्वभाव से ही अर्थात् बिना कहे-बुने
लता और सरलता का होना, मनुष्यभाषु

आस्रव है । १८ ।

नारक, निर्यंच और मनुष्य इन तीनों आयुओं के जो परस्पर
मिश्र बन्धहेतु बतलाए गए हैं, उनके अलावा तीनों आयुओं के सा-
उक्त तीनों आयुओं के सामान्य बन्ध-
हेतुओं का स्वरूप वन्धहेतु भी हैं । प्रस्तुत सूत्र में उन्हीं का ब्य-
वे बन्धहेतु ये हैं : निःशालत्व-शील से-रहित होना और निर्भ्रतत्व—प्रतों से रहित होना । १. अ-
सत्य, आदि पाँच प्रधान नियमोंको प्रत कहते हैं । २. इन्हीं प्र-
पुष्टि के लिए ही जो अन्य उपव्रत पालन किये जाते हैं, उन्हें शील
है, जैसे तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत । इसी प्रकार उक्त व्र-
पालनार्थ ही जो क्रोध, लोभ आदि का त्याग है, उसे भी शील कहते हैं

व्रत का न होना निर्भ्रतत्व एवं शील का न होना नि-
लत्व है । १९ ।

१. हिंसा, असत्य, चोरी आदि महान् दोषों से विरति हा-
के लेने के बाद भी कर्माणों का कुछ अंश बच बाकी रहता है तब
देवायुकर्म के सरागसंयम है । २. हिंसाविरति आदि मन जब अन्य
बन्धहेतुओं का में धारण किये जाते हैं, तब संयमासंयम है । ३. ४
स्वरूप धीनता के कारण या अनुसरण के लिए अदित्यर का
अथवा आहार आदि का त्याग अकाम निर्जरा है और ४. वाजस-
नेयिषि

अर्थात् विवेक बिना ही अभिप्रवेश, जलप्रवेश, पर्वत-प्रपात, विषमक्षण, अनशन आदि देहदमन करना बाल तप है । २० ।

१. योगवक्रता अर्थात् मन, वचन और काय की कुटिलता । अगुम और शुभ कुटिलता का अर्थ है सोचना कुछ, चोलना कुछ और नामकर्म के बन्ध- फरना कुछ । २. विसंवादन अर्थात् अन्यथा प्रवृत्ति हेतुओं का स्वरूप कराना अथवा दो स्नेहियों के बीच भेद डालना । ये दोनों अशुभनाम कर्म के आक्षेप हैं ।

प्र०—इन दोनों में क्या अन्तर है ?

उ०—स्व और पर की अपेक्षा से अन्तर समझना चाहिए । करने ही चारे में मन, वचन और काय की प्रवृत्ति भिन्न पड़े, तब योग-वक्रता और यदि दूसरे के विषय में वैसा हो तब विसंवादन । जैसे कोई रास्ते जा रहा हो, उसे उल्टा समझा कर 'ऐसे नहीं, पर ऐसे, इस प्रकार मार्ग की ओर प्रवृत्त करना ।

ऊपर जो कहा है, उससे उल्टा अर्थात् मन, वचन और काय की सरलता—प्रवृत्ति की एकरूपता, तथा संवादन अर्थात् दो के बीच भेद मिटाकर एकता करा देना अथवा उल्टे रास्ते जाते हुए को अच्छे रास्ते-गा देना—ये दोनों शुभनाम कर्म के आक्षेप हैं । २१, २२ ।

१. दर्शन विशुद्धि का अर्थ है धीतराग के कहे हुए तत्त्वों पर ईर्ष्या और द्वेष रहित । २. ज्ञानादि मोक्षमार्ग और उसके साधनों के तीर्थंकर नामकर्म प्रति योग्य राति से बहुमान रखना विनयसंपन्नता है । के बन्धहेतुओं ३. अहिंसा, सत्यादि मूलगुण रूप व्रत हैं और इन का स्वरूप व्रतों के पालन में उपयोगी ऐसे जो अभिप्रवेश आदि सारे नियम हैं वे शीत हैं; इन दोनों के पालन में कुछ प्रमाद न करना—की शीलप्रतानातिचार है । ४. तत्त्वविषयक ज्ञान में सदा जागरित रहना—

वह अभीक्ष्ण शानोपयोग है। ५. सांसारिक भोग जो वास्तव में दुःख के बदले दुःख के ही साधन बनते हैं, उनमें डरते रहना अर्थात् कर्मों में लाठच में न पड़ना अभीक्ष्ण संवेग है। ६. थोड़ी भी शक्ति को गिर छिपाये आहारदान, अभयदान, शान दान आदि दानों को निवेद्य देना यथाशक्ति त्याग है। ७. कुछ भी शक्ति छुपाए बिना शिरोपूर्वक हर तरह की सहनशीलता का अभ्यास करना—यह यथाशक्ति है। ८. चतुर्विध संघ और विशेष कर साधुओं को समाधि पहुँचाने अर्थात् वैसा करना जिससे कि वे स्वस्थ रहे—संप्रसाधुसमाधिकरण है। ९. कोई भी गुणों यदि कठिनार्ह में आ पड़े उस समय योग्य शक्ति से उसकी कठिनार्ह को दूर करने का प्रयत्न ही वैपाटवकरण है। १०, ११, १२, १३, अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत और शास्त्र इन चारों के शुद्ध निष्ठा पूर्वक अनुराग रखना—अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत, प्रवचनार्थक है। १४. सामायिक आदि गृहभावश्यकों के अनुष्ठान को न करने न छोड़ना—आवश्यकपरिहाणि है। १५. अभिमान छोड़ कर शरीर-मोक्ष मार्ग को जीवन में उतारना, तथा दूसरों को उसका उपदेश देना प्रभाव बढ़ाना—मोक्षमार्गप्रभावना है। १६. जैसे बछड़े पर गाव झेद रहती है, वैसे ही साधर्मियों पर निष्काम स्नेह रचना—प्रवचनप्रभावना कहलाता है। २३।

१. दूसरे की निन्दा करना परनिन्दा है। निन्दा का अर्थ सभे या झूठे दोषों को दुर्बुद्धि से प्रकट करने की वृत्ति। २. अपनी कलना करना आत्मप्रशंसा है। अर्थात् सभे या झूठे दोषों को प्रकट करने की वृत्ति प्रशंसा है। ३. स्वयं में यदि गुण हों, तो उन्हें छिपाना और उनके बरतने का प्रसंग पड़ने पर भी देव से उन्हें न कहना दूसरे के कलना है।

अच्छादन है, तथा ४. अपने में गुण न होनेपर भी उनका प्रदर्शन करना—
नित्र के असद्गुणों का उद्भावन कहलाता है । २४ ।

१. अपने दोषों को देखना आत्मनिन्दा है । २. दूसरे के गुणों
की साहना परप्रशंसा है । ३. अपने दुर्गुणों को प्रकट करना असद्गुणो-
द्भावन है । ४. अपने विद्यमान गुणों को छिपाना
उच्चोत्र कर्म के स्वगुणाच्छादन है । ५. पूज्य व्यक्तियों के प्रति नम्र
आस्रवों का स्वरूप वृत्ति धारण करना नम्रवृत्ति है । ६. ज्ञान, संपत्ति
आदि में दूसरे से अधिकता होने पर भी उसके कारण गर्व न करना
अनुत्सेक कहलाता है । २५ ।

किसी को दान देने में या किसी को कुछ लेने में अथवा किसी
अन्तर्गुण कर्म के के भोग, उपभोग आदि में बाधा डालना अथवा मन
आस्रवों का स्वरूप में वैसी वृत्ति लाना विप्रकरण है । २६ ।

स्वारहवें से छत्तीसवें सूत्र तक सांपरायिक कर्म की प्रत्येक मूल
वृत्ति के जो भिन्न भिन्न आस्रव कहे गए हैं, वे सब उपलक्षण मात्र हैं, अर्थात्
सांपरायिक कर्मों के प्रत्येक मूल प्रकृति के गिनाए हुए आस्रवों के अलावा
आस्रव के विषय दूसरे भी उसी तरह के उन प्रकृतियों के आस्रव न
विशेष वक्तव्य कहने पर भी स्वयं समझ लेने चाहिए । जैसे कि
अल्प, प्रमाद, मिथ्योपदेश आदि ज्ञानावरणीय अथवा दर्शनावरणीय
आस्रव रूप से नहीं गिनाए हैं, तथापि उन्हें उनके आस्रवों में गिन
ना चाहिए । इसी तरह चध, बन्धन, ताडन आदि तथा अशुभ प्रयोग
आदि असाता वेदनीय के आस्रवों में नहीं गिनाए हैं, फिर भी उन्हें उसके
आस्रव समझना ।

प्र०—प्रत्येक मूल प्रकृति के आस्रव भिन्न भिन्न बतलाए हैं, इससे
प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या ज्ञानप्रदोष आदि गिनाए हुए आस्रव

किन्तु ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के ही बन्धक हैं, अथवा ज्ञानावरणीय कर्मों के अलावा अन्य कर्मों के भी बन्धक हो सकते हैं ? यदि एक कर्मों के अलावा अन्य प्रकृति के भी बन्धक हो सकते हैं, तब प्रकृतिविभाग आसवों का अलग अलग वर्णन करना ही व्यर्थ है; क्योंकि एक प्रकृति आसव दूसरी प्रकृति के भी तो आसव हैं ही। और अगर किसी एक प्रकृति के गिनाए हुए आसव किन्हीं उसी प्रकृति के आसव हैं, दूसरी नहीं, ऐसा माना जाय तब शास्त्र-नियम में विरोध आता है। इस नियम ऐसा है कि सामान्य रीति से आयु को छोड़ पर तभी एक प्रकृतियों का बन्ध एक साथ होता है। इस नियम के अनुसार जो एक चरणीय का बन्ध होता है, तब अन्य वेदनीय आदि उसी प्रकृतियों का भी होता है, ऐसा मानना पड़ता है। आसव तो एक समय में एक ही कर्मप्रकृति का ही होता है, किन्तु बन्ध तो एक समय में एक प्रकृति अलावा दूसरी अविरोधी प्रकृतियों का भी होता है। अर्थात् अनुकूल प्रकृति अनुकूल प्रकृति का ही बन्धक है, यह पक्ष शास्त्रीय नियम से साक्षि हो सकता है। अतः प्रकृतिविभाग से आसवों के विभाग करने का प्रयोजन नहीं है।

उ०—यहाँ जो आसवों का विभाग दर्शाया गया है, वह अनुकूल अर्थात् रसबन्ध की अपेक्षा से समझना चाहिए। अभिप्राय यह है कि किसी भी एक कर्मप्रकृति के आसव के सेवन के समय उस कर्म के अलावा दूसरी भी कर्म प्रकृतियों का बन्ध होता है, यह शास्त्रीय नियम किन्तु बन्ध के बारे में ही पटना चाहिए, न कि अनुभाग बन्ध के बारे में। अतः यह कि आसवों का विभाग प्रदेशबन्ध की अपेक्षा से नहीं, अनुकूल बन्ध की अपेक्षा से है। अतः एक साथ अनेक कर्मप्रकृतियों का प्रदेशबन्ध मान लेने के कारण पूर्वोक्त शास्त्रीय नियम में अड़चन नहीं आती; इस प्रकृतिविभाग से गिनाए हुए आसव भी केवल उन ही प्रकृतियों के

अनुभागबन्ध में ही निमित्त पड़ते हैं। इसलिए यहाँ जो आस्रवों का विभाग किया गया है, वह भी बाधित नहीं होता।

इस तरह व्यवस्था करने से पूर्वोक्त शास्त्रीय-नियम और प्रस्तुत आस्रवों का विभाग दोनों अबाधित बने रहते हैं। ऐसा होने पर भी इतना विशेष समझ लेना चाहिए कि अनुभागबन्ध को आश्रित करके जो आस्रव के विभाग का समर्थन किया गया है, वह भी तुल्यभाव की अपेक्षा से ही। क्योंकि ज्ञानप्रदोष आदि आस्रवों के सेवन के समय ज्ञानावरणीय के अनुभाग का बन्ध मुख्यरूप से होता है, और उसी समय बाँधने वाली इतर कर्म-प्रकृतियों के अनुभाग का गौण रूप से बन्ध होता है इतना समझ लेना चाहिए। ऐसा तो माना ही नहीं जा सकता कि एक समय में एक प्रकृति के ही अनुभाग का बन्ध होता है और दूसरी कर्मप्रकृतियों के अनुभाग का बन्ध होता ही नहीं। कारण यह है कि जिस समय जितनी कर्मप्रकृतियों का प्रदेशबन्ध योग द्वारा संभव है, उसी समय कपाय द्वारा उतनी ही प्रकृतियों का अनुभागबन्ध भी संभव है। इसलिए मुख्यरूप से अनुभागबन्ध की अपेक्षा को छोड़ कर आस्रव के विभाग का समर्थन अन्य प्रकार से ध्यान में नहीं आता। २६।

स्थान देने पर भी साधारण समुदाय की दृष्टि से और रात पर दिन-
जीवन की दृष्टि से रात्रिभोजन से दिन का भोजन ही विशेष प्रयोजन है।
इस मान्यता के कारण संक्षेप में निम्न प्रकार है—

१. आरोग्य की दृष्टि से त्रिजली या चन्द्रमा आदि का प्रकाश भी
ही अच्छा हो, लेकिन वह सूर्य के प्रकाश जैसा सामंजस, अत्यन्त ही
आरोग्यप्रद नहीं। इसलिए जहाँ दोनों संभव हों, वहाँ समुदाय के लिए
आरोग्य की दृष्टि से सूर्य का प्रकाश ही अधिक उपयोगी है।

२. त्यागधर्म का मूल संतोष में है, इस दृष्टि से भी दिन के
अन्य सर्वा प्रवृत्तियों के साथ भोजन की प्रवृत्ति को समाप्त कर देना, एक
संतोषपूर्ण रात्रि के समय जटर को विभ्राम देना ही योग्य है। एतद्
मन्त्री मांति निद्रा आती है, और मध्यचर्य पाठन में सहायता मिलती है
तथा फलस्वरूप आरोग्य की वृद्धि भी होती है।

३. दिवसभोजन और रात्रिभोजन दोनों में से संतोष के बिना
से यदि एक को ही चुनना हो, तब भी प्रायः, कुशल बुद्धि दिवस
भोजन की तरफ ही छुट्टेगी। इस प्रकार आज तक के महान संतोष
जीवन-इतिहास यह रहा है।

व्रत के भेद—

देशसर्वतोऽणुमहती । २ ।

अल्प अंश में विरति अणुमत्त और सर्वांश में विरति महात्म है।

प्रत्येक त्यागामिलापी दौषों से निवृत्त होता है। किन्तु इन दौषों
का त्याग एक जैसा नहीं होता और ऐसा होना विकास-क्रम की दृष्टि से
व्याभाविक भी है। इसलिए यहाँ द्रिष्ट आदि दौषों की छोटी या बड़ी
सभी निवृत्तियों को व्रत मान कर उनके संक्षेप में दो भेद दिये गए हैं।

१. हिंसा आदि दोषों से मन, वचन, काय द्वारा हर तरह से दूट
गना—यह हिंसाविरमण ही महाव्रत है। और—

२. चाहे जितना हो, लेकिन किसी भी अंश में कम छूटना—
यह हिंसाविरमण अणुव्रत कहलाता है।

व्रतों की भावनाएँ—

तत्स्यैर्यार्थे भावनाः पञ्च पञ्च । ३ ।

उन व्रतों को स्थिर करने के लिए प्रत्येक व्रत की पाँच पाँच
भावनाएँ हैं।

अत्यन्त सावधानी के साथ विशेष विशेष प्रकार की अनुकूल
प्रवृत्तियों का सेवन न किया जाय, तो स्वीकार करने मात्र से ही व्रत
आत्मा में नहीं उतर सकते। प्रवृत्तियाँ किये हुए व्रत जीवन में गहरे उतर
गई, इसलिए प्रत्येक व्रत के अनुकूल पड़ने वाली थोड़ी बहुत प्रवृत्तियाँ
सूक्ष्म दृष्टि से विशेष रूप में गिनाई गई हैं, जो भावना के नाम से प्रसिद्ध
हैं। यदि इन भावनाओं के अनुसार बराबर चर्ताव किया जाय, तो किये
हुए व्रत उत्तम औषधि के समान प्रयत्नशील के लिए सुंदर परिणामकारक
सिद्ध होंगे। ये भावनाएँ क्रमशः निम्न प्रकार हैं—

१. ईर्ष्यामिति, मनोगुप्ति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपण समिति,
और आत्येकितपानभोजन—ये पाँच भावनाएँ अहिंसा व्रत की हैं।

२. अनुवीचिमापण, क्रोधप्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, निर्भयता
और शरपप्रत्याख्यान—ये पाँच भावनाएँ सत्यव्रत की हैं।

३. अनुवीचिअवग्रहयाचन, अमीक्षणअवग्रहयाचन, अवग्रहवपारण,
शैर्वात्मिक के पास से अवग्रहयाचन और अनुशापितपानभोजन—ये पाँच
भावनाएँ अचौर्यव्रत की हैं।

४. स्त्री, पशु अथवा नपुंसक द्वारा रोहित शयन आदि कर्म रागपूर्वक स्त्रीकथा का वर्जन, स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियों के आनन्द वर्जन, पूर्व में किये हुए रतिविलास के स्मरण का वर्जन, और अन्न भोजन का वर्जन ये पाँच भावनाएँ प्रद्वन्द्व्य की हैं।

५. मनोश या अमनोश स्पर्श, रस, गन्ध, रूप तथा शब्द समभाव रखना ये पाँच भावनाएँ अपरिमह की हैं।

१. स्व-पर को द्वेष न हो, इस प्रकार यत्नपूर्वक गमन का ईर्यासमिति है। मन को अनुभ प्यान से बन्धनर मुम स्थान में स्थान मनोगुप्ति है। वस्तु का गवेषण, उसका प्रार भावनाओं का खुलासा उपयोग इन तीन प्रकार की एर्यास में हो लगे, इस बात का उपयोग रतना—एर्यासमिति है। वस्तु को छोड़ते समय अवलोकन व प्रमाजन आदि द्वारा धर्तना-रतना—एर्यासमिति है। खाने पीने की वस्तु को मलीभौति रतना-एर्यासमिति ही लेना और लेने के बाद भी वैधे ही अवलोकन करके खाना का आलोक्षितपानभोजन है।

२. विचारपूर्वक बोलना अनुवाचिभाषण है। क्रोध, शयन, तथा हास्य का त्याग करना—ये क्रमशः बाकी की चार भावनाएँ हैं।

३. सम्बद्ध विचार करके ही उपयोग के लिए आचरक भाव स्थान की याचना करना—अनुवाचिअवमदाचन है। राजा, मुकुट, शम्पातर—विसर्वा भी जगह माँग कर ली हो, ऐसे माधुर्य के अनेक प्रकार के स्वामी हो सकते हैं। उनमें से प्रिय प्रिय स्वामी पास से जो जो स्थान माँगने में विशेष औचित्य प्रतीत हो, उनके पास से वही स्थान माँगना तथा एक बार देने के बाद माटिक ने कतिपय दिना हो, फिर भी रोग आदि के कारण रास अस्तव पड़े, तो वह स्वामी

उसके मालिक के पास से उसको क्लेश न होने पाये, इस विचार से बार-बार मांग कर लेना अभौक्षण-अवग्रहयाचन है। मालिक के पास से मांगते समय ही अवग्रह का परिभाषानिश्चित कर लेना—अवग्रहावधारण कक्षलता है। अपने से पहले दूसरे किसी समान धर्मवाले ने कोई स्थान ले लिया हो, और उसी स्थान को उपयोग में लाने का प्रसंग आ पड़े, तो उस आधार्मिक के पास से ही स्थान मांग लेना—साधार्मिक के पास से अवग्रह-याचन है। विधिपूर्वक अन्न पानादि लाने के बाद गुरु को दिखला कर उनकी अनुज्ञा ले कर ही उसको उपयोग में लाना—वह अनुशासितपान-भोजन है।

४. ब्रह्मचारी पुरुष या स्त्री का—अपने से विजातीय व्यक्ति द्वारा सेवित शयन व आसन का त्याग करना, स्त्रीपशुपण्डकसेवितशयनासनवर्जन है। ब्रह्मचारी को कामवर्धक बातें न करना—रागसंयुक्त स्त्रीकथा वर्जन है। ब्रह्मचारी को अपने विजातीय व्यक्ति के कामोद्दीपक अंगों को न देखना—मनोहरोन्द्रियालोकवर्जन है। ब्रह्मचर्य स्वीकार करने से पहले जो गौं मांगे हों, उनका स्मरण न करना—वह पूर्व के रतिविलास के स्मरण का वर्जन है। कामोद्दीपक रसयुक्त खानपान का त्याग करना—गीतरसभोजन वर्जन है।

५. राग पैदा करनेवाले स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द पर न लक्षणा और द्वेष पैदा करनेवाले हों, तो रुष्ट न होना—वे क्रमशः मनो-मनोःस्पर्शसमभाव एवं मनोःशामनोःस्पर्शसमभाव आदि पाँच भावनाएँ हैं।

जैन धर्म त्यागलक्षी होने से जैन-संघ में महाव्रतधारी साधु का प्रथम स्थान है। यही कारण है यहाँ पर महाव्रत को लक्ष्य में रख कर साधु धर्म के अनुसार ही भावनाओं का वर्णन किया गया है। फिर भी ऐसा तो है ही कि—कोई भी व्रतधारी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार

इसमें क्षुब्धचित्तवित्तार कर सके इसलिए देव काय को परिच्छिन्न
आन्तरिक योग्यता को ध्यान में रखकर—सिद्ध मत की सिद्धांतों से
उद्देश्य से ये भावनाएँ, संख्या तथा अर्थ में घटाई, बढ़ाई तथा परिवर्तित
जा सकती हैं।

कई अन्य भावनाएँ—

हिंसादिष्विहामुत्र चापायावद्यदर्शनम् । ४।

दुःखमेव वा । ५।

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि सत्त्वगुणाधिकारि
मानाविनेयेषु । ६।

जगत्कायस्वभावौ च संवेगवैराग्यार्यम् । ७।

हिंसा आदि पाँच दोषों में ऐहिक आपत्ति और पास्तविक दर्शन
का दर्शन करना।

अथवा एक हिंसा आदि दोषों में दुःख ही है, ऐसी भावना
करना।

प्राणमात्र में मैत्री वृत्ति, गुणाधिकों में प्रमोद वृत्ति, इन्द्रियों
कल्याण वृत्ति, और जड़ जैसे अणुओं में माध्यस्थ वृत्ति रखना।

संवेग तथा वैराग्य के लिए जगत् के स्वभाव और स्वभाव
स्वभाव का विचार करना।

जिगत्का त्याग किया जाये, उसके दोषों का वास्तविक दर्शन
से ही त्याग टिक सकता है। यही कारण है कि अहिंसा आदि प्रतीति
स्थिरता के लिये हिंसा आदि में उनके दोषों का दर्शन करना आवश्यक
माना गया है। यह दोषदर्शन यहाँ पर दो तरह से किया जा सकता है—
हिंसा अथवा आदि के सेवन से जो ऐहिक आपत्तियों उत्पन्न हो
सकती हैं, उनका भोग नहीं करना।

की ऐहिक दोषदर्शन है। तथा इन्हीं हिंसा आदि से जो पारलौकिक अविष्ट की संभावना की जा सकती है, उसका खयाल रखना पारलौकिक दोषदर्शन है। इन दोनों तरह के दोषदर्शनों के संस्कारों को बढ़ाते रहना अहिंसा आदि व्रतों की भावनाएँ हैं।

पदले की तरह ही त्याज्य वृत्तियों में दुःख के दर्शन का अभ्यास किया हो, तभी उनका त्याग भलीभांति टिक सकता है। इसके लिए हिंसा आदि दोषों को दुःख रूप से मानने की वृत्ति के अभ्यास (दुःख-भावना) का यहाँ उपदेश दिया गया है। अहिंसादि व्रतों का धारक हिंसा आदि से अपने को होनेवाले दुःख के समान दूसरों को भी उससे होनेवाले दुःख की कल्पना करे—यही दुःख भावना है। और यह भावना इन व्रतों के स्थिरीकरण में उपयोगी भी है।

मैत्री, प्रमोद आदि चार भावनाएँ तो किसी सद्गुण के अभ्यास के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी होने से अहिंसा आदि व्रतों की स्थिरताओं विशेष उपयोगी हैं ही। इसी विचार से यहाँ पर इन चार भावनाओं का विषय अमुक अंश में तो अलग अलग ही है। क्योंकि जिस विषय इन भावनाओं का अभ्यास किया जायगा, वास्तविक परिणाम भी वैसा ही आयगा। इसीलिए इन भावनाओं के साथ इनका विषय भी अलग लया कहा है।

१. प्राणि-मात्र के साथ मैत्री वृत्ति हो तभी प्रत्येक प्राणी के प्रति हिंसक तथा सत्यवादी के रूप में रहकर वर्ताव किया जा सकता है। इस मैत्री का विषय प्राणिमात्र है। मैत्री का अर्थ है दूसरे में अपनेपन बुद्धि, और इसीलिए अपने समान ही दूसरे को दुःखी न करने की इच्छा।

२. कई बार मनुष्य को अपने से बड़े हुए को देखकर ईर्ष्या होती है। अतः इस वृत्ति का नाश नहीं हो जाता, तब तक अहिंसा, सत्य आदि

टिक ही नहीं सकते । इसीलिए ईश्वरों के विरुद्ध प्रमोद गुण को प्रदर्शित करने को कहा गया है । प्रमोद अर्थात् भ्रमने से अधिक गुणवान् ईश्वरों का आदर करना, तथा उसके उत्कर्ष की देखकर मुग्ध होना । इस भाव का विषय सिर्फ अधिक गुणवान् ही है । क्योंकि उसके प्रति ही ईश्वरों—असूया आदि दुर्गुणों संभव हैं ।

३. किसी की पीड़ा पाते देखकर भी यदि अनुसूय का भाव पैदा न हो, तो अहिंसा आदि मत्त कर्मों भी निम्न नहीं सकते, इसीलिए करुणा की भावना को आवश्यक माना गया है । इस भावना का विषय सिर्फ क्लेश से पीड़ित दुःखी प्राणी है; क्योंकि अनुसूय तथा अनुसूय की अपेक्षा दुःखी, दानि व अनाथ को ही रहती है ।

४. सर्वदा और सर्वत्र सिर्फ पशुतिरूप भावनाएँ ही साध्य नहीं होतीं; कई बार अहिंसा आदि मत्तों को स्थिर करने के लिए सिर्फ लक्ष्य भाव ही धारण करना उपयोगी होता है । इसी कारण से माप्यस्य भावना का उपदेश किया गया है । माप्यस्य का अर्थ है उन्नत व तटस्थता । जब शिल्कुल संस्कारहीन अपना किसी तरह की भी शक्ति प्रदर्श करने के अयोग्य पात्र मिल जाय, और यदि उसे सुधारने के लक्ष्य प्रयत्नों का परिणाम अन्ततः शून्य ही दिखाई पड़े, तब ऐसे व्यक्ति के प्रति शरदस्य भाव रखना ही अच्छा है । अतः माप्यस्य भावना का सिद्धि-आधिनेय—अयोग्य पात्र इतना ही है ।

संयोग तथा वैराग्य न हों, तो अहिंसा आदि मत्त संभाल नहीं हो सकते । अतः इस मत्त के अन्तर्गामी के लिए संयोग और वैराग्य तो पहले आवश्यक हैं । संयोग अपना वैराग्य का भीतरपन जाग्रत रूप तथा शरीरस्वभाव के विन्तन से होता है, इसीलिए इन दोनों के अन्तर्गामी के विन्तन का भावनारूप में यहाँ उपदेश किया है ।

प्राणिमात्र थोड़े बहुत दुःख का अनुभव तो करते ही रहते हैं। जेवन सर्वथा विनश्वर है, और दूसरी वस्तुएँ भी कोई नहीं ठहरती। इस तरह के जगत्स्वभाव के चिन्तन में से ही संसार के प्रति मोह दूर हो कर उसके मय—संवेग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार शरीर के अस्थिर, भ्रष्ट और असारता के स्वभावचिन्तन में से ही बाह्याभ्यन्तर विषयों की अनासक्ति—वैराग्य उदित होता है। ४-७।

हिंसा का स्वरूप—

प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा । ८ ।

प्रमत्त योग से होनेवाला प्राण वध हिंसा है।

अहिंसा आदि जिन पाँच व्रतों का निरूपण पहले किया है, उनको अलो मौति समझने और जीवन में उतारने के लिए विरोधी दोषों का स्वरूप यथार्थ रूप से समझना जरूरी है। अतः इन पाँच दोषों के निरूपण का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। उनमें से प्रथम दोष—हिंसा की व्याख्या इस सूत्र में की गई है।

हिंसा की व्याख्या दो अंशों द्वारा पूरी की गई है। पहला अंश है—प्रमत्तयोग अर्थात् रागद्वेषयुक्त अथवा असावधान प्रवृत्ति, और दूसरा है—प्राणवध। पहला अंश कारण रूप में और दूसरा कार्य रूप में है। इसका फलित अर्थ यह है कि जो प्राणवध प्रमत्तयोग से हो वह हिंसा है।

प्र०—किसी के प्राण लेना या किसी को दुःख देना हिंसा है। हिंसा का यह अर्थ सब के द्वारा जाने जा सकने योग्य और बहुत प्रसिद्ध भी है। फिर भी इस अर्थ में प्रमत्तयोग अंश के जोड़ने का क्या कारण है ?

उ०—जब तक मनुष्य-समाज के विचार और व्यवहार में उषा-संस्कार का प्रवेश नहीं होता, तब तक मनुष्य-समाज और अन्य

के बीच जीवन-व्यवहार में हास अन्तर नहीं पड़ता। पशु-पक्षी की तरह असंस्कृत समाज के मनुष्य भी मानासक शक्तियों में प्रेरित होकर या अनजाने जीवन की आवश्यकताओं के निमित्त अपना जीवन आवश्यकताओं के बिना ही दूसरे के प्राण संतुष्ट हैं। मानव-समाज की शिक्षा नए इस प्राथमिक दशा में जब एकाध मनुष्य के विनाश में किसी स्वरूप के क्षति में जागृति होती है, तब वह प्रचलित हिंसा को अर्थात् प्रकृत नाश को दोषरूप बतलाता है। और दूसरे के प्राण नष्ट होने को बुरा है। एक तरफ हिंसा जैसी प्रथा के पुराने संस्कार और दूसरी तरफ अधि-की नवीन भावना का उदय—इन दोनों के बीच संघर्ष होते हैं। हिंसकशक्ति की ओर से हिंसा-निरोधक के सामने कितने ही प्रयत्न आप सड़े होने लगते हैं, और वे उसके सामने रक्ते जाते हैं। वे संक्षेप में तीन हैं—

१. अहिंसा के पक्षपाती भी जीवन धारण तो करते ही हैं, वे यह जीवन किसी न किसी तरह की हिंसा किये बिना निरम रूप में होने से जीवन के वांछनी तन्त्र में जो हिंसा होती है, पर ही दोष में आ सकती है या नहीं ?

२. भूल और अज्ञान का जब तक मानुषशक्ति में तत्परा अर्थ सिद्ध न हो जाय तब तक अहिंसा के पक्षपातियों के हाथ में अज्ञान का भूल से किसी के प्राणनाश का होना तो संभव ही है, अतः प्रकृतनाश हिंसा दोष में आया या नहीं ?

३. कितनी बार अहिंसकशक्ति वाला किसी को बचाने का प्रयत्न करता-आराम पहुँचाने का प्रयत्न करता है; परन्तु परिणाम प्रकृत निष्पत्ता है, अर्थात् बचाये जानेवाले के प्राण नष्ट जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह प्रकृतनाश हिंसा दोष में आया या नहीं ?

ऐसे प्रश्नों के उपस्थित होने पर उनके उत्तर देते समय हिंसा और अहिंसा के स्वरूप की विचारणा गम्भीर बन जाती है। फलतः हिंसा और अहिंसा का अर्थ विद्वान् हो जाता है। किसी के प्राण लेना या बहुत दुःख तो उसके निमित्त किसी को दुःख देना—ऐसा जो हिंसा का अर्थ समझा जाता था तथा किसी के प्राण न लेना और उसके निमित्त किसी को दुःख न देना ऐसा जो अहिंसा का अर्थ समझा जाता था—उसके स्थान में अहिंसा के विचारकों ने सूक्ष्मता से विचार करके निश्चय किया कि सिर्फ किसी के प्राण लेना या किसी को दुःख देना—इसमें हिंसा दोष है ही, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि प्राणवध या दुःख देने के साथ ही उसके पीछे वैसा करनेवाले की भावना क्या है, उसका विचार करके ही हिंसा की सदोपता या निर्दोषता का निर्णय किया जा सकता है। वह भावना अर्थात् राग द्वेष की विविध ऊर्मियाँ तथा असावधानता जिसको गौरीय परिभाषा में प्रमाद कहते हैं; ऐसी अशुभ अथवा क्षुद्र भावना में ही यदि प्राणनाश हुआ हो, या दुःख दिया हो, तो वही हिंसा है, और वही हिंसा दोष रूप भी है। ऐसी भावना के बिना यदि प्राणनाश हुआ हो, या दुःख दिया हो तो वह देखने में भले ही हिंसा कहलाए, लेकिन रोपघोटे में नहीं आ सकती। इस तरह हिंसक समाज में अहिंसा के संस्कार के फैलने और उसके कारण विचारविकास के होने से दोषरूप हिंसा का व्याख्या के लिए सिर्फ 'प्राणनाश' इतना ही अर्थ पर्याप्त नहीं हो सका, क्योंकि उसमें 'प्रमत्त योग' जैसे महत्त्व के अंश की वृद्धि की गई।

प्र०—हिंसा की इस व्याख्या पर से वह प्रश्न होता है कि यदि प्रमत्तयोग के बिना ही प्राणवध हो जाय, तब उसे हिंसा कहे या नहीं? वही तरह यदि प्राणवध तो न हुआ हो, लेकिन प्रमत्तयोग हो, तब उसे भी हिंसा गिनें या नहीं? यदि इन दोनों स्थलों में हिंसा गिनी जाय, तो

यह दिशा प्रमत्तयोगजनित प्राणवध रूप दिशा की कंठि की ही होगी, व उससे भिन्न प्रकार की ?

उ०—सिद्ध प्राणवध स्थूल होने से द्रव्य दिशा तो है ही, वही सिद्ध प्रमत्तयोग युक्त होने से अदृश्य है। इन दोनों में द्रव्य, अदृश्य, स्व अन्तर के अलावा एक और ध्यान देने योग्य नक्षिणार्ध अन्तर है और उसके ऊपर ही दिशा की सदोषता या अदोषता का आधार है। देखने में भले ही प्राणनाश दिशा हो, फिर भी यह दोषरूप ही है, दोष अदोषान्त नहीं, क्योंकि उसकी दोषरूपता स्वार्थीन नहीं है। दिशा की सदोषता सिद्ध की भावना पर अवलम्बित है। अतः यह परार्थीन ही भावना स्वयं ररुध हो, तभी उसमें से होने वाला प्राणवध दोषरूप ही और यदि भावना वैसी न हो, तो यह प्राणवध भी दोषरूप नहीं होगा। इसीलिए शास्त्रीय परिभाषा में ऐसी दिशा को द्रव्य दिशा अथवा स्वार्थीन दिशा कहा गया है। द्रव्यदिशा अथवा स्वार्थीन दिशा का अर्थ स्पष्ट ही है कि उसकी दोषरूपता अस्वाधित नहीं है। इसके विपरीत प्रमत्तयोग तो शुद्ध भावना है, यह स्वयं ही दोष रूप है; किन्तु द्रव्य दोषरूपता स्वार्थीन है। अर्थात् उसकी दोषरूपता स्थूल प्राणवध की किसी दूसरी द्वाय वस्तु पर अवलम्बित नहीं है। स्थूल प्राणवध न होने से, किसी को दुःख भी न पहुँचाया ही, बल्कि प्राणनाश करने का प्रयत्न होने पर उत्पन्न कुमारे का जीवन बद्ध गया ही था वही नष्ट ही पहुँच गया ही; फिर भी यदि उसके पीछे भावना प्रमत्त ही है, यह सब अदोष दोष रूप ही गिना जायगा। यही कारण है, भावना की शास्त्रीय परिभाषा में भावदिशा अथवा निःशब्द दिशा का

और दोनों की दोषरूपता का तारतम्य पूर्वोक्त रीति से जान लेने के बाद यह प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों प्रकार की हिंसाएँ प्रमत्तयोग जनित प्राणवध रूप हिंसा की कोटि की ही हैं या भिन्न प्रकार की हैं। साय ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भले ही स्थूल आँख न देख सके, लेकिन तार्त्विक रीति से तो सिर्फ प्रमत्तयोग ही प्रमत्तयोग जनित प्राणनाश की कोटि की हिंसा है; और सिर्फ प्राणनाश ऐसी हिंसा नहीं है जो उक्त कोटि में आ सके।

प्र०—पूर्वोक्त कथन के अनुसार यदि प्रमत्तयोग ही हिंसा की दोषरूपता का मूल बीज हो, तब तो हिंसा की व्याख्या में इतना ही कहना काफी होगा कि प्रमत्तयोग हिंसा है। यदि यह दलील सत्य हो, तो यह प्रश्न सामाजिक रूप से होता है कि फिर हिंसा की व्याख्या में 'प्राणनाश' को स्थान देने का कारण क्या है ?

उ०—तार्त्विक रीति से तो प्रमत्तयोग ही हिंसा है। लेकिन समुदाय द्वारा एकदम और बहुत अंशों में उसका त्याग करना शक्य नहीं। इसके विरहीत सिर्फ प्राणवध स्थूल होने पर भी उसका त्याग सामुदायिक जीवनहित के लिए वाञ्छनीय है; और यह बहुत अंशों में शक्य भी है। प्रमत्तयोग न भी छूटा हो, लेकिन स्थूल प्राणवधवृत्ति के कम हो जाने से नो बहुधा सामुदायिक जीवन में सुख-शान्ति रह सकती है। अहिंसा के विकास क्रम के अनुसार भी पहले स्थूल प्राणनाश का त्याग और बाद में धीरे धीरे प्रमत्तयोग का त्याग समुदाय में संभव होता है। इसीसे आध्यात्मिक विकास में साधकस्वरूप से प्रमत्तयोग रूप हिंसा का ही त्याग इष्ट होने पर भी सामुदायिक जीवन की दृष्टि से हिंसा के स्वरूप के अन्तर्गत स्थूल प्राणनाश को स्थान दिया गया है। तथा उसके त्याग को भी अहिंसा कोटि में रखा है।

प्र०—यह तो समझ लिया कि शास्त्रज्ञान ने विमोहिता को उठा डाला है, उससे निवृत्त होना ही धर्षिता है। पर यह कल्पित है कि धर्षिता अर्षिता का मत देनेवाले के लिये जीवन धनाने के लक्ष्य बतलाने का अनिवार्य है ?

उ०—१. जीवन को सादा बनाते जाना और उसकी आवश्यकताओं को कम करते रहना।

२. मानुषी शक्ति में अज्ञान की विद्युत् की तुल्यता हो, धर्मज्ञान का भी पुरुषार्थ के अनुसार स्थान दे हो। इसलिए धर्मज्ञान सावधान रहना, और कहीं भूल न हो जाय, इतना ही ध्यान में रखना और यदि भूल ही जाय, तो वह ध्यान में ओझल न हो सके, ऐसी चेष्टा ही की जाना लेना।

३. आवश्यकताओं को कम कर देने और सावधान रहने का ज्ञान अज्ञान पर भी चित्त के जो अगती दोष हैं, जैसे मूढ़ की भाँति अज्ञान और उसके कारण पैदा होनेवाले जो दुन्दुभे भग्न होकर ही होते हैं, उन्हें धर्मज्ञानों का सतत प्रयोग करना।

प्र०—ऊपर जो विद्या की दोषरूपता बतायी है, उसका क्या उपाय है ?

उ०—जिसमें चित्त की फौजदारी भटे गीरे कठोरता पैदा हो, तब धर्म की नींव की लुप्ता भटे यही विद्या की दोषरूपता है। और जिसमें कठोरता न बढ़े, एवं गरज प्रेममय शक्ति का अभाव होने में बस ही भी लुप्त न पहुँचे, तब मते ही दोषों में विद्या ही, और उगरी यही श्रेष्ठरूपता है।

अथर्व का अर्थ—

असदभिधानमनृतम् । ५ ।

असत् बोलना अनृत—असत्य है।

यद्यपि सूत्र में असत् कथन को असत्य कहा है, तथापि उसका अर्थ विशाल होने से उसमें असत्-चिन्तन, असत्-आचरण इन सभी अर्थों का समावेश हो जाता है। इसीलिए असत्-चिन्तन, असत्-भाषण और असत्-आचरण—ये सभी असत्य दोष में आ जाते हैं। जैसे आर्हिषा में व्याख्या में 'प्रमत्तयोग' विशेषण लगाया है, वैसे ही असत्य तथा अज्ञानादि शब्दों के दोषों की व्याख्या में भी इस विशेषण को समझना चाहिए। इसीसे प्रमत्तयोग पूर्वक जो असत् कथन है वह असत्य दोष का फलित अर्थ होता है।

'असत्' शब्द के मुख्य दो अर्थ करने से यहाँ काम चलता है—

१. जो वस्तु अस्तित्व रखती हो उसका बिल्कुल निषेध करना, अर्थात् निषेध न भी करे, लोकेन जिस रूप में वस्तु हो, उसको उस रूप में कह कर अन्यथा कथन करना—यह असत् है। ✓

२. गार्हित—असत् अर्थात् जो सत्य होने पर भी दूसरे को पीड़ा पहुँचावे, ऐसे दुर्भावयुक्त ही, तो वह असत् है।

पहले अर्थ के अनुसार पास में पूँजी होने पर भी जब लेनदार को सत्य कह देना कि कुछ भी नहीं है—यह असत्य है। इसी प्रकार दूसरे अर्थ में पूँजी है—यह स्विकार कर लेने पर भी लेनदार सफल न हो सके तो उसका बयान देना—यह भी असत्य है। ✓

१. अत्रह में 'प्रमत्तयोग' विशेषण नहीं लगाना चाहिए; क्योंकि यह अत्रह में संभव ही नहीं है। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य को निरपवाद कहा है। विशेष सुझावे के लिए देखो गुजराती में 'जैन दृष्टि ब्रह्मचर्य' नामक निबन्ध।

मूर्च्छा ही परिमद है।

मूर्च्छा का अर्थ आसक्ति है। यस्तु छोटी, बड़ी, जड़, बेज, ३०
आन्तरिक चाहे जो हो और कदाचित् न भी हो, तो भी लगने से ही
अर्थात् उसकी लगन में विवेक जो बैठना परिमद है।

प्र०—हिंसा से परिमद तक के पाँच दोषों का रक्षण कर
देसने से भिन्न मालूम पड़ता है, पर सूक्ष्मता से विचार करने पर
कोई खास भेद नहीं दीखता। कारण यह है कि इन पाँच दोषों
दोषरूपता का आधार सिर्फ राग, द्वेष और मोह है। तथा राग, द्वेष
मोह ही हिंसा आदि कृतियों का जहर है, और इसी से वे कृतियों
कदाकाली हैं। यदि यह कथन सत्य हो, तब राग-द्वेष आदि ही रोग
इतना कहना ही काफी होगा। फिर दोष के हिंसा आदि रोगों
न्यूनाधिक भेदों का वर्णन किया लिए किया जाता है।

उ०—निःसन्देह कोई भी प्रवृत्ति राग, द्वेष आदि के बतल
होती है। अतः मुख्यरूप से राग, द्वेष आदि ही दोष हैं, और इन दोषों
में विरत होना ही एक मुख्य ज्ञत है। ऐसा होने पर भी सब एव, द्वेष
आदि के स्वाग का उपदेश देना ही, तब उनसे होनेवाली प्रवृत्तियों
समझाकर ही उन प्रवृत्तियों तथा उनके प्रेरक राग, द्वेष आदि के रोग
खतने को कर सकते हैं। स्थूल दृष्टिवाले लोगों के लिए दूसरा सब
सोभे राग, द्वेषादि के स्वाग का उपदेश शक्य नहीं है। यह दोष होने
होनेवाली असंख्य प्रवृत्तियों में से हिंसा, अश्रम आदि मुख्य हैं।
प्रवृत्तियों ही मुख्यरूप से आन्त्यात्मिक या शौरिक जीवन को खूब
है। इसीलिए हिंसा आदि प्रवृत्तियों को पाँच भागों में विभक्त
पाँच दोषों का वर्णन किया गया है।

दोषों की इस संख्या में सम्यक् सम्यक् पर और देसने
सर्वत्र योग्य आया है और होता रहेगा; फिर भी संख्या और रूप

मोह में न पड़ कर खास तौर से इतना समझ लेना चाहिए कि इन वृत्तियों के द्वारा राग, द्वेष और मोह रूप दोषों का त्याग करना ही चिन्तित किया है। इसी कारण हिंसा आदि पाँच दोषों में कौनसा दोष बान है, किसका पहले त्याग करना चाहिए और किसका बाद में यह काम ही नहीं रहता। हिंसा दोष की विशाल व्याख्या में असत्य यदि सभी दोष समा जाते हैं। इसी तरह असत्य या चोरी आदि किसी दोष की विशाल व्याख्या में बाकी के सब दोष समा जाते हैं। यही तथ्य है कि हिंसा को मुख्य धर्म मानने वाले हिंसादोष में असत्यादि च दोषों को समा लेते हैं, और सिर्फ हिंसा के त्याग में ही दूसरे सभी दोषों का त्याग भी समझते हैं; तथा सत्य को परम धर्म मानने वाले सत्य में बाकी के सब दोषों को घटा कर सिर्फ असत्य के त्याग में ही च दोषों का त्याग समझते हैं। इसी प्रकार संतोष, ब्रह्मचर्य आदि को व्य धर्म मानने वाले भी करते हैं। १२।

यथार्थरूप में व्रती बनने की प्राथमिक योग्यता—

निःशल्यो व्रती । १३ ।

व्रतों रहित ही व्रती हो सकता है।

अहिंसा, सत्य आदि व्रतों के लेने मात्र से कोई सच्चा व्रती नहीं सकता। सच्चा व्रती होने के लिए छोटी से छोटी और सबसे परली ही शर्त है। वह शर्त यह है कि 'शल्य' का त्याग करना। शल्यः शल्य तीन हैं : १. दग्ध—कपट, ढोंग अथवा ठगने की वृत्ति, निदान—भोगों की लालसा, २. मिथ्यादर्शन—सत्य पर धृष्ट न लाना परा असत्य का आग्रह। ये तीनों मानसिक दोष हैं। जब तक ये हैं, मन और शरीर दोनों को कुरेद डालते हैं, और आत्मा कमी

स्वल्प नहीं रह सक्ता । इसलिए वास्यपुत्र आत्मा किसी कार्य में ले भी ले, लेकिन यह उनके पालन में एकाग्र नहीं बन सक्ता । शरीर के किसी भाग में फाँटा या घेरा ही दूसरी कोई तीव्र वस्तु तो वह शरीर और मन को अस्वस्थ बना डालती है, और अतः किसी भी कार्य में एकाग्र नहीं होने देती; जैसे ही उक्त मामूली वस्तु उसी प्रकार की व्यग्रता पैदा करते हैं । इसलिए उनका एकाग्र बनने के लिए प्रथम शर्त के रूप में रक्ता गया है । १३ ।

त्रती के भेद—

अगार्यनगारश्च । १४ ।

त्रती के अगारी—यस्य और अनगार—त्यागी, ऐसे दो संभव हैं ।

प्रत्येक मनधारी की योग्यता एकसी नहीं होती । इसलिए दो के तारतम्य के अनुसार संक्षेप में त्रती के यहाँ दो भेद स्वप्न पर १. अगारी, २. अनगार । अगार पर जो कहते हैं । अगार के साथ संबन्ध हो यह अगारी है । अगारी अर्थात् यस्य । अगार के साथ संबन्ध न हो तब अनगार अर्थात् त्यागी, मुनि कहते हैं ।

यद्यपि अगारी और अनगार इन दोनों शब्दों का तात्पर्य अलग-अलग या न पसना ही है । लेकिन यहाँ तो इनका तात्पर्य स्थित है । यह यह कि निरवस्था रहने वाला—अगारी, तथा जो निरवस्था से मुक्त हो—यह अनगार । इन तात्पर्यों के लिये वे वाक्य निश्चिन्ता है कि कोई पर में पसता हुआ भी निरवस्था से मुक्त हो यह अनगार ही है । तथा कोई पर छोड़कर संन्यास में जा कर, निरवस्था से मुक्त न हो तो यह अगारी ही है । अतः

अनगरपन की सभी एवं मुख्य कसौटी एक यही है, तथा उसके आधार पर ही वही व्रती के दो भेद किये गए हैं ।

प्र०—यदि विप्रयत्तुणा के होने से अगारी होता है, तो फिर उसे व्रती कैसे कह सकते हैं ?

उ०—स्थूल दृष्टि से । जैसे कोई आदमी अपने घर आदि किसी निश्चित स्थान में ही रहता है और फिर भी वह अमुक शहर में रहता है—ऐसा व्यवहार अपेक्षाविशेष से करते हैं, इसी तरह विप्रयत्तुणा के रहने पर भी अपेक्षा में व्रत का संबन्ध होने के कारण उसे व्रती भी कह सकते हैं । १४।

अगारी व्रती का वर्णन

अणुव्रतोऽगारी । १५ ।

दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकपौषधीपवासोपभोग-
परिमोगपरिमाणाऽतिथिसंधिभागव्रतसंपन्नश्च । १६ ।

मारणान्तिकीं संलेखनां चोपिता । १७ ।

अणुव्रतधारी अगारी व्रती कहलाता है ।

वह व्रती दिग्विरति, देशविरति अनर्थदण्डविरति, सामायिक, पौष-
वास, उपभोगपरिमोगपरिमाण, और अतिथिसंधिभाग इन व्रतों से भी
संपन्न होता है ।

तथा वह मारणान्तिक संलेखना का भी आराधक होता है ।

जो अहिंसा आदि व्रतों को संपूर्ण रूप से स्वीकार करने में समर्थ
हो, फिर भी त्यागशक्ति युक्त हो, तो वह ग्रहस्थ मर्यादा में रहकर अपनी
त्यागशक्ति के अनुसार इन व्रतों को अस्पांश में स्वीकार करता है । ऐसा
व्रत अणुव्रतधारी भावक कहलाता है ।

संपूर्ण रूप से स्वीकार किये जाने वाले मतों का अन्तर्गत रूप है। उनके स्वीकार की प्रतिष्ठा में संपूर्णता के कारण अन्तर्गत नहीं आता। परन्तु जब मतों को अन्तर्गत में स्वीकार किया जाता है, अन्तर्गत की विविधता के होने से तद्विषयक प्रतिष्ठा भी अन्तर्गत की भलग-अलग ली जाती है। ऐसा होने पर भी एक एक अन्तर्गत विविधता में न आकर सूत्रकार ने सामान्य रीति में अन्तर्गत के ही आदि मतों का एक एक अन्तर्गत के रूप में वर्णन किया है। ऐसे अन्तर्गत पाँच हैं, जो मूलभूत अर्थात् स्वाम के प्रथम स्वभाव होने से मूलभूत मूलभूत कहलाते हैं। इन मूलभूतों की रचना, पुष्टि अर्थात् पुष्टि के लिए गृह्य सूत्रों भी अनेक मत स्वीकार करता है; जो उच्चरणा का अन्तर्गत के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे उच्चरणा यहाँ संक्षेप में आता अन्तर्गत तथा गृह्य मती जीवन के अन्तिम समय में जो एक मत भेद के हैं।

१. सामान्यतः भगवान् महावीर की गमना परन्तु में अन्तर्गत पाँच संख्या, उनके नाम, तथा क्रम में कुछ भी अन्तर नहीं है। इन अन्तर्गत में कितने ही आचार्यों ने शक्तिभोजन के स्वाम की छठे अन्तर्गत रूप में गिनाया है। परन्तु उच्चरणा रूप में माने हुए अन्तर्गत के अन्तर्गत में प्राचीन तथा नवीन अनेक परम्पराएँ हैं। महावीर रूप में अन्तर्गत के बाद उपभोगसंभोग परिश्रमन्त्र को न गिनाकर देवद्विरमन्त्र गिनाया है। जब कि आगमों में दिग्द्विरमन्त्र के बाद उपभोगसंभोगमन्त्र गिनाया है। तथा देवद्विरमन्त्रसंभोगसंभोगमन्त्र के बाद दिग्द्विरमन्त्र गिनाया है। ऐसे क्रम भेद के रहते भी जो तीन मत सुत्रकार के रूप में और अन्तर्गत शिवाग्र के रूप में माने जाते हैं, उनमें कुछ भी अन्तर नहीं है। अन्तर्गत उच्चरणा के विषय में दिग्ध्वर संभोग में भिन्न भिन्न मत परम्पराएँ हैं। इनमें आगमों में आती हैं। सुन्दरसुन्द, उमासर्गायिका, गमन्त्रभेद, स्वामी कादिदि, इत्यादि और गगनन्दी—इन आचार्यों की भिन्न भिन्न मान्यताएँ हैं। इन अन्तर्गत यहाँ नाम का, यही क्रम का, यही मान्यता का और यही वा अन्तर्गत

प्रेरित होता है, यह 'संलेखना के नाम से प्रसिद्ध है। उसका भी यहाँ निर्देश है। इन सभी व्रतों का स्वरूप संक्षेप में निम्न प्रकार है :

१. छोटे बड़े प्रत्येक जीव की मानसिक, वाचिक, कायिक हिंसा का पूर्णतया त्याग न हो सकने के कारण अपनी निश्चित पाँच अणुव्रत की हुई भृहस्पमर्यादा, जितनी हिंसा से निम सके उससे अधिक हिंसा का त्याग करना अहिंसाणुव्रत है।

२-५. इसी तरह असत्य, चोरी, कामाचार और परिग्रह का अपनी परिस्थिति के अनुसार मर्यादित त्याग करना क्रमशः सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अणुव्रत हैं।

६. अपनी त्यागवृत्ति के अनुसार पूर्व, पश्चिम आदि सभी दिशाओं का परिमाण निश्चित करके उसके बाहर हरतरह के तीन गुणव्रत अधर्म कार्य से निवृत्ति धारण करना दिग्विरति व्रत है।

७. सर्वदा के लिए दिशा का परिमाण निश्चित कर लेने के बाद भी उसमें से प्रयोजन के अनुसार समय समय पर क्षेत्र का परिमाण निश्चित करके उसके बाहर अधर्म कार्य से सर्वथा निवृत्त होना देशविरति व्रत है।

८. अपने भोगरूप प्रयोजन के लिए होने वाले अधर्म व्यापार के अत्यन्त बाकी के संपूर्ण अधर्म व्यापार से निवृत्त होना, अर्थात् कोई निरर्थक प्रवृत्ति न करना अनर्थदण्डविरति व्रत है।

मेद है। यह सब खुलासा जानने के लिए बाबू जुगलकिशोर जी मुस्तार की 'जैनाचार्यों का शासन-मेद' नामक पुस्तक, पृ० २१ से आगे अवश्य पढ़नी चाहिए। प्रकाशक—जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, हीरापाग, बम्बई।

९. काल का अभिप्राय लेकर अपना अमुक समय एक क्षण ही का त्याग करके धर्मप्रवृत्ति में स्थिर होने का प्रयत्न चार सिद्धांत करना सामायिक मत है।

१०. अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या दशमी कीर भी शिव में उक्त पारण करके और सब तरह की शरीर विभूता का त्याग करके धर्म प्रवृत्ति में स्थिर रहना पौषधोरवास मत है।

११. जिसमें अधिक अधर्म संभव हो—जैसे शान्ति-मत्त, शाकपट्टा, बर्तन आदि का त्याग करके अल्प अधर्म वाली वस्तुओं का भी त्याग के लिए परिनाग बांधना उपभोगपरिभोगपरिनाग मत है।

१२. न्याय से उपायित और जो स्वयं सके ऐसी शान्ति-मत्त के योग्य वस्तुओं का शिव रीति से शुद्ध भक्तिभाव पूर्वक त्याग कर देना जिसमें कि उभय पक्ष को लाभ पहुँचने अतिविशेषिमत मत है।

कषाय का अन्त करने के लिए उगके निवारण और पौषध का जो पशति हुए कषाय को मन्द बनाना— संलेपना है। यह संलेप मत वर्तमान शरीर का अन्त होने तक निज जाता है। अन्त ही मारणात्मिक संलेपना कहते हैं। संलेपना मत को पशति ही कषाय स्वीकार करके उसका संपूर्णरूप से पावन करने हैं, शौचिक रूप का आराधक कदा है।

प्र०—संलेपना मत को पारण करनेवाला अनन्त धर्म ही शरीर का अन्त करता है, यह ही आराधना है। तथा मातृत्व स्पर्शिता ही है, सब विर शक्तो मग मानकर त्यागपर्व में स्थिर है कदा तक उचित है ?

उ०—मने ही देखने में हुआ ही या आराधना—यह इतने में ही यह मत दिना की वीटि में नहीं आ सकेगा। कर्ण दिक्

रूप तो राग, द्वेष तथा मोह की वृत्ति से ही बनता है। संलेखना व्रत प्राणनाश है, पर वह राग, द्वेष तथा मोह के न होने के कारण हिंसा की कोटि में नहीं आता; उल्टा निर्मोहत्व और वांतरागत्व साधने में भावना में से ही यह व्रत पैदा होता है और इस भावना की सिद्धि के फल के कारण ही यह व्रत पूर्ण बनता है। इसलिए यह हिंसा नहीं है, कि शुभध्यान अथवा शुद्धध्यान की कोटि में रखने योग्य होने से इसको शगर्भ में स्थान प्राप्त है।

प्र०—कमलपूजा, भैरवजप, जलसमाधि आदि अनेक तरह से नितर मृत्यों में प्राणनाश करने की और उनको धर्म मानने की प्रथाएँ पाई थीं, और हैं; उनमें और संलेखना की प्रथा में क्या अन्तर है ?

उ०—प्राणनाश की स्थूल दृष्टि से भले ही ये समान दीखें, लेकिन वे तो उनके पीछे रही हुई भावना में ही हो सकता है। कमलपूजा आदि के पीछे कोई भौतिक आशा या दूसरा प्रलोभन न हो और सिर्फ कि का आवेश या अर्पण की वृत्ति हो ऐसी स्थिति में और वैसे ही विषय या प्रलोभन से रहित संलेखना की स्थिति में अगर फर्क कहा जा सکتा है, तो यही कि भिन्न भिन्न तत्त्वज्ञान पर अवलम्बित भिन्न भिन्न रासनाओं में रही हुई भावनाओं का। जैन उपासना का ध्येय उसके ज्ञान के अनुसार परार्पण या परप्रसन्नता नहीं है, परन्तु आत्मशोधन मात्र। पुराने समय से चली आती हुई धर्म्य प्राणनाश की विविध प्रथाओं। उसी ध्येय की दृष्टि से संशोभित रूप जो कि जैन संप्रदाय में प्रचलित संलेखना व्रत है। इसी कारण संलेखना व्रत का विधान खास संयोगों किया गया है।

जब जीवन का अन्त निश्चित रूप से समीप मासूम पड़े, धर्म पर आवश्यक कर्तव्यों का नाश होता हो, इसी प्रकार जब कि किसी तरह

या भी दुर्धान न हो, ऐसी रिपति में ही यह सब विवेक प्रकट है । १५-१७ ।

सम्बन्धनों के अतिचार—

गङ्गाया इक्षादिचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रयोगमात्रस्तथाः
सम्बन्धरतिचाराः । १८ ।

गङ्गा, कांथा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रयोग, और सम्बन्धनों के सम्बन्धनों के पाँच अतिचार हैं ।

ऐसे स्वल्पन, जिसे कि कोई भी स्वीकार बिना हुआ पुनः पुनः होता जाता है और धीरे धीरे हास को प्राप्त हो कर नष्ट हो जाता है, स्वल्पनों को ही अतिचार कहते हैं ।

सम्बन्ध ही चारित्र्य धर्म का मूल आधार है । उनको छोड़ कर चारित्र्य की शुद्धि अदत्तमित है । इसलिए जिसे सम्बन्ध ही छोड़ कर चारित्र्य पहुँचाने की योजना है, ऐसे अतिचारों का यही सौंभल्य वर्णन किया है, ये निम्नानुसार हैं :

१. भारत प्रत्यय की दृष्टि स्वीकार करने के बाद उसके अनेक सुख और अज्ञानिय पदार्थों (जो किट्टे केवलज्ञान और आत्ममार्ग हैं) के विषय में चर्चा करना कि 'ये ऐसे ही हैं जो नष्ट हो जाते हैं' यह वास्तविक अतिचार है । संशय और तत्पुंजक परीक्षा का ये अतिचार पूर्णतया ग्यान होने पर भी यहाँ लो-चर्चा को अतिचार कह में कहते हैं, इसका तात्पर्य इतना ही है कि सर्वथाद के बाद के पदार्थों को ही नष्ट होने कहने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से स्वल्पन भ्रमप्रदेश को सुदृढगन्ध न कर सकेगा, जिससे भ्रम में ही गन्ध प्रदेश को भी छोड़ देवेगा । अतः जिससे स्वल्पन के विषय वाक्या भागी हो, वैसी चर्चा ही अतिचार रूप में ग्राह्य है ।

२. ऐहिक और पारलौकिक विषयों की अभिलाषा करना ही कांक्षा है। यदि ऐसी कांक्षा होगी, तो साधक गुणदोष का विचार किये बिना ही ब्रह्म चाहे अपने सिद्धान्त को छोड़ देगा; इसीलिए उसको अतिचार शब्द कहा गया है।

३. जहाँ भी मतभेद या विचारभेद का प्रसंग उपस्थित हो, वहाँ पर अपने आप कुछ भी निर्णय न करके सिर्फ मतिमन्दता के कारण यह सोचना कि 'यह बात भी ठीक है और वह बात भी ठीक हो सकती है'। इस प्रकार बुद्धि की अस्थिरता ही विचिकित्सा है। बुद्धि की ऐसी अस्थिरता साधक को किसी एक तत्त्व पर कभी भी स्थिर नहीं रहने देती; इसलिए यह अतिचार है।

४-५ जिसकी दृष्टि मिथ्या हो, उसकी प्रशंसा करना या उससे परिचय करना ये अनुक्रम से मिथ्यादृष्टिप्रशंसा और मिथ्यादृष्टिसंस्तव नामक अतिचार हैं। भ्रान्तदृष्टि रूप दोष से युक्त व्यक्तियों में भी कई बार विचार, त्याग आदि गुण पाये जा सकते हैं। गुण और दोष का भेद किये बिना ही उन गुणों से आवृष्ट हो कर वैसे व्यक्ति की प्रशंसा करने अथवा उससे परिचय करने से अविवेकी साधक का सिद्धान्त से स्तब्ध होने का दर रहता है। इसीसे अन्यदृष्टिप्रशंसा और अन्यदृष्टि संस्तव भी अतिचार माना है। मध्यस्थता और विवेकपूर्वक गुण को गुण और दोष को दोष समझने वाले साधक के लिए भी उक्त प्रकार के प्रशंसा और संस्तव हानिकारक होते ही हैं ऐसा एकान्त नहीं है।

उक्त पाँच अतिचार मती श्रावक और साधु दोनों के लिए समान हैं; क्योंकि सम्बन्ध दोनों का साधारण धर्म है। १८।

व्रत और शील के अतिचारों की संख्या और अनुक्रम से उनका वर्णन—

व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् । १९।

पन्थयधच्छाविच्छेदाऽतिभाररोगणाऽक्षयान-
निरोधाः । २० ।

मिथ्योपदेशग्रहस्याभ्याख्यातकृद्वलेत्प्रक्रियान्याः
पहारमाकारमन्त्रभेदाः । २१ ।

स्तेनप्रयोगतदाहतादानधिरद्धराज्यातिक्रमदीना
मानोन्मानप्रतिरूपरुच्यवहाराः । २२ ।

परविवाहकरणेत्वरपरिगृहीताऽपरिगृहीतागमना-
ऽनङ्गक्रीडातीव्रकामाभिनिवेशाः । २३ ।

क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदामकृष्यका-
णातिक्रमाः । २४ ।

उर्ध्वाधस्तिर्यग्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्वयाना-
ग्रानयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपृथक्क्षराः ।
कन्दर्पकौतुक्यमौरागाऽसमीक्ष्याधिकरणाव-
भोगाधिकत्वानि । २५ ।

योगदुष्प्रणिधानाऽनादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ।
अप्रत्यवेक्षिताऽप्रमानितोत्सर्गादाननिक्षेपमन्त्रा-
णाऽनादरस्मृत्यनुपस्थापनानि । २६ ।

गन्तिसंयत्संमिथ्याभिषवदुष्पकाहाराः । २७ ।
सच्चित्तनिक्षेपविधानपरच्यपदेशमास्तयकालाति-
क्रमाः । २८ ।

जीवितमरणाशंसाभिप्राणुरागमुन्मानुष्य-
णानि । २९ ।

द्वय और शील में पाँच पाँच अविचार हैं। वे अनुष्ठान के अविचार हैं—

बन्ध, वन, छविच्छेद, अविचार का अविचार और अज्ञान का अविचार ये पाँच अविचार प्रथम अनुष्ठान के हैं।

निष्कारण, रहस्यान्तरान, कृष्णकर्म, मन्त्रान्तर और अविचार ये पाँच अविचार दूसरे अनुष्ठान के हैं।

सैन्ययोग, सैन्य-अज्ञान, विरह गन्ध का अविचार, इन्द्रिय-अज्ञान और प्रतिरूपक-स्पर्शादि ये पाँच तीसरे अनुष्ठान के अविचार हैं।

परिचादक, इन्द्रिय-अज्ञान, अज्ञान-अज्ञान, अज्ञान-अज्ञान, अज्ञान-अज्ञान ये पाँच अविचार चौथे अनुष्ठान के हैं।

द्वय और वस्तु के प्रमाण का अतिक्रम, दिग्गम और दुर्गम के अतिक्रम, वन और घन्य के प्रमाण का अतिक्रम, दाम्नी-दान के अतिक्रम, एवं कृष्ण के प्रमाण का अतिक्रम ये पाँच अविचार अज्ञान के हैं।

अध्यात्मिक, अधोप्यतिक्रम, विषमप्यतिक्रम, अज्ञान और अज्ञान ये पाँच अविचार छठे दिग्गमिनिष्ठ के हैं।

आत्मन्ययोग, प्रथमयोग, शब्दानुष्ठान, कर्मानुष्ठान, कृष्णकर्म के अविचार सातवें देशविरति ऋतु के हैं।

कर्म, शैकुच्य, मौक्तिक, असमीप-अधिकरण और अज्ञान ये पाँच अविचार आठवें अनपेक्षित-विरमण ऋतु के हैं।

कामदुष्प्रणिधान, बचनदुष्प्रणिधान, मनोदुष्प्रणिधान, अज्ञान और अज्ञान ये पाँच अविचार नवमविरमण के हैं।

बन्धवधच्छविच्छेदाऽतिभारारोपणाऽन्नपान
निरोधाः । २० ।

मिथ्योपदेशरहस्याभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्य
पहारसाकारमन्त्रभेदाः । २१ ।

स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमही
मानोन्मानप्रतिरूपरुच्यवहाराः । २२ ।

परविवाहकरणेत्वरपरिगृहीताऽपरिगृहीतागम
ऽनङ्गक्रीडातीव्रकामाभिनिवेशाः । २३ ।

क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदामकुप्य
णातिक्रमाः । २४ ।

ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तर्धान
आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपृथ्णलक्षणाः
क्रन्दर्पकौत्कुच्यमौलर्याऽसमीक्ष्याधिकरणोप
भोगाधिकत्वानि । २५ ।

योगदुष्प्रणिधानाऽनादरस्मृत्यनुपस्थापनानि
अप्रत्यवेक्षिताऽप्रमाजितोत्सर्गादाननिक्षेपसंस्त
णाऽनादरस्मृत्यनुपस्थापनानि । २६ ।

सचित्तसंबद्धसंमिश्राभिपवदुष्पक्काहाराः । २७ ।
मचित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकाला
क्रमाः । २८ ।

जीवितमरणाशंसा मित्रानुगमसुखानुबन्धनिद
णानि । २९ ।

व्रतों और शीलों में पाँच पाँच अतिचार हैं। ये अनुक्रम से इस प्रकार हैं—

बन्ध, वध, छविच्छेद, अतिभार का आरोपण और अन्न-पान का रोष ये पाँच अतिचार प्रथम अणुव्रत के हैं।

मिथ्योपदेश, रहस्याभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्यासापहार और साधारणमन्त्रभेद ये पाँच अतिचार दूसरे अणुव्रत के हैं।

स्तेनप्रयोग, स्तेन-आहतादान, विरुद्ध राज्य का अतिक्रम, हीन-अधिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार ये पाँच तीसरे अणुव्रत के अतिचार हैं।

पगविवाहकरण, इत्वरपारिग्रहीतागमन, अपरिग्रहीतागमन, अनङ्गकीड़ा और तीमकामाभिनिवेश ये पाँच अतिचार चौथे अणुव्रत के हैं।

क्षेत्र और वस्तु के प्रमाण का अतिक्रम, हिरण्य और सुवर्ण के प्रमाण का अतिक्रम, घन और धान्य के प्रमाण का अतिक्रम, दासी-दास के प्रमाण का अतिक्रम, एवं कुप्य के प्रमाण का अतिक्रम ये पाँच अतिचार पाँचवें अणुव्रत के हैं।

कर्षव्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, तिर्यग्व्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और मृग्यन्तर्धान ये पाँच अतिचार छठे दिग्विरति व्रत के हैं।

भानयनप्रयोग, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात, पुद्गलक्षेप ये पाँच अतिचार सातवें देशविरति व्रत के हैं।

कन्दर्प, फौत्कुच्य, मौल्य, असमीक्ष्य-अधिकरण और उपभोग का अधिकार ये पाँच अतिचार आठवें अनर्षदण्डविरमण व्रत के हैं।

फायदुष्प्रणिधान, वचनदुष्प्रणिधान, मनोदुष्प्रणिधान, अनादर और शक्ति का अनुपस्थापन ये पाँच अतिचार सामायिकव्रत के हैं।

अप्रत्यवेक्षित और अप्रमाजित में उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित में अप्रमाजित में आदान-निक्षेप, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमाजित संस्कार उपक्रम, अनादर और स्मृति का अनुपस्थापन ये पाँच अतिचार, वैश्वप्रव्रत के हैं।

सचित आहार, सचितसंबन्ध आहार, सचितसंमिध आहार, अन्न आहार और दुष्पक आहार ये पाँच अतिचार भोगोपभोग व्रत के हैं।

सचित में निक्षेप, सचितपिधान, परव्यपदेश, मार्ग्य और वास्तविक क्रम ये पाँच अतिचार अतिथिसंविभागव्रत के हैं।

जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुस्तानुरोध और निराशंसा ये मारणान्तिक संलेखना के पाँच अतिचार हैं।

जो नियम थडा और ज्ञान पूर्वक स्वीकार किया जाता है, उसे व्रत कहते हैं। इस अर्थ के अनुसार श्रावक के चारह व्रत व्रत शब्द में आते हैं, फिर भी यहाँ व्रत और शीघ्र इन दो शब्दों का प्रयोग करके सचित किया गया है कि चारित्र्य धर्म के मूल नियम अहिंसा, सत्य और पाँच हैं; और दिग्दरमण आदि बाकी के नियम तो इन मूल नियमों की पुष्टि के लिए ही हैं। हर एक व्रत और शील के जो पाँच पाँच अतिचार गिनाए हैं, वे मध्यम दृष्टि से समझने चाहिए; क्योंकि संक्षेप दृष्टि से इन्हें इतने कम भी कल्पित किये जा सकते हैं, एवं विस्तार दृष्टि में पाँचों अतिचार अधिक भी कहे जा सकते हैं।

चारित्र्य का मतलब है रागद्वेष आदि विचारों का अभाव कारण समभाव का परिशीलन करना। चारित्र्य के इस मूल स्वस्म को सिद्ध करने के लिये अहिंसा, सत्य आदि जो जो नियम व्यावहारिक जीवन में रखे जाते हैं, वे सभी चारित्र्य कहलाते हैं। व्यावहारिक जीवन देना, वा आदि की परिस्थिति तथा मनुष्य युद्धि की संस्कारिता के अनुष्ठान करना

अंतः उक्त परिस्थिति और संस्कारिता में परिवर्तन होने के साथ ही जीवन व्यवहार भी बदलता रहता है। यही कारण है कि चारित्र्य का मूल स्वरूप एक होने पर भी उसके पोषक रूप से स्वीकार किये जाने वाले नियमों की व्याख्या तथा स्वरूप में परिवर्तन होना अनिवार्य है। इसीलिए श्रावक के व्रत, नियम भी अनेक तरह से भिन्न रूप में शास्त्रों में मिलते हैं और विषय में भी परिवर्तन होता ही रहेगा। इतने पर भी यहाँ ग्रन्थकार ने श्रावक धर्म के तौर ही भेद मानकर उनमें से प्रत्येक के अतिचारों का ज्ञान किया है। जो क्रमशः निम्न प्रकार से हैं—

१. किसी भी प्राणी को अपने इष्ट स्थान में जाते हुए रोकना या धिक्काना—घन्घ है। डंढा या चात्रुक आदि से प्रहार करना बध है।
 २. कान, नाक, चमड़ी आदि अवयवों का भेदन या छेदन—छविच्छेद है। ४. मनुष्य या पशु आदि पर उसकी शक्ति से ज्यादा बोज लादना—अतिभार-प्रारोपण है। ५. किसी के खानपान में रुकावट डालना—यह अन्नपान का निरोध है। किसी भी प्रयोजन के बिना व्रतधारी गृहस्थ इन दोषों को कदापि सेवन न करे, ऐसा उत्सर्ग मार्ग है; परन्तु घर-गृहस्थी का कार्य प्रापड़ने पर विशेष प्रयोजन के कारण यदि इनका सेवन करना ही पड़े, तब भी कोमल भाव से ही काम लेना चाहिए। १९, २०।

१. सत्ता झूठा समझकर किसी को उलटे रास्ते डालना मिथ्या उपदेश है। २. राग में आकर विनोद के लिए किसी पति, पत्नी को अथवा तथा अन्य स्नेहियों को अलग कर देना, अथवा किसी के सामने दूसरे पर दोषारोप करना—रहस्याभ्याख्यान है। ३. मोहर, हस्ताक्षर आदि द्वारा झूठी लिखा-पढ़ी करना तथा खोटा सिक्का चलाना आदि कूटलोत्क्रिया है। ४. कोई

१. त्रितने प्रदेश का नियम किया हो, उसके बाहर वास्तु की आवश्यकता पड़ने पर स्वयं न जाकर संदेश आदि द्वारा दूसरे से उस वस्तु को भोगना लेना आनयन-प्रयोग है। २. जगह संबंधी स्वयं मर्यादा के बाहर काम पड़ने पर स्वयं न जाकर दूसरे से ही उस वस्तु को भोगना, चिन्तु मर्यादा के अतिचार

देशव्यतिरिक्त मत के अतिचार
 ३. स्वीकृत मर्यादा के बाहर स्थित व्यक्ति को बुला कर काम कराना हो, तब खौसी आदि शब्द द्वारा उसे पास के लिए सावधान करना शब्दानुपात है। ४. किसी तरह का काम न कर के सिर्फ आकृति आदि बतला कर दूसरे को अपने पास आने के लिए सावधान करना रूपानुपात है। ५. कंकड़, टेली आदि देकर किसी को अपने पास आने के लिए सूचना देना—पुद्गलक्षेप है। २१।

१. रागवश असभ्य भाषण तथा परिहास आदि करना करना है। २. परिहास व अनिष्ट भाषण के अतिरिक्त मोंड जैसी शर्माहिन दुश्चेष्टाएँ करना यौक्तिक है। ३. निर्लज्जा व संवन्ध रहित एवं प्रहुत बकवाद करना मौसर्व है। ४. अपनी आवश्यकता का विचार किये बिना

अनेक प्रकार के साधन उपकरण दूसरे को उसके काम के लिये दिया जाना असभ्यताधिकरण है। ५. अपनी आवश्यकता से अधिक त्रप, आभूषण तेल, चन्दन आदि रखना उपमोगाधिकत्व है। २७।

१. हाथ, पैर आदि अंगों को झर्झा और बुरी तरह से चरने रहना कायदुःप्रणिधान है। २. शब्दसंस्कार रहित तथा अर्थ रहित शब्दों का प्रयोग करना शानिकारक भाषा बोलना वचनदुःप्रणिधान है। ३. क्रोध, द्वेष आदि विद्वांगों के वश होकर चिन्तन आदि मनोव्यापार करना मनोदुःप्रणिधान है।

धार्माधिक मत के अतिचार

सामायिक में उत्साह का न होना अर्थात् समय होने पर भी प्रवृत्त न
 अथवा ज्यों ज्यों करके प्रवृत्ति करना अनादर है । ५. एकाग्रता का
 अर्थात् चित्त के अव्यवस्थित होने से सामायिक की स्मृति का न
 स्मृति का अनुपस्थापन है । २८ ।

१. कोई जीव है या नहीं, ऐसा आँखों से बिना देखे, एवं कोमल
 रस से प्रमार्जन किये बिना ही जहाँ तहाँ मल, मूत्र, श्लेष्म आदि का
 त्याग करना यह अप्रत्यवेक्षित तथा अप्रमार्जित में
 उल्सर्ग है । २. इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण और प्रमार्जन
 किये बिना ही लकड़ी, चीकी आदि वस्तुओं को लेना
 अथवा अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित में आदाननिक्षेप है । ३. प्रत्य-
 एवं प्रमार्जन किये बिना ही संघारा—बिछौना करना या आसन
 ना-अप्रत्यवेक्षित तथा अप्रमार्जित संस्तार का उपक्रम है । ४. पौषध
 सादरित ज्यों ज्यों करके प्रवृत्ति करना अनादर है । ५. पौषध कच
 केसे करना या न करना, एवं किया है या नहीं इत्यादि का स्मरण
 ना स्मृत्यनुपस्थापन है । २९ ।

१. किसी भी तरु की वनस्पति आदि सचेतन पदार्थ का आहार
 सचित्त-आहार है । २. कठिन बीज या गुठली आदि सचेतन
 पदार्थ से युक्त वन या आम आदि पके हुए फलों को
 खाना सचित्तसंबद्ध आहार है । ३. तिल, खसखस
 आदि सचित्त वस्तु से मिश्रित लड्डू आदि का भोजन
 चीनी, कुंघु आदि से मिश्रित वस्तु को खाना सचित्तसंमिश्रण
 है । ४. किसी भी किरम के एक मादक द्रव्य का सेवन करना
 विविध द्रव्यों के मिश्रण से उत्पन्न मद्य आदि रस का सेवन करना
 आहार है । ५. अघपके या ठीक न पके हुए फों खाना दुष्पक
 है । ३० ।

पद्मोग मत के
 अतिचार

१. खात-पान की देने योग्य वस्तु को काम में न आना देने की बुद्धि से किसी सचेतन वस्तु में रख देना सचित्तनि

अतिथिसंविभागा
व्रत के अतिचार

२. इसी प्रकार देय वस्तु को सचेतन वस्तु देना सचित्तविधान है। ३. अपनी देय 'यह दूसरे की है' ऐसा कह कर उसके दान आपको मानपूर्वक चचा लेना परम्यपदेश है। ४. दान देने का दान न रखना अथवा दूसरे के दानगुण की ईर्ष्या से दान देने तैयार होना— मात्सर्य है। ५. किसी को कुछ देना न पड़े इस से भिक्षा का समय न होने पर भी खा-पी लेना कालातिक्रम है।

१. पूजा, सत्कार आदि विभूति देकर उनके काम में जीवन को चाहना जीयिताशंसा है। २. सेवा, सत्कार आदि

संलेखना व्रत के
अतिचार

लिए किसी को पास आते न देकर ठेके मृत्यु को चाहना मरणाशंसा है। ३. मित्र मित्रतुल्य पुत्रादि पर स्नेह-वर्धन रखना मित्र है। ४. अनुभूत सुखों का स्मरण करके उन्हें ताजा बनाना पुत्र है। तप व त्याग का बदला किसी भी तरह के भोग के निदानकरण है।

ऊपर जो अतिचार कहे गए हैं, उन सभी का यदि जानपूर्वक वक्रता से सेवन किया जाय, तब तो वे व्रत के रक्षण स्व होकर रहेंगे, और यदि भूत से असावधानी के कारण सेवन करेंगे तब वे अतिचार होंगे। ३२।

दान का वर्णन—

✓ अनुग्रहार्थं स्वस्यातिमर्गो दानम् । ३३

विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः । ३४ ।

अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है ।

विधि, देयवस्तु, दाता और ग्राहक की विशेषता से दान की शक्ति है ।

दानधर्म जीवन के समस्त सद्गुणों का मूल है; अतः उसका विकास धार्मिक दृष्टि से अन्य सद्गुणों के उत्कर्ष का आधार है, और व्यवहार से मानवी व्यवस्था के सामंजस्य का आधार है ।

दान का मतलब है न्यायपूर्वक प्राप्त हुई वस्तु का दूसरे के अर्पण करना । यह अर्पण करने वाले कर्ता और स्वीकार करने वाले का उपकारक होना चाहिए । अर्पण करने वाले का मुख्य उपकार यह है कि उस वस्तु पर से उसकी ममता हट जाय, और इस तरह सन्तोष और समभाव की प्राप्ति हो । स्वीकार करने वाले का उपकार है कि उस वस्तु से उसकी जीवनयात्रा में मदद मिले, और परिणाम-तः उसके सद्गुणों का विकास हो ।

सभी दान, दानरूप से एक जैसे होने पर भी उनके फल में तरतम-रहता है । यह तरतमभाव दानधर्म की विशेषता के कारण होता है । यह विशेषता मुख्यतया दानधर्म के चार अङ्गों की विशेषता के अनुसार है । इन चार अङ्गों की विशेषता निम्न प्रकार वर्णन की गई है ।

विधि की विशेषता में देश, काल का औचित्य, पित्री विशेषता और लेने वाले के सिद्धान्त को बाधा न पहुँचे ऐसी कल्पनीय वस्तु का अर्पण, इत्यादि बातों का उल्लेख होता है ।

द्रव्य की विशेषता में दी जाने वाली वस्तु के गुणों का समावेश है । जिस वस्तु का दान किया जावे, वह लेने वाले पात्र की

२. द्रव्य की विशेषता जीवनयात्रा में पोषक हो कर परिणामदायी सभी गुणविकास में निमित्त बननेवाली होनी चाहिए

दाता की विशेषता में लेने वाले पात्र के प्रति शत्रुता का होना,

३. दाता की विशेषता तब तक तिरस्कार या अस्वीकार का न होना, तथा देते समय या बाद में विवाद न करना, दाता के गुणों का समावेश होता है।

४. पात्र की विशेषता दान लेने वाले का साधुचार्य के लिए जागरूक रहना पात्र की विशेषता है। ११, १

आठवाँ अध्याय

आस्रव के वर्णन के प्रसंग में मूत्र और दान का वर्णन करके अम-
न्धतत्व का वर्णन किया जाता है ।

बन्धहेतुओं का निर्देश-

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धहेतवः । १ ।

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग ये पाँच बन्ध
के हेतु हैं ।

बन्ध के स्वरूप का वर्णन अगले सूत्र में किया जाने वाला है । यहाँ
जहाँ उसके हेतुओं का ही निर्देश है । बन्ध के हेतुओं की संख्या के बारे
में तीन परंपराएँ देखने में आती हैं । एक परंपरा के अनुसार कपाय और
योग ये दोनों ही बन्धहेतु हैं । दूसरी परंपरा मिथ्यात्व, अविरति, कपाय
और योग इन चार बन्धहेतुओं की है । तीसरी परंपरा उक्त चार हेतुओं
में प्रमाद को बढ़ाकर पाँच बन्धहेतुओं का वर्णन करती है । इस तरह
से संख्या और उसके कारण नामों में भेद रहने पर भी तार्किक दृष्टि से
इन परंपराओं में कोई भेद नहीं है । प्रमाद एक तरह का असंयम ही
तो है, अतः वह अविरति या कपाय के अन्तर्गत ही है; इसी दृष्टि से
कर्मप्रकृति आदि ग्रन्थों में सिर्फ चार बन्धहेतु कहे गए हैं । भारीकी से
देखने पर मिथ्यात्व और असंयम ये दोनों कपाय के स्वरूप से अलग नहीं
पड़ते, अतः कपाय और योग इन दोनों को ही बन्धहेतु गिनाना प्राप्त
होता है ।

प्र०--यदि सचमुच ऐसा ही है, तब प्रश्न होता है कि उक्त संख्या-
भेद की विभिन्न परंपराओं का आधार क्या है ?

उ०—कोई भी कर्मबन्ध हो, उस समय उसमें आद्य से अन्त तक चार अंशों का निर्माण होता है, उनके अलग अलग कारण इस कषाय और योग ये दोनों ही हैं; क्योंकि प्रकृति एवं प्रदेश रूप अंशों का निर्माण तो योग से होता है, और स्थिति एवं अनुभागरूप अंशों का निर्माण कषाय से होता है। इस प्रकार एक ही कर्म में उत्पन्न होने वाले उक्त चार अंशों के कारणों का विश्लेषण करने के विचार से आद्य से अन्त तक चार अंशों का कषय और योग इन दो बन्धहेतुओं का कषय किया गया है; और आध्यात्मिक विकास की चढ़ाव उतार वाली भूमिका स्वरूप गुणस्थानी में बँधने वाली कर्म प्रकृतियों के तरतमभाव के कारण को बतलाने के लिए मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग इन चार बन्धहेतुओं का कषय किया गया है। जिस गुणस्थान में उक्त चार में से जितने अधिक बन्धहेतु होंगे, उस गुणस्थान में कर्मप्रकृतियों का बन्ध भी उतना ही अधिक होगा; और जहाँ पर ये बन्धहेतु कम होंगे, वहाँ पर कर्मप्रकृतियों का बन्ध भी कम ही होगा। इस तरह मिथ्यात्व आदि चार हेतुओं के कषय को परंपरा अलग अलग गुणस्थानों में तरतमभाव को प्राप्त होने वाले कर्मबन्ध के कारण का अनुशासन करने के लिए है; और कषाय एवं योग इन दो हेतुओं के कषय की परंपरा किसी भी एक ही कर्म में संभावित चार अंशों के कारण का स्पष्टकरण करने के लिए है। पाँच बन्धहेतुओं की परंपरा का आशय तो चार की परंपरा से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है, और यदि भी, तो यह इतना ही कि जिज्ञासु शिष्यों को बन्धहेतुओं का विचार ज्ञान करने के लिये।

बन्धहेतुओं की व्याख्या—

मिथ्यात्व का अर्थ है मिथ्यादर्शन, जो सत्यदर्शन से उच्छेदित है। सत्यदर्शन—वस्तु का तार्किक अस्तित्व होने में विपरीतदर्शन को कहते हैं।

का फलित होता है। पहला वस्तुविययक यथार्थ भ्रदान का अभाव और दूसरा वस्तु का अयपर्य भ्रदान।

मिथ्यात्व
रहने और दूसरे में फल इतना ही है कि पहला बिल्कुल मूढ़ दशा में भी हो सकता है, जबकि दूसरा विचारदशा में ही होता है। विचारशक्ति का विकास होने पर भी जब अभिनिवेश के कारण किसी एक ही दृष्टि को मूढ़ लिया जाता है, तब विचारदशा के रहने पर भी अतत्त्व में पथपात जैसे यह दृष्टि मिथ्यादर्शन कहलाती है; यह उपदेशजन्य होने से अभिहित कही जाती है। जब विचारदशा जागरित न हुई हो, तब अनात्मनिर्भर आचरण के भार के कारण सिर्फ मूढ़ता होती है, उस समय जैसे तब का भ्रदान नहीं होता, वैसे अतत्त्व का भी भ्रदान नहीं होता, इस दशा में सिर्फ मूढ़ता होने से तत्त्व का अध्रदान कह सकते हैं। वह नैसर्गिक-देशनिर्देश होने से अनभिगृहीत कहा गया है। दृष्टि या पन्थ संबन्धी ज्ञान भी ऐकान्तिक कदाग्रह है, वे सभी अभिगृहीत मिथ्यादर्शन हैं, जो मनुष्य जैसी विकसित जाति में हो सकते हैं; और दूसरा अनभिगृहीत बौद्ध, पतंग आदि जैसी मूर्छित चेतना वाली जातिओं में ही संभव है।

आविरति अर्थात् दोषों से विरत न होना। प्रमाद का मतलब है आविरति, प्रमाद
आत्मविरमरण अर्थात् कुशल कार्यों में आदर न रखना; कर्तव्य, अकर्तव्य की स्मृति के लिए सावधान न रहना।

गय, योग
कषाय अर्थात् समभाव की मर्यादा का तोड़ना। योग का अर्थ है मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति,

छठे अध्याय में वर्णित तत्प्रदीप आदि बन्धहेतुओं और यहाँ पर स्पष्ट हुए मिथ्यात्व आदि बन्धहेतुओं में अन्तर इतना ही है कि उग्र-दि प्रत्येक कर्म के, खास खास बन्धहेतु होने से विशेषरूप है, जबकि मिथ्यात्व आदि तो समस्त कर्मों के समान बन्धहेतु होने से सामान्य है।

मिथ्यात्व से लेकर योग तक के पाँचों हेतुओं में से जहाँ होंगे, वहाँ उसके बाद के भी सभी होंगे, ऐसा नियम है के होने पर अविरति आदि चार और अविरति के होने बाकी के तीन अवश्य होंगे। परन्तु जब उत्तर होगा, ही, और न भी हो; जैसे अविरति के होने पर मिथ्यात्व होगा, परन्तु दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान होने पर भी मिथ्यात्व नहीं रहता। इसी तरह इस लेना चाहिए। १।

बन्ध का स्वरूप—

सकृपायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान् पुद्ग

स बन्धः। ३।

कृपाय के संबन्ध से जीव कर्म के योग्य करता है।

वह बन्ध कहलाता है।

पुद्गल की वर्गणाएँ—(प्रकार) अनेक हैं। उ कर्मरूप परिणाम को प्राप्त करने की योग्यता रखती हैं, करके निज आत्मप्रदेशों के साथ विविध रूप से सं स्वभाव से जीव अमूर्त होने पर भी अनादिकाल से से मूर्तवत् हो जाने के कारण मूर्त कर्मपुद्गलों का प्र दीपक मसी द्वारा तेल को प्रदण करके अपनी उष्णता में परिणत कर लेता है; जैसे ही जीव कर्माधिक विचार प्रदण करके उन्हें कर्मरूप में परिणत कर लेता है। कर्मरूप परिणत को प्राप्त पुद्गलों का वह संबन्ध है

ऐसे बन्ध में मिथ्यात्व आदि अनेक निमित्त होते हैं, फिर भी यहाँ पर जो यद कश गया है कि कर्माय के संबन्ध से पुद्गलों का ग्रहण होता है, वह अन्य हेतुओं की अपेक्षा कर्माय की प्रधानता प्रदर्शित करने के लिए ही है। २, ३।

बन्ध के प्रकार—

प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्विधयः । ४ ।

प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश ये चार उसके—बन्ध के प्रकार हैं।

कर्मपुद्गल जीव द्वारा ग्रहण किये जाने पर कर्मरूप परिणाम को प्राप्त होते हैं, इसका अर्थ इतना ही है कि उसी समय उसमें चार अंशों का निर्माण होता है; वे अंश ही बन्ध के प्रकार हैं। उदाहरणार्थ; जब शकरी, गाय, भैंस आदि द्वारा खाया हुआ घास वगैरह दूध रूप में परिणत होता है, तब उसमें मधुरता का स्वभाव निर्मित होता है; वह स्वभाव अमुक समय तक उसी रूप में टिक सके ऐसी कालमर्यादा उसमें निर्मित होती है; इस मधुरता में तीव्रता, मन्दता आदि विशेषताएँ भी होती हैं; और इस दूध का पौद्गलिक परिणाम भी साथ ही बनता है; इसी तरह जीव द्वारा ग्रहण होकर उसके प्रदेशों में संश्लेष को प्राप्त हुए कर्मपुद्गलों में भी चार अंशों का निर्माण होता है। वे अंश ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश हैं।

१. कर्मपुद्गलों में जो शान को आवरण करने, दर्शन को रोकने, सुख-दुःख देने आदि का स्वभाव बनता है, वही स्वभावनिर्माण प्रकृतिबन्ध है। २. स्वभाव बनने के साथ ही उस स्वभाव से अमुक समय तक स्मृत न होने की मर्यादा भी पुद्गलों में निर्मित होती है, यह कालमर्यादा का निर्माण ही स्थितिबन्ध है। ३. स्वभावनिर्माण के साथ ही उसमें तीव्रता,

मन्दता आदि रूप में फलानुभव करानेवाली विशेषताएँ सँभती हैं, ऐसी विशेषता ही अनुभावबन्ध है। ४. प्रदण किये जाने पर भिन्न भिन्न स्वभाव में परिणत होने वाली कर्मपुद्गलरशि स्वभावानुसार अगुफ अगुफ परिणत में पेट जाती है—यह परिमाणविभाग ही प्रदेशबन्ध कहलाता है।

बन्ध के इन चार प्रकारों में से पहला और अन्तिम दोनों दोष के आश्रित हैं; क्योंकि योग के तरतमभाव पर ही प्रकृति और प्रदेश बन्ध का तरतमभाव अवलंबित है। दूसरा और तीसरा प्रकार कषाय के आश्रित है, कारण यह कि कषाय की तीव्रता, मन्दता पर ही स्थिति और अनुभाव बन्ध की अधिकता या अल्पता अवलंबित है। ४।

मूलप्रकृति भेदों का नाम निर्देश-

आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कनाम-
गोत्रान्तरायाः । ५ ।

पहला अर्थात् प्रकृतिबन्ध ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र और अन्तराय रूप है।

अभ्यवसाय विशेष से जीव द्वारा एक ही धार में प्रदण की हुई कर्मपुद्गलरशि में एक ही साय आभ्यवसायिक शक्ति की विविधता के अनुसार अनेक स्वभावों का निर्माण होता है। ये स्वभाव अदृश्य हैं, फिर भी उनका परिगणन सिर्फ उनके कार्य अर्थात् प्रभाव को देखा जा सकता है। एक या अनेक जीवों पर होने वाले कर्म के असंकर प्रभाव अनुभव में आते हैं। इन प्रभावों के उत्पादक स्वभाव भी कालत्र में अदृश्यात ही हैं। ऐसा होने पर भी घोट्टे में यगीकरण करके उन कर्मों को आठ भागों में बाँट दिया गया है। यही मूलप्रकृतिबन्ध कहलाता है। इन्हीं आठ मूलप्रकृति भेदों का निर्देश यहाँ किया है। अन्ते ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र और अन्तराय ।

१. जिसके द्वारा ज्ञान-विशेषबोध का आवरण हो वह ज्ञानावरण ।
२. जिसके द्वारा दर्शन-सामान्यबोध का आवरण हो वह दर्शनावरण ।
३. जिससे सुख या दुःख का अनुभव हो वह वेदनीय । ४. जिससे आत्मा मोह को प्राप्त हो वह मोहनीय । ५. जिससे भय धारण हो वह आयुष्क । ६. जिससे विशिष्ट गति, जाति आदि की प्राप्ति हो वह नाम । ७. जिससे ऊँचपन या नीचपन मिले वह गोत्र । ८. जिससे देने, लेने आदि में विघ्न पड़े वह अन्तराय ।

कर्म के विविध स्वभावों को संक्षिप्त दृष्टि से पूर्वोक्त आठ भागों में बाँट देने पर भी विस्तृतरुचि जिज्ञासुओं के लिए मध्यम मार्ग का अवलंबन करके उन आठ के पुनः दूसरे प्रकार वर्णन किये हैं, जो उत्तरप्रकृति के भेदों के नाम से प्रसिद्ध हैं । ऐसे उत्तरप्रकृति भेद ९७ हैं, वे मूलप्रकृति के क्रम से आगे क्रमशः दरसाये गए हैं । ५ ।

उत्तरप्रकृति भेदों की संख्या और नामनिर्देश-

पञ्चनवद्व्यष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेदा यथा-
क्रमम् । ६ ।

मत्यादीनाम् । ७ ।

चक्षुरचक्षुर्बधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला-
प्रचलास्त्यानगृद्धिवेदनीयानि च । ८ ।

सदसद्व्ये । ९ ।

दर्शनचारित्रमोहनीयकपायनोकपायवेदनीयाख्यास्त्रि-
द्विपोडशनवभेदाः सम्यक्त्वमिध्यात्वतदुभयानि कपाय-
नोकपायावनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणसं-
ज्वलनविकल्पाश्चैकशः क्रोधमानमायालोभा हास्यरत्य-
रतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदाः । १० ।

नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि । ११ ।

गतित्रातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणबन्धनसद्दातसंस्नानसेहन-
नस्पर्शरसगन्धवर्णानुपूर्व्यगुरुलघूपघातपराघातातपोद्यो-
तोच्छ्वासविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रसमुमागमुस्वरशुभ

मूक्ष्मपर्याप्तस्थिरादेयशांसि सेतराणि तीर्थकृत्त्रे च । १२ ।
उच्चैर्नीचैश्च । १३ ।

दानादीनाम् । १४ ।

आठ मूलप्रकृतियों के अनुक्रम से पौंच, नव, दो, अष्टाहम, चा-
वयालीस, दो और पौंच भेद हैं ।

मति आदि पौंच-ज्ञानों के आवरण ही पौंच ज्ञानावरण हैं ।

चक्षुर्दशनं, अक्षुर्दशनं, अक्षिदशनं और केमलदशनं इन चारों
के आवरण; तथा निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्नान-
शक्ति ये पौंच वेदनीय नव दर्शनावरणीय हैं ।

प्रशस्त—मुखवेदनीय और अप्रशस्त—दुःखावेदनीय ये दो वेद-
नीय हैं ।

दर्शनमोह, चारित्रमोह, कर्मापवेदनीय और नोकर्मापवेदनीय इन
के अनुक्रम से तीन, दो, सोलह और नव भेद हैं; जैसे—सम्पत्त्व,
मिथ्यात्व, तदुभय—सम्पत्त्वमिथ्यात्व ये तीन दर्शनमोहनीय । कर्माप
और नोकर्माप ये दो चारित्रमोहनीय हैं । जिनमें से क्रोध, मान, माया
और लोभ ये प्रत्येक अन्तानुषङ्गी, अपत्याप्तान, प्रत्याप्तान और अन्व-
स्तान रूप से चार चार प्रकार के होने से सोलह भेद कर्मापचारित्रमोहनीय के
बन्ते हैं; तथा शल्य, रति, भयति, शोक, मग, लुप्त्या, शीघ्र, पुष्पवेद
और नपुंसकवेद ये नव नोकर्मापचारित्रमोहनीय हैं ।

नारक, तिर्यैच, मनुष्य और देव ये चार आयु हैं ।

गति, जाति, शरीर, अज्ञोपाद्म, निर्माण, बन्धन, संघात, संस्थान, धरन, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, आनुपूर्वी, अगुक्लत्रु, उपघात, परघात, अक्षय, उद्गो, उच्छ्वास, विहायोगति; और प्रतिपक्ष सहित अर्थात् शधारण और प्रत्येक, स्थावर और त्रस, दुर्भग और सुभग, दुःस्वर और सुस्वर, अशुभ और शुभ, बादर और सूक्ष्म, अपर्याप्त, अस्थिर और स्थिर, अनादेय और आदेय, अयश और यश; एवं तीर्थकरत्व ब्रह्मालीष प्रकार नामकर्म हैं ।

उच्च और नीच ऐसे दो प्रकार गोत्रकर्म के होते हैं ।

दान आदि के पाँच अन्तराय हैं ।

१. मति आदि पाँच ज्ञान और चक्षुर्दशन आदि चार दर्शनों का वर्णन किया जा चुका है; उनमें से प्रत्येक को आवरण करनेवाले स्वभाव से युक्त कर्म अनुक्रम से मतिज्ञानावरण, श्रुत-ज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्यायज्ञानावरण और कैवलज्ञानावरण इस तरह ये पाँच ज्ञानावरण हैं; तथा चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और कैवलदर्शनावरण ये चार दर्शनावरण हैं । उक्त चार के उपरांत अन्य में पाँच दर्शनावरण हैं, जो निम्न प्रकार हैं—जिस कर्म के उदय से सुप्तपूर्वक जाग सके ऐसी निद्रा आवे तो वह निद्रावेदनीय दर्शनावरण है ।

२. जिस के उदय से निद्रा से जागना अत्यन्त दुष्कर हो वह निद्रानिद्रा-वेदनीय दर्शनावरण है । ३. जिस कर्म के उदय से बैठे बैठे या सड़े सड़े ही नींद आ जावे वह प्रचलावेदनीय है । ४. जिस कर्म के उदय से

चलते-चलते ही नौद आ जाय यह प्रचलाप्रचलावेदनीय है । ५. जिस कर्म के उदय से जागरित अवस्था में सोचे हुए काम की निद्रावस्था में पड़े या ही सामर्थ्य प्रकट हो जाय यह स्थानावेदनीय है; इस निद्रा में शत्रु बल से कहीं अनेकगुण अधिक बल प्रकट होता है । ७, ८ ।

वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियों
 १. जिसके उदय से प्राणी को सुख का अनुभव हो वह सातावेदनीय; और २. जिसके उदय से प्राणी को दुःख का अनुभव हो वह असातावेदनीय । ९ ।

१. जिसके उदय से तार्यों के यथार्थ स्वरूप की दृष्टि न हो वह मिथ्यात्वमोहनीय । २. जिसके उदय समय में यथार्थता की दृष्टि न आसक्ति न होकर दोसायमान स्थिति रहे वह मिथ्यात्वमोहनीय की तीन प्रकृतियों में मोहनीय । ३. जिसका उदय तारिबद्ध दृष्टि का निमित्त होकर भी औपशमिक या शाविकम्भव कर्म तत्परदृष्टि का प्रतिबन्ध करता है वह सम्यक्त्वमोहनीय है ।

चरित्रमोहनीय के पचीस प्रकार-

श्लेष, मान, माया और लोभ ये कर्माय के चार मुख्य प्रकार हैं । प्रत्येक की तीव्रता के तरतमभाव की दृष्टि से उनके चार चार प्रकार बतलाये गए हैं । जो कर्म उक्त श्लेष आदि चार श्लेष कर्माय कर्मायों को इतना अधिक लीन बना देता है जिससे कारण जीव को अनन्त काल तक संसार में घूमना पड़े, यह कर्म अनुक्रम से अनन्तानुपन्धी श्लेष, मान, माया और लोभ कहलाता है । किन्तु कर्मों के उदय से आधिर्भाव को प्राप्त कर्माय सिद्धे रहते ही लोभ, मान, जो कि विरति का ही प्रतिबन्ध कर सकें, वे असातावेदनीय श्लेष, मान, माया और लोभ कहलाते हैं । जिसका विपाक देशभिक्ति का प्रतिबन्ध

करके तिरकं सर्वविरति का ही प्रतिबन्ध करे, वे प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, ल, माया और लोभ हैं। जिनके विपाक की तीव्रता सर्वविरति का तिबन्ध तो न कर सके, लेकिन उसमें स्खलन और मालिन्य ही पैदा र सके, वे संखलन क्रोध, मान, माया और लोभ हैं।

१. हास्य की उत्पादक प्रकृतिवाला कर्म हास्यमोहनीय है। २-३. र्ही प्रीति और कहीं अप्रीति को पैदा करने वाले कर्म अनुक्रम से रति-
मोहनीय और अरतिमोहनीय कहलाते हैं। ४. भय-
नव नोकपाय शीलता का जनक भयमोहनीय ५. शोकशीलता का
नक शोकमोहनीय और, ६. घृणाशीलता का जनक जुगुप्सामोहनीय
प्रलता है। ७. स्त्रैणभाव के विकार को पैदा करने वाला स्त्रीवेद।
८. पौश्यभाव के विकार को पैदा करने वाला पुरुषवेद और ९. नपुंसक-
त्व के विकार का उत्पादक कर्म नपुंसकवेद कहलाता है। ये नव ही
स्व कपाय के सहचारी एवं उद्दीपक होने से नोकपाय कहलाते हैं। १०।

जिसके उदय से देव, मनुष्य, तिर्यच और
नरक गति का जीवन त्रिताना पड़ता है, वे अनुक्रम से
देव, मनुष्य, तिर्यच और नरक के आयुष्य हैं। ११।

नाम कर्म की बयालीस प्रकृतियाँ—

—विविध नाम—

१. सुख, दुःख भोगने के योग्य पर्यायविशेष स्वरूप देवादि चार
प्रतिभों को प्राप्त कराने वाला कर्म गति है। २. एकेन्द्रियत्व से लेकर
पंचेन्द्रियत्व तक समान परिणाम को अनुभव कराने
के लिए पिण्डप्रकृतियाँ वाला कर्म जाति। ३. औदारिक आदि शरीर
रूप कराने वाला कर्म शरीर। ४. शरीरगत अज्ञों और उपात्तों का
निमित्तभूत कर्म अज्ञोपात्तनाम। ५-६. प्रथम गृहीत औदारिक आदि

पुद्गलों के साथ नवीन प्रदहण किये जाने वाले पुद्गलों का जो कर्म भंग कराता है वह बन्धन है और चन्द्रपुद्गलों को शरीर के नानाविध भागों में व्यवस्थित करने वाला कर्म संघात है । ७-८. अस्विन्नस्य की-विशेष रचना रूप संज्ञान और शरीर की विविध आकृतियों का निर्माण कर्म संस्थान । ९-१२. शरीर गत श्वेत आदि पाँच वर्ण, गुणित दो गन्ध, तिक्त आदि पाँच रस शीत आदि आठ रसों—इनके निमित्त कर्म अनुक्रम से वर्णनाम, गन्धनाम, रसनाम और स्पर्शनाम । १३. विद्वान् द्वारा जन्मान्तर गमन के समय जीवको आकाश प्रदेश की भेरी के बन्धु गमन कराने वाला कर्म आनुपूर्वीनाम । १४. प्रवृत्त और अप्रवृत्त का नियामक कर्म विद्यायोगतिनाम है, ये चौदह पिण्डप्रकृतियों का निर्माण हैं, इनके अन्तर्गत भेद भी होते हैं, इष्टीष्टिए इस प्रकार नामकरण है ।

विविध नाम कर्म प्रकृतिर्था—

१, २. जिस कर्म के उदय से स्वतन्त्रभाव से गमन करने की शक्ति प्राप्त हो वह प्रसन्नाम, और इससे उत्पन्न विश्वत्रसदशक और आवावरदशक उदय से पैसी शक्ति न हो वह स्थावरनाम । ३, ४. जिस उदय से जीवों के चर्मचक्षु गोनर यादर शरीर प्राप्ति हो वह यादर; इसके विपरीत जिससे चर्मचक्षु के आगोनर शरीर की प्राप्ति हो वह सूदम । ५, ६. जिसके उदय से प्राणी स्वयं पर्याप्ति पूर्ण करे वह पर्याप्त, इससे उत्पन्न जिसके उदय से स्वयं पर्याप्ति पूर्ण न कर सके वह अपर्याप्त । ७, ८. जिसके उदय से शरीर को भिन्न-भिन्न शरीर की प्राप्ति हो वह प्रच्येक, और जिसके उदय से अनन्त जीवों का एक ही स्थावरण शरीर हो वह साधारण । ९, १०. जिसके उदय से हर्ष, दौल आदि विषय अवश्य प्राप्त हो वह शिवा और जिसके उदय से विद्या आदि अस्विन्न अवश्य प्राप्त हो वह अस्विन्न

११, १२. जिसके उदय से नाभि के ऊपर के अवयव प्रशस्त हों वह शुभ और जिससे नाभिके नीचे के अवयव अप्रशस्त हों वह अशुभ । १३, १४. जिसके उदय से जीवका स्वर श्रोता को प्रीति उत्पन्न करे वह सुस्वर और जिससे श्रोता को अप्रीति उत्पन्न करे वह दुःस्वर । १५, १६. जिसके उदय से कोई उपकार न करने पर भी सबके मन को प्रिय लगे वह सुभग और जिसके उदय से उपकार करने पर भी सब को प्रिय न लगे वह दुर्मग । १७, १८. जिसके उदय से वचन बहुमान्य हो वह आदेय और जिसके उदय से वैसा न हो वह अनादेय । १९, २०. जिसके उदय से दुनिया में यश व कीर्ति प्राप्त हो वह यशःकीर्ति और जिसके उदय से यश व कीर्ति प्राप्त न हो वह अयशःकीर्ति कहलाता है ।

१. जिसके उदय से शरीर गुरु या लघु परिणाम को न पाकर अगुरुलघु रूप से परिणत होता है वह कर्म अगुरुलघु । २. प्रतिजिहा, चोरदन्त, रक्षौली आदि उपघातकारी अवयवों को प्राप्त कराने वाला कर्म उपघात । ३. दर्शन या घाणी से दूसरे को निध्रम कर दे ऐसी दशा प्राप्त कराने वाला कर्म परघात ।

आठ प्रत्येक प्रकृतियाँ
४. श्वास लेने, छोड़ने की शक्ति का नियामक स्वासोच्छ्वास । ५, ६. अनुष्ण शरीर में उष्ण प्रकाश का नियामक कर्म आतप और शीत प्रकाश का नियामक कर्म उद्योत । ७. शरीर में अन्न-प्रत्यङ्गों को यथोचित स्थान में व्यवस्थित करने वाला निर्माण । ८. धर्म, तर्पण प्रवर्ताने की शक्ति अर्पित करने वाला कर्म तर्पणकर है । १२ ।

गोत्र कर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त हो ऐसे कुल में जन्म दिलाने दो प्रकृतियों वाला कर्म उच्चगोत्र और शक्ति रहने पर भी प्रतिष्ठा न मिल सके ऐसे कुल में जन्मदाता कर्म नीचगोत्र कहलाता है । ११ ।

जो कर्म कुछ भी देने, लेने, एक बार या बार बार भोगने और
 सामर्थ्य में अन्तराय—विघ्न लड़ा कर देते हैं, वे ब्रह्म-
 अन्तराय कर्म की
 पाँच प्रकृतियों
 दानान्तराय, कामान्तराय, भोगान्तराय, उग्रभोगान्तराय
 और वीर्यान्तराय कर्म कहलाते हैं । १४ ।

स्थितिवन्ध का वर्णन—

आदितास्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटी-
 कोट्यः परा स्थितिः । १५ ।

सप्ततिर्मोहनीयस्य । १६ ।

नामगोत्रयोर्विंशतिः । १७ ।

त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यायुष्कस्य । १८ ।

अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य । १९ ।

नामगोत्रयोरष्टौ । २० ।

शेषाणामन्तर्मुहूर्तम् । २१ ।

पहली तीन प्रकृतियों अर्थात् ज्ञानान्तराय, दर्शनान्तराय, वेदनीय-
 तथा अन्तराय—इन चार की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटी बौटी सागरोपम
 प्रमाण है ।

मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटीकोटी सागरोपम प्रमाण है ।
 नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटी कोटी सागरोपम
 प्रमाण है ।

आयुष्क की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम प्रमाण है ।

वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति बारह मुहूर्त प्रमाण है ।

नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति आठ मुहूर्त प्रमाण है ।

बाकी के पाँच अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय, मोहनीय और आयुष्य की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है।

प्रत्येक कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति दरसाई गई है, उसके अधिकारी विद्यादृष्टि पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव होते हैं; जघन्य स्थिति के अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र और अन्तराय इन छहों की जघन्य स्थिति सूक्ष्मसंपराय नामक दसवें गुणस्थान में संभव है। मोहनीय की जघन्य स्थिति नौवें अनिवृत्तिवादरसंपराय नामक गुणस्थान में संभव है। और आयुष्य की जघन्य स्थिति संख्यात-वर्णजीवी तिर्यच और मनुष्य में संभव है। मध्यमस्थिति के असंख्यात प्रकार होते हैं और उनके अधिकारी भी कापायिक परिणाम के तारतम्य के अनुसार असंख्यात होते हैं। १५-२१।

अनुभावबन्ध का वर्णन—

विपाकोऽनुभावः । २२ ।

स यथानाम । २३ ।

ततश्च निर्जरा । २४ ।

विपाक अर्थात् विविध प्रकार के फल देने की शक्ति ही अनुभाव कहलाती है।

अनुभाव भिन्न भिन्न कर्म की प्रकृति अथवा स्वभाव के अनुसार वेदन किया जाता है।

उससे अर्थात् वेदन से निर्जरा होती है।

बन्धनकाल में उसके कारणभूत कापायिक अध्यवसाय के तीव्र-मन्द भाव के अनुसार प्रत्येक कर्म में तीव्र-मन्द फल देने की शक्ति उत्पन्न होती है यह फल देने का सामर्थ्य ही अनुभाव है और उसका निर्माण ही अनुभावबन्ध है।

अनुभाव और उसके बन्ध का पृथक्करण

अनुभाव अथवा आने पर ही फल देता है; परन्तु इस ली से
 इतना जान लेना चाहिए कि प्रत्येक अनुभाव-फलप्रद शक्ति स्वयं विषय
 अनुभाव के फल देने का प्रकार फल में निष्ठ हो, उर्धी कर्म के स्वभाव अर्थात् प्रकृति
 के अनुसार ही फल देती है, दूसरे कर्म के स्वभाव-
 अनुसार नहीं। उदाहरणार्थ, ज्ञानावरण कर्म का अनुभाव
 उस कर्म के स्वभावानुसार ही तीव्र या मन्द फल उत्पन्न करता है अर्थात् वा
 ज्ञान को आवृत्त करने का ही काम करता है; लेकिन दर्शनावरण, वेदवृत्ति
 आदि अन्य कर्म के स्वभावानुसार फल नहीं देता; साक्षात् पर है कि पर
 तो दर्शनशक्ति को आवृत्त करता है और न मुक्त दुःख के अनुभव आदि
 फल को ही उत्पन्न करता है। इसी तरह दर्शनावरण का अनुभाव दर्शन
 शक्ति को तीव्र या मन्द रूप से आवृत्त करता है, लेकिन ज्ञान के आवृत्त-
 दन आदि अन्य कर्मों के फलों को नहीं करता।

कर्म के स्वभावानुसार विषय के अनुभावबन्ध का निम्न भी
 न्यूनप्रकृतियों में ही लागू होता है, उत्तर प्रकृतियों में नहीं। कारण यह
 है कि किसी भी कर्म की एक उत्तरप्रकृति बाद में अपव्ययता के फल से
 उसी कर्म की दूसरी उत्तरप्रकृति के रूप में बदल सकती है, जिसमें दर्शन
 का अनुभाव परिवर्तित उत्तरप्रकृति के स्वभावानुसार तीव्र या मन्द फल
 प्रदान करता है। जैसे—मतिज्ञानावरण जब धृतज्ञानावरण आदि सकारण
 उत्तरप्रकृति के रूप में संक्रमण करता है, तब मतिज्ञानावरण का अनुभाव
 भी धृतज्ञानावरण आदि के स्वभावानुसार ही धृतज्ञान या भाषा आदि ज्ञान
 को आवृत्त करने का काम करता है। लेकिन, उत्तरप्रकृतियों में विषय
 ही ऐसी हैं, जो सजातीय होने पर भी परस्पर संक्रमण नहीं करतीं।
 जैसे—दर्शनमोह और चारित्र्यमोह इनमें से दर्शनमोह, चारित्र्यमोह के रूप
 में अपवा चारित्र्यमोह दर्शनमोह के रूप में संक्रमण नहीं करता।

तरह नारकआयुष्क तिर्यनआयुष्क के रूप में अथवा किसी अन्य आयुष्क के रूप में भी संक्रमण नहीं करता ।

प्रकृतिसंक्रम की तरह ही बन्धकालीन रस और स्थिति में भी बाद में अध्ववसाय के कारण से परिवर्तन हो सकता है; तीव्ररस मन्द और मन्दरस तीव्र बन सकता है । इसी प्रकार स्थिति भी उत्कृष्ट से जघन्य और जघन्य से उत्कृष्ट बन सकती है ।

अनुभाव के अनुसार कर्म का तीव्र या मन्द फल का वेदन हो जाने पर वह कर्म आत्मप्रदेशों से अलग पड़ जाता है, अर्थात् फिर संलग्न नहीं रहता । यही कर्मनिवृत्ति-निर्जरा कहलाती है । फलोदय के बाद मुक्त कर्म की दशा है । कर्म की निर्जरा जैसे उसके फल वेदन से होती है, वैसे बहुधा तप से भी होती है । तप के बल से अनुभावानुसार फलोदय के पहले ही कर्म आत्मप्रदेशों से अलग पड़ सकते हैं । यह बात सूत्र में 'च' शब्द रखकर सूचित की गई है । २२-२४ ।

प्रदेशबन्ध का वर्णन-

✓ नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाढ-
स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः । २५ ।

कर्म (प्रकृति) के कारणभूत सूक्ष्म, एकक्षेत्र को अवगाहन करके रहे हुए तथा अनन्तानन्त प्रदेश वाले पुद्गल योगविशेष से सभी ओर से सभी आत्मप्रदेशों में बन्ध को प्राप्त होते हैं ।

प्रदेशबन्ध यह एक प्रकार का संपन्ध है, और उस संपन्ध के कर्मबन्ध और आत्मा ये दो आधार हैं । अतः इनके बारे में जो आठ प्रश्न पैदा होते हैं, उन्हीं का उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है । वे प्रश्न इस प्रकार हैं—

१. जब कर्मस्कन्धों का बन्ध होता है, तब उनमें से कौन सा है ? अर्थात् उनमें निर्माण क्या होता है ? २. इन स्कन्धों का नीचे या तिरछे किन आत्मप्रदेशों द्वारा ग्रहण होता है ? ३. सर्व का कर्मबन्ध समान होता है, या असमान ? यदि असमान होता है, तो यह किस कारण से ? ४. वे कर्मस्कन्ध स्थूल होते हैं या सूक्ष्म ? ५. प्रदेशपाले क्षेत्र में रहे हुए कर्मस्कन्धों का ही जीवप्रदेश के साथ होता है या उससे भिन्न क्षेत्र में रहे हुए का भी ? ६. वे बन्ध के गतिशील होते हैं या स्थितिशील ? ७. उन कर्मस्कन्धों का संसृष्टि के प्रदेशों में बन्ध होता है या कुछ एक आत्मप्रदेशों में ? ८. वे कर्म संसृष्टात, असंसृष्टात, अनन्त या अनन्तातन्त में से कितने प्रदेश होते हैं ?

इन आठों प्रश्नों के कम से कम में दिये हुए उत्तर निम्न प्रकार

१. आत्मप्रदेशों के साथ बँधने वाले पुद्गलस्कन्धों में कौन अर्थात् ज्ञानावस्था आदि प्रकृतियों बनती हैं; सारांश यह कि वे ही हैं जो उन प्रकृतियों का निर्माण होता है। इसीलिए उन स्कन्धों को प्रकृतियों का कारण कहा है। २. ऊँचे, नीचे और तिरछे इन तीनों दिशाओं में रहे हुए आत्मप्रदेशों के द्वारा कर्मस्कन्धों का ग्रहण होता है किन्ती एक ही दिशा में रहे हुए आत्मप्रदेशों के द्वारा नहीं। ३. जीवों के कर्मबन्ध के असमान होने का कारण यह है कि सभी के भिन्न, याचिक और कायिक योग—व्यापार समान नहीं होते, कारण है कि योग के तरतमभाव के अनुसार प्रदेशबन्ध में भी तरत आ जाता है। ४. कर्मयोग्य पुद्गलस्कन्ध स्थूल—बादर नहीं होते, सूक्ष्म ही होते हैं, वे ही सूक्ष्मस्कन्धों का ही कर्मवर्गता में से ग्रहण होते हैं। ५. जीवप्रदेश के क्षेत्र में ही रहे हुए कर्मस्कन्धों का बन्ध ही

उसके बाहर के क्षेत्र में रहे हुये का नहीं। ६. सिर्फ स्थिर होने से ही बन्ध होता है, क्योंकि गतिशील स्कन्ध अस्थिर होने से बन्ध को प्राप्त नहीं होते। ७. प्रत्येक कर्म के अनन्त स्कन्धों का सभी आत्मप्रदेशों में बन्ध होता है। ८. बंधने वाले प्रत्येक कर्मयोग स्कन्ध अनन्तानन्त परमाणुओं के ही बने होते हैं; कोई भी संख्यात, असंख्यात या अनन्त परमाणुओं का बना हुआ नहीं होता। २५।

पुण्य और पाप प्रकृतियों का विभाग—

सद्वेद्यसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेदशुभायुर्नामगोत्राणि
पुण्यम् । २६ ।

सातावेदनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, हास्य, रति, पुरुष, वेद, शुभ-
आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र—इतनी प्रकृतियाँ पुण्य रूप हैं; बाकी
की सभी प्रकृतियाँ पाप रूप हैं।

जिन जिन कर्मों का बन्ध होता है, उन सभी का विपाक केवल
शुभ या अशुभ ही नहीं होता, बल्कि अव्यवसाय रूप कारण की शुभाशुभता
के निमित्त से ये शुभाशुभ दोनों प्रकार के निर्मित होते हैं। शुभ अव्य-
वसाय के निर्मित विपाक शुभ—इष्ट होता है और अशुभ अव्यवसाय की
निर्मित विपाक अशुभ—अनिष्ट होता है। जिस परिणाम में संश्लेश
जितना ही कम होगा, वह परिणाम उतना ही अधिक शुभ और जिस
परिणाम में संश्लेश जितना अधिक होगा, वह परिणाम उतना ही अशुभ
होगा। कोई भी एक परिणाम ऐसा नहीं, जिसको सिर्फ शुभ या अशुभ
कहा जा सके। हर एक परिणाम शुभ, अशुभ अथवा उभय रूप होने पर
भी उसमें जो शुभत्व अशुभत्व का व्यवहार किया जाता है, वह गौण-
मुख्यभाव की अपेक्षा से समझना चाहिए, इसीलिए जिस शुभ परिणाम से

पुण्य प्रकृतियों में शुभ अनुभाग संप्रदा है, उसी परिणाम में वायु प्रकृतियों में अशुभ अनुभाग भी संप्रदा है; इसके विरसीत विना परिणाम में अशुभ अनुभाग संप्रदा है, उसी परिणाम से पुण्य प्रकृतियों में शुभ अनुभाग भी संप्रदा है। अन्तर इतना ही है, जैसे प्रकृत्य शुभ परिणाम में होने का शुभ अनुभाग प्रकृत्य होता है और अशुभ अनुभाग निरकृत्य होता है, जैसे ही प्रकृत्य अशुभ परिणाम से संप्रदाने वाला अशुभ अनुभाग प्रकृत्य होता है और शुभ अनुभाग निरकृत्य होता है।

सातावेदनाय, मनुष्यायुष्क, देवायुष्क, तिर्यच-आयुष्क, मनुष्य गी, देवगति, पंचेन्द्रियजाति; औदारिक, भैक्ष्य, आहारक, वैश्य, काम्य—ये पाँच शरीर; औदारिक-अंगोपांग, वैश्विद-भंगोपांग, पुण्य रूप से प्रसिद्ध आहारक-अंगोपांग, समचतुरस्र संस्थान, पञ्चभंगोपांग ४२ प्रकृतियों संदहन, प्रशस्त यज्ञ, मन्थ, रस, रस्यं; मनुष्यायुष्क, देवानुपूर्वी, अगुरुलघु, परापात, उष्णस, आतन, उद्गोत्, प्रशस्त रिता-योगति, प्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, शुभग, सुखर, आदर, यशःकीर्ति, निर्माणनाम, सायंकरनाम और उच्योत्र ।

१. विवेचन में गिनार्ह गई ४२ पुण्य प्रकृतियों कर्मप्रकृति, नव तार आदि अनेक रूपों में प्रसिद्ध हैं। द्वितीयक रूपों में भी वे ही प्रकृतियों पुण्य रूप से प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत सूत्र में पुण्यरूप निर्देश की गई सम्पत्ति, हास्य, रति और पुण्यवेद से चार प्रकृतियों दृष्टे किमी प्रण में पुण्यरूप से वर्णन नहीं की गई।

उन चार प्रकृतियों को पुण्यरूप मानने वाला मन्थिगोय बहुत ही हीन है, ऐसा मानना सही है; क्योंकि प्रस्तुत सूत्र में उक्तम्प इनके उल्लेख के उरयंत भाष्यवृत्तिहार ने भी मतभेद को दरगाने वाली कारिकाएँ की हैं और लिखा है कि इस मतभेद का रहस्य संप्रदाय का विच्छेद होने से ही मान्य नहीं पड़ता; हाँ, चौदह पूर्वोपायी जानने हीने।

पाँच ज्ञानावरण, नव दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह
 कषाय, नव नोकषाय, नारकायुष्क, नरकगति, तिर्यचगति, एकेन्द्रिय,
 श्रोत्रिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पहले संहनन को छोड़ कर बाकी के पाँच
 संहनन—अर्धवज्रपंभनाराच, नाराच, अर्धनाराच,
 पाप रूप से प्रसिद्ध
 ८२ प्रकृतियों
 कीलिका और सेवार्त; पहले संस्थान को छोड़ कर
 बाकी के पाँच संस्थान—न्यग्रोधपरिगण्डल, सादि,
 दुग्ध, वामन और हुंड; अप्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श; नारकानुपूर्वी,
 तिर्यचानुपूर्वी, उपघातनाम, अप्रशस्त विहायोगति, स्यावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त,
 साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्मग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति, नीचगोत्र
 और पाँच अन्तराय । २६ ।

नववाँ अध्याय

आठवें अध्याय में बन्ध का वर्णन किया गया है, अब इस अध्याय में संवर का निरूपण किया जाएगा।

संवर का स्वरूप-

आस्रवनिरोधः संवरः । १ ।

आस्रव का निरोध ही संवर है।

जिस निमित्त से कर्म रोधते हैं, वह आस्रव है। आस्रव को रोकना ही संवर कहलाता है। आस्रव के ४२ भेद पहले गिनए जा चुके हैं; उनका जितने-जितने अंशमें निरोध होगा, उतने-उतने अंश में कर्म करलायगा। आप्यायिक विघ्नसका क्रम ही आस्रवनिरोध के विघ्न के आश्रित है; अतः ज्यों ज्यों आस्रवनिरोध बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों गुणरक्षण की भी वृद्धि होगी।

संवर के उपाय

स गुणिसमितिधर्मानुश्रेयापरीषद्भवयचारिवैः । २ ।

१. जिस गुणरक्षण में निरुत्साह, अपायि आदि धार हेतुओं के जिन जिन हेतुओं का संभव हो, और उनके कारण से जिन जिन कर्म प्रकृतियों के बन्ध संभव हो, उन हेतुओं और तन्मध्य कर्म प्रकृतियों के बन्ध का विच्छेद ही तो उक्त गुणरक्षण से उक्त के गुणरक्षण का अर्थ है; अर्थात् पूर्व-पूर्ववर्ती गुणरक्षण के आयव या तन्मध्यवन्ध का अन्वय ही उत्तर-उत्तरवर्ती गुणरक्षण का संवर है। इसके लिए देवी देवी कर्मवन्ध के बन्धप्रकरण और चौथा कर्मवन्ध (भाग ५१-५८) तथा प्रकृतियों के अर्थोपेक्षित हैं।

तपसा निर्जरा च । ३ ।

वह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीवृद्ध्य और चारित्र्य से होता है ।

तप से संवर और निर्जरा होती है ।

सामान्यतः संवर का स्वरूप एक ही है, फिर भी प्रकारान्त से उसके अनेक भेद बतलाये गए हैं । संक्षेपतः इसके ७ उपाय और विस्तार से ६९ गिनाये गए हैं । भेदों की यह गणना धार्मिक आचार्यों के विधानों पर अवलंबित है ।

जैसे तप संवर का उपाय है, वैसे ही निर्जरा का भी प्रमुख कारण है । सामान्यतया तप अभ्युदय—लौकिक सुख की प्राप्ति का साधन माना जाता है, फिर भी यह जानने योग्य है कि वह निःश्रेयस—आध्यात्मिक सुख का भी साधन होता है; क्योंकि तप एक होने पर भी उसके पीछे रही हुई भावनाके भेद के कारण वह सकाम और निष्काम इस तरह दो प्रकार का हो जाता है । सकाम अभ्युदय का साधक होता है और निष्काम निःश्रेयस का । २, ३ ।

गुप्ति का स्वरूप—

✓सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः । ४ ।

योगों का भली प्रकार निग्रह करना गुप्ति है ।

कायिक, वाचिक और मानसिक क्रिया तथा योग का सभी तरह निग्रह गुप्ति नहीं है; किन्तु प्रशस्त निग्रह ही गुप्ति होकर संवर का उपाय बनता है । प्रशस्त निग्रह का अर्थ है शोचसमह कर तथा भद्रापूर्वक स्वीकार किया गया अर्थात् बुद्धि और भद्रापूर्वक मन, वचन, और काय को उन्मार्ग से रोकना और सन्मार्ग में लगाना । योग के

संश्लेष में तीन भेद होने से निम्न रूप गुणित के भी तीन भेद होंगे जो निम्न प्रकार हैं—

१. क्रिया भी चीज के होने पर करने में उत्पन्न होने, जा-चलने आदि में कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेक हो, ऐसे साधारण अर्थों का नियमन करना ही पायगुणित है। २. सोलने के प्रयोज्य प्रसंग पर नियमन का नियमन करना या प्रसंग पाकर मीन धारण पर ऐसा नियमन है। ३. दुष्ट संकल्प एवं अच्छे-दुरे मिथित संकल्प का उपाय करना आच्छे संकल्प का नियमन करना ही मनोगुणित है।

समिति के भेद

ईर्ष्याभाषैपणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः । ५ ।

सम्भन्- ईर्ष्या, सम्भन् भाषा, सम्भन् पणना, सम्भन् आदान, ईर्ष्या और सम्भन् उत्सर्ग ये पाँच समितियाँ हैं।

सभी समितियों का विवेकदुष्ट प्रवृत्तिरूप होने से संसार का उपाय है। ये पाँचों समितियाँ इस प्रकार हैं—

१. क्रिया भी जन्तु को प्रेत न हो इसलिए साधनात्मक चरणा ही ईर्ष्यासमिति है। २. मत्प रिताहारी, परिमित और हीन-बोलना भाषासमिति है। ३. जीवन यात्रा में अन्वयवह हो देने से साधनों को उन्नत के लिए साधनात्मक प्रवृत्ति करना उत्सर्ग है। ४. वस्तुमात्र को भ्रमोत्सर्ग देकर एव प्रमादित करने से उत्सर्ग रचना आदाननिक्षेपसमिति है। ५. जहाँ जन्तु न हो वहाँ प्रेत में हो एवं प्रमादित करने ही अनुभवोगी परगुणों का उत्सर्ग उत्सर्गसमिति है।

प्र०—गुणित और समिति में क्या भेद है ?

उ०—गुणों में अतत्किया का निषेध मुख्य है और समिति में सांक्रिया का प्रवर्तन मुख्य है। ५।

धर्म के भेद—

✓ उत्तमः क्षमासाद्वर्जवर्जशौचसत्यसंयमतपस्त्यागा-
क्रिञ्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः । ६।

क्षमा, साद्वर्ज, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आक्रिञ्चन्य और ब्रह्मचर्य ये दस प्रकार के उत्तम धर्म हैं।

क्षमा आदि गुणों को जीवन में उतारने से ही क्रोध आदि दोषों का अनावृत्ति हो सकता है, इसीलिए इन गुणों का संवर का प्रयत्न करना बतलाया है। क्षमा आदि दस धर्म जब अहिंसा, सत्य आदि मूल गुणों और स्थान, आहार आदि आदि उत्तर गुणों के प्रवर्ध से युक्त होता है तभी अनिधर्म बनता है, अन्यथा नहीं। अभिप्राय यह है कि अहिंसा आदि मूल गुणों या उसके उत्तर गुणों के प्रवर्ध से रहित यदि क्षमा आदि गुण हों, तो मले ही वे सामान्य धर्म कहलायें पर यतिधर्म की श्रेष्ठि में नहीं रहते वा सकते। वे दस धर्म निम्न प्रकार हैं—

१. क्षमा का मतलब है सहनशीलता रखना अर्थात् क्रोध को पैदा न होने देना और उत्पन्न हुये क्रोध को विवेकबल से, नम्रता से निष्फल बना डालना। क्षमा की साधना के लिए पाँच उपाय बतलाये गए हैं— जैसे अपने में क्रोध के निमित्त के होने या न होने का चिन्तन करना, अपेक्षित के दोषों का विचार करना, आलस्यभाव का विचार करना, अपने द्वारा किये धर्म के परिणाम का विचार करना और क्षमा के गुणों का चिन्तन करना।

(क) कोई क्रोध करे, तब उसके कारण को अपने में ढूँढना, यदि इसे के क्रोध का कारण अपने में दृष्टिगोचर हो तो ऐसा विचारना कि भूल

संश्लेष में तीन भेद होने से निम्न रूप गुण के भी तीन भेद होने हैं जो निम्न प्रकार हैं—

१. किसी भी चीज के लेने व रखने में अथवा ब्रेटने, उठाने, चलने आदि में कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेक हो, ऐसे शारीरिक कृत्यों का नियमन करना ही कायगुण है। २. बोलने के प्रत्येक प्रसंग पर वाच्य वचन का नियमन करना या प्रसंग पाकर मौन धारण कर लेना वचनगुण है। ३. दुष्ट संकल्प एवं अच्छे-बुरे मिश्रित संकल्प का त्याग करना ही अच्छे संकल्प का सेवन करना ही मनोगुण है।

समिति के भेद

ईर्याभाष्यपादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः । ५ ।

सम्बन्ध- ईर्या, सम्बन्ध भाषा, सम्बन्ध पणना, सम्बन्ध आदान, निक्षेप और सम्बन्ध उत्सर्ग ये पाँच समितियाँ हैं।

सभी समितियाँ विवेकयुक्त प्रवृत्तिरूप होने से संवर का उपाय प्रदान करती हैं। वे पाँचों समितियाँ इस प्रकार हैं—

१. किसी भी जन्तु को श्रेय न हो इसलिए सावधानी पूर्वक चलना ही ईर्यासमिति है। २. सत्य हितकारी, परिमित और संदेह रहित बोलना भाषासमिति है। ३. जीवन यात्रा में आवश्यक हो ऐसे निर्यात साधनों को जुड़ने के लिए सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना पणनासमिति है। ४. वस्तुमात्र को भलीभाँति देखकर एवं प्रमाजित करके लेना व रखना आदाननिक्षेपसमिति है। ५. जहाँ जन्तु न हों ऐसे प्रदेश में श्रेय एवं प्रमाजित करके ही अनुपयोगी वस्तुओं को छाटना उत्सर्गसमिति है।

प्र०—गुण और समिति में क्या अन्तर है ?

उ०—गुणों में असत्किया का निषेध मुख्य है और समिति में सत्किया का प्रवर्तन मुख्य है। ५।

धर्म के भेद—

✓ उत्तमः क्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागा-
किञ्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः। ६।

क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आर्किञ्चन्य और ब्रह्मचर्य ये दस प्रकार के उत्तम धर्म हैं।

क्षमा आदि गुणों को जीवन में उतारने से ही क्रोध आदि दोषों का अभाव सिद्ध हो सकता है, इसीलिए इन गुणों को संवर का प्रमुख कारण बताया है। क्षमा आदि दस धर्म जब अहिंसा, सत्य आदि मूल गुणों और स्थान, आहार शुद्धि आदि उत्तर गुणों के प्रवर्ष से युक्त होता है तब यतिधर्म बनता है, अन्यथा नहीं। अभिप्राय यह है कि अहिंसा आदि मूल गुणों या उसके उत्तर गुणों के प्रवर्ष से रहित यदि क्षमा आदि गुण हों, तो भले ही वे सामान्य धर्म कहलायें पर यतिधर्म ही क्रेडिट में नहीं रखे जा सकते। ये दस धर्म निम्न प्रकार हैं—

१. क्षमा का मतलब है सहनशीलता रखना अपने क्रोध और वैरा न होने देना और उत्पन्न हुये क्रोध को विवेकबल से, नष्ट हो जाने का बालना। क्षमा की साधना के लिए पाँच उपाय करने चाहें—
अपने में क्रोध के निमित्त के होने या न होने का विचार करना, क्रोध के दोषों का विचार करना, शालस्वभाव का विचार करना, अपने इन किये कर्म के परिणाम का विचार करना और अपने कर्मों का विचार करना।

(क) कोई क्रोध करे, तब उसके कारण दूसरे के क्रोध का कारण अपने में हो

तो मेरी ही है, इसमें दूसरे का कहना तो सच है। और कदाचिद अपने में दूसरे के क्रोध का कारण नजर न आता हो, तब ऐसा सोचना चाहिए कि यह बेचारा बेसमझी से मेरी भूल निकालता है—यही करने में क्रोध के निमित्त के होने देने या न होने का चिन्तन है।

(ख) जिसे क्रोध आता है वह वित्रममतिपुष्क होने से आवेष्ट में आकर दूसरे के साथ शत्रुता बाँधता है; फिर उसे मारता या नुकसान पहुँचाता है और ऐसा करने से अपने आदिमात्र का लोप करता है, इत्यादि अनर्थ का चिन्तन ही क्रोधवृत्ति के दोषों का चिन्तन कहलाता है।

(ग) कोई अपनी पीठ पीछे निन्दा करे तो ऐसा चिन्तन करना कि बाल-बेसमझ लोगों का यह स्वभाव ही है, इसमें बात ही क्या है? उल्टा लाभ है, जो बेचारा पीछे से गाली देता है; सामने तो नहीं आता यही खुशी की बात है। जब कोई सामने आ कर गाली देता हो, तब ऐसा सोचना कि बाल लोगों की तो यह बात ही है, जो अपने स्वभाव के अनुसार ऐसा करते हैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करते; सामने आकर गाली ही देते हैं, पर प्रहार तो नहीं करते; यह भी तो लाभ ही है। इस तरह यदि कोई प्रहार करे, तब प्राणमुक्त न करने के बदले में उपकार मानना और यदि कोई प्राणमुक्त करे, तब धर्मघ्न न कर सकने के कारण लाभ मानकर प्रदत्त दया का चिन्तन करना। इस प्रकार से ज्यों-ज्यों अधिक कठिनाइयों आँ, त्यों त्यों विशेष उदारता और विवेकवृत्ति का विकास करके उपस्थित कठिनाइयों को सरल बनाना ही बालस्वभाव का चिन्तन है।

(घ) कोई श्लेष करे तब यह सोचना कि इस प्रसंग में दूसरा तो बिल्कुल निमित्तमात्र है, वास्तव में यह प्रसंग मेरे, अपने ही पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। यही अपने किये कर्मों का चिन्तन है।

अनुपेक्षा का अर्थ गहन चिन्तन है। जो चिन्तन तार्किक और गहरा होगा उसके द्वारा रागद्वेष आदि वृत्तियों का होना रुक जाता है; इसलिए ऐसे चिन्तन का संवर के उपाय रूप में वर्णन किया है।

जिन विषयों का चिन्तन जीवनशुद्धि में विशेष उपयोगी हो सकता है, ऐसे बारह विषयों को चुनकर उनके विविध चिन्तन को ही बारह अनुपेक्षाओं के रूप में गिनाया है। अनुपेक्षा को भावना भी कहते हैं। अनुपेक्षाएँ निम्न प्रकार हैं—

किन्हीं भी प्राप्त वस्तु के वियोग होने से दुःख न दो इसलिए वैसी सभी वस्तुओं में आसक्ति का घटाना आवश्यक है। अनित्यानुपेक्षा और इसके घटाने के लिए ही शरीर और घरबार आदि वस्तुएँ एवं उनके संबंध में नित्यत्व और स्थिरत्व का चिन्तन ही अनित्यानुपेक्षा है।

एक मात्र शुद्ध धर्म को ही जीवन का शरणभूत स्वीकार करने के लिए उसके अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं से ममत्व को हटाना वरुण है। इसके हटाने के लिए ऐसा चिन्तन करना कि जैसे अशरणानुपेक्षा सिंह के पंजे में पड़े हुए हिरन को कोई भी शरण नहीं, वे ही व्याधि (मानसिक रोग) व्याधि (शरीर का रोग) और उपाधि से मन में भी सर्वदा के लिए अशरण हूँ, यही अशरणानुपेक्षा है।

संसारवृत्तियों के त्याग करने के लिए सांसारिक वस्तुओं में निर्बद्ध-दार्शनिकता ही साधना वस्तु है और इसीलिए ऐसी वस्तुओं से मन

गच्छ, जो वस्तुमात्र श्री शत्रुता प्रदान करे वह दिगाचार्य, जो ध्यान का प्रथम पाठ पढ़ाये वह श्रुतोद्देश, जो स्थिर परिचय कराने के लिए आयम कर श्रेष्ठ प्रवचन करता है वह श्रुतसमुद्देश और जो आम्राय के उत्तम और सदा का रक्षक वक्तव्यता है वह आसाधारणवाचक है।

के निमित्त अपेक्षित बल का साधना के लिए जो आत्मदमन किया जाता है वह तैप है । ८. पात्र को ज्ञानादि सद्गुणों का प्रदान करना त्याग है । ९. किसी भी वस्तु में भ्रमत्वबुद्धि न रखना आर्किचन्व है । १०. कृत्रिम को हटाने के लिए ज्ञानादि सद्गुणों का अभ्यास करना एवं गुणों की अधीनता के सेवन के लिए ब्रह्म—गुरुकुल में चर्य—यसना प्रवृत्त है । इसके परिपालन के लिए अतिशय उपकारक किरानें ही गुण हैं, जैसे—आकर्षक स्पर्श, रस, गन्ध, रूप, शब्द और शरीर संस्कार आदि में न फँसना, इसी प्रकार सातवें अध्यायके तीसरे सूत्र में चतुर्थ महाप्रत की पाँच भावनाएँ गिनार हैं, उनका विशेष रूप से अभ्यास करना । ६ ।

अनुपेक्षा के भेद—

अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुचित्वास्यसंवरनिर्वा-
लोकबोधितुलमधर्मस्याख्यातत्वानुचिन्तनमनुपेक्षाः । ७ ।

अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आत्म, संवर, निर्वास, लोक, बोधितुलमधर्म और धर्म का स्वाख्यातन—इनका अनुचिन्तन ही अनुपेक्षाएँ हैं ।

१. इसका वर्णन इसी अध्याय के सूत्र १९, २० में है । इसके उपरान्त अनेक तपस्वियों द्वारा अलग अलग रीतियों से आचरण किये जानेवाले एक जैन परंपरा में प्रसिद्ध हैं । जैसे—यकमध्य और वज्रमध्य ये दो; चान्द्रावली, कनकावली, रत्नावली और मुक्तावली ये तीन; क्षुद्रक और महा इस प्रकार दो सिद्धिबिर्कीड़ित; सप्तसप्तमिका, अष्टअष्टमिका, नवनवमिका, दशदशमिका ये चार प्रतिमाएँ; क्षुद्र और महा ये दो चर्यतोमद्र; भद्रोत्तर आचान्त; वर्षमान; एवं चारह भिन्नुप्रतिमाएँ—इत्यादि । इनके विशेष वर्णन के लिए देखें आत्मानन्दसभा का भीतयोरत्नमहोदाधि ।

२. गुरु—आचार्य धैर्य प्रकार के यत्नलाएँ हैं. प्रमादक, दिग्वादि, भुविदेहा, भुतसमुदेहा, शास्त्रपार्श्ववाचक । जो प्रमाद देगा है वह

इसका पोषण हुआ है, अशुचि का स्थान है और अशुचि परंपरा का कारणभूत है, यही अशुचित्वानुप्रेक्षा है।

इन्द्रियों के भोगों की आसक्ति घटाने के लिए प्रत्येक इन्द्रिय के भोग संबन्धी राग में से उत्पन्न होनेवाले अनिष्ट परिणामों का चिन्तन करना आसवानुप्रेक्षा है।

५. आसवानुप्रेक्षा
दुर्बुद्धि के द्वारों को बंद करने के लिए सद्वृत्ति के गुणों का चिन्तन करना संवरानुप्रेक्षा है।

कर्म के बन्धनों को नष्ट करने की वृत्ति को दृढ़ करने के लिए उसके विविध विपाकों का चिन्तन करना कि दुःख के प्रसंग दो तरह के होते हैं, एक तो इच्छा और सञ्चान प्रयत्न के बिना प्राप्त हुआ; जैसे—पशु, पक्षी और बहरे, गूंगे आदि के दुःखप्रधान जन्म तथा वारिसे में मिली हुई गरीबी; दूसरा प्रसंग है सदुद्देश से सञ्चान प्रयत्नपूर्वक प्राप्त किया हुआ, जैसे—तप और त्याग के कारण प्राप्त किया हुआ, जैसे—तप और त्याग के कारण से प्राप्त हुई गरीबी और शारीरिक कुशला आदि। पहले में वृत्ति का समाधान न होने से वह अशुचि का कारण होकर अकुशल परिणामदायक बनता है; और दूसरा तो सद्वृत्तिजनित होने से उसका परिणाम कुशल ही होता है। अतः अज्ञानक प्राप्त हुए कटुक विपाकों में समाधान वृत्ति को साधना तथा जहाँ शक्य हो वहाँ तप और त्याग द्वारा कुशल परिणाम की प्राप्ति हो इस प्रकार संचित कर्मों को भोग लेना यही भयस्कर है, ऐसा चिन्तन निर्व्रतानुप्रेक्षा है।

६. लोकानुप्रेक्षा
तरबञ्चान की विशुद्धि के निमित्त विश्व के वास्तविक स्वरूप का चिन्तन करना लोकानुप्रेक्षा है।

दृष्टाने के लिए इस प्रकार चिन्तन करना कि ए.
 ३. संसारानुप्रेक्षा अनादि जन्म-मरण चक्र में न तो कोई स्वजन है और
 न परजन; क्योंकि प्रत्येक के साथ हरतरह के संबन्ध जन्म जन्मान्तों में ही
 जुके हैं। इसी तरह राग, द्वेष और मोह से संतप्त प्राणी विपश्यता के
 कारण एक दूसरे को दृष्ट्य जाने की नीति से अनाद्य दुःखों का अनुभव
 करते हैं। यह संसार हर्ष-विषाद, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों का उपरान्त है
 और सच्चमुच ही कष्टमय है इस प्रकार का चिन्तन ही संसारानुप्रेक्षा है।

मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त रागद्वेष के प्रसंगों में निर्वेष्टता की
 साधना आवश्यक है। अतः स्वजन के प्रति होने वाले राग और परजन के

प्रति होने वाले द्वेष को दूर करने के लिए ऐसा सोचना
 ४. एकरवानुप्रेक्षा कि 'मैं अकेला ही जन्मता, भरता हूँ, तथा अकेला ही
 अपने बोये हुए कर्म बीजों के सुख-दुःखादि फलों का अनुभव करता हूँ।
 वास्तव में कोई मेरे सुख-दुःख का कर्ता कर्ता नहीं है' यही एकरवानुप्रेक्षा है।

मनुष्य मोक्षविशेष से शरीर और अन्य वस्तुओं की प्राप्ति-वृद्धि को
 अपना प्राप्ति-वृद्धि को मानने की भूल परके असत्यो धर्म्य का भान भूत

जाता है; ऐसी स्थिति के निरासार्थ शरीर आदि अन्य
 ५. अन्यवानुप्रेक्षा वस्तुओं में अपने मन के अन्वेषण को दूर करना
 आवश्यक है। इसीलिए इन दोनों के गुण-धर्मों की भिन्नता का चिन्तन

करना कि शरीर तो स्थूल, आदि और अन्त सुख तथा तट्ट है और मैं रस
 तो सूक्ष्म, आदि और अन्त रहित एवं चेतन हूँ इस प्रकार का चिन्तन ही
 अन्यवानुप्रेक्षा है।

सूत्रा
 सबसे अधिक नृणांशरद शरीर ही है; अतः उस पर से मुक्ति पाने
 के लिए ऐसा सोचना कि शरीर स्वयं अज्ञान है,

६. अज्ञानियानुप्रेक्षा अज्ञान में से ही पैदा हुआ है अज्ञानिय वस्तुओं में

✓ दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालाभौ । १४ ।

चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कार-

✓ पुरस्काराः । १५ ।

✓ वेदनीये शेषाः । १६ ।

एकादयो भाज्या युगपदैकोनविंशतेः । १७ ।

मार्ग से च्युत न होने और कर्मों के क्षयार्थ जो सहन करने योग्य हो वे परीपद हैं ।

छुषा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशभयक, नग्नत्व, अरति, स्त्री, चर्षा, निषथा, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाम, रोग, तृणस्पर्श, मेल, सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, और अदर्शन—इनके परीपद, इस प्रकार कुल चाईस परीपद हैं ।

सूक्ष्मसंपराय और छद्मस्थयीतराग में चौदह परीपद संभव हैं ।

जिन भगवान में श्यारह संभव हैं ।

बादरसंपराय में सभी अर्थात् चाईस ही संभव है ।

ज्ञानावरण रूप निमित्त से प्रज्ञा और अज्ञान परीपद होते हैं ।

दर्शनमोह और अन्तराय कर्म से क्रमशः अदर्शन और अलाम

परीपद होते हैं ।

चारित्रमोह से नग्नत्व, अरति, स्त्री, निषथा, आक्रोश, याचना

और सत्कार-पुरस्कार परीपद होते हैं ।

भाकी के सभी वेदनीय से होते हैं ।

एक साथ एक आत्मा में एक से लेकर १९ तक परीपद विकल्प से संभव हैं ।

प्रातः दुष्ट मोक्षमार्ग में अप्रमत्तनाथ की साधना के लिए देना
 ११. बोधितुल्यम-
 त्कानुप्रेक्षा
 सोचना कि 'अनादि प्रपंच जाल में विविध दुःखों के
 प्रवाह में बहते हुए और मोह आदि धर्मों के लहंगे
 आघातों को सहन करते हुए जाँच को गुद दृष्टि और
 शुद्ध चारित्र्य प्राप्त होना दुर्लभ है' यही बोधितुल्यमत्कानुप्रेक्षा है।

धर्ममार्ग से च्युत न होने और उसके अनुष्ठान में निरंतर रहने
 के लिए ऐसा चिन्तन करना कि जिसके द्वारा संपूर्ण प्राणियों का मुक्ति
 हो सकता है, ऐसे सर्वगुणसम्पन्न धर्म का साधन
 १२. धर्मस्नात्वात्कानु-
 त्कानुप्रेक्षा
 ने उपदेश किया है यह कितना धटा मौमातव है यही
 धर्मस्नात्वात्कानुप्रेक्षा है।

परीपदों का वर्णन—

मार्गाऽन्यवननिर्जेरार्यं परिशोढ्याः परीपहाः । ८ ।

क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्या-
 निषघाशय्याक्रोशवधयाननालाभरोगतुणस्पर्शमल-
 मत्काभपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानादर्शनानि । ९ ।

सूक्ष्मसंपरायच्छन्नस्थवीतरागयोश्चतुर्दश । १० ।

एकादश जिने । ११ ।

बादरसंपराये सर्वे । १२ ।

✓ ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने । १३ ।

१. सभी श्लोकांश, दिगम्बर पुस्तकों में 'पा' तथा 'दुःख' दोनो अक्षरों के
 परन्तु यह परीपद शब्द में 'पा' के छाग्य के कारण व्याकरणविषयक भ्रमि-
 नाथ है; बल्लुता व्याकरण के अनुसार 'परिशोढ्याः' यही रूप शुद्ध है
 जैसे देखो, सिद्धराम २।३।४८। तथा पाणिनीय ८।३।११५ ।

पढ़ने पर उस समय अर्थात् कों न लाते हुए धैर्यपूर्वक उसमें रस लेना अतिरिपीपद है। ८. साधक पुरुष या स्त्री का अपनी साधना में विजातीय आकर्षण से न ललचाना स्त्रीपरीपद है। ९. स्वीकार किये हुए धर्मजीवन को पुष्ट रखने के लिए असंग होकर भिन्न-भिन्न स्थानों में बिहार और किसी भी एक स्थान में नियतवास स्वीकार न करना चर्चापरीपद है। १०. साधना के अनुकूल एकाग्रता जगह में मर्यादित समय तक आसन लगाकर बैठे हुए ऊपर यदि भय का प्रसंग आ पड़े तो उसे अकम्पितभाव से जीतना अथवा आसन से व्युत्त न होना निपद्यापरीपद है। ११. क्रोमल या फटिन, ऊँची या नीची जैसी भी सहजभाव से मिले वैसी जगह में समभाव पूर्वक शयन करना शय्यापरीपद है। १२. कोई पास आकर कठोर या अप्रिय कहे तब भी उसे सत्कारवत् समझ लेना आक्रोशपरीपद है। १३. कोई ताड़न, तर्जन करे फिर भी उसे सेवा ही मानना वधपरीपद है। १४. दानिभाव या अभिमान न रखते हुए सिर्फ धर्मयात्रा के निर्वाहार्थ याचकवृत्ति स्वीकार करना याचनापरीपद है। १५. याचना करने पर पर भी यदि अभीष्ट वस्तु न मिले तो प्राप्ति की वजाय अप्राप्ति को ही सच्चा तप मानकर उसमें संतोष रखना

श्वेतांबरशास्त्र विशेष साधकों के लिए सर्वथा नग्नत्व को स्वीकार करके भी अन्य साधकों के लिए मर्यादित वस्त्रपात्र की आज्ञा देते हैं, और वैसी आज्ञाके अनुसार अमूर्छित भावसे वस्त्रपात्र रखने वाले को भी वे साधु मानते हैं, जब कि दिगंबर शास्त्र मुनिनामधारक सभी साधकों के लिए एक सरीखा ऐकान्तिक नग्नत्व का विधान करते हैं। नग्नत्व को अचेलरूपरीपद भी कहते हैं। आधुनिक शोधक विद्वान वस्त्रनात्र धारण करने वाली श्वेतांबरिय मत की परंपरा में भगवान् पार्वनाथ की सवस्त्र परंपरा का मूल देखते हैं, और सर्वथा नग्नत्व को रखने की दिगंबर परंपरा में भगवान् महावीर की अवस्त्र परंपरा का मूल देखते हैं।

संवर के उपाय रूप में परीपहों का वर्णन करते समय सूत्रकार ने जिन पाँच प्रकारों का निरूपण किया है, वे ये हैं—परीपहों का स्वरूप, उनकी संख्या, अधिकारी भेद से उनका विभाग, उनके कारणों का निर्देश तथा एक साथ एक जीव में संभव परीपहों की संख्या। हमें इन पर विशेष विचार अनुक्रम से निम्न अनुसार है—

अज्ञोकार किए हुए धर्ममार्ग में स्थिर रहने और फलवश्यों के विनाशार्थ जो जो स्थिति समभाव पूर्वक सहन करने योग्य है, उसे परीपह कहते हैं। ८।

यद्यपि परीपह संशय में कम और विस्तार में अधिक भी स्थिति किए एवं गिनाए जा सकते हैं, तथापि लोगों को विकल्पित करने के लिए जो स्वाम्पत्तरी हैं, वे ही चाहे परीपह शास्त्र में गिनाये गए हैं, जैसे—

१-२. दुःखा और तृप्ता की चाहे कैसी भी वेदना हो, फिर भी अज्ञोकार की हुई मर्यादा के विरुद्ध आहार, जल न लेते हुए समभाव पूर्वक ऐसी वेदनाओं को सहन करना क्रमशः दुःखा और विनाशा परीपह हैं। ३-४. ठंड और गरमी से चाहे कितना ही कष्ट होता हो, तो भी उसके निवारणार्थ अकल्प्य कित्ती भी वस्तु का सेवन किये बिना ही समभावपूर्वक उन वेदनाओं को सहन कर लेना अनुक्रम से शीत और उष्ण परीपह हैं। ५. डोंस, मच्छर आदि जन्तुओं का उपद्रव होने पर स्थित न होते हुए उसे समभाव पूर्वक सहन कर लेना दंशमच्छरपरिपह है। ६. नमता को समभाव पूर्वक सहन करना नेत्रतापरीपह है। ७. अज्ञोकार किये हुए मार्ग में अनेक कठिनाइयों के कारण अकल्प का प्रसंग आ

१. इस परीपह के विषय में श्वेतांबर, दिगंबर दोनों मतधर्मों में मतभेद है; द्रवी मतभेद के कारण श्वेतांबर और दिगंबर ऐसे नाम पड़े हैं।

तरहों और चौदहवें गुणस्थानों में केवल ग्यारह ही परीपह संभव हैं, जैसे—क्षुधा, पिपासा, शक्ति, उष्ण, दंशमशक, चर्चा, शय्या, वध, रोग, नृशस्पर्श और मल । बाकी के ग्यारह घातिकर्मजन्य होने से उस कर्म का ही अभाव होने से वे उक्त गुणस्थानों में संभव नहीं ।

त्रिसमें संपराय—कपाय का चादर अर्थात् विशेष रूप में संभव हो, ऐसे चादरसंपराय नामक नौवें गुणस्थान में द्वादश ही परीपह होते हैं । इसका कारण यह है कि परीपहों के कारणभूत सभी कर्म वहाँ होते हैं । नौवें गुणस्थान में द्वादश के संभव का कथन करने से उसके पहले के छठे आदि गुणस्थानों में उतने ही परीपह संभव हैं, यह स्वतः कल्पित हो जाता है । १०-१२ ।

१. इन दो गुणस्थानों में परीपहों के बारे में दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के बीच मतभेद है । यह मतभेद सर्वज्ञ में कवल्लहार मानने और न मानने के मतभेद के कारण है । इसीलिए दिगंबर व्याख्याग्रन्थ "एकादश जिने" इस रूप में इस सूत्र को मान कर भी इसकी व्याख्या जोड़-मरोड़ कर करते हुए प्रतीत होते हैं । व्याख्या एक नहीं, बल्कि दो की गई हैं, तथा ये दोनों संप्रदायों के तीव्र मतभेद के बाद की ही हैं ऐसा स्पष्ट मालूम पड़ता है । पहली व्याख्या के अनुसार ऐसा अर्थ किया जाता है कि जिन—सर्वज्ञ में क्षुधा आदि ग्यारह परीपह (वेदनीय कर्मजन्य) हैं, लेकिन मोह न होने से वे क्षुधा आदि वेदना रूप न होने के कारण सिर्फ उपचार से द्रव्य परीपह हैं । दूसरी व्याख्या के अनुसार 'न' शब्द का अध्याहार करके ऐसा अर्थ किया जाता है कि जिनमें वेदनीय कर्म होने पर भी तदाभित क्षुधा आदि ग्यारह परीपह मोह के अभाव के कारण बाधा रूप न होने से हैं ही नहीं ।

२. दिगंबर व्याख्या ग्रन्थ इस जगह रूप न मानकर विशेषण रूप में मानते हैं, जिन गुणस्थानों का अर्थ कल्पित करते हैं

अव्यभिचारीपद है । १६. किसी भी रोग से व्याकुल न होकर समस्त पूर्वक लक्ष्य सहन करना रोगपरीपद है । १७. संसारे में का अन्वयण आदि की लक्षणा अथवा कठोरता अनुभव हो तो मृदुसप्या के लक्ष्य लक्षणा उद्भास रखना दृगस्पर्शपरीपद है । १८. चाहे जितना चाहे मल हो फिर भी उससे उद्वेग न पाना और स्नान आदि संस्कारों को न चाहना मलपरीपद है । १९. चाहे कितना भी साधारण दिने फिर भी उल्लेख न फूलना और सत्कार न मिलने पर लिख न होना सत्कारपुरस्कार परीपद है । २०. प्रज्ञा—चमत्कारिणी बुद्धि हो तो उल्लेख गर्व न करना और न होने पर खेद न करना प्रज्ञापरीपद है । २१. निश्चित ज्ञान से गर्वित न होना और उसके अभाव में आत्मसम्मान रखना शानपरीपद है; अथवा इसे अज्ञानपरीपद भी कहते हैं । २२. शब्द और अतीन्द्रिय पदार्थों का दर्शन न होने में स्वीकार किया हुआ परम निष्कल प्रतीत होने पर विशेष से भ्रमा वनाये रखना और ऐसी स्थिति में प्रसन्न रहना अदर्शनपरीपद है । १ ।

जिसमें संपराय— लोभकाम की बहुत ही कम संभावना हो उस संपन्नसंपराय नामक गुणस्थान में और उपचान्तमोह तथा क्षीणमोह नामक गुणस्थानों में चौदह ही परीपद संभव हैं, ये ये हैं—
 आधिकारी भेद में विभाग क्षुधा, विषादा, पीता, उष्ण, दंष्ट्रामोह, पक्षा, प्रस, अज्ञान, अव्यभि, शय्या, मध, रोग, दृगस्पर्श, मा, वायु, आठ संभव नहीं है । इतना धरम यह है कि ये मोहकण्ड हैं, क्लिप्त स्वरूपों और कारक गुणस्थानों में मोहोदय का अभाव है । जहाँ दृष्टव्य गुणस्थान में मोह है पर वह इतना अल्प है कि न होने जैसा ही है । इतीन्द्रिय इत गुणस्थान में भी मोहकण्ड आठ परीपदों के संभव का उद्वेग न करके सिर्फ चौदह का ही संभव है ऐसा उद्देश्य किया गया है ।

तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानों में केवल ग्यारह ही परीपह संभव हैं, जैसे—क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशफ, चर्चा, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल। बाकी के ग्यारह घातिफर्मजन्य होने से उस कर्म का ही अभाव होने से वे उक्त गुणस्थानों में संभव नहीं।

त्रिसमें संपराय—कषाय का वादर अर्थात् विशेष रूप में संभव हो, ऐसे वादरसंपराय नामक नौवें गुणस्थान में द्वादस ही परीपह होते हैं। इसका कारण यह है कि परीपहों के कारणभूत सभी कर्म वही होते हैं। नौवें गुणस्थान में द्वादस के संभव का कथन करने से उसके पहले के छठे आदि गुणस्थानों में उतने ही परीपह संभव हैं, यह स्वतः फलित हो जाता है। १०-१२।

१. इन दो गुणस्थानों में परीपहों के बारे में दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के बीच मतभेद है। यह मतभेद सर्वज्ञ में कयलाहार मानने और न मानने के मतभेद के कारण है। इसीलिए दिगंबर व्याख्याग्रन्थ "एकादश जिने" इस रूप में इस सूत्र को मान कर भी इसकी व्याख्या तोड़-मरोड़ कर करते हुए प्रतीत होते हैं। व्याख्या एक नहीं, बल्कि दो की गई हैं, तथा ये दोनों संप्रदायों के तीव्र मतभेद के वाद की ही हैं ऐसा स्पष्ट मात्स्य पड़ता है। पहली व्याख्या के अनुसार ऐसा अर्थ किया जाता है कि जिन—सर्वज्ञ में क्षुधा आदि ग्यारह परीपह (वेदनीय कर्मजन्य) हैं, लेकिन मोह न होने से वे क्षुधा आदि वेदना रूप न होने के कारण सिर्फ उपचार से ब्रह्म परीपह हैं। दूसरी व्याख्या के अनुसार 'न' शब्द का अध्याहार करके ऐसा अर्थ किया जाता है कि जिनमें वेदनीय कर्म होने पर भी तदाश्रित क्षुधा आदि ग्यारह परीपह मोह के अभाव के कारण बाधा रूप न होने से हैं ही नहीं।

२. श्वेतांबर व्याख्या ग्रन्थ इस जगह वादरसंपराय शब्द को संज्ञा रूप न मानकर विशेषण रूप में मानते हैं, जिन पर वे छठे आदि चार गुणस्थानों का अर्थ कल्पित करते हैं।

परिपक्षों के कारण कुल चार कर्म माने गए हैं। इनमें से एक चरण प्रज्ञा और अज्ञान इन दो परिपक्षों का निमित्त है; अज्ञान अलाभपरिपक्ष का कारण है; मोक्ष में के दर्शन के कारणों का निर्देश अदर्शन का और चारित्र्यमोक्ष नष्टाव, अग्नि, व नियथा, आक्षेप, दान्धना, मन्कार—इन सात परिपक्षों का कारण। वेदनीय कर्म ऊपर गिनाये गए सर्वत्र में संभवित न्याय परिपक्षों का कारण है। १३-१६।

बाईस परिपक्षों में एक समय में पाँचव्य विरोधी अनेक पक्ष हैं; जैसे—धीत, उद्यम, चर्चा, शय्या और निपथा—इनमें से चारों एक साथ एक जीव और विद्युत्ते तीन एक साथ संभव ही नहीं हैं। में संभाव्य परिपक्षों धीत होगा तब उद्यम और उद्यम होगा तब ही की संख्या संभव ही नहीं। इतनी तरह चर्चा, शय्या और निपथा में से भी एक समय में एक ही हो सकता है। इतिवृत्ति उक्त पक्षों से एक समय में विन्दी भी दो को संभव और तीन को असंभव प्रमाण एक आत्मा में एक साथ अधिक से अधिक १९ परिपक्ष संभवतनाए गए हैं। १७।

चारित्र्य के भेद—

सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मनन्तराम-
यथारूपात्तानि चारित्र्यम् । १८ ।

सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मनन्तर और यथारूपात्त-यह पाँच प्रकार का चारित्र्य है।

१. चमत्कारिणी बुद्धि कितनी भी क्यों न हो, यह परिपक्षों के कारण ज्ञानावरण के अंतर्गत है, अतः प्रज्ञानोपहृत् की शान्तिव्यवस्था समझना चाहिए।

आत्मिक शुद्धिदशा में स्थिर रहने का प्रयत्न करना ही चारित्र है। परिणाम शुद्धि के तरतम नाच की अपेक्षा से चारित्र के सामायिक आदि उपर्युक्त पाँच विभाग किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं—

मममाद्य में स्थित रहने के लिए संपूर्ण अशुद्ध प्रवृत्तियों का त्याग करना सामायिकचारित्र है। छेदोपस्थान आदि चाकी के चार चारित्र सामायिक रूप तो हैं ही इतने पर भी कितनी ही

१. सामायिक चारित्र

आचार और गुण की विशेषताओं के कारण इन

चारों का सामायिक से भिन्न रूप में वर्णन किया गया है। इत्वरिक—कुछ समय के लिए अथवा यावत्कालिक—संपूर्ण जीवन के लिए जो पहले पहल मुनि दीक्षा ली जाती है—वह सामायिक है।

प्रथम दीक्षा लेने के बाद विशिष्ट धृत का अभ्यास कर चुकने पर विशेष शुद्धि के निमित्त जो जीवनपर्यंत पुनः दीक्षा ली जाती है, एवं

२. छेदोपस्थापन चारित्र

प्रथम ली हुई दीक्षा में दोषापात्ति आने से उसका छेद करके फिर नये सिरे से जो दीक्षा का आरोपण किया जाता है वह छेदोपस्थापन चारित्र है। जिसमें से

पहला निगतिचार और दूसरा सातिचार छेदोपस्थापन कहलाता है।

३. परिहारविशुद्धि चारित्र

जिसमें खास विशिष्ट प्रकार के तपःप्रधान आचार का पालन किया जाता है वह परिहारविशुद्धि चारित्र है।

४. सूक्ष्मसंप्रसाय चारित्र

जिसमें क्रोध आदि कषायों का तो उदय नहीं होता, सिर्फ लोभ का अंश अतिसूक्ष्म रूप में रहता है, वह सूक्ष्मसंप्रसाय चारित्र है।

१. न्यायध्यान चारित्र्य जिसमें किसी भी कर्तव्य का उदर विद्युत् नहीं रहता वह वैशाख्यात अर्थात् वैशाख चारित्र्य है।

तब का वर्णन-

अनशनमधमौर्दयवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविरिक्त-
शय्यासनकायकेशा चाह्यं तपः । १९ ।

प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गाध्यानान्धु-
त्तरम् । २० ।

अनशन, अधमौर्दय, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विरिक्त शय्या-
सन और कायकेश भद्र बाह्य तप हैं ।

प्रायश्चित्त, विनय, वैशाख्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान पर
आभ्यन्तर तप हैं ।

बाह्यताओं की क्षीण करने तथा मनुष्यित आभ्यासिक तप की
साधना के लिए शरीर, इन्द्रिय और मन को त्रिद विन तपों में लक्ष्य
जाता है वे सभी तप हैं। तप के बाह्य और आभ्यन्तर होने से
भेद है। जिसमें शारीरिक क्रिया की प्रधानता होती है, तथा जो तप
द्रव्यों की अपेक्षा युक्त होने से दुर्गों की दौल सके वह बाह्य तप है।
इसके विरहित जिसमें मानसिक क्रिया की प्रधानता हो तथा जो दुर्ग-
रूप से बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा न रहने के कारण दुर्गों की न भी दौल
सके वह आभ्यन्तर तप है। बाह्य तप शूद्र और योगी उमा जात होने
पर भी उग्रका मंदरच आभ्यन्तर तप की पुष्टि में उल्लेखी होने से ही
से ही माना गया है। इत बाह्य और आभ्यन्तर तप के परिष्कार में
समय स्थूल और सूक्ष्म धार्मिक नियमों का समावेश हो जाता है।

१. इसके अन्तर्गत और न्यायध्यान ये नाम भी मिलते हैं।

१. मर्यादित समय तक या जीवन के अन्त तक सभी प्रकार के आहार का त्याग करना—अनशन है । १०. इनमें पहला इत्वरिक और दूसरा यावत्कथिक समझना चाहिए । २. अपनी बितनी भूख तब तक हो उससे कम आहार करना—अवमौदर्य—ऊनोदरी है । ३. विविध वस्तुओं के लालच को कम करना—वृत्तिसंक्षेप है । ४. घी, शर्षप आदि तथा मद्य, मधु, मक्खन आदि विकारकारक रस का त्याग करना—रसपरित्याग है । ५. बाधरहित एकान्त स्थान में रहना—विविक्त-श्रम्यासनसंलीनता है । ६. टंड, गरमी या विविध आसनादि द्वारा शरीर को कष्ट देना कायहेतु है ।

१. धारण किये हुए व्रत में प्रमादजनित दोषों का जिससे शोधन किया जा सके वह प्रायश्चित्त है । २. ज्ञान आदि सद्गुणों में बहुमान रखना विनय है । ३. योग्य साधनों को जुटा कर आभ्यन्तर तप अथवा अपने आपको काम में लगाकर सेवाशुभ्र्या करना वैयावृत्य है । विनय और वैयावृत्य में इतना ही अन्तर है कि विनय तो मानसिक धर्म है और वैयावृत्य शारीरिक धर्म है । ४. ज्ञान प्राप्ति के लिए विविध प्रकार का अभ्यास करना स्वाध्याय है । ५. अज्ञता और समता का त्याग करना व्युत्सर्ग है । ६. चित्त के विकल्पों का त्याग करना ध्यान है । १९, २० ।

प्रायश्चित्त आदि तपों के भेदों की संख्या—

नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदं यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् । २१ ।

ध्यान से पहले के आभ्यन्तर तपों के अनुक्रम से नव, पार, दश, गौच और दो भेद हैं ।

ध्यान का विचार विस्तृत होने से उसे अन्त में रखकर उसके पहले के प्रायश्चित्त आदि पाँच आभ्यन्तर तपों के भेदों की संख्या ही गौच अर्थात् दश है । २१ ।

प्रायश्चित्त के भेद—

आलोचनाप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्छेदपरि-
हारोपस्थापनानि । २२ ।

आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परि-
हार उपस्थापन यह नव प्रकार का प्रायश्चित्त है ।

दोष—भूल के शोधन करने के अनेक प्रकार हैं, में सभी दोष हैं । उनके यहाँ संश्लेष में नव भेद इस प्रकार हैं—१. गुण के लक्ष्य श्रद्धाभाव से अपनी भूल प्रकट करना आलोचन है । २. हीं पुत्र भूल का अनुताप करने उससे निवृत्त होना और नई भूल न होएँ इसके लिए सावधान रहना प्रतिक्रमण है । ३. उक्त आलोचन और शोधन दोनों साथ करना तदुभय अर्थात् मिथ है । ४. ग्यानज्ञान भरी वस्तु यदि अक्षरपनीव आ जावे और पीछे से मानूस पड़े तो उसका स्मरण करना विवेक है । ५. एकाग्रतापूर्वक शरीर और मन के ग्यानमें ही छोड़ देना व्युत्सर्ग है । ६. अनशन आदि वाप्य तप करना तप है । ७. दोष के अनुसार दिवस, पक्ष, मास या वर्ष की प्रमाणांश देना छेद है । ८. दोषवाप्य भाषि को उसके दोष के अनुसार वध, मास आदि पर्यन्त किसी किरम का संसर्ग न रख कर दूरमें परिहार—परिहार है । ९. अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आदि महाप्रतों के भेद हो जाने में फिर शुरू से ही उन महाप्रतों का आशोषण करना—उपस्थापन है । २२।

१. परिहार और उपस्थापन इन दोनों के स्थान में मूल, अनवरतप, पाराचिक ये तीन प्रायश्चित्त होने में बहुत-से प्रयोगों में इस प्रायश्चित्त का वर्णन है । ये प्रायश्चित्त प्रायश्चित्त किन्-किन् और कैसे-कैसे दोनों में लक्ष्य होते हैं, उनका विशेष स्थापककरण व्यवहार, जैनकर्मयुक्त आदि प्रायश्चित्त प्रमाण ग्रन्थों में जानना चाहिए ।

विनय के भेद—

ज्ञानदर्शनचारित्र्योपचाराः । २३ ।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और उपचार ये विनय के चार प्रकार हैं ।

विनय वस्तुतः गुणरूप से एक ही है, फिर भी उसके ये भेद सिर्फ विषय की दृष्टि से ही किये गए हैं ।

विनय के विषय को मुख्य रूप से यहाँ चार भागों में बाँटा गया है; जैसे— १. ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्यास चालू रखना और नूतना नहीं यह ज्ञान का असली विनय है । २. तत्त्व की यथार्थप्रतीति स्वरूप सम्यग्दर्शन से चालित न होना, उसमें होने वाली शङ्काओं का संशोधन करके निःशंका भाव की साधना करना दर्शनविनय है । ३. सामायिक आदि पूर्वोंक किसी भी चारित्र्य में चित्त का समाधान रखना चारित्र्यविनय है । ४. जो कोई सद्गुणों में अपने से श्रेष्ठ हो उसके प्रति अनेक प्रकार से योग्य व्यवहार करना, जैसे— उसके सामने जाना, उसके आने पर उठ कर खड़ा हो जाना, आसन देना, बन्दन करना इत्यादि उपचारविनय है । २३ ।

वैयावृत्य के भेद—

✓ आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्षकग्लानगणकुलसंघसाधुसम-
नोज्ञानाम् । २४ ।

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और समनोज्ञ इस तरह दस प्रकार का वैयावृत्य है ।

वैयावृत्य स्वरूप होने से दस प्रकार के सेव्य—सेवायोग्य पात्रों के होने के कारण उसके भी दस प्रकार किये गए हैं । वे इस प्रकार हैं—१. मुख्य रूप से जिसका कार्य व्रत और आचार प्रदर्शन कराने का हो— वर आचार्य

ज्ञान और आभ्यन्तर उपधि का त्याग ऐसा दो तरह का व्युत्सर्ग है। वास्तव में अहंत्व-ममत्व की निवृत्ति रूप त्याग एक ही है, फिर भी त्यागने की वस्तु बाह्य और आभ्यन्तर ऐसे दो प्रकार की है। इसीसे दण्डे-व्युत्सर्ग या त्याग के दो प्रकार माने गए हैं। यह इस प्रकार है—

१. धन, धान्य, मकान, क्षेत्र आदि बाह्य वस्तुओं से ममता हटा लेना बाह्योपधि व्युत्सर्ग है और
२. शरीर पर से ममता हटाना एवं कायायिक विमर्शों में तन्मयता का त्याग करना— आभ्यन्तरोपधि व्युत्सर्ग है। २६।

ध्यान का वर्णन—

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम् । २७।

आं मुहूर्तात् । २८।

उत्तम संहनन वाले का एक विषय में अन्तःकरण की वृत्ति का पानन—ध्यान है।

यद् मुहूर्तं तत्र अर्थात् अन्तर्मुहूर्तं पर्यंत रहता है।

यहाँ ध्यान से संबन्ध रखने वाली अधिकारी, स्वल्प और काल का रिमाण ये तीन बातें बतलाई गई हैं।

छः प्रकार के संहननों—शारीरिक संघटनों में वैर्णमनाशच, अर्ध-वैर्णमनाशच और नाशच ये तीन उत्तम गिने जाते हैं। जो उत्तम संहनन वाला होता है वही ध्यान का अधिकारी है; क्योंकि अधिकारी ध्यान करने में आवश्यक मानसिक बल के लिए बिलकुल

१. दिगंबर ग्रन्थों में तीन उत्तम संहनन वाले को ही ध्यान का अधिकारी माना है; लेकिन भाष्य और उसकी वृत्ति प्रथम के दो संहनन वाले को ध्यान का स्वामी मानने के पक्ष में हैं।

२. उत्तरी जानकारी के लिए देखो अ० ८, सू० १२।

शारीरिक बल चाहिए, उसका संभव उक्त तीन संहनन वाले शरीर में ही नहीं है। यह तो प्रकृत ही है कि शारीरिक बल का एक मुख्य आधार शरीर ही है, और शरीर सब शारीरिक संघटन पर निर्भर है; अतः उच्चम संहनन वाले के विषय दूसरा ध्यान का अधिकारी नहीं है। जितना ही शारीरिक संघटन कमजोर होगा, शारीरिक बल भी उतना ही कम होगा; मानसिक बल जितना कम होगा, विषय की स्मरता भी उतनी ही कम होगी। इसलिये कमजोर शारीरिक संघटन—अनुत्तम संहनन वांछ्य प्रशस्त या किमी भी विषय में जितनी एकाग्रता माध सकता है, वह इतनी कम होती है कि उसकी गमना ही ध्यान में नहीं हो सकती।

सामान्य रूप से शय में एक, धय में दूसरे, धय में तीसरे ऐसे अनेक विषयों को अग्रगण्य करके प्रवृत्त हुई ज्ञानधारा विषय विषय विषयों में से पड़ती हुई हवा के बीच स्थित शरीरधारा के स्वरूप

तरह—अस्मिन् होती है। ऐसी ज्ञानधारा—विषय के

विशेष प्रयत्न के साथ बाकी के सब विषयों से हटा कर किमी भी धय हो इष्ट विषय में स्थिर रचना अर्थात् ज्ञानधारा को अनेक विषयधाराओं के बीच से रोक कर एक विषयधारा में बना देना ही ध्यान है। ध्यान का यह स्वरूप अस्मिन्—छद्मस्थ में ही संभव है, इसलिये ऐसा ध्यान धारण करने में स्थान तक होता है।

सर्वज्ञान प्राप्त होने के बाद अर्थात् तेरहवें और चौदहवें मुहरमानी में भी ध्यान स्वीकार किया है उसी, पर उसका स्वरूप निम्न प्रमाण पर है। तेरहवें मुहरमानी के अन्त में जब मानसिक, शारीरिक और शारीरिक शरीर ध्यानधारा के निरोध का काम शुरू होता है, तब शरीर शारीरिक ध्यानधारा के बाद शरीर शारीरिक ध्यानधारा के अस्तित्व के समय में शरीर शारीरिक ध्यानधारा का तीसरा मुहरमानी माना गया है, और चौदहवें मुहरमानी को शरीर

अयोगिन की दशा में शैलेशीकरण के समय में समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति नाम का चौथा शुरुध्यान माना है। ये दोनों ध्यान उक्त दशाओं में चित्तव्यापार न होने से छद्मस्य की तरह एकाग्रचित्तानिरोध रूप तो हैं ही नहीं; अतः उक्त दशाओं में ध्यान को घटाने के लिये सूत्र में कथित प्रसिद्ध अर्थ के उपरान्त ध्यान शब्द का अर्थ विशेष विस्तृत किया गया है; और यह कि केवल काथिक स्थूल व्यापार को रोकने का प्रयत्न भी ध्यान है, और आत्मप्रदेशों की निष्प्रकम्पता भी ध्यान है।

फिर भी ध्यान के बारे में एक प्रश्न रहता है कि तेरहवें गुणस्थान के प्रारंभ से योगनिरोध का क्रम शुरू होता है, तब तक की अवस्था में अर्थात् सर्वज्ञ हो कर जीवन व्यतीत करने की स्थिति में क्या वास्तव में कोई ध्यान होता है ? और यदि होता है तो कौनसा होता है ? इसका उत्तर दो तरह से मिलता है। १. विहरमाण सर्वज्ञ की दशा में ध्यानान्तरिका कह कर उसमें अध्यानित्व ही मान करके कोई ध्यान स्वीकार नहीं किया गया है। २. सर्वज्ञ दशा में मन, वचन और शरीर के व्यापार उन्वन्धी सुदृढ़ प्रयत्न को ही ध्यान रूप में मान लिया गया है।

उपर्युक्त एक ध्यान ज्यादा से ज्यादा अन्तःकाल का परिमाण भुँहूर्त तक ही टिक सकता है, उसके बाद उसे टिकाना कठिन है; अतः उसका कालपरिमाण अन्तर्भुँहूर्त माना गया है।

कितनेक ध्यास-उच्छ्वास को त्रिलकुल रोक रखना ही ध्यान मानते हैं, तथा अन्य कुछ मात्रा से काल की गणना करने को ही ध्यान

१. 'अ, इ' आदि एक एक ह्रस्व स्वर के बोलने में जितना समय लगता है, उतने समय को एक मात्रा कहते हैं। व्यञ्जन जय स्वरहीन बोल जाता है, तब उसमें अर्धमात्रा जितना समय लगता है। मात्रा या अर्धमात्रा परिमित समय को जान लेने का अभ्यास करके कोई उसी के अनुसार अन्य क्रियाओं के समय का भी माप करने लगे कि अमुक काम में इतनी मात्राएँ हुईं। यही मात्रा से काल की गणना कहलाती है।

मानते हैं। परन्तु जैन परंपरा में इस कथन को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि उसका कहना है कि यदि संपूर्णतया श्वास-उत्सर्जन बंद किए गए तब तो अन्त में शरीर ही नहीं टिक सकता। इसलिए मन्द का अर्थ नहीं श्वास वा श्वासर तो स्थानांतरण में रहता ही है। शरीर पर प्रतिक्रिया मात्र ही स्वस्थ का मार करेगा तब तो उसका मन विज्ञानों के अनेक क्रियाओं के करने में लग जाने के कारण एकाग्रता के परितः अत्यंत दुःख ही मानना होगा। यही कारण है कि दिनचर्या, भास और उषा के अति नम्र तब ध्यान के टिकने की संकल्पान्विता भी जैन परंपरा को प्रथम ही इसका कारण उसमें यह चन्द्राया है कि अधिक लम्बे समय तक ध्यान साधने से इन्द्रियों के उपशान्त का संभव है, अतः ध्यान की अत्यंत ही व्यादा बढ़ाना कठिन है। एक दिवस, एक अतीवर्ण अंगका समय ही ध्यान किया— इस कथन का अभिप्राय इतना ही है कि उठने समय तक ध्यान का प्रवाद चरित्रा रहा क्योंकि किसी भी एक आलंकरण का प्रयोग नहीं करके, फिर उठी आलंकरण का कुछ उपान्तर में या दूसरे ही उत्तर में ध्यान किया जाता है, और पुनरपि इसी तरह आगे भी ध्यान किया जाता है। यद्यपि ध्यानप्रवाद बढ़ जाता है। यह अन्तर्मुहूर्त का आलंकरण उद्भवस्थ के ध्यान का समझना चाहिए। सर्वत्र के ध्यान का वास्तविक अर्थ अधिक भी हो सकता है; क्योंकि मन, एकाग्र और शरीर के प्रतिक्रियाएँ उद्भव प्रयत्न को अधिक समय तक भी सर्वत्र संदा कर सकता है।

जिस आलंकरण पर ध्यान चरित्रा है, यह आलंकरण सर्वत्र प्रयत्न में ही कर लवही एक देश—कोई एक पर्याय होता है; क्योंकि शरीर का ध्यान उठके किसी न किसी पर्याय द्वारा ही संभव बनता है। २७, २८।

पर मोक्षहेतु । ३० ।

आर्त, रौद्र, धर्म और शुद्ध ये ध्यान के चार प्रकार हैं ।

उनमें से अन्त के दो ध्यान मोक्ष के कारण हैं ।

उक्त चार ध्यानों में आर्त और रौद्र ये दो संसार के कारण होने से दुर्घ्यान हैं और हेय अर्थात् त्याज्य हैं । धर्म और शुद्ध ये दो मोक्ष के कारण होने से सुध्यान हैं और उपादेय अर्थात् प्रथम करने योग्य होने लगे हैं । २९, ३० ।

आर्तध्यान का निरूपण—

आर्तममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय न्मृतिमन-
न्वाहाः । ३१ ।

वेदनायाश्च । ३२ ।

विपरीतं मनोज्ञानाम् । ३३ ।

निदानं च । ३४ ।

तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयत्तानाम् । ३५ ।

अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए कठक चिन्ता करना प्रथम आर्तध्यान है ।

दुःख के आ पड़ने पर उसके दूर करने की कठक चिन्ता करना दूसरा आर्तध्यान है ।

प्रिय वस्तु के वियोग हो जाने पर उनकी प्राप्ति के लिए कठक चिन्ता करना तीसरा आर्तध्यान है ।

प्राप्त न हुई वस्तु की प्राप्ति के लिए संकल्प करना या कठक चिन्ता करना चौथा आर्तध्यान है ।

वह आर्तध्यान अविरत, देशसंयत और प्रमत्त संयत इन चतुर्गुण-स्थानों में ही संभव है ।

मानते हैं। परन्तु जैन परंपरा में इस कथन को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उसका कहना है कि यदि संपूर्णतया श्वास-उच्छ्वास बंद किया जा तब तो अन्त में शरीर ही नहीं टिक सकता। इसलिए मन्द या मन्द भी श्वास का संचार तो घ्यानावस्था में रहता ही है। इसी प्रकार जब मात्रा से काल का माप करेगा तब तो उसका मन गिनती के क्रम अनेक क्रियाओं के करने में लग जाने के कारण एकाग्रता के यत्न व्यर्थ युक्त ही मानना होगा। यही कारण है कि दिवस, मास और उससे भी समय तक ध्यान के टिकने की लौकमान्यता भी जैन परंपरा को प्राप्त है। इसका कारण उसमें यह बतलाया है कि अधिक लम्बे समय तक ध्यान साधने से इन्द्रियों के उपघात का संभव है, अतः ध्यान को अन्तर्मुहूर्त ज्यादा बढ़ाना कठिन है। एक दिवस, एक अशोरात्र अथवा समय में ध्यान किया—इस कथन का अभिप्राय इतना ही है कि उतने समय तक ध्यान का प्रवाह चलता रहा अर्थात् किसी भी एक आलंबन का एकवार ध्यान करके, फिर उसी आलंबन का कुछ रूपान्तर से या दूसरे ही आलंबन में ध्यान किया जाता है, और पुनरपि इसी तरह आगे भी ध्यान किया जा तो वह ध्यानप्रवाह बढ़ जाता है। यह अन्तर्मुहूर्त का कालपरिमाण छद्मस्थ के ध्यान का समक्षना चाहिए। सर्वज्ञ के ध्यान का कालपरिमाण अधिक भी हो सकता है; क्योंकि मन, वचन और शरीर के प्रवृत्तियों से सुदृढ़ प्रयत्न को अधिक समय तक भी सर्वज्ञ लंघ्य कर सकता है।

जिस आलंबन पर ध्यान चलता है, वह आलंबन संपूर्ण द्रव्य रूप हो कर उसको एक देश—कोई एक पर्याय होता है; क्योंकि द्रव्य का चित्त उसके किसी न किसी पर्याय द्वारा ही शक्य बनता है। २७, २८।

ध्यान के भेद—

आर्तरोद्रधर्मशुक्लानि । २९ ।

पर मोक्षहेतु । ३० ।

आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्रे ये ध्यान के चार प्रकार हैं ।

उनमें से अन्त के दो ध्यान मोक्ष के कारण हैं ।

उक्त चार ध्यानों में आर्त और रौद्र ये दो संसार के कारण होने से दुष्पान हैं और देव अर्थात् त्याज्य हैं । धर्म और शुक्रे ये दो मोक्ष के कारण होने से सुध्यान हैं और उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य माने गये हैं । २९, ३० ।

आर्तध्यान का निरूपण—

आर्तममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिमम-
न्वाहाः । ३१ ।

वेदनायाश्च । ३२ ।

विपरीतं मनोज्ञानाम् । ३३ ।

निदानं च । ३४ ।

तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् । ३५ ।

अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए सतत चिन्ता करना प्रथम आर्तध्यान है ।

दुःख के आ पड़ने पर उसके दूर करने की सतत चिन्ता करना दूसरा आर्तध्यान है ।

प्रिय वस्तु के वियोग हो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिए सतत चिन्ता करना तीसरा आर्तध्यान है ।

प्राप्त न हुई वस्तु की प्राप्ति के लिए संकल्प करना या सतत चिन्ता करना चौथा आर्तध्यान है ।

वह आर्तध्यान अविरत, देशसंयत और प्रमत्त संयत इन चार गुण-स्थानों में ही संभव है ।

यहाँ आर्तध्यान के भेद और उसके स्वामी इन दो शक्तों का निरूपण है। अर्ति का अर्थ है पीड़ा या दुःख; उसमें से जो उत्पन्न हो-वह आर्त है। दुःख की उत्पत्ति के मुख्य चार कारण हैं-अनिष्ट वस्तु का संयोग, इष्ट वस्तु का वियोग, प्रतिकूल वेदना और भोग की लालसा। इन कारणों पर से ही आर्तध्यान के चार प्रकार किये गए हैं। १. जब अनिष्ट वस्तु का संयोग हो, तब तद्भव दुःख से व्याकुल हुआ आत्मा उसे दूर करने के लिए अर्थात् वह वस्तु अपने पास से कब तक दूर हो इसी के लिए जो सतत चिन्ता किया करता है यही अनिष्टसंयोग-आर्तध्यान है। २. उक्त वस्तु किसी इष्ट वस्तु के चले जाने पर उसकी प्राप्ति के निमित्त सतत चिन्ता करना इष्टवियोग-आर्तध्यान है। ३. वैसे ही शारीरिक या मानसिक पीड़ा होने पर उसे दूर करने की व्याकुलता में चिन्ता करना रोगचिन्ता-आर्तध्यान है, और ४. भोगों की लालसा की उत्कटता के कारण अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का तीव्र संकल्प निदान-आर्तध्यान है।

प्रथम के चार गुणस्थान, देशविरत और प्रमत्तसंयत इन कुल छः गुणस्थानों में उक्त ध्यान संभव है। इनमें भी इतनी विशेषता है कि प्रमत्तसंयत गुणस्थान में निदान के अलावा तीन ही आर्तध्यान हो सकते हैं। ३१-३५।

रौद्रध्यान का निरूपण-

हिंसाऽनृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेश-
विरतयोः । ३६ ।

हिंसा, असत्य, चोरी और विषयसंरक्षण के लिए सतत चिन्ता-रौद्रध्यान है, वह अविरत और देशविरत में संभव है।

प्रस्तुत सूत्र में रौद्रध्यान के भेद और उसके स्वामियों का वर्णन है। रौद्रध्यान के चार भेद उसके कारणों पर से आर्तध्यान की तरह है।

वेमाजित किये गए हैं। जिसका चित्त क्रूर व कठोर हो वह रुद्र, और
 उसे आत्मा का ध्यान—रौद्र है। हिंसा करने, झूठ बोलने, चोरी करने
 और प्राप्त विषयों को संभाल कर रखने की वृत्ति में से क्रूरता व कठोरता पैदा
 होती है, इन्हीं के कारण से जो सतत चिन्ता हुआ करती है वह अनुक्रम
 । हिंसानुबन्धी, अनृतानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी और विषयसंरक्षणानुबन्धी
 ध्यान कहलाता है। इस ध्यान के स्वामी पहले पाँच गुणस्थान वाले होते
 । ३६ ।

धर्मध्यान का निरूपण—

आज्ञाऽप्रायविपाकसंस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तमंय-
 तस्य ॥ ३७ ॥

उपशान्तक्षीणकपाययोश्च । ३८ ।

आज्ञा, अप्राय, विपाक और संस्थान इन की विचारणा के निमित्त
 काप्र मनोवृत्ति का करना धर्मध्यान है; यह अप्रमत्त संवत् के हो
 जाता है ।

यह धर्मध्यान उपशान्तमोह और क्षीणमोह गुणस्थानों में भी
 संभव है ।

धर्मध्यान के भेद और उसके स्वामियों का यहाँ निर्देश है ।

१. वीतराग तथा सर्वज्ञ पुरुष की क्या आशा है ? और कैसे होनी
 चाहिए ? इसकी परीक्षा करके वैसी आशा का पता लगाने के लिए मनोयोग
 देना—यह आशाविचय धर्मध्यान है । २. दोषों के स्वरूप
 और उनसे छुटकारा कैसे हो इसके विचारार्थ मनोयोग देना—
 अप्रायविचय धर्मध्यान है । ३. अनुभव में आने वाले विपाकों में से
 कौन-कौन सा विपाक किस किस धर्म का आकारी है, तथा अनुरक्त कर्म

का अमुक विपाक संभव है इनके विचारार्थ मनोयोग लगाना—विचार-विचय धर्मध्यान है। ४. लोक के स्वरूप का विचार करने में मनोता देना—नेस्थानविचय धर्मध्यान है।

धर्मध्यान के स्वामियों के बारे में श्वेताम्बर और दिगम्बर मठों की परंपरा एक सी नहीं है। श्वेतांबरीय मान्यता के अनुसार उक्त दो स्त्रों में निर्दिष्ट सातवें, न्याारहवें और चारहवें गुणस्थानों में तपो स्वामी इस कथन पर से सूचित आठवें आदि चीच के तीन गुणस्थानों में अर्थात् सातवें से लेकर चारहवें तक के उक्त गुणस्थानों में धर्मध्यान संभव है। दिगम्बर परंपरा चीचे से सातवें तक के चार गुणस्थानों में ही धर्मध्यान की संभावना स्वीकार करती है। उसकी यह दलील है कि नग्नरदृष्टि की श्रेणी के आरंभ के पूर्व तक ही धर्मध्यान संभव है और श्रेणी का आरंभ आठवें गुणस्थान से होने के कारण आठवें आदि में ध्यान किसी प्रकार भी संभव नहीं। ३७, ३८।

शुद्धध्यान का निरूपण—

शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः । ३९ ।

परं केवलिनः । ४० ।

पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रातिपातिव्युपरतक्रिया-
निवृत्तीनि । ४१ ।

१. 'पूर्वविदः' यह अंश प्रस्तुत सूत्र का ही है और इतना सूत्र अलग नहीं, ऐसा भाष्य के टीकाकार बतलाते हैं। दिगम्बर परंपरा में भी इस अंश को सूत्र रूप में अलग स्थान नहीं दिया गया। अतः यहाँ भी वैसा ही रक्खा है। फिर भी भाष्य पर से स्पष्ट मान्य होना है कि 'पूर्वविदः' का अलग ही सूत्र है।

- न
 ✓ त्रयैककाययोगायोगानाम् । ४२ ।
 ✓ एकाश्रये सवितर्के पूर्वे । ४३ ।
 ✓ अविचारं द्वितीयम् । ४४ ।
 ✓ वितर्कः श्रुतम् । ४५ ।
 ✓ त्रिचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः । ४६ ।

उपशान्तमोह और धीणमोह में पहले के दो शुद्ध्यान संभव हैं ।
 पहले दोनों शुद्ध्यान पूर्वघर के होते हैं ।

बाद के दो केवली के होते हैं ।

पृथक्-वितर्क, एक-वितर्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और व्युपरत्तक्रिया-
 निवृत्ति ये चार शुद्ध्यान हैं ।

वह—शुद्ध्यान अनुक्रम से तीन योगवाले, किन्हीं एक योग वाले,
 काययोग वाले और योगरहित को होता है ।

पहले के दो, एक आश्रयवाले एवं सवितर्क होते हैं ।

इनमें से पहला सविचार है, दूसरा अविचार है ।

वितर्क अर्थात् श्रुत ।

विचार अर्थात् अर्थ, व्यञ्जन और योग की संक्रान्ति ।

प्रस्तुत वर्णन में शुद्ध्यान से संबन्ध रखने वाले स्वामी, भेद और
 स्वरूप—ये तीन बातें हैं ।

स्वामी का कथन यहाँ दो प्रकार से किया गया है; एक-

स्वामी तो गुप्तस्थान की दृष्टि से और दूसरा योग की दृष्टि से ।

१. प्रस्तुत स्थल में 'अविचार' ऐसा रूप ही अधिकतर देला जाता है,
 जो भी; यहाँ सूत्र और विवेचन में ह्रस्व 'वि' का प्रयोग करते एकतर
 रखा गई है ।

गुणस्थान की दृष्टि से शुकृध्यान के चार भेदों में से पहले के दो भेदों के स्वामी ग्यारहवें और चारहवें गुणस्थानवाले ही होते हैं जो कि पूर्वधर भी हों। 'पूर्वधर' इस विशेषण से सामान्यतया यह समझना चाहिए कि जो पूर्वधर न हो पर ग्यारह आदि अज्ञों का धारक हो उसके तो ग्यारहवें-चारहवें गुणस्थान में शुकृ न होकर धर्मध्यान ही होगा। इस सामान्य विधान का एक अपवाद भी है और यह कि पूर्वधर न हो ऐसी आत्माओं—जैसे मापतुष, महदेवी आदि के भी शुकृध्यान संभव है। शुकृध्यान के बाकी के दो भेदों के स्वामी तिरु केवली अर्थात् तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान वाले ही होते हैं।

५३ ८ योग की दृष्टि से तीन योग वाला ही चार में से पहले शुकृध्यान का स्वामी होता है। मन, वचन और काय में से किसी में एक ही योग वाला शुकृध्यान के दूसरे भेद का स्वामी होता है। इसी ध्यान के तीसरे भेद का स्वामी सिर्फ काययोग वाला और चौथे भेद का स्वामी एक मात्र अयोगी ही होता है।

शुकृध्यान के भी अन्य ध्यानों की तरह चार भेद किये गए हैं, जो कि इसके चार पाये भी कहलाते हैं। उनके चार नाम इस तरह हैं—१. पृथक्त्ववितर्क-सविचार, २. एकत्ववितर्क-निर्विचार, भेद ३. सूक्ष्मक्रियाप्रतिपार्ती, ४. ध्युपरतक्रिया निवृत्ति—समुत्थित-क्रियानिवृत्ति १।

में विचार नहीं है। इसी कारण से इन दोनों ध्यानों के नाम क्रमशः पृथक्त्ववितर्कसविचार और एकत्ववितर्क-अविचार ऐसे रखे गए हैं।

जब कोई ध्यान करने वाला पूर्वघर हो, तब पूर्वगत श्रुत के आधार पर, और जब पूर्वघर न हो तब अपने में संभवित श्रुत के आधार पर किसी भी परमाणु आदि जड़ या आत्मरूप चेतन—एसे एक द्रव्य में उत्पत्ति, स्थिति, नाश,

पृथक्त्ववितर्क-
सविचार

मूर्तत्व, अमूर्तत्व आदि अनेक पर्यायों का द्रव्यास्तिक,

पर्यायास्तिक आदि विविध नयों के द्वारा भेदप्रधान चिन्तन करता है और क्यासंभव श्रुतज्ञान के आधार पर किसी एक द्रव्य रूप अर्थ पर से दूसरे द्रव्य रूप अर्थ पर या एक द्रव्य रूप अर्थ पर से पर्याय रूप अन्य अर्थ पर अथवा एक पर्याय रूप अर्थ पर से अन्य पर्याय रूप अर्थ पर या एक पर्याय रूप अर्थ पर से अन्य द्रव्य रूप अर्थ पर चिन्तन के लिए प्रवृत्त होता है; इसी तरह अर्थ पर से शब्द पर और शब्द पर से अर्थ पर चिन्तनार्थ प्रवृत्ति करता है; तथा मन आदि किसी भी एक योग को छोड़कर अन्य योग का अवलंबन ग्रहण करता है तब यह ध्यान पृथक्त्व-वितर्कसविचार कहलाता है। कारण यह है कि इसमें वितर्क—श्रुतज्ञान का अवलंबन लेकर किसी भी एक द्रव्य में उसके पर्यायों का भेद—पृथक्त्व-विविध दृष्टियों से चिन्तन किया जाता है और श्रुतज्ञान को अवलंबित करके एक अर्थ पर, एक शब्द पर से दूसरे शब्द पर, अर्थ पर से शब्द पर, शब्द पर से अर्थ पर तथा एक योग पर से दूसरे योग पर संक्रम—संचार करना पड़ता है।

उक्त कथन के विपरीत जब कोई ध्यान करने वाला अपने में संभवित श्रुत के आधार पर किसी भी एक ही पर्यायरूप अर्थ को लेकर उस पर एकत्र—अभेदप्रधान चिन्तन करता है और मन आदि तीन.

एकत्ववितर्क-
अविचार

योगों में से किसी भी एक ही योग पर अग्रह रख कर शब्द और अर्थ के चिन्तन एवं भिन्न-भिन्न योगों में संचार का परिवर्तन नहीं करता है तब वह ध्यान एकत्व-वितर्क-अविचार कहलाता है। कारण यह कि इसमें वितर्क—धुनहान का अवलंबन होने पर भी एकत्व—अभेद का प्रधानतया चिन्तन रहता है और अर्थ, शब्द अथवा योगों का परिवर्तन नहीं होता।

उक्त दोनों में से पहले भेदप्रधान का अभ्यास दृढ़ हो जाने के बाद ही दूसरे अभेदप्रधान ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। जैसे समग्र शरीर में व्याप्त सर्पादि के जहर को मन्त्र आदि उपायों से निकट हंक ही जगद में त्याकर स्थापित किया जाता है; वैसे ही सारे जगत में भिन्न-भिन्न विषयों में अस्थिररूप से भटकते हुए मन को ध्यान के द्वारा किसी भी एक विषय पर लगाकर स्थिर किया जाता है। स्थिरता के दृढ़ हो जाने पर अंतः बहुत से ईंधन के निकाल लेने और घने हुए गोष्ठे में ईंधन के सुलगा देने से अथवा सर्भी ईंधन के दृष्टा देने से अग्नि सुप्त जाती है, वैसे ही उपर्युक्त क्रम से एक विषय पर स्थिरता प्राप्त होते ही अन्त में मन भी सर्वथा शान्त हो जाता है। अर्थात् उसकी चंचलता दृढ़कर यह निष्प्रक्षय बन जाता है, और परिणाम यह होता है कि ज्ञान के सफल आवरणों के भिलय हो जाने पर सर्वज्ञता प्रकट होती है।

जब सर्वज्ञ भगवान् योगनिरोध के क्रम में अन्ततः सूक्ष्मशरीर योग

१. यह क्रम ऐसे माना जाता है—स्वूलकाय योग के आधय से वचन और मन के स्वूल योग को सूक्ष्म बनाया जाता है, उसके बाद वचन और मन के सूक्ष्म योग को अवलंबित करके शरीर का स्वूल योग सूक्ष्म बनाया जाता है। फिर शरीर के सूक्ष्म योग को अवलंबित करके वचन और मन के सूक्ष्म योग का निरोध किया जाता है, और अन्त में सूक्ष्मशरीर योग का भी निरोध किया जाता है।

अ आश्रय लेकर दूसरे बाकी के योगों का रोक देते हैं तब वह सूक्ष्म-
 क्रियाप्रतिपाती ध्यान कहलाता है। कारण यह कि उसमें
 शास-उपश्रुस के समान सूक्ष्मक्रिया ही बाकी रह जाती है,
 और उसमें से पतन होना भी संभव नहीं है।

जब शरीर की श्वास-प्रश्वास आदि सूक्ष्म क्रियाएँ भी बन्द हो जाती
 हैं और आत्मप्रदेश सर्वथा निष्प्रकंप हो जाते हैं तब वह समुच्छिन्नक्रिया-
 निश्चि ध्यान कहलाता है। कारण यह कि इसमें
 स्थूल या सूक्ष्म किसी किरम की भी मानसिक, वाचिक,
 कायिक क्रिया ही नहीं होती और वह स्थिति बाद
 जाती भी नहीं। इस चतुर्थ ध्यान के प्रभाव से सर्व आत्मव और
 न्य का निरोध होकर शेष सर्वकर्म क्षीण हो जाने से मोक्ष प्राप्त होता
 है। तीसरे और चौथे शुरु ध्यान में किसी किरम के भी भुतजान का
 अंत्यन नहीं होता, अतः वे दोनों अनांत्यन भी कहलाते हैं। ३९-४६।

सम्यग्दृष्टियों की कर्मनिर्जा का तत्तमभाव-

सम्यग्दृष्टि श्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षप-
 कोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रमशो-
 ऽसंख्येयगुणनिर्जराः । ४७ ।

सम्यग्दृष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धिवियोजक, दर्शनमोहक्षप,
 कोपशम, उपशान्तमोह, क्षपक, क्षीणमोह और जिन ये दम अनुक्रम से
 संख्येयगुण निर्जरा वाले होते हैं।

सर्व कर्मबन्धनों का सर्वथा क्षय ही मोक्ष है, और उनका
 अंत्यनः क्षय निर्जा है। इस प्रकार दोनों के लक्ष्यों पर विचार करने
 से स्पष्ट हो जाता है कि निर्जा मोक्ष का पूर्णगामी अंत्य है। प्रस्तुत शास्त्र

होने से किसी तरह की उत्तरगुणों की विराधना करने के साथ प्रशुति करे
 हो वह प्रतिसेवना कुशील है और जो तीव्र कषाय के कभी वश न हो
 सिर्फ मन्द कषाय के कदाचित् वशीभूत हो जाय वह कषाय कुशील है
 ४. जिसमें सर्वशता न होने पर भी रागद्वेष का अत्यन्त अभाव हो और
 अन्तर्मुहूर्त जितने समय के बाद ही सर्वशता प्रकट होनेवाली हो व
 निर्मन्य है । ५. जिसमें सर्वशता प्रकट हो चुकी हो वह स्नातक है । ४८।

आठ बातों द्वारा निर्मन्यों की विशेष विचारणा—

संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेश्योपपातस्नानविकल्पतः
 साध्याः ॥ ४९ ॥

संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिङ्ग, लेश्या, उपपात और स्ना-
 न के भेद से ये निर्मन्य विचारने योग्य हैं ।

पहले जिन पांच निर्मन्यों का वर्णन किया गया है, उनका विशेष
 स्वरूप जानने के लिए यहाँ आठ बातों को लेकर हर एक का पांच निर्मन्य
 के साथ कितना-कितना संबंध है, यही विचार किया गया है; जैसे—

सामायिक आदि पांच संयमों में से सामायिक और छेदोपस्था
 पनीय—इन दो संयमों में पुलाक, बकुश और प्रतिसेवनाकुशील ये ती-

निर्मन्य होते हैं; कषायकुशील उक्त दो और परिहार विहित

२. संयम तथा सूक्ष्म संपराय—इन चार संयमों में वर्तमान होता है

निर्मन्य और स्नातक ये दोनों एक मात्र यथाख्यात संयमवाले होते हैं ।

पुलाक, बकुश, और प्रतिसेवनाकुशील इन तीनों का उत्कृष्ट भुगपूर्व

दशपूर्व और कषायकुशील एवं निर्मन्य का उत्कृष्ट भुग चंद्रपूर्व

२. श्रुत पूर्व होता है; जपन्य श्रुत पुलाक का आचार बस्तु और बकुश

१. इस नाम का एक नौवें पूर्व में तीमरा प्रकरण है, यही यहाँ

लेना चाहिए ।

कुशील एवं निर्ग्रन्थ का अष्ट प्रवचन माता (पाँच समिति और तीन गुप्ति) प्रमाण होता है; स्नातक सर्वज्ञ होने से श्रुत रहित ही होता है।

पुलाक पाँच मदाप्रत और रात्रिमोजनधिरमण इन छहों में से किसी भी प्रत का दूसरे के दबाव या बलात्कार के कारण खंडन करने वाला होता है। कितने ही आचार्य पुलाक को चतुर्थ प्रत का ही प्रतिसेवना विराधक मानते हैं। बकुश दो प्रकार के होते हैं—

३. (विराधना) उपकरणबकुश और शरीरबकुश। जो उपकरण में आसक्त होने के कारण नाना तरह के कीमती और अनेक विशेषता युक्त उपकरण चाहता है तथा संग्रह करता है और नित्य ही उनका संस्कार—सजावट करता रहता है वह उपकरणबकुश है। जो शरीर में आसक्त होने के कारण उसकी शोभा के निमित्त उसका संस्कार करता रहता है वह शरीरबकुश है। प्रतिसेवनाकुशील मूलगुणों की विराधना न करके उत्तरगुणों की कुछ विराधना करता है। कषायकुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक इनके भी विराधना होती ही नहीं।

पाँचों निर्ग्रन्थ सभी तीर्थंकरों के शासन में होते हैं। किन्हीं का मानना है कि पुलाक, बकुश और प्रतिसेवनाकुशील ये तीन तीर्थ में नित्य होते हैं और बाकी के कषायकुशील आदि तीर्थ में भी होते हैं और अतीर्थ में भी।

४. तीर्थ (शामन) लिङ्ग (चिह्न) द्रव्य और भाव ऐसे दो प्रकार का होता है। चारित्रगुण भावलिंग है और विशिष्ट वेश आदि बाह्यस्वरूप द्रव्यलिङ्ग है। पाँचों निर्ग्रन्थों में भावलिंग अवश्य होता है; पण्डु द्रव्यलिङ्ग तो सब में हो भी सकता है और नहीं भी।

पुलाक में पिछली तेजः, पद्म और शूद्र ये तीन लेश्याएँ होती हैं। बकुश और प्रतिसेवनाकुशील में छहों लेश्याएँ होती हैं। कषायकुशील

गदि परिहारविशुद्धि चारित्र्य वाला हो; तब तो वेगः आदि
 ६. लेश्या उक्त तीन लेश्याएँ होती हैं और यदि सूक्ष्म संप्रसाय चरित्र्य
 वाला हो तब एक शुरु ही होती है। निर्मन्य और स्नातक में एक शुरु ही
 होती है। पर स्नातक में जो अयोगी होता है वह अलेश्य ही होता है।

पुलाक आदि चार निर्मन्यों का जघन्य उपपात सौषमकल्प में
 पन्धोरमपुयन्त्व स्थिति वाले देवों में होता है; पुलाक का उत्कृष्ट उपपात
 सहस्रारकल्प में बीस सागरोपम की स्थिति में होता है।

७. उपपात बकुश और प्रतिसेवना कुशील का उत्कृष्ट उपपात आराण
 (उत्पत्तिस्थान) और अच्युत कल्प में भाईस सागरोपम की स्थिति में होता
 है। कषायकुशील और निर्मन्य का उत्कृष्ट उपपात सर्वायमिद्धि विमान में
 तैतीस सागरोपम की स्थिति में होता है। स्नातक का तो निर्वाण है।

कषाय का निग्रह तथा योग का निग्रह ही संयम है। संयम
 सभी का सर्वदा एक समान नहीं हो सकता, कषाय और योग के निग्रह
 विषयक तारतम्य के अनुसार ही संयम में भी तरतम-

८. स्थान (संयम के स्थान-प्रकार) भाव होता है। कम से कम जो निग्रह संयमकोटि में
 गिना जाता है, वहाँ से टकर संपूर्ण निग्रहरूप संयम-
 तक निग्रह की तीव्रता, मन्दता की विविधता के कारण संयम के
 अक्षय्यप्रकार होते हैं। वे सभी प्रकार (भेद) संयमस्थान कहलाते हैं।
 इनमें जहाँतक कषाय का लेशमात्र भी संबन्ध हो, वहाँ तक के संयमस्थान
 कषायनिमित्तक और उसके बाद के सिर्फ योगनिमित्तक समझने चाहिए।
 योग के मर्षया निरोध हो जाने पर जो स्थिति प्राप्त होती है उसे अन्तिम
 संयमस्थान समझना चाहिए। जैसे जैसे पूर्व-पूर्ववर्ती संयमस्थान होगा, वैशे-वैशे

१. दिगीचर ग्रन्थ चार लेश्याओं का कथन करते हैं।

२. दिगीचर ग्रन्थ दो सागरोपम की स्थिति का उल्लेख करते हैं।

कापायिक परिणति विशेष और जैसे जैसे ऊपर का संयमस्थान होगा, वैसे वैसे कापायिक भाव भी कम होगा; इसीलिए ऊपर-ऊपर के संयमस्थानों का मतलब अधिक से अधिक विशुद्धि वाले स्थान समझना चाहिए। और सिर्फ योग निमित्तक संयमस्थानों में निष्कषायत्व रूप विशुद्धि समान होने पर भी जैसे-जैसे योगनिरोध न्यूनाधिक होता है, वैसे-वैसे स्थिरता भी न्यूनाधिक होती है; योगनिरोध की विविधता के कारण स्थिरता भी विविध प्रकार की होती है अर्थात् केवल योगनिमित्तक संयमस्थान भी असंख्यात प्रकार के बनते हैं। अन्तिम संयमस्थान जिसमें परम प्रकृष्ट विशुद्धि और परम प्रकृष्ट स्थिरता होती है—ऐसा तो एक ही हो सकता है।

उक्त प्रकार के संयमस्थानों में से सबसे जघन्यस्थान पुलाक और कषायकुशील के होते हैं। ये दोनों असंख्यात संयमस्थानों तक साथ ही बढ़ते जाते हैं, उसके बाद पुलाक रुक जाता है, परन्तु कषायकुशील अकेला ही उसके बाद भी असंख्यात स्थानों तक चढ़ता जाता है। तत्पश्चात् असंख्यात संयमस्थानों तक कषायकुशील, प्रतिसेवनाकुशील और बकुल एक साथ बढ़ते जाते हैं; उसके बाद बकुल रुक जाता है, उसके बाद असंख्यात स्थानों तक चढ़ करके प्रतिसेवनाकुशील भी रुक जाता है और तत्पश्चात् असंख्यात स्थानों तक चढ़ कर कषायकुशील रुक जाता है। तदनन्तर अक्षय अर्थात् केवल योगनिमित्तक संयमस्थान आते हैं, जिन्हें निर्ग्रन्थ प्राप्त करता है, वह भी उसी प्रकार असंख्यात स्थानों का सेवन करके रुक जाता है। उसके बाद एक ही अन्तिम सर्वोपरि, विमृष्ट और स्थिर संयम आता है, जिसका सेवन करके स्नातक निर्वाण प्राप्त करता है। उक्त स्थान असंख्यात होने पर भी उनमें से प्रत्येक में पूर्व की अपेक्षा बाद के स्थान की शुद्धि अनन्तानन्त गुनी मानी गई है। ४९१

दसवाँ अध्याय

नौवें अध्याय में संवर और निर्जरा का निरूपण हो चुका था अन्तिम मोक्षतरव का निरूपण ही इस अध्याय में किया गया है।

केवल्य की उत्पत्ति के हेतु—

मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् । १ ।

मोह के क्षय से और ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय के क्षय से केवल प्रकट होता है।

मोक्ष प्राप्त होने से पहले केवल-उपयोग (सर्वशस्त्र, सर्वदर्शित्व) की उत्पत्ति जैनशासन में अनियमित मानी गई है। इसीलिए मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करते समय केवल-उपयोग किन कारणों से उद्भूत होता है, या वात यहाँ पहले ही बतला दी गई है। प्रतिबन्धक कर्म के नाश हो जाने से सहज चेतना के निरावरण हो जाने के कारण केवल-उपयोग का आविर्भाव होता है। ये प्रतिबन्धक कर्म चार हैं, जिनमें से प्रथम मोह ही क्षीण होता है और तदनन्तर अन्तर्मुहूर्त बाद ही बाकी के ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय इन तीन कर्मों का क्षय होता है। मोह सबसे अधिक बलवान है, अतः उसके नाश के बाद ही अन्य कर्मों का नाश शक्य होता है। केवल-उपयोग का मतलब है सामान्य और विशेष—दोनों प्रकार का संपूर्ण बोध। यही स्थिति सर्वशस्त्र और सर्वदर्शित्व की है। १।

कर्म के आत्यन्तिक क्षय के कारण और मोक्ष का स्वरूप—

बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्याम् । २ ।

कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः । ३ ।

बन्धहेतुओं के अभाव और निर्जरा से कर्मों का आत्यन्तिक क्षय होता है।

संपूर्ण कर्मों का क्षय होना ही मोक्ष है।

एक बार बँधा हुआ कर्म कभी न कभी तो क्षय को प्राप्त होता ही है; पर जैसे कर्म का बँधन फिर संभव हो अथवा उस किरम का कोई कर्म अभी शेष हो तो ऐसी स्थिति में कर्म का आत्यन्तिक क्षय हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आत्यन्तिक क्षय का अर्थ है पूर्ववद् कर्म का और नवीन कर्म के बँधने की योग्यता का अभाव। मोक्ष की स्थिति कर्म के आत्यन्तिक क्षय के बिना कदापि संभव नहीं, इसीलिए ऐसे आत्यन्तिक क्षय के कारण यहाँ बतलाए हैं। वे दो हैं : बन्धहेतुओं का अभाव और निर्जरा। बन्धहेतुओं का अभाव हो जाने से नवीनकर्म बँधने से रुक जाते हैं, और पहले बँधे हुए कर्मों का निर्जरा से अभाव होता है। बन्धहेतु मिथ्यादर्शन आदि पाँच हैं, जिनका कथन पहले किया जा चुका है। उनका यथायोग्य संवर द्वारा अभाव हो सकता है और तप, ध्यान आदि द्वारा निर्जरा भी सिद्ध होती है।

मोहनीय आदि पूर्वोक्त चार कर्मों का आत्यन्तिक क्षय हो जाने से भीतरागत्व और सर्वज्ञत्व प्रकट होते हैं, ऐसा होने पर भी उस समय वेदनीय आदि चार कर्म बहुत ही विरल रूप में शेष रहते हैं, जिससे मोक्ष नहीं होता। इसीलिए तो इन शेष रहे हुए विरल कर्मों का क्षय भी आवश्यक है। जब यह क्षय होता है, तभी संपूर्ण कर्मों का अभाव होकर जन्म-मरण का चक्र बन्द पड़ जाता है। यही मोक्ष है। २, ३।

अन्य कारणों का कथन—

औपशमिकादिभव्यत्वाभावाच्चान्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः। ४।

दसवाँ अध्याय

नौवें अध्याय में संवर और निर्जरा का निरूपण हो चुका था अन्तिम मोक्षतत्त्व का निरूपण ही इस अध्याय में किया गया है।

केवल्य की उत्पत्ति के हेतु—

मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् । १ ।

मोह के क्षय से और ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय के क्षय से केवल्य प्रकट होता है।

मोक्ष प्राप्त होने से पहले केवल्य-उपयोग (सर्वश्रम, सर्वदर्शित्व) की उत्पत्ति जैनशास्त्र में अनिवार्य मानी गई है। इच्छित्वा मोक्ष के रक्षण का वर्णन करते समय केवल्य-उपयोग किन कारणों से उद्भूत होता है, यह बात यहाँ पहले ही बतला दी गई है। प्रतिबन्धक कर्म के नाश हो जाने से सहज चेतना के निरावरण हो जाने के कारण केवल्य-उपयोग का आविर्भाव होता है। ये प्रतिबन्धक कर्म चार हैं, जिनमें से प्रथम मोह ही क्षीण होता है और तदनन्तर अन्तर्मुहूर्त बाद ही बाह्य के ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय इन तीन कर्मों का क्षय होता है। मोह सबसे अधिक बलवान है, अतः उसके नाश के बाद ही अन्य कर्मों का नाश शक्य होता है। केवल्य-उपयोग का मतलब है सामान्य और विशेष—दोनों प्रकार का संपूर्ण बोध। यही शिपति सर्वगत्य और सर्वदर्शित्व की है। १।

कर्म के आत्पन्तिक क्षय के कारण और मोक्ष का स्वभाव—

पन्धहेत्वमावनिर्जराभ्याम् । २ ।

कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः । ३ ।

बन्धहेतुओं के अभाव और निर्जरा के बन्धों का आत्यन्तिक क्षय होना ही मोक्ष है।

संसार के कारण ही मोक्ष है।

एक बार देखा हुआ धर्म कर्मों न कर्मों तो क्षय को प्राप्त होता ही है; पर जैसे कर्म का बंधन निर संभव हो अथवा छूट कितना का कोई कर्म कर्मों से हो तो ऐसी स्थिति में कर्म का आत्यन्तिक क्षय हुआ है, देखा नहीं कहा जा सकता। आत्यन्तिक क्षय का अर्थ है पूर्ववत् कर्म का और जीवन कर्म के बंधने की योग्यता का अभाव। मोक्ष की स्थिति कर्म के आत्यन्तिक क्षय के बिना कदापि संभव नहीं, इसीलिए ऐसे आत्यन्तिक क्षय के कारण यहाँ बतलाए हैं। वे दो हैं : बन्धहेतुओं का अभाव और निर्जरा। बन्धहेतुओं का अभाव हो जाने से नवीनकर्म बंधने से रुक जाते हैं, और पहले बंधे हुए कर्मों का निर्जरा से अभाव होता है। बन्धहेतु क्लिप्पादर्शन आदि पाँच हैं, जिनका कथन पहले किया जा चुका है। उनका यथायोग्य संवर द्वारा अभाव हो सकता है और तप, ध्यान आदि द्वारा निर्जरा भी सिद्ध होती है।

मोहनीय आदि पूर्वोक्त चार कर्मों का आत्यन्तिक क्षय हो जाने से बीतरागत्व और सर्वशुद्धत्व प्रकट होते हैं, ऐसा होने पर भी उस समय दिनीय आदि चार कर्मों बहुत ही विरल रूप में शेष रहते हैं, जिससे मोक्ष ही होता। इसीलिए तो इन शेष रहे हुए विरल कर्मों का क्षय भी आवश्यक है। जब यह क्षय होता है, तभी संपूर्ण कर्मों का अभाव होकर जन्म-मरण का चक्र बन्द पड़ जाता है। यही मोक्ष है। २, ३।

अन्य कारणों का कथन—

औपशमिकादिभव्यत्वाभावाच्चान्यत्र

नदर्शनासिद्धत्वेभ्यः । ४ ।

आधिकसम्बन्धत्व; शायिकज्ञान; शायिकदर्शन और सिद्धत्व के मिश्रण
 औपशमिक आदि भावों तथा भयस्त्व के अभाव से मोक्ष प्रकट होता है।
 पौद्गलिक कर्म के आत्यन्तिक नाश की तरह उग्र कर्म के प्रा-
 मापेक्ष ऐसे कितने ही भावों का नाश भी मोक्षप्राप्ति के पहले अनपेक्ष-
 होता है। "इसीमें गुरु वैशे भावों" के "नाश" का मोक्ष के कारण रूप में
 कथन है। "ऐसे भाव मुख्य चार हैं : औपशमिक, आयोपशमित, औरी
 और पारिणामिक"। औपशमिक आदि पहले तीन प्रकार के तो इन्द्र-
 भाव सर्वथा नष्ट होते ही हैं, पर पारिणामिकभाव के बारे में यह स्थान
 नहीं है। पारिणामिक भावों में से सिर्फ भयस्त्व का ही नाश होता है, दूसरों
 का नहीं। क्योंकि क्षीयत्व, अस्तित्व आदि दूसरे सभी पारिणामिक भाव
 मोक्ष अवस्था में भी रहते हैं। शायिकभाव परमपारेष है सदा; फिर भी
 उमका अभाव मोक्ष में नहीं होता। यही धतलाने के लिए सूत्र में शायिक
 सम्बन्ध आदि भावों के अतिरिक्त दूसरे भावों के नाश की मोक्ष का कारणभूत
 कहा है। यद्यपि सूत्र में शायिकवीर्य, शायिकचारित्र और शायिकसुख
 आदि भावों का वर्जन शायिकसम्बन्ध आदि की तरह नहीं किया, तो भी
 सिद्धत्व के अर्थ में इन सभी भावों का समावेश कर लेने के कारण इन
 भावों का वर्जन भी समझ लेना चाहिए। ४।

मुक्तज्ञान का मोक्ष के बाद हो पुरन्त होने माना का-
 तदनन्तरमूर्ध्व गच्छत्या लोकान्तात् । ५ ।

संपूर्ण कर्मों के क्षय होने के बाद पुरन्त ही मुक्तजीव लोक के भ-
 तक ऊँचा जाता है । ५ ।

संपूर्ण कर्म और तदाभित औपशमिक आदि भावों का नाश होते
 ही पुरन्त एक मार्ग एक समय में तीन बरिय होते हैं : शरीर का स्थिर,
 मिथ्यमान गति और लोकान्त-प्राप्ति । ५ ।

सिध्यमान गति के हेतु-

पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद्बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च
तद्गतिः । ६ ।

पूर्व प्रयोग से, संग के अभाव से, बन्धन टूटने से और वैसी गति के परिणाम से मुक्तजीव ऊँचा जाता है ।

जीव कर्मों से छूटते ही फौरन गति करता है, स्थिर नहीं रहता । गति भी ऊँची और वह भी लोक के अन्त तक ही होती है, उसके आगे नहीं-ऐसी शास्त्रीय मान्यता है । यहाँ प्रश्न उठता है कि कर्म या शरीर आदि पौद्गलिक पदार्थों की मदद के बिना अमूर्त जीव गति कैसे कर सकता है ? और करता है तो ऊर्ध्वगति ही क्यों, अधोगति या तिरछी गति क्यों नहीं ? इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिये गए हैं ।

जीवद्रव्य स्वभाव से ही पुद्गलद्रव्य की तरह गतिशील है । दोनों में अन्तर इतना ही है कि पुद्गल स्वभाव से अधोगतिशील और जीव स्वभाव से ऊर्ध्वगतिशील है । जब जीव गति न करे अथवा नीची या तिरछी दिशा में गति करे, तब ऐसा समझना चाहिए कि वह अन्य प्रतिबन्धक द्रव्य के संग के कारण या के बन्धन के कारण ही ऐसा होता है । ऐसा द्रव्य कर्म है । जब कर्मसंग छूटा और उसके बन्धन टूटे तब कोई प्रतिबन्धक तो रहता ही नहीं, अतः मुक्तजीव को अपने स्वभावानुसार ऊर्ध्वगति करने का प्रसंग मिलता है । इस प्रसंग में पूर्वप्रयोग निमित्त व्रतता है अर्थात् उसीके निमित्त से मुक्तजीव ऊर्ध्वगति करता है । पूर्वप्रयोग का मतलब है पूर्वबन्धकर्म के छूट जाने के बाद भी उससे प्राप्त वेग-आवेश । जैसे कुम्हार से उड़े द्वारा घूमा हुआ नाक डंडे और हाथ के दृष्ट लेने के बाद भी पहले मिले हुए वेग के बल से वेगानुसार घूमता रहता है, वैसे ही कर्ममुक्त जीव भी पूर्व कर्म से प्राप्त आवेश के कारण अपने स्वभावानुसार ऊर्ध्वगति ही

करता है। इसकी ऊर्ध्वगति स्त्रोक के अन्त से आगे नहीं होती, इसका कारण यह है कि यहाँ धर्मास्तिकाय का अभाव ही है। प्रतिस्त्रोक कर्मद्रव्य के हट जाने से जीव को 'उर्ध्वगति' कैम सुकर हो जाती है, इस बात को समझाने के लिए तुम्हे का और परंठ के बीज का उदाहरण दिया गया है। अनेक लोपों से युक्त तुम्हा पानी में पड़ा रहता है, परन्तु लोपों के हटते ही वह स्वभाव से पानी के ऊपर तैर आता है। कोश-कर्मों में रह हुआ परंठ बीज कली के टूटते ही छटक कर उपर ऊठता है इसी तरह कर्म बन्धन के दूर होते ही जीव भी ऊर्ध्वगामी बनता है। ६।

बारह बातों द्वारा सिद्धों की विशेष विचारणा—

सिद्धाणां विशेषविचारणायुक्तं त्रयोविंशतिश्लोकप्रमाणेन प्रमाणेन
 एतान्गन्तमन्वयान्प्रमाणैः साध्याः । ७ ।

क्षेत्र, फाल, गति, लिङ्ग, तीर्थ, चारित्र्य, प्रत्येकदुर्लभोचित, ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, संख्या, अस्प-बहुत्व इन बारह बातों द्वारा सिद्ध जीवों का विचार करना चाहिए।

सिद्ध जीवों का स्वरूप विशेष रूप से जानने के लिए यहाँ बारह बातों का निर्देश किया गया है। इनमें से प्रत्येक बात के आधार पर सिद्धों के स्वरूप का विचार करना है। यद्यपि सिद्ध हुए सभी जीवों में गति, लिङ्ग आदि सांसारिक भावों के न रहने से कोई सास प्रकार का भेद नहीं रहता; फिर भी भूतकाल की दृष्टि से उनमें भी भेद की कल्पना और विचार कर सकते हैं। यहाँ क्षेत्र आदि जिन बारह बातों को सिद्ध विचारणा करनी है, उनमें से प्रत्येक के बारे में यदावन्तम भूत और वर्तमान दृष्टि को लागू करके ही विचारणा करनी चाहिए। ये सिद्ध अनुसार है—

वर्तमान भाव की दृष्टि से सभी के सिद्ध होने का स्थान एक ही सिद्धक्षेत्र अर्थात् आत्मप्रदेश या आकाशप्रदेश है। भूत भाव की दृष्टि से इनके सिद्ध होने का स्थान एक नहीं है; क्योंकि जन्म दृष्टि से पंद्रह में से भिन्न भिन्न कर्मभूमियों में से कितनेक सिद्ध होते हैं और संहरण दृष्टि से समग्र मानुषक्षेत्र में से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।

१. क्षेत्र-स्थान
व जगह

और संहरण दृष्टि से समग्र मानुषक्षेत्र में से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।

वर्तमान दृष्टि से सिद्ध होने का कोई लौकिक कालचक्र नहीं, क्योंकि एक ही समय में सिद्ध होते हैं। भूत-दृष्टि से जन्म की अपेक्षा से अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी तथा धनयम-सर्पिणी, अनुत्सर्पिणी में जन्मे हुए सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार संहरण की अपेक्षा से उक्त सभी काल में सिद्ध होते हैं।

२. काल—अवसर्पिणी
आदि लौकिक काल

एक ही समय में सिद्ध होते हैं। भूत-दृष्टि से जन्म की अपेक्षा से अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी तथा धनयम-सर्पिणी, अनुत्सर्पिणी में जन्मे हुए सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार संहरण की अपेक्षा से उक्त सभी काल में सिद्ध होते हैं।

वर्तमान दृष्टि से सिद्ध गति में ही सिद्ध होते हैं। भूत दृष्टि से यदि अन्तिम भाव को लेकर विचार करें तो मनुष्यगति में से और अन्तिम गति से पहले के भाव को लेकर विचार करें, तब तो चारों गतियों में से सिद्ध हो सकते हैं।

३. गति

में से सिद्ध हो सकते हैं।

लिङ्ग वेद और चिह्न को कहते हैं। पहले अर्थ के अनुसार वर्तमान दृष्टि से अवेद ही सिद्ध होते हैं। भूतदृष्टि से स्त्री, पुरुष, गपुंसक इन तीनों वेदों में से सिद्ध बन सकते हैं। दूसरे अर्थ के अनुसार

वर्तमान दृष्टि से अलिङ्ग ही सिद्ध होते हैं, भूतदृष्टि से यदि

भावलिङ्ग अर्थात् आन्तरिक योग्यता को लेकर विचार करें तो स्वलिङ्ग-वीतरागता से ही सिद्ध होते हैं; और द्रव्यलिङ्ग को लेकर विचार करें तो स्वलिङ्ग-जैनालिङ्ग, परलिङ्ग-जैनेतर पन्थ का लिङ्ग और सदस्वलिङ्ग इन तीनों लिङ्गों में सिद्ध हो सकते हैं।

कोई तीर्थंकर रूप में और कोई अतीर्थंकर रूप में सिद्ध होते हैं।
अतीर्थंकर में कोई तीर्थंकर नाश हो तब, और कोई तीर्थंकर नाश
५. तीर्थं न हो तब भी सिद्ध होते हैं।

वर्तमान दृष्टि से सिद्ध होने वाले न तो चाण्डिकी ही होते हैं और न
अचारिणी। भूतदृष्टि से यदि अन्तिम समय की है तब तो यथास्थानचाण्डिकी
ही सिद्ध होते हैं; और उसके पहले समय की है तो तब
६. चाण्डिकी चार तथा पाँच चाण्डिकी से सिद्ध होते हैं। सामाजिक,
सूक्ष्मसंप्रदाय और यथास्थान ये तीन अथवा छद्मोपस्थापनीय, सूक्ष्मसंप्रदाय
और यथास्थान से तीन; सामाजिक, परिदारविशुद्धि, सूक्ष्मसंप्रदाय और
यथास्थान ये चार; एवं सामाजिक, छद्मोपस्थापनीय, परिदारविशुद्धि, सूक्ष्म
संप्रदाय और यथास्थान ये पाँच चाण्डिकी समस्तने चाण्डिकी।

प्रत्येकबोधित और बुद्धबोधित दोनों सिद्ध होते हैं। जो किसी के
उपदेश बिना अपनी ज्ञान-शक्ति से ही बोध पाकर सिद्ध होते हैं, ऐसे
स्वयंबुद्ध दो प्रकार के हैं—एक तो अरिहंत और
दूसरे अरिहंत से भिन्न, जो कि किसी प्रकार का
७. प्रत्येकबुद्धबोधित अर्थात् प्रत्येकबोधित
और बुद्धबोधित निमित्त से वैराग्य और ज्ञान पाकर सिद्ध होते हैं।
ये दोनों प्रत्येकबोधित कहलाते हैं। जो दूसरे
जानी से उपदेश पाकर सिद्ध बनते हैं वे बुद्धबोधित हैं। इनमें भी कोई
तो दूसरे को बोध प्राप्त करानेवाले होते हैं और कोई सिद्ध आत्म-कल्याण
साधक होते हैं।

वर्तमान दृष्टि से सिद्ध केवलज्ञान वाले ही सिद्ध होते हैं। भूतदृष्टि
में दो, तीन, चार ज्ञानवाले भी सिद्ध होते हैं। दो अर्थात् द्वि और

श्रुत; तीन अर्थात् मति, श्रुत, अवधि अपवा मति, श्रुत,
 ८. ज्ञान और मनःपर्याय; चार अर्थात् मति, श्रुत, अवधि और
 मनःपर्याय।

जघन्य अंगुलपृथक्त्वहीन सात हाथ और उत्कृष्ट पाँच सौ धनुष के

ऊपर धनुषपृथक्त्व जितनी अवगाहना में से सिद्ध
 ९. अवगाहना—ऊँचाई हो सकते हैं, वह तो भूतदृष्टि से कहा है।
 वर्तमान दृष्टि से कहना हो तो जिस अवगाहना में से सिद्ध हुआ हो
 उसीकी दो तृतीयांश अवगाहना कहनी चाहिए।

किसी एक के सिद्ध बनने के बाद तुरन्त ही जब दूसरा सिद्ध होता
 है तो उसे निरन्तर सिद्ध कहते हैं। जघन्य दो समय और उत्कृष्ट आठ

समय तक निरन्तर सिद्धि चालू रहती है। जब किसी की
 १०. अन्तर-
 व्यवधान सिद्धि के बाद अमुक समय बीत जाने पर सिद्ध होता है, तब
 वह सान्तर सिद्ध कहलाता है। दोनों के बीच की सिद्धि
 का अन्तर जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छः मास का होता है।

११. मंग्या एक समय में जघन्य एक और उत्कृष्ट एक सौ आठ सिद्ध
 होते हैं।

क्षेत्र आदि जिन ग्यारह बातों को लेकर विचार किया गया है,
 उनमें से हर एक के बारे में संभाव्य भेदों की परस्पर में न्यूनाधिकता का

विचार करना यही अल्पबहुत्व विचारणा है। जैसे—
 १२. अल्पबहुत्व-
 न्यूनाधिकता क्षेत्रसिद्ध में संहरण सिद्ध की अपेक्षा जग्मसिद्ध संख्याय
 गुणाधिक होते हैं। एवं ऊर्ध्वलोक सिद्ध सबसे थोड़े
 होते हैं, अधोलोक सिद्ध उनसे मंग्यातगुणाधिक और त्रियग्नोक सिद्ध

तत्त्वार्थसूत्र

का

पारिभाषिक शब्द-कोष

अ

अकपाय २१७
 अकामनिर्जरा २२७, २३१, २३४
 अकाल मृत्यु ११३
 अक्षिप्रग्राही २४
 अगारी (अणुव्रती) २६०-२६५
 अगुरुलघु (नामकर्म) २८७, २९१,
 २९८
 अगुरुलघु (गुण) १८३
 अग्निकुमार १४३
 अग्निमाणव (इन्द्र) १३९
 अग्निशिख (इन्द्र) १३९
 अङ्ग (श्रुत) ३७, ३३२-
 अङ्ग प्रविष्ट ३६
 अङ्ग बाह्य ३६
 अङ्गोपाङ्ग (नामकर्म) २८७, २८९
 अचक्षुर्दर्शन ७७
 अचक्षुर्दर्शनावरण २८६, २८७
 अचौक्ष १४६
 अचौक्षत्रत
 —की पाँच भावनाएँ २४३, २४४।

अच्युत (स्वर्ग) १४४, १५०, १६०
 अच्युत (इन्द्र) १४०
 अजीव १६४, १६५
 अजीवकाय १६४
 अजीवाधिकरण २२४
 अज्ञातभाव २२१
 अज्ञान ४९ देखो, विपर्ययज्ञान
 अज्ञान (परीपह) ३११, ३१४
 अञ्जना (नरकभूमि) १२०
 अणु १६९, १८९, १९०
 अणुव्रत २६२, २४३
 अणुव्रतधारी २६१
 अण्डज ९९
 अतिकाय (इन्द्र) १४०, १४५
 अतिचार २६६, २७६
 अतिथिसंविभाग (व्रत) २६१, २६४
 २७०
 अतिपुरुष (देव) १४५
 अतिभारारोपण २६९, २७१
 अतिरूप १४६
 २७७

अथास्त्रात ३१८ देवो, यथाख्यात

अदत्तादान २५६

अदर्शन (परीपह) ३११, ३१४

अधर्म (अस्तिकाय) १६४-१७०,

१७३, १७८, १७९, २०८

अधस्तारक (देव) १४६

अधिकरण १३, २२२, २२३

अधिगम ६, ११

अधोगति ३४५

अधोभाग (लोक) ११८

अधोलोक ११८

अधोलोकसिद्ध ३४९

अधोव्यतिक्रम २६९, २७३

अधुव २५

अनगर (व्रती) २६० २६१

अनह्णफ्रीडा (अतिचार) २६९,

२७३

अनन्त १७१

अनन्ताणुक १७४

अनन्तानन्ताणुक १७४

अनन्तानुपान्धिवियोजक ३३५,

३३६

अनन्तानुबन्धी २८६, २८८

अनपयतना (कालमृत्यु) ११८

अनपयतनीय (आयु) ११३, ११४

अनाभिगृहीत (मिथ्यादर्शन) २८१

अनर्धदण्डविरति २६१, २६३, २६९,

२७४

अनर्पणा १९७, १९८

अनर्पित १९७

अनयकांक्ष क्रिया २३०

अनवरियत (अवधि) ४१

अनशन ३१८, ३१९

अनाकार (उपयोग) ७९

अनाचार २७६

अनादर २६९, २७५

अनादि २१२, २१३

अनादिभाय १०५

अनादेय (नामकर्म) २८०, २९१

अनानुगामिक (अवधि) ४१

अनाभोग २२४, २२५

अनाभोग क्रिया २१९

अनाहारक (जीव) ९४

—स्तिति या वाक्यगत १११

अनिःसृतावग्रह २४ देवो अनिःसृ

अनित्यत्वरूप (मंसमान) १८३

अनित्य १९९

अनित्य अवसाध्य १९९

अनित्यानुप्रेक्ष १०६, १०७

अनिन्दित (देव) १४५

अनिन्दित्य (मन) २१, २१

—या विषय पत १८६

अनिष्टति यादरमंपगय

अनिष्ठित (अवग्रह) २४

अनिष्ट संयोग (आर्तध्यान) ३२८

अनीक १३८

अनुकम्पा ६, २३१

अनुक्तावग्रह २५

अनुचिन्तन ३०६

अनुज्ञापितपान भोजन २८३, २४५

अनुतर १८८

अनुत्तराधिमान १५०

—के देवों का विशेषत्व १५४

—के देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति १६०

अनुत्सेक (निरभिमानता) २३७

अनुपर्यापन २६९, २७०

अनुप्रेक्षा (भावना) ३०१, ३०७

३२२

—के वारह भेद हैं ३०६

अनुभाग २१६, २३८, २८०

अनुभाव द्वेषो अनुभाव बन्ध

—देवों में १५४

अनुभावबन्ध २८३, २८८, २९३,

२९४

अनुमत २२३, २२८

अनुर्वाचि अवग्रह याचन २८३, २४८

अनुभूषि ८९

अनृत २५५

अनृतानुबन्धो (संज्ञध्यान) ३२९

अनेकान्त १९७

अन्तर १२, १४, ३४६

—की अपेक्षा से तिद्धों का विचार

३४९

अन्तराय (कर्म) २२६, २४२, २८४,

२८७, २९९

—के बन्ध हेतु १२८

—की व्याख्या २८५

—के पाँच भेद २८७

—को उत्कृष्ट स्थिति २९७

—में अन्धम परीपह होता है ३११

अन्तरालगति ८९, १०६

—के दो प्रकार ऋजु और वक्र ११

—का कालमान ९३

—में कर्मों का ग्रहण ९५

अन्तर्द्वीप १३४, १३५

अन्तर्धान २६८

अन्तर्मुहूर्त १५, ३२५, ३२६

—जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट १५

अन्त्यङ्गव्य (परमाणु) १८९

अन्नपान निरोध २६९, २७१

अन्तरज्ञानप्रेक्षा ३०६, ३०८

अन्त्यङ्गि प्रशंसा (अतिचार) २६६,

२६७

अपरत्व १८३

अपराजित (स्यर्ग) १४४

—में उत्कृष्ट स्थिति १६०

अपरिगृहीतागमन २६९, २७२

अपरिग्रह व्रत

—की पाँच भावनाएँ २४८

अपारिग्रहाणुप्रत २६३
 --के अतिघार २६९
 अपर्याप्त (नामकर्म) २८७, २९०--
 २९९
 अपवर्तना (अकालमृत्यु) ११३
 अपवर्तनीय (आयु) ११३
 --गोपत्रम होता है ११४
 अपवाद ३०७
 अपान (उच्छ्वास वायु) १८१
 अपाय २२६
 अपायविचय (धर्मध्यान) २२९
 अपार्थपुद्गल परावर्त १५, देव्यो
 पुद्गल परावर्त
 अपूर्वकरण ७
 अप्रतिघात १००
 अप्रतिरूप (इन्द्र) १४०
 अप्रतिष्ठान (नगरकाम) १२१
 अप्रत्यक्षेक्षण-अप्रमादित
 --जाग्रत निशेष २७७, २७५
 इत्यर्थे २७०, २७९
 --सन्तारोपण २७०, २७९
 अप्रत्यक्षेक्षण निशेष २२४, २२५
 अप्रत्याग्यान (कथाय) २८६, २८८
 अप्रत्याग्यान क्रिया २२०
 अश्वोत्तार १८१
 अप्रान्यकारी (नित्र और मन) १२
 जडन्त २५६, २५७
 अभयदान २३६

अभव्यत्व १०, ७२
 अभिगृहीत (मिथ्या दर्शन) १०३
 अभिनिर्घोष २०
 अभिमान (देवो मे) १५३
 अभिपत्र आहार २७०, २७९
 अभिभ्य अवमाह गायन २७३, २८५
 अभ्युदय ३०१
 अमनस्क ७८
 अमितगति (इन्द्र) १४०
 अमितवाहन (ऋद्ध) १४०
 अमृतत्व २३३
 अन्य (देव) १२४
 अम्बरीष (देव) १२४
 अयन १४८
 अयनाःशक्ति (नामकर्म) २८०
 २९१, २९५
 अरति (मोहनाय) २८६, २८९
 --के आयन २३१
 अरति परीषा १२१, ३११
 अरिष्ट लोकात्मिक १२६
 अरण्य (लोकात्मिक) २५६
 अरुणो
 --इत्येव वा १६६
 अरुपित्व १६०
 --परमोक्तिः ११५
 वा नापरो है १६६
 अर्थ २८, ३३१
 अर्थाथमह २९

—व्यावहारिक और नैश्चयिक ३३

अर्धनाराच (संहनन) २९९

अर्धमात्रा ३२५

अर्धवर्णमनाराच (संहनन)
२९९, ३२३

अर्पणा १९७, १९८

अर्पित १९७

अर्हद्भक्ति २२८, २३६

अलाम परीपह ३११, ३१३

अलोकाकाश १७७

अल्प (अवग्रह) २३

अल्प बहुत्व १६, ३४६

—की अपेक्षा से सिद्धोका विचार
३८९

अवक्तव्य १९९

अवगाह १७८, २७२

अवगाहना ३४६

—की अपेक्षा से सिद्धो का विचार
३४९

अवग्रह २२

—के भेद २३

—आदि का विषय २६

—के अवान्तर भेद २८

अवग्रह याचन २४३, २४५

अवग्रहावधारण २४३, २४५

अवश २४६

अवधि ३४९

अवधिज्ञान ३८

—के दो भेद भवप्रत्यय और—
गुण प्रत्यय ३८

—का माधारण कारण ३९

—के छह भेद ४०

—आंग मन. पर्ययज्ञान का अन्तर
४३

—का विषय ४४, ४५

—का विषय देवों में १५१

अवधिज्ञानावरण २८७

अवधिदर्शन ७७

अवधि दर्शनावरण २८६, २८७

अवमौदर्य (तप) ३१८

अवयव १७०

अवर्णवाद् २२७

अवसर्पिणी ३४७

अवस्थित (अवधि भेद) ४१

अवस्थितत्व १६७

अवाय (मतिज्ञान) २०

—के भेद २३

अविकल्प २०८

अधिग्रहा ८९

अविचार ३३१

अविरत ३२८

अविरति २७९, २८०, २८१

अविसंचाद् २२८

अव्यय १९५

अव्यावाध (लोकान्तिक) १५९

अन्नत

—पाँच हैं २१

अशरणानुप्रेक्षा ३०६, ३०७
 अशुचित्वानुप्रेक्षा ३०६, ३०८
 अशुभ (नामकर्म) २८७, २९१, २९९
 —के बन्धहेतु २२८
 अशुभयोग
 —पाप का आश्रय है २१५
 —का स्वल्प २१५
 —हिमादि व्यापार २१६
 —नोन है २१६
 —के कार्य २१६
 अशोक (द्रव) १४६
 अष्टअष्टमिका (प्रतिमा) ३०६
 अमन २५५
 असत्य २५५
 अमदगुणोद्भावन २२८, २३७
 असद्वृत्त २०५, २८५
 अमर्माश्रयाधिकरण २६०, २७६
 असम्प्राप्तान १७
 अमंशी १०५
 अमंदिग्र २५
 असंयतत्त्व ६७
 अमंगल ६८
 अनंत्येय १६९, -९०
 असद्वृत्त ३४५
 अमातावेदनीय २१७, २८८, २९९
 देवी दुःखवेदनीय
 —के बन्धहेतु २२६
 अमिदुत्त्व ६७

अमुर ११६, ११७
 अमुरकुमार १४३
 —का चिन्ह १४५
 अमुरेन्द्र १५८
 अमिकाय १६४, १६९
 —प्रदेश प्रयत्न १६४
 —पमादि चार अर्थों में है १६५
 —जो १६९
 अस्तेपाणुव्रत २६१
 —के अतिवार २६९
 आस्थिर (नामकर्म) २८७, २९०, २९९
 अहमिन्द्र १५०, १५५
 अहिमा
 —को प्रथानता २४०
 —का विभाग ३६०, ३५५
 —चारी के लिये कर्तव्य २५३, २५४
 —भावनाएँ २५३
 अहिंसाणुव्रत २६७
 —के अतिवार २६२, २६३
 आ
 आकाश (अन्तिकाय) ११८, ११९, २०८
 —आत्मवर्तिष्ठा है १२१
 —निज भावित्व कर्तव्य है ११६
 —गुरु वर्तिष्ठा ११८
 —निष्कृत ११८

- के अनन्त प्रदेश हैं १६९
- आधार हैं १७२
- का कार्य द्वारा लक्षण १७९
- ही दिग्द्रव्य हैं १८०

आकाशग (देव) १४६

आकिंचन्य २०२, २०६

आक्रन्दन २२६, २२९

आक्रोशपरीषद् ३११, ३१३

आगम ३०७

आचाम्ल (तप) ३०६

आचार धस्तु ३३८

आचार्य

- भक्ति २२८, २३६
- की वैयावृत्य ३२१

अज्ञाविचय (धर्मध्यान) ३०९

अज्ञाव्यापादिकी (क्रिया) २२०

आतप १८८, २८७, २९८

आत्मनिन्दा २२८, २३७

आत्मपरिणाम २२७

आत्मप्रशंसा २२८, २३६

आत्मरक्षक १३०

आत्मा ६८

- ब्रूटस्य नित्य (सास्यवेदान्त) ६८
- एकान्तनित्य (नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक) ६८
- एकान्त क्षणिक (बौद्ध) ६८
- परिणामिनित्य (जैन) ६९
- के पर्याय मुक्तदुःखादि ६९

—के पाच भाव ६९

—का परिमाण १७४

—निन्व अनित्य आदि १९८, १९९

—मत अमत १९८

—गुण और पर्यायवाला कैसे? २०६

—के गुण २१०

—के परिणाम का विचार २१६

आदान निक्षेपण समिति

—की व्याख्या २६६, ३००

आदित्य (लोकान्तिक) १५६

आदिमान २१२, २१२

आदेय (नामकर्म) २८७, २८१, २९८

आधिकरणिकी (क्रिया) २१९

आध्यात्मिक ६९

आनत (स्वर्ग) १४४, १५०

—की उत्कृष्ट स्थिति १६०

आनयन प्रयोग (अतिचार) २६९, २७६

आनुगामिक (अवधिज्ञान) ६०

आनुपूर्वी (नामकर्म) २८७, २९०

आभियोग्य १३८

आभ्यन्तर (तप) ३१८

—के भेदों का निरूपण ३१९

आभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्ग ३२३

आम्नाय ३२२

आम्नायार्थ वाचक ३०७

आयु ११२, ११५, ११६

—के दो प्रकार ११३

आयुष्क (कर्म) २८६, २८५

—के चार भेद २८७

—की उत्पृष्ट स्थिति २९२

—की जपन्य स्थिति २९३

आरण (स्वर्ग) १४४, १५०

—की उत्पृष्ट स्थिति १६०

आरम्भ २२३, २२३, २२३

आरम्भक्रिया २२०

आर्जय (धर्म) ३०३, ३०५

आर्त (ध्यान) ३२७, ३०८

—के चार प्रकार ३२७, ३०८

—के अधिकारी ३०७

आर्य १०८

—एक प्रकार के १३३

आर्य देश १३८

—नाम पञ्चमीम हे १३८

आर्य स्वस्य

—दुःशादि का व्यापारमन्त्रके अर्थ-

पर और त्रेत के जायदादि मे

सुखना ७

आलोकित पान भोजन २४३, २८६

आलोचन (तप) ३००

आवश्यकतापरिहासि २३६

अ.वान् १८८

आन्त्रयानसंध ३००

आनादन २०३

आभिनय ६

आद्य २१४, २१५, २३८, ३००

—के १२ भेद ३००

आन्त्रयानुमेधा १०६, १०९

आहार १४

—देवां मे १५१

आहारक (शरीर) १००, १०६, १०६-१०, २३६

आहारफलत्व १०७

आहार क्षान २३६

आहारक (देव) १४६

३

इत्थंस्वप्न (संस्थान) १८५

इत्थरपरिगृहीतागमन २१९, २०३

इन्द्र १३९

इन्द्रिय २१, ८०

—की संख्या ८१

—उच्चैर्निच और भार्गव ८३

—का प्राप्तिफल ८०

—के नाम ८३

—का विषय ८१

—की एव ही प्रकृति में प्रकृति ६

उपरो उदाहरण ८३

—का विषय (देवां मे) १५१

इष्टियोग आर्तुप्यात १३८

३

इर्यापथकर्म २१७, २१८

इर्यापथक्रिया २१९, २३८

इर्यासमिति २४३, ३०३

इशान (इन्द्र) १४०

इहा २१

—के भेद २३

उ

- उक्तावग्रह २५
 उच्चगोत्र (कर्म) २८७, २९१, २९८
 —के बन्ध हेतु २२८
 —के बन्ध हेतुओंकी व्याख्या २३७
 उच्छ्वास
 —देवों में १५३
 —नामकर्म २८७
 उच्छृष्ट (परिणाम) २०४
 उत्तम पुरुष ११४
 उत्तरकुरु १२८
 उत्तरगुण २६२, ३२७
 उत्तरगुणनिर्यतना २२८
 उत्तरप्रकृति २८५, २९४
 उत्तरव्रत (सात हैं) २६२
 उत्पत्ति ३३३
 उत्पाद १९३
 उत्सर्ग (मार्ग) ३०७
 उत्सर्गसमिति ३०२
 उत्सर्पिण ३४७
 उदधिकुमार १४३
 उद्योत (पुद्गल परिणाम)
 १८३, १८८
 उद्योत (नामकर्म) २८७, २९१,
 २९८
 उपकरण चक्रुश (निर्ग्रन्थ) ३३९
 उपकरण संयोगाधिकरण २२५

- उपकरणेन्द्रिय २८, ८२
 उपकार १७८
 उपक्रम ११४
 उपग्रह १७८
 उपघात २२६, २२९
 —और आसादन का अन्तर २२९
 उपघात (नामकर्म) २८७, २९१,
 २९८
 उपचार (विनय) ३२१
 उपचार श्रुत ३८
 उपधि ३२३
 उपपात ९०
 —देवों का १५६
 उपपातजन्म ९७
 —के अधिकारी जीष ९९
 उपभोग १०७
 उपभोगपरिभोगपरिमाण (व्रत)
 १६१, २६४
 —के अतिचार २७०
 उपभोगाधिकन्व (अतिचार)
 २६९-२७४
 उपभोगान्तराय २९२
 उपयोग ७३, ७४
 —(बोध) का कारण ७४
 —की मुख्यता ७४
 —की तीनों कालों में उपलब्धि
 ७४
 —के भेद ७५

--माकार और अनाकार ७६

उपयोग राशि ७६ देखो उपयोग

उपयोगेन्द्रिय ८२

उपशमक (सम्यग्दृष्टि) ३३५,

३३७

उपशांत कथाय ३२९

उपशान्तमोह (गुणस्थान) ३३४

उपशांतमोह (सम्यग्दृष्टि) ३३५,

३३७

उपस्थापन (प्रायश्चित्त) ३२०

उपाध्याय

--ती वेदायुष्य ३२१

उरग

--पान भूमिगत गमन ३२५

उष्ण स्पर्श १८५

उष्ण परीषद ३३१, ३३२

ऊ

ऊर्ध्वगति ३४५

ऊर्ध्वलोक ३३८

ऊर्ध्वलोकमित्र ३४३

ऊर्ध्वव्यतिक्रम (अनिवार) ३६९,

३७३

क

कजुगति १३, १२

--या दूतग नाम कजुगति १३

--या कजुगति १३.

कजुगति (काल) ४२

कजुगति (नय) ६०, ६१

--में पर्यायविधेय नाम का प्रयोग--

१४

काल (काल) १४८

कालिकादिक (देव) १४९

ए

एकान्य ३३२, ३३०.

एकान्यवितर्क (शुक्ल ध्यान) ३३१

एकान्य वितर्क निर्विचार ३३०.

एकान्य वितर्क अविनाश ३३३, ३३४

एकान्यगुणेश ३०६, ३०८

एकविध (अथप्रहादि) ३४०

एकान्यविनाश निरोध ३३५.

एकान्त शक्तिकता ३९

एकेन्द्रिय नामकर्म ३९९

एकभूतनय ६०, ६१, ६५

एकजा समिति ३०१, ३०४, ३०७

एकेन्द्रिय भाव ८१

--परिधि प्रादि पद ८१

ए

एवायम धर्म १२८

एवान्तर्य १४८, १४९

--में उत्पन्न स्थिति १५१

एवमर्थ (मद) ३०५

औ

औत्तरिक (सम्यग्निनाम) ३३८

औत्तरिक भाव ३७, ४७, ३७५

--दे ३२ में १८ ७२

औदारिक (शरीर) १००, १०२,
१७६ १७७

—सेन्द्रिय और सावयव हैं १०८.

—जन्मसिद्ध ही हैं १०९.

—पीद्गलिक हैं १८१.

औदारिक (शरीर नामकर्म)

औदारिक(अंगोपांग) (नामकर्म)

औपपानिक १००

औपशमिक भाव ६७, ६९, ३८४

—के दो भेद ६७.

—के भेदों की व्याख्या ७१

क

कद्रुक १८५

कठिन १८५

कदम्बक (देव) १४६

कनकायली (तप) ३०६

कन्दर्प (अनिचार) २६९, २७४

कमलपूजा २६५.

करुणावृत्ति २४६, २४७

कर्म

—के बन्धहेतुओं का निर्देश २७९.

—के बंध के प्रकार २८२

—की आठ मूल प्रकृतियाँ २८४

—की उत्तर प्रकृतियाँ २८५.

—की पुण्य और पाप प्रकृतियाँ

२९७

—के आत्यन्तिक क्षय के दो कारण

३४३.

कर्मबन्ध

—में विरोधता २२१

कर्मभूमि १२८

—की व्याख्या १३४

—का निर्देश १३४

कर्मयोग ८९.

कर्मस्कन्ध २९५

कर्मेन्द्रिय ८१

—पाँच हैं ८१

कल्प स्वर्ग १३८. १५५

कल्पानीत (स्वर्ग) १३८

कल्पोपपन्न १३८, १५०

कवलाहार ३१५

कपाय २१७, २१८, २७९, २८५

—चार हैं २१८, २१९.

—में स्थिति और

बन्ध होना है २८०, २८४

कपाय कुशील (निर्ग्रन्थ) ३३८

—में चार गंयम होते हैं ३३८

—में धृतका बन्धन ३३८

—के विरायना नहीं होती ३३९

कपायचास्त्रि मोहनीय २८६

कपायमोहनीय

—के बंध वाग्ण २३०

कपायधेदनीय

—के १६ भेद २८६

- कांशा (मनिवार) २६६, २६७
 कादम्ब (द्वय) १४६
 कापिष्ठ (स्वर्ग) १६१
 काममुञ्ज १४०
 कायक्लेश (तप) ३१८, ३१९
 कायगुप्ति ३०२
 कायदुष्प्रणिधान २६९, २७०
 कायनिसर्ग २२५
 कायप्रवीचर १४१
 —एव स्वर्ग प्रवीचर आदि भी
 १४१, २१४
 काययोग २१४
 कायस्थिति १३७
 कायस्वभाय २४९
 कायिकीक्रिया २१५
 काहित २०३, २२६
 काहण्य १५६
 कार्मण (दासीर) १००, १०२, १०७,
 २९८
 —प्रतिपत्त रतिवर्ग १०४
 —श्री वाच मर्दान १०५
 —के स्वामी १०५
 —गमारी शौचो के निम्न १०८
 —निष्कामोवर्ग १०७
 —मोक्षिण और मायमय मही ५१०
 —कर्मनिष्ठ और इतिम मही
 १०७
 —रत्नमाला अनु प्रकाश रूप
 १०६

- मोक्षिण और मोक्षिण १०१
 १०१
 कार्मणयोग १०, ११
 —विपद्गति में १०
 काल (इन्द्र) १४०
 काल (देव) १६२
 काल (द्रव्य) १३५
 —आपहार मनुष्यालोच में १३६
 —वा विभाग योनियुक्तो वा विधि?
 १३८
 —भोज वर्तमान आदि १६८
 —मुञ्ज, भगवन्, अन्त १४८
 —के तत्त्वमय शक्ति में मन्त्रे
 १५५
 —वा कार्य इयम काल १६२
 —निर्गो के मग मे इयम १६२
 —स्वाय इयम मही २०७
 —के वर्तमान आदि योनि २०७
 —श्री ओषा के विधि वा विचार
 १६०
 काला वर्ष १६५
 कालाविक्रम (मनिवार) २००, २०१
 कालावृष्टि (ममुञ्ज) १६२
 किलर
 —इन्द्र १४०
 —देव १६३, १६४
 —देव के रूप प्रकार १६५
 किलामोक्षम (द्वय) १४६
 किलुष्य

—इन्द्र १४०

—देव १४३, १४५

—देव के दस प्रकार १४५.

किंपुष्पोत्तम (देव) १४५

किल्बिषिक (देव) १३९

कीलिका (संहनन) २९९

कुप्यप्रमाणातिक्रम (अतिचार)

२६९, २७३

कुञ्ज (संस्थान) २९९

कुल

—का मद ३०५

—की वैयावृत्य ३२१, ३२२

कुशील (निर्ग्रन्थ)

—के दो भेद ३३८

कृदलेघ क्रिया (अतिचार) २६०,

२७१

कृदस्थनित्य १९५

—आत्मा ६८

कृदस्थ नित्यता ६९

कृप्माण्ड देव १४६

कृत २२३, २२४

केवल ३४२

केवल ज्ञान ४४, ४६

—का विषय ४४, ४६

केवलज्ञानावरण २८७

केवलज्ञानी २२७

—का अवर्णवाद २३२

केवलदर्शन ७७

केवलदर्शनावरण २८६, २८७

केवलि समुदात १७५

केवली ३३०

केवल्य ३४०

कौत्कुच्य (अतिचार) २६९, २७४

क्रिया १८३

—पञ्चीत है २१९

क्रोध (कषाय) २१८

क्रोधप्रत्याख्यान २४३

क्षपक (सम्प्रवृष्टि) ३३५, ३३७

क्षमा ३०३

क्षय ३४२, ३४३

क्षान्ति २२६, २३१

क्षायिक चारित्र ३४४

क्षायिक ज्ञान ३४४

क्षायिक दर्शन ३४४

क्षायिक भाव ६७, ६९

—के नौ भेद ६८, ७१

क्षायिक धीर्य ३४४

क्षायिक सम्यक्त्व ३४४

क्षायिक सुख ३४४

क्षायोपशमिकभाव (मिथ) ६७, ६९

—के अठारह भेद ६८, ७१

क्षिप्रप्राही २४

क्षीण कषाय ३२९

क्षीण मोह ३१५, ३३०, ३३७

क्षुद्रसर्वतोभद्र (तप) ३०६

क्षुधा परीचद ३११, ३१२

क्षुधकामिह विक्रीडित (नव) ३०८

क्षेत्र १२, ३४६

—की व्याख्या १३

—की शब्दों का अर्थ १४

—की अपेक्षा में मित्रों का विचार
३४७

क्षेत्रवास्तु प्रमाणातिक्रम (भक्ति-
चार) ३६९

—की व्याख्या ३७३

क्षेत्रशुद्धि (भक्तिचार) ३६९

—की व्याख्या ३७३

क्षेत्रसिद्ध ३८९

ख

खट्टा रत्न) १८५

खट्ट्याह १८६

खण्ड १८८

खण्डकाण्ड १८०

ख

खण

—की संज्ञा २३१

खनि ३४६

—की १०

—की ११

—की २८७

—की अपेक्षा में मित्रों का विचार
३४७

—की और पृष्ठ १०१

गतिस्थिति

—की उत्पत्ति का कारण १०१

पृष्ठ १०१

गन्ध

—की १८५

—की ३८७, ३९०

गर्दनीय (गोकार्थिक) १३६

—की व्याख्या १३६

गर्भसम्भ १७

—की परिभाषा १७

गान्धर्व १३३

—की उत्पत्ति का कारण १३३

गति यत्न

—की १४०

—की १४३

गीतरति

—की १८०

—की १८३

गुण २०६, २१०

—की उत्पत्ति और उत्पत्ति का कारण २०६

—की उत्पत्ति और उत्पत्ति का कारण २०६

—की उत्पत्ति और उत्पत्ति का कारण २०६

—की उत्पत्ति और उत्पत्ति का कारण २०६

गुणप्रत्यय (अपभ्रंश) १३

—की व्याख्या १३

—की १३३

च

गुणस्थान २८०, ३००.

गुणि ३०१.

—के तीन भेद ३०२.

—और समिति में अन्तर ३०३

गुरु

—ग्रह १४६

—स्पर्श १८५

—के पाँच प्रकार ३०६

! गुरुकुल ३०६

गृहस्थलिंग ३४७

गोत्र (कर्म) २८४, २८५

—के दो भेद २८७

—की स्थिति २९२

गोमूत्रिका (चक्रगति) ९३

ग्रह १४४

—की ऊँचाई १४६-१४७

लान ३२१, ३२२

वियक (स्वर्ग) १४४.

—का स्थान १५०

—की स्थिति १६०

घ

गन १८७

नवात ११८, १२१

नान्यु ११७

! घनादधि ११८, १२१

घर्मा (नरक) १२०

घातन (नरक) १२१

घातिकर्म ३१५

घाण ८१

चक्रवर्ती ११४

चक्षु ८१

चक्षुदर्शन ७७

चक्षुदर्शनावरण २८३, २८७

चतुरण्युक्त १७४

चतुरिन्द्रिय ८१

--जीव ८७

—नामकर्म २९०

चतुर्दशपूर्व ३३८

चतुर्दशपूर्वधर १००

चतुर्निकाय १३७, १३८

चतुर्निकायिक (वेध) २२८

--प्रत्येक के इन्द्रादि दत्त-दत्त अवा-
न्तर भेद १३८

चन्द्र १४४

—ज्योतिष्कों का इन्द्र १४०

—की ऊँचाई १४६

चन्द्रमस १४३

चमर (इन्द्र) १३९

—की स्थिति १५९

चम्पक १४६

चरज्योतिष्क १४७

चरमवेद ११४

देशो उत्तम पुठय

चर्यापरीपद ३११, ३१३

चाक्षुष १९१

च

(तय) ३०६.

वारिष्ठ २७०, २०१, ३१७

—याँप हं ३१५

—की अवस्था में निद्रों का विचार
३४८

—को विनय ३२१

वारिष्ठ मोह } २८६

आन्विमोहनीय

—के २५ प्रकार २८६

—के दो भेद कषाय और मो

कषाय २८३

—में गान परीपह होने ही ३११

—के व.प.हेतु २२७

चिन्ता २०

चेतनाशक्ति १०६

चोरी २५६

चौक्ष (देव) १४९

चौर्णिक १८८

छ

छद्मस्थ १२४, १२६

छद्मस्थधनिराम

—के १४ परीपह ३११

छविच्छेद (अनिवार) २९९, २७१

छाया १८३

—के दो प्रकार १८८

छेद (प्रायश्चित्त) ३२०

संशोभमान } (वारिष्ठ)

संशोभ्यापनीय } ३१९, ३१७

—निर्गतिवार और गतिवार

३१४

—मंथन में तीन निर्वन्ध ३१८

ज

जगरस्थभाष २४६

जम्बूद्वीप १२७, १२८

—में गान शेष १२८, ११०

—में छह वर्गपर १२८, ११०

—का परिमाण १२९

—के मध्य में मेरु पर्वत है १२९

जगत् ७१

—जैनदृष्टि के अनुसार ११६

जघन्य २०१

जघन्येतर २०१

जन्म १६, १७

—के तीन प्रकार १६, १७

—और मोनि का भेद १६

जन्मसिद्ध २४९

जयन्त (स्वर्गी) १४४

—में उच्छ्रित स्थिति १६०

जरायु ९९

जरायुज ९९

जलकान्त (इन्द्र) ११९

जलमय (इन्द्र) ११९

जलपद्म (शाम्भु) १२०

जलराक्षस (देव) १८६

जलममाधि २६५

जाति २११

जाति नामकर्म २८७, २८९, ३१५

—मर ३०७

रजित ३३५

—में ११ परोपह हैं ३११

—की परिभाषा ३३७

जीव ७६, १६५, २८२

—मोक्षाभिमुख ५०

—संसाराभिमुख ५०, ७३

—के पाँच भाव ६७ (देखो भाव)

—के असंख्यात प्रदेश हैं १६९

—की स्थिति २७२

—असंख्यातप्रदेश वाले लोकाकान्त
में अनन्त जीव कैसे समा सकते

हैं—१७७

—का कार्य द्वारा लक्षण १८२

जीवत्व ६८

जीवतत्त्व

—का आधारक्षेत्र १७५

—प्रदीप की तरह संकोच
शील है १७६

जीवद्रव्य

—व्यक्तिरूप में अनन्त है

—के न्यूनाधिक

—अमृत भी मृतवत्

—स्वभाव में

—प्रियाशील है

और भवस्थिति

१३५

जीवन्मुक्ति

हेतु २२७

जीवन्मुक्ति

२८९

जीवन्मुक्ति

नकर्म) २९८

जीवन्मुक्ति

कर्म) २९९

जीवन्मुक्ति

कर्म) २९९

जीवन्मुक्ति

से सिद्धों का विचार

३४८

जीवन्मुक्ति

२४

जीवन्मुक्ति

७५

जीवन्मुक्ति

७

जीवन्मुक्ति

कर्म) २९८

जीवन्मुक्ति

२२८

जीवन्मुक्ति

विशेष (अतिचार)

२६९, २७३

जीवन्मुक्ति

२४५

जीवन्मुक्ति

१४६

जीवन्मुक्ति

अतक) १

जीवन्मुक्ति

५६

जीवन्मुक्ति

६

जीवन्मुक्ति

३१

जीवन्मुक्ति

११

जीवन्मुक्ति

१

- उपयोग को एक ही ४७
- केवलमान के साथ मति आदि के होने न होने में मतभेद ४८
- में विनय और उदात्त हेतु ४८
- की अज्ञानता का मूल विषय-दर्शन ४९
- की विनय ३२१
- की अपेक्षा में विद्वानों का विचार ३४८

ज्ञानदान २३६

ज्ञानापरण } २३७, २४४, २४५,
ज्ञानापरणीय } २५९, ३४२

- के बन्धहेतु २२६
- के आठ भेद २८६
- की स्थिति २९२, २९३
- में प्रसाद और अज्ञान परीपह ३१३

ज्ञानेन्द्रिय ८१

- सर्वादि पाँच में ८१

ज्ञानोत्पत्तिक्रम

- अवयवहादि का मतेतु ६६
- का निर्हेतुक २२

ज्ञानोपयोग २२८, २३६

ज्योतिष्क १३५, १४४

- में विना पीतलस्य १३७
- के पाँच भेद १३८
- मनुष्यमनुष्य के विनाकति पाँच में १४४

—के द्वारा काल का विनाय विना जाता है १४४

—मनुष्य मनुष्य के साथ विपर १४४

—का स्थान और अंग १४५

—का विद्व १४७

—का प्रथम १४७

—की सहाय १४७

—के विमानों को उड़ाने का हेतु १४७

—की स्थिति १४७

त

मत १८६

सत्य ७

—सोचादि नों में ७

—का मन्नाय ८

—को उपरति ८

—के जानने के उपर १३

—के धारणे के लिये योग्यता १३

संस्थापन ५

संस्थापन (ज्ञान दर्शन का क्षेत्र) ३१६

—आदि बन्धहेतु ३८१

संस्थापन ३१८

देखो संस्थापन

संस्थापन परिणाम १४०

संस्थापन ११५, २१०

बुधात् ११८

—आकाश पर प्रतिष्ठित हैं १२१

१२२८, २३६, ३०१, ३०३, ३२०
३२०.

—के दो भेद सकाम और निष्काम
३०१

—धर्म की व्याख्या ३०५

—ने नाना भेद ३०६

—का वर्णन ३१८

—के बाह्य छह भेद ३१८

—के आभ्यन्तर छह भेद ३१८

—की परिभाषा ३१८

तपस्वी ३२१, ३२२

तमस (बन्धकार) १८८

तमः प्रभा ११७

—नाम क्यों है १२०

—विवरण के लिये देखो धूमप्रभा

ताप २२६, २२९

तारा १४४

—की ऊँचाई १४६

—की उत्कृष्ट स्थिति १६३

तालपिशाच (देव) १४६

त्रिक (रस) १८५

तिरछीगति ३४५

तिर्यग्योनि १२७, १५८

तिर्यग्लोकसिद्ध ३४९

तिर्यग्व्यतिक्रम (अतिचार) २६९,

२७३

तिर्यञ्च १२८, १५५

—की कायस्थिति और भवस्थिति
१३५

—आयु के बन्ध हेतु २२७

—आयु २८७, २८९

—आयुष्क (नामकर्म) २९८

—गति (नामकर्म) २९९

आनुपूर्वी (नामकर्म) २९९

तीर्थ ३४६

—की अपेक्षा से मित्रो का विचार
३४८

तीर्थकर { ११४

तीर्थकर { १२५

तीर्थकरत्व २८७

तीर्थकरनाम (कर्म) २९८

—के बन्धहेतु २२८

तीव्रकामाभिनिवेश (अतिचार)
२६९, २७३

तुम्बुरव (देव) १४५

तुम्बव (देव) १४६

तुषित (लोकान्तिक) ११६

—का स्थान १५६

तूष्णीक देव १४६

तृणस्पर्शपरीषद् ३४९

तृषा परीषद् ३४९

तैजस (नामकर्म)

देखो कामर्ण

- स्याम २२८, २३६, २०५
 —ब्रह्म ३०१
 प्रस (जीव) ७८, ७९
 —के भेद ७९
 —के दो प्रकार सन्निप्रस और
 गतिप्रस ८०
 प्रस (नाम कर्म) २८७, २९०,
 २९८
 प्रसत्य ७९
 प्रसादशक (नामकर्म की पिण्ड
 प्रकृतियाँ, २९०
 प्रसनाही १०४
 प्रायश्चित्त (देवजाति) १३९
 प्रीन्द्रिय (नामकर्म) २९९
 प्र्यणुक (स्कन्ध) १७४
 प्रीन्द्रियजीव ८१
 —की गणना ८७
 द
 दंशमशक परीषद् २११, २१२
 दक्षिणार्ध १५८
 दक्षिणार्धपति १५८
 दग्ध (शल्य) २५९
 दर्शनक्रिया २१९
 दर्शनमोह
 दर्शनमोहनीय }
 —के बन्धहेतु २२७
 —के तीन भेद २८६
 —के मर्याद परीषद् होती हैं २११
 दर्शनमोह क्षयक २१९, २१९
 दर्शनयिनय २११
 दर्शनयिनुक्ति २२८, २१७
 दर्शनावरण } (ब्रह्म) २८८,
 दर्शनावरणीय } २१९, २१२
 —के बन्धहेतु २२५, २२६
 —के तीन भेद २८६
 —की उत्पत्ति विधि २१२
 —की उपपत्ति विधि २१२
 दशादशमिका (प्रतिमा) १०६
 दान ६८; २२७, २३१, २३३
 —की विवेचना २७३
 —सद्गुणों का दान है १७३
 —के चार भेद २७३
 —में विधि की विवेचना २७३
 —में द्रव्य की विवेचना २७३
 —में दाता की विवेचना २७८
 —में पात्र की विवेचना २७६
 दानास्तमाय (कर्म) २८७, २१८
 दासीदान प्रमाणातिबन्ध
 (प्रतिघार) २१९, २३३
 दिक्कुमार १४१
 —का धिक् १४५
 दिग्गन्धर २११, ११३
 दिग्गन्धर्व २०६
 दिग्दग्ध
 —माकाय के विषय आदि १८५
 दिग्विपति (यत्) २६१, २६३

—के अतिचार २६९, २७३

दिन १४८

दिनभोजन } २४१
दिवाभोजन }

—प्रसंसनीय है, इस मान्यता के
तीन कारण २४२

दीक्षाचार्य ३२२

दीपक २८२

दुःख १८२, २२९

—अज्ञाता वेदनीय का बन्धहेतु
२२६

दुःख भावना २४७

दुःख वेदनीय (कर्म) २८६

दुःस्वर (नामकर्म) २८७, २९१,
२९९

दुर्गन्ध १८५

दुर्मग (नामकर्म) २८७, २९७,
२९९

दुष्पक्व आहार (अतिचार)
२७०, २७५

दुष्पणिघान २६८

दुष्प्रमार्जित निक्षेप २२४, २२७

देव २२७

—के चार अतिचार १३७

—के कामसुख का वर्णन १४१

—का अवर्णवाद २३२

देवकुरु १२८

देवगति (नामकर्म) २९८

देवर्षि (लोकान्तिक देव) १५६

देवानुपूर्वा (नामकर्म) २९८

देवायु २८७, २८९

—के बन्धहेतु २२७

देवायुष्क (नामकर्म) २९८

देवी १४१

देशधिरत ३२८

देशधिरति (अत) २६१, २६३

—के अतिचार २६९, २७४

देशमत (अणुमत), २४२

देह (देघ) १४६

दीपदर्शन २४६

—ऐहिक और पारलौकिक २४७

द्युति (देव की) १५०, १५१

द्रव्य २७, २०५, २०८

—पांच है १६५

—का सामर्थ्य और बंधम्यं १६६

—के स्थिति क्षेत्र का विचार १७२

—की स्थिति लोकाकाश में ही
१७२

—अनन्तगुणों का असंख्य समुदाय
२०७

द्रव्यदृष्टि १७, ५५, १९८, १९९

द्रव्यधन्व ७८

द्रव्यभाषा १८१

द्रव्यमत १८१

द्रव्यलिङ्ग ३३९

द्रव्यवेद १११

- जीन है १११
 द्रव्यद्विधा २५३
 —का अर्थ २५३
 द्रव्याधिकरण २२३
 द्रव्याधिकनय ५७
 —का विषय ५८
 —भेदात्म्य विषय ५६
 —के विशेष भेदों का स्वरूप ५६
 —के तीन भेदों का पारस्परिक
 भेद और सम्बन्ध ५९
 द्रव्यास्तित्व ३३३
 द्रव्येन्द्रिय ८२
 —के दो भेद ८२
 द्विवचन १५७
 छिन्दिय (जीव) ८१
 —की गणना ८७
 —वाक्यार्थ २९९
 द्रौपदीकृत १४३
 द्रौपदीकृत १२७
 —अवस्था है १२८
 —सुमेतामवादि है १२८
 —का भाग १२८
 —की रचना १२९
 —की आरति १२९
 द्रौपदीकृत १५०
 द्वेष २५८
 द्वेषगुण (द्वेषगुण) १५५

ध

- धनधान्यप्रमाणातिक्रम (मति-
 धार) २१९, २७१
 धरण (इन्द्र) ११९
 —की तिथि १५९
 धर्म १०१, १०२
 —का अर्थ २२०, २३२
 —के दण्ड भेद १०१
 धर्मध्यान ३२९
 —गुणधन और उपार्जन है ३३०
 —के स्वामी ३२९
 —के धार भेदों की व्याख्या ३२९
 ३३०
 —के स्वामियों के विषय में उपदेश ३३०
 धर्मस्वाध्यायतत्त्वानुभेदा १०६
 ३३०
 धर्मोपदेश १४६
 —के विवेकपूर्ण के विवेक देना
 धर्मोपदेश १२२
 धर्मोपदेश १२८, १२९
 —का अर्थ ११३
 धारणा २२
 —के भेद २३
 धूमप्रसा ११७
 —का अर्थ १२०

- में नरकवास १२२
- में लेश्या १२३
- में वेदना १२३
- में स्थिति १२५
- में प्राणिगमन १२५
- ध्यान ३१८, ३१९, ३२३, ३२४
- का कालमान ३२३, ३२५
- का अधिकारी ३२३
- के स्वरूप में मतान्तर ३२५—
३२६
- के चार भेद ३२७

ध्यान प्रवाह ३२६

ध्यानान्तरिका ३२५

ध्रुव २३, २५

धौव्य १९३

न

नक्षत्र १४४

—की ऊँचाई १४६

नग्नत्व परीपह ३११, ३१२

—के विषय में मतभेद ३१२

—को अचेलक परीपह भी

कहते हैं ३१३

नपुंसक

नपुंसकलिङ्ग

नपुंसकघेद

} १११, २८६

—का विकार ११२

—के विकार का उदाहरण ११२

—में कठोरता और कोमलता का
मिश्रण ११२

—के वन्य कारण २३३

—उत्पादक कर्म २८९

नम्रवृत्ति (नीचैर्बृत्ति) २२८, २३७
नय २११, ५१

—और प्रमाण का अन्तर ११

—के भेदों की तीन परंपराएँ ५१

—के निरूपण का क्या भाव है ५१

—विचारात्मक ज्ञान है ५२

—श्रुत ज्ञान होते हुए भी अलग
देशना क्यों ५२

—न तो स्वतंत्र प्रमाण है और न
अप्रमाण ही ५३

—श्रुत प्रमाण का अंश है ५३

—को श्रुतज्ञान से अलग कथन
करने का कारण ५३

—का सामान्य लक्षण ५५

—के संक्षेप में द्रव्याधिक और
पर्यायाधिक दो भेद ५५

—के विषय में शेष वक्तव्य ६४

—के पर्यायशब्द-नयदृष्टि, विचार
सरणि सापेक्ष अभिप्राय ६५

—के दो भेद शब्द नय और अर्थ
नय ६६

—के दो भेद ज्ञाननय और क्रिया-
नय ६६

नयवाद ५१, ५२

—तीन हैं १११

द्रव्यहिंसा २५२

—ना अर्थ २५२

द्रव्याधिकरण २२३

द्रव्याधिकनय ५७

—ना नियम ५८

—संतत विषयक ५६

—के विशेष भेदों का स्वरूप ५६

—के तीन भेदों का पारस्परिक

भेद और सम्बन्ध ५९

द्रव्यास्तिक्य ३१३

द्रव्येन्द्रिय ८२

—के दो भेद ८२

द्विचरम १५७

द्रिन्द्रिय (जीव) ८१

—की गणना ८७

—नामधर्म २५९

द्वीपकुमार १४३

द्वीपसमुद्र १२७

—असंख्यात हैं १२८

—सुखनामकाने हैं १२८

—ना आत १२८

—की रचना १२९

—की भावना १२९

द्वीपमिद १५०

द्वेष २५८

द्वेषणक (इच्छा) १५५

ध

धनधान्यप्रमाणातिक्रम (सौं-
धार) २८९, २७१

धरण (इन्द्र) ११९

—की स्थिति १५९

धर्म १०१, २०३

—ना अर्थसंसार २२०, २१२

—के दस भेद ३०३

धर्मध्यान ३२९

—गुणान्ते धीर, अकारेण ही ३२९

—के दशांगी ३२९

—के चार भेदों की व्याख्या ३३०

—के अर्थसंसार ३३०

—के अर्थसंसार के अर्थसंसार ३३०

धर्मसाध्यात्मदानुभवा ३०३

—के अर्थसंसार ३३०

धर्मस्तिक्याय ३४९

—के अर्थसंसार के अर्थसंसार

—के अर्थसंसार के अर्थसंसार

धर्मोपदेश १३२

धानकी कथा १२८, १२९

—का अर्थ १३१

धारणा २२

—के अर्थ २३

धूम्रमा ११७

—नाम ११७

- में नरकवास १२२
- में लेश्या १२३
- में वेदना १२३
- में स्थिति १२५
- में प्राणिकमन १२५
- ध्यान ३१८, ३१९, ३२३, ३२४
- का कालमान ३२३, ३२५
- का अधिकारी ३२३
- के स्वरूप में मतान्तर ३२५—
३२६

- के चार भेद ३२७
- ध्यान प्रवाह ३२६
- ध्यानान्तरिका ३२५
- ध्रुव २३, २५
- ध्रौव्य १९३

न

- नक्षत्र १४४
- की ऊँचाई १४६
- नग्नत्व परीपह ३११, ३१२
- के विषय में मतभेद ३१२
- को अचेलक परीपह भी कहते हैं ३१३

- नपुंसक
नपुंसकलिङ्ग
नपुंसकधेद } १११, २८६
- का विकार ११२
- के विकार का उदाहरण ११२

- में कठोरता और कोमलता का मिश्रण ११२
- के बन्ध कारण २३३
- उत्पादक कर्म २८९
- नम्रवृत्ति (नीचैवृत्ति) २२८, २३७
- नय २११, ५१
- और प्रमाण का अन्तर ११
- के भेदों की तीन परंपराएँ ५१
- के निरूपण का क्या भाव है ५१
- विचारात्मक ज्ञान है ५२
- श्रुत ज्ञान होते हुये भी अलग देशना क्यों ५२
- न तो स्वतंत्र प्रमाण है और न अप्रमाण ही ५३
- श्रुत प्रमाण का अंश है ५३
- को श्रुतज्ञान से अलग कथन करने का कारण ५३
- का सामान्य लक्षण ५५
- के संक्षेप में द्रव्याधिक और पर्यायाधिक दो भेद ५५
- के विषय में शेष षड्विध ६४
- के पर्यायशब्द-नयदृष्टि, विचार सरणि मापेश अभिप्राय ६५
- के दो भेद शब्द नय और अर्थ नय ६६
- के दो भेद ज्ञाननय और क्रियानय ६६
- नयघाद ५१, ५२

- वा इतरा नाम अनेकायाद ५३
- के कारण ज्ञेयत्व ज्ञान की विशेषता ५३
- आगम प्रमाण में समाविष्ट है ५३
- को आगम प्रमाण में प्रयुक्त करने का कारण ६४
- की प्रतिष्ठा में हेतु ५४
- नरक (मरकापास) ११०
- और नारक का अन्तर १२२
- नरकगति (नामकर्म) २२१
- नरकभूमि ११८
- नारको का निवासस्थान ११८
- अपोजीव में है ११८
- गात्र है ११८
- के एक दूगटे के मोक्ष है ११८
- की मोक्षार्थ ११९, १२०
- के मान जमोदधिषण्ड १२०
- के चर्मा आदि नाम १२०
- का सम्मान सत्ताविष्णु के समान १२१
- में नरकावासियों का स्थान १२१
- में प्रार्थों की संख्या १२२
- में नरकावासियों की संख्या १२२
- में वेदवा, परिणाम, इतरे १२२, १२३
- में वेदवा और विविधा १२३
- में वेदा होनेवाले प्राणियों का वचन १२५

- में निर्वच और अन्वय ही वेद ही मन्त्रे हैं १२३
- नरकायु
- के अन्वये २२०
- नरकापास ११९
- यद्य के लिये के मनुष्य अन्वये ही है १२२
- का सम्मान १२३
- नयनवमिका (अतिमा) २०६
- नाग (देव) १४६
- नागकुमार १४३
- का विद्व १४९
- की विधि १५२
- नागाय २८२, २८३
- नाम
- योगिक और वह १०
- नाम (कर्म) २८४, २८५
- की ४२ प्रहृतिर्था २८२, २८३
- की व्यक्ति २९२
- नारक ११०
- का उद्धार अन्वय ही है ११९
- अन्वय ही ही है ११९
- के वेदवा, परिणाम, इतरे १२२, १२३
- के वेदवा, विविधा १२३, १२४
- के तीन वेदवा १२४
- अन्वय ही ही है १२५, १२६

—की स्थिति ११८, १२५, १६२

—मर कर न देव बनते हैं न
नारक १२५

नारकानुपूर्वी (नामकर्म) २९९

नारकायु } २८७, २८९, २९९
नारकायुष्क }

नारद (देव) १४५

नाराच (संहनन) २९९, ३२३

नाश ३३३

निःशल्य २५९

निःशीलत्व २२७, २३४

निःश्रेयस ३०१

निःसृतायग्रह २४

—देखो निश्चित

निकाय १३७

निक्षेप ९, २२३, २२४

—के नाम आदि चार भेद और
उनकी व्याख्या ११, १२

—के अपत्यवेक्षित आदि चार भेद
और उनकी व्याख्या २२४, २२५

निगोदशरीर १७७

निग्रह ३०१

नित्य १९५, १९६, १९७

नित्य अवक्तव्य १९९

नित्यत्व १६७

नित्यानित्य १९९

नित्यानित्य अवक्तव्य १९९

निदान (शल्य) २५९

निदान (आर्तध्यान) ३२८

निदानकरण २७०, २७६

निद्रा २८६

निद्रानिद्रा २८६

निद्रावेदनीय (कर्म) ३२०

निद्रानिद्रावेदनीय (कर्म) ३२०

निन्दा २३६

निघन्ध ४४

निरन्तर सिद्ध ३४९

निरन्वय क्षणिक १९४

निरन्वय परिणाम प्रवाह ६८, ६९

निरोध ३००

निर्ग्रन्थ ३३७, ३३८

—के पाँच भेद ३३७

—की विशेष विचारणा ३३८

—के यथाख्यात मंयम ३३८

—में श्रुत ३३८

—तीर्थ (शासन) में होते हैं ३३९

—में लेदया ३३९

—का उपपात ३४०

—के समय प्रकार ३४१

निर्जरा २९३, २९५, ३३५

—फलवेदन और तप में होती है
२९५

—की परिभाषा ३३५

—मोक्ष का पूर्वगामी अंग है ३३५

निर्जरानुप्रेक्षा ३०६, ३०९

निर्देश १२

—या दूसरा नाम अपेक्षावाद ५३

—के कारण त्रैतत्त्व ज्ञान की
विशेषता ५३

—आगम प्रमाण में समाविष्ट है
५३

—जो आगम प्रमाण से पृथक् करने
का कारण ५४

—की प्रतिष्ठा में हेतु ५४

नरक (नरकावास) ११७

—और नारक का अन्तर १२२

नरकगति (नामकर्म) २९९

नरकमूर्ति ११८

—नारकों का निवासस्थान ११८

—अधोलोक में है ११८

—गात है ११८

—के एक दूसरे के नीचे हैं ११८

—की मीटाई ११९, १२०

—के गात पनोदधियलय १२०

—के घर्मों आदि नाम १२०

—का नरवान छत्रातिछत्र के
समान १२१

—में नरकावासीों का स्थान १२१

—में प्रतरों की संख्या १२२

—में नरकावासीों की संख्या १२२

—में वेदना, परिणाम, शरीर
१२२, १२३

—में वेदना और विक्रिया १२३

—में पैदा होनेवाले प्राणियों का
वधन १२५

—में निर्वच और मनुष्य ही पैदा
हो सकते हैं १२५

नरकायु

—के बन्धहेतु २२७

नरकावास १२१

—वज्र के घूरे के सदृश तलवाले
होते हैं १२२

—का संस्थान १२२

नयनधमिका (प्रतिमा) २०६

नाग (देव) १४६

नागकुमार १४३

—का चिह्न १४५

—की स्थिति १४५

नाग्य २८२, २८३

नाम

—योगिक और कृद १०

नाम (कर्म) २८४, २८५

—की ४२ प्रवृत्तियाँ २८७, २८९

—की स्थिति २९२

नारक ११७

—का उपवास ब्रह्म होता है ११९

—नपुंसक हो होते हैं ११९

—के वेदना, परिणाम, शरीर
१२२, १२३

—के वेदना, विक्रिया १२३, १२४

—के तीन वेदनाएँ १२४

—अनपचनेयोग आमुखादि होते हैं
१२५, १२५

—की स्थिति ११८, १२५, १६२
 —मर कर न देव बनते हैं न
 नारक १२५
 नारकानुपूर्वी (नामकर्म) २९९
 नारकायु } २८७, २८९, २९९
 नारकायुष्क }
 नारद (देव) १४५
 नाराच (संहनन) २९९, ३२३
 नाश ३३३
 निःशल्य २५९
 निःशीलत्व २२७, २३४
 निःश्रेयस ३०१
 निःसृताद्यग्रह २४
 —देखो निश्चित
 निकाय १३७
 निक्षेप ९, २२३, २२४
 —के नाम आदि चार भेद और
 उनकी व्याख्या ११, १२
 —के अप्रत्यवेक्षित आदि चार भेद
 और उनकी व्याख्या २२४, २२५
 निगोदशरीर १७७
 निग्रह ३०१
 नित्य १९५, १९६, १९७
 नित्य अवक्तव्य १९९
 नित्यत्व १६७
 नित्यानित्य १९९
 नित्यानित्य अवक्तव्य १९९
 निदान (शल्य) २५९

निदान (आर्तध्यान) ३२८
 निदानकरण २७०, २७६
 निद्रा २८६
 निद्रानिद्रा २८६
 निद्रावेदनीय (कर्म) ३२०
 निद्रानिद्रावेदनीय (कर्म) ३२०
 निन्दा २३६
 निघन्ध ४४
 निरन्तर सिद्ध ३४९
 निरन्वय क्षणिक १९४
 निरन्वय परिणाम प्रवाह ६८, ६९
 निरोध ३००
 निर्ग्रन्थ ३३७, ३३८
 —के पाँच भेद ३३७
 —की विशेष विचारणा ३३८
 —के यथाख्यात मंथम ३३८
 —में श्रुत ३३८
 —तीर्थ (वासन) में होते हैं ३३९
 —में लेश्या ३३९
 —का उपपात ३४०
 —के संयम प्रकार ३४१
 निर्जरा २९३, २९५, ३३५
 —फलवेदन और तप में होती हैं
 २९५
 —की परिभाषा ३३५
 —मोक्ष का पूर्वगामी अंग है ३३५
 निर्जरानुप्रेक्षा ३०६, ३०९
 निर्देश १२

निमयता २४३

निर्माण (नामकर्म) २८७, २९१,

२९८

निर्घर्तना २२३, २२४

—के दो भेद २२४

निर्घाण १२५

निर्वृत्तीन्द्रिय ८२

निर्वेद ६, ३०७

निर्मतत्व २२७, २३४

निश्चित २४

निश्चितग्राही २३, २४

निश्चयदृष्टि

—के सभी द्रव्य स्व प्रतिष्ठ हैं २७२

निश्चय हिंसा (भाषाहिंसा) २५२

निषद्यापरीषद् ३११, ३१३

निषध (पर्यत) १२८, १३१

निष्क्रिय

—धर्मास्तिकाय भादि तीन द्रव्य

१६८, १६९

निसर्ग ६, २२३, २२४

—के तीन भेद २२५

निसर्गक्रिया २२०

निद्रय २२६, २२९

नीचगोत्र (कर्म) २९१

—के अन्यहेतु २२८, २८७, २९९

नीचगोत्र २२६

नीधैर्युक्ति (नम्रवृत्ति) २२८

नील (पर्यत) १२८, १३१

नीला (हरारंग) १८२

नैगम (नय) ५१, ५६, ५७

—का उदाहरण ५७

—ग्रामान्यग्राही है ५९

—का विषय मय से विनाश ५१

नैयायिक ९८

नोकपाय

नोकपायचारित्र मोहनाय } २८९

नोकपाय धेदमीय } २९९

न्यप्रोधपरिमण्डल (संस्थान)

२९९

न्यायदर्शन १९५, १७९

न्यास (देवों निधेय) ९

न्यासापहार (भक्तिचार) १९९

प

पक्ष १४८

पक्षी १२६

पद्मप्रभा ११७ (विवरण के

लिये देवों धूमप्रभा)

पद्म बहुल (काण्ड) १२०

पञ्चेन्द्रिय ८१

—की गणना ८७

पञ्चेन्द्रिय जाति (नामकर्म) २९८

पटक (द्वेष) १४९

पटुक्रम ३०

—की ज्ञानपारा के लिये हीन

का दृष्टान्त ३२

परारव १८३

परनिन्दा २२८, २३६

परप्रशंसा २२८, २३६

परमाणु १६८

—रूपी मूर्त है १६८

—के प्रदेश (अंश) नहीं होते

१६९, १७१, १८९

—का परिमाण सबसे छोटा है

१७१

—द्रव्य से निरंश है पर्याय रूप से

नहीं १७२

—एक ही आकारा प्रदेश में स्थित

रहता है १७४

—अल्पद्रव्य, नित्य, तथा सूक्ष्म, एक

वर्ण, एक गन्ध, एक रस, और दो

स्पर्श वाला होता है १८९

—अतोन्द्रिय है आगम और अनु-

मान से साध्य है १८९

—भेद से ही उत्पन्न होता है १९०

—किसी का कार्य नहीं १९१

—को उत्पत्ति सिर्फ पर्याय दृष्टि

से १९१

—द्रव्य दृष्टि से नित्य है १९१

परमाधार्मिक द्वेष १२४, १२६

पररूप (परोपेक्षा) १९७, १९८

परलिंग ३४७

परविवाह करण (अतिचार)

२६९, २७२

परव्यपदेश (अतिचार) २७०, २७६

पराघात (नामकर्म) २८७, २९१,

२९८

परिग्रह २४०, २३३, २५८

—देशों का १५३

परिणाम १८३, २०४, २११

—बौद्ध मतानुसार २११

—नैयायिक मतानुसार २११

—जैन मतानुसार २११

—द्रव्यों और गुणों का २२

—के भेद और आश्रय विभाग

२१२

परिणामी नित्यता ६९

परिणामि नित्यत्ववाद

—जड़ और चेतन दोनों में लागू

होता है १९५, १९६

—का साधक प्रमाण अनुभव है

१९६

परिदेहन (रदन) २२६, २३०

परिहार (प्रायश्चित्त) ३२०

परिहार विशुद्धि (चारित्र्य) ३१६,

३१७, ३२८, ३४८

परीपह ३१०, ३११, ३१२

—के नाम ३११

—एक आत्मा में एक साथ

१९ तक पाये जा सकते हैं ३११

—वांछित होते हैं ३११, ३१२

परीपहजय ३०१

परीक्ष १८

- ज्ञान दो १८
 —का लक्षण दर्शनान्तर में १९
 पर्याप्त (नामकर्म) २८७, २९०
 पर्याय २०५
 —का द्रव्य के साथ अविनाभाव
 सम्बन्ध २७
 गुणजन्य परिणाम है २०५
 पर्यायदृष्टि ५५, १९८, १९९
 पर्यायार्थिकनय
 पर्यायास्तिकाय ५५, ५६, २३३
 —का विषय कथन ५५
 —के चार भेद ५५
 —चतुर्नय विषयक ५६
 के दो भेद व्यवहार और निश्चय
 ६५
 पर्यायम १२८
 पाणिमुक्ता (यत्प्रगति) ९३
 पाप २१५
 पापप्रकृति २९७
 पारिप्रहिकी क्रिया २२०
 पारिणामिक (माद्य) ६७, ७०, २४०
 —के तीन भेद ६८
 —के भेदों की व्याख्या ७१
 —के अनेक भेद ७२
 पारितापिनिकी क्रिया २१९
 पारिषय (द्रव्य) १३९
 पिण्डप्रकृति (१४ है) २९०
 पिपासावरीषह (तृपा) ३१३

- विज्ञाच १४३, १४६
 —के १५ प्रकार १४९
 पीला (हरिद्रवर्ण) १८५
 पुलिङ्ग (द्रव्यो पुष्पयेश)
 पुंवेद २८६
 पुण्य २१५
 पुण्यपाप
 —का अन्तर्भाव ८
 —द्रव्यपुण्य द्रव्यपाप ८
 —मात्रपुण्य मात्रपाप ८
 पुण्यप्रकृति २९७
 —४२ है २९८
 पुद्गल (अस्तिकाय) १९४
 —अवयव रूप तथा अवयव प्र
 रूप है १९७
 —यह मंशा निकें जैन शास्त्री
 ही प्रसिद्ध है १९७
 —के स्थान में जैनान्तर शास्त्रों में
 प्रथम प्रकृति परमाणु आदि
 शब्द हैं १९५
 —हो रूपों अर्थात् मूर्त है १९६,
 १९८, १७१
 —निरय अक्षयित १९६
 —विज्ञानान्तर और अनेक स्थिति
 रूप है १९८
 —के संख्यात अनेकान्तर अनेक
 प्रदेय है १९९, १७०
 —के स्वल्प निश्चय रूप मूर्त है १७१

- और इतर द्रव्यों में अन्तर १७०
- की स्थिति १७२, १७३
- का कार्यद्वारा लक्षण १८०
- के असाधारण पर्याय, स्पर्श,
रस, गन्ध, वर्ण हैं १८३
- शब्द, बन्ध आदि भी पुद्गल के
हो पर्याय हैं १८३
- को बौद्ध लोग जीव के अर्थ
में लेते हैं १८३
- के परमाणु और स्कन्ध ये दो
मुख्य प्रकार हैं १८९
- गुण और पर्यायदान कैसे २०४
- के गुण २१०
- स्वभाव से अधोगतिशील हैं
३४५

पुद्गलक्षेप (अतिचार) २६९,
२७४

पुद्गलद्रव्य (देखोपुद्गल)

पुद्गलपरावर्त १५

पुद्गलास्तिकाय (देखोपुद्गल)

पुरुष (देव) १४५

पुरुष वृषभ (देव) १४५

पुरुषघेद १११, २८६

—का विकार १११

—का उदाहरण ११२

—के बन्ध के कारण २३३

—का उत्पादक कर्म २९८

पुरुषार्थ

—काम और भोजन मुख्य हैं ?

—अर्थ और धर्म गीण हैं ?

पुरुषोत्तम (देव) १४५

पुलाक (निर्ग्रन्थ) ३३७

—को परिभाषा ३३७

—के संयम ३३८

—में श्रुत ३३८

—को प्रतिसेवना ३३९

—तीर्थ में ३३९

—में लेख्या ३३९

—का उपपात ३४०

—के संयमप्रकार ३४१

पुष्करवर्द्धोप १२९

पुष्करार्धोप १२८

—का वर्णन १३२, १३३

पुष्करोदधि १२९

पूर्ण (इन्द्र) १४०

पूर्णभद्र

—इन्द्र १४०

—देव १४६

पूर्वघर ३३२

पूर्वप्रयोग ३४५

पूर्वरतानुस्मरण घर्जन २४५

पृथक्त्व १५४, ३३२

पृथक्त्ववितर्क (शुक्लप्यान) ३३१

पृथक्त्वसवितर्क सविचार ३३२,

३३३

पृथ्वीपिंड ११९

- पातञ्ज १९
 पापघोषशास २६१, २६४
 —के अतिचार २७०, २७५
 प्रकीर्णक (देव) १९९
 प्रकृति (घन्ध) २८०, २८३, २८३
 प्रकृति संक्रम २९५
 —मूल प्रकृतियों का नहीं सिर्फ
 उत्तर प्रकृतियोंका ही २९४, २९५
 प्रचला } २८६, २८७
 प्रचलावेदनीय }
 प्रचलाप्रचला }
 प्रचलाप्रचला वेदनीय २८६, }
 २८७ }
 प्रच्छन्ना ३२२
 प्रमापटीपद् ३११, ३१४
 प्रणीतरस भोजन धर्मन २४५
 प्रतर (स्कन्ध भेद) १८८
 प्रतिग्रामण ३२०
 प्रतिच्छिन्न (देव) १४६
 प्रतिरूप
 —इन्द्र १४०
 —देव १४६
 प्रतिरूपक व्यघाहार (अतिचार)
 २६९, २७२
 प्रतिसेवना कुशील (निर्धन्ध)
 ३३८
 —विग्रह के लिये देतो पृष्ठाक
 प्रत्यक्ष १८
 —के भेद १८
 —का लक्षण दर्शान्तर में १९
 —सांख्यमहात्मा १९
 प्रत्यभिज्ञान २०
 —शक्तिकवाद का आधार है १९६
 प्रत्याख्यात २८६
 प्रत्याख्यानाघरणीय २८९
 प्रत्येक (शरीर नामकर्म) २८३,
 २९०, २९८
 प्रत्येक युद्धबोधित ३४६
 —की अपेक्षा से सिद्धों का विषय
 ३४८
 प्रत्येकबोधित ३४८
 प्रदीप
 —का जीम के मकोष विकार में
 उदाहरण १७६
 प्रदेश
 —का मतलब १७०
 —ओर परमाणु में अन्तर १७२
 —परमाणु परिमित भाग को मन्ने
 है १७१
 प्रदेश (घन्ध) २३८, २८०, २८३,
 ३८४
 —का वर्णन २९५
 —के आधार शर्मस्वरूप और
 ज्ञाना ३९५
 —के धारे में प्रतीतर २९६
 प्रदेशोदय ७०

प्रभञ्जन (इन्द्र) १३९
 प्रभाव
 —देवों का १५१
 प्रमत्तयोग २४९
 —अदृश्य है २५२
 —ही वास्तव में हिता है २५३
 प्रमत्त संयत ३२७
 प्रमाण २, ११, १८
 —की चर्चा १८
 —के दो भेद १८
 प्रमाणाभास १७
 प्रमाद २५१, २७९, २८१
 —असंयम है २७९
 प्रमोद (भावना) २४६, २४८
 प्रयोग क्रिया २१९
 प्रयोगज (शब्द) १८६
 —के छह प्रकार हैं १८६
 प्रवचन भङ्गित २२८, २३६
 प्रवचनमाता
 —आज है ३३९
 प्रवचन वत्सलत्व २२८, २३६
 प्रवीचर १४१
 प्रवृत्ति
 —ज्ञान और अज्ञान २२२
 प्रयाजक ३०६
 प्रशंसा २३६
 प्रशम ६
 प्रस्तर १२२

प्राण
 —नि श्वास वायु १८१
 —दस हैं २१९
 प्राणत
 —इन्द्र १४०
 —स्वर्ग १४४
 —का स्थान १४८
 —में उत्कृष्ट स्थिति १६०
 प्राणवच ४८९
 —दृश्य है २५२
 प्राणातिपातिकी क्रिया २१९
 प्रात्ययिकी क्रिया २१९
 प्रादायिकी क्रिया २१९
 प्राप्यकारी (इन्द्रिय) ३२
 प्रायश्चित्त ३१८, ३१९, ३२०
 —के नौ प्रकार ३२०
 —के दस भेदों का फलन ३२१
 प्रायोगिक (बन्ध) १८७
 प्रत्य प्रयोग (अनिचार) २३९
 २७८

घ

घकुश (निर्ग्रन्थ) ३३७
 —के दो प्रकार ३३९
 —विवरण के लिये देखो पुलाक
 घन्ध (कर्म का) ७, २८२
 —द्रव्यघन्ध ८
 —भावघन्ध ८

—एक प्रकृति के वन्य के समय
अविरोधा ऐसी और प्रकृतियों
का भी २३८

—कैसे होता है २८२

—के प्रकार २८३

बन्ध (पौद्गलिक)

—के दो भेद १८७

—के हेतु १९९

—से द्वयणुकादि सन्न्य बनने हैं
२००

—के अपवाद २००

—की विस्तृत प्रक्रिया २००, २०५

—के विषय में श्वेताम्बर दिगम्बरों
में मतभेद २०१

—या भाग्यवृत्ति और तत्त्वार्थ-
गिति के अनुसार कोष्टक २०२

—मदुन और विमदुन २०५

बन्ध (अतिचार) २६९, २७२

बन्धच्छेद ३६५

बन्धनरथ २७९

बन्धन (नामकर्म) २८७, २९०

बन्धहेतु २७९, ३४३

—गौन हैं २७९

—की मंदा के दारि में गौन
परंपराएँ २७९

बलि (इन्द्र) १३९

—की गिति १५०

बहु (अग्रग्रह) २३

—और बहुविध का अन्तर २३

बहुविध (अग्रग्रह) २३, २४

बहुद्युत भक्ति २२८, २३६

बाहर (नामकर्म) २८७, २९१,
२९८

बाहर संप्रगय २१५

—में २२ परीपद २११

बाह्यतप २३१, २३५

—देवायु का वन्यहेतु २२७

बाह्यतप ३९८

—के भेदों की व्याख्या ३१९

बाह्योपधि म्युत्सर्ग ३२३

मुद्रयोपधित २४८

बुध (ग्रह) १४७

बुधोपधिदुर्लभत्य बुधेशा २०६, २१

बौद्धदर्शन

—के अनुसार धारणा ६८

घात

—या म्युत्सर्ग २५७

घातार्थ (धर्म) १०३, १०६

—निरूपणाद है २५५

घातार्थ-पुण्यस २६३

—के अतिचार २६९, २७२

अत्यराक्षस (द्वेष) १४६

अत्यलोक (म्यगी) १४४

—या स्थान १५०

—में उत्कृष्ट स्थिति १६०

अत्योत्तर (स्वर्ग) १८३

भ

- भक्तपान संयोगाधिकरण २२५
 भजना (विकल्प) १७४
 भद्रोत्तर (तप) ३०६
 भय | २८६,
 भयमोहनीय } २८९
 —का बन्ध कारण २३३
 भरतवर्ष १२८
 भवन १४४
 भवनपति १३७
 —के दश भेद १३८
 —में लेश्या १४०
 —का स्थान १४४
 —कुमार कथो कहलाते हैं १४४
 —के चिह्न जादि १४५
 —की उत्कृष्ट स्थिति १५८
 —की जघन्य स्थिति १६२
 भवप्रत्यय (अवधिज्ञान) ३८
 —के स्वामी ३८
 भवनवालिनीकाय १४३
 —देखो भवनपति
 भवस्थिति १३५
 —पृथ्वी आदि की १३५
 भव्यत्व ६८, ७२
 —का नाश मोक्ष में ३४४
 भाज्य ४७, १००, २७२, ३११
 भाव ६७
 —पाँच हैं ६७

- के कुल ५३ भेद ७१
 भावबन्ध ७८
 भावभाषा १८१
 भावमन १८१
 भावलङ्ग ३३९
 भाववेद १११
 —तीन हैं १११
 भावहिंसा (निश्चयहिंसा) २५२,
 २५३
 भावाधिकरण २२३
 —के भेद २२३
 भावेन्द्रिय ८२, ८७
 —के दो प्रकार ८२
 भाषा ९
 —दो प्रकार की १८१
 —पीद्गलिक १८१
 —शब्द का भेद १८६
 भाषासमिति ३०२
 —और सत्य में अन्तर ३०५
 भास्वत (देव) १४५
 भिक्षुप्रतिमा ३०६
 भीम
 —इन्द्र १४०
 —देव १४६
 भुजपरिसर्य १२५
 भुजग (देव) १४५
 भूत (देव) १४३, १४६
 —के नौ प्रकार १४६

भृगुवादिभ्यः (देव) १४५

भृतानन्द (इन्द्र) ११९

—की स्थिति १५९

भृतानुकम्पा २२६, २३१

भृतोत्तम (देव) १४६

भूमि ११७

भेद १९०, १९३

—के पाँच प्रकार १०८

भैरवजय २६५

भोगभूमि २२७

भोगशाली (देव) १४५

भोगान्तराय २९३

भोगोपभोगमत २७०

—के अतिपारों को खगत्या २७५

म

मद्गल (मद) १४७

मति

मतिप्रदान { १६, २०, ८६, ३४६

—परोक्षप्रदान १८

—के प्राथमिक कार्य १९

—सांसारिक विषयक है १९

—का अन्वय नारण २०

—के इच्छित और अनिच्छित में

दो कारण २१

—के चार भेद २१

—के शोभास भेद २१

—के २८८ भेद २६

—के ११६ भेद ३२

—का विषय ४६

मतिशान्तायण २८१, २८५

मत्स्य १२५

मध्यम (परिणाम) २०३

मध्यमनोद { ११८

मध्यलोक {

—का प्राप्ति का प्रकार के समान

—का वर्णन १२०

—के अन्वय का दो प्रकार है

मान २१

—का अर्थ ७८

—के दो प्रकार मानान्न शीट

—के अर्थ ७८

—को अनिच्छित भी कहते हैं

—का इच्छित को मूलक प्रमाण

—के अर्थ ७८

—को अनिच्छित कहते हैं

—के अर्थ ७८

—अन्वय का दो प्रकार है

—अन्वय का दो प्रकार है

—अर्थ का दो प्रकार है

—अर्थ का दो प्रकार है

—अर्थ का दो प्रकार है

—अर्थ का दो प्रकार है

—अर्थ का दो प्रकार है

—अर्थ का दो प्रकार है

—अर्थ का दो प्रकार है

- और अध्विज्ञान का अन्तर ४३
 —का विषय ४४, ४६
 ममःपर्ययज्ञानावरण २८७
 मनुष्य १२५
 मनुष्यगति (नामकर्म) २१८
 मनुष्यजाति
 —का स्थिति क्षेत्र १३३
 —के दो भेद आर्य और म्लेच्छ १३३
 मनुष्य यक्ष (देव) १४३
 मनुष्यलोक १३३
 मनुष्यानुपूर्वी (नामकर्म) २१८
 मनुष्यायुं (कर्म) २८७, २८९, २९८
 के बन्धहेतु २२७
 के बन्धहेतुओं की व्याख्या २३४
 मनोगुप्ति २४३, २४४, ३०२
 मनोशामनोक्ष रससमभाव २४५
 मनोशामनोक्षस्पर्शसमभाव २४५
 मनोदुष्प्रणिधान (अतिचार) २६९, २७४
 मनो निसर्ग २००
 मनोयोग २१४
 मनोरम १४५
 मनोहरेन्द्रियालोक वर्जन २४५
 मन्दकम २८, २९
 —की धारा को समझने के लिये सुकोरे का दृष्टान्त ३०
 मरण १८३
 मरणाशंसा (अतिचार) २७०, २७३
 मरुत (देव) १४५
 मरुत (लोकान्तिक) ११६
 —का स्थान १५६
 मरुदेव (देव) १६५
 मरुदेवी ३३२
 मलयपरीपह—३११, ३१६
 महाकादम्ब (देव) १४५
 महाकाय
 —इन्द्र १४०
 —देव १४६
 महाकाल
 —इन्द्र १६०
 —देव १४६
 महाघोष (इन्द्र) १३९
 महातम : प्रभा ११७
 —विचरण के लिये देगो धूम प्रभा
 महादेह (देव) १४६
 महापुरुष
 —इन्द्र १४०
 —देव १४६
 महाधग (देव) १४६
 महाव्रत २४२, २६२
 महाशुक्र (स्वर्ग) १४८
 —का स्थान १५०

- में उत्कृष्ट स्थिति १५७
 महासर्पतोमद्र (तप) ३०६
 महासिंहविक्रीडित (तप) ३०६
 महास्फुटिक (देव) १४६
 महास्वन्ध १७४
 महाद्विमवत् १२८, १३१
 मोहन्द्र (स्वर्ग) १४४
 —ता स्थान १७६
 —में उत्कृष्ट स्थिति १६०
 महोष्यक्ष (देव) १४५
 महोरग १४३
 —के दग प्रकार १४५
 माघधी १२०
 माघव्या १२०
 माणिभद्र
 —द्व १४०
 —देव १४६
 मात्रा ३२५, ३२६
 मात्सर्य-२२६, २२९
 —अग्निवार २७०, २७४
 माभ्यश्च घृति २४६, २४८
 मान (कपाय) २१८
 मानुष २२६, २८६
 मानुषोत्तर (एवंत) १२८, १३३
 माया (कपाय) २१८
 —विषय धाम का अन्वयेण
 २२७, २३४
 माया क्रिया २२०

- मारणान्तिकी (संलेखना) २१६
 मार्ग प्रभायना २२८, २३६
 मार्गाध्ययन ३१०
 मार्दव्य (धर्म) १०३, १०५
 मायनुष ३३२
 मास (काल) १४८
 मित्रानुराग २७०, २७६
 मिथुन २५७
 मिथ्यात्व (मोहनीय) २८१, २८६
 मिथ्या दर्शन २७९, २८०, २८१
 मिथ्यात्व क्रिया २१९
 मिथ्यात्व मोहनीय २८८
 मिथ्या दर्शन (शास्त्र) २५९
 मिथ्यादर्शन २८०, २८१
 —के दो भेद अनभिप्रेत और
 अभिप्रेत २८१
 मिथ्यादर्शन क्रिया २१०
 मिथ्यादृष्टि ४९
 मिथ्योपदेश (अतिचार)
 २६९, २७०
 मिथ्र (शायोपशमिक भाष) १०
 मिथ्र (गोत्रि) ९९
 मिथ्र मोहनीय २८८
 मीठा (रस) १८५
 मीमांसक ९८
 मीमांसा द्वार
 —विषयता द्वार १३
 —अनुमोद द्वार १३

मुक्तजीव ३४४, ३४५

—लोक के अन्त तक ऊँचे जाता है २४४

मुक्तावली (नप) ३०६

मुखरपिशाच (देव) १४६

मुहूर्त (दोघड़ी काल) १४८

मूढता २८१

मूढदशा २८१

मूर्छा २५८

मूर्त्त ८३

मूर्त्ततत्त्व १६८, २४२

मूर्ति १६७

—इन्द्रिय ग्राह्य गुण १६८

मूलगुण २६२, २३७

मूलगुण निर्घर्तना २२४

मूलजाति (द्रव्य) १९५

मूलद्रव्य १६५

—का साधर्म्य-वैषम्य १६६

मूलप्रकृति २८४

—के आठ भेद २८४, २९४

मूलप्रकृति घन्ध २८४

मूलमत २६२

मृदु (स्पर्श) १८५

मेरु (पर्वत) ११८, १२८

—का संक्षिप्त वर्णन १२९

मेरुकान्त (देव) १४५

मेरुप्रभ (देव) १४५

भैरववृत्ति २४६, २४७

मेथुन २५७

—का भावार्थ २५७

मोक्ष २, ३३५, ३४३

—के साधनों का स्वरूप २

—पूर्ण और अपूर्ण ३

—के साधनों का माहुर्य ३

—और उसके साधनों में क्या अन्तर ४

मोक्षतत्त्व ३३५, ३४२

मोक्षमार्ग २

मोक्षाभिमुख (आत्मा) ३३६

मोक्षाभिमुखता ३३६

मोह २५८

मोह { कर्म २८४, २८५

मोहनीय } ३४२

—के २८ भेद २८६

—की स्थिति २९२, २९३

मौर्ख्य (अतिचार) २६९, २७४

म्लेच्छ १२८, १३४

य

यक्ष १४३, १४५

—के १३ प्रकार १४६

यक्षोत्तम (देव) १४६

यतिधर्म ३०३

—के १० प्रकार ३०३, ३०५

यथाश्यात (चारित्र्य)

३१८, ३२१, ३४८

—के दूसरे नाम अथात्मगत और
तदात्मगत भी हैं २१८

अटच्छोपलब्धि ४८

यथमध्य (तप) ३०४

यथा } २८७, २९१, २९८

यथाःशीति

यथास्वत (वेद्य) १४५

याचना परीषद् ३११, ३१२

यम १४८

योग २, २१४, २८०, ३३१,

—कर्मयोग का हेतु २७२

—के प्रकृति और प्रवेश का अर्थ
२८०, २८४

—के तीन भेद २१६

—आयतन का २११

—के भेद और कार्यभेद २१५

—का सुभक्त और अनुभक्त २१५

—का आत्मि भेद में फल भेद
२१३

योगनिग्रह २०१

योगनिरोध ३२५

—की प्रथिमा ३२५

योगसक्तता २३५

योनि १६, १७

—के तब प्रकार १३, १८

—में पंचा होनेवाले जीव १७,
१८

—और अर्थ में भेद १८

र

रति } २८६, २८९

रतिमोदनीय

—के अर्थ हेतु २३३

रतिप्रिय (वेद्य) १४५

रतिश्रेष्ठ (वेद्य) १४५

रत्नप्रभा २१०

—के तीन भाग हैं १२०

—के तीन कारणों की स्थिति १२१

—में ११ प्रकार हैं १२२

—में हीन मनुष्य आदि का सम्बन्ध
१२६

—भोग के निमित्त देवी 'सुन्दर' का

रत्नामाली (तप) २०६

रत्नकथन १०८

रत्न

—प्राप्त २८९

—नामकर्म २८०, २९०

रत्नत (इन्द्रिय) ८१

रत्न परित्याग (तप) ३१८

—का अर्थ ३१९

रत्नानुभवात्मन (अविचार)

१६९, १७३

राक्षस २४३, १४३

—के तीन प्रकार १८६

राक्षस राक्षस १८६

राज २१८

राज

ल

—का व्यवहार १४८

रात्रिभोजन विरमण २४१

—वास्तव में मूलवत नहीं २४१

—अहिंसाप्रत में से निष्पन्न २४१

रामचन्द्र ५७

राहु १४९

रिष्टा १२०

रुक्मी (पर्वत) १२८ १३१

रुद्र (स्पर्श) १८५

रूप

—का अर्थ १६८

—का मद ३०५

रूपयज्ञ (देव) १४६

रूपशक्ति २०६

रूपशाली (देव) १४५

रूपानुपात (अतिचार) २६९, २७४

रूपी ४४, १६६, ३०१

रूषत (देव) १४५

रौगचिन्ता (आर्तध्यान) ३२८

रोगपरीषद् ३११, ३१४

रौद्र (ध्यान) ३२७, ३२९

रौद्र (नरकावास) १२१

—का निरूपण ३२८

—शब्द की निश्चिति ३२९

—के चार प्रकार ३२६

—शेष विवरण के लिये देखा

आर्तध्यान

रौरव (नरकावास) १२१

लक्षण ७५

—अरि उपलक्षण का अन्तर ७२

लघु (स्पर्श) १८५

लब्धि १०९

लघोन्द्रिय ८२

लवण ११७

लवणसमुद्र १२९

लाङ्गलिका (वक्र गति) ९३

लान्तक (स्वर्ग) १४४

—का स्थान १५०

—को उत्कृष्ट स्थिति १६०

लाभ

—का मद ३०५

लाभान्तराय (कर्म) २९२

लाल (रंग) १८५

लिङ्ग (चिह्न)

—द्रव्य-भाव ३३९

—को लेकर निरपेक्ष की
विचारणा ३३२

लिङ्ग } (घेद) १११, ३४६

—तीन है १११

—की अपेक्षा ने सिद्धों का
विचार ३४७

लेश्या

—बौद्धिक भाव ६८, ७२

—नरको में ११७, १२३

- स्योक्तिमें १३४
 —सद्वचन और व्यङ्ग्य में १४०
 —वैतनिकों में १५५
 —के द्वारा निर्दिष्टों का विचार
 ३३९, ३४०
 लक्ष्या विग्रह (देयों में) १५१
 लोक ११८
 —जान है १२८
 —स्मृति का स्वयं १११
 —स्मृति के बारे में मद्रक का
 दृष्टान्त ११९
 —का अर्थ है पीय जन्मिसान
 १०३
 लोकनाली १५२
 लोकपाल (देय) १३९
 लोकमूर्ति ५०, ५९
 लोकाकाश १०५
 लोकानुग्रहा ३०६, ३०९
 लोकान्त ३४८
 लोकान्त प्राप्ति ३०४
 लोकान्तिक (देय) १५६
 —का स्थान यज्ञलोक १५९
 —की नव जातियाँ १५६
 लोम ३१८
 लोमप्रत्याख्यान ३४३
 लौकिक दृष्टि ५०

- सकलान्ति ११, १२
 —के लिये प्रहार पालिमुखा
 प्रादि १३
 —का कानमान १३
 सचनशुक्ति ३०२
 सचनदुष्प्रतिघान (भक्तिघार)
 १९९, २०४
 सचन निसर्ग २२५
 सङ्गमथ्य (तथ) २०६
 सङ्गमथ्य नारायण संहनन २१८,
 १२३
 सट (देय) १४९
 सध २२९, २३२
 —अनाशुवेदनीय का अन्वय
 ३२९
 —अतिघार २६९
 सध परीपद ३११, ३१२
 सतविशाच (देय) १४९
 सनाधिपति (देय) १४९
 सनाहार (देय) १४९
 सर्गणा २१२
 सर्ण
 —पीय है १८५

वर्षघर (पर्वत) १२८
 बलय १२७
 वस्तु
 —द्रव्यपर्याय रूप २७
 —उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक है
 १९५
 वहि (लोकान्तिक) १५६
 —का स्थान १५६
 वाग्योग
 —का स्वरूप २१४
 वाचना ३२२
 वातकुमार १४३
 —का चिह्न १४५
 वामन (संस्थान) २९९
 वालुकाप्रभा ११७
 —विवरण के लिये देखो घूमप्रभा
 वासिष्ठ (हन्द्र) १४०
 वासुदेव ११४
 विकल्पगुण (चेतनादि) २०८
 विक्रिया ११८
 विग्रह गति ९०
 विघ्न (देव) १४६
 विघ्नकरण २२८
 —अन्तराय का बन्धहेतु २३७
 विषय ३२९
 विचार ३३१, ३३२
 विचारदशा २८१
 विचिकित्सा २६६, २६७

विजय (स्वर्ग) १४४
 —में उत्कृष्ट स्थिति १६०
 विज्ञान
 —का भेद ३०५
 वितर्क ३३१, ३३३, ३३४
 वितत (शब्द) १८७
 विदारणक्रिया २२०
 विदेहवर्ष १२८
 विद्युत्कुमार १४३
 —का चिह्न १४५
 विधान १२, १३
 विनय (तप) ३१८, ३१९
 —और वैवाचित्य में अन्तर ३१७
 —के चार भेद ३२१
 विनय सम्पन्नता २२८, २३५
 विनायक (देव) १४६
 विपर्ययज्ञान ४८
 —के तीन प्रकार ४८
 विपाक २९३
 —गुण और अगुण २९७
 विपाक विषय (धर्मध्यान)
 ३२९, ३३०
 विपाकोदय ७०
 विपुलमति ४२
 —और ऋजुमति में अन्तर ४२
 विप्रयोग ३२७
 विभक्तज्ञान (अवधिज्ञान) ४८
 विरत (सम्यग्दृष्टि) ३३५, ३३६

- मूल द्रव्यों का १६६
- मानिक १३७
- के बारह भेद १३८
- के दो प्रकार कलोपत्र और कल्पातीत १४४, १४९
- में लेश्या का नियम १५४
- में उत्कृष्ट स्थिति १५९
- में जघन्य स्थिति १६०
- वैयावृत्य ३१८, ३१९
- के दशभेद ३२१
- वैराग्य २४६, २४९
- वैशेषिकदर्शन ६८, १६५, १६९, १७९, १८३
- वैश्वसिक (यन्त्र) १८३, १८७
- व्यञ्जन ३३१
- उपकरणेन्द्रिय २८
- अक्षर ३२५
- व्यञ्जनावग्रह २५, ३२
- किन इन्द्रियों से ३२
- व्यतिक्रम २६८
- व्यनिर्पातिकभद्र (देव) १४३
- व्यन्तर (देवनिष्काय) १३७
- के आठ भेद १३८
- में लेश्या १४०
- का स्थान १४५
- के चित्त १४६
- की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति १५३
- व्यपरोपण २४९

- व्यय १९३
- व्यवहार } ५९, ५७, ५९
- व्यवहारनय }
—सामान्यग्राही ५९
—का विषय संग्रह में भी कम ५९
- व्यवहारदृष्टि १७२
- व्याकरण ३११
- व्यावहारिक निर्गन्ध ३३७
- व्यवहारिक हिंसा (द्रव्याहिंसा) २५२
- व्युत्सर्ग ३१९, ३२०
- आन्वन्तर तप ३१८
- आवृत्त ३२०
- के दो प्रकार ३२३
- व्युपरतिक्रिया निवृत्ति (शुद्ध ध्यान) ३२९, ३३०
- देशों सम्बन्धित विधाननिवृत्ति ३३४, ३४०, ३७०
- के दो भेद निवृत्ति जीवनि ३३५
- तत्काल विधिपत्रा तैत्तिरीय ३३५
- के दो भेद अपवृत्त जीवनि ३३५
- महापत ३३५
- की भाषनाए ३३५
- व्युत्पत्तिनिवार ३३५
- व्युत्पत्ति अनुकम्पा ३३५
- व्युत्पत्ति ३३५
- के दो भेद ३३५

शु

शक्र (इन्द्र) १८०

शक्रा (भविष्यार) २६६

शकार (स्वर्ग) १४३

शनिश्चर (ग्रह) १४७

शब्द १८३

—पौद्गलिक है, गुण नहीं
१८४, १८५

—के प्रकार १८६

शब्द (मय) ५१, ६०, ६१

—के काल, विग, उगम्यादि
भेद में अर्थ भेद के
उदाहरण ६२शब्दानुपान (भविष्यार) २६९,
२७४

शब्दोत्पत्ति ३५

शब्दा परीषद ३११, ३१२

शरीर १००, १०२

—शरीर है १००

—या स्पृश-स्पर्श भाव १०२

—के उदात्त शब्द का परिचय
१०३

—के अक्षरभङ्ग शब्द १०२

—एक गान एक शीत के अन्वये
१०५

—या शब्द अक्षरों के अन्वये है

१०३

—की रत्न विद्वता और
कृत्रिमता १०९

—देवों के १५२

—पौद्गलिक ही है १८१

—नामकर्म २८७, २८९

शरीरयकुशा (निर्मग्न) २१९

शरीर ममा ११७

—देवों प्रमथना

शान्य २५९

—शान्त है २५९

शिक्षामत २६२

शिक्षा परीषद १२८, १३१

शीत (स्पर्श) १०५

शीतपरीषद ३११, ३१२

शीत २२८, २३४, २००

शीतमग्नानतिघात २२८, २३५

शुभः

—रत्नं १४३

—शुभम् १४७

शुभल | ३२४

शुभल ध्यान | ३१७

—शुभान और उत्तरेय है ३२७

—या निरुपण ३१०

—के चार प्रकार ३१३

शुभ | २८७, २९०

शुभनाम | २९१

—के अक्षरों २९८

शुभयोग २१५

—पुण्य का बन्ध हेतु २१५

—के व्यापार २१५, २१६

—का कार्य पुण्य प्रकृति का बन्ध
२१६

शुषिर १८७,

शौक्ष ३२१, ३२२

—की वैयावृत्त्य ३२१

शौक्षक ३२१

शौला १२०

शैलेशी (अवस्था) ३

शैलेशीकरण ३२५

शांक

—असत्ता वेदनीय का बन्धहेतु
२२६

शोक (मोदनीय) २२९, २८६,
२८९

—का आस्रव २३३

शोचन (नरकावास) १२१

शौच २३१, ३०५

—सात वेदनीयका बन्धहेतु २२६

—धर्म ३०३

श्रद्धान ५

आचक २६१, २७०, ३२२, ३३५,
३३६

—धर्म के १३ भेद २७१

आचिका ३२२

श्रुत } १६ १८ ८६
श्रुतज्ञान } ३४९

—परोक्ष प्रमाण १८

—मतिपूर्वक होता है ३५

—मतिज्ञान का कार्य ३५

—और मतिज्ञान में अन्तर ३५

—के अनक भेद ३६

—का शास्त्र में उपचार ३८

—का विषय ४४, ४५

—विचारात्मक ज्ञान है ५२

—सर्वांग में स्पर्शकरनेवाला
विचार ५३

—का अवर्णवाद २२७, २३२

—का मद ३०५

श्रुतज्ञानावरण (कर्म) २८७

श्रुतसमुद्देष्टा ३०६

श्रुतोद्देष्टा ३०६

श्रीध्र ८१

इलेप (पुद्गल) बन्ध २००

—सद्ग और विसद्ग २००

श्वेतभद्र (देव) १४६

श्वेताम्बर

—और दिग्म्बर संश्रदायों की
उत्पत्ति की जड़ में नग्नत्व
परोपह विषमक मतभेद ३१२

स

संक्रमण २९४

संक्रान्ति ३३१

संश्लेष ११८

संख्या १२, १३, १४३

—की अपेक्षा से विज्ञां वा
विचार ३८९

संख्यात १६९

संख्याताणुक (स्वल्प) १०४

संक्षेप १६९

संघट्ट

संघट्टनय { ५१, ५६, ५८

—की सामान्य लक्षणों आधारपर
विश्लेषणा श्रेय सतिपन्ना ५८

—सामान्य दार्ढ्य है ५९

—वा विषय नैगमसे कम है ५९

संघाट्टक (सूत्रकार) २१३

संघ

—वा अर्थवाद २२०, २३२

—की गैरानुपपत्ति २२१, २३२

—के चार प्रकार ३२३

संघर्ष १८०

संघसाधुसमाधिकरण

२२८, २३९

संघात (स्वल्प) ११०, १६६

सामान्य २८३, २९९

संघा २९, ८८

संघो ४०

संघप्रदम (संघादि) २८६, ३०१

संघिगो २२

संघाय (संघातवाच्य) २१७

संघारण संघा ८८

संघयोग ३२७

संघूर्णन (स्वल्प) १३, १०

—कारण ५९

संघूर्णन { ११३

संघूर्णन { ११३

—की गैरानुपपत्ति ही गैरानुपपत्ति ११३

संघन २०२, २०५, २४०

—के १० प्रकार ३०५

—के अन्तर्गत मात्र १४ प्रकार, ३०५

संघनासंघम २२३, २३१, २३४

संघोम २२३, २३४

—के दो भेद २२५

संघक्षण ३२८

संघम्भ २३३

संघिगता (संघ) २२३, २३३, २३४

—सामान्यता नहीं २३३

—अर्थ विविध है २३३

संघिग ३, ९, १००, २००

—के अर्थ १००

—के अर्थों के ३० अर्थों के ३००

३९, ३०० है ३००

संघिगानुपपत्ति ३०३, ३०४

संघिग (संघिग) १३, १०

संघिग १, २००, २३३, ३३३

—की अर्थ ३०३

संघा

—व्या है ७८

संसारानुपेक्षा ३०६, ३०९

संसारी

—जीव के प्रकारों का कथन ७८

संस्तारोपक्रमण २६८

संस्थान १८३, २९०

—के दो प्रकार इत्यंतव और अनित्यंतव १८७

—नामकर्म २८७

संस्थान विचय (धर्मध्यान)

३२९, ३३०

संहनन ३२३

—नामकर्म २७८, २९०, २९९

संहरण सिद्ध ३४९

संहार १७२

सकृपाय २१७

सचित्त ९६

सचित्र आहार २७०, २७५

सचित्त निक्षेप २७०, २७५

सचित्तपिधान २७०, २७६

सचित्तसंयद् आहार २७०,
२७५

सचित्त संमिध आहार २७०,
२७५

सत् १२, १९३, १९४

—का उपपादन १३

—के विषय में मतभेद १९३,
१९४

—कूटस्यनित्यनिरन्वय विनाशी
आदि नहीं १९४

—(वस्तु) के शाश्वत और
आशाश्वत ऐसे दो अंश १९४

सत्कारपुरस्कार परीषद् ३११,
३१४

सत्पुरुष

—इन्द्र १४०

—देव १४५

सत्त्व ११७, २४६

सत्य ३०३, ३०५

—और भाषा समिति का अन्तर
३०५

सत्यवत

—की पाँच भावनाएँ २४३

सत्याणुवत २६३

—के अतिचार २६९

—के अतिचारो व्याख्या २७३

सदृश (यन्ध) २०४

सद्गुणाच्छादन २२८, २३६

सद्वेद्य २२५, २८५, २९७

सनत्कुमार (इन्द्र) १४०

सतभंगी १९९

सतसतमिका (प्रतिमा) ३०६

सफेद (रंग) १८५

सम (यन्ध) २०४

समचतुरस्र संस्थान २९८

समनस्क (मनघाटा) ८९

- समनोष्ठ ३२२
 —की संज्ञा ३२३
 समन्तानुपातन क्रिया २१९
 समन्याहार ३२५
 समभिरुद्ध (नय) १०, १२
 समय ८९, २०९
 समादान क्रिया २१९
 सभाधि २२६
 समारम्भ २२३
 समिति ३०१
 —की है ३०२
 —और गुण में अन्तर ३०२
 समुच्छिन्नक्रियानिपुत्ति
 (शुक्लप्यान) ३१५, ३३२, ३३५
 वैद्यो म्युपस्तक्रियानिपुत्ति
 समुद्रसिद्ध ३५०
 सम्यक्साक्षि २, ३
 —गुण और धर्म ३
 सम्यक्पत्य ७
 —निष्पन्न और अन्तर ६
 —के सिद्ध ८
 —की कालि का मूल है २८९
 शेष विवरण के लिये वैद्यो
 सम्यग्दर्शन
 सम्यक्पत्य क्रिया ३१९
 सम्यक्पत्य नियन्त्रण (समुपपद्य)
 ३८९
 सम्यक्पत्य (मोहनीय) ३८९
 सम्यग्ज्ञान २
- के दोष भेद ३६
 —और अन्तर्गतान का अन्तर
 —का व्यावहारिक में अन्तर १७
 सम्यग्दर्शन २
 —की उत्पत्ति के हेतु २, ७
 —विगर्भ और अविगर्भ ७
 —का उत्पत्तिम ७
 —का निर्देश, इरादित्य, मन्त्र
 —के अन्तर और अन्तर
 —का अधिपत्य ११
 —की स्थिति, विधान, मन्त्र,
 संख्या, संय, १३, १४
 —का अन्तर्गत १४
 —के दोष और अन्तर्गत का
 —का अन्तर १४
 —का भाव अन्तर १४
 —का भाव १५
 —का अन्तर्गत १६
 —के अधिपत्य २१६
 —के अधिपत्य की अन्तर्गत
 सम्यग्दर्शि ४९, ३३०, ३३५, ३३६
 अन्तर्गत संयम २३७, ३३२
 अन्तर्गतसंयमादि योग ३३३, ३३६
 सर्वज्ञ ३३५, ३३५, ३३६

- सर्वहृत्त्व ३४२, ३४३
 सर्वतोभद्र (देव) १४६
 सर्वदर्शित्व ३४२
 सर्वार्थसिद्ध १४४, १६०
 सवितर्क ३३१
 सहजचेतना ३४२
 सहस्रानिक्षेप २२४, २२५
 सहस्रार (स्वर्ग) १४४
 —का स्थान १५०
 —में उत्कृष्ट स्थिति १६०
 सांख्य दर्शन ६८, ६५, १६८,
 १७९
 सांपरायिक (कर्म) २१७
 —के आंगों के भेद २१८
 साकार (उपयोग) ७६
 —के आठ भेद ७६
 साकार मन्त्र भेद (मतिचार) २६९, २७२
 सागरोपम १५८, १५९
 साताघेदनीय २८८, २९८
 —के बन्ध कारण २२६
 —देखो सुखवेदनीय
 सादि (संस्थान) २९९
 साधन (कारण) १२
 —सम्पदशान का १३
 साधर्म्य १६५
 —मूल द्रव्यों का १६६
 साधारण (गुण) २०८
 —नामकर्म २८७, २९९
 —नामकर्म की व्याख्या २९०
 साधारण शरीरी १७८
 साधु २२८, ३२२
 —की वैयावृत्य ३२१
 साध्वी ३२२
 सानत्कुमार (स्वर्ग) १४४
 —का स्थान १५०
 —में उत्कृष्टस्थिति १६०
 सान्तर सिद्ध ३४५
 सामानिक (देव) १३८
 सामायिक २६१, ३१६, ३४८,
 २६४
 —के अतिचार २६९, २७४
 —चारित्र का स्वल्प ३१७
 —संयम में निमग्न ३३८
 सारस्वत (लोकान्तिक) १५५
 —का स्थान १५६
 सिंह १२५
 सिद्धत्व ३४४, ३४४
 सिद्धशिला १५४
 सिद्धमानगति ३४५
 —के हेतु ३४५
 श्रीमन्तक (नरकावास) १२१
 सुख १, ५, १५०, १५१, १८१
 —के दो वर्ग १
 सुख घेदनीय २८६
 (देखोसमवेदनीय)

सुखानुबन्ध (अतिघार) २७०,
२७१

सुखामास ९

सुगन्ध १८५

सुघोष (इन्द्र) १३९

सुयर्णकुमार १४३

—का पितृ १४५

सुभद्र (देव) १४६

सुभग (नामकर्म) २८७, २९१,
२९८

सुभगोभद्र (देव) १४६

सुभेद १४४ (दत्ता मेरु)

सुरूप (देव) १४६

सुस्तन (देव) १४६

सुरघर (नामकर्म) २८७, २९१,
२९८

सुखमकिया श्रुतिपातो (शुफल-
भ्यान) ३२४, ३३१, ३३२, ३३५

सुशमस्य

—यस्य और अलोपिक १८७

—परमानु और स्वयं का पर्याय
१८९

सुखमसुपराय

—गुणस्थान ३९३, ३२४, ३४८

—गुणस्थानमें १४ परीषद ३११

—वारिष ३१६, ३१७

—संयम ३१८

सुखकार २७५, २७९

सूर्य

—इन्द्र १४०

—यह १८४

—की ऊँचाई १४६

—में उज्ज्वलत्विति १३९

सौषक

—नाम, स्थापना, इन्द्र, और
भाव ९, १०, ११, १

सौषार्ति (संस्थान) २९९

सौख्य १८३

—देशो गुणमय

सौषर्ष (स्वर्ग) १४४

—का स्थान १४९

—में उज्ज्वलत्विति १३९

सुखन्दिक (देव) १४६

सुखन्ध १७४

—बद समुदाय का १९०

—कार्य और कारण का १९

—की उत्पत्ति के कारण १९

—प्रवर्तनी इत्यर्थ है १९०

—उत्पत्ति के कारण अन्वयानुसारेण
प्रवर्तनी का ही है १९०

१९१

—वास्तु और अन्वयानुसारेण ही है

१९१

—वास्तु आदि के कारणों में

कारण १९१

स्कन्ध शाली (देव) १४५
 स्तनित कुमार १४३
 —का चिह्न १४५
 स्तेन आहृतादान (अतिचार)
 २६९, २७२
 स्तेय (चोरी) २५६
 स्तोयानुबन्धी (रौद्रध्यान) ३२९
 स्त्यानगृद्धि २८६, २८८
 स्त्री १२५
 स्त्री कथावर्जन २४५
 स्त्री परीषद् ३११, ३१३
 स्त्री पशु पण्डक सेवित शयना-
 सन वर्जन २४५
 स्त्रीलिंग १११
 स्त्रीवेद-१११, २८९
 —द्रव्य और भाव १११
 —का विकार ११२, ११२
 —के बन्धकारण २३३
 —नोकपाय चारित्र मोहनीय
 २८६
 स्थापना ९
 स्थावर ७८
 —के भेद ७९
 —का मतलब ७९
 —नामकर्म २८७, २९०, २९९
 स्थावरत्व ७९
 स्थावरदशक

—स्थावर नामकर्म को पिण्ड
 प्रकृतिर्या २९०
 स्थिति (द्वार) १२, १३.
 स्थिति (वायु)
 —मनुष्यों को १२८, १३५
 —तिरिचों की १२८
 —भव भेद और काय भेद से
 १३५
 स्थिति (बन्ध) २८०, २८३, २८३,
 २९२
 स्थिति (स्थिरता) १७८, १७९
 स्थिति (ध्रौव्य) ३३३
 स्थिर (नामकर्म) २८७, २९०,
 २९८
 स्थिरज्योतिष्क १४९
 स्थूल (शरीर) १०२
 स्थूलत्व १८३
 —अन्त्य और आपेक्षिक १८७
 स्थौल्य १८३
 —देखो स्थूलत्व
 स्नातक (निर्मन्थ) ३३७, ३३८
 —में यथाव्याप्त मंत्रम ही ३३८
 —में श्रुत नहीं होता ३३९
 —के विराधना नहीं होती ३३९
 स्निग्ध (स्पर्श) १८५
 स्पर्श
 —आठ हैं १८५

स्पर्शा (नामकर्म) २८०, २९०	द्विसा २४०, २४१, २४२, २४३
स्पर्शन (द्वार) १२	—की तदोपमा भावना पर ४४-
स्पर्शान (इन्द्रिय) ८१	गदित है २५३
स्पर्शन क्रिया २१९	—उपर २५३
स्मृति १९	—आवृत्ति २५३
स्मृत्यनुपस्थापन (भक्तिघार)	—भाव २५३
२६९, २७५	—प्रमाण योग ही है २५३
स्मृत्यन्तर्धान (भक्तिघार) २६९,	—की दोषकरता और अलोपन-
२७३	ता २५३
स्वगुणावच्छादन २३०	—में अकारवादि सभी दोष एका-
स्वयंभूरमण (समुद्र) ११९	नाई है २५३
स्वरूप १९८	द्विसानुबन्धी (सौद्रष्यान) ३३१
स्वहस्ताक्रिया २००	द्विन्दुस्तान ५८
स्वाध्याय (तप) ३५८, ३२९	द्विपदत् (घान्) ३३८, ३३९
—के पाँच भेद ३२३	द्विरूप्य तुषर्णप्रमाणान्तिकम
स्वामित्य ३८, ३३	(भक्तिघार) २६९, २७३
ह	द्वीभाषिकमाद्योगताम (भक्तिघार)
हरि (इन्द्र) ११९	१६९, २७३
हरिपथ (क्षेत्र) १२८	द्वीपताम (भवति) ३३
हरिसह (इन्द्र) ११९	द्वुष्ट (संख्यात) २१९
हान्यप्रत्याख्यान २४३	हह (द्वेष) १२९
हान्य	हहयंगम (द्वेष) १४९
हान्यमोहनीय) २८९	ह्रिममतथर्ष १२८
हान्यमोहनीय) २८९	ह्रिममतथर्ष १२८
—के पाँच कारण २३३	
हाटा (द्वेष) १८९	

शुद्धिपत्रक परिचय

पृ०	पं०	अशुद्ध	शुद्ध
४.	१९.	—मूलनामः	—मूलनामः
४.	२२.	समुपधार्य	समुपधार्य
५.	३.	—गमख्यं	—गमाख्यं
५.	१६.	अर्थ	अर्थ
६.	२६.	युजराती	युजराती
७.	२६.	समाञ्जं	सामञ्जं
८.	२३.	माढरसगुते-	माढरसगुते-
९.	८.	हैं !	है ?
१०.	२१.	गण	गुण
१०.	२४.	'पर्याप्त'	'पर्याय'
११.	२.	एगदन्वस्तिओ	एकदन्वस्तिआ
११.	१८.	परिणाम	परिणामः
१२.	२५.	सविस्तर के	सविस्तर परिचयके
१३.	१३.	दृष्टमानस्व	दृष्टमानस्य
१३.	१६.	संख्येयस्यार्थ स्या-	संख्येयस्यार्थस्य
१६.	१२.	प्रसिद्ध	प्रसिद्धै
१७.	१.	उमास्वाति	उमास्वाति
१८.	२१.	विमज्ज	विभज्ज
१८.	२२.	—कारणैव माह	—कारणैवमाह
१९.	२१.	बद्धर्थ	बद्धर्थ
१९.	२४.	मोक्षमार्ग	मोक्षमार्गं
२०.	३.	ब्रह्मगूत्र	ब्रह्मगूत्र
२१.	११.	भाष्य विरोधी	भाष्याविरोधी
२३.	१७.	स्वरण	स्मरण

२३.	२७.	गात्रधाति	श्रुतिभाति
२६.	३.	हुमा हे ।	हुमा हे
२८.	१.	अनेक	अनेक
३०.	६.	अपवाद	अपवाद
३२.	५.	मायना	मायना
३२.	१०.	गनाए	अनाए
३२.	१४, १६	प्राप्त	प्राप्त
३३.	२१.	और पृ० २०	और पृ० १८, १९
३३.	२२.	— सुप्रसन्नवाह	— सुप्रसन्नवाह
३६.	५.	उमेत	उमेत
३७.	७.	दशमनक्षत्र	दशमनक्षत्र
३९.	१२.	शोताए	शोताए
३९.	१६.	अभिमत से	अभिमत
४०.	११.	न देवाद—	न देवाद—
४०.	१२.	रवशेषा—	रवशेषा—
४०.	१२.	गुप्तो (अं)	गुप्तो
४०.	१३.	दुसदुविषा	दुसदुविषा
४०.	१३.	प्रसंगेय	प्रसंगेय
४२.	५.	गणिधमा भवन	गणि भवनभवन
४२.	८.	विद्वेषन	विद्वेषन
४७.	१७.	विपरी भाव	विपरी से देवा २१
४८.	२०.	विपरीतनी	विपरीतनी
५१.	१.	प्रवर्तना	प्रवर्तनी
६७.	२.	एक संज्ञ- एक संज्ञातका अन्वयानी एकी संज्ञ-	
६९.	३.	माते	माते
७०.	१७.	करने हे,	करने हे,
७१.	३.	दर से	दरसे एकाए भागी से दरी दूर है। इति स्त्रीय भाषा से दरी से भाषा से

७१.	६.	(८. २६)	(८. २६) है
७१.	१५.	सूत्रपाठ	सूत्रपाठ
७१.	२५.	बसली है	असली है
७७.	३.	साक्षात् या	साक्षात् या
९४.	९.	पढना या ह्ववं पढाने	पढाना या ह्वयं पढने

सूत्रपाठ

९८.	अंतिम	धयोपशममनि०	धयोपशमनि०
९९.	१.	विशुद्ध	विशुद्धघ
१००.	७.	—पञ्ज	पञ्च
१००.	१९.	त्वानी	त्वानि
१०१.	१३.	प्रथम तंत्र का टिप्पण अनावश्यक है ।	
१०६.	१०.	वंशधरपर्दता :	वंशधरपर्वता:
१०९.	८.	औपापा०	औपपा०
१०९.	१४.	उच्छ्वासा हार—	उच्छ्वासाहार—
"	"	पपाता नुभाव—	पपातानुभाव—
११०	४.	—पश्चदश—	—पश्चदश—
११३.	१३.	सूत्रको इस प्रकार पढ़ें	—सुखदुःखजीवितमरणोप- प्रशिक्ष ।
११५.	५.	काल—	काल—
११६.	७.	पश्चविंशति—	पश्चविंशति—
११७.	१३.	० ह्यायुपा:	० ह्यायुप:
११९.	५.	० दशनम्	दर्शनम्
१२०.	१९.	शद्ध	शब्द
१२५.	१५.	० बन्ध्यःया—	० बन्ध्यप्रत्या—
१२६.	११.	मार्गा—	मार्गा—
१२७.	१५.	युगपदेकस्मिन्नक्षेत्रविंशते:	युगपदेकस्मिन्नक्षेत्र- विंशते:
१२७.	२०.	कार को यथा—	कार को अपा—
१२७.	२१.	यथाख्यात	अथाख्यात

विवेचन

३.	२१.	विशेष	विशेष
४.	५.	क्रयान्ति	उपयान्ति
४.	१६.	निर्णय	निर्णय
५.	१८.	दिशि	दिशि
५.	१९.	भ्रमाधिक	भ्रमाधिक
६.	५.	भोभमानं	भोभमानं
६.	२०.	सीतलीपदि	सीतलीपदि
१५.	१९.	सप स दम क्राम	सप स दम क्राम
२७.	१.	कदु	कदु
२८.	१.	कदु	कदु
३६.	१.	अतोसा जेने पर भी समान	अतोसा जेने पर भी समान
४७.	२२.	को दक्षिण	को दक्षिण
४८.	१२.	दक्षिणसे	दक्षिणसे
४८.	१४.	अभय ही	अभय ही
५९.	५.	मकार	मकार
६०.	१६.	व्यासपा यही	व्यासपा यही
६४.	१७. २०	मनु०	मनु०
६९.	१८.	एक अंशका एक अंश वा उदय अंशका ६४ का पा और मनुके अंशका	एक अंश वा उदय अंशका ६४ का पा और मनुके अंशका
७२.	६.	निर्णय	निर्णय
७७.	२२.	ही	ही
७८.	१०.	दिशि०	दिशि०
९३.	७.	मनु	मनु
१००.	१६.	ही	ही
१११.	१५.	अभियानावा	अभियानावा
१२४.	१.	मनु	मनु
१३७.	५.	मनु० वा	मनु० वा

११८.	१४.	तरकमभूमि	तरकभूमि
१२०.	१३.	(दाकर)	(फेंकड)
१२१.	८.	यनवात	घनवात
१२२.	४.	हस	इस
१२४.	१.	नस्क	नस्क
१२५.	१९.	अध्यवसान	अध्यवसाय
१२७.	८.	पूर्वपरायता	पूर्वापरायता
१२८.	३.	हैमजवर्ष	हैमजवर्ष
१२८.	८.	घातकी	घातकी
१२८.	११.	ग्लेच्छ	ग्लेच्छ
१३४.	३.	कुरु	कुरु
१३६.	अंतिम	परिणाम	परिमाण
१५३.	१०.	पीतलेश्याः	पीतलेश्यः
१३८.	९.	कल्योपन्न	कल्योपन्न
१४६.	६.	जोष	जोष
१५९.	२.	दक्षिणार्ध	दक्षिणार्ध
१६०.	१९.	पत्योपमधिकं	पत्योपममधिकं
१६२.	१६.	स्थिति	उत्कृष्टस्थिति
१६६.	४.	हो सकता	वैभर्म्य हो सकता
१६७.	४.	जावितत्त्व	जावितत्त्व
१७६.	१५.	नहीं है ?	नहीं है ।
१७९.	११.	आधेय	आधेय
१८१.	१२.	घाली	घाले
१८२.	८.	परपरो—	परपरो—
१८८.	७.	घाली	घाला
१९३.	२०.	तदात्म्य	तदात्मक
१९६.	१०.	क्षतिक	क्षतिक
१९६.	१४.	दृष्ट	द्रष्टा

